THE UTTAR PRADESH POLICE SERVICE RULES – 1942
GO. No. O.- 337/II 444-40 Dt. 4th May, 1942

PART-1 GENERAL

1-Short title and commencement These rules shall be called "The Uttar Pradesh Police Service Rules, 1942. They shall take effect from the date of this notification and supersede all existing rules and orders on the subject.

2-Statues of the service The Uttar Pradesh Police Service is a state Service comprising Group 'A' and 'B' posts.

3-Definitions In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context:-

Original Rule	* Substituted w.e.f. 01-12-1993
(a)-"Act" means the Government of India Act, 1935. (b)-"Appointing Authority" means the Governor. (c)-'Citizen of India' means a person who is or is deemed to be a citizen of India under part II of the constitution of India. (d)-'Constitutions' means the Constitution of India. (e)-'Commission' means the Uttar Pradesh Public Service Commission. (f)-'Director General of Police' means the director General of Police –Cum- Inspector General of Police Uttar Pradesh. (g)-'Direct Recruitment' means recruitment in the manner prescribed by rule 5(1) of these rules. (h)-'Government' means the Government of Uttar Pradesh. (i)-'Governor' means the Governor of Uttar Pradesh. (j)-'Head of the Department' means Director General of Police, Uttar Pradesh. (k)-'Member of the Service' means a person substantively appointed under these rules or the rules or orders in force prior to the commencement of these rules, to a post in cadre of the Service. (l)-'Service' means the Uttar Pradesh Police Service. (m)-'Substantive appointment'	(a)-"Act" means the Government of India Act, 1935. (b)-"Appointing Authority" means the Governor. (c)-'Citizen of India' means a person who is or is deemed to be a citizen of India under part II of the Constitution of India. (d)-'Constitutions' means the Constitution of India. (e)-'Commission' means the Uttar Pradesh Public Service Commission. (f)-'Director General of Police' means the Director General of Police –Cum- Inspector General of Police Uttar Pradesh. (g)-'Direct Recruitment' means recruitment in the manner prescribed by rule 5(1) of these rules. (h)-'Government' means the Government of Uttar Pradesh. (i)-'Governor' means the Governor of Uttar Pradesh. (j)-'Head of the Department' means Director General of Police, Uttar Pradesh. (k)-'Member of the Service' means a person substantively appointed under these rules or the rules or orders in force prior to the commencement of these rules, to a post in cadre of the Service. (l)-'Service' means the Uttar Pradesh Police Service. (m)-'Substantive appointment' means an appointment not being an ad-hoc appointment, on a post in the cadre of the Service, made after selection in accordance with the rules, and if there are no rules in accordance with the procedure

***Substituted vide U.P.P.Service (Ninth Amendment) Rules 1942 w.e.f.Dt- 01-12-1993**

means an appointment not being an ad-hoc appointment, on a post in the cadre of the Service, made after selection in accordance with the rules, and if there are no rules in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instruction, issued by the Government. (n)-'Year of recruitment' means a period of twelve months commencing from the first day of July of a calendar year.	prescribed for the time being by executive instruction, issued by the Government. (n)'Year of recruitment' means a period of twelve months commencing from the first day of July of a calendar year.

PART- II-
CADRE

4-Strength of the Service-

1- The Strength of the service shall be such as may be determined by the Governor from time to time.

2- The permanent strength of the service shall, until orders varying the same have been passed under sub-rule (1), be as given in Appendix-A.

Providing that the Governor may----

(a)-Leave unfilled or hold in abeyance any vacant post without thereby entitling any person to compensation, or

(b)-by notification create such additional permanent or temporary posts, from time to time, as may be found necessary.

3- Whenever the number of Assistant Superintendents of Police holding junior charges in the districts falls below 18, the cadre of the service may be raised temporarily by a number equal to the deficiency in the number of assistant Superintendents for the period during which that deficiency lasts.

PART- III-
RECRUITMENT

5.SOURCE OF RECRUITMENT

Original Rule	* Substituted w.e.f. Dt. 07-09-2011
(i). On the results of a competitive examination conducted by the Commission, and	**(i).** On the results of a Competitive Examination conducted by the Commission. Note:- A combined Competitive Examination, is held by the Commission for recruitment to the U.P. Civil Service (Executive Branch) U.P. Police Service, U.P. Finance and Accounts Service, Etc.
(ii). By promotion of permanent Inspectors of Police;- Provided that Governor may also in the interest of police services, sanction the appointment in the temporary of officiating vacancies, of Sub	**(ii).** By promotion of permanent Inspectors of Police:- Provided that Governor may also in the interest of Public services, sanction the appointment in the temporary of officiating vacancies, of Sub Inspectors of Police, who have been approved for substantive appointment as Inspectors of police and have officiated as Inspectors for not less than two years.

Inspectors of Police, who have been approved for substantive appointment as Inspectors of police and have officiated as Inspectors for not less than two years. Note :- A combined Competitive Examination, is held by the Commission for recruitment to the U.P. Civil Service (Executive Branch) U.P. Police Service, U.P. Finance and Accounts Service, Etc.	Provided further that two percent of the vacancies, for a year of recruitment may be field by out of turn promotion through the Commission on specific recommendation of the Government from amongst such police Inspectors/ Company Commanders of the Uttar Pradesh Police Force who exhibit great Courage and gallantry in encounter or arrest of notorious terrorists or who take great personal risk of life in the discharge of their duties. If such person or sufficient numbers of such persons are not available for out of turn promotion under his proviso, the remaining vacancies shall be filled in accordance with the general procedure prescribed in this rule. The out of turn promotion quota shall remain included in the overall strength of the cadre for the purpose of computing reservation under rule6. Provided also that two percent of the vacancies, for a year of recruitment may be field by out of turn promotion through the commission on specific recommendation of the Government from amongst such police Inspectors/ Company Commanders of the Uttar Pradesh Police Force who have achieved the following awards:- (A). after having been selected to the Indian team should have participated in world championship, either in a team or individual event which is recognized by the International Olympic Association and should have earned a Gold or Silver or Bronze Medal or up to the fourth place. Or (b). After having been selected to the Indian team should have participated in Olympic Games which is recognized by the International Olympic Association and should have earned a Gold or Silver or Bronze Medal or up to the fourth place. Or (c). After having been selected to the Indian team should have participated in Asian Games/ Asian championship, which is recognized by International Olympic Association and should have earned a gold or Silver Medal. Or (d) if he/she has earned country’s highest award or excellence in sports “Arjuna Award”/ “Rajeev Gandhi Khel Ratna” If any Police Inspector/ Company Commander rank sports person qualifies the criterion laid down for promotion in such case then a proposal of

	promotion would be forwarded to the Government by the Director General of Police, Uttar Pradesh with clear recommendation and the out of turn promotion will be awarded by the State Government with the concurrence of the Uttar Pradesh Public Services commission. If such person or sufficient numbers of such persons are not available for out of turn promotion under this proviso, the remaining vacancies shall be filled in accordance with the general procedure prescribed in this rule. The out of turn promotion quota shall remain included in the overall strength of the cadre for the purpose of computing reservation under rule 6.

6-Reservation for Scheduled Castes

Reservation for scheduled castes in direct recruitment shall be made in accordance with the orders of Governments in force as the time of recruitment.

Note:- The existing orders at the time of the U.P. Police Service (Amendment) Rules, 1970 coming into force are set out in appendix. G

7-Member of appointments to be made

The Governor shall decide the number of recruits to be taken from each of the two sources specified in rule-5, having regard to the relative number of promoted and directly recruited officers in the cadre of the Service.

Provided that not less than half the number of candidates to be recruited each year shall be recruited by promotion, if suitable officers are available.

PART – IV – QUALIFICATION

8. Nationality

A candidate for recruitment to be service must be:-

a. a citizen of India, Or
b. a subject of Sikkim, Or
c. a Tibetan refugee who came over to Indian before January 1, 1962 with the intention of permanently settling in India, Or
d. a person of India origin who has migrated from Pakistan, Burma, Ceylon and East African countries of Kenya, Uganda and the united Republic of Tanzania (formerly Tanganyika) and Zanzibar with the intention of permanently setting in India.

Providing that a candidates belonging to category (c) or (d) above shall be a person in whose favour, a certificate of eligibility has been issued by the state Government.

Provided further that a candidate belonging to category (c) will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttar Pradesh.

Provided also that if a Candidate belongs to category (d) above no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year, and such a candidate may be retained in service after a period of one year only if he has acquired Indian Citizenship.

Note :- A Candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused, may be admitted to an examination or interview conducted by the commission and he may also be Provisionally

appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.

9.Inelgybility of Females

Original Rule	* Deleted w.e.f. 05-01-1991
Females are not eligible for appointment to the service.	This paragraph has been deleted vide Govt. Notification No. 5211/VI.Pu.So.-1-90-649 (5)/84 dated 5.1.1991.

10. Age A candidate for direct recruitment must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of 27 years on the first day of January next following the date of commencement of the examination by the Commission for Direct Recruitment to the service.

Provided that the upper age limit shall be greater by five years in the case of candidates belonging to the scheduled castes:

Provided that if a candidate would have been entailed in respect of his age to appear at the examination in any year in which no such examination was held, he shall be deemed to be entitled in respect of his age to appear at the next following examination.

11.Academic qualification A candidate for direct recruitment must hold a degree of a university established by law in the Uttar Pradesh or of any other University recognized for this purpose by the Governor.

Note: - The B.A. and B.Sc. degree of Universities in British India outside Uttar Pradesh, established by law, have been recognized for the purpose of direct recruitment to the service.

12. Character The character of a candidate for recruitment to the service must be such as may render him, in the opinion of the Governor suitable in all respect for employment.

Note: - Person dismissed by the Union Government or a State Government Will be deemed to be ineligible for the appointment.

12.(A)Marital Status A man who has more than one wife living shall not be eligible for appointment to the service.

Provided that the Governor may, if satisfied that there are special grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

PART- V – PROCEDURE FOR DIRECT RECRUITMENT

13. Application for permission to attend the examination. Application for permission to sit at the competitive examination will be invited by the commission and shall be, made in the prescribed form which may be obtained from Secretary to the Commission.

14. Admission to the examination **1.** No candidate shall be admitted to the examination, unless he holds a certificate of admission granted by the Commission.

2. Viva Voce **--** (a) After the marks obtained by candidates in the written examination have been received, a consolidated list of candidates shall be prepared in order of merit and laid before the Commission. The list shall show neither the roll number nor the names of candidates, but shall only give the serial numbers in order of merit and total marks obtained by each and in the case of candidates if any, belonging to the Scheduled Castes, also an indication of that

fact. The Commission shall call for interview as many candidates appointment as have shown their suitability for appointment in the written examination and shall award marks up to a maximum of 200. The Marks so awarded shall be added to the marks obtain in the written exemption.

(b) At the time of interview the Commission shall be assisted by an officer of the Police Department to be nominated by the Governor.

15. Fees Candidates for direct recruitment shall pay to the Commission and to the President of the Medical Board such fees as may from time to time be specified by the Governor. No claim for refund of these fees shall be entertained. Candidates to be recruited by promotion shall not be required to pay any fee.

Note: - The scale of fees at present prescribed is given in Appendix- B

16. SYLLABUS The Syllabus and the rules relating to the competitive examination shall be prescribed from time to time by the commission with the approval of the Governor.

Note: - The Subject and the syllabus at present in force will be found in Appendix- C.

PART- VI-

PROCEDURE FOR RECRUITMENT BY PROMOTION

17. Recruitment by Promotion

1. For the purpose of recruitment under Rules 5 (ii) a selection based on the criterion of merit shall be made in the manner here-in- after provided from among permanent Inspectors of Police.
2. The Chief Secretary to Government shall draw up a list containing names of candidates in order of merit, whom he considers most suitable from among those who are eligible for promotion. The number in this list shall be double the number of vacancies which are intended to be filled substantively, during the course of the year.
3. The Chief Secretary shall also draw up a supplementary list containing names of candidates, in order of merit, whom he considers suitable for officiating for temporary vacancies occurring during the course of the year. The number in this list shall be, so for as possible, equal to the number of temporary or officiating vacancies expected to occur during the course of the year.
4. The two lists, together with a gradation list, indicating there in the reasons for passing over the seniors, if any, and the character rolls of all eligible candidates, shall be sent by Government to the commission. The Commission will example the rolls and adds any new names to either of the two lists and returns both the lists as finalized together with other papers to Government.
5. The chief Secretary shall, in consultation with the commission, decided whether an interview of all or any of the candidates is necessary and, if so, fix a date and call them for interview these candidates will be interview by the selection committee, consisting of the following :-
   I. A representative of the Commission, who will preside over the committee.
   II. The Chief Secretary or the Secretary to Govt. home department.
   III. The Inspector General.

   Where the Chief Secretary, in consultation with the Commission,

comes to the conclusion that an interview of all or some of the candidates is not necessary, the committee shall consider their case on the basis of their character roll, and personal files.

6. The lists of names of candidates selected by the committee for appointment against permanent and temporary or officiating vacancies respectively will be considered by the Commission who will thereafter send the lists as finally approved by them to Government.
7. The names of the candidates selected in the first list, up to the number of permanent vacancies intended to be filled substantively during the course of the year, shall be drawn up re-arranged in order of seniority and they will be appointment against substantive vacancies in the cadre of the service in the same order.
8. The remaining names of the first list will be transferred to the top of the second list which will then form the select list. The candidates will be appointed against the officiating the temporary vacancies in the order in which their names stand in this list, as and when vacancies occur during the course of the year. This select list will hold good only for one year or until such time as a review is made at the following selection.
9. In case permanent vacancies do not occur for two consecutive years and it becomes necessary to make a selection for officiating and temporary vacancies only, the selection committee will meet to examine the cases of all eligible candidates including those who were superseded at the last selection. The procedure prescribed above shall so far as applicable be followed.

PART – VII

APPOINTMENT PROBATION AND CONFIRAMTION

18. Waiting list of candidates 1. The commission shall prepare a list of candidates for direct recruitment in order of their proficiency as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate. If two or more candidates obtain equal marks in the aggregate the commission shall place them in order of merit on the basis of their general suitability for the service as determined by the result of viva voce test. Subject to the provision of rules 6 and 19, the Governor shall select the candidates who stand highest in order or merit provided that he is satisfied that they are duly qualified and suitable in all respects.

2- The list of candidates considered suitable for promotion under rule 17 (7) shall be arranged in order of seniority as Inspectors of Police.

19.Physical fitness No person shall be appointed as a member of the service unless he be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties as a member of the service. Before a candidate is finally approved for appointment by direct recruitment he shall be required to pass an examination a Medical Board which shall be conducted after he has passed the competitive examination. Regulations for the medical examination are given in Appendix- E

20. Appointment **I.** The Governor shall make appointment to the service on the occurrence of substantive vacancies by taking candidates alternately, so for as this may be possible, from the two lists prepared under rule-18. Candidates shall be taken in the order in which they stand in the list and the first candidate taken shall be

from the list of Inspectors of Police. A directly recruited candidate may lose his seniority if he is not available to join the service when a vacancy is offered to him.

II. The Governor may make appointment in temporary or officiating vacancies by taking candidates in the order of merit from the select list prepared under rule 17 (a). In case candidates are not available on that list, the Governor may make appointments in such vacancies from among Inspectors of Police who are eligible for promotion to the service.

III. All appointment made under this rule shall be notified in the official Gazette.

21. Seniority

Seniority in the service shall be determined according to the date of the order of appointment in a substantive capacity and if two or more candidates are appointment on the same date, their seniority interse shall be determined according to the order in which their names appear in the order of appointment :--

Provided That ----

I. The inter se seniority of direct recruits selected in one batch shall be determined according to their merit at the selection but a candidate may lose his seniority if he fails to join without sufficient reasons when appointment is offered to his and the decision of the Governor as to the sufficiency of reasons shall be final.

II. The inter se seniority of the promote selected at one selection, relating to one particular year of recruitment shall be determined according to their seniority in the post from which they are promoted.

III. If a candidates is due for promotion but is passed over merely on account of his suspension or pendency of disciplinary proceedings against his, this fact shall be recorded at the time of selection and a vacancy shall be kept in reserve for him and he shall in the event of his being exonerated of the charges and reinstatement, be promoted and his seniority shall not be affected merely by the delay in appointment.

IV. If a candidates is due for substantive appointment but has been placed under suspension or disciplinary proceedings are underway against him, a permanent vacancy shall be kept in reserve for him and in case he is exonerated of the charge, is reinstated and gets, substantive appointment his seniority shall, upon confirmation, be determined according to the position at which he would have been placed, if he had not been suspended or, as the case may be, if the disciplinary proceedings had not been instituted against him.

V. Vacancies are required to be filled on every occasion both by direct recruitment and promotion and the inter se seniority of person appointment by promotion and directly recruitment against the vacancies of a particular year, shall be determined by arranging their names alternately, the first name being of the person appointed by promotion, and placing the names of the remaining person below enbloc.

Explanation: - A direct recruit will not be entitled to seniority of the year earlier to the year of his recruitment solely on the ground that there had been no direct recruitment in that year.

22. Period of Probation

1) Every candidate on appointment to the service in or against a substantive vacancy shall be placed on probation for two years.

2) Continuous service rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre of the service or on an equivalent post may be taken into account in computing the period of probation.

3) (a) Every officer recruited under the provisions of rules 5 (1) shall, during his probationary period, be required to attend a course of instruction at the State Police Training College, extending to eighteen months and pass departmental examinations in the subject prescribed for him. On completion of his course he shall be posted to a district and required to obtain a certificate of efficiency in practical training as prescribed for Assistant Superintendents of Police.

(b) Every Officer, recruited under the provisions of rule 5 (ii) shall, during his probationary period, be posted to a district or to the Criminal Investigation Department or to the Government Railway Police.

23. Extension of period of probation or discharge during or at the end of period

1) If it appears at any time, during or at the end of the period of probation, that an officer has not made sufficient use of his opportunities or if he has otherwise failed to give satisfaction, his services shall be dispensed with or he shall be reverted to his substantive appointment, if he holds one, provided that the Governor may, if he deems fit, extend the period of probation, any such extension shall specify the exact date up to which extension is granted.

2) An officer removed from the service during or at the end of the period of probation under sub- Rule (1) shall not be entitled to any compensation.

3)

24. Confirmation

1. A probationer directly recruited shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation if (a) he has passed the departmental examinations completely and (b) the Governor is satisfied that he is fit for confirmation.
2. A officer recruited by promotion shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation if the Governor is satisfied that he is fit for confirmation.
3. All confirmation under this rule shall be notified in the official Gazette.
4.

PART- VIII –
PAY AND ALLOWANCES

25. Scale of Pay

1- The scale of pay admissible to a person appointed to a post in the cadre of the service, whether in a substantive of officiating capacity or as a temporary measure, shall be as follows :-

Original Rule	* Substituted w.e.f. Dt. 01-12-1993
I- Ordinary Grade – Rs. – 2200 – 75 – 2800 –EB- 100 – 4000 II-Senior Scale – Rs. – 3000 – 100 – 3500 – 125 – 4500 III-Special Grade – Rs. – 3000 – 100 – 3500 – 125 - 4750 VI- Selection Grade – Rs. – 3700 – 125 – 4700 – 150 – 5000	(1) Ordinary Grade Rs. 2200-75-2800 EB-100-4000

** Substituted w.e.f. Dt. 25-04-1996	*** Substituted w.e.f. Dt. 07-09-2011
I- Ordinary Grade – Rs. – 2200 – 75 – 2800 –EB- 100 – 4000- II-Senior Scale – Rs. – 3000 – 100 – 3500 – 125 – 4500 III-Additional Superintendent of police Grade –II Rs. – 3000 – 100 – 3500 – 125 - 4750 VI-Additional Superintendent of police Grade –I Rs. – 3700 – 125 – 4700 – 150 – 5000	(i) **Ordinary Grade:-** Rs. 15600-39100 (Pay Band-3)+ Rs. 5400 (Grade Pay) (ii). **Senior Grade :-** Rs. 15600-39100 (Pay Band-3)+Rs.6600 (Grade Pay) (iii)Additional Superintendent of police. Rs. 15600-39100 (Pay Band-3)+ Rs. 7600(Grade Pay). (v).Additional Superintendent of police Special Grade-II Rs. 37400-67000 (Pay Band-4)+ Rs. 8700 (Grade Pay) (vi) Additional Superintendent of police Special Grade-II Rs.- 37400-6700 (Pay Band-4)+ Rs. 8900 (Grade Pay)

2- Pay during probation – not withstanding any provision in the fundamental rules to the contrary, but subject to the provisions of sub-rule (3), a probationer shall draw during the period of probation Increments as they accrue, provided that his work is considered satisfactory.

Provided further that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the Governor directs otherwise.

3- The pay during the period of probation of a person who is recruited under the provisions of rule 5 (ii) shall be fixed in accordance with fundamental rules.

26. Criteria for crossing efficiency bar and selection to senior Scale, Special Grade and selection Grade:-

Original Rule	*Substitutedw.e.f. Dt. 01-12-1993
1-Criteria for crossing efficiency bar	-
No person shall be allowed to cross efficiency bar unless:-	No person shall be allowed to cross efficiency bar unless
I-He has a satisfactory record of service. **II**-He is fully capable of supervising the work of his subordinates and the investigation of heinous crimes. **III**-He is found to be fully capable of holding charge of a circle by reason both of his ability and strict honesty and. **IV**-His integrity is certified. **2. Selection to Senior Scale-** a) Selection to the Senior Scale shall be made on the recommendation of a selection committee on the basis of seniority subject to rejection of unfit from amongst such substantively appointed Deputy Superintends of police who have completed six years' service from the year of allotment or the date of selection and have also completed four years in ordinary grade and are also confirmed in the Uttar Pradesh Police Service. The Selection	**I.** He has a satisfactory record of service. **II.** He is fully capable of supervising the work of his subordinates and the investigation of heinous crimes. **III.** He is found to be fully capable of holding charge of a circle by reason both of his ability and strict honesty and. **IV**. His integrity is certified. **2-Selcetion to Senior Scale:-** (a). Selection to the Senior Scale shall be made on the recommendation of a Selection Committee on the basis of seniority subject to rejection of unfit from amongst such substantively appointed Deputy Superintends of Police who have completed six years' service from the year of allotment or the date of selection and have also completed four years in ordinary grade and are also confirmed in the Uttar Pradesh Police Service. The Selection committee shall be

***Substituted by vide U.P.P.Service (Ninth Amendment) Rules 1942 w.e.f. G.O. Dt. 01-12-1993**

****Substituted by vide U.P.P.Service (Tenth Amendment) Rules 1942 w.e.f. G.O. Dt. 25-04-1996**

*****Substituted by vide U.P.P.Service (Twelth Amendment) Rules 1942 w.e.f. G.O. Dt. 07-09-**

committee shall be constituted by:- i. Chief Secretary to the Government-**Chairman,** ii. Secretary to the Government in home department - **Member,** iii. Director General of police - **Member,** b) The Head of Department shall prepare an eligibility list of candidates in accordance with the Uttar Pradesh Promotion by Selection (on the posts outside the preview of the public service commission) Eligibility List Rules, 1986 and place if before the Selection Committee along with that. Such other record, pertaining to them, as may be considered proper. c) The Selection Committee shall consider the cases of candidates on the basis of records, referred to the class (b) and if it consider necessary it may interview the candidates also. d) The Selection committee shall prepare a list of selected candidates in accordance with the orders of the State Government in force at the time of recruitment, and forward the same to the appointing authority. e) The select list shall be effective for one year from the date selection. **3. Selection to Special Grade:-** a)Selection to the special grade shall be made on the recommendation of a Selection Committee on the basis of seniority subject to rejection of unfit, from amongst substantively appointed officers who have completed ten years' service form the year of allotment on the date of selection and have also completed eight years of Uttar Pradesh Police service on the first day of July of the year of selection. the Selection Committee shall be constituted by :- i. Chief Secretary to the Government-**Chairman,** ii. Secretary to the Government in HomeDepartment - **Member,** iii. Director General of police-**Member,** **(b).** The appointing authorized shall	constituted by:- i. Chief Secretary to the Government-**Chairman,** ii. Secretary to the Govt. in Home Department - **Member,** iii. Director General of Police -**Member,** **b.** The Head of Department shall prepare an eligibility list of candidates in accordance with the Uttar Pradesh Promotion by Selection (on the posts outside the preview of the public service commission) Eligibility List Rules, 1986 and place it before the Selection Committee along with their Character roles and such other record, pertaining to them, as may be considered proper. **c)** The Selection Committee shall consider the cases of candidates on the basis of records, referred to in clause (b) and if it considers necessary it may interview the candidates also. **d)** The Selection Committee shall prepare a list of selected candidates in accordance with the orders of the State Government in force at the time of recruitment, and forward the same to the appointing authority. e. The select list shall be effective for one year from the date selection **3. Selection to Special Grade:-** **(a).** Selection to the special grade shall be made on the recommendation of a Selection Committee on the basis of seniority subject to rejection of unfit, from amongst substantively appointed officers who have completed ten years services from the year of allotment on the date of selection and have also completed eight years of Uttar Predesh Police Services on the first day of July of the year of selection. The Selection Committee shall be constituted by :- i. Chief Secretary to the Government-**Chairman**, ii. Secretary to the Government in Home Department - **Member,** iii. Director General of police - **Member,** **(b).**The appointing authority shall determine

determine the number of vacancies and shall prepare an eligibility list of candidates in accordance with the Uttar Pradesh promotion by the selection (on posts outside preview of the Public Service Commission) Eligibility List Rules, 1986 and place it before the selection committee along with their character rolls and such other record, pertaining to them as may be considered proper. **(c).** The Selection Committee shall consider the cases of candidates on the basis of records referred to in clause (b) and if it considered necessary it may interview the candidates also. **(d).** The selection committee shall prepare a list of selected candidates in accordance with the orders of the State Government in force at the time of recruitment, and forward the same to the appointing authority. **(e).** The select list shall be effective for one year from the date of selection.	the number of vacancies and shall prepare an eligibility list of candidates in accordance with the Uttar Pradesh promotion by the selection (on posts outside preview of the Public Service Commission) Eligibility list Rules, 1986 and place it before the Selection Committee along with their character rolls and such other record, pertaining to them as may be considered proper. **(c).** The Selection Committee shall consider the cases of candidates on the basis of records referred to in clause (b) and if it considered necessary it may interview the candidates also. **(d).** The Selection Committee shall prepare a list of selected candidates in accordance with the orders of the State Government in force at the time of recruitment, and forward the same to the appointing authority. **(e).** The select list shall be effective for one year from the date of selection.
*** Substituted w.e.f. Dt. 25-04-1996**	**** Substituted w.e.f. Dt. 07-09-2011**
1-Criteria for crossing efficiency bar	Procedure for Selection to Senior Scale, Additional Superintendent of Police Additional Superintendent of Police Special grade- II and Additional Superintendent of Police Special Grade-I
No person shall be allowed to cross efficiency bar unless :-	
I.He has a satisfactory record of service. **II.** He is fully capable of supervising the work of his subordinates and the investigation of heinous crimes. **III.** He is found to be fully capable of holding charge of a circle by reason both of his ability and strict honesty and. **IV.** His integrity is certified.	**I(a).** Selection to the Senior Scale shall be made on the recommendation of a Selection Committee on the basis of criterion laid down in the Uttar Pradesh Government Servants Criterion for Recruitment by Promotion Rules, 1994, as amended form time to time from amongst substantively appointed Deputy Superintends of Police who have completed six years' service from the year of allotment or the date of selection and have also completed four years in ordinary grade and are also confirmed in the Uttar Pradesh Police Service. The Selection committee shall be constituted as follows:- **i.** Chief Secretary to the Government- **Chairman,** **ii.** Principal Secretory or Secretary to the Govt. in Home Department - **Member,** **iii.** Principal Secretory or Secretary to the Govt. in Personnel Department **Member,** iv. Director General of the Police UP –

***Substituted by vide U.P.P.Service (Tenth Amendment) Rules 1942 w.e.f. G.O. Dt. 25-04-1996**
****Substituted by vide U.P.P.Service (Twelth Amendment) Rules 1942 w.e.f. G.O. Dt. 07-09-2011**

	Member, Provided that if the selection committee so constituted does not include persons each belonging to schedule Castes / Schedule Tribes and Backwards Classes then an Officer not below the rank of Special Secretary to the belonging to such Caste/ Tribes and Classes as are not represented in the Selection Committee shall be nominated as a member of the selection Committee. Note: - Backwards Classes means the backwards classes of citizen specified in Schedule-I of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Schedule Tribes and other Backwards Classes) Act, 1994 as amended from time to time. (b) The Head of Department shall prepare an eligibility list of candidates in accordance with Uttar Pradesh Promotion by selection (on the Posts outside the preview of the public services commission) Eligibility List Rules, 1986, as amended from time to time and place it before the selection committee along with their character rolls and such other records, pertaining to them as may be considered proper. **(c)** The Selection committee shall consider the cases of candidates on the basis of records, referred to in class (b) and if it consider necessary it may interview the candidates also. **(d)** The Selection committee shall prepare a list of selected Candidates in accordance with the orders of the State Government in force at the time of recruitment, and forward the same to the appointing authority. **(e).** The select list shall be effective for one year from the date selection.
2-Selcetion to Senior Scale:- **(a)** Selection to the Senior Scale shall be made on the recommendation of a Selection Committee on the basis of seniority subject to rejection of unfit from amongst such substantively appointed Deputy Superintends of police who have completed six years' service from the year of allotment on the date of selection and have also completed four years in ordinary grade and are also confirmed in the Uttar Pradesh Police Service. The Selection Committee shall be constituted as follows:-	**(2)(a).** Selection to the Additional Superintendent of Police shall be made on the recommendations of a selection committee on the basis of criterion laid down in the Uttar Pradesh Government Servants Criterion for Recruitment by Promotion Rules, 1994 as amended from time to time from amongst substantively appointed officers who have completed twelve years' of Uttar Pradesh Police service on the first day of July of the year of selection. the selection committee shall be constituted follows :-

i. Chief Secretary to the Government- **Chairman,** **ii.** Secretary to the Govt. in Home Department- **Member,** **iii.** Secretary to the Government in personnel department**- Member,** **iv-**Director General of police -**Member,** Provided that if the Selection Committee so constituted does not include person each belonging to schedule Castes / Schedule Tribes and Backwards Classes then an Officer not below the rank of Special Secretary to the Government belonging to such Caste/ Tribes and Classes as are not represented in the Selection Committee shall be nominated as a member of the selection Committee. Note: **-** Backwards Classes means the backwards classes of citizen specified in Schedule-I of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for scheduled Castes, Schedule Tribes and other Backwards Classes) Act, 1994 as amended from time to time. **(b)**Head & Department shall prepare an eligibility list & candidates in accordance with the Uttar Pradesh by Selection in the List outside. The preview of the public service commission) Eligibility list Rules, 1986 as amended from time to time their character rolls and place if before the Selection Committee along with that. Such other record, pertaining to them, as may be considered proper. **(c)** The Selection committee shall consider the cases of candidates on the basis of records, referred to the class (b) and if it consider necessary it may interview the candidates also. **(d)** The Selection committee shall prepare a list of selected Candidates in accordance with the orders of the State Government in force at the time of recruitment, and forward the same to the appointing authority. **(e).** The select list shall be effective for one year from the date selection. **(3)(a). Selection to the Additional Superintendent of police Grade-II** shall be made on the recommendation of a selection committee on the basis of seniority subject to rejection of unfit,	**i.** Chief Secretary to the Government- **Chairman**, **ii.** Principal Secretary or Secretary to the Government in home department**- Member,** **iii.** Principal Secretary or Secretary to the Government in Personnel department- **Member** **iv.** Director General of Police- **Member,** Provided that if the selection committee so constituted does not include person each belonging to schedule Castes / Schedule Tribes and Backwards Classes then an Officer not below the rank of longing to such Caste/ Tribes and Classes at are not represented in the selection committee shall be nominated as a member of the selection Committee. **Note: -** Backwards Classes means the backwards classes of citizen specified in Schedule-I of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for scheduled Castes, Schedule Tribes and other Backwards Classes) Act, 1994 as amended from time to time. **(b).** The appointing authority shall determine the number of vacancies and shall prepare an eligibility list of candidates in accordance with the Uttar Pradesh promotion by the selection (on posts outside preview of the Public Service Commission) Eligibility list Rules, 1986 as amended from time to time and place it before the selection committee along with their character rolls and such other record, pertaining to them as may be considered proper. **c).** The Selection Committee shall consider the cases of candidates on the basis of records referred to in clause (b) and if it Considered necessary it may interview the candidates also. **(d).** The selection committee shall prepare a list of selected candidates in accordance with the orders of the State Government in force at the time of recruitment, and forward the same to the appointing authority. **(e).** The select list shall be effective for one year from the date of selection

from amongst substantively appointed officers who have completed twelve years' of Uttar Pradesh Police service on the first day of July of the year of selection. the selection committee shall be constituted follows :- i. Chief Secretary to the Government- **Chairman**, ii. Secretary to the Government in home Department**- Member,** iii. Secretory to the Government in Personnel Department- **- Member,** **iv.** Director General of Police**- Member,** Provided that if the selection committee so constituted does not include person each belonging to schedule Castes / Schedule Tribes and Backwards Classes then an Officer not below the rank of longing to such Caste/ Tribes and Classes at are not represent in the selection committee shall be nominated as a member of the selection Committee. **Note: -** Backwards Classes means the backwards classes of citizen specified in Schedule-I of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for scheduled Castes, Schedule Tribes and other Backwards Classes) Act, 1994 as amended from time to time. **(b).** The appointing authorized shall determine the number of vacancies and shall prepare an eligibility list of candidates in accordance with the Uttar Pradesh promotion by the selection (on posts outside preview of the Public Service Commission) Eligibility list Rules, 1986 and place it before the selection committee along with their character rolls and such other record, pertaining to them as may be considered proper. **(c).** The Selection Committee shall consider the cases of candidates on the basis of records referred to in clause (b) and if it considered necessary it may interview the candidates also. **(d).** The selection committee shall prepare a list of selected candidates in accordance with the orders of the State	**3. Selection to the Additional Superintendent of Police Special Grade-II** shall be made on the recommendations of a Selection Committee on the basis of the Criterion laid down in the Uttar Pradesh Government Servants Criterion for Recruitment by promotion Rules, 1994. as amended from time to time amongst such substantively appointed additional superintendents of Police who have complete sixteen year service in the Uttar Pradesh Police Service on the first day of July of the year of selection The selection Committee shall be constituted as follows:- i. Chief Secretary to the Government- **Chairman**, (ii).Principal Secretary or Secretary to the Government in Home Department – **Member,** **(iii)**Principal Secretary or Secretary to the Government in personnel Department- **Member,** **(iv).** Director General of Police, Uttar Pradesh- **Member** Provided that if the selection committee so constituted does not include person each belonging to schedule Castes / Schedule Tribes and Backwards Classes then an Officer not below the rank of longing to such Caste/ Tribes and Classes at are not represent in the selection committee shall be nominated as a member of the selection Committee. **Note:** - Backwards Classes means the backwards classes of citizen specified in Schedule-I of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for scheduled Castes, Schedule Tribes and other Backwards Classes) Act, 1994 as amended from time to time. The appointing authority shall determine the number of vacancies and shall prepare an eligibility list of candidates in accordance with the Uttar Pradesh promotion by the selection (on posts outside preview of the Public Service Commission) Eligibility list Rules, 1986 and place it before the selection committee along with their character rolls and such other record, pertaining to them as may be considered proper. **(c).** The Selection Committee shall consider the cases of candidates on the basis of records referred to in clause (b) and if it considered necessary it may interview the candidates also.

Government in force at the time of recruitment, and forward the same to the appointing authority. **(e).** The select list shall be effective for one year from the date of selection	**(d).**The selection committee shall prepare a list of selected candidates in accordance with the orders of the State Government in force at the time of recruitment, and forward the same to the appointing authority. **(e).** The select list shall be effective for one year from the date of selection
(4)(a). Selection to the Additional Superintendent of police Grade-I shall be made on the recommendation of a selection committee on the basis of seniority subject to rejection of unfit, from amongst substantively appointed officers who have completed twelve years' of Uttar Pradesh Police service on the first day of July of the year of selection. the selection committee shall be constituted follows :- i. Chief Secretary to the Government- **Chairman**, ii. Secretary to the Government in home department**- Member,** iii. Secretory to the Government in Personnel Department- **- Member,** **iv.** Director General of Police**- Member,** Provided that if the selection committee so constituted does not include person each belonging to schedule Castes / Schedule Tribes and Backwards Classes then an Officer not below the rank of longing to such Caste/ Tribes and Classes at are not represent in the selection committee shall be nominated as a member of the selection Committee. **Note: -** Backwards Classes means the backwards classes of citizen specified in Schedule-I of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for scheduled Castes, Schedule Tribes and other Backwards Classes) Act, 1994 as amended from time to time. **(b).** The appointing authorized shall determine the number of vacancies and shall prepare an eligibility list of candidates in accordance with the Uttar Pradesh promotion by the selection (on posts outside preview of the Public Service Commission) Eligibility list Rules, 1986 and place it before the selection committee along with their character rolls and such other record,	**(4) (a).** Selection to the Additional Superintendent of police Grade-I shall be made on the recommendation of a selection committee on the basis of criterion laid down in the Utter Predesh Government Servents Criterion for Recruiment by Promotion Rules, 1994 as amended time to time from amongst such substantively appointed Additional Superintendent of Police Grade II , who have completed twenty one years service in the Uttar Pradesh Police service. The selection committee shall be constituted as follows :- i. Chief Secretary to the Government- **Chairman**, ii. Secretary to the Government in Home Department**- Member,** iii. Secretary to the Government in Personnel Department**- Member,** **iv.** Director General of Police**- Member,** Provided that if the selection committee so constituted does not include person each belonging to schedule Castes / Schedule Tribes and Backwards Classes then an Officer not below the rank of longing to such Caste/ Tribes and Classes at are not represent in the selection committee shall be nominated as a member of the selection Committee. **Note: -** Backwards Classes means the backwards classes of citizen specified in Schedule-I of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for scheduled Castes, Schedule Tribes and other Backwards Classes) Act, 1994 as amended from time to time. **(b).** The appointing authority shall determine the number of vacancies and shall prepare an eligibility list of candidates in accordance with the Uttar Pradesh promotion by the selection (on posts outside preview of the Public Service Commission) Eligibility list Rules, 1986 and place it before the selection

pertaining to them as may be considered proper. **(c).** The Selection Committee shall consider the cases of candidates on the basis of records referred to in clause (b) and if it considered necessary it may interview the candidates also. **(d).** The selection committee shall prepare a list of selected candidates in accordance with the orders of the State Government in force at the time of recruitment, and forward the same to the appointing authority. **(e).** The select list shall be effective for one year from the date of selection	committee along with their character rolls and such other record, pertaining to them as may be considered proper. **c).** The Selection Committee shall consider the cases of candidates on the basis of records referred to in clause (b) and if it Considered necessary it may interview the candidates also. **(d).** The selection committee shall prepare a list of selected candidates in accordance with the orders of the State Government in force at the time of recruitment, and forward the same to the appointing authority. **(e).** The select list shall be effective for one year from the date of selection

27. Special Pay:- In addition to the pay which may be drawn under rule -25, a member of the service shall receive a member of the service shall receive such special pay, as may be. by the Governor from time to time, for the post held by him; Provided that no special pay shall be admissible to officers drawing pay in the selection grade.

28. Grant for Purchases of horse, saddler and uniform:- Every Officer appointed to a post in the cadre of the service shall receive a pecuniary grant for the purchases of a horse and saddler and a further grant for the purchases of uniform. The amount if these grants, the conditions under which they shall be made and the periods at which and the governed by the rules set forth in appendix F to these rules.

PART IX- OTHER PROVISIONS

29. CONVEASSING No recommendation for recruitment, whether written or oral, other than that required under these rules, shall be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature by other means shall make him liable to be disqualified.

30. Regulation of leave, allowances, pensions, etc Subject to the Provisions of these rules, the conditions of members of the service shall be regulated by the rules and orders applicable generally to government servants under the rule making control of the governor.

31. Relaxation from the conditions of service Where the Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the service cause undue hardship in any particular case, it may not withstanding anything contained in these rules applicable to the case, by order dispense with or relax the recruitments of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

Provided that the commission shall be consulted before the rule is relaxed.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx

APPENDIX-A
{SEE RULE- 4(2)}

The sanctioned permanent strength of the service and the kind of posts included there in are as follows:-

Colum-1 appendix Rules	*** Substituted w.e.f. Dt. 01-12-1993**
Deputy Superintendent of Police Selection Grade- Special Grade -Senior Scale -Ordinary Grade - - - / Twenty percent of sanctioned post of senior scale and special grade. 144 192 654	Deputy Superintendent of Police Special Grade 72 Senior Grade 137 Deputy Superintendent of Police Ordinary Grade 690 **Total 899**
**** Substituted w.e.f. Dt. 25-04-1996**	***** Substituted w.e.f. Dt. 07-09-2011**
Additional superintendent of Police Grade-I **68** Additional superintendent of Police Grade-I **83** Senior Scale - - **192** Ordinary Grade - **660**	Additional superintendent of Police Grade-I **20** Additional superintendent of Police Grade-II **-53** Additional superintendent of Police- **167** Senior Scale - - **172** Ordinary Grade – **756** **(**35 Posts held in abeyance**)**

By order,
(Kunwar Fateh Bahadur)
Pramukh Sachiv

***Substituted by vide U.P.P.Service (Ninth Amendment) Rules 1942 w.e.f. G.O. Dt. 01-12-1993**

****Substituted by vide U.P.P.Service (Tenth Amendment) Rules 1942 w.e.f. G.O. Dt. 25-04-1996**

*****Substituted by vide U.P.P.Service (Twelth Amendment) Rules 1942 w.e.f. G.O. Dt. 07-09-**

UTTAR PRADESH POLICE SERVICE RULES, 2016

Notification No- 1587/6-PS-1-2016-622(1)-2007 Dt- 18-10-2016

PART-I- GENERAL

1- Short Title and Commencement :-

(1) These rules may be called "The Uttar Pradesh Police Service Rules, 2016"

(2) They shall come into force at once.

2- **Status of the Service:-**

The Uttar Pradesh Police Service is a state Service comprising Group 'A' and Group 'B' posts.

3- **Definitions:-**

In these rules, unless there is anything repugnant in the subject of context-

a. 'Act' means the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backwards Classes) Act, 1994.
b. 'appointing authority' means the Governor;
c. 'citizen of India' means person who is or is deemed to be a citizen of India under Part-II of the Constitution;
d. 'commission' means the Uttar Pradesh Public Service Commission;
e. 'Constitution' means the constitution of India;
f. 'Director General of Police' means the Director General of Police, Uttar Pradesh;
g. 'Government' means the state Government of Uttar Pradesh;
h. 'Governor' means the Governor of Uttar Pradesh;
i. 'Head of the Department' means the Director General of Police, Uttar Pradesh;
j. ' Member of the Services' means a person substantively appointed, under these rules or the rules or orders in force prior to the commencement of these rules to a post in the cadre of the service;
k. 'Her backwards classes of citizens' and the backward classes of citizens specified in Scheduled I of the Act, as amended form time to time;
l. 'Service' means the Uttar Pradesh Police Service;
m. 'Substantive appointment' means an appointment, not being and adhoc appointment, on a post in the cadre of the service, made after selection in accordance with the rules and, if there were no rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Government;
n. 'Year of recruitment' means a period of twelve months commencing on the first day of July of a calendar year.

PART- II CADRE

4. Cadre of Service:- (1) The strength of the service and of each category of posts therein shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The strength of the service and of each category of posts therein shall until orders varying the same are passed under sub-rule (1), be as given in Appendix 'A'.

Provided that :-

I. the appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to compensation; or

II. the governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper;

PART- III RECRUITMENT

5. Source of Recruitment: -

(1) Recruitment to the service in the Ordinary Grade shall be made from the following sources:-

I. Fifty percent by direct recruitment through the commission of the basis of competitive examination.
   Note A- Combined Competitive Examination is held by the Commission for recruitment to the Uttar Pradesh Civil Service (Executive Branch) Uttar Pradesh Police Finance and Accounts Service etc.

II. Fifty percent by promotion through the commission from amongst substantively appointed Inspectors of civil Police and Armed Police who have complete five year services as such on the first day of the year of recruitment and are also confirmed in the said post;
   Provided that two percent of the vacancies for a year of recruitment may be filled by out of turn promotion through the commission on the specific recommendation of the Government from amongst such police inspectors/Company Commanders of Uttar Pradesh Police Force who have achieved the following awards:-
   a. After having been selected to the Indian team should have participated in World Champion, either in a team or individual event, which is recognized by the international Olympic Association and should have earned a Gold or Silver or Bronze Medal or up to the fourth place,
   b. After having been selected to the Indian team should have participated in Olympic Games which is recognized by the International Olympic Association and should have earned Gold or Silver or Bronze Medal or up to the fourth place,
   c. After having been selected to the Indian team should have participated in Asian Game/ Asian Championship which is recognized by the International Association and should have earned Gold or Silver or Bronze Medal or up to the fourth place,
   d. If he/she has earned country's highest award or excellence in sports "Arjuna award"/ "Rajeev Gandhi Khel Ratan". if any inspectors of civil police or Armed police qualifies the criterion laid down for promotion in such case then a proposal would be forwarded to the Government by the Director General of Police Uttar Pradesh with the concurrence of the Commission. if such person of sufficient number of such person are not available for out of turn promotion under this proviso; the remaining vacancies shall be filled in accordance with the general procedure prescribed in the rules.

   2- Recruitment to the post in senior scale, Additional Superintendent of police, Additional Superintendent of police , Special Grade –II, Additional Superintendent of police Grade-I, and Additional Superintendent of Police Higher Grade Shall be made by promotion as per provision of rule 17 of these rules.

6- Reservation: -

Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Caste Scheduled Tribes and other categories shall be in accordance with the Act, and the Uttar Pradesh Public Service (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of freedom fighter and Ex-

servicemen) Act, 1993 as amended from time to time and the orders of the Government in force at the time of the recruitment.

PART-IV- QUALIFICATION

7- Nationality:-

A candidate for direct recruitment to a post in the service must be:-

a- a citizen of India; or

b- a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962, with the intention of permanently setting in India; or

c- a person of India origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, or any of the East African Countries of Keneya, Uganda and the United Republic, of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently setting in India :

Provided that a candidate belonging category (b) or (c) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government:

Provided further that a candidate belonging to category (b) will also be required, to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy inspector General of police, Intelligence Branch, Uttar Pradesh:

Provided also that if a candidate belongs to category (c) above, no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year, and the retention of such a candidate in service beyond a period of one year, shall be subjects to his acquiring Indian Citizenship.

Note –A Candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused, may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.

8- Academic Qualification –

A candidates for direct recruitment must possess a Bachelor's Degree of a University established by law in India or a qualification recognized by the Government as equivalent thereto.

9- Preferential qualification: -

A candidate who has:-

i. served in the Territorial Army for a minimum period to two years, or

ii. Obtained a 'B' certificate of National Cadet Crops, shall, other things being equal be given preference in the matter of direct recruitment.

iii.

10 Age: -

A candidate for director recruitment must have attained the age of 21 years and must not have attained the age or more than 40 years on the first day of July of the calendar year in which vacancies for direct recruitment are advertised by the Commission:

Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories as may be notified by the Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified.

11- Character: -

The character of a candidate for direct recruitment to a post in the service must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government Service. The appointing authority shall satisfy itself on this point.

Note- Persons dismissed by the union Government or a State Government or by a Local Authority or a Corporation or Body owned or controlled by the union Government or a State Government shall be ineligible for appointment to any post in the service. Persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.

12- Marital Status: -

A Male candidate who has more than one wife living or a female candidate who has married a man already having a wife living shall not be eligible for appointment to a post in the service:

Provided that the Government may, if satisfied that there exist special grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

13- Physical Fitness/Standards:-

1. No candidate shall be appointed to a post in the service unless he be in good mental and bodily health and free from any Physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment he shall be required to pass an examination by a medical board.

Provided that the examination by a Medical Board Shall not be necessary in case of candidate by recruited by promotion.

2- Regulations regarding the medical examination of candidates to be appointed by direct recruitrment to the service are given in Appendix – B.

PART-V PROCEDURE FOR RECUITMENT

14- Determination of Vacancies: -

The appointing authority shall determine the number of vacancies to be filled during the course of the year of recruitment as also the number of vacancies to be reversed for candidate belonging to Scheduled Caste/ Scheduled Tribes and other categories under rule. 6 The vacancies to be filled through the commission shall be intimated to them.

15- Procedure for direct recruitment trough the Commission:-

(1) Application for permission to appear in the competitive examination shall be invited by the Commission in the from published in the advertisement issued by the Commission.

(2) No candidate shall be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission issued by the Commission.

(3) After the results of the written examination have been received and tabulated, the Commission shall, having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to the Scheduled Caste, Scheduled Tribes and others under rule 6, summon for interview such number of candidates as, on the result of the written examination, have come up to the standard fixed by the Commission in this respect. The mark awarded to each candidate at the interview shall be added to the marks obtained by him in the written examination.

(4) The Commission shall prepare a list of candidates in order of their proficiency as disclosed by the aggregate of marks obtained by each candidate at the written examination and interview and recommend such number of candidates as they

consider fit for appointment. if two or more candidates obtain equal marks in the written examination shall be placed higher in the list. if two or more candidates obtain equal marks in the written examination also, the names of the candidates shall be arranged in accordance with the general policy of the Commission. The Commission shall forward the list to the appointing authority.

Note:- The syllabus and rules for competitive examination shall be such as may be prescribed by the Commission with the concurrence of the Government from time to time.

(5) The candidates, whose names are in the select list will be required to appear for Medical Examination as per procedure prescribed by the Government from time to time. During Medical Examination the Candidates shall also be examined for physical standards prescribed for height and chest measurement, as the case may be. The candidates found unsuccessful in Medical Examination shall be declared unfit and such vacancies shall carried forward for next selection.

(6) Before issuing appointment orders, character verification of the candidates shall be completed under the supervision of the appointing authority. On adverse fact coming to light during character verification of any candidate, he shall be declared unfit by the appointing authority and such vacancies shall be carried forward for next selection.

16- Procedure for Recruitment by promotion to the Ordinary Grade:-

Recruitment by promotion to the Ordinary Grade shall be made on the basis of merit in accordance with the Uttar Pradesh Promotion by Selection in Consultation with Public Service Commission (Procedure) Rules, 1970, as amended from time to time from amongst substantively appointed Inspectors of Civil Police and Armed police as per their combined seniority list to be prepared by head of Department.

17- Procedure for selection to Senior Scale, Additional Superintendent of Police, Selection Grade II. Procedure for selection to Senior Scale, Additional Superintendent of Police, Selection Grade I and Additional Superintendent of Police, Higher Grade.

(1) Procedure for selection to senior scale :-

a. Selection to the Senior Scale shall be made on the recommendation of a selection committee on the basis of the criterion laid down in the Uttar Pradesh Government Servants Criterion for Recruitment by Promotion Rules, 1994, as amended from time to time, from amongst such substantially appointed Deputy Superintendent of Police who have complete six years service from the years in Ordinary Grade and are also confirmed in the Uttar Pradesh Police Service.

b. The selection Committee for promotion to above post shall be Constituted as follows:-

(i)	Chief Secretary to the Government-	-Chairman
(ii)	Principal Secretary or Secretary to the Government in Home Department-	- Member
(iii)	Principal Secretary or Secretary to the Government in Personnel Department-	- Member
(iv)	Director General of police, Uttar Pradesh	- Member

Provided that if the Selection Committee so constituted does not include person each belonging to Scheduled Caste/ Scheduled Tribes and Other Backward Classes of Citizens then and officer not below the rank of Special

Secretary to the Government belonging to such Castes/ Tribes and Classes as are not represented in the Selection Committee shall be nominated as a member of the Selection Committee.

c. The Head of the Department shall prepare an eligibility list of candidates in accordance with the Uttar Pradesh Promotion by Selection (on post outside the purview of the Public Service Commission) Eligibility List Rules,1986, as amended from time to time, and place it before the Selection Committee along with their character rolls and such other the records, pertaining to them, as may be considered proper.

d. The Selection Committee shall consider the cases of candidates on the basis of records, referred to in clause (c) above and, if it considers necessary, it may interview the candidates also.

e. The Selection Committee shall prepare a list of selected candidates in accordance with the orders of the State Government in force at the time of recruitment and forward the same to the appointing authority.

f. The Select list shall be effective for one year from the date of selection.

(2) Procedure for selection to the posts of Additional Superintendent of Police, Additional Superintendent of Police, Special Grade-II, Additional Superintendent of Police, Special Grade-I and Additional Superintendent of Police, Higher Grade:-

a. Selection to the Additional Superintendent of Police, Special Grade-II shall be made on the recommendations of a Selection Committee on the basis of the criterion laid down in the Uttar Pradesh Government Servants Criterion for Recruitment by Promotion Rules, 1994, as amended from time to time, from amongst substantively appointed officers who have completed twelve years service on the first day of July of the year of selection.

b. Selection to the Additional Superintendent of Police, Special Grade-II shall be made on the recommendations of a Selection Committee on the basis of the criterion laid down in the Uttar Pradesh Government Servants Criterion for Recruitment by Promotion Rules, 1994, as amended from time to time, from amongst substantively appointed Additional Superintendent Police who have completed Sixteen years service in the Uttar Pradesh Police first day of July of the year of selection.

c. Selection to the Additional Superintendent of Police, Special Grade-I shall be made on the recommendations of a selection Committee on the basis of the criterion laid down in the Uttar Pradesh Government Servants Criterion for Recruitment by Promotion Rules,1994, as amended from time to time, from amongst such substantively appointed Additional Superintendent of Police, Special Grade –II who have completed twenty one year Uttar Pradesh Police Service.

d. Selection to the Additional Superintendent of Police, Higher Grade-I shall be made on the recommendations of a selection Committee on the basis of the criterion laid down in the Uttar Pradesh Government Servants Criterion for Recruitment by Promotion Rules,1994, as amended from time to time, from amongst such substantively appointed Additional Superintendent of Police, Special Grade –I who have completed twenty one year Uttar Pradesh Police Service.

e. The Selection Committee for promotion to above post shall be Constituted as follows:-

1- Chief Secretary to the Government- -Chairman

2- Principal Secretary or Secretary to the Government in Home Department- - Member

3- Principal Secretary or Secretary to the Government in Personnel Department- - Member

4- Director General of police, Uttar Pradesh - Member

Provided that if the Selection Committee so constituted does not include person each belonging to Scheduled Caste/ Scheduled Tribes and Other Backward Classes of Citizens then and officer not below the rank of Special Secretary to the Government belonging to such Castes/ Tribes and Classes as are not represented in the Selection Committee shall be nominated as a member of the Selection Committee.

(f) The appointing authority shall prepare an eligibility list of candidates in accordance with the Uttar Pradesh Promotion by selection (on posts outside the preview of the Service Commission) Eligibility List Rules, 1986, as amended from time to time, and such other records, pertaining to them as may be considered proper.

(g) The Selection Committee shall consider the case of candidates on the basis of records, referred to in clause (f) above and, if it considers necessary, it may interview the candidates also.

(h) The Selection Committee shall consider the case of candidates in accordance with the orders of the State Government in force at the time of recruitment and forward the same to the appointment authority.

(i) The select list shall be effective for one year form the date of Selection.

18. Combined Select list:-

If any year of recruitment appointments are made both by direct recruitment and by promotion, a combined select list shall be prepared by taking the names of the candidates from the relevant lists, in such manner that the prescribed percentage in maintained, the first name in list being of the person appointed by promotion.

PART- VI-

APPOINTMENT, PROBATION, CONFIRMATION, TRAINING AND SENIORITY

19. APPOINTMENT:-

(1) Subject to the provisions of sub-rule (2) the appointment authority shall make appointment by taking the names of candidates in the order in which they stand in the list prepared under rules, 15,16,17,or 18, as the case may be. A person recruited directly shall be required to report for training within the specified for this purpose in the appointment letter. The selection of such person may be cancelled or he may lose his seniority if he fails to join the service/ training within the specified time.

(2) Where, in any year of recruitment, appointments are to be made both by direct recruitment and by promotion, regular appointments shall not be made unless selections are made from both the sources and a combined list in prepared in accordance with rule 18.

(3) if more than one order of appointment are issued in respect of any one selection, a combined order shall also be issued, mentioning the names of the person in order of seniority as determined in the selection in the selection or, as the case may be, as it the stood in the cadre from which they are promoted. If the appointments are made both by direct recruitment and by promotion, names shall be arranged in accordance with the order, referred to in rule 18.

20- Probation:-

(1) A parson on substantive appointment to a post in the Services shall be placed on probation in accordance with the Uttar Pradesh Government Servants Probation Rules,2013, as amended from time to time.

(2) if it appears to the appointment authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with.

(3) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (2) shall not be entitled to any compensation.

(4) The appointing authority may allow continuous services, rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing period of probation.

21- Confirmation:-

(1) Subject to the provisions of sub-rule (2), a probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the entered period of probation if –

(a) his work and conduct is reported to be satisfactory,

(b) his integrity is certified and

(c) the appointing authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.

(2) Where, in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh State Government Servants Confirmation Rules, 1991, confirmation is not necessary, the order under sub-rule (3) of rule 5 of those rules declaring that the person concerned has successfully completed the probation, shall be deemed to be the order of confirmation.

22- Training:-

(1) A person recruited under rule 15, during his probation shall be required to successfully complete the training as prescribed by the Government from time to time.

(2)A person recruited appointed on a post after promotion under rules 16 and 17shall be required to undergo such training as decided by Head of Department.

(3) Every member of the service shall undergo such training programme during his services as decided by the Government or Head of Department from time to time.

23- Seniority:-

The seniority of persons substantively of appointment in any category of post in the service shall be determined in accordance for the Uttar Pradesh Government Servants Seniority Rules, 1991, as amended from time to time.

24. Scales of Pay-

1- The scales of pay admissible to person appointed to the various grades of posts in the service shall be such as may be determined by the Government from time to time.

2- The scales of pay at the time of the commencement of these rules are given as follows: -

I. **Ordinary Grade**- Rs. 15,600-39,100 (Pay Band-3)+Rs.5400 (Grade Pay).

II. **Senior Pay-** Rs. 15,600-39,100 (Pay Band-3)+Rs.6600 (Grade Pay)

III. **Additional Superintend of Police**- Rs. 15,600-39,100 (Pay Band-3)+Rs.7600 (Grade Pay)

IV. **Additional Superintend of Police Special Grade II-** Rs.37,400-67,000 (Pay Band-4)+Rs.8700 (Grade Pay)

V. **Additional Superintend of Police Special Grade I-** Rs.37,400-67,000 (Pay Band-4)+Rs.8900 (Grade Pay)

VI. **Additional Superintend of Police Higher Grade-** Rs. 37,400-67,000 (Pay Band-4)+Rs.10000 (Grade Pay)

25.Pay and During Probation:-

1- Not withstanding any provision in the fundamental Rules, to the contrary, a person on probation, if he is not already in permanent Government service, shall be allowed his first increment in the time scale when he has complete one year of satisfactory service, has passed departmental examination Part – I and Second increment after two year service when he has complete the probationary period, passed departmental examination Part – II, undergone the prescribed training and is also confirmed:

Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction such extension shall not count for increment, unless the appointing authority directs otherwise.

2- The pay during probation of a person, who was already holding a post under the Government, shall be regulated by the relevant fundamental rules;

Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction such extension shall not count for increment, unless the appointing authority directs otherwise.

3- The pay during probation of a person already in permanent Government service shall be regulated by the relevant rules, applicable generally to Government Servants serving in connection with the affairs of the state.

PART – VIII- OTHER PROVISION

26- Canvassing:-

No recommendation, either written or oral, other than that those rules application to the post or service will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.

27- Regulation of Other Matters:-

In regard to the matters not specifically covered by these rules or special orders,persons appointed to the service shall be governed by the rules, regulation and orders applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the state.

28- Relaxation from the Conditions of Services: -

Where, the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of person appointed to the service cause undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner:

Provided that the Commission shall be consulted before the requirement of the rule are dispensed with or relaxed.

Provided that where a rule has been framed in consultation with the commission, that body shall be consulted before the requirement of the rule are dispensed with or relaxed.

29-Saving:-

Nothing in these rules shall affect reservation and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard.

By Order,
DEBASISH PANDA,
Chief Secretary

Appendix-A

[See rule 4(2)]

The sanctioned strength of the service and kind of posts included therein are as follows:-

i.	Additional Superintendent of Police, Higher Grade	-10
ii.	Additional Superintendent of Police, Special Grade	-27
iii.	Additional Superintendent of Police, Special Grade	-67
iv.	Additional Superintendent of Police, (2 posts held in abeyance)	-182
v.	Senior Scale (Deputy Superintendent of Police)	-250
vi.	Ordinary Grade (Deputy Superintendent of Police) (35 posts held in abeyance)	-756

Appendix-B

[See rule 13(2)]

(A) Regulations for the medical examination of candidates for appointment by direct recruitment to the Uttar Pradesh Police Service.

1- To be passed as fit for an appointment under Government in the Uttar Pradesh Police Service Candidate must be in good mental -and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties.

2- a. The following table of physical standards is to be used as a guide in the examination of candidates.

b.

Category of candidates	Height (in cms)	Chest (in cms)	
		Unexpanded	Expended
(i) For Male Candidates only General, Other Backward Citizens and Scheduled Casts	165	84	89
i- Scheduled Tribes	160	79	84
ii- For Female candidates only General, Other Backward Citizens and Scheduled Casts	152		
iii- Scheduled Tribes	147		
iv- Minimum Weight for female Candidates of all categories	40 KG	Not Application	

3- The Candidate's height will be as follows:-

He will remove his shoes and placed against the standard with his feet together and the weight thrown on the heels and not on the toes of outer sides of the feet. He will stand erect without rigidity, and with the heels, calves, buttocks and shoulders touching the standards; the chin will be depressed to bring the vertex of the level under the horizontal bar and the height will be recorded in centimeter.

4- The candidate's chest will be measured as follows:

He will be made to stand erect with his feet together, and to raise his arms over his head. The tape will be so adjusted round the chest that its upper edge touches the inferior angle of the shoulder-blade behind and its lower edge the upper parts of the nipples in front. The arms will then be lowered to hang loosely by the side, and care will be taken that the shoulders are not thrown upward of backwards so as to displace the tape. The candidate will be directed to take a deep inspiration several times, and the maximum expansion of chest will be carefully noted.

5- The examination for determining the acuteness of vision includes two tests: one for distance, the other for near vision. Snellen's test types will be used for the test for distant vision, without glasses at a distance of 20 feet and of the test for near vision, without glasses, at any distance selected by the candidate. The standards of the minimum acuteness of vision which will used for guidance in the examination of a candidate are as follows

(a)

	Standard-I **Right Eye**	**Left Eye**
Distant vision	: V=6/6	V=6/6
Near vision	: Reads 0,6	Reads 0,6

	Standard-II **Better Eye**	**Worse Eye**
Distant vision	: V=6/6	V, without glasses=not below

		6/60; and after correction with Glasses=not below 6/24
Near vision	: Reads 0,6	Reads 1
	Standard-III	
	Better Eye	**Worse Eye**
Distant vision	V, without glasses= not below 6/24*; and correction with glasses=not below 6/6	V, without glasses=not below 6/24*; and after correction with glasses=not below 6/12
Near vision	: Reads 0,8	Reads 1

(b) Each eye must have a full field of vision as tested by hand movements.
(c) Squint or any morbid condition of the eyes or of the lids or of either eye liable to the risk of aggravation or recurrence, will cause the rejection of the candidate.
(d) Each eye will be examined separately and the lids must be kept wide open during the test.
(e) Inability to distinguish the principal colors will not be regarded as a cause for rejection, but the fact will be noted in the proceeding band the candidate will be informed.
(f) The degree of astuteness of vision of all candidates for appointments will be entered in the proceedings in the following manner:
V.R.= ………….: with glasses =…………..: Reads…………
V.L.=…………... with glasses=…………..: Reads………...
(g) In cause of serious abnormality the opinion of an ophthalmic specialist should be obtained.
6. The urine (passed in presence of the examiner) should be examined and the result recorded.
7. The following additional points should be observed:
(a) That the candidate's hearing in each ear is good and that there is no sign if disease of the ear:
A candidate who can ear forced whisper at a distance of ten feet with his back towards the examiner should be considered fit. Each of his ears should be tested separately, the other being plugged with oiled wool for time being.
(b) That his speech is without impediment:
(c) That his teeth are in good order, and that he is provided with dentures where necessary for effective mastication (well filled teeth will be considered as sound).
(d) That his chest is well formed and his chest expansion sufficient, and his heart and lungs are sound.
(e) That there is no evidence of any abdominal disease.
(f) That he is not ruptured.
(g) That he does not suffer from hydrocele, a severe degree of varicocele, varicose veins or piles.
(i) That he does not suffer from any inveterate skin disease.
(j) That there is no congenital malformation of defect.
(k) That he does not bear traces of acute of chronic disease pointing to an impaired constitution.
(l) That he bears marks of efficient vaccination.
When any defect is found it must be noted in the certificate and the medical examiner should state his opinion whether or not it is likely to interfere with the efficient performance of the duties which will be required of the candidate. If the condition is remediable by operation it should be so stated.
NOTE- These regulations are published for the convenience of candidates and in order to enable them to ascertain the probability of their coming up to the required physical standard. But it must be clearly understood that the rejection of a candidate as physical unfit will be at the absolute discretion of the Medical Board and that this discretion is in no respect limited by these regulations.
(B) Form of declarations as to health to be completed by candidates examined by a medical board
MEDICAL EXAMINATION BY A MEDICAL BOARD
Statement by candidates for appointment as…………………………….
The candidates must make the statement required below prior to his examination by the Medical Board, and must sing the declaration appended thereto in the presence of that board.
1- State your name in full (in BLOCK letters)…………………………
2- State place of birth…………………………………………………..
3- State your age and date of birth……………………………………..
4- Furnish the following particulars concerning your family:

Father's age , if living and state of health	Father's age at death and cause of death	Number of brothers living their ages and state of health	Number of brother living their ages at and cause of death

Mother's age, if living and state of health	Mother's age at death and cause of death	Number of sister living their ages and state of health	Number of sister dead their ages at and cause of death

5- Have any of your near relation suffered from Tuberculosis (consumption, scrofula, cancer, Asthma, fits, epilepsy, insanity, or any other Nervous disease)? ____________________

6- Have you ever been abroad, where, and for what period, and how long since? ____________________

7- Have you ever served in the Navy, Army Air Force, or in any Government Department? ____________________

8- Have you ever been examined
   (a) For life Insurance or/and
   (b) By any Government Medical Officer or State, Medical Board, Civil or Military? if so, state details, and with what result? ____________________

9- Have you ever-----
   (a) Had smallpox, intermittent or any other fever Enlargement or suppuration of gland, spitting of blood, asthma, inflammation of lungs, pleurisy heart disease, fating attacks, rheumatism, appendices, epilepsy, insanity or other nervous disease of the ear, syphilis, gonorrhea, or
   (b) Had any other disease or injury which required confinement to bed or medical or surgical treatment, or ____________________
   (c) Undergone any surgical operation, or ____________________
   (d) Suffered from any illness, wound or injury sustained while on active service.

10- Have your rupture?

11- Have you varicocele, various veins, or piles? ____________________

12- Is your vision in each eye good?(Candidates who wear Spectacles are requested to bring the prescription of their glasses with them.) ____________________

13- Is your hearing in each ear good? ____________________

14- Have you any congenital or acquired malformation, defect or deformation, defect or deformity? ____________________

15- When you were last vaccinated? ____________________

16- Is there any further matter concerning your health not covered by the above questions which should be communication to the Medical Board? ____________________

Declaration by Candidates

I declared all the above answers to be, to the best of my belief, true and correct.
I willfully reveal to the Medical Board all circumstances within my knowledge that concern my health and fitness for the appointment for which I am a candidate.
I am fully aware that by willfully suppressing any information I shall incur the risk of not obtaining the appointment, or of losing it, if granted.

Candidate's Signature.

Signed in presence of……………

____

____
Member of Medical Board,

Place ____________________

Date ____________________

Report of Medical Board

SI.No. Questions Answers Remark

1 Has the declaration on the preceding page been signed by the candidates?...
2. Are there any evidences of malformation-congenital or required?
3. Is he free from scars and has he the full use of all his limbs?
4. Are there any indications of decided
Cachectic or dietetics state of constitution?
5. Has the candidate been satisfactorily vaccinated within the last seven years?
6. Are there any signs of disease of the nervous system?
7. Is the hearing good?
8. Is the sight good?
9. Is the speech good as regards articulation?
10. Are there any signs disease of the bones, joints or parts connected therewith?
11. Is there any important affection of the skin?
12. Are the heart and arteries healthy?
13. Has the candidate hemorrhoids varicocele, or other affections of veins?
14. Is there any evidence of disease of the respiratory organs?
15. Are there any signs of disease of the digestive organs? Are the teeth seriously decayed or otherwise defective?
16. Is the candidate free from rupture?
17. Is there any indication of disease of the genital organs?
18. Is there urine free from (1) albumen, (2) sugar?
19. Is there anything in the health of the candidate likely to render him unfit for the efficient discharge of the duties of an …….?
20. Do you consider the candidate in all respects qualified for the efficient and continuous discharge of the duties of an…?

Date…………………….

Signature of Chairman of Medical Board

उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा नियमावली, 2016

संख्या 1587/छः पी0एस0–1–2016–622 (1)–2007

लखनऊ, 18 अक्टूबर, 2016

भाग एक– सामान्य

1.संक्षिप्त नाम़ और प्रारम्भ

(1) यह नियमावली उ0प्र0 पुलिस सेपा नियमावली, 2016 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2.सेवा की प्रास्थिति

उ0प्र0 पुलिस सेवा एक ऐसी राज्य सेवा है जिसमें समूह 'क' और समूह 'ख' के पद समाविष्ट हैं।

3.परिभाषाएं

जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में–

(क) 'अधिनियम का तात्पर्य उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 से है।

(ख) 'नियुक्ति प्राधिकारी' का तात्पर्य राज्यपाल से है।

(ग) 'भारत का नागरिक' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाये।

(घ) 'आयोग' का तात्पर्य उ0प्र0 लोक सेवा आयोग से है।

(ड.)'संविधान' का तात्पर्य भारत का संविधान से है।

(च) 'पुलिस महानिदेशक' का तात्पर्य पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 से है।

(छ) 'सरकार' का तात्पर्य उ0प्र0 की राज्य सरकार से है।

(ज) 'राज्यपाल' का तात्पर्य उ0प्र0 के राज्यपाल से है।

(झ) 'विभागाध्यक्ष' का तात्पर्य पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 है।

(ञ) 'सेवा का सदस्य' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है।

(ट) नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों का तात्पर्य समय–समय पर यथासंशोधित अधिनियम की अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है।

(ठ) सेवा का तात्पर्य उ0प्र0 पुलिस सेवा से है।

(ड़) मौलिक नियुक्ति का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो और यदि कोई नियम न हों तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो।

(ढ) 'भर्ती का वर्ष' का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग दो – संवर्ग

4. सेवा का सवंर्ग

(1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय।

(2) जब तक कि उप–नियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जाये, सेवा की सदस्य–संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी परिशिष्ट–क में दी गयी हैः–

परन्तु यह कि :–

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते है। जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा ; अथवा

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों की सृजन कर सकते हैं जिन्हे वह उचित समझे।

भाग तीन – भर्ती

5. भर्ती के स्त्रोत

(1) साधारण श्रेणी में सेवा की भर्ती निम्नलिखित स्रोतो से की जायेगी :–
(एक) 50 प्रतिशत, आयोग के माध्यम से प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा।
टिप्पणी :– उ0 प्र0 सिविल सेवा (प्रशासनिक शाखा), उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा, उ0प्र0 वित्त और लेखा सेवा आदि की भर्ती के लिए आयोग द्वारा एक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाती है।
(दो) 50 प्रतिशत, नागरिक पुलिस और सशस्त्र पुलिस के ऐसे निरीक्षकों में से, जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 5 वर्ष की सेवापूर्ण कर ली हो और उक्त पद पर स्थायी भी हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा :
परन्तु यह कि भर्ती के किसी वर्ष हेतु रिक्तियों का दो प्रतिशत भाग सरकार की विशिष्ट संस्तुतियों पर आयोग के माध्यम से बिना पारी पदोन्नति द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस निरीक्षकों/ कम्पनी कमाण्डरों मे से भरा जायेगा जिनहोंने निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त किया हो:–
(क) भारतीय दल में चयनित हो जाने के पश्चात विश्व चैम्पियनशिप में, चाहे किसी दल में या व्यक्तिक खेल में, जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त हो, अवश्य सहभागिता की हो और स्वर्ण या रजत या कांस्य पदक या चतुर्थ स्थान तक अवश्य प्राप्त किया हो ;

अथवा

(ख) भारतीय दल में चयनित हो जाने के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त ओलंपिक खेलों में अवश्य सहभागिता की हो और स्वर्ण या रजत या कांस्य पदक या चतुर्थ स्थान तक अवश्य प्राप्त किया हो ;

अथवा

(ग) भारतीय दल में चयनित हो जाने के पश्चात एशियन खेलों /एशियन चैम्पियनशिप में, जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त हो, अवश्य सहभागिता की हो और स्वर्ण या रजत पदक अवश्य प्राप्त किया हो ;

अथवा

(घ) यदि उसने खेलों में देश का सर्वोच्च पुरस्कार या उत्कृष्टता ''अर्जुन पुरस्कार'' / ''राजीव गांधी खेल रत्न'' अर्जित किया हो। यदि नागरिक, पुलिस या सशस्त्र पुलिस का कोई निरीक्षक पदोन्नति के लिए दिये गये मानदण्ड़ो को पूर्ण करता है, तो ऐसी दशा में अपनी स्पष्ट संस्तुतियों के साथ पुलिस महानिदेशक , उ0प्र0 द्वारा सरकार को प्रस्ताव भेजा जायेगा और राज्य सरकार द्वारा आयोग की सहमति से बिना पारी पदोन्नति प्रदान की जायेगी। यदि इस परन्तुक के अधीन बिना पारी पदोन्नति के लिए ऐसा व्यक्ति या ऐसे व्यक्तियो की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न हो तो शेष रिक्तियॉ इस नियमावली में विहित सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी।
(2) ज्येष्ठ वेतनमान, उपर पुजिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक, विशेष श्रेणी–दो, अपर पुलिस अधीक्षक, विशेष श्रेणी– एक और अपर पुलिस अधीक्षक, उच्चतर श्रेणी के पदों पर भर्ती इस नियमावली के नियम 17 के उपबन्धों के अनुसार की जायेगी।

6. आरक्षण

अनुसूचित जातियों, अनुसूचितजनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थिंयों के लिये आरक्षण समय–समय पर यथा संशोधित अधिनियम, और उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 के उपबन्धों और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग चार– अर्हताएं

7. राष्ट्रियता सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थीः–

(क) भारत का नागरिक हो ; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो ; या

(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, युगांडा और यूनाईटेड रिपब्लिक आफ तंजानिया (पूर्वीवर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया होः

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख)या(ग) का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो।

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख)के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक अभिसूचना शाखा उत्तर प्रदेश के पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें।

परन्तु यह भी यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग)का हो तो पात्रता पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नही किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि से आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा, कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त लें।

परन्तु यह और भी कि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो, पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नही किया जायेगा, और ऐसे अभ्यर्थी का एका वर्ष की अवधि से परे सेवा में बने रहना उसके भारतीय नागरिकता अर्जित करने के अध्यधीन होगा।

टिप्पणी

किसी अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो, किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया, तो किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है, कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाये या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाये ।

8. शैक्षणिक अर्हता सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए।

9. अधिमानी अर्हता अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने :–

(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो,या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

10. आयु सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की,जिसमें सीधी भर्ती के लिए आयोग द्वारा रिक्तियां विज्ञापित की जायें, की पहली जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न की हो।

परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसे अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में, जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाय, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

11. चरित्र

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके, नियुक्ति प्राधिकारी इस बिन्दु पर अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणीः—संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नही होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

12. वैवाहिक प्रास्थिति

सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसे पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक जीवित पत्नी हो।

परन्तु यह कि सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के परिवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान है।

13. शारीरिक स्वस्थ्यता/मानक

1—किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्ति नही किया जायेगा जब तक कि मानसिक व शारीरिक दृष्टि से उसका स्वस्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पडने की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा परिषद द्वारा अयोजित परीक्षा को पास करें :

परन्तु यह कि पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी के मामले चिकित्सा परिषद द्वारा परीक्षा की आवश्यकता नही होगी।

2—सेवा मे सीधी द्वारा नियुक्त अभ्यर्थियों के चिकित्सा परीक्षा के संबंध में विनिमय परिशिष्ट 'ख' में दिये गये है।

भाग पांच— भर्ती की प्रकिया

14. रिक्तियों का अवधारण

नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या के साथ—साथ नियम – 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। आयोग के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों को उन्हें सूचित किया जायेगा।

15. आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती की प्रकिया

1. प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुज्ञा के लिए आवेदन पत्र आयोग द्वारा जारी किये गये विज्ञापन में प्रकाशित प्रपत्र में आयोग द्वारा आमंत्रित किया जायेगा।
2. किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में तब तक सम्मिलित नही होने दिया जायेगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश प्रमाण पत्र न हो।
3. आयोग, लिखित परीक्षा के परिणाम प्राप्त होने और सारणीबद्ध करने के पश्चात, नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन—जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक, प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, उतने अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलायेगा जितने लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर आयोग द्वारा इस सम्बन्ध में निर्धारित स्तर तक पहुचे हों। साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को दिये गये अंक लिखित परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त अंको में जोड दिये जायेंगे।
4. आयोग अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता कम मे जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त अंको के कुल योग से प्रकट हो,

एक सूची तैयार करेगा और उतने अभ्यर्थियों को जितने वह उचित समझें। नियुक्ति के लिये संस्तुत करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल योग के बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में बराबर – बराबर अंक प्राप्त करें तो आयोग की सामान्य नीति के अनुसार अभ्यर्थियों के नामों को व्यवस्थित किया जायेगा। आयोग सूची को नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

टिप्पणीः– प्रतियोगिता परीक्षा से सम्बन्धित पाठ्य– विवरण और नियम ऐसे होंगे जैसे कि समय–समय पर सरकार की सहमति से आयोग द्वारा विहित किये जाये।

5. ऐसे अभ्यर्थियों से, जिनके नाम चयन सूची में है, समय–समय पर सरकार द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार चिकित्सा परीक्षा हेतु सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी । चिकित्सा परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी का यथास्थिति छाती और उंचाई की माप के लिए विहित शारीरिक मानक का भी परीक्षण किया जायेगा। चिकित्सा परीक्षा में जो अभ्यर्थी असफल पाये जायेंगे उन्हें अनुपयुक्त घोषित कर दिया जायेगा और ऐसी रिक्तियां अगले चयन के लिए अग्रेनित कर दी जायेगी।

6. नियुक्ति आदेश जारी किये जाने के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी की निगरानी में अभ्यर्थी का चरित्र सत्यापन पूर्ण किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी के चरित्र के सत्यापन के दौरान प्रतिकूल तथ्य के प्रकाश में आने पर वह नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित कर दिया जायेगा और ऐसी रिक्तियां अगले चयन के लिए अग्रेनित कर दी जायेंगी।

16. साधारण श्रेणी हेतु आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रकिया

साधारण श्रेणी हेतु पदोन्नति द्वारा भर्ती मौलिक रूप से नियुक्त नागरिक पुलिस और सशस्त्र पुलिस के निरीक्षकों में से विभागाध्यक्ष द्वारा तैयार की गयी उनकी संयुक्त ज्येष्ठता सूची के अनुसार योग्यता के आधार पर, समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली 1970 के अनुसार की जायेगी।

17. ज्येष्ठ वेतनमान अपर पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक, विशेष श्रेणी–दो, अपर पुलिस अधीक्षक, विशेष श्रेणी–एक और अपर पुलिस अधीक्षक, उच्चतर श्रेणी के पदों हेतु चयन की प्रकिया

ज्येष्ठ वेतनमान हेतु चयन की प्रक्रिया–

<u>17(1)</u> (क) ज्येष्ठ वेतनमान हेतु चयन समय–समय पर यथा संशोधित उ0प्र0 सरकारी सेवक पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड़ नियमावली, 1994 में दिये गये मानदण्ड़ो के आधार पर चयन समिति की संस्तुतियों पर मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे पुलिस उप–अधीक्षकों में से किया जायेगा जिन्होंने चयन के दिनांक को आवंटन के वर्ष से 6 वर्षों की सेवा पूर्ण कर ली हो और साधारण श्रेणी में भी चार वर्ष पूर्ण कर लिया हो और उ0प्र0 सेवा में स्थायी भी कर दिये गये हों।

(ख) उपर्युक्त पद पर पदोन्नति हेतु गठित चयन समिति में निम्नलिखित होंगे :–

(एक) सरकार के मुख्य सचिव	अध्यक्ष
(दो) गृह विभाग में सरकार का प्रमुख सचिव या सचिव	सदस्य
(तीन) कार्मिक विभाग में सरकार का प्रमुख सचिव या सचिव उ0प्र0	सदस्य
(चार) पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश	सदस्य

परन्तु यह कि यदि इस प्रकार गठित चयन समिति में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जन–जातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों में से प्रत्येक के व्यक्ति सम्मिलित न हों तो ऐसी जातियों /जन–जातियों और वर्गों, जिनका प्रतिनिधित्व चयन समिति में नही है का एक अधिकारी जो सरकार के विशेष सचिव से अनिम्न श्रेणी का हो, चयन समिति में सदस्य के रूप में नाम–निर्दिष्ट किया जायेगा।

(ग) विभागाध्यक्ष समय–समय पर यथासंशोधित उ0प्र0 चयनोन्नति (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों पर) पात्रता सूची नियमावली, 1986 के अनुसार अभ्यर्थियों की एक पात्रता सूची तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों जो उचित समझे जाय, के साथ चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(घ) चयन समिति उपर्युक्त खण्ड (ग) निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थिंयों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थिंयों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(ड.) चयन समिति चयनित अभ्यर्थिंयों को एक सूची भर्ती के समय प्रवृत्त राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार तैयार करेगी और नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

(च) चयन सूची , चयन के दिनांक से एक वर्ष के लिये प्रभावी होगी।

17(2) अपर पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक, विशेष श्रेणी–दो, अपर पुलिस अधीक्षक, विशेष श्रेणी–एक और अपर पुलिस अधीक्षक, उच्चतर श्रेणी के पदों हेतु चयन की प्रक्रिया :

(क) अपर पुलिस अधीक्षक हेतु चयन, समय–समय पर यथा संशोधित उ0प्र0 सरकारी सेवक पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिये मानदण्ड़ नियमावली–1994 में दियें गये मानदण्ड़ के आधार पर चयन समिति की संस्तुतियों पर, मौलिक रूप से नियुक्ति ऐसे अधिकारियों में से किया जायेगा, जिन्होने चयन के वर्ष की पहली जुलाई को बारह वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

(ख) अपर पुलिस अधीक्षक, विशेष श्रेणी–दो हेतु चयन, समय–समय पर यथासंशोधित उ0प्र0 सरकारी सेवक पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिये मानदण्ड़ नियमावली, 1994 के आधार पर चयन समिति की संस्तुतियों पर, मौलिक रुप से नियुक्त ऐसे अपर पुलिस अधीक्षकों में से किया जायेगा, जिन्होने चयन के वर्ष की पहली जुलाई को उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में सोलह वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

(ग) अपर पुलिस अधीक्षक, विशेष श्रेणी–एक हेतु चयन, समय–समय पर यथासंशोधित उ0प्र0 सरकारी सेवक पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिये मानदण्ड़ नियमावली, 1994 में दिये गये मानदण्ड़ के आधार चयन समिति की संस्तुतियों पर, मौलिक रुप से नियुक्त ऐसे अपर पुलिस अधीक्षकों, विशेष श्रेणी–दो में से किया जायेगा, जिन्होंने चयन के वर्ष की पहली जुलाई को उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में इक्कीस वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

(घ) अपर पुलिस अधीक्षक, उच्चतम श्रेणी हेतु चयन समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिये मानदण्ड़ नियमावली, 1994 में दिये गये मानदण्ड़ के आधार चयन समिति की संस्तुतियों पर, मौलिक रुप से नियुक्त ऐसे अपर पुलिस अधीक्षकों, विशेष श्रेणी–एक में से किया जायेगा, जिन्होंने चयन के वर्ष की पहली जुलाई को उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में बाइस वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

(ड.) उपर्युक्त पदों पर पदोन्नति हेतु गठित चयन समिति में निम्नलिखित होंगेः–

1. सरकार के मुख्य सचिव — अध्यक्ष
2. गृह विभाग में सरकार का प्रमुख सचिव या सचिव — सदस्य
3. कार्मिक विभाग में सरकार का प्रमुख सचिव या सचिव — सदस्य
4. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश — सदस्य

परन्तु यह कि यदि इस प्रकार गठित चयन समिति में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों में से

प्रत्येक के व्यक्ति सम्मिलित न हो तो ऐसी जातियों/जनजातियों और वर्गों, जिनका प्रतिनिधित्व चयन समिति में नहीं है, का एक अधिकारी , जो सरकार के विशेष सचिव से अनिम्न श्रेणी का हो, चयन समिति के सदस्य के रूप में नाम– निर्दिष्ट किया जायेगा।

(च) नियुक्ति प्राधिकारी समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश चयनोन्नति (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों पर) पात्रता सूची नियमावली 1986 के अनुसार अभ्यर्थियों की एक पात्रता सूची तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों , जो उचित समझें जाय, के साथ चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(छ) चयन समिति उपर्युक्त खण्ड़ (च) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(ज) चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों की एक सूची भर्ती के समय प्रवृत्त राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार तैयार करेगी और नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

(झ) चयन सूची, चयन के दिनांक से एक वर्ष के लिए प्रभावी होगी।

18.संयुक्त चयन सूची यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियों सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनो प्रकार से की जाये तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी जिसमें अभ्यर्थियों के नाम सुसंगत सूचियों से इस प्रकार लिये जायेंगे कि विहित प्रतिशत बना रहे, सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

भाग छः– नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण, प्रशिक्षण और ज्येष्ठता

19_नियुक्ति (1)उप नियम (2) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की नियुक्तियों उसी क्रम में करेगा जिसमें उनके नाम, यथास्थिति नियम 15,16,17 या 18 के अधीन तैयार की गयी सूचियों में हों। सीधी भर्ती से होने वाले किसी व्यक्ति से नियुक्ति पत्र में इस प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रशिक्षण हेतु रिर्पोट करने की अपेक्षा की जायेगी । ऐसे व्यक्ति का चयन निरस्त किया जा सकता है अथवा वह अपनी ज्येष्ठता खो सकता है, यदि वह विनिर्दिष्ट समय के भीतर सेवा/प्रशिक्षण को ग्रहण करने में असफल रहता है।

(2) जहां भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनो प्रकार से की जानी हों, वहां नियमित नियुक्तियां तब तक नही की जायेंगी जब तक कि दोनों स्त्रोतों से चयन न कर लिया जाय और नियम 18 के अनुसार एक संयुक्त सूची तैयार न कर ली जाय।

(3) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति के आदेश जारी किये जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख उसी ज्येष्ठताक्रम में किया जायेगा जैसा यथास्थिति, चयन में अवधारित किया जाय अथवा जैसे कि उस संवर्ग में हों जिससे उन्हें पदोन्नति किया जाय। यदि नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनो प्रकार से की जायें। तो नामों को नियम 18 में निर्दिष्ट क्रम के अनुसार रखा जायेगा।

20. परिवीक्षा 1.सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली, 2013 के अनुसार परिवीक्षा पर रखा जायगा।

(2) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन

व्यक्ति ने अपने अवसरों पर पर्याप्त उपयोग नही किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(3) उप– नियम (2) के अधीन जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति को प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायें, वह किसी प्रतिकार का हकदार नही होगा।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के सवंर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि को संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

21.स्थायीकरण

(1) उप–नियम (2) के अध्ययीन रहते हुए किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि–

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय।

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय; और

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किये जाने के लिये अन्यथा उपयुक्त है।

(2) जहां उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली– 1991 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नही है वहां उस नियमावली के नियम–5 के उप नियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुये आदेश को, कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

22. प्रशिक्षण

(1) नियम 15 के अधीन भर्ती व्यक्ति से अपनी परिवीक्षा अवधि के दौरान यह अपेक्षा की जायेगा कि वह समय–समय पर सरकार द्वारा विहित प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूर्ण करें।

(2) नियम 16 अथवा 17 के अधीन पदोन्नति द्वारा किसी पद पर नियुक्ति प्रत्येक अधिकारी से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह विभागाध्यक्ष द्वारा विनिश्चित प्रशिक्षण को प्राप्त करें।

(3) सेवा का प्रत्येक सदस्य अपनी सेवा के दौरान ऐसा प्रशिक्षण कार्यक्रम प्राप्त करेगा जैसा कि समय–समय पर सरकार या विभागाध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जाय।

23. ज्येष्ठता

सेवा में मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 1991 द्वारा अवधारित की जायेगी।

भाग–7 वेतनमान

24. वेतनमान

(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाये।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमान निम्नलिखित हैं:–

1	साधारण श्रेणी	रू0 15600–39100 (वेतन बैण्ड–3)+रू0 5400/– (ग्रेड वेतन)
2	ज्येष्ठ वेतनमान	रू0 15600–39100 (वेतन बैण्ड–3)+रू0 6600/– (ग्रेड वेतन)
3	अपर पुलिस अधीक्षक	रू0 15600–39100 (वेतन बैण्ड–3)+रू0 7600/– (ग्रेड वेतन)
4	अपर पुलिस अधीक्षक विशेष श्रेणी–2	रू0 37400–67000 (वेतन बैण्ड–4)+रू0 8700/– (ग्रेड वेतन)

5	अपर पुलिस अधीक्षक विशेष श्रेणी –1	रू0 37400–67000 (वेतन बैण्ड–4)+रू0 8900 / – (ग्रेड वेतन)
6	अपर पुलिस अधीक्षक, उच्चतर श्रेणी	रू0 37400–67000 (वेतन बैण्ड–4)+रू0 10000 / – (ग्रेड वेतन)

25. परिवीक्षा अवधि में वेतन

फाण्डामेंटल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुये भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, जहां विहित हो, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो;

परन्तु यह कि यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेनतवृद्धि के लिए नही की जायेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन, सुसंगत फण्डामेंटल रूल्स द्वारा विनियमित होगा;

परन्तु यह कि यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेनतवृद्धि के लिए नही की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर समान्यता लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग आठ – अन्य उपलब्ध

26. पक्ष समर्थन

किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नही जायेगा । किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

27. अन्य विषयों का विनियम

ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अर्न्तगत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर समान्यता लागू नियमों, विनियमों और द्वारा नियंत्रित होंगे।

28. सेवा की शर्तो में शिथिलता

जहां सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के के प्रर्वतन से किसी विशिष्ट मामले में असम्यक कठिनाई होती है, वहां उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हे वह मामले में न्याय–संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या उसे शिथिल कर सकती है;

परन्तु यह कि जहां कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो, वहां उस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्त देने या उसे शिथिल करने के पूर्व आयोग से परामर्श किया जायेगा।

29. व्यावृत्ति

इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नही पडेगा जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातिया और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट ''क''
(नियम 4(2) देखिए)

सेवा में पदों की स्वीकृत संख्या और उसमें सम्मिलित पदों की श्रेणियां निम्नलिखित हैः–

(एक)	अपर पुलिस अधीक्षक, उच्चतर श्रेणी	–10
(दो)	अपर पुलिस अधीक्षक, विशेष श्रेणी–1	–27
(तीन)	अपर पुलिस अधीक्षक, विशेष श्रेणी–2	–67
(चार)	अपर पुलिस अधीक्षक, (02 पद अस्थागित रखें जायेंगे)	–182
(पांच)	ज्येष्ठ वेतनमान (पुलिस उपाधीक्षक)	–250
(छः)	साधारण श्रेणी (पुलिस उपाधीक्षक) (35 पद आस्थगित रखे जायेंगे)	–756

परिशिष्ट ''ख''
[नियम 13(2)देखिए]

(क) उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा हेतु विनिमय :–

1. सरकार के अधीन उ0प्र0 पुलिस सेवा में किसी नियुक्ति हेतु उपयुक्त के रूप में उत्तीर्ण किये जाने वाले किसी अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक है कि मानसिक व शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पडने की संभावना हो।
2. अभ्यर्थियों की परीक्षा में शारीरिक मानकों की निम्नलिखित तालिका मार्गदर्शिका के रूप में प्रयुक्त की जाये।

क्र.सं.	अभ्यर्थियों की श्रेणी	उंचाई (से.मी.मे)	सीना (से.मी.मे)	
			बिना फुलाये	फुलाये
1	केवल पुरूष अभ्यर्थिंयों हेतु– अनारक्षित, नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों	165	84	89
2	अनुसूचित जनजातियां	160	79	84
3	केवल महिला अभ्यर्थिंयों हेतु– अनारक्षित, नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों	152	लागू नहीं	
4	अनुसूचित जनजातियां	147		
5	सभी श्रेणियों की महिला अभ्यर्थिंयों हेतु न्यूनतम वजन	40 किग्रा.		

3. अभ्यर्थियों की उंचाई की माप निम्नलिखित रूप में ली जायेगी– वह अपने जूते उतार देगा और उसे मानक के सहारे इस प्रकार से खड़ा किया जायेगा कि उसके दोनों पैर सटे हो और उसके शरीर का वजन उसकी एड़ी पर पडे और पैर के बाहरी हिस्से के अंगूठे पर नही हो। वह अपने शरीर को ढीला रखकर इस प्रकार बिल्कुल खड़ा होगा कि उसकी एड़ियां, पिंडलियां, नितम्ब और कन्धें मानक से स्पर्श कर रहे हों और उंचाई की माप सेंटीमीटर में अभिलिखित की जायेगी।

4. अभ्यर्थिंयों की सीने की माप निम्नलिखित रूप में ली जायेगी–उसे इस प्रकार खड़ा किया जायेगा कि उसके दोनों पैर सटे हुए हों और उसके हाथ सिर के ऊपर उठे हुए हों। फीते से सीने के घेरे की माप इस प्रकार ली जायेगी कि फीते का ऊपरी सिरा पीछे की तरफ स्कन्धस्थियों के निचलें कोनी के स्पर्श करता हो और इसका निचला सिरा सामने के स्तनाग्रों के ऊपरी हिस्से को स्पर्श करें। तत्पश्चात बाहों को स्तनाग्रों के सामने तक ढीली हालत में लटकाया जायेगा। तत्पश्चात बाहों को इस प्रकार नीचे किया जायेगा कि वे बगल में ढीली हालत में लटकती रहें और इस बात की सावधानी बरती जाय कि कंधे न तो उचकाये जाय अथवा न ही उन्हें पीछे की

ओर झुकाया जाये, जिससे कि फीता अपने स्तर से हट जाये। तदोपरान्त अभ्यर्थी को यह निर्देश दिया जायेगा कि वे कई बार गहरी सांस लें और सीने के अधिकतम फैलाव को सावधानी पूर्वक नोट कर लिया जायेगा।

5. दृष्टि के पैनेप के निर्धारण के लिए परीक्षा में दो परीक्षण सम्मिलित हैः पहला दूर के लिये, दूसरा नजदीक के लिए स्नेलेन्स प्रकार के परीक्षण का प्रयोग दूर दृष्टि के परीक्षण हेतु, बिना चश्में के 20 फीट की दूरी पर और अभ्यर्थी द्वारा चयनित किसी दूरी पर बिना चश्मे के नजदीक दृष्टि के परीक्षण हेतु किया जायेगा। परीक्षण में मार्गदर्शन हेतु किसी अभ्यर्थी की दृष्टि के न्यूनतम तीक्ष्णता के मानक निम्नलिखित के रूप में प्रयुक्त किये जायेंगेः–

मानक एक (क)

(क)	दाहिनी आंख	बायीं आंख
दूर दृष्टि	V=6/6	V=6/6
नजदीक दृष्टि	रीड्स 0,6	रीड्स 0,6

मानक दो

	अच्छी आँख	खराब आँख
दूर दृष्टि	V=6/6	V, बिना चश्में के = 6 / 60 से कम नही; और चश्में के साथ सुधार के पश्चात् = 6 / 24 से कम नही।
नजदीक दृष्टि	रीड्स 0,6	रीड्स 1

मानक तीन

	अच्छी आँख	खराब आँख
दूर दृष्टि	V, बिना चश्में के = 6 / 24 से कम नही; और चश्में के साथ सुधार के पश्चात् = 6 / 6 से कम नही।	V, बिना चश्में के = 6 / 24 से कम नही; और चश्में के साथ सुधार के पश्चात् = 6 / 12 से कम नही।
नजदीक दृष्टि	रीड्स 0,8	रीड्स 1

(ख) प्रत्येक आँख में हाथ के संचालन द्वारा यथापरीक्षित दृष्टि के पूर्ण क्षेत्र अवश्य होने चाहिए।
(ग) भैंगापन या आँखों या पलकों के किसी विकृति स्थिति या वृद्धि या आवृत्ति के खतरे के लिये उत्तरदायी दोनों आँखों के कारण अभ्यर्थी निरस्त कर दिया जायेगा।
(घ) प्रत्येक आँख का परीक्षण अलग–अलग किया जायेगा और परीक्षण के दौरान पलकें पूर्णतया अवश्य खुली रखनी चाहिए ।
(ड.) मूल रंगों को पहचान में असमर्थता को अस्वीकार करने के कारण के रूप में नही माना जायेगा, लेकिन इस तथ्य को कार्यवाही में अभिलिखित किया जायेगा, और अभ्यर्थी को सूचित किया जायेगा।
(च) नियुक्ति हेतु सभी अभ्यर्थिंयों की दृष्टि की तीक्ष्णता का कोंण कार्यवाही में निम्नलिखित रीति में प्रविष्ट किया जायेगा।

वी0आर0................	चश्में सहित...............	रीड्स..................
वी0एल0................	चश्में सहित...............	रीड्स..................

(छ) गंभीर असामान्यता के प्रकरणों में नेत्र रोग विशेषज्ञ की राय प्राप्त की जानी चाहिए।

6. मूत्र की (जांचकर्ता की उपस्थिति में निकाले गये) जांच की जानी चाहिए और परिणाम को अभिलिखित किया जाना चाहिए।

7. निम्नांकित अतिरिक्त बिन्दुओं को देखा जाना चाहिए :–
(क) अभ्यर्थी के प्रत्येक कान में सुनने की क्षमता अच्छी हो और उसके कान में बीमारी का कोई लक्षण न हो किसी उम्मीदवार को, जो दस फुट की दूरी से पीठ से पीछे जोर से की फुसफुसाहट को सुन सकता हो, परीक्षक को स्वस्थ मानना चाहिए। उसके प्रत्येक कान का पृथक रूप से परीक्षण किया जाना चाहिए, जबकि दूसरे कान को कुछ समय के लिये तेल से भीगी रूई से बंद कर दिया जाना चाहिए।

(ख) यह कि उसकी वाक् क्षमता हकलाहट रहित हो।
(ग) यह कि उसके दांत अच्छी स्थिति में हों, और वह जहां कही प्रभावी चर्वण के लिये आवश्यक हो उसके पास दन्तावली हो। (अच्छी तरह से भरे हुए दांत स्वस्थ माने जातें हैं।)
(घ) यह कि उसका वक्ष पूर्ण विकसित हो और वक्ष का फुलाव पर्याप्त हो तथा उसका हृदय और फेफड़े स्वस्थ हों।
(ड.) यह कि उसमें उदरीय रोग का कोई लक्षण न हो ।
(च) यह कि उसको हार्निया न हो।
(छ) यह कि वह अण्डवृद्धि गंभीर स्तर के मोतीक्षरा, स्फीत शिरा या बवासीर से ग्रसित न हो।
(ञ) यह है कि उसमें जन्मगत कुरचना का दोष न हो।
(ट) यह है कि उसमे तीक्ष्ण जीर्ण रोग को दर्शाने वाले किसी विकृत गठन के लक्षण न हों।
(ठ) यह है कि उसके शरीर पर सही टीकाकरण के चिन्ह हो,
जब कोई विकृति पाई जाती है तो इसे प्रमाण पत्र पद अवश्य लिखा जाय और स्वास्थ्य परीक्षक को अपना मत बताना चाहिए कि क्या कर्तव्यों के कुशलता पूर्वक निष्पादन में, जो अभ्यर्थी से अपेक्षित हो, कोई बाधा पडेगी या नही। यदि दशा शल्य चिकित्सा द्वारा उपचारणीय हो तो ऐसा बताया जाना चाहिए।
टिप्पणीः— यह विनिमय अभ्यर्थियों की सुविधा और उनके होने वाले आपेक्षित शारीरिक मानक में उनकों योग्य बनाने की सम्भावना को सुनिश्चित करने के क्रम में प्रकाशित किया जा रहा है परन्तु, यह स्पष्ट रूप से समझा जाय कि अभ्यर्थी का शारीरिक रूप से अनर्ह होना चिकित्सा मण्ड़ल के पूर्ण विवेक पर निर्भर होगा और यह विवेक इन विनियमों द्वारा इस विषयों में सीमित नहीं है।
(ख) चिकित्सा परिषद द्वारा परीक्षण किये गये अभ्यर्थियों द्वारा पूरा किये जाने वाले स्वास्थ्य के सम्बन्ध में घोषणा पत्र का प्रपत्र।

चिकित्सा परिषद द्वारा चिकित्सा परीक्षण

.... पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों द्वारा दिया जाने वाला विवरण
चिकित्सा परिषद द्वारा अपनी जांच किये जाने के पूर्व अभ्यार्थी नीचे मांगा गया विवरण अवश्य भरें और उसे संलग्न घोषणा पत्र पर उक्त परिषद के समक्ष हस्ताक्षर अवश्य करें।

1. अपना पूरा नाम लिखें (स्पष्ट अक्षरों में)
2. जन्म स्थान लिखें
3. अपनी जन्म— तिथि और आयु लिखें
4. अपने परिवार से सम्बन्धित निम्नलिखित विवरण दें:—

पिता की आयु, यदि जीवित हों तथा उनकी स्वास्थ्य सम्बन्धी दशा	मृत्यु के समय पिता की आयु और मृत्यु का कारण	जीवित भाइयों की संख्या, उनकी आयु तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी दशा	मृत भाइयों की संख्या, मृत्यु के समय उनकी आयु तथा मृत्यु का कारण
माता की आयु, यदि जीवित हों तथा उनकी स्वास्थ्य सम्बन्धी दशा	मृत्यु के समय पिता की आयु और मृत्यु का कारण	जीवित बहनों की संख्या, उनकी आयु तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी दशा	मृत बहनों की संख्या, मृत्यु के समय उनकी आयु तथा मृत्यु का कारण

5. क्या आप कोई निकट सम्बन्धी क्षयरोग, तपेदिक (यक्ष्मा), कण्ठमाला, कैंसर, दमा, मूर्च्छा, मिरगी, पागलपन अथवा किसी अन्य स्नायु रोग, से ग्रस्त हुआ है?
6. क्या आप कभी विदेश गयें हैं, यदि हां तो कहां और कितनी अवधि के लिये और तब से कितना समय बीता चुका है?................................
7. क्या आपने कभी नौसेना, थल सेना, वायु सेना अथवा किसी सरकारी विभाग में कार्य किया है?...................................
8. क्या आपकी जांच कभी (क) जीवन बीमा के लिए अथवा/और (ख) किसी सरकारी चिकित्सा अधिकारी अथवा राज्य चिकित्सा परिषद, सिविल अथवा सैनिक चिकित्सा परिषद

द्वारा की गयी है? यदि हां तो पूरा विवरण दीजिये और क्या परिणाम हुआ सहित?.................
....

9. क्या आपको कभी.. (क) चेचक हुआ है, आर्वतक (विसर्ग) अथवा कोई अन्य ज्वर हुआ है, गिल्टियां बढ़ी हैं अथवा उसमें पीप पड़ा है, मुंह से खून निकला है, दमा हुआ है, फेफड़ों में सूजन, फुफ्फसावरण – शोथ (प्लूरिसी) हुआ है, हृदय रोग हुआ है, दौरे पड़े हैं, गठिया हुआ है, उष्डुकपुच्छशोथ हुआ है, उपदंश हुआ है, सुजाक हुआ है, अथवा.......................
(ख) कोई अन्य रोग हुआ है अथवा चोट लगी है, जिसके कारण शैय्याग्रस्त होना पडा हो अथवा जिसके कारण चिकित्सा अथवा शल्यक्रिया सम्बन्धी उपचार आवश्यक हो गया हो अथवा...............
......................................(ग) कोई शल्यक्रिया हुई है, अथवा...
(घ) सक्रिय सेवा में किसी बीमारी से ग्रस्त रहे हैं, चोट लगी है अथवा क्षति हुई है?

10. क्या अपको अन्त्रवृद्धि है?...
11. क्या आपको प्रत्येक अण्डशिरावृद्धि हुई है, सूजी हुई शिरा वाली नसें हैं अथवा बवासीर है?. ....
12. क्या आपको प्रत्येक आंख की दृष्टि अच्छी है? (ऐसे अभ्यर्थी, जो कि चश्मा पहनते हैं, से अपेक्षा की जाती है कि अपने चश्में का नुस्खा साथ लायें।)
13. क्या आपको प्रत्येक कान से अच्छी तरह सुनायी देता है?............................ क्या आपको कोई जन्मजात अथवा जन्मोत्तर विकृति, दोष अथवा विरूपता है?
14. क्या आपको पिछला टीका कब लगा था? ....
15. क्या आपको स्वास्थ्य से सम्बन्धित कोई और मामला भी है, जो उपर्युक्त प्रश्नों के अन्तर्गत न आया हो, जिसे कि चिकित्सा परिषद को सूचित किया जाना चाहिए?..................................... ....

अभ्यर्थी द्वारा घोषणा
(चिकित्सा परिषद के समक्ष हस्ताक्षर किये जाये)

मैं घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त सभी उत्तर, जहां तक मेरा विश्वास है, सही और ठीक हैं।

मैं चिकित्सा परिषद के समक्ष उन समस्त परिस्थितियों को पूरी तरह प्रकट कर दूगां, जिनकी मुझे जानकारी है और जो कि उस पद के लिये जिसका कि मैं अभ्यर्थी हूँ मेरे स्वास्थ्य और योग्यता से सम्बन्धित हैं।

मैं इस बात से पूर्णतया अवगत हूँ कि किसी सूचना को जानबूझकर छिपाने से मुझे नौकरी न मिलने या उसे छोड़ने का, यदि प्रदान की जाती है, जोखिम उठाना पड़ सकता है।

....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर..........

.... की उपस्थिति में ....चिकित्सा परिषद का सदस्य
स्थान..................................
दिनांक................................

चिकित्सा परिषद की रिपोर्ट

क0 सं0	प्रश्न	उत्तर	अभियुक्त
1.	क्या पिछले पृष्ठ पर दिये गये घोषण पत्र पर अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षर किये गये हैं?		
2.	क्या आप जन्मजात या बाद में होने वाली विकृति के कोई लक्षण हैं?		
3.	क्या उसका शरीर क्षतचिन्ह से मुक्त हैं और क्या वह अपने सभी अंगो का पूरी तरह संचालन कर पाता है?		
4.	क्या निश्चित रूप से शारीरिक बनावट के विकृत होने अथवा उसकी		

किसी आदत के कोई संकेत मिलते हैं?

5. क्या पिछले सात वर्षों के भीतर अभ्यर्थी को संतोषजनक रूप टीका लगाया गया है?
6. क्या उसमें स्नायु तंत्र के रोग के कोई लक्षण हैं?
7. क्या उसे अच्छी तरह सुनाई पड़ता है?
8. क्या उसे अच्छी तरह से दिखाई पड़ता है?
9. जहां तक स्पष्ट उच्चारण का सम्बन्ध है क्या वह अच्छी तरह बोल सकता है?
10 क्या हडिड्यों, जोडों या उससे सम्बन्धित शरीर के किसी भाग में रोग के कोई लक्षण हैं?
11. क्या वह कोई गम्भीर चर्म रोग से ग्रस्त हैं?
12. क्या उसका हृदय व धमनी स्वस्थ्य है।
13. क्या अभ्यर्थी के बवासीर, अण्डकोष वृद्धि, शिरावृद्धि, या अन्य नाडी सम्बन्धी रोग है?
14. क्या उसके सांस लेने से सम्बन्धित अंगों में किसी रोग के कोई संकेत मिलते हैं?
15. क्या उसके पाचक अंगो के रोग के कोई लक्षण हैं? क्या उसके दांत गम्भीर रूप से खराब हैं अथवा किसी और प्रकार से रोग ग्रस्त हैं?
16. क्या अभ्यर्थी अन्त्रवृद्धि से मुक्त है?
17. क्या जनन सम्बन्धी अंगों के रोग के कोई लक्षण
18. क्या उसका मूत्र (1) अल्बयुमिन (2) शर्करा से मुक्त है? क्या उसका मूत्र अन्यथा सामान्य है?
19. क्या अभ्यर्थी के स्वास्थ्य में किसी प्रकार की गड़बड़ी है जिससे कि .. ..के दक्षतापूर्वक कार्य निर्वहन करने के लिये उसके अनुपयुक्त हो जाने की सम्भावना हो?
20. क्या आप अभ्यर्थी को दक्षतापूर्वक और निर्बाध रूप से .... के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिये सभी प्रकार से योग्य समझते हैं?

दिनांक्

————————

हस्ताक्षर

अध्यक्ष चिकित्सा परिषद

उत्तर प्रदेश उप-निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली 2008

भाग 1-सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश उप-निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस सेवा) नियमावली 2008कही जायेगी।

*मूल नियम	** दिनांक 15.01.2010 से प्रतिस्थापित
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।	(2) यह 02 दिसम्बर, 2008 का प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

सेवा की प्रास्थिति

2. उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) एक सेवा है जिसमें समूह ग के पद समाविष्ट है।

परिभाषाएँ

3. जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में—

(क)''अधिनियम'' का तात्पर्य समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 से है।

(ख)''नियुक्ति प्राधिकारी'' का तात्पर्य पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश से है—

(ग)''बोर्ड'' का तात्पर्य इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार स्थापित उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड से है —

(घ)''भारत का नागरिक'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग-2 के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाए।

(ङ)''संविधान'' का तात्पर्य भारत के संविधान से है।

(च)''सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है।

(छ)''राज्यपाल'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है।

(ज)''विभागाध्यक्ष'' का तात्पर्य पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश से है;

(झ)''सेवा का सदस्य'' का तात्पर्य इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त आदेशों के अधीन सेवा के संवर्ग में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति से है।

(ञ)''नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों''का तात्पर्य अधिनियम की अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है।

(ट)''पुलिस मुख्यालय'' का तात्पर्य पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ या उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद से है।

(ठ)''सेवा'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश उप-निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) से है।

(ड)''मौलिक नियुक्ति'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक आदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो।

(ढ)''भर्ती का वर्ष'' का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग-दो-संवर्ग

सेवा का संवर्ग 4. (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाए।

मूल नियम	*दि0 01.03.2013 से प्रतिस्थापित
(2) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी	(2) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी

* उ0प्र0 उ0नि0 और नि0 (ना0पु0) नियमावली (द्वितीय संशोधन)2008 द्वारा दिनांक 15.01.2010 से प्रतिस्थापित

* * उ0प्र0 उ0नि0 और नि0 (ना0पु0)(पंचम संसोधन) नियमावली 2013, द्वारा दिनांक 1.03.2013 से प्रतिस्थापित

<table>
<tr>
<td>के पदों की संख्या निम्न प्रकार होगी, जब तक कि उपनियम के अधीन उसे परिवर्तित करने वाला आदेश पारित न हो—
क्रं0 पदों का नाम | स्थायी | अस्थायी | योग
1 निरीक्षक | 890 | 339 | 1229
2 उप निरीक्षक | 7153 | 3754 | 10907</td>
<td>के पदों की संख्या निम्नलिखित होगी, जब तक कि उप नियम–1 के अधीन उसे परिवर्तित करने का आदेश पारित न होः–
क्रं0 पदों का नाम | स्थायी | अस्थायी | योग
1 निरीक्षक | 890 | 1774 | 2634
2 उप निरीक्षक | 7153 | 11843 | 18996</td>
</tr>
</table>

परन्तु यह कि—

(एक) विभागाध्यक्ष कुल स्वीकृत नियतन के अन्तर्गत विभिन्न इकाइयों के पदों की संख्या को पुनर्निर्धारित कर सकता है।

(दो) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकते हैं या राज्यपाल उसे प्रास्थागित रख सकते हैं जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(तीन) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थाई या अस्थाई पदों का सृजन कर सकते हैं जिन्हें वह उचित समझें।

भाग-तीन-भर्ती

5.भर्ती का स्त्रोत

मूल नियम	****दि0 02.04.2009 से प्रतिस्थापित**	*****दि0 11.12.2013 से प्रतिस्थापित**
(1) उप-निरीक्षक—पचास प्रतिशत पदों को सीधी भर्ती द्वारा बोर्ड के माध्यम से भरा जाएगा। सेवा काल में दिवंगत कर्मवारियों के आश्रितों की भर्ती भी उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की नियमावली, 1974 के अनुसार की जायेगी। (2) निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूर्ण करने वाले उत्तर प्रदेश नागरिक पुलिस के मौलिक रूप से नियुक्त मुख्य आरक्षी और आरक्षियों में से विभागीय परीक्षा के आधार पर बोर्ड के माध्यम से पचास प्रतिशत पदोन्नति द्वारा— (क) भर्ती के वर्ष के प्रथम दिन इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। (ख) भर्ती के वर्ष के प्रथम दिन 40 वर्ष से अधिक की आयु न हुई हो।	5(1) उपनिरीक्षक — पचास प्रतिशत पदों को सीधी भर्ती द्वारा बोर्ड के माध्यम से भरा जाएगा : सेवा काल में दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों की भर्ती भी उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की नियमावली, 1974 के अनुसार की जायेगी। नियुक्ति प्राधिकारी इस नियमावली के अधीन भर्ती करेगा। (2) निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूर्ण करने वाले उत्तर प्रदेश नागरिक पुलिस /सशस्त्र पुलिस/माउण्टेड पुलिस/ पी.ए.सी. के मौलिक रूप से नियुक्त मुख्य आरक्षी और आरक्षियों में से विभागीय परीक्षा के आधार पर बोर्ड के माध्यम से पचास प्रतिशत पदोन्नत द्वारा :— (क) भर्ती के वर्ष के प्रथम दिन इस रूप में तीन वर्ष की सेवा परिवीक्षा अवधि को छोड़कर, पूर्ण कर ली हो; (ख) भर्ती के वर्ष के प्रथम दिन 40 वर्ष से अधिक की आयु न हुई	(एक) पचास प्रतिशत भर्ती द्वारा बोर्ड के माध्यम से । (दो) पचास प्रतिशत पद, मौलिक रूप से नियुक्त मुख्य आरक्षी उत्तर प्रदेश नागरिक पुलिस, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड के माध्यम से पदोन्नति द्वारा। (तीन) निःसंवर्गीय पदों पर पदोन्नत उप निरीक्षक (नागरिक पुलिस) भी, जो खण्ड (दो) उल्लिखत अपेक्षा पूर्ण करते हैं, उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु अर्ह होंगे।

* उ0प्र0 उ0नि0 और नि0 (ना0पु0)(पंचम संसोधन) नियमावली 2013, द्वारा दिनांक 01.03.2013 से प्रतिस्थापित

** उ0प्र0 उ0नि0 और नि0 (ना0पु0)(प्रथम संसोधन) नियमावली 2009, द्वारा दिनांक 02.04.2009से प्रतिस्थापित

*** उ0प्र0 उ0नि0 और नि0 (ना0पु0)(सातवा संसोधन) नियमावली 2013, द्वारा दिनांक 11.12.2013 से प्रतिस्थापित

	हो।	

मूल नियम	*दि0 02.04.2009 से प्रतिस्थापित
(3) निरीक्षक— मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे उप-निरीक्षकों में से विभागीय परीक्षा के आधार पर बोर्ड के माध्यम से पदोन्नति द्वारा जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिन इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। **टिप्पणी**—उप-निरीक्षक (अध्यापक) का पद मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे उप-निरीक्षकों में से सेवा अंतरण के द्वारा भरा जाएगा जिन्होंने पैडागोजी पाठ्यक्रम व समय-समय पर सरकार द्वारा यथा विहित पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।	(3) **निरीक्षक :** मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे उप निरीक्षक में से विभागीय परीक्षा के आधार पर बोर्ड के माध्यम से पदोन्नति द्वारा जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिन इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा, परिवीक्षा अवधि को छोडकर, पूर्ण की ली हो। **टिप्पणी :–** उप निरीक्षक (अध्यापक) का पद मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे उप-निरीक्षकों में से सेवा अंतरण के द्वारा भरा जाएगा जिन्होंने पैडागोजी पाठ्यक्रम व समय-समय पर सरकार द्वारा यथा विहित पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।
****दि0 01.03.2013 से प्रतिस्थापित**	***** दि0 6.06.2013 से प्रतिस्थापित**
(3) **निरीक्षक**– (क) नियम 4 के उप नियम (2) के अधीन निरीक्षक के स्वीकृत पदों में से 50 प्रतिशत पद, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे और नियम 4 के उप नियम (2) के अधीन निरीक्षक के स्वीकृत पदों में से शेष 50 प्रतिशत पद बोर्ड के माध्यम से विभागिय परीक्षा के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे। (ख) उप खण्ड़ (क) में यथा उल्लिखित पदोन्नति के माध्यम से भर्ती मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे उपनिरीक्षकों (नागरिक पुलिस) में से की जायेगी जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिन, परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए, इस रूप में 07 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। (ग) निःसर्वीय पदों पर पदोन्नत निरीक्षक (नागरिक पुलिस), जो खण्ड़ (ख) में उल्लिखित अपेक्षा पूर्ण कर रहें हों, निरीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु अर्ह होंगे।	(3) **निरीक्षक**– (क) नियम 4 के उप नियम (2) के अधीन निरीक्षक, नागरिक पुलिस के स्वीकृत पदों की कुल संख्या के सौ प्रतिशत पद, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे उप निरीक्षकों नागरिक पुलिस में से भरे जायेंगे जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को, परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते इस रूप में सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। (ख) उप खण्ड (क) के अधीन निरीक्षक नागरिक पुलिस के पदों पर पदोन्नति के लिए निःसवर्गीय पदों पर पदोन्नत ऐसे निरीक्षक (नागरिक पुलिस) भी पात्र होंगे जो अपेक्षाओं को पूरा करते हों।

नियम 6. आरक्षण

मूल नियम	*दि0 02.04.2009 से प्रतिस्थापित
आरक्षण अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण अधिनियम और समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 के उपबन्धों और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जाएगा।	6—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण अधिनियम और समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 के उपबन्धों और भर्ती के समय प्रवृत सरकार के आदेशों के अनुसार किया जाएगा। राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय खिलाड़ियों का आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार होगा। यह और उपबंधित किया जाता है कि शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति पुलिस सेवाओं के लिए अर्ह नहीं होंगे।

* उ0प्र0 उ0नि0 और नि0 (ना0पु0)(प्रथम संसोधन) नियमावली 2009, द्वारा दिनांक 02.04.2009से प्रतिस्थापित

** उ0प्र0 उ0नि0 और नि0 (ना0पु0)(पंचम संसोधन) नियमावली 2013, द्वारा दिनांक 01.03.2013 से प्रतिस्थापित

*** उ0प्र0 उ0नि0 और नि0 (ना0पु0)(छठा संसोधन) नियमावली 2013, द्वारा दिनांक 06.06.2013 से प्रतिस्थापित

भाग-चार-अर्हताएँ

राष्ट्रीयता 7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी—

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख)तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी,1962 के पूर्व भारत आया हो या;

(ग) भारतीय उदभव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीकी देश केनिया, युगाडा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जाजीबार) प्रवजन किया हो।

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो।

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उपमहानिरीक्षक अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें।

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ग से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले-

टिप्पणी—ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षिक अर्हता 8. उप-निरीक्षक के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की अर्हता भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए।

नियम 9 अधिमानी अर्हताएँ

मूल नियम	*दि0 02.04.2009 से प्रतिस्थापित	** दि0 14.01.2011 से प्रतिस्थापित
अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने— (क) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो ; या (ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।	9—अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने :— (क) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो या (ग) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कम्प्यूटर एप्लीकेशन का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, या (घ) केन्द्र सरकार, या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय या किसी विधि संस्थान से विधि स्नातक की उपाधि प्राप्त की हो।	9. **अधिमानी अर्हता**— अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसनें :— (एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, या (तीन) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कम्प्यूटर अप्लीकेशन में प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो, या (चार) केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय या किसी विधि संस्थान से विधि की उपाधि प्राप्त की हो। टिप्पणी :— उक्तांकित अधिमानी अर्हता के कोई अंक नहीं होंगे, बल्कि अधिमानी अर्हता के अभ्यर्थियों को अन्य अभ्यर्थियों के बराबर अंक प्राप्त

* उ0प्र0 उ0नि0 और नि0 (ना0पु0)(प्रथम संसोधन) नियमावली 2009, द्वारा दिनांक 02.04.2009से प्रतिस्थापित

** उ0प्र0 उ0नि0 और नि0 (ना0पु0)(चतुर्थ संसोधन) नियमावली 2013, द्वारा दिनांक 14.01.2011 से प्रतिस्थापित

*** उ0प्र0 उ0नि0 और नि0 (ना0पु0)(सातवां संसोधन) नियमावली 2013, द्वारा दिनांक 11.12..2013 से प्रतिस्थापित

		करने की दशा में अन्तिम चयन में (श्रेष्ठता सूची) वरीयता दी जायेगी।

आयु 10.	मूल नियम	*** दि0 11.12.2013 से प्रतिस्थापित
	जिस कलेण्डर वर्ष में सीधी भर्ती की रिक्तियाँ प्रकाशित की जाय, उसकी जुलाई के प्रथम दिन अभ्यर्थी ने 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक की आयु पूर्ण न की हो; परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थी की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतनी होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाए।	जिस कैलेण्डर वर्ष में सीधी भर्ती की रिक्तियाँ प्रकाशित की जाएं, उसकी जुलाई के प्रथम दिन अभ्यर्थी ने 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक की आयु पूर्ण न की हो : परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थी की दशा में उच्चतर आयु सीमा होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाए : परन्तु यह और कि ऐसी अभ्यर्थियों, जिन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड द्वारा जारी की गयी अधिसूचना संख्या-पीआरपीबी-एक–1–2011, दिनांक 19 मई, 2011 के अनुसरण में उपनिरीक्षक, नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती के लिए आवेदन किया हो, परन्तु उक्त पद पर भर्ती नहीं की जा सकी थी, को अधिकतम आयु सीमा में शिथिलता प्रदान की जायेगी ताकि वे उक्त पद पर आगामी भर्ती में सम्मिलित होने के लिए पात्र हो सकें।

चरित्र 11 सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेंगे।

टिप्पणी—संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदव्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

12. वैवाहिक प्रस्थिति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो-

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति व इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।

13. शारीरिक स्वास्थ्य किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा के परीक्षण से सफल हो जाय।

भाग-पाँच—भर्ती की प्रक्रिया

14.रिक्तियों का अवधारण

मूल नियम	*दि0 02.04.2009 से प्रतिस्थापित
नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना विभागाध्यक्ष	नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना विभागाध्यक्ष

को देगा। विभागाध्यक्ष रिक्तियों की संख्या बोर्ड और सरकार को भी सूचित करेगा। सीधी भर्ती के लिए रिक्तियाँ, निम्नलिखित रीति से अधिसूचित की जायेगी— (एक) व्यापक परिचालन वाले दैनिक समाचार पत्र में विज्ञापन जारी करके। (दो) कार्यालय के सूचना-पट्ट पर नोटिस चस्पा करे या रेडियो/दूरदर्शन और अन्य रोजगार समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन द्वारा। (तीन) रोजगार कार्यालय को रिक्तियों की अधिसूचित करके।	को देगा। विभागध्यक्ष रिक्तियों की संख्या बोर्ड और सरकार को भी सूचित करेगा। सीधी भर्ती के लिए रिक्तियाँ निम्नलिखित रीति से अधिसूचित की जायेगी। (एक) व्यापक प्रसार वाले दैनिक समाचार पत्र में विज्ञापन जारी करके : (दो) कार्यालय के सूचना पट्ट पर नोटिस चस्पा करके या रेडियो/दूरदर्शन और अन्य रोजगार समाचार-पत्रों के माध्यम से विज्ञापन द्वारा। (तीन) रोजगार कार्यालय को रिक्तियाँ की अधिसूचित कर के। (चार) जनसंचार के किन्हीं अन्य माध्यमों द्वारा।

नियम 15. उप-निरीक्षक के पद पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया

उप-निरीक्षक के पद पर सीधी भर्ती के लिए चयन समिति में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व होगा जो कि समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम की धारा-7 के अधीन आदेशों के अनुसार किया जाएगा।

मूल नियम	*दि0 02.04.2009 से प्रतिस्थापित	**दि014.01.2011से स्थापित
(क) आवेदन पत्र	**(क) आवेदन पत्र**	**(क) आवेदन पत्र**
(एक) अभ्यर्थी केवल एक जिले के लिए आवेदन-पत्र भरेगा। परीक्षा केन्द्र के आवटंन के सम्बन्ध में अभ्यर्थी एक से अधिक विकल्प दे सकता है। फिर भी कोई अभ्यर्थी द्वारा इंगित केन्द्र से भिन्न केन्द्र आवंटन कर सकता है— (दो) आवेदन-पत्र के साथ एक पृथक बुकलेट संलग्न की जायगी जिसमें शैक्षिक अर्हता, आयु और प्रत्येक श्रेणी के शारीरिक मानक परीक्षण, शारीरिक दक्षता परीक्षण, चिकित्सीय परीक्षण के लिए न्यूनतम अर्हता मानक, विषयवार लिखित परीक्षा के लिए न्यूनतम अर्हता अंक, अभ्यास के लिए ओ.एम.आर. की प्रति एवं अन्य महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश से सम्बन्धित जानकारी होगी। (तीन) आवेदन-पत्र कार्बन प्रति सहित ओ.एम.आर. पत्रक पर होगा। (चार) अभ्यर्थियों के बायें और दाहिने दोनों अंगूठे के निशान के लिए आवेदन पत्र में स्थान दिया गया है। (पांच) प्रत्येक आवेदन पत्र में यथास्थिति आयु, दसवीं, ग्यारहवीं और स्नातक/स्नातकोत्तर के प्रमाण-पत्र खेल प्रमाण-पत्र क्रैडेट कोर प्रमाण- पत्र, होमगार्ड प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक के मामलों में यूनिट डिचार्ज प्रमाण और स्वतंत्रता आश्रित प्रमाण-पत्र की अनुप्रमाणित संलग्न होनी	(एक) अभ्यर्थी केवलन एक जिला के लिए आवेदन पत्र भरेगा। परीक्षा केन्द्र के आवटंन के संबंध में अभ्यर्थी एक से अधिक विकल्प दे सकता है। फिर भी बोर्ड अभ्यर्थी द्वारा इंगित केन्द्र से भिन्न केन्द्र आंवटित कर सकता है। (दो) आवेदन पत्र के साथ एक पृथक बुकलेट संलग्न की जायेगी। जिसमें शैक्षित अर्हता आयु और प्रत्येक श्रेणी के शारीरिक मानक परीक्षण शारीरिक दक्षता परीक्षण चिकित्सकीय परीक्षण के लिए न्यूनतम आर्हता मानक, लिखित परीक्षा के लिए विषयवार न्यूनतम अर्हता अंक अभ्यास के लिए ओ0ए0आर0 पत्रक की प्रति एवं अन्य दिशा निर्देश से संबंधित जानकारी होगी। (तीन) ओवदन पत्र ओएमआर पत्रक पर है। (तीन) आवेदन पत्र कार्बन प्रति सहित ओ0एम0आर0पत्रक पर होगा; (ख)– बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि शारीरिक मानक परीक्षा के समय प्रमाण पत्रों की प्रतियों का परीक्षण और मिलान मूल प्रमाण पत्रों से कर लिया जायेगा। कम्प्यूटर के माध्यम से आवेदन की जॉच किये जाने के पश्चात कम्प्यूटरीकृत बुलावा पत्र अभ्यर्थियों को उसी डाकघर / बैंक के माध्यम से जारी किये जायेंगे , जहॉ से आवेदन पत्र कय किया गया था / प्रस्तुत किया गया / बोर्ड गहन	(तीन) आवेदन पत्र ओ.एम.आर. पत्रक पर होगा। (पाँच) अभ्यर्थियों को अपना व्यक्तिगत विवरण यथा जन्मतिथि, लिंग, शैक्षिक अर्हता, होम गार्ड, भूतपूर्व सैनिक या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित और ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज आरक्षण का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश का निवासी ओ.एम.आर. आवेदन

***उ0प्र0 उ0नि0 और नि0 (ना0पु0)(प्रथम संसोधन) नियमावली 2009, द्वारा दिनांक 02.04.2009से प्रतिस्थापित**

****उ0प्र0 उ0नि0 और नि0 (ना0पु0)(चतुर्थ संसोधन) नियमावली 2011, द्वारा दिनांक 14.01.2011 से प्रतिस्थापित**

चाहिए। (घ) अभ्यर्थी के दो अनुप्रमाणित फोटो एक फोटो-आवेदन पत्र पर और एक फोटो प्रवेश पत्र पर हो। (छः) आवेदन पत्र अधिनियम विहित शुल्क भुगतान करने पर किया जा सकता है। (सात) समुचित रूप में भरे गये आवेदन पत्रों को उसी डाकघर/बैंक में जमा किया जाना चाहिये, जहॉ से वे क्रय किये गये हो।	विचारोपरान्त बुलावा पक्ष भेजने के लिये किसी अन्य उपयुक्त साधन का भी उपयोग कर सकता है। शारीरिक मानक परीक्षा , शारीरिक दक्षता परीक्षा और चिकित्सा परीक्षा का दिनांक और समय सहित कोड/नाम /डाक का पता /परीक्षा केन्द्र स्थल का उल्लेख बुलावा पत्र में स्पष्ट रूप से किया जायेगा। ऐसे दस्तावेजों , जो अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा के लिये ले जाने हेतु अपेक्षित हो/ को बुलावा पत्रों में स्पष्ट रूप से इंगित किया जायेगा। बुलावा पत्र परीक्षा प्रारम्भ होने से कम से कम एक सप्ताह पूर्व तक प्राप्त नहीं होता है तो अभ्यर्थी हेल्पलाइन से सम्पर्क कर सकते है। इस संबंध में आवेदन पत्र का कमिक कोड देना होगा। बोर्ड द्वारा बुलावा पत्र की दूसरीप्रति जारी की जायेगी। (चार) अभ्यर्थियों के बाये और दाहिने दोनों अंगूठे के निशान के लिए आवेदन पत्र में स्थान दिया गया है।	पत्र में निर्धारित स्थान पर उल्लिखित करेगें। इन योग्यताओं/विवरणों से सम्बन्धित समस्त प्रमाण पत्रों की अभिप्रमाणित प्रतियों, मूल प्रमाण पत्रों के साथ शारीरिक मानक परीक्षण केन्द्र स्थल पर शारीरिक मानक परीक्षण केन्द्र स्थल पर शारीरिक मानक परीक्षण संचालित करने वाले अधिकारियों द्वारा संवीक्षा किये जाने हेतु प्रस्तुत करना बाध्यकारी होगा। दल अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किये गये संगत प्रमाण पत्रों की अभिप्रमाणित प्रतियों को समुचित संवीक्षा और मूल प्रमाण पत्रों से उनका मिलान करने के पश्चात् स्वीकार करेगा और भविष्य हेतु दस्तावेजीकरण तथा सत्यापन हेतु नियुक्ति प्राधिकारी को हस्तगत करने से पूर्व उनको भर्ती प्रक्रिया की समाप्ति तक अनुरक्षित करेगा। (छः) अभ्यर्थी के दो अनुप्रमाणित फोटो , आवेदन पत्र पर चिपकाये जायेंगे, एक फोटों आवेदन-पत्र पर और दूसरा फोटो प्रवेश पत्र पर समुचित स्थान पर अथवा बोर्ड द्वारा तथा अपेक्षित स्थान पर चिपकाया जायेगा। (सात) आवेदन पत्र अधिसूचित बैंकों/डाकघरों से विहित शुल्क का भुगतान करने पर क्रय किया जा सकेगा। (आठ) समुचित रूप से भरे गये आवेदन पत्रों को उसी डाकघर/बैंक में जमा किया जाना चाहिये, जहां से वह इसी प्रकार क्रय किया गया है।

मूल नियम	*दि0 02.04.2009 से प्रतिस्थापित
(ख) **बुलावा पत्र-** बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि शारीरिक मानक परीक्षा के समय प्रमाण प्रत्रों की प्रतियों का परीक्षण और मिलान मूल प्रमाण पत्र से कर लिया जायेगा। कम्प्यूटर के माध्यम से आवेदन पत्र की जाँच किये जाने के पश्चात् कम्प्यूटरीकृत बुलावा पत्र अभ्यार्थिंयों को उसी	(ख) **बुलावा पत्र -**बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि शारीरिक मानक परीक्षा के समय प्रमाणपत्रों की प्रतियों का परीक्षण और मिलान मूल प्रमाण पत्र से कर लिया जायेगा। कम्प्यूटर से माध्यम से आवेदन की जाँच किये जाने के पश्चात कम्प्यूटरीकृत बुलावा पत्र अभ्यर्थियों को उसी डाकघर/बैंक के माध्यम से जारी किये जायेंगे जहाँ से आवेदन पत्र क्रय किया गया था/प्रस्तुत

डाकघर के माध्यम से जारी किये जायेंगे जहाँ से आवेदन पत्र क्रय किया गया थी/प्रस्तुत किये गये हों। शारीरिक मानक परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा और चिकित्सा परीक्षा का दिनांक और समय सहित कोड/नाम/डाक का पता/परीक्षा केन्द्र स्थल का उल्लेख बुलावा पत्र में स्पष्ट रूप से किया जाएगा। ऐसे दस्तावेजों, जो अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा के लिए ले जाने हेतु अपेक्षित हों, को बुलावापत्रों में स्पष्ट रूप से इंगित किया जाएगा। बुलावापत्र परीक्षा प्रारम्भ होने से कम होने से कम से कम एक सप्ताह पूर्व तक प्राप्त नहीं होता है तो अभ्यर्थी हेल्प लाइन से सम्पर्क कर सकते हैं, इस सम्बन्ध में आवेदनपत्र का क्रमिक कोड देना होगा। योर्ड द्वारा बुलावा-पत्र की दूसरी प्रति जारी की जायेगी।	किया गया था/बोर्ड महन विचारोपरांत बुलावा पत्र भेजने के लिए किसी अन्य उपयुक्त साधन का भी उपयोग कर सकता है। शारीरिक मानक परीक्षा, शारीरिक दक्षता और समय चिकित्सा परीक्षा का दिनांक और समय सहित कोड/नाम/डाक का पता/परीक्षा केन्द्र स्थल का उल्लेख बुलावा पत्र में स्पष्ट रूप से किया जाएगा। ऐसे दस्तावेजों, जो अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा के लिए ले जाने हेतु अपेक्षित हों, को बुलावापत्रों में स्पष्ट रूप से इंगित किया जाएगा। बुलावापत्र परीक्षा प्रारम्भ होने से कम से कम एक सप्ताह पूर्व पहुँच जाने चाहिए। यदि परीक्षा बुलावा परीक्षा होने के दिनांक से एक सप्ताह पूर्व तक प्राप्त नहीं होता है तो अभ्यर्थी हेल्प लाईन से सम्पर्क कर सकते हैं, इस सम्बन्ध में आवेदनपत्र का क्रमिक कोड देना होगा। बोर्ड द्वारा बुलावा-पत्र की दूसरी प्रति जारी की जाएगी।

(ग) शारीरिक मानक परीक्षा

समस्त पात्र अभ्यर्थी एक अर्हकारी प्रकृति की शारीरिक मानक परीक्षा में सम्मिलित होंगे जिसकी प्रक्रिया परिशिष्ट-1 में दी गयी है।

प्रारम्भिक लिखित परीक्षा

(घ) चिकित्सा परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों से एक वस्तुनिष्ठ प्रकार की/अर्हकारी प्रकृति की प्रारम्भिक लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। यह परीक्षा 200 अंकों की होगी।

इसमें तीन खण्ड होंगे, अर्थात् 100 अंकों का सामान्य ज्ञान, (सामयिक विषय, इतिहास, भूगोल, भारत का संविधान, स्वतन्त्रता संग्राम आदि), 50 अंकों की संख्यात्मक योग्यता परीक्षा और 50 अंकों की तार्किक परीक्षा। न्यूनतम पचास प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को उक्त परीक्षा में सफल घोषित किया जायेगा।

मूल नियम	*दि0 02.04.2009 से प्रतिस्थापित	**दि0 01.03.2013 से प्रतिस्थापित
(ङ) शारीरिक दक्षता परीक्षा खण्ड (घ) के अधीन प्रारम्भिक लिखित परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों से अर्हकारी प्रकृति की शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। यह परीक्षा राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता मानक स्टार-1 के स्तर की होगी। बोर्ड को यह अधिकार होगा कि वह उक्त परीक्षा के मानकों से कम नहीं होगा, में परिवर्तन या उच्चीकरण कर सके। शारीरिक दक्षता परीक्षा के संचालन की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी परिशिष्ट-2 में विहित है।	**(ङ)शारीरिक दक्षता परीक्षाः—** शारीरिक दक्षता परीक्षा आर्हकारी प्राकृति की होगी। पुरूष अभ्यर्थियों से 10 किलोमीटर की दौड़ 35 मिनट में पूरी करने की अपेक्षा की जाएगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा के संचालन की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी परिशिष्ट–2 में विहित है।	**शारीरिक दक्षता परीक्षा**— खण्ड (घ) के अधीन प्रारम्भिक लिखित परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों से अर्हकारी प्रकृति की शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। पुरूष अभ्यर्थियों से 4.8 किलोमीटर की दौड़ 35 मिनट में और महिला अभ्यर्थियों से 2.4 किलोमीटर की दौड़ 20 मिनट में पूरी करने की अपेक्षा की जायेगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा के संचालन की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी परिशिष्ट—2 में विहित है।

(ख) शारीरिक दक्षता परीक्षा— खण्ड (क) के अधीन चयनित अभ्यर्थियों को अर्हकारी प्रकृति की एक शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। पुरूष अभ्यर्थियों से 75 मिनट में 10 किलोमीटर की दौड़ और महिला अभ्यर्थियों से 45 मिनट में 05 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने की अपेक्षा की जायेगी।	(ख) शारीरिक दक्षता परीक्षा— खण्ड (क) के अधीन चयनित अभ्यर्थियों को अर्हकारी प्रकृति की एक शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। पुरूष अभ्यर्थियों से 35 मिनट में 4 किलोमीटर की दौड़ और महिला अभ्यर्थियों से 20 मिनट में 2.4 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने की अपेक्षा की जायेगी।

***उ0प्र0 उ0नि0 और नि0 (ना0पु0)(प्रथम संसोधन) नियमावली 2009, द्वारा दिनांक 02.04.2009से प्रतिस्थापित**

****उ0प्र0 उ0नि0 और नि0 (ना0पु0)(पंचम संसोधन) नियमावली 2011, द्वारा दिनांक 01.03.2011 से प्रतिस्थापित**

(च) मुख्य लिखित परीक्षा

खण्ड (ड) के अधीन शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों से मुख्य लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी जो निम्नलिखित विषयों में 400 अंकों की होगी—

विषय	अधिकतम अंक
1. सामान्य हिन्दी/ हिन्दी निबन्ध	75 अंक
2. मूलविधि एवं संविधान	25 अंक
3. संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)	100 अंक
4. मानसिक अभिरुचि परीक्षा/बुद्धिलब्धि परीक्षा/तार्किक परीक्षा	100 अंक

टिप्पणी—लिखित परीक्षा के संचालन की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी परिशिष्ट में विहित है।

प्रत्येक विषय में न्यूनतम पचास प्रतिशत प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी भर्ती के लिए पास नहीं होंगे। बोर्ड नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के सम्यक प्रतिनिधित्व को प्राप्त करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर सफल अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगा। प्रत्येक विषय में प्राप्त अंकों सहित सम्पूर्ण सूची एवं साथ में उत्तरकुंजी बोर्ड की वेबसाइट पर तत्काल प्रदर्शित की जाएगी। मुख्य लिखित परीक्षा में चयनित किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों की संख्या की तीन गुना होगी।

(छ) चिकित्सा परीक्षा—

मुख्य लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा होगी जो ऐसी होगी जैसा परिशिष्ट-3 में विहित है।

(ज) समूह परिसंवाद	***दि0 02.04.2009से प्रतिस्थापित**	**** दि014.01.2011 से प्रतिस्थापित**
नियम-15 (च) के अधीन चयनित अभ्यर्थियों से समूह-परिसंवाद में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। जिसके लिए दस अभ्यर्थियों का पृथक समूह बनाया जाएगा/समूह परिसंवाद की प्रक्रिया एक पैनल के अधीन बोर्ड के अध्यक्ष या उसके नामिती की उपस्थिति में संपादित की जाएगी, जिसमें प्रबन्ध विशेषज्ञ, मनोविश्लेषक एवं अपराध-विज्ञानी, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा नामित एक पुलिस अपर महानिदेशक समाविष्ट होंगे। उक्त समूह परिसंवाद में किसी पुलिस वाद अध्ययन परिचर्चा के लिए प्रस्तुत की जाएंगी और सम्पूर्ण समूह-परिसंवाद नियत समय सीमा के भीतर पूर्ण किया जाएगा। समूह परिसंवाद के लिये 20 अंक होंगे और इसके अंतर्गत अभ्यर्थियों के प्रबन्धन कौशल (5 अंक) प्रस्तुतीकरण (5 अंक) अभिरुचि (5 अंक) और व्यक्तित्व (5 अंक) का मूल्यांकन भी सम्मिलित होगा। इन अंकों को बोर्ड की वेबसाइट में भी अपलोडेड किया जाएगा।	**नियम—15** (च) के अधीन चयनित अभ्यर्थियों से समूह-परिसंवाद में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। जिसके लिए दस अभ्यर्थियों का पृथक समूह बनाया जाएगा। समूह परिसंवाद की प्रक्रिया बोर्ड के अध्यक्ष या पुलिस महानिदेशक (उत्तर प्रदेश) द्वारा नामित एक अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक द्वारा एक पैनल के परिवेक्षण सम्पादित की जायेगी, जिसमें प्रबंध विशेषज्ञ, मनोविश्लेषक एवं अपराध विज्ञानी सम्मिलित होगें। उक्त समूह परिसंवाद में पुलिस वाद विश्लेषण परिचर्चा के लिये प्रस्तुत किया जाएगा और सम्पूर्ण समूह-परिसंवाद नियत समय सीमा के भीतर पूर्ण किया जाएगा। समूह परिसंवाद के लिये 20 अंक होंगे ओर इसके अंतर्गत अभ्यर्थियों के प्रबंधन कौशल (5 अंक) प्रस्तुतीकरण (5 अंक) अभिरूचि (5 अंक) और व्यक्तित्व (5 अंक) का मूल्याकन भी सम्मिलित होगा। इन अंकों को बोर्ड की वेबसाइट में भी अपलोडेड किया जाएगा।	खण्ड–(ख) के अधीन चयनित अभ्यर्थियों से समूह परिसंवाद में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी, जिसके लिए प्रत्येक दस अभ्यर्थियों का पृथक समूह बनाया जायेगा। समूह परिसंवाद की प्रक्रिया एक पैनल के अधीन जिसमें प्रबन्धन विशेषज्ञ मनोविश्लेषक और अपराध विज्ञानी होगा, के पर्यवेक्षण में बोर्ड के अध्यक्ष अथवा उसका नाम निर्देशिती और उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा नाम निर्दिष्ट एक अपन पुलिस महानिदेशक की उपस्थिति में किया जायेगा। उक्त, समूह परिसंवाद में किसी पुलिस वाद अध्ययन परिसंवाद के लिये प्रस्तुत किया जायेगा और सम्पूर्ण समूह परिसंवाद के लिये प्रस्तुत किया जायेगा और सम्पूर्ण समूह परिसंवाद नियत समय-सीमा के भीतर पूर्ण कर लिया जायेगा। समूह परिसंवाद के लिये 20

***उ0प्र0 उ0नि0 और नि0 (ना0पु0)(प्रथम संसोधन) नियमावली 2009, द्वारा दिनांक 02.04.2009से प्रतिस्थापित**

****उ0प्र0 उ0नि0 और नि0 (ना0पु0)(चतुर्थ संसोधन) नियमावली 2011, द्वारा दिनांक 14.01.2011 से प्रतिस्थापित**

		अंक होंगे और इसके अर्न्तगत अभ्यर्थियों के प्रबन्धन कौशल (5 अंक), प्रस्तुतीकरण (5 अंक) अभिरूचि (5 अंक) ओर व्यक्तित्व (5 अंक) का मूल्याँकन सम्मिलित होगा। यह अंक बोर्ड की वेबसाइट पर भी उपलोड कर दिये जायेगें।
टिप्पणी 1—समूह परिसंवाद की सम्पूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी और उसकी एक कम्पैक्ट डिस्क तैयार की जाएगी। **टिप्पणी 2**—चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिये अधिकारियों का नाम निर्देशन समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियम की धारा-7 के अनुसार किया जाएगा। **टिप्पणी 3**—लिखित परीक्षा के, संचालन की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी परिशिष्ट-3 में विहित है।	**टिप्पणी–1**—समूह परिसंवाद की सम्पूर्ण प्रक्रिया की विडियोग्राफी की जाएगी और उसकी एक कम्पैक्ट डिस्क तैयार की जाएगी। **टिप्पणी–2**—चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधत्व के लिये अधिकारियों का नमा निर्दशन समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियम की धारा–7 के अनुसार किया जाएगा। **टिप्पणी–3**—लिखित परीक्षा के संचालन की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी परिशिष्ट–3 विहित है।	**टिप्पणी–1.** समूह परिसंवाद की सम्पूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जायेगी और उसकी एक सी.डी. तैयार की जायेगी। **टिप्पणी–2** समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियम की धारा–7 के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व उपलब्ध कराने हेतु अधिकारियों का चयन समिति में नाम निर्देशन किया जायेगा। **टिप्पणी–3** लिखित परीक्षा संचालित करने के लिए प्रक्रिया वही होगी जैसाकि परिशष्ट–3 में विहित किया गया है।

(झ) चयन और योग्यता सूची

मूल नियम	*दि0 14.01.2011 से प्रतिस्थापित
नियम-15 (च) के अधीन मुख्य लिखित परीक्षा प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों को नियम-15 (ज) के अधीन समूह-संवाद में उसके द्वारा प्राप्त अंकों में जोड़ा जायेगा। बोर्ड आरक्षण नीति सम्बन्धी दिशा-निर्देश को ध्यान में रखते हुए मुख्य लिखित परीक्षा और समूह-परिसंवाद में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंकों द्वारा प्रकट उनकी योग्यता सूची के क्रम में अभ्यर्थियों की एक चयन सूची तैयार करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो मुख्य लिखित परीक्षा में उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को योग्यता सूची में रखा जाएगा। बोर्ड सभी अभ्यर्थियों की चयन सूची को वेबसाइट में अपलोड करेगा और उसे विभागाध्यक्ष को अग्रेषित करेगा।	**नियम–15 के खण्ड–(ख)** के अधीन मुख्य परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंक खण्ड (छ) के अधीन समूह परिसंवाद में उसके द्वारा प्राप्त अंको में जोड दिये जायेगें। मुख्य लिखित परीक्षा और समूह परिसंवाद में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंको के आधार पर आरक्षण नीति के दृष्टिगत बोर्ड रिक्तियों के सापेक्ष प्रत्येक श्रेंणी के अभ्यर्थियों की अनन्तिम सूची तैयार करेगा और उसे संस्तुति सहित चिकित्सा परीक्षण और कागजातों/चरित्र सत्यापन के अधीन विभागाध्यक्ष को प्रेषित करेगा। इसे अग्रेतर कार्यवाही हेतु विभागाध्यक्ष द्वारा पुलिस मुख्यालय को प्रेषित कर दिया जायेगा। बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जायेगी। दो या अधिक अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने के मामले में मुख्य लिखित परीक्षा में उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को श्रेष्ठता सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा। बोर्ड प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के साथ समस्त अभ्यर्थियों की सूची बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करेगा। नोट :— यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर-बराबर कुल अंक प्राप्त करते है तो श्रेष्ठता को निम्नलिखत नीचे उल्लिखित कम में

*उ0प्र0 उ0नि0 और नि0 (ना0पु0)(चतुर्थ संसोधन) नियमावली 2011, द्वारा दिनांक 14.01.2011 से प्रतिस्थापित

	विनिश्चित किया जायेगा :— (1) ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान्यता दी जायेगी जिन्होंने मुख्य लिखित परीक्षा में उच्चतर अंक प्राप्त किये हैं। (2) यदि इसके पश्चात भी, दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर-बराबर कुल अंक प्राप्त करते हैं तो ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान्य दिया जायेगा जिसने कम से कम दो वर्ष की अवधि के लिए प्रादेशित सेना में सेवा की हो अथवा नेशनल कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, अथवा केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कम्प्यूटर अप्लीकेशन में प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। एक से अधिक अधिमानी अर्हतायें पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को एक अधिमानी अर्हता का लाभ दिया जायेगा।

नियम 16. उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रकिया –

मूल नियम	*दि0 11.12.2013 से प्रतिस्थापित
विभागीय परीक्षा के आधार पर उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती के प्रयोजनार्थ बोर्ड निम्नलिखित रीति से एक लिखित परीक्षा आयोजित करेगा— (क) लिखित परीक्षा। (एक) पास व्यक्तियों से एक लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी जिसके लिए 300 अंक होंगे। लिखित परीक्षा में सम्मिलित विषयों का विवरण तथा प्रत्येक विषय के लिए आवंटित अंक निम्नवत हैं— विषय — अधिकतम अंक 1. हिन्दी निबन्ध (कानून व्यवस्थावाद अध्ययन तथा पुलिस कार्य प्रणाली पर आधारित) — 100 अंक 2. . मृत विधि, संविधान एवं पुलिस प्रक्रिया (भारतीय दण्ड संहिता दंण्ड प्रक्रिया संहिता, साक्ष्य अधिनियम तथा पुलिस मैनुअल, आदि) — 100 अंक 3. मानसिक अभिरुचि परीक्षा/ बुद्धि लब्धि परीक्षा/तार्किक परीक्षा — 50 अंक **टिप्पणी—1** प्रश्न पत्रों को उपनिरीक्षक के पद के कार्य प्रोफाइल को ध्यान में रखकर कार्य के उत्तर दायित्व के अनुरूप तैयार किया जायेगा। **टिप्पणी—2** जो अभ्यर्थी प्रत्येक विषय में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में विफल रहते हैं, पदोन्नति के लिए पत्र नहीं होंगे। (दो) चयन समिति नियम 6 में निर्दिष्ट आरक्षण के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए सफल अभ्यर्थियों की उनके द्वारा खण्ड (क) के उपखण्ड (एक) के अधीन लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर एक सूची तैयार करेगी। **(ख) शारीरिक दक्षता परीक्षा**	**ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति-** उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के स्वीकृत पदों की कुल संख्या के पचास प्रतिशत पद अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर, शारीरिक दक्षता परीक्षा, जो अर्हकारी प्रकृति की होगी, के साथ बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा चयन समिति की संस्तुति के आधार पर भरे जायेंगें। (क) **चयन समिति –** (एक) का गठन तत्समय प्रवृत्त शासनादेशों के अनुसार बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा। (दो) की अध्यक्षता बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट पुलिस महानिरीक्षक द्वारा की जायेगी, (तीन) में पुलिस उप महानिरीक्षक (स्थापना) समिति के पदेन सदस्य के रूप में होगें, जो तत्समय प्रवृत्त शासनादेशों के अनुसार पात्र अभ्यर्थियों की निर्विवादित ज्येष्ठता सूची और सेवा अभिलेख भी चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। (चार) में पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश का एक नाम निर्देशिती होगा, जो पुलिस अधीक्षक के स्तर से निम्न पंक्ति का नहीं होगा। (पाँच) में पुलिस सेवा के राजपत्रित स्तर के दो अन्य सदस्य होंगे जो बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे। टिप्पणीः बोर्ड के अध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि चयन समिति में अल्पसंख्यक, अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों से संबंधित प्रत्येक का कम से कम एक प्रतिनिधि समाविष्ट हो। (ख) **शारीरिक दक्षता परीक्षा**

*उ0प्र0 उ0नि0 और नि0 (ना0पु0)(सातवाँ संसोधन) नियमावली 2013, द्वारा दिनांक 11.12.2013 से प्रतिस्थापित

खण्ड (क) के अधीन चयनित अभ्यर्थियों को अर्हकारी प्रकृति की एक शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। पुरुष अभ्यर्थियों से 75 मिनट में 10 किलोमीटर की दौड़ ओर महिला अभ्यर्थियों से 45 मिनट में 5 किलोमीटर का दौड़ पूरी करने की जायेगी।	पात्र अभ्यर्थियों से अर्हकारी प्रकृति की एक शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। पुरुष अभ्यर्थियों से 35 मिनट में 3.2 किलोमीटर की दौड़ और महिला अभ्यर्थियों से 25 मिनट में 2.4 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने की अपेक्षा की जायेगी। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति हेतु केवल उन्हीं अभ्यर्थियों पर विचार किया जाएगा जो शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होंगे।

सेवा अभिलेख

मूल नियम	*दि0 02.04.2009 से प्रतिस्थापित	**दि0 11.12.2013से प्रतिस्थापित
(ग) खण्ड (क) के उप खण्ड (दो) के अधीन चयनित प्रत्येक अभ्यर्थी को सेवा अभिलेखों के आधार पर अंक प्रदान किये जायेंगे/सेवा की कालावधि के लिये अधिकतम 20 अंक होंगे (प्रत्येक वर्ष के लिए अधिकतम 01 अंक), स्नातक एवं ऊपर की उपधि की शैक्षिक अर्हता के लिये 10 अंक, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिये 40 अंक जिसमें से 30 अंकों के अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए प्रत्येक मौलिक प्रशिक्षण के लिए 10 अंक तथा 10 अंकों के अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए प्रत्येक गैर मौलिक प्रशिक्षण के लिये 02 अंक और वार्षिक प्रविष्टि के लिये 30 अंक होंगे। इस प्रकार यथोवत रूप से अधिकतम 100 अंक होंगे। पुलिस संगठन का प्रशिक्षण निदेशालय, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि कोई प्रशिक्षण जिसकी अवधि एक माह से कम होगी मौलिक प्रशिक्षण के रूप में अधिसूचित नहीं किया जाएगा, किसी भी प्रशिक्षण को मौलिक प्रशिक्षण और गैर मौलिक प्रशिक्षण के रूप में अधिसूचित करने के लिये प्राधिकृत है। प्रत्येक वृहद दण्ड के लिये 05 अंक, प्रत्येक लघु दण्ड के लिये 03 अंक और प्रत्येक सूक्ष्म दंड के लिये 01 अंक काट लिया जायेगा । सेवा अभिलेखों का परीक्षण इस दृष्टिकोण से भी किया जायेगा कि क्या अभ्यर्थी को कोई ऐसा भी दण्ड दिया गया है जो उसे पदोन्नति के लिये अनुपयुक्त ठहराता हो। कोई अभ्यर्थी जिसको सत्यनिष्ठा पाँच वर्षों में एक बार भी रोकी गई हो पदोन्नति के लिए पात्र न होगा।	खण्ड (क) के उप खण्ड (दो) के अधीन चयनित प्रत्येक अभ्यर्थी को सेवा अभिलेखों के आधार पर अंक प्रदान किये जायेंगे/सेवा की कालावधि के लिये अधिकतम 01 अंक), स्नातक एवं ऊपर की उपाधि की शैक्षिक अर्हता के लिये 10 अंक, प्रशिक्षण पाठ्क्रम के लिये 30 अंक जिसमें से 20 अंकों के अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए प्रत्येक मौलिक प्रशिक्षण के लिये 10 अंक तथा 10 अंको की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए प्रत्येक गैर मौलिक प्रशिक्षण के लिये 02 अंक और वार्षिक प्रविष्टि के लिये 30 अंक होंगे। अधिकतम 10 अंकों के अध्यधीन राष्ट्रीय स्तर के प्रत्येक पदक के लिए 03 अंक राज्य स्तर के प्रत्येक पदक के लिए 02 अंक प्रदान किये जायेगें तथा नगद पुरस्कार के लिए कोई अंक प्रदान नहीं किये जायेगें। इस प्रकार उपर्युक्त अधिकतम 100 अंक होंगे। पुलिस संगठन का प्रशिक्षण निदेशालय, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि कोई प्राशिक्षण जिसकी अवधि एक माह से कम होगी मौलिक प्रशिक्षण के रूप में अधिसूचित नहीं किया जाएगा, किसी भी प्रशिक्षण को मौलिक प्रशिक्षण और गैर मौलिक प्रशिक्षण के रूप में अधिसूचित करने के लिये प्राधिकृत हैं। प्रत्येक वृहद दण्ड के लिये 03 अंक, प्रत्येक लघु दण्ड के लिये 02 अंक और प्रत्येक प्रतिकूल प्रविष्ट और सूक्ष्म दण्ड के लिये 01 अंक काट लिया जाएगा। सेवा अभिलेखों वर्ग परीक्षण इस दृष्टिकोण से भी किया जाएगा कि क्या अभ्यर्थी को कोई ऐसा भी दण्ड गया है जो उसे पदोन्नति के लिये अनुपयुक्त ठहराता हो। कोई अभ्यर्थी जिसकी सत्यनिष्ठा गत पाँच वर्षो में एक बार भी रोकी गई हो पदोन्नति के लिए पात्र न होगा।	(ग) चयन समिति, चयनित अभ्यर्थियों की सूची अपनी संस्तुति सहित पुलिस महानिदेशक को प्रस्तुत करेगी। सूची अधिसूचित रिक्तियों से अधिक की नहीं होगी।

खण्ड (क) के अधीन प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों की सूची—

(घ)खण्ड (क) के उप खण्ड (दो) के अधीन प्रत्येक (घ) पुलिस महानिदेशक द्वारा सूची के अनुमोदन के

***उ0प्र0 उ0नि0 और नि0 (ना0पु0)(प्रथम संसोधन) नियमावली 2009, द्वारा दिनांक 02.04.2009 से प्रतिस्थापित**

****उ0प्र0 उ0नि0 और नि0 (ना0पु0)(सातवाँ संसोधन) नियमावली 2013, द्वारा दिनांक 11.12.2013 से प्रतिस्थापित**

अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंक उसके द्वारा खण्ड (ग) के अधीन प्राप्त किये गये अंकों में जोड़ दिये जायेंगे। इस प्रकार प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर चयन समिति अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगी।

उपरान्त, पुलिस उप महानिरीक्षक (स्थापना), उप निरीक्षक के पदों पर पदोन्नति के लिए अंतिम आदेश निर्गत करेंगे। पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा यथा अनुमोदित पदोन्नति हेतु चयनित अभ्यर्थियों की अन्तिम सूची बोर्ड और उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी।

समूह परिसंवाद

(ड) खण्ड (घ) के अधीन चयनित अभ्यर्थियों से समूह-परिसंवाद में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। इस प्रयोजनार्थ दस अभ्यर्थियों का प्रत्येक पृथक समूह बनाया जाएगा। समूह परिसंवाद की प्रक्रिया एक पैनल के अधीन बोर्ड के अध्यक्ष या उसके नामिती की उपस्थिति में संवादित की जाएगी जिसमें, प्रबन्धन विशेषज्ञ, मनोविश्लेषक, अपराध-विज्ञानी, पुलिस अपर महानिदेशक (कार्मिक) और पुलिस अपर महानिदेशक, कानून-व्यवस्था (पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा नाम निर्दिष्ट) समाविष्ट होंगे। उक्त समूह परिसंवाद में किसी पुलिस वाद अध्ययन से संबंधित कुछ समस्याएँ परिचर्चा के लिये प्रस्तुत की जाएँगी और सम्पूर्ण समूह-परिसंवाद नियत समय सीमा के भीतर पूर्ण किया जाएगा। समूह परिसंवाद के लिये 20 अंक होंगे और इसके अन्तर्गत अभ्यर्थियों के प्रबन्धन कौशल (5 अंक) प्रस्तुतिकरण (5 अंक) अभिरुचि (5 अंक) और व्यक्तित्व (5 अंक) का मूल्यांकन भी सम्मिलित होगा।

टिप्पणी—1 समूह पहरवार की सम्पूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जायेगी और उसकी एक कम्पैक्ट डिस्क तैयार की जाएगी।

टिप्पणी—2 चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए अधिकारियों का नाम निर्देशन समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियम की धारा 7 के अनुसार किया जायेगा।

चयन और योग्यता सूची—

(च) बोर्ड नियम-6 में निर्दिष्ट आरक्षण के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों की उनके श्रेष्ठता क्रम में जैसा कि उप नियम (6) और उप नियम (5) के अधीन उनके द्वारा प्राप्त अंकों के योग से प्रकट हो, एक अन्तिम चयन सूची तैयार करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर अंक प्राप्त करें तो उप नियम (पांच) के अधीन उच्चतर अंक पाने वाले अभ्यर्थी को सूची में ऊपर रखा जायेगा। चयन समिति द्वारा सूची बोर्ड को अग्रसरित की जायेगी जो उसे विभागाध्यक्ष को अग्रसारित करेगा।

17. निरीक्षक के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

विभागीय परीक्षा के आधार पर निरीक्षक के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती के प्रयोजनार्थ बोर्ड निम्नलिखित रीति से एक लिखित परीक्षा आयोजित करेगा। शत प्रतिशत रिक्तियाँ पदोन्नति के माध्यम से भरी जायेगी।

मूल नियम		* दि0 25.01.2010 से प्रतिस्थापित	
लिखित परीक्षा-(क) (एक) पास अभ्यर्थियों से एक लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी जिसके लिये 300 अंक होंगे। लिखित परीक्षा में सम्मिलित विषयों का विवरण तथा प्रत्येक विषय के लिए आवंटित अंक निम्नवत हैं—		**लिखित परीक्षा-**(एक) पाँच अभ्यर्थियों से एक लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी जिसके लिए 300 अंक होंगे। लिखित परीक्षा में सम्मिलित विषयों का विवरण तथा प्रत्येक विषय के लिए आवंटित अंक निम्नवत् है :—	
विषय	**अधिकतम अंक**	**विषय**	**अधिकतम अंक**
1. हिन्दी निबंध (कानून	100 अंक	1.हिन्दी निबन्ध (का व्यवस्था वाद अध्ययन तथा	100 अंक

व्यवस्था वाद अध्ययन तथा पुलिस कार्य प्रणाली पर आधारित)		पुलिस कार्य प्रणाली पर आधारित)	
2. मूल विधि, संविधान एवं पुलिस प्रक्रिया (भारतीय दण्ड संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता, वस्तुनिष्ठ प्रकार साक्ष्य अधिनियम तथा पुलिस मैनुअल आदि)	100 अंक	2.मूल विधि, संविधान एवं पुलिस प्रक्रिया (भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, साक्ष्य अधिनियम तथा पुलिस मैनुअल आदि) (वस्तुनिष्ठ प्रकार)	100 अंक
3. संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार)	50 अंक	3.संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार)	50 अंक
4. मानसिक अभिरुचि/ बुद्धिलब्धि/ तार्किक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार)	50 अंक	4.मानसिक अभिरूचि/ बुद्धिलब्धि/तार्किक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार)	50 अंक

नियम 17. विद्यमान नियम 17 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया रखा दिया जायेगा।

**** दि0 01.03.2013 से प्रतिस्थापित**	***** दि0 06.06.2013 से प्रतिस्थापित**	******दि0 11.12. 2013 से प्रतिस्थापित**
(क) चयन समीति— (एक) का गठन तत्समय प्रवृत्त शासनदेशों के अनुसार बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा। (दो) की अध्यक्षता बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट पुलिस महानिरीक्षक द्वारा की जायेगी, (तीन) में पुलिस उप महानिरीक्षक (स्थापना) समिति के पदेन सदस्य के रूप में होगें, जो तत्समय प्रवृत्त शासनादेशों के अनुसार अर्ह अभ्यर्थियों की निर्विवादित ज्येष्ठता सूची चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। (चार) में पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के एक नाम निर्देशिती होंगे, जो पुलिस अधीक्षक के बराबर से निम्न होंगे। (पाँच) में पुलिस सेवा के राजपत्रित स्तर के दो अन्य सदस्य होंगे जो बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे। (ख) चयन समिति पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों की सूची अपनी संस्तुति सहित	17—निरीक्षक नागरिक पुलिस के स्वीकृत पदों की कुल संख्या के सौ प्रतिशत पद अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा चयन की संस्तुति के आधार पर भरे जायेंगे। (एक) का गठन तत्संमय प्रवृत्त शासनादेशों के अनुसार बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा। (दो) की अध्यक्षता बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट पुलिस महानिरीक्षक द्वारा की जायेगी, (तीन) में पुलिस उप महानिरीक्षक (स्थापना) समिति के पदेन सदस्य के रूप में होंगे, जो तत्समय प्रवृत्त शासनदेशों के अनुसार पात्र अभ्यर्थियों की निर्विवादित ज्येष्ठता सूची और सेवा अभिलेख भी चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। (चार) में पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश का एक नाम निर्देशिती होगा, जो पुलिस के दो अधीक्षक के स्तर से निम्न पंक्ति का नहीं होगा। (पाँच) में पुलिस सेवा के राजपत्रित स्तर के दो अन्य सदस्य होंगे जो बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे। **टिप्पणी** :—बोर्ड के अध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि चयन समिति में अल्पसंख्यक,	

***उ0प्र0 उ0नि0 और नि0 (ना0पु0)(द्वितीय संशोधन) नियमावली 2010, द्वारा दिनांक 25.01.2010 से प्रतिस्थापित**
**** उ0प्र0 उ0नि0 और नि0 (ना0पु0)(पंचम संसोधन) नियमावली 2013, द्वारा दिनांक 01.03.2013 से प्रतिस्थापित**
*****उ0प्र0 उ0नि0 और नि0 (ना0पु0)(छठवाँ संसोधन) नियमावली 2013, द्वारा दिनांक 06.06.2013 से प्रतिस्थापित**
******उ0प्र0 उ0नि0 और नि0 (ना0पु0)(सातवाँ संसोधन) नियमावली 2013, द्वारा दिनांक 11.12.2013 से प्रतिस्थापित**

पुलिस महानिदेशक को प्रस्तुत करेगी। सूची अधिसूचित रिक्तियों से अधिक की नहीं होगी। (ग) पुलिस महानिदेशक द्वारा सूची के अनुमोदन के उपरान्त, पुलिस महानिरीक्षक (स्थापना) निरीक्षक के पदों पर पदोन्नति के लिए अंतिम आदेश निर्गत करेंगे। (3) लिखित परीक्षा और सेवा अभिलेख के आधार पर पदोन्नति विभागीय परीक्षा द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों के लिए बोर्ड निम्नलिखित रीति से लिखित परीक्षा आयोजित करेगा :— (क) लिखित परीक्षा अर्ह अभ्यर्थियों से एक लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी जो 300 अंकों की होगी। लिखित परीक्षा में सम्मिलित विषयों तथा प्रत्येक विषय के लिए आवंटित अंकों का विवरण निम्नवत् है :— (17) (1) रिक्तियों की गणना पदोन्नति के माध्यम से भर्ती वर्ष में निरीक्षक के पद के लिए रिक्तियों की संख्या की गणना नियम 5 के उप नियम (2) के अनुसार की जायेगी। (2) ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड के माध्यम से चयन द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियाँ चयन समिति की संस्तुति के आधार पर भरी जायेंगी। विषय — अधिकतम अंक 1. विधि और व्यवस्था, वाद अध्ययन तथा पुलिस कार्य प्रणाली (व्याख्यात्मक प्रकार) — 100 अंक 2. संविधान, मूल विधि एवं पुलिस प्रकिया (भारतीय दण्ड़ संहिता, दण्ड़ प्रकिया संहिता साक्ष्य अधिनियम तथा पुलिस मैनुअल आदि) (वस्तुनिष्ठ प्रकार) — 150 अंक 3. संख्यात्मक एवं मानसिक अभिरूचि जानकारी परीक्षा — 50 अंक	अन्य पिछड़े वर्गों ओर अनुसूचित जातियों से संबंधित प्रत्येक का कम से कम एक प्रतिनिधि समाविष्ट हो। (ख) चयन समिति पदोन्नति के लिये उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों की सूची अपनी संस्तुति सहित पुलिस महानिदेशक को प्रस्तुत करेगी। सूची अधिसूचित रिक्तियों से अधिक की नहीं होगी। (ग) पुलिस महानिदेशक द्वारा सूची के अनुमोदन के उपरान्त, पुलिस महानिरीक्षक (स्थापना), निरीक्षक के पदों पर पदोन्नति के लिये अंतिम आदेश निर्गत करेंगे। पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, द्वारा यथा अनुमोदित पदोन्नति अभ्यर्थियों की अन्तिम सूची बोर्ड उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी	(ग)पुलिस महानिदेशक द्वारा सूची के अनुमोदन के उपरान्त, पुलिस उप महानिरीक्षक (स्थापना),निरीक्षक के पदों पर पदोन्नति के लिये अंतिम आदेश निर्गत करेंगे।

बुद्धिलब्धि परीक्षा/तार्किक परीक्षा, कम्प्यूटर (वस्तुनिष्ठ प्रकार)		

टिप्पणी 1—प्रश्नपत्र स्नातक स्तर के होंगे

टिप्पणी 2—जो अभ्यर्थी प्रत्येक विषय में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में विफल रहते हैं, पदोन्नति के लिये पास नहीं होंगे।

टिप्पणी 3—लिखित परीक्षा के संचालन की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी परिशिष्ट - 3 में विहित है।

(दो) चयन समिति नियम-6 में निर्दिष्ट आरक्षण के प्राविधानों को ध्यान में रखते हुए सफल अभ्यर्थियों की उनके द्वारा उपनियम (दो) के अधीन लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर एक सूची तैयार करेगी।

मूल नियम	* दि0 02.04.2009 से प्रतिस्थापित	**दि0 01.03.2013 से प्रतिस्थापित
(ख) सेवा अभिलेख (एक) खण्ड (क) के अधीन चयनित प्रत्येक अभ्यर्थी के सेवा अभिलेखों के आधार पर अंक प्रदान किये जायेंगे। सेवा की कालावधि के लिये अधिकतम 20 अंक होंगे (प्रत्येक वर्ष के लिये 01 अंक), स्नातक एवं ऊपर की अवधि की शैक्षिक अर्हता, 10 अंक, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिये 40 अंक जिसमें से 30 अंकों के अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए प्रत्येक मौलिक प्रशिक्षण के लिए 10 अंक तथा के अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए प्रत्येक गैर मौलिक प्रशिक्षण के लिये 02 अंक और वार्षिक प्रविष्टि के लिए 30 अंक होंगे। इस प्रकार यथोक्त रूप से अधिकतम 100 अंक होंगे। पुलिस संगठन का प्रशिक्षण निदेशालय इस शर्त पर के अधीन रहते हुये कि कोई प्रशिक्षण जिसकी अवधि एक माह से कम होगी मौलिक प्रशिक्षण के रूप में अधिसूचित नहीं किया जाएगा, किसी भी प्रशिक्षण को मौलिक प्रशिक्षण और गैर मौलिक प्रशिक्षण के रूप में अधिसूचित करने के लिए प्राधिकृत है प्रत्येक वृहददंड के लिये 05 अंक, प्रत्येक लघुदण्ड के लिये 03 अंक और प्रत्येक सूक्ष्म दण्ड के लिये 01 अंक काट लिया जायेगा। सेवा अभिलेखों का	**(ख)(एक) सेवा अभिलेखः—** खण्ड (क) के अधीन चयनित प्रत्येक अभ्यर्थी को सेवा अभिलेखों के आधार पर अंक प्रदान किये जायेंगे। सेवा की कालावधि के लिये अधिकतम 20 अंक होंगे (प्रत्येक वर्ष के लिये 01 अंक) स्नातक एवं ऊपर की उपाधि की शैक्षिक अर्हता के लिये 10 अंक, प्रशिक्षण पाठ्क्रम के लिये 30 अंक जिसमें से 20 अंकों के अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए प्रत्येक मौलिक प्रशिक्षण के लिये 10 अंक तथा 10 अंको की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए प्रत्येक गैर मौलिक प्रशिक्षण के लिये 02 अंक और वार्षिक प्रविष्टि के लिये 30 अंक होंगे। अधिकतम 10 अंकों के अध्यधीन राष्ट्रीय स्तर के प्रत्येक पदक के लिए 03 अंक राज्य स्तर के प्रत्येक पदके के लिए 02 अंक प्रदान किये जायेगें तथा नगद पुरस्कार के लिए कोई अंक प्रदान नहीं किये जायेगें। इस प्रकार उपर्युक्त अधिकतम 100 अंक होंगे। पुलिस संगठन का प्रशिक्षण निदेशालय, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि कोई प्राशिक्षण जिसकी अवधि एक माह से कम होगी मौलिक प्रशिक्षण के रूप में अधिसूचित नहीं किया जाएगा, किसी भी प्रशिक्षण को मौलिक प्रशिक्षण और गैर मौलिक प्रशिक्षण के रूप में अधिसूचित करने के लिये प्राधिकृत है प्रत्येक वृहददंड के लिये 03 अंक, प्रत्येक लघु दण्ड के लिये 02 अंक और प्रत्येक प्रतिकूल प्रविष्ट और सूक्ष्म दण्ड के लिये 01 अंक काट लिया जाएगा। सेवा	**सेवा अभिलेखः–** (ख) सेवा अभिलेखों के लिए अधिकतम 10 अंक होंगे जो निम्नवत् प्रदान किये जायेंगे :— (एक) गत 10 वर्षो की वार्षिक प्रविष्टियों के लिए अधिकतम 60 अंक तक प्रदान कि जायेंगे। प्रत्येक उत्कृष्ट श्रेणी के लिए 04 अंक और उत्तम श्रेणी के लिए 02 अंक प्रदान किये जायेंगे। प्रत्येक प्रतिकूल प्रविष्टि के लिये योग में से 06 अंक काट लिये जायेंगे। (दो) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिये अधिकतम 20 अंक तक प्रदान किये जायेंगे। प्रत्येक मौलिक प्रशिक्षण के लिये 10 अंक प्रदान किये जायेंगे और प्रत्येक गैर मौलिक प्रशिक्षण के लिए 02 अंक प्रदान किये जायेंगे। टिप्पणी 1. पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय मौलिक प्रशिक्षण और गैर मौलिक प्रशिक्षण की सूची अधिसूचित करेंगे। यह अधिसूचना प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष के प्रारम्भ में जारी के जायेगी। इस प्रकार अधिसूचित सूची पदोन्नति की प्रक्रिया के समय पुनरीक्षित नहीं की जायेगी। टिप्पणी 2. कोई प्रशिक्षण जिसकी अवधि एक माह से कम होगी मौलिक प्रशिक्षण के रूप में अधिसूचित नहीं किया जायेगा। (तीन) पारितोषिक के लिए अधिकतम 20 अंक तक प्रदान किये जायेंगे। प्रत्येक पारितोषिक के लिए 05 अंक प्रदान किये जायेंगे। (चार) दण्ड के लिए अंक निम्नवत् काटे जायेंगे :—

*उ0प्र0 उ0नि0 और नि0 (ना0पु0)(प्रथम संसोधन) नियमावली 2009, द्वारा दिनांक 02.04.2009 से प्रतिस्थापित

** उ0प्र0 उ0नि0 और नि0 (ना0पु0)(पंचम संसोधन) नियमावली 2013, द्वारा दिनांक 01.03.2013 से प्रतिस्थापित

परीक्षण इस दृष्टिकोण से भी किया जायेगा कि क्या अभ्यर्थी को कोई ऐसा भी दण्ड दिया गया है, जो उसे पदोन्नति के लिये अनुपयुक्त ठहराता हो। कोई अभ्यर्थी जिसकी सत्यनिष्ठा गत पांच वर्षों में एक बार भी रोकी गई हो, पदोन्नति के लिये पात्र न होगा। (दो) खण्ड (क) के अधीन प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों को उनके द्वारा खण्ड (ग) के अधीन प्राप्त किये गये अंकों में जोड़ दिये जायेंगे। इस प्रकार प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर चयन समिति अभ्यर्थियों की सूची तैयार करेगी।	अभिलेखों वर्ग परीक्षण इस दृष्टिकोण से भी किया जाएगा कि क्या अभ्यर्थी को कोई ऐसा भी दण्ड गया है जो उसे पदोन्नति के लिये अनुपयुक्त ठहराता हो। कोई अभ्यर्थी जिसकी सत्यनिष्ठा गत पाँच वर्षो में एक बार भी रोकी गई हो पदोन्नति के लिए पात्र न होगा। (दो) उपखण्ड (क) के अधीन प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों को उनके द्वारा उपनियम (ख) के अधीन प्राप्त किये गए अंकों में जोड दिया जाएगा। (ख) इस प्रकार प्राप्त अंको के कुल योग के आधार पर चयन समिति अभ्यर्थियों की सची तैयार करेगी।	(1) प्रत्येक वृहत दण्ड — 10 अंक (2) प्रत्येक लघु दण्ड — 06 अंक (3)प्रत्येक वर्ष का रोका गया सत्यानिष्ठा प्रमाणपत्र —10 अंक सेवा अभिलेख का विचार क्षेत्र निरीक्षक पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस से गत 10 वर्षो का होगा।

मूल नियम	***दि0 02.04.2009 से प्रतिस्थापित**	****दि0 01.03.2013 से प्रतिस्थापित**
(ग) **समूह परिसंवाद** खण्ड (क) के अधीन चयनित अभ्यर्थियों से समूह परिसंवाद में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। इस प्रयोजनार्थ दस अभ्यर्थियों का पृथक संग्रह बनाया जाएगा। समूह परिसंवाद की प्रक्रिया एक 'चैनल' के अधीन बोर्ड के अध्यक्ष या उनके नामिती की उपस्थिति में संपादित की जायेगी जिसमें प्रबन्धन विशेषज्ञ प्रदेश द्वारा नामनिर्ष्टि) समाविष्ट होंगे। उक्त समूह परिसंवाद में किसी पुलिस वाद अध्ययन से सम्बन्धित कुछ समस्याएँ परिचर्चा के लिए प्रस्तुत की जाएगी और सम्पूर्ण समूह परिसंवाद नियत समय सीमा के भीतर पूर्ण किया जाएगा। समूह परिसंवाद के लिये 20 अंक होंगे और इसके अन्तर्गत अभ्यर्थियों के प्रबन्ध कौशल (5 अंक) प्रस्तुतिकरण (5 अंक) अभिरुचि (5 अंक) और व्यक्तित्व (5 अंक) का मूल्यांकन भी सम्मिलित होगा। टिप्पणी : (1)—समूह परिसंवाद	**(ग) समूह परिसंवाद** नियम–17 (क) के अधीन चयनित अभ्यर्थियों से समूह-परिसंवाद में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी, जिसके लिए दस अभ्यर्थियों का पृथक समूह बनाया जाएगा। समूह परिसंवाद की प्रक्रिया बोर्ड के अध्यक्ष या पुलिस महानिदेशक (उत्तर प्रदेश) द्वारा नामित एक अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक द्वारा एक पैनल के परिवेक्षण सम्पादित की जायेगी, जिसमें प्रबंध विशेषज्ञ, मनोविश्लेषक एवं अपराध विज्ञानी सम्मिलित होगें। उक्त समूह परिसंवाद में पुलिस वाद विश्लेषण परिचर्चा के लिये प्रस्तुत किया जाएगा और सम्पूर्ण समूह-परिसंवाद नियत समय सीमा के भीतर पूर्ण किया जाएगा। समूह परिसंवाद के लिये 20 अंक होंगे ओर इसके अंतर्गत अभ्यर्थियों के प्रबंधन कौशल (5 अंक) प्रस्तुतीकरण (5 अंक) अभिरूचि (5 अंक) और व्यक्तित्व (5 अंक) का मूल्याकन भी सम्मिलित होगा। ये अंकों को बोर्ड की वेबसाइट में भी अपलोडेड किया जाएगें। **टिप्पणी–**(1)—समूह परिसंवाद की	**(ग) समूह परिसंवाद** (एक) चयन समिति खण्ड (क) लिखित परीक्षा और खण्ड (ख) सेवा अभिलेख में अभ्यर्थियों द्वारा कुल प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यता कम में चयनित अभ्यर्थियों की अन्तिम सूची तैयार करेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान हों तो खण्ड (ख) (सेवा अभिलेख) में उच्चतर अंक प्राप्त करने वाला अभ्यर्थी सूची में ऊपर रखा जायेगा। इसके बाद भी यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के सेवा अभिलेखों में समान अंक हों तो उन्हें सूची में उनकी आयु के अनुसार रखा जायेगा। अधिक आयु वाले को ऐसे अन्य अभ्यर्थियों के ऊपर रखा जायेगा। (दो) चयन समिति अपनी संस्तुति सहित पदोन्नति के लिए उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची उनकी योग्यता के कम में पुलिस महानिदेशक को प्रस्तुत करेगी। सूची अधिसूचित रिक्तियों से अधिक की नहीं होगी। (तीन) पुलिस महानिदेशक द्वारा सूची के अनुमोदन के उपरान्त पुलिस महानिरीक्षक (स्थापना) निरीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु अंतिम आदेश निर्गत करेंगे।

***उ0प्र0 उ0नि0 और नि0 (ना0पु0)(प्रथम संसोधन) नियमावली 2009, द्वारा दिनांक 02.04.2009 से प्रतिस्थापित**

**** उ0प्र0 उ0नि0 और नि0 (ना0पु0)(पंचम संसोधन) नियमावली 2013, द्वारा दिनांक 01.03.2013 से प्रतिस्थापित**

की सम्पूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी और उसकी एक काम्पैक्ट डिस्क तैयार की जाएगी। टिप्पणी : (2)—चयन समिति में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिये अधिकारियों को नामनिर्देशन समय समय पर यथा संशोधित अधिनियम की धारा-7 के अनुसार किया जाएगा।	सम्पूर्ण प्रक्रिया की विडियोग्राफी की जाएगी और उसकी एक कम्पैक्ट डिस्क तैयार की जाएगी। **टिप्पणी–**(2)—चयन समिति में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधत्व के लिये अधिकारियों का नमा निर्दशन समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियम की धारा–7 के अनुसार किया जाएगा।	4. निरीक्षक के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती के नियत वर्ष में ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति की प्रक्रिया विभागीय परीक्षा द्वारा की जाने वाली पदोन्नति की प्रक्रिया से सदैव पहले होगी, प्रतिबन्ध यह है कि उसी के लिए रिक्तियाँ हों। उप नियम (2) के अर्ध असफल अभ्यर्थी उप नियम (3) के अर्ध विभागीय परीक्षा में प्रतियोगिता हेतु अर्ह हों :— 5. उप नियम (1) केवल नियम 5 के ख (क) हेतु निरीक्षक के पद की रिक्तियों की गणना के लिये है। निरीक्षक पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती के नियत वर्ष में उप नियम (2) अधीन पदोन्नत उपनिरीक्षक उप नियम (3) अधीन पदोन्नति उपनिरीक्षक से ज्येष्ठ होंगे। 6. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, द्वारा यथाअनुमोदित पदोन्नत अभ्यर्थियों की अन्तिम सूची बोर्ड और उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी।

(घ) अन्तिम चयन सूची

चयन समिति नियम-6 में निर्दिष्ट आरक्षण के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों की उनके श्रेष्ठता क्रम में जैसा कि खण्ड (पाँच) और खण्ड (छः) के अधीन उनके द्वारा प्राप्त अंकों के कुल योग से प्रकट हो, एक अन्तिम चयन सूची तैयार करेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर बराबर अंक प्राप्त करते हैं तो उपनियम (5) के अधीन उच्चतर अंक पाने वाले अभ्यर्थी को सूची में ऊपर रखा जाएगा। चयन समिति सूची को बोर्ड को अग्रसारित करेगी जो उसे विभागाध्यक्ष को अग्रसारित करेगा। विभागाध्यक्ष, आपेक्षित संख्या में नामों को सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारियों को अग्रसारित करेगा। सभी अभ्यर्थियों के अंकों से युक्त अन्तिम चयन सूची बोर्ड के वेबसाईट पर अपलोड की जाएगी।

भाग छः

प्रशिक्षण, नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

18-प्रशिक्षण (1)उपनिरीक्षक के पद पर नियम 15 और 16 के अधीन अन्तिम रूप से नियुक्त अभ्यर्थियों से उनकी नियुक्ति से पूर्व पुलिस मुख्यालय द्वारा समय-समय पर यथा विहित प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने की अपेक्षा की जाएगी। विहित प्रशिक्षण का आयोजन विभागाध्यक्ष द्वारा आयोजित किया जाएगा। प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेने के पश्चात् विभागाध्यक्ष अपेक्षित संख्या में नामों को सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारियों को अग्रसारित करेगा।

(2)पुलिस निरीक्षक के पद पर नियम 17 के अधीर नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों से उनकी नियुक्ति के पश्चात् पुलिस विवेचना के आधुनिक पहलुओं से सम्बन्धित पाठ्यक्रम को पूरा करने की अपेक्षा की जाएगी।

19– नियुक्ति– उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्मान नियम–10 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः—

मूल नियम	***दि0 14.01.2014 से प्रतिस्थापित**
नियम 15 के खण्ड (क) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर जिसमें वे यथास्थिति, नियम 15, 15(ग), 15 (घ), 15(च) के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हों, नियुक्तियाँ करेगा। (2) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख यथास्थित चयन में अवधारित की जाय या जैसी कि उस संवर्ग में हो, जिसमें उन्हें पदोन्नत किया जाये। यदि नियुक्तियॉ सीधी भर्ती द्वारा और पदोन्नति द्वारा दोनों प्रकार से की जाये तो नामों को नियम 15 (ड) में निर्दिष्ट आदेश के अनुसार रखा जायेगा। परन्तु यह सेवा में किसी पद पर इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व नियुक्त और उस पद पर कार्यरत कोई व्यक्ति इस नियमावली के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त किया गया समझा जायेगा और ऐसी मौलिक नियुक्ति इस नियमावली के अधीन की गयी समझी जायेगी। (ङ) में निर्दिष्ट ाादेश के अनुसार रखा जायेगा।परन्तु यह सेवा में किसी पद पर इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व नियुक्त और उस पद पर कार्यरत कोई व्यक्ति इस निमावली के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त किया गया समझा जायेगा और ऐसी मौलिक नियुक्ति इस नियमावली के अधीन की गयी समझी जायेगी।	19–(1) नियम 15 के खण्ड (क) के उपबन्धों के अध्यधीन नियुक्तियाँ करेगा। (2) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्तियों के एक से अधिक आदेश जारी किये जाये तो, एक सम्मिलित आवेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें गया स्थिति चयन में यथा, अवधारित या जैसा कि उस, संवर्ण में हो, जिस संवण से उन्हें पदोन्नत किया गया हो, ज्येष्ठता कम में व्यक्तियों के नामों का उल्लेख होगा परन्तु इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व सेवा में किसी पद पर नियुक्त और उक्त पद पर कार्यस्त किसी व्यक्ति को इस नियमावली के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त हुआ समझा जायेगा और ऐसी भौलिक नियुक्ति को इस नियमावली के अधीन की गयी नियुक्ति समझी जायेगी।

20- परिवीक्षा (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जाएगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ाई जाय।

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाए परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों को पर्याप्त उपयोग नहीं किया है, या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायं, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

*** उ0प्र0 उ0नि0 और नि0 (ना0पु0)(चतुर्थ संसोधन) नियमावली 2011, द्वारा दिनांक 14.01.2011 से प्रतिस्थापित**

(5) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

21-स्थायीकरण- (1) नियम 20 के उपनियम (1) और (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जाएगा यदि—

(क)वह विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया हो;

(ख)उसका कर्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय और

(ग)उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय।

(2) जहाँ उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है वहाँ उस नियमावली के नियम-5 के उपनियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुए आदेश कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्ष अवधि सफलतापूर्वक पूरी की ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

22-ज्येष्ठता - सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

भाग-7

वेतन इत्यादि

23-वेतनमान (1) सेवा के विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्ति व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान परिशिष्ट में दिए गए हैं।

24- परिवीक्षा अवधि में वेतन

(1)कम संख्या	पद का नाम	वेतनमान
1.	उपनिरीक्षक	रु. 5500-9000
2.	निरीक्षक	रु. 6500-10,500

फण्डामेंटल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुये भी , परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, तथा विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो एवं प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया हो और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जाएगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो।

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जाएगी जब तक कि नियुक्त प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो परिवीक्षा अवधि में वेतन, सुसंगत फण्डामेन्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगा।

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जाएगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन

राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग-आठ—अन्य उपबन्ध

25-पक्ष समर्थन किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर चाहे लिखित हों या मौखिक विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थ प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

26-अन्य विषयों का विनियमन ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

27-संयुक्त चयन सूची यदि किसी भर्ती वर्ष में नियुक्तियाँ दोनों सीधी भर्ती और पदोन्नति द्वारा की जायं तो एक संयुक्त चयन सूचना तैयार की जाएगी जिसमें सुसंगत सूचियों से अभ्यर्थियों के नाम ऐसे रीति से लिये जाएंगे कि विहित प्रतिशत बना रहे सूची में प्रथम नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

28- सेवा की शर्तो में शिथिलता जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहाँ वह उस मामले में लागू नियमों में, किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा रहते हुए, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी भर्ती के अधीन कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझें, अभियुक्त या शिथिल कर सकते हैं या

परन्तु जहाँ कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो वहाँ उस नियम की अपेक्षाओं को अभिमुक्त या शिथिल करने के पूर्व उस निकाय से परामर्श किया जायगा।

29-व्यावृत्ति इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आचरण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से

कुंवर फतेह बहादुर
प्रमुख सचिव।

परिशिष्ट-1
(नियम 15 (ग) देखें)

सीधी भर्ती हेतु शारीरिक मानक परीक्षा :-पुरुष और महिला अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नलिखित हैं—

मूल नियम	*दि002.04.2009से प्रस्थिापित	**दि014.01.2011 से प्रतिस्थापित
मानक पुरुष अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम शारीरिक मानक ऊँचाई— (1) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए ऊँचाई 168 से.मी. है। (2) जनजातीय अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 160 से.मी. है। **सीने का फुलाव**— सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग/ अनुसूचित जाति के सीने का अनुसूचित जनजाति का फुलाव - 84 से.मी. 82 सेमी. टिप्पणी—न्यूनतम 5 से.मी. का फुलाव अनिवार्य है— **महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक ऊँचाई**— (1) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गो और अनुसूचित जातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 152 से.मी. है। (2) अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊँचाई 147 से.मी. है। **वजन**—45 से 58 किलोग्राम 3. स्टेडियम/पुलिस लाईन जहाँ कहीं भी परीक्षण आयोजित हो, वहाँ परीक्षा आयोजन के पूर्व सूचनापट्ट (बोर्ड) पर प्रत्येक परीक्षण हेतु अर्हता के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक को अत्यन्त प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाय। 4. सम्पूर्ण राज्य में शारीरिक मानक परीक्षण पुलिस लाईन/स्टेडियम में आयोजित किया जाय। एक दिन में अभ्यर्थियों की संख्या प्रति टीम 200 से अधिक नहीं होनी चाहिये। यह परीक्षा उसी दिन आरम्भ होनी चाहिये किन्तु गठित किए गए दलों की संख्या	**पुरुष अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम शारीरिक मानक** **ऊँचाईः** (1) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गो और अनसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए ऊँचाई जाति के अभ्यर्थियों के लिए ऊँचाई 160 से.मी. है। (2) जनजातीय अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 160 से.मी. है। **सीने का फुलावः** समान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति के सीने अनुसूचित जाति का फुलाव–84 से.मी. अनुसूचित जनजाति के सीने का फुलाव 82 से.मी. **टिप्पणीः** न्यूनतम 5 से.मी. का फुलाव अनिवार्य है **महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक— ऊँचाईः** (1) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 152 से.मी. है। (2) अनसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊँचाई 147 से.मी. है। **वजनः**—45 से 58 किलोग्राम (3) स्टेडियम/पुलिसा लाईन जहाँ कहीं भी परीक्षण आयोजित हो, वहाँ परीक्षा आयोजन के पूर्व सूचनापट्ट (बोर्ड) पर प्रत्येक परीक्षण हेतु अर्हता के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक को अत्यंत प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाए। (4) सम्पूर्ण राज्य में शारीरिक मानक परीक्षण पुलिस लाईन/स्टेडियम में आयोजित किया जाय। एक दिन में अभ्यर्थियों की संख्या प्रति टीम 200 से अधिक	शारीरिक मानक परीक्षा का संचालन तीन सदस्यीय दल द्वारा किया जायेगा। जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगेः— 1. परगना मजिस्ट्रेट/उप कलेक्टर 2. चिकित्सक/कीडाधिकारी/ राष्ट्रीय कैडेट को अधिकारी 3. पुलिस उपाधीक्षक (1) यह उक्त दल के सदस्यों का यह दायित्व होगा कि वे शारीरिक मानक परीक्षण स्थल पर अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रमाण पत्रों के मूल और अभिप्रमाणित छाया प्रतियों की संवीक्षा करें। और इस बात की जाँच करें कि अभ्यर्थी द्वारा अपने ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र और उसके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों में प्रदान की गयी सूचना के मध्य कोई विसंगति न हो। प्रमाण पत्रों अर्थात आयु प्रमाण पत्र, शैक्षणिक अर्हता प्रमाण पत्र, खेल प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय कैडेट कोर/टेरिटोएियल आर्मी/कम्प्यूटर एप्लीकेशन प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक/युनिट डिस्चार्ज प्रमाण पत्र, उर्ध्वाधर आरक्षण का दावा करने के मामले में जाति प्रमाण पत्र और खण्ड (क) नियम–15 (सात) के अनुसार प्रस्तुत किये जाने वाले क्षैतिज आरक्षण के मामलें में निवास प्रमाण-पत्रों सम्यक परीक्षण और मिलान करने के पश्चात उक्त दल सुसंगत प्रमाण-पत्रों की अनुप्रमाणित प्रतियों को स्वीकार करेगा और भावी दस्तावेजीकरण तथा सत्यापन हेतु नियुक्ति प्राधिकारी को उक्त प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करने के पूर्व भर्ती की प्रक्रिया की समाप्ति तक उन्हें अनुरक्षित रखेगा। (2) सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यभियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक ऊँचाई 168 सेटीमीटर है और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 160 सेन्टीमीटर है। **सीपे की माप** सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित

***उ0प्र0 उ0नि0 और नि0 (ना0पु0)(प्रथम संसोधन) नियमावली 2009, द्वारा दिनांक 02.04.2009 से प्रतिस्थापित**
****उ0प्र0 उ0नि0 और नि0 (ना0पु0)(चतुर्थ संसोधन) नियमावली 2011, द्वारा दिनांक 14.01.2011 से प्रतिस्थापित**

जिले में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर घट या बढ़ सकती है। 5. दल के सदस्य, जो जानबूझ कर गलत रिपोर्ट देते हुए पाये जाते है दाण्डिक कार्यवाही के भागी होंगे। 6. इस अर्हकारी परीक्षा का परिणाम, परीक्षा के समापन होने के तत्काल बाद परीक्षावार प्रत्येक अभ्यर्थी के परमिापों का उल्लेख करते हुए माईक पर उद्घोषित किया जाएगा और सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा और यदि सम्भव हो तो बोर्ड की वेबसाईट पर भी नित्य अपलोड किया जाएगा। 7. शारीरिक मानक परीक्षण की परीक्षा के लिए भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन वाले मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग किया जाय।	नहीं होनी चाहिये। यह परीक्षा उसी दिन आरम्भ होनी चाहिये किंतु गठित किए गए दलों की संख्या जिले में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर घट या बढ़ सकती है। (5) दल के सदस्य, जो जानबूझ कर गलत रिपोर्ट देते हुए पाये जाते हैं दाण्डिक कार्यवाही के भागी होंगे। (6) इस अर्हकारी परीक्षा का परिणाम परीक्षा के समापन होने के तत्काल बाद परीक्षावार प्रत्येक अभ्यर्थी के परिणामों का उल्लेख करते हुए माईक पर उद्घोषित किय जाएगा और सूचना पट्ट पर भी प्रदर्षित किया जाएगा और यदि सम्भव हो तो बोर्ड को वबसाईट पर भी नित्य अपलोड किया जाएगा। (7) शारीरिक मानक परीक्षण की परीक्ष के लिये भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन वाले मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग किया जाय।	जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यून्तम सीने की माप बिना फुलाए हुए 79 सेंटीमीटर और फुलाने पर न्यूनतम 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए और अनुसूचित जनजातियों के लिए बिना फुलाए हुए 77 सेंटीमीटर तथा फुलाने पर अन्यून 82 सेंटीमीटर होनी चाहिए। **टिप्पणीः**—सीने का फुलाव न्यूनतम 5 सेंटीमीटर आवश्यक हैं। (3) महिला हेतु न्यूनतम शारीरिक ऊँचाई का मानक– सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जातियों की महिला अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम ऊँचाई 152 सेंटीमीटर है। अनुसूचित जनजातियों के महिला अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम ऊँचाई 147 सेंटीमीटर है। **वजन**—न्यूनतम 40 किलोग्राम (4) स्टेडियम/पुलिस लाइन्स जहाँ कही भी परीक्षण आयोजित हो वहा परीक्षा आयोजन के पूर्व सूचना पट्टे (बोर्ड) पर प्रत्येक परीक्षा के लिए अर्हता हेतु न्यूनतम शारीरिक मानक को अत्यन्त प्रमुखता से प्रदर्शित किया जायेगा। (5) सम्पूर्ण राज्य में शारीरिक मानक परीक्षण पुलिस लाइन्स/स्टैडियम में आयोजित किया जाय। एक दिन में अभ्यर्थियों की संख्या 200 से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह परीक्षा उसी दिन आरम्भ होनी चाहिए, किन्तु गठित किये गये दलों की संख्या जिले में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर घट बढ़ सकती है। (6) दल के सदस्य जो जानबूझकर गलत रिपोर्ट देते हुए पाये जाते है दाण्डिक कार्यवाही के भागी होंगे। (6) इस अर्हकारी परीक्षा का परिणाम परिक्षा के समाप्त होने के तत्काल बाद परीक्षणवार प्रत्येक अभ्यर्थी के परिमापों का उल्लेख करते हुए माइक पर उदघोषित किया जायेगा और सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा और यदि सम्भव हो तो बोर्ड की वेबसाइट पर भी नित्य अपलोड किया जायेगा। (7) शारीरिक मानक परीक्षण की परीक्षा के लिए भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन वाले सानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग किया

		जाय।

परिशिष्ट-2

मूल नियम	* दि0 02.04.2009 से प्रस्थापित	**दि0 14.01.2011 से प्रतिस्थापित
सीधी भर्ती हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा शारीरिक दक्षता परीक्षा तीन सदस्यीय दल द्वारा लिया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे। 1. परगना मजिस्ट्रेट/डिप्टी कलेक्टर; 2. चिकित्सक/क्रीडा अधिकारी/राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिकारी; 3. पुलिस उपधीक्षक। (क) ऐसे प्रत्येक दल के लिए अभ्यर्थियों की संख्या (एक दिन में अनधिक 100 (एक) सौ) इस प्रकार विनिश्चित की जाएगी जिससे कि परीक्षा की गुणवत्ता और उसकी प्रक्रिया प्रभावित न हो। इस परीक्षा/ परीक्षण को सम्पूर्ण राज्य में एक सप्ताह में पूरा किया जाएगा। अभ्यर्थियों की अतिशय संख्या के कारण पुलिस सेवा भर्ती ओर पदोन्नति बोर्ड ऐसा कोई विनिश्चय कर सकता है और अपेक्षित समय का अवधारण कर सकता है।	**सीधी भर्ती हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा** शारीरिक दक्षता परीक्षा तीन सदस्यीय दल द्वारा लिया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे। 1. परगना मजिस्ट्रेट/डिप्टी कलेक्टर; 2. चिकित्सक/क्रीडा अधिकारी/राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिकारी; 3. पुलिस उपधीक्षक। (क) ऐसे प्रत्येक दल के लिए अभ्यर्थियों की संख्या (एक दिन में अनधिक 100 (एक सौ) इस प्रकार विनिश्चित की जाएगी जिससे कि परीक्षा की गुणवत्ता और उसकी प्रक्रिया प्रभावित न हो। इस परीक्षा/ परीक्षण को सम्पूर्ण राज्य में एक सप्ताह में पूरा किया जाएगा। अभ्यर्थियों की अतिशय संख्या के कारण पुलिस सेवा भर्ती ओर पदोन्नति बोर्ड ऐसा कोई विनिश्चय कर सकता है और अपेक्षित समय का अवधारण कर सकता है।	(क) शारीरिक दक्षता परीक्षा दल के सदस्य यह सुनिश्चित करेंगें की अनुसूची के अनुसार किसी विशिष्ट दिनांक को शारीरिक दक्षता परीक्षण में सम्मिलित होने के लिए समस्त अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा संचालित की जाये। सम्पूर्ण राज्य में यह परीक्षा एक सप्ताह में पूरी की जायेगी। अत्यधिक संख्या में अभ्यर्थियों के होने की सिथति में बोर्ड समयावधि को बढ़ाने का विश्चिय कर सकता हैं।
(ख) जहाँ वहीं परीक्षण परीक्षा संचालन के पूर्व किया जाय वहाँ प्रत्येक परीक्षा अर्हता के लिए न्यूनतम शारीरिक मानकों का प्रदर्शन स्टैडियम/ पुलिस लाईन में सूचना पट्टों पर प्रमुखता से किया जाएगा। (ग) शारीरिक दक्षता परीक्षा केवल अर्हकारी प्रकृति को है और इसका श्रेष्ठता सूची पर कोई प्रभाव नहीं होगा। इस अर्हकारी परीक्षा का परिणाम सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जाएगा और जहाँ सम्भव हो बोर्ड की वेबसाईट पर नित्य अपलोड किया जाएगा। (घ) दल के सदस्य जो जानबूढ़कर मिथ्या रिपोर्ट देंगे, दाण्डिक कार्यवाही के भागी होंगे। (ङ) शारीरिक दक्षता परीक्षा का परिणाम अभ्यर्थियों को उसी दिन उपलब्ध कराया जाएगा। उत्तीर्ण/असफल अभ्यर्थियों की सूची सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जाएगी	(ख) जहाँ वहीं परीक्षण परीक्षा संचालन के पूर्व क्रिया जाय वहाँ प्रत्येक परीक्षा अर्हता के लिए न्यूनतम शारीरिक मानकों का प्रदर्शन स्टैडियम/ पुलिस लाईन में सूचना पट्टों पर प्रमुखत्म से किया जाएगा। (ग) शारीरिक दक्षता परीक्षा केवल अर्हकारी प्रकृति को है और इकका श्रेष्ठता सूची पर कोई प्रभाव नहीं होगा। इस अर्हकारी परीक्षा का परिणाम सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जाएगा और जहाँ सम्भव हो बोर्ड की वेबसाईट पर नित्य अपलोड किया जाएगा। (घ) दल के सदस्य जो जानबूढ़कर मिथ्या रिपोर्ट देंगे, दाण्डिक कार्यवाही के भाभी होंगे। (ङ) शारीरिक दक्षता परीक्षा का परिणाम अभ्यर्थियों को उसी दिन उपलब्ध कराया जाएगा। उत्तीर्ण/असफल अभ्यर्थियों की सूची सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जाएगी	(ङ) शारीरिक दक्षता परीक्षा पूर्ण होने पर सफल/असफल अभ्यार्थियों की सूची दल के समस्त सदस्यों के संयुक्त हस्ताक्षर से घोषित की जायेगी।

*उ0प्र0 उ0नि0 और नि0 (ना0पु0)(प्रथम संसोधन) नियमावली 2009, द्वारा दिनांक 02.04.2009 से प्रतिस्थापित
**उ0प्र0 उ0नि0 और नि0 (ना0पु0)(चतुर्थ संसोधन) नियमावली 2011, द्वारा दिनांक 14.01.2011 से प्रतिस्थापित

और बोर्ड की वेब साइट पर नित्य अपलोड की जाएगी। एक बार 100 अभ्यर्थियों की परीक्षा पूर्ण हो जोने पर सफल अभ्यर्थियों की सूची परगना मजिस्ट्रेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के संयुक्त हस्ताक्षरों से घोषित की जायगी। (च) इस अर्हकारी परीक्षण का परिणाम माइक पर घोषित किया जाएगा (जिसमें परीक्षण,होने के तत्काल पश्चात् परीक्षणवार प्रत्येक अभ्यर्थी का माप उल्लिखित होगा) सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जाएगा और यदि सम्भव हो तो बोर्ड की वेबसाइट पर नित्य अपलोड किया जाय। (छ) शारीरिक दक्षता, परीक्षण की परीक्षा के लिए भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन वाले मानकीकृत उपकणों का ही प्रभोग किया जाएगा। (ज) शारीरिक दक्षताा परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की सूची की घोषणा किये जाने पर उन्हें चिकित्सा परीक्षा के लिए तहसील मुख्यालय और जिला चिकित्सालयों के अभिहित सामुदायिक स्वास्थय केन्द्रो पर भेजा जाएगा।	और बोर्ड की वेब साइट पर नित्य अपलोड की जाएगी। एक बार 100 अभ्यर्थियों की परीक्षा पूर्ण हो जोने पर सफल अभ्यर्थियों की सूची परगना मजिस्ट्रेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के संयुक्त हस्ताक्षरों से घोषित की जायगी। (च) इस अर्हकारी परीक्षण का परिणाम माइक पर घोषित किया जाएगा (जिसमें परीक्षण,होने के तत्काल पश्चात् परीक्षण प्रत्येक अभ्यर्थी का माप उल्लिखित होगा) सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जाएगा और यदि सम्भव हो तो बोर्ड की वेबसाइट पर नित्य अपलोड किया जाय। (छ) शारीरिक दक्षता, परीक्षण की परीक्षा के लिए भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन वाले मानकीकृत उपकणों का ही प्रभोग किया जाएगा। (ज) शारीरिक दक्षताा परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की सूची की घोषणा किये जाने पर उन्हें चिकित्सा परीक्षा के लिए तहसील मुख्यालय और जिला चिकित्सालयों के अभिहित सामुदायिक स्वास्थय केन्द्रो पर भेजा जाएगा।	

परिशिष्ट-3

(नियम 15 (च) देखें)

लिखित परीक्षा की प्रक्रिया -

मुख्य लिखित परीक्षा के पूर्व सभी अभ्यर्थियों (उपनिरीक्षक की सीधी भर्ती के मामले में) को शारीरिक दक्षता परीक्षण कराना होगा। संघ लोक सेवा आयोग की रीति से मुख्य लिखित परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को चिपके हुए फोटोग्राफ के साथ कम्प्यूटरीकृत बुलावा पत्र डाक घर/बैंक के माध्यम से उसी रीति में भेजे जायेंगे कि प्रारम्भिक परीक्षा के लिए भेजे गये थे।

(क) फोटो, दोनों हाथों के अंगूठा निशान, परीक्षा केन्द्र की कोड संख्या/नाम. डाक का पता, परीक्षा का समय/दिनांक सहित जिला का नाम बुलावा पत्र में स्पष्ट रूप से दिया जायेगा।

(ख) परीक्षा के दिनांक से कम से कम एक सप्ताह पूर्व अभ्यर्थी के पास बुलावा पत्र पहुँच जाना चाहिये। यदि परीक्षा के दिनांक से एक सप्ताह पूर्व बुलावा पत्र नहीं प्राप्त होता है तो अभ्यर्थी बोर्ड की हेल्पलाइन/लैण्डलाइन/मोबाइल फोन से सम्पर्क कर सकता है या बोर्ड की वेबसाइट को बुलावा पत्र की दूसरी प्रति प्राप्त कर सकता है।

(ग) लिखित परीक्षा पूरे राज्य में एक ही दिनांक और समय पर आयोजित की जाएगी।

मूल नियम	*दि0 14.01.2011 से प्रतिस्थापित
(घ) अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में कार्बन प्रति सहित ओ.एम.आर. पत्रक उपलब्ध कराया जायगा। परीक्षा के बाद अभ्यर्थी कार्बन प्रति अपने साथ ले जा सकते हैं। जब सभी अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित हो जाय तो परिणाम को बोर्ड की वेबसाइट पर उत्तर कुंजी सहित विषयवार उनके द्वारा प्राप्त किये गये अंकों के साथ लोड किया जायगा।	(घ) लिखित परीक्षा में प्रयोजनार्थ ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक तीन प्रतियों से होगा, जिसकी मूलप्रति स्कैनिंग के लिए प्रयोग किया जायेगा, प्रथम कार्बन कापी बोर्ड के अभिलेख के लिए और दूसरी कापी अभ्यर्थियों के लिए होंगी। अभ्यर्थियों को ओ0एम0आए0 उत्तर पत्रक के साथ कार्बन प्रति अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी।

(ङ) लिखित परीक्षा समाप्त हो जाने के पश्चात् उत्तर पत्रकों को जिला मजिस्ट्रेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा उपलब्ध करायी गयी, सुरक्षित अभिरक्षा के माध्यम से मुहर बन्द आवरण में केन्द्रवार बोर्ड को भेज दिया जायेगा।

परिशिष्ट-4

(नियम 15 (छः) देखें)

मूल नियम	**दि0 14.01.2011 से प्रतिस्थापित
सीधी भर्ती के लिए चिकित्सकीय परीक्षण	**चिकित्सा परीक्षा परिषद**
जिन अभ्यर्थियों ने शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है वे अधिसूचित केन्द्रों पर (जिला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व जिला चिकित्सालय और तहसील सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र) जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा गठित चिकित्सा परिषद् द्वारा चिकित्सकीय परीक्षण करायेंगे प्रत्येक चिकित्सा परिषद के लिये अभ्यर्थियों की संख्या (एक दिन में 50 से अनधिक) इस प्रकार निर्धारित की जायेगी कि उससे चिकित्सकीय परीक्षण की गुणवत्ता और प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी। सम्पूर्ण राज्य में चिकित्सकीय परीक्षण एक सप्ताह में पूर्ण कर लिया जाएगा। यदि अभ्यर्थियों की अधिक संख्या के कारण अधिक समय की अपेक्षा हो तो पुलिस सेवा भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड अपने स्तर पर निर्णय लेकर अपेक्षित समय का विनिश्चय कर सकता है। जहाँ कही भी परीक्षण आयोजित होता है, परीक्षा आयोजन के पूर्व चिकित्सकीय परीक्षण हेतु अर्हता के लिये न्यूनतम अपेक्षाओं को जिला सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र, जिला चिकित्सालय और तहसील सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के सूचना पट्ट पर अत्यंत प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाय।	मुख्य लिखित परीक्षा और समूह परिसंवाद पूर्ण होने पर ऐसे अभ्यर्थियों जो अन्तिम चयन सूची में स्थान प्राप्त किये हों, को अधिसूचित केन्द्रो पर (जिला सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र) जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा गठित चिकित्सा बोर्ड द्वारा आयोजित चिकित्सा परीक्षा में समिलित होना होगा। इस संव्ययहार का पर्यवेक्षण नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा। प्रत्येक चिकित्सा बोर्ड के लिए अभ्यर्थियों की संख्या (एक दिन में अनधिक–50) का विनिश्चय इस प्रकार किया जायेगा कि चिकित्सा परीक्षा की गुणवत्ता और प्रक्रिया प्रभावित न हो। चिकित्सा परीक्षा सम्पूर्ण राज्य में एक सप्ताह के अन्दर पूर्ण की जाये। यदि चिकित्सा परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या अधिक हो तो नियुक्ति पाधिकारी के स्तर पर अपेक्षानुसार समय बढ़ाने के लिए विनिश्य किया जा सकता है। चिकित्सा परीक्षा संचालन के पूर्व चिकित्सा परीक्षण में अर्ह होने के लिए न्यूनतम अपेक्षाओं को जिला समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जिला चिकित्सालय या तहसील सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र, जहाँ कही भी चिकित्सा परीक्षा संचालित की जा रही हो, के सूचना पट्टा पर प्रमुखता से प्रवर्शित किया जायेगा।

चिकित्सा मैनुअल के अनुसार

(क) चिकित्सकों द्वारा अभ्यर्थियों का परीक्षण चिकित्सा मैनुअल के अनुसार किया जाएगा। चिकित्सा परिषद् मुख्यतयः मानव शरीर की कमियाँ जैसे नोक-नी बो-लेग्स, प्लेट फीट, वैरिकोज वेन्स, दूर एवं निकट दृष्टि, कलर ब्लाइन्डनेस रैबीस टेस्ट सहित श्रवण परीक्षण, वेबर्स टेस्ट और वरटिगो इत्यादि की जांच करेगा। परिषद् विशेषज्ञों की राय प्राप्त करके अन्य परीक्षण कर सकता है।	(क) चिकित्सकों द्वारा अभ्यर्थियों का परीक्षण चिकित्सा मैनुअल के अनुसार किया जायेगा। चिकित्सा परिषद मुख्यतया मानव शरीर की कमियों, यथा नॉक-नी, बो-लेम्स, फलैट-फीट, वेरीकोजवेन्स, दूर एवं निकट दृष्टि, कलर ब्लाइन्डनेस, रेबीज, टेस्ट सहित प्रवण परीक्षण, वेबर्स-टैस्ट और वरटिगों इत्यादि की जाँच करेगा। यदि परिस्थितियों ऐसी वारन्टी दें तो पुलिस सेवा भर्ती और

*उ0प्र0 उ0नि0 और नि0 (ना0पु0)(प्रथम संसोधन) नियमावली 2009, द्वारा दिनांक 02.04.2009से प्रतिस्थापित

**उ0प्र0 उ0नि0 और नि0 (ना0पु0)(चतुर्थ संसोधन) नियमावली 2011, द्वारा दिनांक 14.01.2011 से प्रतिस्थापित

(ख) दिन के अंत में प्रत्येक दिन परिणामों को सूचना पट्ट एवं माइक पर घोषित/प्रदर्शित किया जाएगा। (ग) चिकित्सा परिशिष्ट के सदस्य जो जानबूझकर गलत रिपोर्ट देते पाये जाएंगे दाण्डिक कार्यवाही के भोगी होंगे। (घ) चिकित्सकीय परीक्षण केवल अर्हकारी प्रकृति का है और इसका श्रेष्ठता सूची पर कोई प्रभाव न होगा। इस अर्हकारी परीक्षा का परिणाम प्रतिदिन सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जाएगा और जहाँ भी सम्भव हो उसे बोर्ड के वेब साइट पर अपलोड किया जाएगा।	पदोन्नति बोर्ड विशेषज्ञों की राय प्राप्त करने के पश्चात अन्य परीक्षा आयोजित कर सकता है। (ख) दिन के अन्त में परिणामों को सूचना पट्ट पर प्रतिदन प्रदर्शित किया जायेगा और माइक पर उद्घोषित किया जायेगा। (ग) चिकित्सा परिषद के सदस्य जो जानबूझ कर गलत रिपोर्ट देते पाये जाते हैं, दाण्डिक कार्यवाही के भागी होंगें। (घ) चिकित्सा परीक्षा अर्हकारी है और इसका श्रेष्ठता सूची पर कोई प्रभाव नहीं होगा। इस अहकारी परीक्षा के परिणाम को प्रत्येक दिन सूचना पट्ट पर संप्रदर्शित किया जायेगा और जहाँ कहीं सम्भव हो इसे बोर्ड के वेब–साइट पर अपलोड किया जायेगा।

....

....

उत्तर प्रदेश उप-निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली 2015

संख्या 1835 / छः पु–1–15–53–2015
लखनऊ, 19 अगस्त, 2015

भाग–1–सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश उप-निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली, 2015 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति

2– उत्तर प्रदेश उप-निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा में समूह ''ग'' के पद समाविष्ट है

परिभाषाएं

3– जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में,–

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4, सन् 1994) से है;

(ख) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' का तात्पर्य पुलिस उपमहानिरीक्षक से है;

(ग) ''बोर्ड'' का तात्पर्य इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार स्थापित उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड से है;

(घ) ''संविधान'' का तात्पर्य भारत के संविधान से है;

(ङ) ''भारत का नागरिक'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो भारत का संविधान के भाग–2 के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाए;

(च) ''सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है;

(छ) ''राज्यपाल'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;

(ज) ''विभागाध्यक्ष'' का तात्पर्य पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश से है;

(झ) ''सेवा का सदस्य'' का तात्पर्य इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व किन्हीं पूर्ववर्ती नियम के अधीन सेवा में किसी पद पर नियुक्त किसी व्यक्ति से है;

(ञ) ''नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों'' का तात्पर्य अधिनियम की अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है;

(ट) ''पुलिस मुख्यालय'' का तात्पर्य मुख्यालय महानिरीक्षक पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ और उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद से है;

(ठ) ''चयन समिति'' का तात्पर्य सेवा के पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों के चयन के लिए इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार सम्यक् रूप से गठित समिति से है;

(ड) ''सेवा'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश उप-निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा से है;

(ढ) ''मौलिक नियुक्ति'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक आदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो;

(ण) ''भर्ती का वर्ष'' का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह माह की अवधि से है;

नियम–3 का बढाया जाना –

***दिनांक 26.12.2016 द्वारा बढाया गया –**

(त) "आरक्षी" का तात्पर्य तत्समय प्रवृत्त उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली 2015 के अनुसार आरक्षी पुलिस से है।

(थ) "मुख्य आरक्षी" का तात्पर्य तत्समय प्रवृत्त उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा निमयावली 2015 के अनुसार मुख्य आरक्षी पुलिस से है।

भाग-दो–संवर्ग

सेवा का संवर्ग **4–** 1–सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाए।

2–सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या निम्नलिखित होगी, जब तक कि उप नियम (1) के अधीन उसे परिवर्तित करने का आदेश पारित न किये जाय :–

पदों के नाम	**पदों की संख्या**		
	स्थायी	**अस्थायी**	**योग**
1–निरीक्षक	890	1748	2639
2–उप निरीक्षक	7153	11846	18999

परन्तु यह कि–

(एक) विभागाध्यक्ष कुल स्वीकृत नियतन के अन्तर्गत विभिन्न इकाईयों के पदों की संख्या को पुनःअवधारित कर सकता है;

(दो) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुये छोड़ सकते हैं या राज्यपाल उसे प्रास्थगित रख सकते हैं जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं होगा, अथवा

(तीन) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं जिन्हें वह उचित समझें।

भाग तीन-भर्ती

भर्ती का स्त्रोत **5–**सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्त्रोतों से की जाएगी :–

(1) उपनिरीक्षक–

(एक) पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा बोर्ड के माध्यम से।

टिप्पणी–एक सेवाकाल में पुलिस विभाग के दिवंगत कर्मचारियों के ऐसे आश्रित जो पुलिस उपनिरीक्षक के पद पर मृतक आश्रित के रूप में प्रार्थनापत्र देते हैं, उनकी भर्ती बोर्ड द्वारा, सरकार द्वारा तय की गई नीति के अनुसार की जायेगी। प्रतिबन्ध यह है कि पुलिस उपनिरीक्षक के ऐसे पद, प्रत्येक वर्ष सीधी भर्ती के पूर्व सृजित पदों के सापेक्ष उत्पन्न हुई रिक्तियों के कारण भरे जाने वाले पदों के 05 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

मूल नियम	***दिनांक 26.12.2016 द्वारा प्रतिस्थापित**
(दो) पचास प्रतिशत पदों को अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से मौलिक रूप से नियुक्त नागरिक पुलिस के ऐसे मुख्य आरक्षियों में से भरा जायेगा जो अर्हकारी प्रकृति की शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल पाये गये हों और जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।	(दो) पचास प्रतिशत पदों को बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से निम्नलिखित रीति से भरा जायेगा :– (1)पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले उप निरीक्षक ना0पु0 के पदों को कुल संख्या में से दो तिहाई पद , अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे मुख्य आरक्षी ना0पु0 में से भरे जायेगें, जो अर्हकारी प्रकृति की शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल पाये गये हो और जिन्होनें भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो और

*उ0प्र0 उ0नि0 और नि0 (ना0पु0)(द्वितीय संसोधन) नियमावली 2015, द्वारा दिनांक 26.12.2016 से प्रतिस्थापित

	पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों में से ना0पुलिस के उप निरीक्षकों के शेष एक तिहाई पद ऐसे आरक्षी पुलिस अथवा मुख्य आरक्षी पुलिस में से विभागीय परीक्षा के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने जायेगें :– (क)जिन्होने आरक्षी पुलिस के रूप में अथवा दोनों पदों आरक्षी पुलिस तथा मुख्य आरक्षी पुलिस के पदों पर की गयी कुल सेवा अवधि को मिलाते हुये भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को 07 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, (ख)जिनकी भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को आयु 40 वर्ष से अधिक न हो, (ग) जिन्होने विगत 05 वर्षो में समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली –1991 के नियम–14 के उप नियम(2) के अधीन दण्डित न किया गया हो, और जो एक से अधिक बार उक्त 5 वर्ष के पूर्व उक्त नियमावली के अधीन दण्डित न किये गये हो, (घ) जो मद "ग"में निर्दिष्ट नियमावली के नियम 14 के उप नियम(1) के अधीन भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस के पूर्व दण्डित न किये गये हों (ड)जिन्हें भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस के पूर्व सेवा में वार्षिक अभ्युक्ति के प्रतिकूल प्रविष्टि न प्रदान की गयी हो, (च)जिसकी सत्यनिष्ठा कभी भी भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस के पूर्व रोकी न गयी हो। टिप्पणी– उप निरीक्षक ना0पु0 के उपलब्ध रिक्तियों के प्रत्येक वर्ष पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले उप निरीक्षक ना0पु0 के कुल संख्या के दो–तिहाई पद , अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरे जायेगें और शेष एक तिहाई पद विभागीय परीक्षा के आधार पर पदोन्नति तब तक भरे जाते रहेगें जब तक इस नियमावली के अधीन अधिसूचना के दिनांक के पश्चात विभागीय परीक्षा के आधार पर पदोन्नति द्वारा कुल पद भरे नहीं जाते है और जब तक उप निरीक्षक, सिविल पुलिस के कुल स्वीकृत पद पदोन्नति द्वारा नहीं भर लिये जाते है। उप निरीक्षक ना0पु0 के समस्त स्वीकृत पदों को पदोन्नति द्वारा भरे जाने के पश्चात अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नत उप

	निरीक्षक ना0.पुलिस के पदों में तत्पश्चात हुई रिक्ति उस श्रेणी से भरी जायेगी और विभागीय परीक्षा के आधार पर भरे गये उप निरीक्षक ना0पु0 के पदों में तत्पश्चात हुई रिक्ति उस श्रेणी से भरी जायेगी।

(तीन) उपनिरीक्षक पद पर पदोन्नति के लिये उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के निःसंवर्गीय पदों पर पदोन्नत ऐसे मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस भी पात्र होंगे जो खण्ड (2) में उल्लिखित अपेक्षा को पूरा करते हों।

(2) निरीक्षक–

मूल नियम	***दिनांक 26.12.2016 द्वारा प्रतिस्थापित**
(क) निरीक्षक, नागरिक पुलिस के स्वीकृत पदों की कुल संख्या के सौ प्रतिशत पद, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस में से भरे जायेंगे जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए, इस रूप में सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।	(क) निरीक्षक ना0पुलिस के शत–प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा निम्नलिखित रीति से भरे जायेगें :– (1)पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले निरीक्षक ना0पु0 के कुल संख्या के पदों के दो–तिहाई पद अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से मौलिक रूप से नियुक्त ना0पुलिस के ऐसे उप निरीक्षकों में से भरे जायेगें, जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो और निरीक्षक ना0पुलिस के शेष एक तिहाई पद ऐसे उप निरीक्षक ना0पु0 में से विभागीय परीक्षा के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भरे जायेगें :– (एक) जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को उप निरीक्षक ना0पु0 के रूप में सात वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, (दो) जिनकी भर्त्री के वर्ष के प्रथम दिवस को आयु 45 वर्ष से अधिक न हो, (तीन) जिन्हें विगत पांच वर्षो में समय–2 पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड और अपील)नियमावली 1991 के नियम 14 के उप नियम (2) के अधीन दण्डित न किया गया हो और जिन्हें उक्त नियमावली के अधीन उक्त पांच वर्ष के पूर्व एक से अधिक बार दण्डित न किया गया हो। (चार) जिन्हें मद (तीन) में निर्दिष्ट नियमावली के नियम 14 के उप नियम 1 के अधीन भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस के पूर्व दण्डित न किया गया हो, (पांच) जिन्हें भर्ती वर्ष के प्रथम दिन के पूर्व सेवा में वार्षिक अभ्युक्तियों में कोई प्रतिकूल प्रविष्टि न प्रदान की गयी हो, (छः)जिसकी सत्यनिष्ठा कभी भी भर्ती वर्ष के प्रथम दिन के पूर्व सेवा में रोकी न गयी

***उ0प्र0 उ0नि0 और नि0 (ना0पु0)(द्वितीय संसोधन) नियमावली 2015, द्वारा दिनांक 26.12.2016 से प्रतिस्थापित**

	हो। टिप्पणी :– निरीक्षक ना0पुलिस के उपलब्ध रिक्तियों में प्रत्येक वर्ष पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाल निरीक्षक, नागरिक पुलिस के कुल संख्या के दो तिहाई पद , अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरे जायेगें और शेष एक तिहाई पद विभागीय परीक्षा के आधार पद पदोन्नति द्वारा तब तक भरे जाते रहेंगे जब तक कि इस नियमावली के अधीन अधिसूचना के दिनांक के पश्चात विभागीय परीक्षा के आधार पर पदोन्नति द्वारा कुल पद भरे नहीं जाते हैं और जब तक निरीक्षक , ना0पुलिस के कुल स्वीकृत पद पदोन्नति द्वारा नहीं भर लिये जाते हैं। निरीक्षक, नागरिक पुलिस के समस्त स्वीकृत पदों को पदोन्नति द्वारा भरे जाने के पश्चात अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति निरीक्षक नागरिक पुलिस के पदों में तत्पश्चात हुई रिक्ति उस श्रेणी से भरी जायेगी और विभागीय परीक्षा के आधार पर भरे गये निरीक्षक नागरिक पुलिस के पदों में तत्पश्चात हुई रिक्ति उस श्रेणी से भरी जायेगी।

(ख) निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति के लिए निरीक्षक नागरिक पुलिस के निःसंवर्गीय पदों पर पदोन्नति ऐसे उपनिरीक्षक (नागरिक पुलिस) भी पात्र होंगे जो उपखण्ड (क) में उल्लिखित अपेक्षा को पूरा करते हों।

आरक्षण– **6**–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, अधिनियम और समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 के उपबन्धों और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा। राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय खिलाड़ियों का आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार होगा। यह भी उपबंधित किया जाता है कि शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति पुलिस सेवाओं के लिए पात्र नहीं होंगे।

भाग–चार–अर्हताए

राष्ट्रीयता– **7–**सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी :–

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो; या

(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीकी देश केनिया, यूगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो;

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष

में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो;

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले।

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी–ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षिक अर्हता

8– मूल नियम	***दि0 03.12.2015 से प्रतिस्थापित**
8-उप-निरीक्षक के पद पर सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी के पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। यह भी उपबंधित किया जाता है कि सीधी भर्ती हेतु केवल वही अभ्यर्थी अर्ह होंगे, तो उपरोक्त उल्लिखित स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता में, 50 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त किये हों;	8-उप-निरीक्षक के पद पर सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी के पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए।

अभिमानी अर्हताएं

9–अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने :–

मूल नियम	***दि0 03.12.2015 से प्रतिस्थापित**
(1) डीओईएसीसी (डोएफ)/(नाइलिट) सोसायटी से कम्प्यूटर में 'ओ' स्तर का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो; या (2) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो; या (3) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। **टिप्पणी–**उक्तांकित अधिमानी अर्हता के कोई अंक नहीं होंगे, बल्कि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के बराबर अंक प्राप्त करने की दशा में अधिमानी अर्हता के अभ्यर्थियों को अन्तिम चयन सूची में नियम 15(छ) के अधीन वरीयता दी जायेगी।	(1) डीओईएसीसी (डोएक)/ (नाइलिट) सोसायटी से कम्प्यूटर में 'ओ' स्तर का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो; या (2) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो; या (3) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। **टिप्पणी :–**उक्तांकित अधिमानी अर्हता के कोई अंक नहीं होंगे, बल्कि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के बराबर अंक प्राप्त करने की दशा में अधिमानी अर्हता के अभ्यर्थियों को अंतिम चयन सूची में नियम 15 (ङ) के अधीन वरीयता दी जायेगी।

आयु

मूल नियम	***दि0 26.12.2016 से प्रतिस्थापित**
10–सीधी भर्ती के लिये आवश्यक है कि जिस कैलेण्डर वर्ष में सीधी भर्ती की रिक्तियां विज्ञापित	**10**–सीधी भर्ती के लिये आवश्यक है कि जिस कैलेण्डर वर्ष में सीधी भर्ती की रिक्तियां

*उ0प्र0 उ0नि0 और नि0 (ना0पु0)(प्रथम संसोधन) नियमावली 2015, द्वारा दिनांक 03.12.2015 से प्रतिस्थापित
**उ0प्र0 उ0नि0 और नि0 (ना0पु0)(द्वितीय संसोधन) नियमावली 2015, द्वारा दिनांक 26.12.2016 से प्रतिस्थापित

की जायं, उसकी जुलाई के प्रथम दिन अभ्यर्थी ने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न की हो : परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों से सम्बन्धित अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी बोर्ड द्वारा रिक्तियों की अधिसूचना के समय अधिनियम में और लागू सरकारी आदेशों में विनिर्दिष्ट की जायें।	विज्ञापित की जायं, उसकी जुलाई के प्रथम दिन अभ्यर्थी ने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 28 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो : परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों से सम्बन्धित अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी बोर्ड द्वारा रिक्तियों की अधिसूचना के समय अधिनियम में और लागू सरकारी आदेशों में विनिर्दिष्ट की जायें।

चरित्र

11–सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेंगे।

टिप्पणी–संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत् व्यक्ति सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति

12–सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष/महिला अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां/पति जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित होः

परन्तु यह कि सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।

शारीरिक स्वस्थता

13–किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा बोर्ड के परीक्षण में सफल हो जाय।

टिप्पणी–चिकित्सा बोर्ड अभ्यर्थी की यथास्थिति ऊंचाई, उसके सीने और भार के माप के लिए विहित शारीरिक मानक का परीक्षण करेगा और नाक–भी, बो, लेग्स, फ्लैट, फीट, वेरीकोज वेंस, दूर एवं निकट दृष्टि, कलर ब्लाइंडनेस (पूर्ण एवं आंशिक), श्रवण परीक्षण, जिसमें रिनेज परीक्षण, बेब्बर्स परीक्षण और वर्टिगो परीक्षण, वाक दोष आदि समाविष्ट हैं, तथा ऐसी अन्य कमियों, जैसा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाये, का भी परीक्षण करेगा।

भाग–पाँच–भर्ती हेतु प्रक्रिया

रिक्तियों का अवधारण

14–नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना विभागाध्यक्ष को देगा। विभागाध्यक्ष, पुरूष एवं महिला अभ्यर्थियों की रिक्तियों की संख्या अलग-अलग बोर्ड एवं सरकार को सूचित करेगा एवं तदोपरान्त पुरूष एवं महिला अभ्यर्थियों की रिक्तियां बोर्ड द्वारा निम्नलिखित रीति से अलग-अलग अधिसूचित की जायेंगी–

(एक) व्यापक प्रसार वाले दैनिक हिन्दी एवं अंग्रेजी समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी करके;

(दो) कार्यालय के सूचना पट्ट पर नोटिस चस्पा करके या रेडियो/दूरदर्शन और अन्य रोजगार समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन द्वारा;

(तीन) रोजागर कार्यालय को रिक्तियों को अधिसूचित करके; और

(चार) जनसंचार के अन्य माध्यमों द्वारा।

उपनिरीक्षक के पद पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया

मूल नियम	*दि0 03.12.2015 से प्रतिस्थापित
15 (क) आवेदन पत्र (एक) अभ्यर्थी केवल एक आवेदन-पत्र भरेगा। बोर्ड केवल आनलाईन आवेदन-पत्र स्वीकार करेगा। एक से अधिक आवेदन भरने वाले अभ्यर्थी का आवेदन-पत्र बोर्ड द्वारा निरस्त किया जा सकता है। (दो) शैक्षिक अर्हता, आयु, प्रत्येक श्रेणी के परीक्षण, जिसके अन्तर्गत शारीरिक, लिखित, चिकित्सीय आदि परीक्षण भी है, के लिये न्यूनतम अर्हक मानक, विषयवार लिखित परीक्षा के लिये न्यूनतम अर्हक अंक के सम्बन्ध में सूचना का विवरण एवं अन्य महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश, जो समय-समय पर बोर्ड द्वारा अवधारित किया जाय, बोर्ड द्वारा अपनी वेबसाइट पर या किसी अन्य रीति से, जैसा वह आवश्यक समझें, उपलब्ध करायी जायेगी। (तीन) आवेदन-पत्र के लिए आवेदक को पर्याप्त समय देते हुए बोर्ड द्वारा आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जायेंगे, अभ्यर्थी अपनी यथार्थता और पूर्णता के लिए व्यक्तिगत रूप से और अकेले ही उत्तरदायी होगा, यदि किसी अभ्यर्थी का आवेदन-पत्र अपूर्ण, दोषपूर्ण या अयथार्थ सूचना से युक्त है, तो आवेदन-पत्र को निरस्त किया जा सकता है जिसके लिए बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। (चार) आवेदक, अपने समस्त प्रमाण पत्रों और दस्तावेजों को स्वयं प्रमाणित करेगा और उनकी यथार्थता तथा शुद्धता के लिए उत्तरदायी होगा। (पाँच) आवेदन-पत्र में पहचान विवरण यथा विशिष्ट पहचान पत्र संख्या, अंगूठा एवं अंगुली के निशान, फोटोग्राफ या बायोमैट्रिक्स भी समुचित रीति से इस प्रकार समाविष्ट होंगे जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर विहित अवधारित किया जाये। (छः) विभागाध्यक्ष, बोर्ड से विचार-विमर्श कर, किसी भर्ती के लिए आवेदन शुल्क नियत कर सकता है। (सात) अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत की गयी किसी पूर्ववर्ती या पश्चातवर्ती सूचना में किसी अपूर्णता या अयथार्थता या परिवर्तन या असंगति के लिए बोर्ड को किसी आवेदक का अभ्यर्थन सरसरी तौर पर अस्वीकार करने का अधिकार होगा। (आठ) सरकार प्रथम परीक्षा के पूर्व किसी भी समय किसी भर्ती के लिये रिक्तियों की संख्या परिवर्तित	**15 (क) आवेदन पत्र एवं बुलावा पत्र** अभ्यर्थी केवल एक आवेदन-पत्र भरेगा। बोर्ड केवल आनलाईन आवेदन-पत्र स्वीकार करेगा। एक से अधिक आवेदन भरने वाले अभ्यर्थी का आवेदन-पत्र बोर्ड द्वारा निरस्त किया जा सकता है। विभागाध्यक्ष बोर्ड से विचार-विमर्श कर किसी भर्ती के लिए आवेदन शुल्क नियत करेंगे। आवेदन-पत्र भरने एवं बुलावा पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में विस्तृत प्रक्रिया बोर्ड द्वारा निर्धारित की जायेगी एवं इसे अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा। सरकार प्रथम परीक्षा के पूर्व किसी भी समय किसी भर्ती के लिए रिक्तियों की संख्या परिवर्तित कर सकती है और किसी भर्ती को किसी भी समय या भर्ती के किसी स्तर पर बिना कोई कारण बताये निरस्त कर सकती है।

*उ0प्र0 उ0नि0 और नि0 (ना0पु0)(प्रथम संसोधन) नियमावली 2015, द्वारा दिनांक 03.12.2015 से प्रतिस्थापित

<table>
<tr><td>कर सकती है और किसी भर्ती को किसी भी समय या भर्ती के किसी स्तर पर बिना कोई कारण बताये निरस्त कर सकती है।</td><td></td></tr>
<tr><td>(ख) बुलावा पत्र
परीक्षा के कम-से-कम सात दिन पूर्व बोर्ड द्वारा अपनी वेबसाइट पर बुलावा पत्र अपलोड किया जाएगा, जिसे अभ्यर्थी डाऊनलोड करेगा और इसे पश्चातवर्ती परीक्षा के लिये लायेगा।</td><td>(ख) लिखित परीक्षा
ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन सही पाये जाते हैं उनसे 400 अंकों की लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। इस लिखित परीक्षा में, बोर्ड द्वारा वस्तुनिष्ठ प्रकार का, चार अलग-अलग निम्न विषयों का एक प्रश्न पत्र रखा जाएगा :—
<table>
<tr><th colspan="2">विषय</th><th>अधिकतम अंक</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>सामान्य हिन्दी</td><td>100 अंक (वस्तुनिष्ठ प्रकार)</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>मूलविधि/संविधान/ सामान्य ज्ञान</td><td>100 अंक (वस्तुनिष्ठ प्रकार)</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा</td><td>100 अंक (वस्तुनिष्ठ प्रकार)</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>मानसिक अभिरूचि परीक्षा/बुद्धिलब्धि परीक्षा/तार्किक परीक्षा</td><td>100 अंक (वस्तुनिष्ठ प्रकार)</td></tr>
</table>
उपरोक्त प्रत्येक विषय में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। परीक्षा के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम बोर्ड द्वारा निर्धारित कर अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा। बोर्ड लिखित परीक्षा एक ही तिथि को एक पाली अथवा एक से अधिक पाली अथवा एक से अधिक तिथियों में विभिन्न प्रश्न-पत्र के साथ विभिन्न पालियों में आयोजित कराये जाने हेतु अपने स्तर से निर्णय लेगा। लिखित परीक्षा कराये जाने की विस्तृत प्रक्रिया बोर्ड द्वारा निर्धारित कर अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी।</td></tr>
<tr><td>(ग) अभिलेखों की संवीक्षा एवं चिकित्सीय परीक्षा
ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन सही पाये जाते हैं, से अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में</td><td>(ग) अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा
खण्ड (ख) के अधीन लिखित परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों से</td></tr>
</table>

सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। यह परीक्षा परिशिष्ट–1 के अनुसार की जाएगी। संवीक्षा के दौरान या संवीक्षा के पश्चात किसी भी समय किसी भी अभिलेख को छलसाधित, गलत या कूटरचित पाये जाने की दशा में आवेदक का अभ्यर्थन यथास्थिति, बोर्ड अथवा नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक के अनुसार निरस्त कर दिया जायेगा।	अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। श्रेष्ठता के आधार पर इस परीक्षा में बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या, बोर्ड द्वारा कुल रिक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, अपने स्तर से निर्धारित की जायेगी। अभ्यर्थियों के इस परीक्षा हेतु शारीरिक मापदण्ड निम्न होंगे :– 1–पुरूष अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है :– **(क) ऊँचाई :** (एक) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के पुरूष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 168 सेंटीमीटर है। (दो) अनुसूचित जनजाति के पुरूष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 160 सेंटीमीटर है। **(ख) सीना :** सामान्य सीना/पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जातियों के संबंधित अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम सीने का माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम-से-कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर एवं अनुसूचित जनजातियों के संबंधित अभ्यर्थियों के लिये 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और फुलाने पर 82 सेंटीमीटर से कम नहीं होगा। **टिप्पणी :–**न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। 2–महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है :– **(क) ऊँचाई :** (एक) सामान्य/अन्य पिछड़े तथा अनुसूचित जाति की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 152 सेंटीमीटर है। (दो) अनुसूचित जनजाति की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 147 सेंटीमीटर है। **(ख) वजन :** महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम।

	इस परीक्षा को कराये जाने हेतु बोर्ड द्वारा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित किसी डिप्टी कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जायेगा जिसमें जनपद के पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित पुलिस उपाधीक्षक सदस्य होंगे। यदि बोर्ड द्वारा अपेक्षा की जाती है तो समिति के अन्य सदस्य को जिला मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित किये जायेंगे। इस परीक्षा को कराये जाने की प्रक्रिया बोर्ड द्वारा निर्धारित कर अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी। कोई अभ्यर्थी जो अपनी शारीरिक मानक परीक्षा से असंतुष्ट हो, ठीक परीक्षण के उपरान्त उसी दिन आपत्ति दाखिल कर सकता है। ऐसे समस्त प्रकरणों की आपत्ति के निस्तारण के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा प्रत्येक स्थान पर एक अपर पुलिस अधीक्षक को नामित किया जायेगा एवं ऐसे सभी अभ्यर्थियों का शारीरिक मानक परीक्षण, दल द्वारा उपरोक्त नामित अपर पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में पुनः कराया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी जो पुनः कराये गये शारीरिक मानक परीक्षण में असफल पाये जाते हैं, उन्हें भर्ती हेतु अनुपयुक्त घोषित किया जायेगा एवं तदोपरान्त किसी प्रकार की अपील स्वीकार नहीं की जायेगी।
(घ) शारीरिक दक्षता परीक्षा– खण्ड ''ग'' के अनुसार अभिलेखों की संवीक्षा एवं चिकित्सीय परीक्षा में सफल पाये गये अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी जो अर्हकारी प्रकृति की होगी। बोर्ड अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा, उनके अभिलेखों की संवीक्षा एवं चिकित्सीय परीक्षा के दिनांक से यथासंभव अगले कार्य दिवस में करायेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के आयोजन की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी परिशिष्ट–2 में विहित की गयी है।	**(घ) शारीरिक दक्षता परीक्षा–** खण्ड (ग) के अनुसार अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में सफल पाये गये अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी जो अर्हकारी प्रकृति की होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होने के लिए पुरूष अभ्यर्थी को 4.8 किमी की दौड़ 28 मिनट में और महिला अभ्यर्थी को 2.4 किमी की दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी आवश्यक होगी। जो अभ्यर्थी नियत समय के लिए पात्र नहीं होंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षा के आयोजन की प्रक्रिया बोर्ड द्वारा निर्धारित कर अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी। इस

<table>
<tr>
<td></td>
<td>परीक्षा को कराये जाने हेतु बोर्ड द्वारा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित किसी डिप्टी कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जायेगा जिसमें जनपद के पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित पुलिस उपाधीक्षक सदस्य होंगे। यदि बोर्ड द्वारा अपेक्षा की जाती है, तो समिति के अन्य सदस्य जिला मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित किये जायेंगे।</td>
</tr>
<tr>
<td>(ङ)लिखित परीक्षा–
खण्ड (घ) के अधीन शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों से लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी, जो निम्नलिखित विषयों में 400 अंकों की होगी :–
<table>
<tr><th></th><th>विषय</th><th>अधिकतम अंक</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>सामान्य हिन्दी</td><td>100 अंक (वस्तुनिष्ठ प्रकार)</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>मूलविधि/संविधान/ सामान्य ज्ञान</td><td>100 अंक (वस्तुनिष्ठ प्रकार)</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा</td><td>100 अंक (वस्तुनिष्ठ प्रकार)</td></tr>
<tr><td></td><td>4. मानसिक अभिरूचि परीक्षा/बुद्धिलब्धि परीक्षा/तार्किक परीक्षा</td><td>100 अंक (वस्तुनिष्ठ प्रकार)</td></tr>
</table>
</td>
<td>(ङ) चयन तथा अंतिम श्रेष्ठता सूची–
खण्ड (घ) के अधीन शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल पाये गये अभ्यर्थियों में से उनके द्वारा खण्ड (ख) के अधीन लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आरक्षण नीति के दृष्टिगत, बोर्ड रिक्तियों के सापेक्ष प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता के क्रम के अनुसार चयन सूची तैयार करेगा और उसे संस्तुति सहित चिकित्सा परीक्षा/चरित्र सत्यापन के अधीन विभागाध्यक्ष को प्रेषित करेगा। बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जायेगी। बोर्ड द्वारा प्रत्येक अभ्यर्थियों की सूची अपनी वेबसाइट पर अपलोड की जायेगी। विभागाध्यक्ष बोर्ड द्वारा प्रेषित सूची को अनुमोदनोपरान्त अग्रतर कार्यवाही हेतु नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।</td>
</tr>
<tr>
<td>टिप्पणी :–परीक्षा के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जायेगा। लिखित परीक्षा के संचालन की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जैसी परिशिष्ट–3 में विहित है। प्रत्येक विषय में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे।</td>
<td>टिप्पणी :–यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं, तो श्रेष्ठता सूची का विनिश्चय निम्नलिखित आदेश में दी गयी प्रक्रियानुसार किया जायेगा :–
(1) यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान हो तो, ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जायेगी जो अधिमानी अर्हता (नियम–9 में यथा उल्लिखित क्रम के अनुसार), यदि कोई हो, रखते हो। एक से अधिक अधिमानी अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी को केवल एक ही अधिमानी अर्हता का</td>
</tr>
</table>

	लाभ प्राप्त होगा। (2) उपर्युक्त के होते हुए भी यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान हो, तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जायेगी। (3) यदि उपरिलिखित के बावजूद भी एक से अधिक अभ्यर्थी समान हो, तो ऐसे अभ्यर्थियों की वरीयता, उनके हाईस्कूल प्रमाण-पत्र में यथा उल्लिखित नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार, निर्धारित की जायेगी।
(च) चयन तथा अंतिम श्रेष्ठता सूची– खण्ड (ड) के अधीन लिखित परीक्षा में सफल पाये गये अभ्यर्थियों में से उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर आरक्षण नीति के दृष्टिगत, बोर्ड रिक्तियों के सापेक्ष प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों की चयन सूची तैयार करेगा और उसे संस्तुति सहित चिकित्सा परीक्षा/चरित्र सत्यापन के अधीन विभागाध्यक्ष को प्रेषित करेगा। बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जायेगी। बोर्ड द्वारा प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के साथ समस्त अभ्यर्थियों की सूची अपनी वेबसाइट पर अपलोड की जायेगी। विभागाध्यक्ष बोर्ड द्वारा प्रेषित सूची को अनुमोदनोपरान्त अग्रतर कार्यवाही हेतु नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा। **टिप्पणी :–**यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी बराबर-बराबर अंक प्राप्त करते हैं, तो श्रेष्ठता सूची का विनिश्चय निम्नलिखित आदेश में दी गयी प्रक्रियानुसार किया जायेगा :– (1) यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान हो तो, ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जायेगी जो अधिमानी अर्हता (उपर्युक्त नियम–9 में उल्लिखित क्रम के अनुसार), यदि कोई हो, रखते हो। एक से अधिक अधिमानी अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी को केवल एक ही अधिमानी अर्हता का लाभ प्राप्त होगा। (2) उपर्युक्त के होते हुए भी यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान हो, तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जायेगी। (3) यदि उपरिलिखित के बावजूद भी एक से अधिक अभ्यर्थी समान हो, तो ऐसे अभ्यर्थियों की वरीयता, उनके हाईस्कूल प्रमाण पत्र में यथा उल्लिखित नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार, निर्धारित की जायेगी। **(छ) चिकित्सा परीक्षण** खण्ड (च) के अनुसार प्रेषित सूची में स्थान रखने	**(च) चिकित्सा परीक्षण** खण्ड (ड) के अनुसार चयन सूची में स्थान रखने वाले अभ्यर्थियों से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा परीक्षण में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। चिकित्सा परीक्षा हेतु संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सा परिषद का गठन किया जायेगा जिसमें 03 चिकित्सक रखे जायेंगे जो महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य के परामर्श द्वारा विहित और कोड किये गये ''पुलिस भर्ती चिकित्सा परीक्षा प्रपत्र'' के अनुसार अभ्यर्थियों का चिकित्सा परीक्षण करेगा। जो अभ्यर्थी अपनी चिकित्सा परीक्षा से असंतुष्ट हो, वह ठीक परीक्षा के दिन इस सम्बन्ध में अपील फाइल कर सकते हैं। अभ्यर्थी अपने चिकित्सा परीक्षा और उसके परिणाम की घोषणा के दिनांक के बाद किसी दिन अपील करता है तो उसकी किसी अपील पर विचार नहीं किया जायेगा। अपील की सुनवाई हेतु गठित मण्डलीय चिकित्सा परिषद में संबंधित चिकित्सा दोष का विशेषज्ञ होना आवश्यक होगा। चिकित्सा परीक्षा कराये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश पुलिस महानिदेशक द्वारा जारी किये जायेंगे। चिकित्सा परीक्षण में असफल पाये गये अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और ऐसी रिक्तियों को अग्रेतर चयन के लिए आगे ले जाया जाएगा।

वाले अभ्यर्थियों से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। चिकित्सा परीक्षण संबंधित जिले की पुलिस लाइन अथवा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किये गये स्थान पर किया जाएगा। चिकित्सा परीक्षण परिशिष्ट–4 के अनुसार संचालित होगी। चिकित्सा परीक्षण में असफल पाये गये अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और ऐसी रिक्तियों को अग्रेतर चयन के लिए आगे ले जाया जाएगा।	

चरित्र सत्यापन **16**–नियुक्ति पत्र जारी किये जाने से पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन, अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण पर भेजे जाने के पहले, चरित्र सत्यापन का कार्य पूर्ण कराया जायेगा। सामान्यतयाः चरित्र का सत्यापन एक माह के भीतर पूर्ण कर लिया जायेगा। किसी अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन के दौरान कोई प्रतिकूल तथ्य सामने आने पर, उसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित किया जायेगा और ऐसी रिक्तियों को अग्रतर चयन के लिए आगे ले जाया जायेगा।

प्रोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया **17**–(1) उपनिरीक्षक के पद पर पदोन्नति :–

उपनिरीक्षक के पद पर नियुक्ति, मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस के रूप में मौलिक रूप से नियुक्त किये गये पात्र कर्मियों में से निम्नलिखित रीति में की जायेगी :–

मूल नियम	***दि0 03.12.2015से प्रतिस्थापित**	****दि0 26.12.2016से प्रतिस्थापित**
(क) उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के स्वीकृत पदों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत पद अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से, परिशिष्ट–5 के अनुसार अर्हकारी शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल पाये गये, मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे मुख्य आरक्षियों में से भरे जायेंगे जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।	(क) उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के स्वीकृत पदों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत पद अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से, इस नियमावली से संलग्न परिशिष्ट के अनुसार अर्हकारी शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल पाये गये, मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे मुख्य आरक्षियों में से भरे जायेंगे जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।	(क) पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के पदों की कुल संख्या के दो–तिहाई पद अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से, इस नियमावली से संलग्न परिशिष्ट के अनुसार अर्हकारी शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल पाये गये, मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे मुख्य आरक्षियों में से भरे जायेंगे जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो और उप निरीक्षक सिविल पुलिस के शेष एक तिहाई पद बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से नियम–5 के उप नियम (1) के खण्ड (दो) में यथा प्रदत्त पात्रता मान दण्ड पूरा करने वाले आरक्षी पुलिस अथवा मुख्य आरक्षी पुलिस में से विभागीय परीक्षा के आधार पर निम्नलिखित रीति से भरे जायेगें :– **(एक) लिखित परीक्षा** –पुलिस मुख्यालय के नियम–5 के उप नियम–1 के खण्ड(2) में यथा प्रदत्त पात्रता मानदण्ड पूरा करने वाले आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी पुलिस के लिये आवेदन आमंत्रित करेगा और उपरोक्त पात्रता हेतु आवेदन की संविक्षा करने के पश्चात समस्त पात्र आरक्षी पुलिस एव मुख्य आरक्षी पुलिस की सूची बोर्ड को अग्रसारित की जायेगी। बोर्ड सर्वप्रथम उनकी लिखित परीक्षा आयोजित करेगा । ये लिखित परीक्षायें वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। लिखित परीक्षा आयोजित करने की विस्तृत प्रक्रिया बोर्ड द्वारा अवधारित की जायेगी और उससे इसके बेवसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी। लिखित परीक्षा का पाठयक्रम

		पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा अवधारित किया जायेगा और बोर्ड इस पाठयक्रम को अपनी बेवसाइट पर प्रदर्शित करेगा। लिखित परीक्षा 200 अंकों की होगी और लिखित परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी पदोन्नति के लिये पात्र नहीं होगें। **(दो)शारीरिक दक्षता परीक्षा**—उप नियम (1) में निर्दिष्ट लिखित परीक्षा में सफल पाये गये अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जायेगी कि वे अर्ह कारी प्रकृति की शारीरिक दक्षता में सम्मिलित हो। इस हेतु पुरूष अभ्यर्थियों को 2.4 किलोमीटर की दौड 20 मिनट में तथा महिला अभ्यर्थियों 1.2 किलोमीटर की दौड 11 मिनट में पूरा करना होगा। जो अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार दौड को निर्धारित समय में पूरा करने में विफल रहते है वे प्रोन्नति हेतु पात्र नहीं होगें। **(तीन) सेवा अभिलेख**—शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल पाये गये अभ्यर्थियों को बोर्ड द्वारा गठित की गयी चयन समिति द्वारा सेवा अभिलेखों के आधार पर अंक प्रदान किया जायेगा :— **(क)** सेवा अभिलेखों के आधार पर अधिकतम 70 अंक नियमानुसार प्रदान किये जायेगें :— (क) सेवा अवधि— 30 अंक (ख) वार्षिक अभ्युक्ति— 30 अंक (ग) पदक इत्यादि— 10 अंक **(ख)** सेवा अभिलेखों के विभिन्न मदों के आधार पर अंक आवंटन के निम्नलिखित मानदण्ड होंगे :— क—सेवा अवधि के लिये अंक—**अधिकतम 30 अंक**—(आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी के रूप में पूर्ण की गयी प्रत्येक 01 वर्ष की सेवा के लिये 02 अंक) टिप्पणीः— 15 वर्ष से कम की सेवा अवधि के लिये पूर्ण किये गये प्रत्येक वर्ष के लिये 02 अंक और अपूर्ण किये गये वर्ष के लिये पूर्ण किये गये प्रत्येक 03 माह के लिये 0.5 अंक प्रदान किये जायेगें। इस प्रकार पूर्ण किये गये प्रथम तीन माह के पश्चात 0.5 अंक और 06 माह पूरा करने के पश्चात 1 अंक एवं 09 माह पूरा करने के पश्चात 1.5 अंक प्रदान किये जायेगें। तिमाही पूर्ण करने के पश्चात आने वाले माह/दिनों के लिये कोई अंक नहीं प्रदान किये जायेगें। प्रत्येक कर्मचारी की सेवा अविध की गणना पुलिस विभाग में आरक्षी के पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने के दिनांक से की जायेगी। **ख—वार्षिक अभ्युक्तियों के लिये अंक—** विगत 15 वर्ष के सेवा अवधारण के लिये अधिकतम 30 अंक निम्नानुसार प्रदान किये जायेगें :— 1—प्रत्येक आउट स्टेंडिंग/उत्कृट /सर्वोच्च या सर्वोत्कृष्ट के लिये — 2.0 अंक 2—प्रत्येक वेरीगुड/अति उत्तम/एक्सीलेंट के लिये— 1.5 अंक 3—प्रत्येक गुड /उत्तम/बहुत अच्छा के लिये—1.0 अंक 4—प्रत्येक संतोषजनक/अच्छा अथवा औसत या एवरेज के लिये —0.5 अंक **टिप्पणी**—जहॉ वार्षिक अभ्युक्ति उपर दर्शायी गयी विहित श्रेणीकरण में न लिखी गयी हो या कोई श्रेणीकरण न प्रदान किया गया हो वहॉ चयन समिति सम्पूर्ण प्रविष्टि का परीक्षण करेगी और

		उसका निर्धारण करने के पश्चात तदनुसार अंक प्रदान किये जायेगें। **ग—पदक इत्यादि अधिकतम 10 अंक** 1—भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा पुलिस पदक/वीरता पदक के लिये — 05 अंक 2—उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल एवं मा0 मुख्यमंत्री द्वारा पुलिस पदक/वीरता पदक के लिये — 03 अंक 3—उत्कृष्ट सेवा सम्मान चिन्ह/सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह/पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 का प्रशंसा चिन्ह — 02 अंक **घ—ऋणात्मक अंक अधिकतम 10 अंक** (क) यथा संशोधित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली 1991 के नियम 14(2) के अधीन लघु दण्ड– प्रत्येक लघु दण्ड के लिये 0.5 अंक घटाये जायेगें। (ख) यथा संशोधित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली 1991 के नियम 14(2) के अधीन छुद्र दण्ड– प्रत्येक छुद्र दण्ड के लिये 1.0 अंक घटाये जायेगा। **(चार) योग्यता सूची** —बोर्ड सफल अभ्यर्थियों की उनके द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों और सेवाभिलेखों के आधार पर प्राप्त अंकों के योग के आधार पर योग्यता सूची तैयार करेगा। यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करं तो उनकी योग्यता निम्नानुसार अवधारित की जायेगी :— (क) यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान हो तो मुख्य आरक्षी पुलिस को अधिमान प्रदान किया जायेगा।

(ख) खण्ड (क) के अधीन उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के पदों पर पदोन्नति के लिए उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के निःसंवर्गीय पदों पर पदोन्नति ऐसे मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस भी पात्र होंगे जो अर्हताओं को पूरा करते हों।

(2) निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति :—

निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर नियुक्ति, उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के रूप में मौलिक रूप से नियुक्त किये गये पात्र कर्मियों में से पदोन्नति द्वारा निम्नलिखित रीति में की जायेगी :—

मूल नियम	*दि0 26.12.2016से प्रतिस्थापित
(क) निरीक्षक नागरिक पुलिस के स्वीकृत पदों की कुल संख्या के 100 प्रतिशत पद अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त किये गये ऐसे उप निरीक्षक नागरिक पुलिस में से भरे जायेंगे जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए इस रूप में सात वर्ष की	(क) निरीक्षक नागरिक पुलिस के कुल संख्या के पदों के दो तिहाई पद अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से, ऐसे उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस में से भरे जायेगें, जिन्होनें भर्ती के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए इस रूप में सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। (क—1) पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले निरीक्षक नागरिक पुलिस के पदों में से शेष एक तिहाई पद बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से नियम—5 के उप नियम (2) के खण्ड(क) में यथा प्रदत्त पात्रता मानदण्ड पूरा करने वाले उप निरीक्षक नागरिक पुलिस में से विभागीय परीक्षा के आधार पर निम्न

सेवा पूरी कर ली हो।	रीति से भरे जायेगें :– **(1)लिखित परीक्षा –** पुलिस मुख्यालय नियम–5 के उप नियम (2) के खण्ड–(क) में यथा प्रदत्त पात्रता मानदण्ड पूरा करने वाले उप निरीक्षक ना0पु0 को आवेदन करने हेतु आमंत्रित करेगा और पात्रता हेतु उक्त आवेदनों की संनिरीक्षा करने के पश्चात समस्त पात्र उप निरीक्षक ना0पु0 की सूची बोर्ड को अग्रसारित की जायेगी। बोर्ड सर्वप्रथम उनकी लिखित परीक्षा आयोजित करेगा। यह लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। लिखित परीक्षा आयोजित करने की विस्तृत प्रक्रिया का विनिश्चय बोर्ड द्वारा किया जायेगा और अपनी बेवसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा। बोर्ड इस लिखित परीक्षा के पाठयक्रम को पुलिस महानिदेशक के अनुमोदनोपरान्त अपनी बेवसाइट पर प्रदर्शित करेगा। लिखित परीक्षा 200 अंकों की होगी और लिखित परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी पदोन्नति के पात्र नहीं होगें। **(2)शारीरिक दक्षता परीक्षा**–लिखित परीक्षा में सफल पाये गये अभ्यर्थियों से अर्हकारी प्रकृति की शारीरिक दक्षता में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। इस हेतु पुरूष अभ्यर्थियों से 2,4 किलोमीटर की दौड 22 मिनट में तथा महिला अभ्यर्थियों से 1.2 किलोमीटर की दौड 12 मिनट में पूरा करने की अपेक्षा की जायेगी। जो अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार दौड को निर्धारित समय में पूरा करने में विफल रहते है वे पदोन्नति हेतु पात्र नहीं होगें। **(3)सेवाभिलेख –** शारीरिक दक्षता में सफल पाये गये अभ्यर्थियों को बोर्ड द्वारा गठित की गयी चयन समिति द्वारा सेवाभिलेखों के आधार पर निम्नानुसार अंक प्रदान किये जायेंगे :– **(एक)**सेवा अभिलेखों के आधार पर अधिकतम 70 अंक निम्नलिखित रीति से प्रदान किये जायेगें :– (क)सेवा अवधि –30 अंक (ख)वार्षिक अभ्युक्ति –30 अंक (ग)पदक इत्यादि –10 अंक (**दो**)–सेवा अभिलेख के विभिन्न मदों के आधारपर अंक आवंटन के मापदण्ड **(एक) सेवा अवधि के लिये अंक**–अधिकतम 30 अंक (उप निरीक्षक ना0पु0 के रूप में पूर्ण की प्रत्येक एक वर्ष की सेवा के लिये 02 अंक) टिप्पणी – 15 वर्ष से कम अवधि के सेवा के लिये पूर्ण किये गये प्रत्येक वर्ष के लिये 02 अंक और अपूर्ण वर्ष के लिये पूर्ण किये गये प्रत्येक तीन माह के लिये 0.5 अंक प्रदान किये जायेंगे। इस प्रकार प्रत्येक 03 माह पूरा करने के पश्चात 0.5 अंक , 06 माह पूरा करने के पश्चात 01 अंक तथा 09 माह पूरा करने के पश्चात 1.5 अंक प्रदान किये जायेगें। तिमाही पूरा करने के पश्चात आने वाले माह और दिनों के लिये कोई अंक नहीं प्रदान किये जायेंगे। प्रत्येक कर्मचारी की सेवा अवधि की गणना उसके पुलिस विभाग में उप निरीक्षक ना0पु0 के पद पर कार्य ग्रहण किये जाने के दिनांक से की जायेगी।

(दो)वार्षिक अभ्युक्ति के लिये अंक–विगत 15 वर्षो की सेवा के अवधारण के लिये अधिकतम 30 अंक निम्नानुसार प्रदान किये जायेगें :–

1.प्रत्येक आउटस्टेडिंग / उत्कृष्ट / सर्वोच्च / सर्वोत्कृष्ट	2.0 अंक
2.प्रत्येक वेरीगुड / अति उत्तम / एक्सीलेंट	1.5 अंक
3.प्रत्येक गड / उत्तम / बहुत अच्छा	1.0 अंक
4.प्रत्येक संतोषजनक /अच्छा / औसत या एवरेज	0.5 अंक

टिप्पणीः– जहॉ ए पर दर्शायी गयी विहित श्रेणीकरण में वार्षिक अभ्युक्ति न लिखी गयी हो या कोई श्रेणीकरण न प्रदान किया गया हो वहॉ सम्पूर्ण प्रविष्टि का परीक्षण चयन समिति द्वारा किया जायेगा। इसका निर्धारण करने के पश्चात तदनुसार अंक प्रदान किये जायेगें।

(3)पदक इत्यादि–अधिकतम 10 अंक–

1–भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा पुलिस पदक / वीरता पदक – 05 अंक

2–उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल एवं मा0 मुख्यमंत्री द्वारा पुलिस पदक / वीरता पदक– 03 अंक

3–उत्कृष्ट सेवा सम्मान चिन्ह / सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह / पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रशंसा चिन्ह – 02 अंक

(4)ऋणात्मक अंक–

(एक) यथासंशोधित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली–1991 के नियम–14(2) के अधीन लघु दण्ड – प्रत्येक लघु दण्ड के लिये 05 अंक घटाये जायेगें।

(4) योग्यता सूची – बोर्ड सफल अभ्यर्थियों की उनके द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों और उनके सेवाभिलेखों के आधारपर प्राप्त अंकों के योग के आधार पर योग्यता सूची तैयार करेगा। यदि दो या दो से अधिक उप निरीक्षकों के अंक समान हो तो उनकी योग्यता विनिश्य उप निरीक्षक पद पर उनकी पृथक–पृथक ज्येष्ठता के आधार पर किया जायेगा। बोर्ड रिक्तियों की संख्या के अनुसार योग्यताक्रम में चयन सूची तैयार करेगा और इसे विभागाध्यक्ष को प्रेषित करेगा। बोर्ड इसं संबंध में कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं करेगा। विभागाध्यक्ष के अनुमोदन के पश्चात यह चयन सूची बेवसाइट पर प्र्दशित की जायेगा।

(ख) खण्ड (क) के अधीन निरीक्षक नागरिक पुलिस के पदों पर पदोन्नति के लिए निरीक्षक नागरिक पुलिस के निःसंवर्गीय पदों पर पदोन्नत ऐसे उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस भी पात्र होंगे जो अर्हताओं को पूरा करते हों।

(3) पदोन्नति हेतु चयन समिति :–

(क) पदोन्नति हेतु चयन समिति बोर्ड द्वारा गठित की जायेगी।

(ख) समिति का अध्यक्ष बोर्ड द्वारा नामित होगा तथा जिस पद पर प्रोन्नति के लिये चयन समिति गठित हुई है उस पद के नियुक्ति प्राधिकारी से कनिष्ठ नहीं होगा। समिति में उपयुक्त स्तर का एक सदस्य विभागाध्यक्ष द्वारा नामित किया जायेगा और समिति के शेष सदस्य तत्समय प्रवृत्त शासनादेशों के अनुसार बोर्ड द्वारा नामित किये जायेंगे।

(ग) पदोन्नति हेतु निर्विवाद ज्येष्ठता सूची पुलिस मुख्यालय द्वारा बोर्ड को उपलब्ध करायी जायेगी।

(घ) चयन समिति सफल अभ्यर्थियों का परिणाम अपनी संस्तुति सहित बोर्ड को प्रस्तुत करेगा। बोर्ड चयनित अभ्यर्थियों की सूची अपनी संस्तुति सहित विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा। सूची विज्ञापित रिक्तियों से अधिक की नहीं होगी।

(ङ) विभागाध्यक्ष अपने अनुमोदन के उपरान्त सूची को नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेंगे जो प्रोन्नति हेतु अंतिम आदेश निर्गत करेगा।

(च) प्रोन्नति हेतु चयनित अभ्यर्थियों की अंतिम सूची विभागाध्यक्ष के अनुमोदनोपरान्त बोर्ड द्वारा अपनी वेबसाइट तथा उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट (Website) पर प्रदर्शित की जायेगी।

भाग-छः
प्रशिक्षण, नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

18–(1)

मूल नियम	*दि0 03.12.2015 से प्रतिस्थापित
18-1-नियम 15 एवं नियम 16 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थियों के नामों को उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे नियम 15 के खण्ड (च) के अधीन तैयार की गयी सूची में हो, नियुक्त करेगा। नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों को इस निर्देश के साथ नियुक्ति पत्र जारी करेगा कि वे पत्र के जारी किये जाने के दिनांक से या नियुक्ति पत्र में इस प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट किसी दिनांक से एक माह के भीतर सेवा/प्रशिक्षण के लिये उपस्थित हों। किसी अभ्यर्थी द्वारा ऐसा न करने पर उनके चयन/नियुक्ति को निरस्त कर दिया जायेगा : परन्तु यह कि इस नियमावली के प्रारम्भ के पूर्व से सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त और कार्यरत किसी व्यक्ति को इस नियमावली के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त किया गया समझा जायेगा।	18 (1)–नियम–15 एवं नियम–16 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थियों के नामों को उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे नियम–15 के खण्ड (ङ) के अधीन तैयार की गयी सूची में हो, नियुक्त करेगा। नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों को इस निर्देश के साथ नियुक्ति पत्र जारी करेगा कि वे पत्र के जारी किये जाने के दिनांक से या नियुक्ति पत्र में इस प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट किसी दिनांक से एक माह के भीतर सेवा/प्रशिक्षण के लिये उपस्थित हों। किसी अभ्यर्थी द्वारा ऐसा न करने पर उनके चयन/नियुक्ति को निरस्त कर दिया जायेगा : परन्तु यह कि इस नियमावली के प्रारम्भ के पूर्व से सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त और कार्यरत किसी व्यक्ति को इस नियमावली के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त किया गया समझा जायेगा।

(2) नियम 17 के अन्तर्गत यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्तियों के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें, तो एक संयुक्त सम्मिलित आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा जैसी यथास्थिति चयन में अवधारित की जाये या जैसी कि उस संवर्ग में हो जिससे उन्हें पदोन्नत किया जायः

परन्तु इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व सेवा में किसी पद पर नियुक्त और उक्त पद पर कार्यरत किसी व्यक्ति को इस नियमावली के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त हुआ समझा जायेगा और ऐसी मौलिक नियुक्ति को इस नियमावली के अधीन की गयी नियुक्ति समझी जायेगी।

19–(1) (क) उपनिरीक्षक के पद पर नियम–15 और 16 के अधीन अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों से विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किये गये प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जायेगी। बेसिक प्रशिक्षण की अवधि में कैडेटों पर पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज मैनुअल में निहित प्रावधान प्रभावी होंगे। बेसिक प्रशिक्षण हेतु अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी द्वारा यदि निर्धारित समय सीमा के अन्दर अपना योगदान प्रशिक्षण हेतु नहीं देता है तो उसका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(ख) बेसिक प्रशिक्षण में असफल हुए कैडेटों को पूरक प्रशिक्षण कराकर पुनः परीक्षा का आयोजन विभागाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा। पूरक प्रशिक्षण के पश्चात प्रशिक्षण परीक्षा में असफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उनकी सेवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

मूलनियम	***दिनांक 26.12.2016 से प्रतिस्थापित**
(2) नियम–17 के अधीन पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों से विभागाध्यक्ष द्वारा विहित प्रशिक्षण पूर्ण करने की अपेक्षा की जायेगी।	(2) नियम–17 के अधीन ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों से विभागाध्यक्ष द्वारा विहित प्रशिक्षण पूर्ण करने की अपेक्षा की जायेगी। ख–नियम 17 के अधीन विभागीय परीक्षा पर पदोन्नति हेनु चयनित अभ्यर्थियों से विभागाध्यक्ष द्वारा यथाविहित प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूर्ण करने की अपेक्षा की जाएगी। प्रशिक्षण निदेशालय सफल अभ्यर्थियों की सूची पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध करायेगी। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने के वाले अभ्यर्थियों को पदोन्नति के पद पर नियुक्त किया जायेगा। प्रथम प्रयास में प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थियों को विभागाध्यक्ष के अनुमोदनोपरान्तए पूरक प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। और पुनः उनकी परीक्षा ली जाएगी। पूरक प्रशिक्षण में विफल रहने वाले अभ्यर्थियों को पदोन्नति हेतु अनुपयुक्त घोषित किया जायेगा और उन्हें उनके पूर्व के पद पर भेज दिया जायेगा।

20–(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाएगा।

(2) परिवीक्षा अवधि के दौरान परिवीक्षाधीन व्यक्ति से ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करने की अपेक्षा की जाएगी जैसा कि विभागाध्यक्ष द्वारा विहित किया जायेगा।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जाएंगे अलग-अलग

मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाएगा जब तक अवधि बढ़ाई जायः

परन्तु यह कि आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(4) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी के संतोषानुसार पर्याप्त सुधार नहीं किया है तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(5) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (4) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाये या जिसकी सेवायें समाप्त की जायें किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(6) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

स्थायीकरण

21–(1) नियम 20 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायगा, यदि;

(क) उसके द्वारा विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया हो;

(ख) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक रहा हो; और

(ग) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित की गयी हो।

(2) जहाँ उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है वहाँ उस नियमावली के नियम–5 के उप नियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुए आदेश कि संबंधित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

ज्येष्ठता

22–सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता निम्नानुसार निर्धारित की जायेगी :–

1–दिनांक 2-12-2008 के पूर्व भर्ती उपनिरीक्षक की ज्येष्ठता का निर्धारण

(क) किसी भी प्रकार से भर्ती किये गये ऐसे उपनिरीक्षक जिन्होंने एक साथ प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, की ज्येष्ठता प्रशिक्षण संस्थानों में चयन समिति के पश्चात प्रशिक्षण में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के अनुसार होगी।

(ख) एक प्रशिक्षण पत्र में प्रशिक्षण प्राप्त किये गये समस्त उपनिरीक्षक पूर्ववर्ती प्रशिक्षण सत्र में प्रशिक्षण प्राप्त किये समस्त उपनिरीक्षकों से कनिष्ठ तथा पश्चात्वर्ती प्रशिक्षण सत्र में प्रशिक्षण प्राप्त किये समस्त उपनिरीक्षकों से ज्येष्ठ होंगे। प्रतिबन्ध यह है कि यदि सीधी भर्ती तथा पदोन्नति से नियुक्त उपनिरीक्षक एक ही प्रशिक्षण सत्र में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं तो उस दशा में उनकी ज्येष्ठता जहाँ तक हो सके दोनों स्त्रोतों के लिए विहित कोटा के अनुसार चक्रानुक्रम में (प्रथम स्थान पदोन्नति व्यक्ति का होगा) निर्धारित की जायेगी।

2–दिनांक 2-12-2008 के पश्चात भर्ती उपनिरीक्षक की ज्येष्ठता का अवधारण

(क) किसी भी प्रकार के चयन से नियुक्त किये गये उपनिरीक्षक की वरिष्ठता उनके चयन की तिथि से निर्धारित की जायेगी। यहाँ चयन की तिथि का तात्पर्य भर्ती प्रक्रिया के उपरान्त बोर्ड अथवा चयन समिति द्वारा भेजी गयी चयन सूची को विभागाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किये जाने की तिथि से है।

मूलनियम	*दिनांक 26.12.2016 से प्रतिस्थापित
(ख) बोर्ड द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से भर्ती उपनिरीक्षकों के चयन को एक पृथक चयन माना जायेगा। सीधी भर्ती के अन्तर्गत एक चयन के माध्यम से भर्ती उपनिरीक्षकों की पारस्परिक वरिष्ठता बोर्ड द्वारा निर्गत अंतिम चयन सूची के क्रम के अनुसार होगी।	(ख) बोर्ड द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से उपनिरीक्षकों का चयन एक पृथक चयन माना जायेगा। सीधी भर्ती के अधीन एकल चयन में भर्ती किये गये उपनिरीक्षकों की पारस्परिक ज्येष्ठता बोर्ड द्वारा जारी की गयी अंतिम चयन सूची के क्रम के अनुसार होगी किन्तु यदि किसी वर्ष में उप निरीक्षक ना0पु0 के पदों में होने वाली रिक्तियों के सापेक्ष , महिला एवं पुरूष अभ्यर्थियों के लिये सीधी भर्ती एक साथ की जाती है तो चयनित महिला एवं पुरूष अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता का विनिश्चय एक साथ उनके द्वारा इन चयन प्रक्रियाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जायेगा, भले ही दोनों भर्तियों में चयन का दिनांक अलग–2 हो। इस संबंध में भर्ती प्रक्रियाओं को पूरा करने तथा उनके परिणाम घोषित किये जाने के पश्चात बोर्ड उप निरीक्षक ना0पु0 के पद हेतु चयनित समस्त पुरूष एवं महिला अभ्यर्थियों के उनके द्वारा भर्ती प्रक्रियाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर अलग से संयुक्त योग्यता सूची तैयार करेगा और उसे पुलिस मुख्यालय को प्रेषित करेगा तत्पश्चात पुलिस मुख्यालय इन चयनित महिला एवं पुरूष अभ्यर्थियों की उप निरीक्षक ना0पु0 के पद पर ज्येष्ठता का विनिश्चय संयुक्त ज्येष्ठता सूची के आधार पर एक साथ करेगा।

(ग) मृतक आश्रित श्रेणी के अन्तर्गत भर्ती उपनिरीक्षकों एवं कुशल खिलाड़ियों की नियमावली, 2011 के अन्तर्गत भर्ती उपनिरीक्षकों के चयन को एक सीधी भर्ती का पृथक चयन माना जायेगा। इस प्रकार से भर्ती उपनिरीक्षकों की पारस्परिक वरिष्ठता प्रशिक्षण संस्थानों में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के अनुसार निर्धारित होगी। एक प्रशिक्षण सत्र में एक से अधिक अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण संस्थानों में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के समान होने पर उनकी जन्मतिथि की वरिष्ठता को ही पारस्परिक वरिष्ठता निर्धारण का आधार बनाया जायेगा। अंकों का प्रतिशत एवं जन्मतिथि समान होने पर हाई स्कूल प्रमाण-पत्र में अंकित नामों के अंग्रेजी वर्णमाला के

क्रम के अनुसार वरिष्ठता निर्धारित की जायेगी।

(घ) पदोन्नति के माध्यम से नियुक्त उपनिरीक्षकों को पृथक चयन माना जायेगा। अगर उपनिरीक्षक पद पर पदोन्नति किसी परीक्षा के माध्यम से की गयी हैं तो प्रोन्नति के उपरान्त नियुक्त किये गये उपनिरीक्षकों की पारस्परिक ज्येष्ठता बोर्ड द्वारा निर्गत अंतिम चयन सूची के अनुसार होगी। अगर उपनिरीक्षक पद पर पदोन्नति ज्येष्ठता के आधार पर की जाती है तो वहाँ एक चयन तिथि में नियुक्त किये गये उपनिरीक्षकों की पारस्परिक ज्येष्ठता उनके पोषक संवर्ग में वरिष्ठता के अनुरूप होगी तथा पूर्ववर्ती वर्ष में चयनित उपनिरीक्षक पश्चातवर्ती वर्ष में चयनित उपनिरीक्षकों से ज्येष्ठ होंगे।

3–निरीक्षक नागरिक पुलिस की ज्येष्ठता का अवधारणः

मूलनियम	***दिनांक 26.12.2016 से प्रतिस्थापित**
पदोन्नति के माध्यम से नियुक्त निरीक्षक की ज्येष्ठता उनके चयन की तिथि से निर्धारित की जायेगी। एक चयन तिथि में नियुक्त किये गये निरीक्षकों की पारस्परिक ज्येष्ठता उनके पोषक संवर्ग में वरिष्ठता के अनुरूप होगी तथा पूर्ववर्ती वर्ष में चयनित निरीक्षक पश्चातवर्ती वर्ष में चयनित निरीक्षकों से ज्येष्ठ होंगे। यहाँ चयन की तिथि का तात्पर्य भर्ती प्रक्रिया के उपरान्त बोर्ड अथवा चयन समिति द्वारा भेजी गयी चयन सूची को विभागाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किये जाने की तिथि से है।	पदोन्नति के आधार पर नियुक्त निरीक्षकों की ज्येष्ठता उनके चयन के दिनांक से अवधारित की जायेगी। यहॉ चयन के दिनांक का तात्पर्य उस दिनांक से है जिस दिनांक को भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने के पश्चात बोर्ड द्वारा प्रेषित चयन सूची को विभागाध्यक्ष अनुमोदित करें । यदि निरीक्षक के पद पर पदोन्नति किसी परीक्षा के माध्यम से की गयी हो तो पदोन्नति के पश्चात नियुक्त निरीक्षकों को पारस्परिक ज्येष्ठता बोर्ड द्वारा जारी की गयी अंतिम चयन सूची के अनुसार होगी । यदि निरीक्षक के पद पर पदोन्नति ज्येष्ठता के आधार पर की जाती है तो निरीक्षकों की पारस्परिक ज्येष्ठता उनके पोषक संवर्ग में ज्येष्ठता के आधार पर होगी तथा पूर्ववर्ती वर्ष में चयनित निरीक्षक पश्चातवर्ती वर्ष में चयनित से ज्येष्ठ होगा।

4–विभाग द्वारा किसी विशेष प्रकरण में पूर्व निर्धारित की गयी नीति के अनुसार ज्येष्ठता का निर्धारण यथावत् बना रहेगा।

5–उपरोक्त के होते हुए भी अगर ज्येष्ठता के सम्बन्ध में कोई अन्य तथ्य प्रकाश में आते हैं अथवा कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उसका निवारण विभागाध्यक्ष द्वारा तर्कसंगत नीति के अनुसार किया जायेगा।

भाग–सात–वेतन इत्यादि

वेतनमान

23–(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्ति व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान निम्नानुसार दिये गये हैं :–

क्रम संख्या	**पद का नाम**	**वेतनमान**
1.	उप निरीक्षक	रु. 9300–34800 ग्रेड पे 4200
2.	निरीक्षक	रु. 9300–34800 ग्रेड पे 4600

*उ0प्र0 उ0नि0 और नि0 (ना0पु0)(द्वितीय संसोधन) नियमावली 2015, द्वारा दिनांक 26.12.2016 से प्रतिस्थापित

परिवीक्षा अवधि में वेतन

24–(1) फण्डामेंटल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हों, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, तथा विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो एवं प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया हो और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो :

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन, सुसंगत फण्डामेंटल रूल्स द्वारा विनियमित होगा :

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हों, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग–आठ–अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन

25–किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर चाहे लिखित हों या मौखिक विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन

26–ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली के अन्तर्गत न आते हों, या सेवा में नियुक्त व्यक्ति पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों, विनियमों और आदेशों के अनुसार शासित होंगे।

सेवा की शर्तों में शिथिलता

27–जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में असम्यक कठिनाई होती है, वहाँ वह उस मामले में लागू नियमों में से किसी बात के होते हुये भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

व्यावृत्ति

28–इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचिय जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो

परिशिष्ट–1

मूल नियम	दिनांक 03.12.2015 द्वारा प्रतिस्थापित
(नियम–15ग देखें) **अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण** **अभिलेखों की संवीक्षा** 1–अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता, शिथिलता, अधिमानी अर्हता आदि के सम्बन्ध में सुसंगत दस्तावेजों के साथ बोर्ड द्वारा गठित समिति के समक्ष उनके अभिलेखों की संवीक्षा के लिये बुलाया जायेगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :– (क) जनपद के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई डिप्टी–कलक्टर अध्यक्ष होगा। (ख) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/जनपद के पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई उप पुलिस अधीक्षक। (ग) जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक या बेसिक शिक्षा अधिकारी अथवा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट शिक्षा विभाग का कोई अन्य राजपत्रित अधिकारी। जहाँ विद्यमान शासनादेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक व अन्य किसी श्रेणी जिसका प्रतिनिधित्व उपरोक्त दल में आवश्यक हो, वहाँ उनके प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने हेतु बोर्ड द्वारा सम्बन्धित जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम-निर्दिष्ट अतिरिक्त अधिकारियों को सदस्य के रूप में रखा जायेगा। नामित किये जाने वाले ऐसे अधिकारी पुलिस विभाग में निरीक्षक स्तर से निम्न नहीं होंगे। (2) मूल अभिलेखों का मिलान आवेदन-पत्र में उपलब्ध करायी गयी सूचना से किया जायेगा। (3) अभिलेखों के मिलान के दौरान बोर्ड, किसी प्रकरण को किसी दल द्वारा कोई संशय होने के कारण संदर्भित किये जाने पर अथवा सीधे उनके संज्ञान में लाये जाने पर, अपने स्तर से निर्णय लेकर निर्देश जारी कर सकता है। इस प्रकार बोर्ड द्वारा जारी किये गये निर्देश अंतिम माने जायेंगे। **शारीरिक मानक परीक्षण** शारीरिक मानक परीक्षण कराये जाने हेतु उपरोक्त गठित दल किसी अन्य राजकीय अधिकारी/कर्मचारी की सहायता ले सकता है। 1–पुरूष अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है :– **(क) ऊँचाई :** (एक) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के पुरूष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 168 सेन्टीमीटर है। (दो) अनुसूचित जनजाति के पुरूष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 160 सेन्टीमीटर है। **(ख) सीना :** सामान्य अन्य/पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जातियों के सम्बन्धित अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम सीने का माप 79सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम-से-कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर एवं अनुसूचित जनजातियों के लिये 77सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और फुलाने पर 82 सेंटीमीटर से कम नहीं होगा। **टिप्पणी :**–न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। 2–महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है :– **(क) ऊँचाई :** (एक) सामान्य/अन्य पिछड़े तथा अनुसूचित जाति की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 152 सेंटीमीटर है। (दो) अनुसूचित जनजाति की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 147 सेंटीमीटर है।	निकाल दिया गया

*उ0प्र0 उ0नि0 और नि0 (ना0पु0)(प्रथम संसोधन) नियमावली 2015, द्वारा दिनांक 03.12.2015 से प्रतिस्थापित

(ख) वजन : महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम। 3–प्रत्येक परीक्षण हेतु न्यूनतम शारीरिक मानक अर्हता को परीक्षा आयोजित होने के पूर्व परीक्षण स्थल के सूचना पट्ट पर अत्यन्त प्रमुखता से प्रदर्शित किया जायेगा। 4–शारीरिक मानक परीक्षण की परीक्षा के लिए केवल भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन वाले या निदेशक बाँट माप द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग किया जाय। 5–कोई अभ्यर्थी जो अपनी शारीरिक मानक परीक्षा से असंतुष्ट हो, ठीक परीक्षण के उपरान्त उसी दिन आपत्ति दाखिल कर सकता है। ऐसे समस्त प्रकरणों की आपत्ति के निस्तारण के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा प्रत्येक स्थान पर एक अपर पुलिस अधीक्षक को नामित किया जायेगा एवं ऐसे सभी अभ्यर्थियों का शारीरिक मानक परीक्षण, दल द्वारा उपरोक्त अपर पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में पुनः कराया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी जो पुनः कराये गये शारीरिक मानक परीक्षण में असफल पाये जाते हैं, उन्हें अनुपयुक्त घोषित किया जायेगा एवं तदोपरान्त किसी प्रकार की अपील स्वीकार नहीं की जायेगी। **सामान्य अनुदेश** (1) अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जायेगी कि वे दिये गये दिनांक और समय पर उपस्थित हों। ऐसे कारणों से जो नियंत्रण के परे हों और जो लिखित रूप में अभिलिखित किये जायेंगे, किसी विशिष्ट समय पर परीक्षण किये जाने वाले अभ्यर्थियों के समूह हेतु परीक्षण के दिनांक एवं समय में बोर्ड द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। (2) यदि कोई अभ्यर्थी नियत समय एवं दिनांक पर परीक्षा में सम्मिलित होने में असफल रहता है तो वह परीक्षा हेतु संबंधित जनपद में गठित समिति को परीक्षा में सम्मिलित न होने के विस्तृत कारणों का उल्लेख करते हुए, किसी अन्य दिनांक को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए प्रत्यावेदन दे सकता है। समिति द्वारा उसके प्रत्यावेदन पर विचार कर उसे किसी अन्य दिनांक एवं समय पर परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु निर्णय लिया जा सकता है। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थी को केवल एक अतिरिक्त अवसर प्रदान किया जायेगा एवं अगर वह पुनःअवधारित दिनांक एवं समय पर परीक्षा में सम्मिलित होने में विफल रहता है तो उसे परीक्षा में असफल माना जायेगा। अभ्यर्थियों को यह प्रत्यावेदन, बोर्ड द्वारा इस परीक्षा हेतु पूर्व से निर्धारित की गयी अंतिम तिथि तक देना होगा। अंतिम तिथि के बाद दिया गया कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। उपरोक्त ऐसे सभी प्रकरणों को जिसमें समिति द्वारा परीक्षा का दिनांक एवं समय पुनर्निर्धारित किया जायेगा उसके सम्बन्ध में बोर्ड को सूचित किया जायेगा। (3) परीक्षा में विहित मानक प्राप्त न कर सकने के कारण असफल हो जाने वाले अभ्यर्थी को दूसरा मौका नहीं दिया जायेगा और स्वास्थ्य के कारण या किसी अन्य आधार पर चाहे जो भी हो, पुनः परीक्षा के लिए अपील नहीं की जा सकेगी। (4) अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा का परीक्षण उसी दिन अभ्यर्थियों को अवगत कराया जायेगा।	

परिशिष्ट–2

मूल नियम	दिनांक 03.12.2015 द्वारा प्रतिस्थापित
(नियम–15घ देखें) **सीधी भर्ती के लिये शारीरिक दक्षता परीक्षण** 1–शारीरिक दक्षता परीक्षण का संचालन बोर्ड द्वारा गठित एक दल द्वारा किया जायेगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :– (एक) जनपद के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक डिप्टी कलेक्टर। (दो) जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक चिकित्सा अधिकारी। (तीन) जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक पुलिस उप अधीक्षक। विद्यमान शासनादेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक व अन्य किसी श्रेणी जिसका प्रतिनिधित्व उपरोक्त दल में आवश्यक हो, के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने	निकाल दिया गया

हेतु बोर्ड द्वारा उपरोक्त दल में सम्बन्धित जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम-निर्दिष्ट अतिरिक्त अधिकारियों को सदस्य के रूप में रखा जायेगा। नामित किये जाने वाले ऐसे अधिकारी पुलिस विभाग में निरीक्षक स्तर से निम्न नहीं होंगे।

परीक्षा का संचालन करने के लिये यह दल किसी अन्य विशेषज्ञ की सहायता ले सकता है।

2—शारीरिक दक्षता परीक्षा केवल अर्हकारी प्रकृति की होगी और इसका श्रेष्ठता सूची पर कोई प्रभाव नहीं होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होने के लिये पुरूष अभ्यर्थियों को 4.8 किमी की दौड़ 28 मिनट में और महिला अभ्यर्थियों को 2.4 किमी की दौड़ 16 मिनट में पूरा करना आवश्यक होगा। जो अभ्यर्थी नियत समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करते हैं, वे परीक्षा के अगले चरण में जाने के लिए अर्ह नहीं होंगे।

3—दल द्वारा मैनुअल टाइमिंग प्रयोग किये जाने की अनुमति नहीं होगी। **सी0सी0टी0वी0** कवरेज सहित मानकीकृत इलेक्ट्रॉनिक टाइमिंग उपकरण और पर्याप्त बैकअप के साथ बायोमैट्रिक्स का प्रयोग यथार्थता व पारदर्शिता सुनिश्चित करने एवं वेषपरिवर्तन से बचने के लिये किया जायेगा।

4—दल नीचे दी गयी प्रक्रिया का पालन करेगा :—

(एक) बोर्ड द्वारा प्रतिदिन परीक्षण कराये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का अवधारण किया जायेगा और उनका विनिश्चय परीक्षण कराये जाने वालों की कुल संख्या एवं विद्यमान दशाओं पर आधारित होगा।

(दो) अर्हता के लिये इस परिशिष्ट के खण्ड 2 में न्यूनतम शारीरिक दक्षता मानकों की सूचना परीक्षण स्थल पर सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जायेगी।

(तीन) इस परीक्षण का परिणाम परीक्षण स्थल पर सूचना पट्ट पर दिन की समाप्ति पर प्रदर्शित किया जायेगा और यदि सम्भव हुआ तो यथाशीघ्र बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा।

(चार) संगठनात्मक दल, जिसमें परीक्षण अभिकरण यदि कोई हो, भी सम्मिलित है, के ऐसे सदस्य जो जानबूझ कर ऐसा कार्य करते हैं जो गलत हो या किसी ऐसे कार्य को नहीं करते हैं जिससे किसी अभ्यर्थी को अनुचित लाभ पहुँचता हो या उसका अहित होता हो, तो वे दण्डित कार्यवाही/या विभागीय कार्यवाही के भागी होंगे।

(पाँच) सफल एवं असफल अभ्यर्थियों की सूची दल के सदस्यों के संयुक्त हस्ताक्षर से घोषित की जायेगी।

(छः) बहिर्कक्ष परीक्षण इस प्रकार किये जायेंगे कि परिणामों का मूल्यांकन किया जा सके और उन्हें बिना किसी हस्तगत मध्यक्षेप के यांत्रिक रूप से अभिलिखित किया जा सके। शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिये अधिमानतः भारतीय संस्थान प्रमाणन वाले मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग किया जायेगा।

(सात) अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जायेगी कि वे दिये गये दिनांक और समय पर उपस्थित हों। ऐसे कारणों से जो नियंत्रण के परे हों और जो लिखित रूप में अभिलिखित किये जायेंगे, किसी विशिष्ट समय पर परीक्षण किये जाने वाले अभ्यर्थियों के समूह हेतु परीक्षण के दिनांक एवं समय में बोर्ड द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है।

(आठ) यदि कोई अभ्यर्थी नियत समय एवं दिनांक पर परीक्षा में सम्मिलित होने में असफल रहता है तो वह परीक्षा हेतु संबंधित जनपद में गठित समिति को परीक्षा में सम्मिलित न होने के विस्तृत कारणों का उल्लेख करते हुए, किसी अन्य दिनांक को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए प्रत्यावेदन दे सकता है। समिति द्वारा उसके प्रत्यावेदन पर विचार कर उसे किसी अन्य दिनांक एवं समय पर परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु निर्णय लिया जा सकता है। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थी को केवल एक अतिरिक्त अवसर प्रदान किया जायेगा एवं अगर वह पुनर्निर्धारित दिनांक एवं समय पर परीक्षा में सम्मिलित होने में विफल रहता है तो उसे परीक्षा में असफल माना जायेगा। अभ्यर्थियों को यह प्रत्यावेदन, बोर्ड द्वारा इस परीक्षा हेतु पूर्व से निर्धारित की गयी अंतिम तिथि तक देना होगा। अंतिम तिथि के बाद दिया गया कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। उपरोक्त ऐसे सभी प्रकरणों को जिसमें समिति द्वारा

***उ0प्र0 उ0नि0 और नि0 (ना0पु0)(प्रथम संसोधन) नियमावली 2015, द्वारा दिनांक 03.12.2015 से प्रतिस्थापित**

परीक्षा का दिनांक एवं समय पुनर्निर्धारित किया जायेगा उसके सम्बन्ध में बोर्ड को सूचित किया जायेगा। (नौ) परीक्षा में विहित मानक प्राप्त न कर सकने के कारण असफल हो जाने वाले अभ्यर्थी को दूसरा मौका नहीं दिया जायेगा और स्वास्थ्य के कारण या किसी अन्य आधार पर चाहे जो भी हो, पुनः परीक्षा के लिए अपील नहीं की जा सकेगी। **टिप्पणी :–**समस्त वीडियो, अभिलेखों में व्यक्तिगत गोपनीयता का सम्मान रखा जायेगा और अभिलेख को सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जायेगा तथा किसी न्यायालय को उसके सम्मन किये जाने पर या किसी जाँच अधिकारी को बोर्डो की अनुमति से उपलब्ध कराया जायेगा।	

परिशिष्ट–3

मूल नियम	दिनांक 03.12.2015 द्वारा प्रतिस्थापित
[नियम 15 (ङ) देखें] **लिखित परीक्षा हेतु प्रक्रिया** (1) लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी स्वयं के हस्तलेख में लिखेंगे। किसी भी मुंशी (स्काइब)/सहायक को किसी भी कारण से अनुमति नहीं दी जायेगी। (2) यदि परीक्षा के दिनांक से 07 दिन पूर्व बुलावा पत्र नहीं प्राप्त होता है तो बोर्ड अभ्यर्थी को हेल्पलाइन/लैण्डलाइन/मोबाईल फोन फोन से सम्पर्क करने की तथा उसे बुलावा पत्र वेबसाइट से डाउनलोड करने की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। बोर्ड द्वारा अभ्यर्थियों को इसकी जानकारी विज्ञप्ति जारी करने के समय दी जायेगी। (3) लिखित परीक्षा पूरे राज्य में एक ही दिनांक और समय पर आयोजित की जायेगी। (4) लिखित परीक्षा के प्रयोजनार्थ OMR उत्तर पत्रक तीन प्रतियों में होगा, जिसकी मूलप्रति स्कैनिंग के लिए प्रयोग किया जायेगा, प्रथम कार्बन कॉपी बोर्ड के अभिलेख के लिए और दूसरी कॉपी अभ्यर्थियों के लिए होगी। अभ्यर्थियों को OMR उत्तर पत्रक की दूसरी कार्बन प्रति अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी। (5) लिखित परीक्षा समाप्त हो जाने के पश्चात उत्तर पत्रकों को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा उपलब्ध करायी गयी, सुरक्षित अभिरक्षा के माध्यम से मुहर बन्द आवरण में केन्द्रवार बोर्ड को भेज दिया जायेगा। (6) परीक्षा में पूछे गये प्रश्नों के उत्तर बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किये जायेंगे। (7) अभ्यर्थियों को दिये गये प्रश्न-पत्र इस प्रकार होंगे कि प्रश्नों का क्रम और साथ में विशिष्ट प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार न हों। प्रत्येक प्रश्न-पत्र पर एक विशिष्ट पहचान संख्या या क्रम अंकित होगा और अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जायेगी कि वे बोर्ड द्वारा निर्गत किये गये निर्देशों के अनुसार, जहाँ इस प्रकार अनुदेशित किया गया हो, उत्तर पुस्थिका पर उसे अभिलिखित करें। जब अभिलिखित करने के लिये अनुदेशित किया गया हो और अभ्यर्थी उसे अभिलिखित करने में असफल रहे हों, तो उत्तर पुस्थिकाओं का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थियों को कोई अंक प्राप्त नहीं होगा। (8) सभी प्रश्नों एवं उत्तरों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिये सभी सावधानियां बरती जायेंगी। तथापि एक या अधिक प्रश्नपत्रों में किसी प्रश्न के गलत होने की दशा में या बोर्ड के विचार में उत्तर का विकल्प अनोखा नहीं है या अन्य किसी कारण से जिसे अभिलिखित किया जायेगा बोर्ड किसी भी प्रश्न को रद्द कर सकता है। बोर्ड द्वारा किसी भी कारण से प्रश्न को रद्द किये जाने की दशा में उस प्रश्न हेतु आवंटित अंक उन सभी अभ्यर्थियों को दिये जायेंगे, जिन्होंने उस प्रश्न का कोई एक उत्तर विकल्प भरा हो। (9) बोर्ड परीक्षा के लिये विस्तृत पाठ्य-विवरण विनिर्दिष्ट करेगा। तथापि पाठ्य-विवरण संकेतात्मक प्रकृति का होगा और परीक्षा समाप्त हो जाने के बाद पाठ्यक्रम द्वारा अनाच्छादित प्रश्नों से सम्बन्धित मामलों पर कोई अपील या आपत्तियाँ नहीं की जा सकेंगी।	निकाल दिया गया

(10) बोर्ड किसी प्रश्न-पत्र को खण्डों में विभक्त कर सकता है और दो या दो से अधिक विषयों को और दो या दो से अधिक प्रश्न-पत्रों को क्रमानुसार एक प्रश्न-पत्र में संयुक्त कर सकता है। (11) बोर्ड किसी परीक्षा के लिये एक न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत नियत कर सकता है, जिसे परीक्षा की विज्ञप्ति में स्पष्ट रूप से इंगित किया जायेगा, और जब तक अन्यथा समाधान न हो जायें तब तक बोर्ड अग्रतर ऐसे अभ्यर्थियों की परीक्षा नहीं ले सकता हैं जो पूर्ववर्ती चरण में विफल हो गये हों। (12) अभ्यर्थी द्वारा उसके किसी उत्तर पुस्तिका पर किये गये किसी हस्ताक्षर, अंकित किये गये नाम या असंगत चिन्ह, सिवाय अभ्यर्थी को दिये गये निर्देश के अनुसार, के परिणामस्वरूप अभ्यर्थी का बोर्ड के विवेकानुसार अभ्यर्थन अनर्ह हो सकता है। (13) अगर परीक्षा के दौरान कोई अभ्यर्थी नकल हुए अथवा अनुचित संसाधनों का प्रयोग करते हुए पाया जाता है, तो बोर्ड उसका अभ्यर्थन निरस्त कर सकता है एवं इस सम्बन्ध में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।	

परिशिष्ट–4

मूल नियम	दिनांक 03.12.2015 द्वारा प्रतिस्थापित
[नियम–15 (छ) देखें] **सीधी भर्ती के लिये चिकित्सीय परीक्षण** नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी से चिकित्सा परीक्षण कराये जाने हेतु, चिकित्सा परिषद गठन किये जाने का अनुरोध किया जायेगा। चिकित्सा परिषद में तीन चिकित्सक रखे जायेंगे जो महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य के परामर्श से विभागाध्यक्ष द्वारा विहित और कोड किये गये ''पुलिस भर्ती चिकित्सा परीक्षा प्रपत्र'' के अनुसार अभ्यर्थियों की परीक्षा करेगा। यह प्रपत्र उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा और चिकित्सा परीक्षा के स्थान पर भी प्रदर्शित किया जायेगा। चिकित्सा परिषद आवश्यकता अनुसार किसी अन्य विशेषज्ञ की सेवाएं ले सकता है। (1) चिकित्सकों द्वारा अभ्यर्थियों की परीक्षा चिकित्सा मैनुअल, यदि कोई हो, के अनुसार की जायेगी और चिकित्सा परीक्षा के दिन ही परिणाम घोषित कर दिया जायेगा। (2) चिकित्सा परीक्षा का परिणाम परिसर के बाहर सूचना पट्ट पर दिन की समाप्ति पर प्रदर्शित कर दिया जायेगा। (3) कोई अभ्यर्थी जो अपनी चिकित्सा परीक्षा से असन्तुष्ट हो, ठीक परीक्षा के दिन ही अपील फाइल कर सकता है। चिकित्सा परीक्षा के सम्बन्ध में किसी अपील पर विचार नहीं किया जायेगा, यदि अभ्यर्थी अपने चिकित्सा परीक्षा और उसके परिणाम की घोषणा के दिन अपील करने में विफल रहता है। अपील का निस्तारण उक्त प्रयोजन के लिए गठित मण्डलीय चिकित्सा परिषद द्वारा अपील फाइल किये जाने के दो सप्ताह के भीतर किया जाना चाहिए। मण्डलीय चिकित्सा परिषद में संबंधित दोष का विशेषज्ञ होना आवश्यक होगा। (4) चिकित्सा परिषद के ऐसे सदस्य जो जानबूझकर गलत रिपोर्ट देते हुए पाये जायेंगे, दांडिक कार्यवाही के भागी होंगे। (5) चिकित्सा परीक्षा केवल अर्हकारी प्रकृति की होती है और श्रेष्ठता सूची पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। **टिप्पणी :–**चिकित्सा परिषद द्वारा अभ्यर्थियों तथा उनकी कमियों यथा–नाक–नी, बी–लेग्स, फ्लैट–फीट, वेरीकोज वेन्स, दूर तथा निकट दृष्टि, कलर ब्लाइंडनेस (पूर्ण एवं आंशिक), तथा रीनेज परीक्षण, वेब्बर्स परीक्षण को समाविष्ट करते हुए, श्रवण शक्ति परीक्षण की जाँच की जायेगी एवं अभ्यर्थियों का वर्टिगो, वाक दोष आदि का परीक्षण, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाये, किया जायेगा। यदि आवश्यक हो तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड विशेषज्ञों की राय प्राप्त करके अन्य परीक्षण करा सकता है।	निकाल दिया गया

परिशिष्ट–5

मूल नियम	*दिनांक 03.12.2015 द्वारा प्रतिस्थापित
[नियम–17 (1) (क) देखें] उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षण 1–शारीरिक दक्षता परीक्षण का संचालन बोर्ड द्वारा गठित एक दल द्वारा किया जायेगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :– (एक) बोर्ड द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक अपर पुलिस अधीक्षक। (दो) जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक चिकित्सा अधिकारी। विद्यमान शासनादेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक व अन्य किसी श्रेणी जिसका प्रतिनिधित्व उपरोक्त दल में आवश्यक हो, के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने हेतु बोर्ड द्वारा उपरोक्त दल में उचित स्तर के अतिरिक्त अधिकारियों को सदस्य के रूप में रखा जायेगा। नामित किये जाने वाले ऐसे अधिकारी पुलिस विभाग में निरीक्षक स्तर से निम्न नहीं होंगे। परीक्षा का संचालन करने के लिये यह दल किसी अन्य विशेषज्ञ की सहायता ले सकता है। 2–शारीरिक दक्षता परीक्षा केवल अर्हकारी प्रकृति की होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होने के लिये पुरुष अभ्यर्थियों को 3.2 किमी0 की तेज चाल 35 मिनट में और महिला अभ्यर्थियों को 2.4 किमी0 की तेज चाल 28मिनट में पूरा करना आवश्यक होगा। 3–दल द्वारा मैनुअल टाइमिंग प्रयोग किये जाने की अनुमति नहीं होगी। सी0सी0टी0वी0 कवरेज सहित मानकीकृत इलेक्ट्रॉनिक टाइमिंग उपकरण और पर्याप्त बैकअप के साथ बायोमैट्रिक्स का प्रयोग यथार्थता व पारदर्शिता सुनिश्चित करने एवं वेषपरिवर्तन से बचने के लिये किया जायेगा। 4–दल नीचे दी गयी प्रक्रिया का पालन करेगा :– (क) बोर्ड द्वारा प्रतिदिन परीक्षण कराये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का अवधारणा किया जायेगा और उनका विनिश्चय परीक्षण कराये जाने वालों की कुल संख्या एवं विद्यमान दशाओं पर आधारित होगा। (ख) अर्हता के लिये इस परिशिष्ट के खण्ड 2 में न्यूनतम शारीरिक दक्षता मानकों की सूचना परीक्षण स्थल पर सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जायेगी। (ग) इस परीक्षण का परिणा परीक्षण स्थल पर सूचना पट्ट पर दिन की समाप्ति पर प्रदर्शित किया जायेगा और यदि सम्भव हुआ तो यथाशीघ्र बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा।	**परिशिष्ट** **(नियम–17 (1) (क) देखें)** **उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षण** 1– शारीरिक दक्षता परीक्षण का संचालन बोर्ड द्वारा गठित एक दल द्वारा किया जायेगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :– (एक) बोर्ड द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक अपर पुलिस अधीक्षक। (दो) जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक चिकित्सा अधिकारी। विद्यमान शासनादेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक व अन्य किसी श्रेणी जिसका प्रतिनिधित्व उपरोक्त दल में आवश्यक हो, के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने हेतु बोर्ड द्वारा उपरोक्त दल में उचित स्तर के अतिरिक्त अधिकारियों को सदस्य के रूप में रखा जायेगा। नामित किये जाने वाले ऐसे अधिकारी पुलिस विभाग में निरीक्षक स्तर से निम्न नहीं होंगे। परीक्षा का संचालन करने के लिये यह दल किसी अन्य विशेषज्ञ की सहायता ले सकता है। 2–शारीरिक दक्षता परीक्षा केवल अर्हकारी प्रकृति की होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होने के लिये पुरूष अभ्यर्थियों को 3.2 किमी की तेज चाल 35 मिनट में और महिला अभ्यर्थियों को 2.4 किमी की तेज चाल 28 मिनट में पूरा करना आवश्यक होगा। 3–दल द्वारा मैनुअल टाइमिंग प्रयोग किये जाने की अनुमति नहीं होगी। सी0सी0टी0वी0 कवरेज सहित मानकीकृत इलेक्ट्रॉनिक टाइमिंग उपकरण और पर्याप्त बैकअप के साथ बायोमैट्रिक्स का प्रयोग यथार्थता व पारदर्शिता सुनिश्चित करने एवं वेष परिवर्तन से बचने के लिये किया जायेगा। 4–दल नीचे दी गयी प्रक्रिया का पालन करेगा :– (क) बोर्ड द्वारा प्रतिदिन परीक्षण कराये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का अवधारण किया जायेगा और उनका विनिश्चय परीक्षण कराये जाने वालों की कुल संख्या एवं विद्यमान दशाओं पर आधारित होगा। (ख) अर्हता के लिये इस परिशिष्ट के खण्ड 2 में न्यूनतम शारीरिक दक्षता मानकों की सूचना परीक्षण स्थल पर सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जायेगी। (ग) इस परीक्षण का परिणाम परीक्षण स्थल पर सूचना पट्ट पर दिन की समाप्ति पर प्रदर्शित किया जायेगा और

***उ0प्र0 उ0नि0 और नि0 (ना0पु0)(प्रथम संसोधन) नियमावली 2015, द्वारा दिनांक 03.12.2015 से प्रतिस्थापित**

(घ) संगठनात्मक दल, जिसमें परीक्षण अभिकरण यदि कोई हो, भी सम्मिलित है, के ऐसे सदस्य जो जानबूझकर ऐसा कार्य करते हैं जो गलत हो या किसी ऐसे कार्य को नहीं करते हैं जिससे किसी अभ्यर्थी को अनुचित लाभ पहुँचता हो या उसका अहित होता हो, तो वे दाण्डिक कार्यवाही या विभागीय कार्यवाही के भागी होंगे।

(ङ) बहिर्कक्ष परीक्षण इस प्रकार किये जायेंगे कि परिणामों का मूल्यांकन किया जा सके और उन्हें बिना किसी हस्तगत मध्यक्षेप के यांत्रिक रूप से अभिलिखित किया जा सके। शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिये अधिमानतः भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन वाले मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग किया जायेगा।

(च) अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जायेगी कि वे दिये गये दिनांक और समय पर उपस्थित हों। ऐसे कारणों से जो नियंत्रण के परे हों और जो लिखित रूप में अभिलिखित किये जायेंगे, किसी विशिष्ट समय पर परीक्षण किये जाने वाले अभ्यर्थियों के समूह हेतु परीक्षण के दिनांक एवं समय में बोर्ड द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है।

(छः) यदि कोई अभ्यर्थी नियत समय एवं दिनांक पर परीक्षा में सम्मिलित होने में असफल रहता है तो वह परीक्षा हेतु गठित समिति को परीक्षा में सम्मिलित न होने के विस्तृत कारणों का उल्लेख करते हुए, किसी अन्य दिनांक को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए प्रत्यावेदन दे सकता है। समिति द्वारा उसके प्रत्यावेदन पर विचार कर उसे किसी अन्य दिनांक एवं समय पर परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु निर्णय लिया जा सकता है। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थी को केवल एक अतिरिक्त अवसर प्रदान किया जायेगा एवं अगर वह पुनः अवधारित दिनांक एवं समय पर परीक्षा में सम्मिलित होने में विफल रहता है तो उसे परीक्षा में असफल माना जायेगा। अभ्यर्थियों को यह प्रत्यावेदन, बोर्ड द्वारा इस परीक्षा हेतु पूर्व से निर्धारित की गयी अंतिम तिथि तक देना होगा। अंतिम तिथि के बाद दिया गया कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। उपरोक्त ऐसे सभी प्रकरणों को जिसमें समिति द्वारा परीक्षा का दिनांक एवं समय पुनर्निर्धारित किया जायेगा और उसके सम्बन्ध में बोर्ड को सूचित किया जायेगा।

(ज) परीक्षा में सम्मिलित न होने के कारण अथवा विहित मानक प्राप्त न कर सकने के कारण असफल हो जाने वाले अभ्यर्थी को दूसरा मौका नहीं दिया जायेगा और स्वास्थ्य के कारण या किसी अन्य आधार पर चाहे जो भी हो, पुनः परीक्षा के लिए अपील नहीं की जा सकेगी।

(झ) शारीरिक दक्षता परीक्षण का परिणाम अभ्यर्थियों को उसी दिन उपलब्ध कराया जायेगा।

टिप्पणी :–समस्त वीडियो अभिलेखों में व्यक्तिगत गोपनीयता का सम्मान रखा जायेगा और अभिलेख को सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जायेगा तथा किसी न्यायालय को उसके सम्मन किये जाने पर या किसी जाँच अधिकारी को बोर्ड की यदि सम्भव हुआ तो यथाशीघ्र बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा।

(घ) संगठनात्मक दल, जिसमें परीक्षम अभिकरण यदि कोई हो, भी सम्मिलित है, के ऐसे सदस्य जो जानबूझकर ऐसा कार्य करते हैं जो गलत हो या किसी ऐसे कार्य को नहीं करते हैं जिससे किसी अभ्यर्थी को अनुचित लाभ पहुँचता हो या उसका अहित होता हो, तो वे दाण्डिक कार्यवाही या विभागीय कार्यवाही के भागी होंगे।

(ङ) बहिर्कक्ष परीक्षण इस प्रकार किये जायेंगे कि परिणामों का मूल्यांकन किया जा सके और उन्हें बिना किसी हस्तगत मध्यक्षेप के यांत्रिक रूप से अभिलिखित किया जा सके। शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिये अधिमानतः भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन वाले मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग किया जायेगा।

(च) अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जायेगी कि वे दिये गये दिनांक और समय पर उपस्थित हों। ऐसे कारणों से जो नियंत्रण के परे हों और जो लिखित रूप में अभिलिखित किये जायेंगे, किसी विशिष्ट समय पर परीक्षण किये जाने वाले अभ्यर्थियों के समूह हेतु परीक्षण के दिनांक एवं समय में बोर्ड द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है।

(छः) यदि कोई अभ्यर्थी नियत समय एवं दिनांक पर परीक्षा में सम्मिलित होने में असफल रहता है तो वह परीक्षा हेतु गठित समिति को परीक्षा में सम्मिलित न होने के विस्तृत कारणों का उल्लेख करते हुए, किसी अन्य दिनांक को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए प्रत्यावेदन में सम्मिलित होने के लिए प्रत्यावेदन दे सकता है। समिति द्वारा उसके प्रत्यावेदन पर विचार कर उसे किसी अन्य दिनांक एवं समय पर परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु निर्णय लिया जा सकता है। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थी को केवल एक अतिरिक्त अवसर प्रदान किया जायेगा एवं अगर वह पुनः अवधारित दिनांक एवं समय पर परीक्षा में सम्मिलित होने में विफल रहता है तो उसे परीक्षा में असफल माना जायेगा। अभ्यर्थियों को यह प्रत्यावेदन, बोर्ड द्वारा इस परीक्षा हेतु पूर्व से निर्धारित की गयी अंतिम तिथि तक देना होगा। अंतिम तिथि के बाद दिया गया कोई प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। उपरोक्त ऐसे सभी प्रकरणों को जिसमें समिति द्वारा परीक्षा का दिनांक एवं समय पुनर्निर्धारित किया जायेगा उसके सम्बन्ध में बोर्ड को सूचित किया जायेगा।

(ज) परीक्षा में सम्मिलित न होने के कारण अथवा विहित मानक प्राप्त न कर सकने के कारण असफल हो जाने वाले अभ्यर्थी को दूसरा मौका नहीं दिया जायेगा और स्वास्थय के कारण या किसी अन्य आधार पर चाहे जो भी हो, पुनः परीक्षा के लिए अपील नहीं की जा सकेगी।

अनुमति से उपलब्ध कराया जायेगा।	(झ) शारीरिक दक्षता परीक्षण का परिणाम अभ्यर्थियों को उसी दिन उपलब्ध कराया जायेगा। **टिप्पणी :–**समस्त वीडियो अभिलेखों में व्यक्तिगत गोपनीयता का सम्मान रखा जायेगा और अभिलेख को सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जायेगा तथा किसी न्यायालय को उसके सम्मन किये जाने पर या किसी जाँच अधिकारी को बोर्ड की अनुमति से उपलब्ध कराया जायेगा।

आज्ञा से,
देबाशीष पण्डा,
प्रमुख सचिव, गृह।

उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी नियमावली– 2008

उत्तर प्रदेश सरकार– गृह (पुलिस) अनुभाग–1,
संख्या–4021/छः–पु0–08–1–5–2008 दिनांक 02.12.2008

पुलिस अधिनियम, 1861 (अधिनियम संख्या–5 सन 1861) की धारा 02 और धारा 46 की उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (2) के खण्ड– ग के अधीन शक्ति और इस निमित्त समस्त अन्य समर्थकारी शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश पुलिस बल के पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी के चयन , पदोन्नति, प्रशिक्षण, नियुक्ति, ज्येष्ठता और स्थायीकरण आदि को विनियमित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः–
पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली 2008 कही जायेगी।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2- सेवा की प्रास्थिति :– भाग– 1– सामान्य

1- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भः-

(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश नागरिक

मूल नियम	*दिनांक 20.05.2009 से प्रतिस्थापित
उत्तर प्रदेश नागरिक पुलिस आरक्षी मुख्य आरक्षी सेवा एक सेवा है जिसमें समूह ''ग'' के पद समाविष्ट है।	उ0प्र0 नागारिक पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवानियमावली 2008 , जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में शब्द " नागरिक पुलिस " शीर्षक और पार्श्व शीर्षक सहित , जहॉ कहीं आये हो, के स्थान पर शब्द "पुलिस" रख दिया जायेगा।

3. परिभाषाएं :–जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में—

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 से है।

मूल नियम	*दिनांक 20.05.2009 से प्रतिस्थापन
(ख) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' का तात्पर्य नागरिक पुलिस में आरक्षी के पद के लिये पुलिस अधीक्षक से है और अन्य पदो के लिये पुलिस उपमहानिरीक्षक, से है—	नियुक्ति प्राधिकारी का तात्पर्य सेवा में आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी के लिये पुलिस अधीक्षक से है।

(ग) ''बोर्ड'' का तात्पर्य इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार स्थापित उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड से है :—

(घ) ''भारत का नागरिक'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग-2 के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाए।

(ङ) ''संविधान'' का तात्पर्य भारत के संविधान से है।

(च) ''सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है।

(छ) ''राज्यपाल'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है।

(ज) ''विभागाध्यक्ष'' का तात्पर्य पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश से है;

(झ) ''सेवा का सदस्य'' का तात्पर्य इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त आदेशों के अधीन सेवा के संवर्ग में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति से है।

(ञ) ''नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों''का तात्पर्य अधिनियम की अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है।

(ट) ''पुलिस मुख्यालय'' का तात्पर्य पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ या उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद से है।

(ठ) ''सेवा'' का तात्पर्य उ0प्र0 नागरिक पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी से है।

(ड) " चयन समिति " का तात्पर्य सेवा के पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों के चयन के लिये बोर्ड द्वारा गठित चयन समिति से है।

(ढ) ''भर्ती का वर्ष'' का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

***उ0प्र0 ना0पु0 आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली (प्रथम संसोधन) 2009, द्वारा दिनांक 20.05.2009 से प्रतिस्थापित**

भाग–02–संवर्ग

4.सेवा का संवर्गः–

(1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाए।

पदों के नाम	पदों की संख्या		
	स्थायी	अस्थायी	योग
1–आरक्षी	71239	12863	84102
2–मुख्य आरक्षी	10358	6637	16995

परन्तु यह कि :–

(एक) विभागध्यक्ष कुल स्वीकृत नियतन के अन्तर्गत विभिन्न इकाइयों के पदों की संख्या को पुनर्निर्धारित कर सकता है।

(दो) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकते हैं या राज्यपाल उसे प्रास्थगित रख सकते हैं जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(तीन) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थाई या अस्थाई पदों का सृजन कर सकते हैं जिन्हें वह उचित समझें।

भाग–03–भर्ती

5. भर्ती का स्रोतः– सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगीः–

मूल नियम	***दिनांक 20.05.2009 से प्रतिस्थापित**	****दिनांक 17.01.2014 से प्रतिस्थापित**
(1)आरक्षी – आरक्षी के शत प्रतिशत पदो का सीधी भर्ती द्वारा भरा जायेगा। सेवा काल में दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों की भर्ती भी उत्तर प्रदेश में दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों की भर्ती भी उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की नियमावली 1974 के अनुसार की जायेगी।	(1)आरक्षी – आरक्षी के शत प्रतिशत पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरा जायेगा। सेवा काल में दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों की भर्ती भी उत्तर प्रदेश में दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों की भर्ती भी उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की नियमावली 1974 के अनुसार की जायेगी।	–पूर्ववत–
(2)मुख्य आरक्षी – मुख्य आरक्षी के 50 प्रतिशत पदों पर भर्ती पात्र आरक्षियों के मध्य आयोजित विभागीय परीक्षा एवं 50 प्रतिशत अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा की जाएगी।	(2)मुख्य आरक्षी – मुख्य आरक्षी के 50 प्रतिशत रिक्तियों की भर्ती पात्र आरक्षियों के मध्य आयोजित विभागीय परीक्षा एवं 50 प्रतिशत रिक्तियों की भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा की जाएगी।	(2)मुख्य आरक्षी – मुख्य आरक्षी के शत प्रतिशत रिक्तियों की भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये पात्र अभ्यर्थियों से ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा की जाएगी।

6.आरक्षण :–

मूल नियम	***दिनांक 20.05.2009 से प्रतिस्थापित**
अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण अधिनियम और समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता, संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993, के उपबन्धों और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जाएगा।	अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण अधिनियम और समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता, संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993, के उपबन्धों और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जाएगा। राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय खिलाडियों का आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त शासनादेशों के अनुसार होगाः परन्तु शारीरिक रूप से विकलांग पुलिस सेवाओ के लिए पात्र नही होगें।

***उ0प्र0 ना0पु0 आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली (प्रथम संशोधन) 2009, द्वारा दिनांक 20.05.2009 से प्रतिस्थापित**

****उ0प्र0 ना0पु0 आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली (छठा संशोधन) 2014, द्वारा दिनांक 17.01.2014 से प्रतिस्थापित**

भाग–चार–अर्हताएं

राष्ट्रीयता 7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी—

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख)तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी,1962 के पूर्व भारत आया हो या;

(ग) भारतीय उदभव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीकी देश केनिया, यूगाडा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जाजीबार) प्रव्रजन किया हो।

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो।

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उपमहानिरीक्षक अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले।

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी—ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

8- शैक्षिक अर्हताः–आरक्षी के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की अर्हता भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए।

9- अधिमानी अर्हताएँः

मूल नियम	***दिनांक 20.05.2009 से प्रतिस्थापित**	****दिनांक 11.01.2011 से प्रतिस्थापित**
अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने— (क) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो ; या (ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।	अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने— (क) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या (ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो। (3)केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कम्प्यूटर अप्लीकेशन में प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।	अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने— (क) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या (ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो। (3)केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कम्प्यूटर अप्लीकेशन में प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। टिप्पणी :– उक्तांकित अधिभाग अर्हता के कोई अंक नही होगें बल्कि पो.भा.पो से अधिक अभ्यर्थियों के बराबर अंक प्राप्त करने की दशा में अन्तिम चयन सूची में नियम 15 (घ) के अधीन वरीयता दी जायेगी।

*उ0प्र0 ना0पु0 आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली (प्रथम संशोधन) 2009, द्वारा दिनांक 20.05.2009 से प्रतिस्थापित

**उ0प्र0 ना0पु0 आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली (द्वितीय संशोधन) 2011, द्वारा दिनांक 11.01.2011 से प्रतिस्थापित

10.आयु :-

मूल नियम	*दिनांक 10.05.2013 से प्रतिस्थापित
आरक्षी के पद पर भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि पुरूष अभ्यर्थी की दशा में अभ्यर्थी ने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हों और महिला अभ्यर्थी की दशा में उसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो; परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थी की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी अधिनियम में और भर्ती के समय लागू सरकारी आदेशों में विनिर्दिष्ट की जाए।	आरक्षी के पद पर भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि पुरूष अभ्यर्थी की दशा में अभ्यर्थी ने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हों और महिला अभ्यर्थी की दशा में उसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो; परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थी की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतनी होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाए। परन्तु यह और कि ऐसे अभ्यर्थियों जिन्होने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और पदोन्नति बोर्ड द्वारा जारी की गयी अधिसूचना संख्याः पीआरबीपी–दो–एक (2)/2011, दिनांक 15 जुलाई 2011 के अनुसरण में पुलिस आरक्षी के पद पर भर्ती के लिए आवेदन किया हो परन्तु उक्त पद पर भर्ती नही की जा सकी, को अधिकतम आयु सीमा में शिथिलता प्रदान की जायेगी ताकि वे उक्त पद के लिए आगामी भर्ती में सम्मिलित होने के लिए पात्र हो सकें।

11. चरित्र -सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेंगे।

टिप्पणी—संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदव्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध व्यक्ति भीपात्र नहीं होंगे।

12. वैवाहिक प्रस्थिति

सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो।

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति व इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका समाधान हो जाये किऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।

13-शारीरिक स्वस्थता-

मूल नियम	*दिनांक 09.04.2013 से प्रतिस्थापित
13- किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा के परीक्षण से	13. किसी अभ्यर्थी को सेवा मं किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्त्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा बोर्ड के परीक्षण

*उ0प्र0 ना0पु0 आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली (चतुर्थ संशोधन) 2013, द्वारा दिनांक 10.05.2013 से प्रतिस्थापित
**उ0प्र0 ना0पु0 आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली (तीसरा संशोधन) 2013, द्वारा दिनांक 09.04.2013 से प्रतिस्थापित

सफल हो जाय। टिप्पणीः– चिकित्सा बोर्ड नाक–नी, बो लेग्स, फ्लैट फीट, बेरीकोस वेरा, दूर एवं निकट दृष्टि, कलर ब्लाइंडनेस, श्रवण परीक्षण, जिसमें रिनेज परीक्षण, वेब्बर्स परीक्षण और वर्टिगो परीक्षण आदि समाविष्ट है, जैसी कमियों का परीक्षण करेगा।	में सफल हो जाये। टिप्पणी— चिकित्सा बोर्ड अभ्यर्थी की यथास्थिति ऊँचाई, उसके सीने और भार के माप के लिए विहित किसी शारीरिक मानक का परीक्षण करेगा और नाक-नी, बो लेग्स, फ्लैट फीट, वेरीकोस वेस, दूर एवं निकट दृष्टि, कलर ब्लाइंडनेस, श्रवण परीक्षण, जिसमें रिनेज परीक्षण, बेब्बर्स परीक्षण और वर्टिगो परीक्षण वाक दोष आदि समाविष्ट हैं, जैसी कमियों, जैसा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित किया जाय, का भी परीक्षण करेगा।

भाग-पाँच—भर्ती की प्रक्रिया

14.रिक्तियों का अवधारण :-

मूल नियम	*दिनांक 20.05.2009 से प्रतिस्थापित
नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना बोर्ड को देगा। सीधी भर्ती के लिए रिक्तियाँ बोर्ड द्वारा निम्नलिखित रीति से अधिसूचित की जायेगी— (एक) व्यापक परिचालन वाले दैनिक समाचार पत्र में विज्ञापन जारी करके। (दो) कार्यालय के सूचना-पट्ट पर नोटिस चस्पा करके या रेडियो/दूरदर्शन और अन्य रोजगार समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन द्वारा। (तीन) रोजगार कार्यालय को रिक्तियॉ अधिसूचित करके।	नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना विभागाध्यक्ष को देगा। विभागाध्यक्ष रिक्तियों की संख्या बोर्ड और सरकार को भी सूचित करेगा। सीधी भर्ती के लिए रिक्तियाँ, निम्नलिखित रीति से अधिसूचित की जायेगी— (एक) व्यापक परिचालन वाले दैनिक समाचार पत्र में विज्ञापन जारी करके। (दो) कार्यालय के सूचना-पट्ट पर नोटिस चस्पा करे या रेडियो/दूरदर्शन और अन्य रोजगार समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन द्वारा। (तीन) रोजगार कार्यालय को रिक्तियों की अधिसूचित करके। **(चार) जनसंचार के अन्य माध्यम से।**

15. आरक्षियों की सीधी भर्ती की प्रक्रिया -

आरक्षियों के पदों पर सीधी भर्ती निम्नलिखित रीति से की जायेगी :–

मूल नियम	*दिनांक 20.05.2009 से प्रतिस्थापित
(क)आवेदन पत्र (एक) अभ्यर्थी केवल एक जिले के लिए आवेदन-पत्र भरेगा। परीक्षा केन्द्र के आवटंनके सम्बन्ध में अभ्यर्थी एक से अधिक विकल्प दे सकता है। फिर भी कोई अभ्यर्थी द्वारा इंगित केन्द्र से भिन्न केन्द्र आवंटन कर सकता है— (दो) आवेदन-पत्र के साथ एक पृथक बुकलेट संलग्न की जायगी जिसमें शैक्षिक अर्हता, आयु और प्रत्येक श्रेणी के शारीरिक मानक परीक्षण, शारीरिक दक्षता परीक्षण, चिकित्सीय परीक्षण के लिए न्यूनतम अर्हता मानक, विषयवार लिखित परीक्षा के लिए न्यूनतम अर्हता अंक, अभ्यास के लिए ओ.एम.आर. की प्रति एवं अन्य महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश से सम्बन्धित जानकारी होगी। (तीन) आवेदन-पत्र कार्बन प्रति सहित ओ.एम.आर. पत्रक पर होगा। (चार) अभ्यर्थियों के बायें और दाहिने दोनों अंगूठे के निशान के लिए	**(क)आवेदन पत्र** (एक) अभ्यर्थी केवल एक जिले के लिए आवेदन-पत्र भरेगा। परीक्षा केन्द्र के आवटंन के सम्बन्ध में अभ्यर्थी एक से अधिक विकल्प दे सकता है। फिर भी बोर्ड, अभ्यर्थी द्वारा इंगित केन्द्र से भिन्न केन्द्र आवंटन कर सकता है — (दो) आवेदन-पत्र के साथ एक पृथक बुकलेट संलग्न की जायगी जिसमें शैक्षिक अर्हता, आयु और प्रत्येक श्रेणी के शारीरिक मानक परीक्षण, शारीरिक दक्षता परीक्षण, चिकित्सीय परीक्षण के लिए न्यूनतम अर्हता अंक अभ्यास के लिये ओ.एम.आर. पत्रांक की प्रति एक अन्य महत्वपूर्ण दिशा निर्देश से सम्बन्धित जानकारी होगी।

*उ0प्र0 ना0पु0 आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली (प्रथम संशोधन) 2011, द्वारा दिनांक 20.05.2009 से प्रतिस्थापित
**उ0प्र0 ना0पु0 आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली (द्वितीय संशोधन) 2011, द्वारा दिनांक 11.01.2011 से प्रतिस्थापित

आवेदन पत्र में स्थान दिया गया है।

(पांच) अभ्यर्थी के दो अनुप्रमाणित फोटो , आवेदन पत्र पर चिपकाये जायेंगे, एक फोटों आवेदन-पत्र पर और दूसरा फोटो प्रवेश पत्र पर समुचित स्थान पर अथवा बोर्ड द्वारा तथा अपेक्षित स्थान पर चिपकाया जायेगा।

(छः) आवेदन पत्र अधिसूचित बैंकों/डाकघरों से विहित शुल्क का भुगतान करने पर क्रय किया जा सकेगा।

(सात) प्रत्येक आवेदन पत्र में यथास्थिति आयु, दसवीं, ग्यारहवीं और स्नातक/स्नातकोत्तर के प्रमाण-पत्र खेल प्रमाण-पत्र क्रैडेट कोर प्रमाण- पत्र, होमगार्ड प्रमाण-पत्र, के मामलों में यूनिट डिचार्ज प्रमाण और स्वतंत्रता आश्रित प्रमाण-पत्र की अनुप्रमाणित संलग्न लेनी चाहिए।

समुचित रूप से भरे गये आवेदन पत्रों को उसी डाकघर/बैंक में जमा किया जाना चाहिये, जहां से वह इसी प्रकार क्रय किया गया है।

(ख) **बुलावा पत्रः-** अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों का परीक्षण बुलावा पत्र जारी किये जाने के पूर्व किया जायेगा। यदि कोई प्रमाण पत्र आवेदन पत्र में प्रस्तुत किया दर्शाया गया हो किन्तु उसमें संलग्न न पाया गया होतो अभ्यार्थी का आवेदन निरस्त किया जा सकता कम्प्यूटर के माध्यम से आवेदन पत्र की जाँच किये जाने के पश्चात् कम्प्यूटरीकृत बुलावा पत्र अभ्यार्थिंयों को उसी डाकघर के माध्यम से जारी किये जायेंगे जहाँ से आवेदन पत्र क्रय किया गया हो । शारीरिक मानक परीक्षा, शारीरिक दक्षता और समय चिकित्सा परीक्षा का दिनांक और समय सहित कोड/नाम/डाक का पता/परीक्षा केन्द्र स्थल का उल्लेख बुलावा पत्र में स्पष्ट रूप से किया जाएगा। ऐसे दस्तावेजों, जो अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा के लिए ले जाने हेतु अपेक्षित हों, को बुलावापत्रों में स्पष्ट रूप से इंगित किया जाएगा। बुलावापत्र परीक्षा प्रारम्भ होने से कम से कम एक सप्ताह पूर्व पहुँच जाने चाहिए। यदि परीक्षा बुलावा परीक्षा होने के दिनांक से एक सप्ताह पूर्व तक प्राप्त नहीं होता है तो अभ्यर्थी हेल्प लाईन से सम्पर्क कर सकते हैं, इस सम्बन्ध में आवेदनपत्र का क्रमिक कोड देना होगा।

(ग) शारीरिक मानक परीक्षा

समस्त पात्र अभ्यर्थी एक अर्हकारी प्रकृति की शारीरिक मानक परीक्षा में सम्मिलित होंगे जिसकी प्रक्रिया परिशिष्ट-1 में दी गयी है।

(घ) शारीरिक दक्षता परीक्षाः– ऐसे अभ्यर्थियों जो नियम 15 ग के अधीन शारीरिक मानक परीक्षा में सफल घोषित किये गये हो, से अर्हकारी प्रकृति की शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी प्रकिया परिशिष्ट–2

(ड.) चिकित्सा परीक्षा :– शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों से चिकित्सा परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी, जिसकी प्रक्रिया परिशिष्ट–3 में दी गयी है।

(च) **लिखित परीक्षा :–** चिकित्सा परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों से लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी जिसकी प्रकिया परिशिष्ट 4 में दी गयी है।

(छ) अन्तिम चयन सूची :– बोर्ड राज्य की आरक्षण नीति को दृष्टिगत रखते हुए अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता कम में अन्तिम चयन सूची तैयार करेगा।

प्राप्तांक सहित श्रेष्ठता सूची वेबसाइट / सूचना पट्ट और समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाएगी जिससे कि वे स्वयं, इस तथ्य के बिना कि वे अनुत्तीर्ण या उत्तीर्ण हैं, अपने प्राप्ताकों की जांच कर सकें बाह्य सहयित एजेंसी जिलाऔर श्रेणीवार श्रेष्ठता सूची के आधार पर समुचित साफ्टवेयर विकसित करेगी। तद्नुसार जिला

(तीन) आवेदन-पत्र ओ.एम.आर. पत्रांक पर होगा।

(चार) अभ्यर्थियों के बायें और दाहिने दोनों अंगूठे के निशान के लिए आवेदन पत्र में स्थान होगा।

(पांच) अभ्यर्थी के दो अनुप्रमाणित फोटो समुचित स्थान पर चिपकाये जायेगें, एक फोटो आवेदन पत्र पर तथा दूसरा फोटो प्रवेश पत्र पर होगा।

(छः) आवेदन पत्र अधिसूचित बैंकों/डाकघरों से विहित शुल्क का भुगतान करने पर क्रय किया जा सकेगा।

(सात) प्रत्येक आवेदन पत्र में यथास्थिति आयु, दसवीं, बाहरवीं और स्नातक/स्नातकोत्तर के प्रमाण-पत्र खेल प्रमाण-पत्र राष्ट्रीय कैडेट कोर प्रमाण-पत्र, होमगार्ड प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्वतत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र की अनुप्रमाणित प्रतियॉ संलग्न होनी चाहिए।

समुचित रूप से भरे गये आवेदन पत्रों को उसी डाकघर/बैंक में जमा किया जाना चाहिये, जहां से वह क्रय किये गये है।

(ख) **बुलावा पत्रः-** बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रमाण पत्रों का परीक्षण बुलावा पत्र जारी किये जाने के पूर्व किया जायेगा। यदि कोई प्रमाण पत्र आवेदन पत्र में प्रस्तुत किया दर्शाया गया हो किन्तु उसमें संलग्न न पाया गया हो तो अभ्यार्थी का आवेदन निरस्त किया जा सकता है। कम्प्यूटर के माध्यम से आवेदन पत्र की जाँच किये जाने के पश्चात् कम्प्यूटरीकृत बुलावा पत्र पात्र अभ्यार्थिंयों को उसी डाकघर के माध्यम से जारी किये जायेंगे जहाँ से आवेदन पत्र क्रय किया गया हो । बोर्ड सम्यक रूप से विचार–विमर्श के पश्चात बुलावा पत्र भेजने के किन्हीं अन्य समुचित साधनों का भी प्रयोग कर सकता है। शारीरिक मानक परीक्षा, शारीरिक दक्षता और चिकित्सा परीक्षा का दिनांक और समय सहित कोड/नाम/डाक का पता/परीक्षा केन्द्र स्थल का उल्लेख बुलावा पत्र में स्पष्ट रूप से किया जाएगा। ऐसे दस्तावेजों, जो अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा के लिए लाये जाने हेतु अपेक्षित हों, को बुलावा पत्रों में स्पष्ट रूप से इंगित किया जाएगा। बुलावापत्र परीक्षा प्रारम्भ होने से कम से कम एक सप्ताह पूर्व पहुँच जाने चाहिए। यदि बुलावा परीक्षा प्रारम्भ होने के दिनांक से एक सप्ताह पूर्व तक प्राप्त नहीं होता है तो अभ्यर्थी हेल्प लाईन से सम्पर्क कर सकते हैं, इस सम्बन्ध में आवेदनपत्र का क्रमिक कोड देना होगा।

और श्रेणीवार श्रेष्ठता सूचियां प्रकाशित की जायेंगी, बाह्य राहायित एजेंसी जिसने लिखित परीक्षा संचालित की हो, अपने समक्ष अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित अभ्यर्थियों द्वारा उत्तर पत्रकों के साथ मुहरबंद प्रकरण में प्राप्तांकों की सूची बोर्ड के अध्यक्ष को उपलध करायेगी।	

****दिनांक 11.01.2011 से प्रतिस्थापित**	*****दिनांक 09.04.2013 से प्रतिस्थापित**
(सात) अभ्यर्थी द्वारा अपनी योग्यता यथा–आयु, लिंग, शैक्षिक अर्हता, श्रेणी, अधिमानी अर्हता, राष्ट्रीय कैडेट कोर, प्रादेशिक सेना, कम्प्यूटर अप्लीकेशन प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक और अपना निवास स्थान का उल्लेख, ओ.एम.आर. आवेदन पत्र में विहित स्थान पर करेगा। अभ्यर्थियों से ओ.एम.आर को भलीभांति भरकर प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी। आवेदन पत्र उसी डाकघर, बैंक में जहां से उन्हे खरीदा गया है जमा किये जायेगें। उपर्युक्त अर्हता विवरण से सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियों को अभ्यर्थियों के लिए प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। साथ ही टीम द्वारा संवीक्षा के समय शारीरिक मापदण्ड परीक्षण के स्थान पर मूल प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करना होगा। शारीरिक मापदण्ड परीक्षा संचालित करने वाली अधिकारियों की टोली सुसंगत प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतियों को स्वीकार करेगी और जमा मूल प्रमाण पत्रों से मिलान और संवीक्षा भी करेगा भी जो कि अभ्यर्थियों ने प्रस्तुत किये है और इन सभी दस्तावेजों की भर्ती की प्रक्रिया समाप्त पर अपने पास रखेगी और भविष्य में पुष्टि, प्रलेखीकरण के लिए नियुक्ति प्राधिकारी को सौंप देगी। **(ड.) चिकित्सा परीक्षा :–** शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों से चिकित्सा परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी, जिसकी प्रक्रिया परिशिष्ट–4 में दी गयी है। च) **लिखित परीक्षा :– लिखित** परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंको के आधार पर राज्य की आरक्षण नीति को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड अधिसूचित रिक्तियों के विरूद्ध बराबर–बराबर अंक प्राप्त हो जिसकी जन्मतिथि समान हो तो ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी जिनका नाम अंग्रजी वर्णमाला के कम मे पहले हो। (छ) नियम–15 के खण्ड (च) के अधीन बोर्ड से प्राप्त अन्तिम चयन सूची में स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जायेगी कि वे चिकित्सा परीक्षण द्वारा नियम 13 के अधीन चिकित्सा परीक्षण	**(क)आवेदन पत्र** (एक) अभ्यर्थी केवल एक जिले के लिए आवेदन-पत्र भरेगा। परीक्षा केन्द्र के आवटंन के सम्बन्ध में अभ्यर्थी एक से अधिक विकल्प दे सकता है। फिर भी बोर्ड अभ्यर्थी द्वारा इंगित केन्द्र से भिन्न केन्द्र आवंटन कर सकता है 1 (दो) शैक्षिक अर्हता , आयु प्रत्येक श्रेणी के परीक्षण, जिसके अर्न्तगत शारीरिक , लिखित चिकित्सीय आदि परीक्षण भी है, न्यूनतम अर्हक मानक विषयवार लिखित परीक्षा के लिये न्यूनतम अर्हक अंक , अभ्यास के लिये ओ0एम0आर0 पत्रक की प्रति के संबंध में सूचना का विवरण एवं अन्य महत्वपूर्ण दिशा निर्देश , जो समय–समय पर बोर्ड द्वारा अवधारित किया जाय, बोर्ड द्वारा उसकी बेवसाइट पर या किसी अन्य रीति से , जैसा वह आवश्यक समझे , उपलब्ध करायी जायेगी। (तीन) आवेदन–पत्र के लिये आवेदक को पर्याप्त समय देते हुये बोर्ड द्वारा आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जायेंगे। अभ्यर्थी आवेदन–पत्र की यथार्थता और पूर्णता के लिये व्यक्तिगत रूप से और अकेले ही उत्तरदायी होगा, यदि किसी अभ्यर्थी का आवेदन पत्र अपूर्ण , दोषपूर्ण या अयर्थाथ सूचना से युक्त है , तो आवेदन– पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा। (चार) आवेदक , अपने समस्त प्रमाण –पत्रों और दस्तावेजों को स्वंय प्रमाणित करेगा और उनकी यथार्थता तथा शुद्वता के लिये उत्तरदायी होगा। (पांच) विभागाध्यक्ष किसी भर्ती के लिये आवेदन–शुल्क नियत कर सकता है। (छः) अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत की गयी किसी पूर्ववर्ती या पश्चातवर्ती सूचना में किसी अपूर्णता या अयथार्थता या परिवर्तन या असंगति के लिये बोर्ड को किसी आवेदक का अभ्यर्थन सरसरी तौर पर अस्वीकार करने का अधिकार होगा। (सात) सरकार प्रथम परीक्षा के पूर्व किसी भी समय किसी भर्ती के लिये रिक्तियों की संख्या परिवर्तित कर सकती है और किसी भर्ती को किसी भी समय या भर्ती के किसी स्तर पर बिना कोई कारण बताये निरस्त कर सकती है। (ख) **बुलावा - पत्रः-** परीक्षा के कम से कम दस दिवस पूर्व अभ्यर्थियों को बुलावा–पत्र उपलब्ध कराया जायेगा। **(ग) प्रारम्भिक लिखित परीक्षा–** ऐसे अभ्यर्थियों , जिनके आवेदन सही पाये जाते है, अर्हकारी प्रकृति की वस्तुनिष्ठ प्रकार की एक प्रारम्भिक लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगा। इस परीक्षा में तीन सौ अंकों का एक प्रश्न–पत्र होगा, जिसमें समुचित स्तर का सामान्य ज्ञान, सामयिक विषय, तार्किक क्षमता और आंकिक क्षमता के प्रश्न होगें, जिसका पाठयकम बोर्ड द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जायेगा। जो अभ्यर्थी 35 प्रतिशत अंक पाने में विफल रहेगा वह भर्ती के लिये पात्र नहीं होगा। प्रारम्भिक लिखित परीक्षा उर्त्तीण करने वाले अभ्यर्थियों में से , रिक्तियों की संख्या दस गुनें के बराबर संख्या में शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिये पात्र होगें। **(घ) शारीरिक दक्षता परीक्षा –** पात्र अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता

****उ0प्र0 ना0पु0 आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली (द्वितीय संशोधन) 2011, द्वारा दिनांक 11.01.2011 से प्रतिस्थापित**
*****उ0प्र0 ना0पु0 आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली (तृतीय संशोधन) 2013, द्वारा दिनांक 09.04.2013 से प्रतिस्थापित**

कराया जायेगा, जिसकी प्रक्रिया परिशिष्ट 3 में दी गई है चिकित्सा परीक्षण में अभ्यर्थी के स्वस्थ्यत का निर्णय नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा लिया जायेगा।	परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी जो दस अंकों की होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा के आयोजन की प्रक्रिया, ऐसी होगी जैसी परिशिष्ट–2 में विहित की गयी है। (ड) **मुख्य लिखित परीक्षा** –शारीरिक दक्षता परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले पात्र अभ्यर्थियों से मुख्य लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की गयी जायेगी जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी और जिसके लिये 300 अंक होगें। लिखित प्रश्न पत्र में सामान्य जानकारी, मानसिक क्षमता , तर्क शक्ति और बोधगम्यता के प्रश्न होगें। परीक्षा के लिये विस्तृत पाठयक्रम बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जायेगा। लिखित परीक्षा के संचालन की प्रक्रिया परिशिष्ट–3 में यथा उल्लिखित रूप से होगी। ऐसे अभ्यर्थी , जो मुख्य लिखित परीक्षा में 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में विफल रहते है , भर्ती के लिये पात्र नहीं होगें। **(च)** दस्तावेजों की संवीक्षा और चिकित्सा परीक्षा बोर्ड प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तत्समय प्रवृत्त राज्य सरकार के आदेशों और अधिनियमन के उपबन्धों के अनुसार एक श्रेष्ठता सूची तैयार करेगा। उपर्युक्त अभ्यर्थियों के दस्तावेजों, की समीक्षा परिशिष्ट–4 के अनुसार की जायेगी। संवीक्षा के दौरान या संवीक्षा के पश्चात किसी भी समय किसी भी दस्तावेज को छलसाधित , गलत या कूटरचित पाये जाने की दशा में आवेदन का अभ्यर्थन बोर्ड और विभागाध्यक्ष के विवेक के अनुसार निरस्त कर दिया जायेगा। जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेज ठीक पाये जाते है वे परिशिष्ट–5 के अनुसार चिकित्सा परीक्षा में सम्मिलित होगें। **टिप्पणी –** चिकित्सा बोर्ड द्वारा अभ्यर्थियों तथा उनकी कमियों यथा-नाक-नी, बो-लेग्स, फ्लैट-फीट, वरीकोज वेन्स, दूर तथा निकट दृष्टि, कलर, ब्लाइन्डनेस तथा रीनेज परीक्षण, वेब्बर्स परीक्षण को समाविष्ट करते हुए श्रवण शक्ति परीक्षण की जाँच की जायेगी एवं अभ्यर्थियों का वर्टिगो, वाक् दोष आदि का परीक्षण, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाय, किया जायेगा। **(छ) चयन तथा श्रेष्ठता सूची-**बोर्ड राज्य की आरक्षण नीति को दृष्टिगत रखते हुए अभ्यर्थियों को उनकी श्रेष्ठता क्रम में एक अन्तिम चयन सूची तैयार करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर-बराबर अंक प्राप्त करते हैं तो उन अभ्यर्थियों को वरीयता दी जायेगी। जिन्होंने मुख्य लिखित परीक्षा में उच्चतर अंक प्राप्त किये हैं। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी मुख्य लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करते हैं तो ज्येष्ठतर अभ्यर्थी को श्रेष्ठता सूची में ऊपर रखा जायेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों का जन्म दिनांक एक समान हो तो नियम–9 में यथा उल्लिखित अधिमानी अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी को श्रेष्ठता सूची में ऊपर रखा जायेगा। अन्तिम सूची को वेबसाइट/सूचना पट्ट पर प्रकाशित किया जायेगा। यह सूची विभागाध्यक्ष को अग्रसारीत की जायेगी जो उसे अग्रतर कार्याही हेतु नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

****दिनांक 10.05.2013 से प्रतिस्थापित	*****दिनांक 04.06.2013 से प्रतिस्थापित
(छ) चयन सूची श्रेष्ठता सूचीः– (एक) शारीरिक मानक परीक्षा और चिकित्सा परीक्षा के सफल पाये गये अभ्यर्थियों में से बोर्ड द्वारा एक श्रेष्ठता सूची तैयार की जायगी। टिप्पणीः– यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर–बराबर अंक प्राप्त करतें हैं, तो श्रेष्ठता सूची	15. (क) आवेदन-पत्र (एक) अभ्यर्थी केवल एक जिले के लिये आवेदन-पत्र भरेगा। परीक्षा केन्द्र के आवंटन के सम्बन्ध में अभ्यर्थी एक से अधिक विकल्प दे सकता है फिर भी बोर्ड, अभ्यर्थी द्वारा इंगित केन्द्र से भिन्न केन्द्र आवंटन कर सकता है।

****उ0प्र0 ना0पु0 आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली (चतुर्थ संशोधन) 2013, द्वारा दिनांक 10.04.2013 से प्रतिस्थापित
*****उ0प्र0 ना0पु0 आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली (पंचम संशोधन) 2013, द्वारा दिनांक 04.06.2013 से प्रतिस्थापित

का निश्चय निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगाः– (एक) ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता प्रदानकी जायेगी जो अधिमानी अर्हता, यदि कोई हो, रखतें हों। एक से अधिक अधिमानी अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी को केवल एक ही अधिमानी अर्हता का लाभ प्राप्त होगा। (दो) उपरोक्त के होते हुए भी, यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों की श्रेणी समान हो तो मुख्य लिखित परीक्षा में उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जायेगी। (तीन) उपर्युक्त के होते हुए भी, यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के अंक बराबर–बराबर हों, तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जायेगी। (चार) यदि उपर्युक्त विचारों के बावजूद भी अंक बराबर–बराबर हों और जन्म दिनांक समान हो और मुख्य लिखित परीक्षा में भी अंक समान हो, तो ऐसे अभ्यर्थी को हाईस्कूल प्रमाण पत्र में यथाउल्लिखित प्रथम नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अक्षर के क्रम में वरीयता प्रदान की जायेगी। श्रेष्ठता सूची को वेबसाईट/सूचना पट्ट पर प्रकाशित किया जायेगा। (दो) बोर्ड आरक्षण नीति सम्बन्धी दिशा निर्देशों और बोर्ड को अधिसूचित की गयी रिक्तियों की कुल संख्याको दृष्टिगत रखते हुए अभ्यर्थियों की उनकी श्रेष्ठता क्रम में एक चयन सूची तैयार करेगा जो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चरित्र सत्यापन के अध्यधीन होगी। चयन सूची विभागाध्यक्ष को अग्रसारित की जायेगी जो उसे अनुमोदनापरन्त अग्रतर कार्यवाही हेतु नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।	(दो) शैक्षिक अर्हता, आयु, प्रत्येक श्रेणी के परीक्षण, जिसके अन्तर्गत शारीरिक, लिखित, चिकित्सीय आदि परीक्षण भी है, के लिए न्यूनतम अर्हक मानक, विषयवार लिखित परीक्षा के लिए न्यूनतम अर्हक अंक, अभ्यास के लिये ओ0 एम0 आर0 पत्रक की प्रति के सम्बन्ध में सूचना का विवरण एवं अन्य महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश जो समय समय पर बोर्ड द्वारा अवधारित किया जाय, बोर्ड द्वारा उसकी वेबसाइट पर या किसी अन्य रीति से जैसा वह आवश्यक समझे, उपलब्ध करायी जायेगी। (तीन) आवेदन पत्र के लिए आवेदक को पर्याप्त समय देते हुए बोर्ड द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगें। अभ्यर्थी आवेदन पत्र की यथार्थता और पूर्णता के लिए व्यक्तिगत रूप अकेले ही उत्तरदायी होगा, यदि किसी अभ्यर्थी का आवेदन पत्र अपूर्ण दोषपूर्ण या अयर्थात सूचना से युक्त है, तो आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा। (चार) आवेदक, अपने समस्त प्रमाण-पत्रों और दस्तावेजों को स्वयं प्रमाणित करेगा और उनकी यथार्थता तथा शुद्धता के लिये उत्तरदायी होगा। (पांच) आवेदन पत्र में पहचान विवरण यथाविशिष्ट पहचान पत्र संख्या, अंगूठा एवं अंगुली निशान, फोटोग्राफ या बायो मैट्रिक्स भी समुचित रीति से इस प्रकार समाविष्ट होगें। जैसा बोर्ड द्वारा समय–समाय पर विहित किया जाये। **(छ)** विभागाध्यक्ष किसी भर्ती के लिए आवेदन-शुल्क नियत कर सकता है। **(सात)** अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत की गयी किसी पूर्ववर्ती या पश्चात्वर्ती सूचना में किसी अपूर्णता या अयथार्थता या परिवर्तन या असंगति के लिए बोर्ड को किसी आवेदक का अभ्यर्थन सरसरी तौर पर स्वीकार करने का अधिकार होगा। **(आठ)** सरकार प्रथम परीक्षा के पूर्व किसी भी समय किसी भर्ती के लिए रिक्तियों की संख्या परिवर्तित कर सकती है और किसी भर्ती को किसी भी समय या भर्ती के किसी स्तर पर बिना कोई कारण बताये निरस्त कर सकती है।

16. चरित्र सत्यापनः–

मूल नियम	*दिनांक 11.01.2011 से प्रतिस्थापन
नियुक्ति पत्र जारी किये जाने के पूर्व चरित्र सत्यापन पूर्ण किया जाता आवश्यक होगा। अभ्यर्थियों के चरित्र और उनके अपराधिक अभिलेख का सत्यापन जहां तक सम्भव हो, एक माह में पूर्ण कर लिया जाना चाहिए। **क.** चरित्र सत्यापन के लिए अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाएगी कि वे आयु प्रमाण पत्र, शैक्षिक अर्हता प्रमाण पत्र खेल प्रमाणपत्र, राष्ट्रीय कैडेट कोर, होमगार्ड प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, और भूतपूर्व सैनिकों के मामले में यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।	नियुक्ति पत्र जारी करने के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी के लिए अभ्यर्थियों के चरित्र पुष्टि पूर्ण किया जाना आवश्यक है। अभ्यर्थियों के चरित्र की पुष्टि/प्रशस्ति पत्र यथा सम्भव एक महीने के अन्दर पूर्ण की जायेगी। नियुक्ति पत्र जारी करने के पूर्व सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी के परिवेक्षण के अधीन चरित्र पुष्टि पूर्ण की जायेगी। चरित्र पुष्टि के दौरान चरित्र पुष्टि प्रतिकूल पाये जाने पर अभ्यर्थी नियुक्ति के लिये योग्य नहीं होगें। अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में संलग्नक फार्मेट पर राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित दो फोटो और दिये गये स्थान पर बायें और दायें अंगूठे का निशान लगाना पडेगा। अभ्यर्थी को अभ्यर्थियों के प्रत्येक श्रेणी की अन्तिम चयन सूची तैयार करेगा। इस प्रकार तैयार की गयी सूची को बोर्ड द्वारा अपनी संस्तुतियों के सहित विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जायेगा जो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संचालित की जाने वाली चिकित्सा परीक्षा और चरित्र/अभिलेख पुष्टि के अधीन होगा। यह सूची विभागाध्यक्ष द्वारा पुलिस मुख्यालय के लिए अग्रतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जायेगी। बोर्ड द्वारा कोई भी प्रतीक्षा सूची नही बनायी जायेगी। इस बात पर ध्यान दिये बिना वे सफल हुए है या विफल सभी

ख. अभ्यर्थियों को जन्म तिथि हेतु हाईस्कूल प्रमाण पत्र, खेल हेतु जिला/राज्य या राष्ट्रीय स्तर का प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र हेतु तहसीलदार या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित फोटो और संलग्न प्रारूप पर दाहिने और बांए हथेलियों के अंगूठे का निशान प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थियों को तहसील, विकासखण्ड, ग्राम व डाकघर का पिन कोड़ सहित डाक का पूर्ण पता भी प्रस्तुत करना होगा।	अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता सूची और अंको का विखण्डन वेबसाइट/नोटिस बोर्ड पर चिपकाया जायेगा और समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया जायेगा जिससे अभ्यर्थी अपनी योग्यता स्वयं समझ सके। बाहरी स्रोत अभिकरण अपेक्षित साफ्टवेयर को विकसित करेगा जिससे क्षैतिज और उर्ध्वाधर आरक्षण से संबंधित पहले से परिभाषित मानकों के आधार पर पूर्व अधिसूचित रिक्तियों के अनुसार श्रेष्ठता सूची बनायी जा सके। तदनुसार जनपदवार और श्रेणीवार श्रेष्ठता सूची बाहरी स्रोत अभिकरण द्वारा तैयार की जायेगी। बाहरी स्त्रोत अभिकरण सभी अभ्यर्थियों द्वारा अंकों को उपलब्ध करायेगा जिस पर उस पर प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे वह जिलेवार और श्रेणीवार चयन सूची उत्तर पुस्तिकाओं के साथ बोर्ड के अध्यक्ष की मुहरबन्द लिफाफे में प्रेषित करेगा। नोटः– यदि वे या दो से अधिक अभ्यर्थी बराबर– बराबर औसत अंक प्राप्त करते हैं तो नीचे उल्लिखित कम में श्रेष्ठता सूची की अन्तिम करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायेंगेः– (एक) ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जायेगा जो प्रादेशिक सेना में, न्यूनतम दो वर्ष तथा सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर, का बी प्रमाण पत्र द्वारा प्राप्त किया हो, या केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कम्प्यूटर अप्लीकेशन में प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। जिस अभ्यर्थी के पास एक से अधिक अधिमानी अर्हता तो इस खण्ड के अधीन केवल एक अधिमानी अर्हता की गणना की जायेगी। (दो) यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी जिनको बराबर–बराबर अंक प्राप्त हो तो ऐसे अभ्यर्थियों को वरीयता दी जायेगी जो आयु में अधिक हों। (तीन) यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी जिसको आवेदन पत्र में दिये गये सुसंगत स्थान पर पूर्ण रूप से अपना स्थायी पता और पत्राचार पता के साथ तहसील विकासखण्ड, ग्राम, डाकघर और पिनकोड को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना होगा।

17- मुख्य आरक्षी के पद पर नियुक्ति पात्र अभ्यर्थियों

मूल नियम	दिनांक 20.05.2009 से प्रतिस्थापित	दिनांक 09.04.2013 से प्रतिस्थापित
17- मुख्य आरक्षी के पद पर नियुक्ति पात्र आरक्षियों के मध्य से पदोन्नति द्वारा निम्नलिखित रीति से की जाएगी : (क) पदोन्नति के लिये तात्पर्यित 50 प्रतिशत रिक्तियां विभागीय परीक्षा द्वारा भरी जाएगी। केवल ऐसे आरक्षी जिनकी आयु 40 वर्ष पूर्ण न हुयी हो, विभागीय परीक्षा में सम्मिलित होने का हकदार होंगे। (ख) पदोन्नति के लिए तात्पर्यित 50 प्रतिशत रिक्तियां अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए शारीरिक दक्षता परीक्षा, जो अर्हकारी प्रकृति की होगी, सहित ज्येष्ठता के आधार पर चयन द्वारा भरी जाएगी। विभागीय परीक्षा के माध्यम से मुख्य आरक्षी के पद पर नियुक्ति की विस्तृत प्रक्रिया परिशिष्ट –5 में और अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के माध्यम से परिशिष्ट –6 में दी गयी है।	17- मुख्य आरक्षी के पद पर नियुक्ति पात्र अभ्यर्थियों के मध्य से पदोन्नति द्वारा निम्नलिखित रीति से की जाएगी : (क) पदोन्नति के लिये तात्पर्यित 50 प्रतिशत रिक्तियां विभागीय परीक्षा द्वारा भरी जाएगी। केवल ऐसे आरक्षी जिनकी परिवीक्षा अवधि को छोडकर न्यूनतम तीन वर्ष की सेवा हो गयी हो और जिनकी 40 वर्ष आयु पूर्ण न हुयी हो, विभागीय परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार होंगे। (ख) पदोन्नति के लिए तात्पर्यित 50 प्रतिषत रिक्तियां अनुपयुक्त को	17. मुख्य आरक्षी के पद पर नियुक्ति, आरक्षी सिविल पुलिस के रूप में मौलिक रूप से भर्ती किये गये पात्र व्यक्तियों में से पदोन्नति द्वारा निम्नलिखित रीति में की जाती है—(क) पदोन्नति के लिये तात्पर्यित 25 प्रतिशत रिक्तियाँ विभागीय परीक्षा द्वारा भरी जायेगी। केवल वही आरक्षी जिनकी न्यूनतम सात वर्ष की सेवा है, जिसमें परिवीक्षा अवधि भी सम्मिलित है और जो 40वर्ष आयु पूर्ण न कर चुके हों, उक्त विभागीय परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार होंगे। (ख) पदोन्नति के लिये तात्पर्यित 75 प्रतिशत रिक्तियाँ अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुए अर्हकारी प्रकृति की शारीरिक दक्षता परीक्षा सहित ज्येष्ठता के आधार पर चयन द्वारा भरी जायेगी। इस उपबन्ध के अधीन केवल वे ही आरक्षी ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति के लिए पात्र होंगे

*उ0प्र0 ना0पु0 आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली (प्रथम संशोधन) 2011, द्वारा दिनांक 20.05.2009 से प्रतिस्थापित

**उ0प्र0 ना0पु0 आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली (तृतीय संशोधन) 2013, द्वारा दिनांक 09.04.2013 से प्रतिस्थापित

	अस्वीकार करते हुए शारीरिक दक्षता परीक्षा, जो अर्हकारी प्रकृति की होगी, सहित ज्येष्ठता के आधार पर चयन द्वारा भरी जाएगी। विभागीय परीक्षा के माध्यम से मुख्य आरक्षी के पद पर नियुक्ति की विस्तृत प्रकिया परिशिष्ट –5 में और अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के माध्यम से परिशिष्ट –6 में दी गयी है।	जिनकी सेवा परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए न्यूनतम सात वर्ष की हो। टिप्पणी : 1. रिक्ति के वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती पाँच वर्षों में जिन आरक्षियों के सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र रोके गये हैं या जिनको बृहद दण्ड प्राप्त हुआ हो या कोई प्रतिकूल वार्षिक प्रविष्टि प्रदान की गयी है या पूर्ववर्ती तीन वर्षों में कोई लघु दण्ड प्राप्त हुआ हो, वे उस वर्ष में पदोन्नति के लिए पात्र नहीं होंगे। टिप्पणी : 2. ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति के लिए चयन समिति, समान ज्येष्ठता वाले अभ्यर्थियों के समूहों के लिए, ज्येष्ठता से आरम्भ करते हुए पदोन्नति की संस्तुति की गयी कुल संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक नहीं होगी। विभागीय परीक्षा के माध्यम से और अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के माध्यम से मुख्य आरक्षी के पद पर पदोन्नति की विस्तृत प्रक्रिया परिशिष्ट—6 में दी गयी है~

***दिनांक 04.06.2013 से प्रतिस्थापित**	****दिनांक 17.01.2014 से प्रतिस्थापित**
मुख्य आपक्षी के पद पर नियुक्ति, आरक्षी सिविल पुलिस के रूप में मौलिक रूप से भर्ती किये गये पात्र व्यक्तियों में से पदोन्नति द्वारा निम्नलिखित रीति में की जाती है- **(क)** मुख्य आरक्षी के स्वीकृत पदों की कुल संख्या के 100 प्रतिशत पद, अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त किये गये ऐसे आरक्षियों में से भरें जायेंगे जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए इस रूप में सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। (ख) उपखण्ड (क) के अधीन मुख्य आरक्षी के पद पर पदोन्नति के लिए निःसवंर्गीय पदों पर पदोन्नत ऐसे मुख्य आरक्षी भी पात्र होंगे जो अपेक्षाओं को पूरा करते हों। ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए मुख्य आरक्षी के पद पर पदोन्नति की प्रकिया प्ररिशिष्ट 2(2) में दी गयी है	**(ख)** वे आरक्षी जो बिना पारी पदोन्नति किये गये हों और मुख्य आरक्षी सिविल पुलिस के रूप में कार्यरत हो, भी अपनी मौलिक श्रेणी में अपनी ज्येष्ठता के अनुसार मुख्य आरक्षी सिविल पुलिस के पद पर पदोन्नति के लिये पात्र होगें।

भाग छः— प्रशिक्षण, नियुक्ति, परिवीक्षा स्थायीकरण और ज्येष्ठता

मूल नियम	*****दिनांक 11.01.2011 से प्रतिस्थापित**	******दिनांक 09.04.2013 से प्रतिस्थापित**
18. नियुक्ति :—नियुक्तियां, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और विशेष वर्गों की अन्य श्रेणियों के आरक्षण से सम्बन्धित नियमों और शासनादेशों का सर्वथा अनुसरण करते हुए श्रेष्ठता सूची के अनुसार की जायेगी। चरित्र और प्रमाण पत्रों का सत्यापन एक माह में पूर्ण कर लिया जाएगा। इसके पश्चात बोर्ड चयनित अभ्यर्थियों की सूची सम्बन्धित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को नियुक्ति पत्र जारी करने के लिए उपलब्ध करायेगा।	नियुक्तिः— नियुक्ति सूची क्षैतिज और उर्ध्वाधर आरक्षण के प्रचलित नियम के अनुसार तैयार की गयी चयन सूची के अनुसार किया जायेगा, जो चिकित्सा परीक्षा में स्वस्थ्यता और अभिलेख/प्रमाण पुष्टि के अधीन रहते हुए बोर्ड द्वारा नियम 15 के खण्ड (च) के अधीन प्रेषित हो। अभ्यर्थी को चिकित्सा परीक्षा में अस्वस्थ पाये जाने या अभिलेख/चरित्रपुष्टि में प्रतिकूल तथ्य की जानकारी प्राप्त होने पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अभ्यर्थी की अनर्हता के सम्यक विनिश्चय किया	नियुक्ति 18. नियम-15 के खण्ड (छ) और नियम-16 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थियों के नामों को उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे नियम—15 के खण्ड (छ) के अधीन तैयार की गयी सूची में हो, नियुक्ति करेगा। नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों को इस निर्देश के साथ नियुक्ति पत्र जारी करेगा कि वे पत्र के जारी किये जाने के दिनांक से या नियुक्ति पत्र में इस प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट किसी दिनांक से एक माह के भीतर सेवा प्रशिक्षण के लिए

*उ0प्र0 ना0पु0 आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली (पंचम संशोधन) 2013, द्वारा दिनांक 04.06.2013 से प्रतिस्थापित
**उ0प्र0 ना0पु0 आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली (छटवा संशोधन) 2014, द्वारा दिनांक 17.01.2014 से प्रतिस्थापित
***उ0प्र0 ना0पु0 आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली (द्वितीय संशोधन) 2011, द्वारा दिनांक 11.01.2011 से प्रतिस्थापित
****उ0प्र0 ना0पु0 आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली (तृतीय संशोधन) 2013, द्वारा दिनांक 09.04.2013 से प्रतिस्थापित

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक इस अनुदेश के साथ नियुक्ति पत्र जारी करेगा कि चयनित अभ्यर्थी एक माह के भीतर अपनी ड्यूटी/प्रशिक्षण हेतु योगदान देंगे जिसमें विफल होने पर चयन सूची के अन्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान कर दी जायेगी। परन्तु सेवा में किसी पद पर इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व नियुक्त और उस पद पर कार्यरत कोई व्यक्ति इस नियमावली के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त किया गया समझा जायेगा और ऐसी मौलिक नियुक्ति इस नियमावली के अधीन की गयी समझी जायेगी।	जायेगा। (क) नियुक्ति के पूर्व अभ्यर्थी अपेक्षित आयु प्रमाण पत्र शैक्षिक अर्हता प्रमाण पत्र खेल प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय कैडेट कोर/प्रादेशिक सेना/कम्प्यूटर अप्लीकेशन प्रमाण पत्र होमगार्ड सेवा के सबूत का प्रमाण पत्र चरित्र प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक/यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण पत्र उर्घ्वाधर आरक्षण के मामले में जाति प्रमाण पत्र और क्षैतिज आरक्षण में अधिवास प्रमाण पत्र नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा। (ख) अभ्यर्थियों को जन्मतिथि के लिए अपेक्षित हाईस्कूल परीक्षा का प्रमाण पत्र, खेल के जिला/राज्य या राष्ट्रीय स्तर का प्रमाण पत्र, जहां उर्ध्वाधर या क्षैतिज आरक्षण का मामला हो वहां पर अधिवारा और श्रेणी के सबूत के लिए जिला मजिस्ट्रेट या तहसीलदार द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थियों को राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित अपने प्रमाण पत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत करना होगा और आवेदन पत्र के साथ संलग्नक प्रारूप पर दायें और बायें हथेलियों के अंगूठे का निशान प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थियों की अलग-अलग स्थायी पता और पत्राचार पता, प्रत्येक के साथ डाकघर सहित पिनकोड, विकासखण्ड, तहसील का पूर्ण पता प्रस्तुत करना होगा। (ग) नियुक्ति प्राधिकारी इस निर्देश के साथ नियुक्ति पत्र जारी करेगा कि चयनित अभ्यर्थी एक महीने के अन्दर अपनी सेवा/प्रशिक्षण में योगदान देगा, जिसमें असफल होने पर उसका चयन निरस्त समझा जायेगा परन्तु यह कि इस निमयावली के प्रारम्भ होने के पूर्व कोई स्थापित सेवा में किसी पद पर नियुक्ति हुआ हो और वह उस पद पर कार्य कर रहा है तो इस नियमावली के अधीन नियुक्त किया गया समझा जायेगा तथा ऐसी मौलिक नियुक्ति इस नियमावली के अधीन बनायी गयी समझी जायेगी।	उपस्थित होने के विषय में सूचित कर दें, ऐसा न करने पर उनके चयन/नियुक्ति को निरस्त कर दिया जायेगा। परन्तु यह कि इस नियमावली के प्रारम्भ के पूर्व से सेवा में किसी पद पर नियुक्ति और कार्यरत किसी व्यक्ति को इस नियमावली के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त किया गया समझा जायेगा।

19. प्रशिक्षणः—परिवीक्षा अवधि के दौरान परिवीक्षाधीन व्यक्ति से ऐसा प्रषिक्षण प्राप्त करने की अपेक्षा की जाएगी जैसा कि राज्य सरकार या विभागाध्यक्ष द्वारा विहित किया जाय।

20. परिवीक्षा :–

मूल नियम	दिनांक 20.05.2009 से प्रतिस्थापित
(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जाएगा। (2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ाई जाय। परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाए परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी। (3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों को पर्याप्त उपयोग नहीं किया है, या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है। (4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायं, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा। (5) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थापनापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।	(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जाएगा। (2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ाई जाय। परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाए परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी। (3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति बढाई गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी के संतोषानुसार पर्याप्त सुधार नहीं किया हो तो उसे उसके मौलिक पद पर यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है। (4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायं, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा। (5) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थापनापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनारर्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

21.स्थायीकरण :-(1) नियम 20 के उपनियम (1) और (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जाएगा यदि—

(क) उसने सफलतापूर्वक विहित प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो

(ख) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय

(ग) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय।

(2) जहाँ उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है वहाँ उस नियमावली के नियम-5 के उपनियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुए आदेश कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी की ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

मूल नियम	दिनांक 09.04.2013 से प्रतिस्थापित
22.ज्येष्ठता :-सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।	22. सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता, समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार इस प्रतिबन्ध के साथ अवधारित की जायेगी, कि किसी पूर्ववर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्ति पश्चात्वर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्ति से ज्येष्ठ होगा।

*उ0प्र0 ना0पु0 आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली (प्रथम संशोधन) 2009, द्वारा दिनांक 20.05.2009 से प्रतिस्थापित

**उ0प्र0 ना0पु0 आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली (तृतीय संशोधन) 2013, द्वारा दिनांक 09.04.2013 से प्रतिस्थापित

23. वेतनमानः-(1) सेवा के विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्ति व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान निम्नानुसार हैं।

पद का नाम	वेतनमान
1.**आरक्षी**	रु. 3050-75-3950-80-4590
2.**मुख्य आरक्षी**	रु. 3200-85-4900

24. परिवीक्षा अवधि में वेतन :–

मूल नियम	दिनांक 20.05.2009 से प्रतिस्थापित
(1)फन्डामेन्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और प्रशिक्षण जहॉ विहित हो, पूरा कर लिया हो और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जाएगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो। परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जाएगी जब तक कि नियुक्त प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें। (2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो परिवीक्षा अवधि में वेतन, सुसंगत फण्डामेन्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगा। परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जाएगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।	फन्डामेन्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया हो एवं प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया हो और द्वितीय वेतनवृद्धि / दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जाएगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो। परन्तु यदि संतोष परिवीक्षा अवधि विफलता के कारण परिवीक्षा अवधि बढायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जाएगी जब तक कि नियुक्त प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें। (2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो परिवीक्षा अवधि में वेतन, सुसंगत फण्डामेन्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगा। परन्तु यदि संतोषजनक परिवीक्षा अवधि में विफलता के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जाएगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे। (3) किसी परिवक्षाधीन व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सेवा में हो के वेतन का विनियमन, राज्य के मामलों में सेवारत सामान्यतः सरकारी सेवकों हेतु लागू सुसंगत नियमों द्वारा किया जाएगा।

भाग-सात– अन्य उपबन्ध

25.पक्ष समर्थन :- किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर चाहे लिखित हों या मौखिक विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थता के लिए प्रत्यक्षा या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थ प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

26.अन्य विषयों का विनियमनः- ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा शाषित होंगे।

*उ0प्र0 ना0पु0 आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली (प्रथम संशोधन) 2009, द्वारा दिनांक 20.05.2009 से प्रतिस्थापित

27. सेवा की शर्तो में शिथिलताः-

जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में असम्यक कठिनाई हेाती है, वहाँ वह उस मामले में लागू नियमों में से किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुये , जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और सम्पूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझें, अभियुक्त या शिथिल कर सकते हैं या

29. **व्यावृत्ति :–**

इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आचरण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट-1

<u>सीधी भर्ती के लिये शारीरिक परीक्षण</u>

मूल नियम	*दिनांक 20.05.2009 से प्रतिस्थापित	**दिनांक 11.01.2011 से प्रतिस्थापित
शारीरिक मानक परीक्षण : पुरूष और महिला अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नप्रकार है – 1-पुरूष अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक – **ऊंचाई** (1) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये 168 सेंटीमीटर; (2) जनजातीय अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम ऊंचाई 160 सेन्टीमीटर है। **सीने का फुलावः-** सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों/अनुसूचित जातियों के लिए फुलाने पर 84 सेमी0 अनुसूचित जनजातियों के लिए 82 सेमी0 टिप्पणी :- न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है। 2. महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक- **ऊंचाई** (1) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों ओर अनुसूचित जातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर है। (2) अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 147 सेंटीमीटर है। **वजनः- 45** से 58 **किलोग्राम** (3) स्टेडियम/पुलिस लाईन जहां कही भी परीक्षण आयोजित हो वहां परीक्षा आयोजन के पूर्व सूचना पट्ट (बोर्ड) पर प्रत्येक परीक्षण हेतु अर्हता के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक को अत्यन्त प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाय। (4) सम्पूर्ण राज्य में शारीरिक मानक परीक्षण पुलिस लाईन/स्टेडियम में आयोजित किया जाय। एक दिन में अभ्यर्थियों की संख्या 200 से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह परीक्षा उसी दिन आरंभ होनी चाहिए किन्तु गठित किये गए दलों की संख्या जिले में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर घट बढ़ सकती है। (5) दल के सदस्य, जो जानबूझकर गलत रिपोर्ट देते हुये पाये जाते हैं दाण्डिक कार्यवाही के भागी होंगे।	**शारीरिक मानक परीक्षण :** शारीरिक मानक परीक्षा का संचालन 3 सदस्यीय दल द्वारा किया जायेगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे— 1. परगना मजिस्ट्रेट/उप कलेक्टर 2. चिकित्सक/कोषाधिकारी/राष्ट्रीय कैडेटकोर अधिकारी 3. पुलिस उप अधीक्षक 1. पुरूष अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक-**ऊंचाई** (1) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये 168 सेंटीमीटर; (2) जनजातीय अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम ऊंचाई 160 सेन्टीमीटर है। **सीने का फुलावः-** सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों/अनुसूचित जातियों के लिए फुलाने पर 84 सेमी0 अनुसूचित जनजातियों के लिए फुलाने पर 82 सेमी0 टिप्पणी :- न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है। 2.महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक- **ऊंचाई** (1) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों ओर अनुसूचित जातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर है। (2) अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 147 सेंटीमीटर है। **वजनः- 45** से 58 **किलोग्राम** (3) स्टेडियम/पुलिस लाईन जहां कही भी परीक्षण आयोजित हो वहां परीक्षा आयोजन के पूर्व सूचना पट्ट पर प्रत्येक परीक्षण हेतु अर्हता के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक को अत्यन्त प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाय। (4) सम्पूर्ण राज्य में शारीरिक मानक परीक्षण पुलिस लाईन/स्टेडियम में आयोजित किया जाय। एक दिन में अभ्यर्थियों की संख्या 200 से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह परीक्षा उसी दिन आरंभ होनी चाहिए किन्तु गठित किये गए दलों की संख्या जिले	**शारीरिक मानक परीक्षण :** तीन सदस्यीय एक दल द्वारा किया जायेगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे— 1. परगना मजिस्ट्रेट/डिप्टी कलेक्टर 2. चिकित्सक/क्रीड़ाधिकारी/राष्ट्रीय कैडेटकोर अधिकारी 3. पुलिस उप अधीक्षक (1) दल के सदस्यों का यह दायित्व होगा कि वे अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किये गये मूल और सत्यापित फोटो प्रतियों की संवीक्षा करे और ये संविक्षा शारीरिक मानक परीक्षण के स्थान पर भी की जायेगी और यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र में दी गयी सूचना और उसके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों में कोई व्यक्तिकम हो तो उसकी जांच की जायेगी। प्रमाण पत्रों अर्थात आयु प्रमाण पत्र, शैक्षिक अर्हता प्रमाण पत्र, खेल प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय कैडेट कोर/प्रादेशिक सेना/कम्प्यूटर अप्लीकेशन प्रमाण पत्र, होमगार्ड में सेवा करने का प्रमाण पत्र चरित्र प्रमाण पत्र भूतपूर्व सैनिक/यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र, यदि उर्ध्वाधर आरक्षण का दावा किया जाय और आवास प्रमाण पत्र यदि क्षैतिज आरक्षण का दावा किया जाय जो नियम 15 के खण्ड (क) के उपखण्ड (सात) के अधीन दिया गया हो की भलीभांति परीक्षण और मिलान करने के पश्चात दल सुसंगत प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपियों को स्वीकार करेगा और उन्हे अपने पास उस समय तक रखेगा जब तक कि भर्ती प्रक्रिया समाप्त ना हो जाय। तत्पश्चात उन्हें भविष्य में प्रलेखीकरण और पुष्टि के लिए नियुक्त प्राधिकारी को सौंप दिया जाय। (2) सामान्य/अन्य पिछडी जातियों और अनुसूचित जातियों के सम्बन्धित पुरूष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक ऊंचाई

*उ0प्र0 ना0पु0 आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली (प्रथम संशोधन) 2009, द्वारा दिनांक 20.05.2009 से प्रतिस्थापित

**उ0प्र0 ना0पु0 आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली (द्वितीय संशोधन) 2011, द्वारा दिनांक 11.01.2011 से प्रतिस्थापित

(6) इस अर्हकारी परीक्षा का परिणाम, परीक्षण के समाप्त होने के तत्काल बाद परीक्षणवार प्रत्येक अभ्यर्थी के परिमापों का उल्लेख करते हुए माईक पर उद्घोषित किया जायेगा, और सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा और यदि संभव हो तो बोर्ड की वेबसाइट पर भी नित्य अपलोड किया जायेगा। (7) शारीरिक मानक परीक्षण की परीक्षा के लिये भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन वाले मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग किया जाय।	में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर घट बढ़ सकती है। (5) दल के सदस्य, जो जानबूझकर गलत रिपोर्ट देते हुये पाये जाते हैं दाण्डिक कार्यवाही के भागी होंगे। (6) इस अर्हकारी परीक्षा का परिणाम, परीक्षण के समाप्त होने के तत्काल बाद परीक्षणवार प्रत्येक अभ्यर्थी के परिमापों का उल्लेख करते हुए माईक पर उद्घोषित किया जायेगा, और सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा और यदि संभव हो तो बोर्ड की वेबसाइट पर भी नित्य अपलोड किया जायेगा। (7) शारीरिक मानक परीक्षण की परीक्षा के लिये भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन वाले मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग किया जाय।	168 सेंटीमीटर और अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर है। सीने की मापः– सामान्य/अन्य पिछडी जातियों और अनुसूचित जातियों के सम्बन्धित पुरूष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का माप 79 सेंटीमीटर (बिना फुलाने पर) और कम से कम 84 सेंटीमीटर (फुलाने पर) एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए 77 सेंटीमीटर (बिना फुलाने पर) और 82 सेंटीमीटर (फुलाने पर) से कम नही होगा। नोटः– न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है । 3. महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक- **ऊंचाई** (1) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों ओर अनुसूचित जातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर है। (2) अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 147 सेंटीमीटर है। **वजनः-** न्यूनतम 40 **किलोग्राम** (4) स्टेडियम/पुलिस लाईन में जहां कही भी परीक्षण आयोजित हो वहां परीक्षा आयोजन के पूर्व सूचना पट्ट पर प्रत्येक परीक्षण हेतु अर्हता के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक को अत्यन्त प्रमुखता से प्रदर्षित किया जायेगा। (5) सम्पूर्ण राज्य में शारीरिक मानक परीक्षण पुलिस लाईन/स्टेडियम में आयोजित किया जाय। एक दिन में अभ्यर्थियों की संख्या 200 से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह परीक्षा उसी दिन आरंभ होनी चाहिए किन्तु गठित किये गए दलों की संख्या जिले में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर घट बढ़ सकती है। (6) दल के सदस्य, जो जानबूझकर गलत रिपोर्ट देते हुये पाये जाते हैं दाण्डिक कार्यवाही के भागी होंगे। (7) इस अर्हकारी परीक्षा का परिणाम, परीक्षण के समाप्त होने के तत्काल बाद परीक्षणवार प्रत्येक अभ्यर्थी के परिमापों का उल्लेख करते हुए माईक पर उद्घोषित किया जायेगा, और सूचना

		पट्ट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा और यदि संभव हो तो बोर्ड की वेबसाइट पर भी नित्य अपलोड किया जायेगा। (8) शारीरिक मानक परीक्षण की परीक्षा के लिये भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन वाले मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग किया जाय।

परिशिष्ट-2

मूल नियम	*दिनांक 11.01.2011 से प्रतिस्थापित
<u>सीधी भर्ती के लिये शारीरिक दक्षता परीक्षण</u> शारीरिक शारीरिक दक्षता परीक्षण तीन सदस्यीय एक दल द्वारा किया जायेगा , जिसमें निम्नलिखित सदस्य होगें :- 1. परगना मजिस्ट्रेट/डिप्टी कलेक्टर; 2. चिकित्सक/क्रीड़ा अधिकारी/राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिकारी; 3. पुलिस उप अधीक्षक (क) पुरूष अभ्यर्थियों से 60मिनट में 10 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थियों से 35 मिनट 5 किलोमीटर की दौड पूरा किया जाना अपेक्षित है। यह दौड केवल अर्हकारी (ख) ऐसे प्रत्येक दल के लिये अभ्यर्थियों की संख्या एक दिन में 100 से अधिक नही होनी चाहिए जिससे कि परीक्षण की गुणवत्ता और प्रक्रिया प्रभावित न होने पाये। यह परीक्षण सम्पूर्ण राज्य में एक सप्ताह में पूर्ण किया जाएगा। अभ्यर्थियों की अत्यधिक संख्या के कारण बोर्ड समयावधि बढाने का निर्णय ले सकता है। (ग) प्रत्येक परीक्षण हेतु अर्हता के लिये न्यूनतम शारीरिक मानकों का प्रदर्शन स्टेडियम में सूचना पट्ट पर प्रमुखता से किया जायेगा और जहां स्टेडियम उपलब्ध न हों वहां शारीरिक दक्षता परीक्षण पुलिस लाईन में आयोजित किया जाना चाहिए। (घ) शारीरिक दक्षता परीक्षण केवल अर्हकारी प्रकृति का है और इसका श्रेष्ठता सूची पर कोई प्रभाव नहीं होगा। इस अर्हकारी परीक्षण का परिणाम सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जायेगा और जहॉ संभव हो बोर्ड की वेबसाइट पर नित्य अपलोड किया जायेगा। (ङ) जब भी 100 अभ्यर्थियों की परीक्षा पूरी हो जाय तो सफल अभ्यर्थियों की सूची परगना मजिस्ट्रट/डिप्टी कलेक्टर और पुलिस उप अधीक्षक के संयुक्त हस्ताक्षर से घोषित की जाएगी। (च) शारीरिक दक्षता परीक्षण दल के जो सदस्य जानबूझकर गलत रिपोर्ट देते हुये पाये जाते है दाण्डिक कार्यवाही के भागी होंगे। (छ) शारीरिक दक्षता परीक्षण का परिणाम अभ्यर्थियों को उसी दिन उपलब्ध कराया जायेगा। सथी अभ्यर्थियों के परीक्षा परिणाम सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किये जायेंगे और बोर्ड की वेबसाईट पर यथा संभव नित्य अपलोड की जायेगी। (ज) शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों से तहसील/मुख्यालय और जिला चिकित्सालयों के अभिहित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, पद चिकित्सकीय स्वस्थ्यता परीक्षण पूरा करने की अपेक्षा की जाएगी। **(झ)** शारीरिक दक्षता परीक्षण की परीक्षा के लिये भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन वाले मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग किया जाय।	(ख) शारीरिक दक्षता परीक्षण दल के सदस्य सुनिश्चित करेगें कि सभी अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षण जो परीक्षा के लिए अनुसूची के अनुसार उपस्थित हो उसी दिन पूरी हो जाय। यह परीक्षण सम्पूर्ण राज्य में एक सप्ताह के अन्दर पूर्ण किया जाएगा। अभ्यर्थियों की अत्याधिक संख्या के कारण बोर्ड समयावधि बढने का निर्णय ले सकता है। (ड.) शारीरिक दक्षता पूर्ण होने पर समस्त सफल/असफल अभ्यर्थियों की सूची उसी दिन दल के सदस्य संयुक्त हस्ताक्षर से घोषित की जायेगी।
***दिनांक 09.04.2013 से प्रतिस्थापित**	****दिनांक 17.01.2014 से प्रतिस्थापित**
सीधी भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षण— 1. शारीरिक दक्षता परीक्षण का संचालन एक दल द्वारा किया जाता है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होते हैं—	सीधी भर्ती के लिये शारीरिक दक्षता परीक्षण— 1. शारीरिक दक्षता परीक्षण का संचालन एक दल द्वारा किया जाता है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होते हैं—

*उ0प्र0 ना0पु0 आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली (द्वितीय संशोधन) 2011, द्वारा दिनांक 11.01.2011 से प्रतिस्थापित

(एक) जनपद के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक डिप्टी कलेक्टर।
(दो) जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक चिकित्सा अधिकारी।
(तीन) जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक पुलिस उप अधीक्षक।
(चार) जनपद में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम-निर्दिष्ट नागरिक श्रेणी का अनुसूचित जाति का एक अधिकारी।
(पाँच) जनपद के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम-निर्दिष्ट नागरिक श्रेणी का अन्य पिछड़ा वर्ग का एक अधिकारी।
(छः) जनपद के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम-निर्दिष्ट अल्पसंख्यक श्रेणी का एक अधिकारी।

परीक्षा का संचालन करने के लिये यह दल किसी अन्य विशेषज्ञ की सहायता ले सकता है।

2. आरक्षी की सीधी भर्ती के लिये शारीरिक दक्षता परीक्षण में पुरुष अभ्यर्थियों को 48 किमी0 की दौड़ 30 मिनट के भीतर और महिला अभ्यर्थियों को 24 किमी0 की दौड़ 18 मिनट के भीतर पूर्ण करनी होगी। जो अभ्यर्थी नियत समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करते हैं, वे परीक्षा के अगले चरण में जाने के लिये अर्ह नहीं होंगे।

अंकों का आवंटन अभ्यर्थी द्वारा लिये गये समय-सीमा के आधार पर दौड़ के लिये किया जायेगा, जिसके लिये अधिकतम 100 अंक और न्यूनतम 60 अंक होंगे जो दौड़ में अर्हता प्राप्त करने वाले किसी अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये जा सकते हैं। अंकों का विभाजन निम्नवत् है।

(एक) पुरुषों के लिये 4.8 किलोमीटर की दौड़
(अर्हकारी तीस मिनट)

मिनट (') और सेकण्ड ('') में समय सीमा	
समय सीमा	अंक
20 तक	100
20 मिनट 01 सेकण्ड से 25	80
25 मिनट 01 सेकण्ड से 30	60

टिप्पणी— समय की संगणना सेकण्ड तक की जायेगी।

(दो) महिलाओं के लिये 2.4 किलोमीटर की दौड़ (अर्हकारी अठारह मिनट)

मिनट (') और सेकण्ड ('') में समय सीमा	
समय सीमा	अंक
14 तक	100
14 मिनट 01 सेकेण्ड से16	80
16 मिनट 01 सेकेण्ड से 18	60

टिप्पणी— समय की संगणना निकटतम सेकण्ड तककी जायेगी।

3. पदोन्नति द्वारा भर्ती हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षण में पुरुष अभ्यर्थियों को 3.2 किलोमीटर की दौड़ 30 मिनट में और महिला अभ्यर्थियों को 2.4 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में पूर्ण करनी होगी।
यह परीक्षण अर्हकारी अंकों का होगा।

4. दल द्वारा मैनुअल टाइमिंग प्रयोग किये जाने के अनुमति नहीं होगी। सी0सी0टी0वी0 कवरेज सहित मानकीकृत इलेक्ट्रानिक टाइमिंग उपकरण और पर्याप्त वैकअप के साथ बायोमैट्रिक्स का प्रयोग यथार्थता व पारदर्शिता सुनिश्चित करने एवं वेषपरिवर्तन से बचने के लिये किया

(एक) जनपद के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक डिप्टी कलेक्टर।
(दो) जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक चिकित्सा अधिकारी।
(तीन) जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक पुलिस उप अधीक्षक।
(चार) जनपद के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम-निर्दिष्ट नागरिक श्रेणी का अनुसूचित जाति का एक अधिकारी।
(पाँच) जनपद के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम-निर्दिष्ट नागरिक श्रेणी का अन्य पिछड़ा वर्ग का एक अधिकारी।
(छः) जनपद के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट अल्पसंख्यक श्रेणी का एक अधिकारी।

परीक्षा का संचालन करने के लिये यह दल किसी अन्य विशेषज्ञ की सहायता ले सकता है।

2. आरक्षी की सीधी भर्ती के लिये शारीरिक दक्षता परीक्षण में पुरुष अभ्यर्थियों को 4.8 किमी. की दौड़ 30 मिनट के भीतर और महिला अभ्यर्थियों को 2.4 किमी. की दौड़ 18 मिनट के भीतर पूर्ण करनी होगी। जो अभ्यर्थी नियत समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करते हैं, वे परीक्षा के अगले चरण में जाने के लिये अर्ह नहीं होंगे।

अंकों का आवंटन अभ्यर्थी द्वारा लिये गये समय-सीमा के आधार पर दौड़ के लिये किया जायेगा, जिसके लिये अधिकतम 100 अंक और न्यूनतम 60 अंक होंगे जो दौड़ में अर्हता प्राप्त करने वाले किसी अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये जा सकते हैं। अंकों का विभाजन निम्नवत् है।

(एक) पुरुषों के लिये 4.8 किलोमीटर की दौड़ (अर्हकारी तीस मिनट)

मिनट (') और सेकण्ड ('') में समय सीमा	
समय सीमा	अंक
20 तक	100
20 मिनट 01 सेकण्ड से 25 मिनट	80
25 मिनट 01सेकण्ड से 30 मिनट	60

टिप्पणी—समय की संगणना निकटतम सेकेण्ड तक की जायेगी।

(दो) महिलाओं के लिये 2.4 किलोमीटर की दौड़ (अर्हकारी अठारह मिनट)

मिनट (') और सेकण्ड ('') में समय सीमा	
समय सीमा	अंक
14 तक	100
14 मिनट 01 सेकण्ड से 16मिनट	80
16 मिनट 01 सेकण्ड से 18 मिनट	60

टिप्पणी—समय की संगगणना निकटतम सेकेण्ड तक की जायेगी।

जायेगा।
5. दल नीचे दी गयी प्रक्रिया का पालन करेगा—
(क) बोर्ड द्वारा प्रतिदिन परीक्षण कराये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का अवधारण किया जायेगा और उनका विनिश्चय परीक्षण कराये जाने वालों की कुल संख्या एवं विद्यमान दशाओं पर आधारित होगा।
(ख) प्रत्येक परीक्षण हेतु अर्हता के लिये भिन्न-भिन्न समय और न्यूनतम शारीरिक मानकों के लिये अंकों की सारणी परीक्षण स्थल पर सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जायेगी।
(ग) इस परीक्षण का परिणाम परीक्षण स्थल पर सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जायेगा और यदि सम्भव हुआ तो यथाशीघ्र बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा।
(घ) संगठनात्मक बल, जिसमें परीक्षण अभिकरण यदि कोई हो, भी सम्मिलित है, के ऐसे सदस्य जो जानबूझकर ऐसा कार्य करते हैं जो गलत हो या किसी ऐसे कार्य को नहीं करते हैं जिससे किसी अभ्यर्थी को अनुचित लाभ पहुँचता हो या उसका अहित होता हो, तो दण्डिक कार्यवाही/या विभागीय कार्यवाही के भागी होंगे।
(ङ) शारीरिक दक्षता परीक्षण का परिणाम अभ्यर्थियों को उसी दिन उपलब्ध कराया जायेगा। सफल अभ्यर्थियों की सूची टीम के सदस्य के संयुक्त हस्ताक्षर से घोषित की जायेगी।
(च) बहिर्कक्ष परीक्षण इस प्रकार किये जायेंगे कि परिणामों का मूल्यांकन किया जा सके और उन्हें बिना किसी हस्तगत मध्यक्षेप के यांत्रिक रूप से अभिलिखित किया जा सके। शारीरिक मानक परीक्षण के लिये अधिमानतः भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन वाले मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग किया जायेगा।
(छ) अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जायेगी कि वे दिये गये दिनांक और समय पर उपस्थित हो। ऐसे कारणों से जो उनके नियंत्रण के परे हो और जो लिखित रूप में अभिलिखित किये जायेंगे, किसी विशिष्ट समय पर परीक्षण किये जाने वाले अभ्यर्थियों के समूह हेतु परीक्षण के दिनांक एवं समय में बोर्ड द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। यदि कोई अभ्यर्थी नियत दिनांक पर परीक्षा में सम्मिलित होने में विफल रहता है तो उसे परीक्षा में असफल माना जायेगा। परीक्षा में सम्मिलित न होने के कारण अथवा विहित मानक प्राप्त न कर सकने के कारण असफल हो जाने वाले अभ्यर्थी को दूसरा मौका नहीं किया जायेगा और स्वास्थ्य के कारण या किसी अन्य आधार पर चाहे जो भी हो, पुनः परीक्षण के लिये कोई अपील नहीं की जा सकेगी।
टिप्पणी—समस्त वीडियो अभि-लेखों में व्यक्तिगत गोपनीयता का सम्मान रखा जायेगा और अभिलेख को सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जायेगा तथा किसी न्यायालय को उसके समन किये जाने पर या किसी जांच अधिकारी को बोर्ड की अनुमति से उपलब्ध कराया जायेगा।

3. दल द्वारा मैनुअल टाइमिंग प्रयोग किये जाने की अनुमति नहीं होगी। सी0 सी0 टी0 वी0 कवरेज सहित मानकीकृत इलेक्ट्रानिक टाइमिंग उपकरण और पर्याप्त बैकअप के साथ बायोमैट्रिक्स का प्रयोग यथार्थता व पारदर्शिता सुनिश्चित करने एवं वेष परिवर्तन से बचने के लिये किया जायेगा।

4. दल नीचे दी गये प्रक्रिया का पालन करेगा—

(क) बोर्ड द्वारा प्रतिदिन परीक्षण कराये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का अवधारण किया जायेगा और उनका विनिश्चय परीक्षण कराये जाने वालों की कुल संख्या एवं विद्यमान दशाओं पर आधारित होगा।

(ख) अर्हता के लिये प्रत्येक परीक्षण हेतु भिन्न-भिन्न समय और न्यूनतम शारीरिक मानकों के लिये अंकों की सारणी परीक्षण स्थल पर सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जायेगी।

(ग) इस परीक्षण का परिणाम परीक्षा स्थल पर सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जायेगा और यदि सम्भव हुआ तो यथाशीघ्र बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा।

(घ) संगठनात्मक दल, जिसमें परीक्षण अभिकरण यदि कोई हो, भी सम्मिलित है, के ऐसे सदस्य जो जानबूझकर ऐसा कार्य करते हैं जो गलत हो या किसी ऐसे कार्य को नहीं करते हैं जिससे किसी अभ्यर्थी को अनुचित लाभ पहुँचता हो या उसका अहित होता हो, तो वे दाण्डिक कार्यवाही/या विभागीय कार्यवाही के भागी होंगे।

(ङ) शारीरिक दक्षता परीक्षण का परिणाम अभ्यर्थियों को उसी दिन उपलब्ध कराया जायेगा। सफल अभ्यर्थियों की सूची टीम के सदस्यों के संयुक्त हस्ताक्षर से घोषित की जायेगी।

(च) बहिर्कक्ष परीक्षण इस प्रकार किये जायेंगे कि परिणामों का मूल्यांकन किया जा सके और उन्हें बिना किसी हस्तगत मध्यक्षेप के यांत्रिक रूप से अभिलिखित किया जा सके। शारीरिक मानक परीक्षण के लिये अधिमानतः भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन वाले मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग किया जायेगा।

(छ) अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जायेगी कि वे दिये गये दिनांक और समय पर उपस्थित हों। ऐसे कारणों से जो उनके नियंत्रण के परे हों और जो लिखित रूप में अभिलिखित किये जायेंगे, किसी विशिष्ट समय पर परीक्षण किये जाने वाले अभ्यर्थियों के समूह हेतु परीक्षण के दिनांक एवं समय में बोर्ड द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। यदि कोई अभ्यर्थी नियत दिनांक पर परीक्षा में सम्मिलित होने में विफल रहता है तो उसे परीक्षा में असफल माना जायेगा। परीक्षा में सम्मिलित न होने के कारण अथवा विहित मानक प्राप्त न कर सकने के कारण असफल हो जाने वाले अभ्यर्थी को दूसरा मौका नहीं दिया जायेगा और स्वास्थ्य के कारण या

	किसी अन्य आधार पर चाहे जो भी हो, पुनः परीक्षण के लिये कोई अपील नहीं की जा सकेगी। टिप्पणी— समस्त वीडियो अभिलेखों में व्यक्तिगत गोपनीयता का सम्मान रखा जायेगा और अभिलेख को सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जायेगा तथा किसी न्यायालय को उसके समन किये जाने पर या किसी जॉच अधिकारी को बोर्ड की अनुमति से उपलब्ध कराया जायेगा।

परिशिष्ट-3

सीधी भर्ती के लिये चिकित्सीय परीक्षण

मूल नियम	*दिनांक 11.01.2011 से प्रतिस्थापित	**दिनांक 09.04.2013 से प्रतिस्थापित
चिकित्सा परीक्षा परिषद :- जिन अभ्यर्थी ने शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है वे अधिसूचित केन्द्रो पर (जिला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला चिकित्सालय और तहसील सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र) जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा गठित चिकित्सा परिषद द्वारा चिकित्सीय परीक्षा करायेंगे। प्रत्येक चिकित्सा परिषद के लिये अभ्यर्थियों की संख्या (एक दिन में 50 से अधिक नहीं) इस प्रकार निर्धारित की जायेगी कि उससे चिकित्सा परीक्षण की प्रक्रिया और प्रभावित नहीं होगी। सम्पूर्ण राज्य में चिकित्सीय परीक्षण एक सप्ताह के भीतर पूरी कर ली जायेगी। यदि अभ्यर्थियों की अधिक संख्या के कारण और समय की **अपेक्षा** हो तो पुलिस सेवा भर्ती और पदोन्नति बोर्ड **अपने स्तर पर** निर्णय लेकर अपेक्षित समय का **वि**निश्चय कर **सकता** है। जहां कभी भी परीक्षण आयोजित होता है, परीक्षा आयोजन के पूर्व चिकित्सकीय परीक्षण हेतु अर्हता के लिये न्यूनतम अपेक्षा**ओं** को जिला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला अस्पताल और तहसील सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के सूचना पट्टों पर अत्यन्त प्रमुखता से प्रदर्शित की जायेगी। **चिकित्सा मैनुअल के अनुसार चिकित्सकों द्वारा परीक्षण—** (क)चिकित्सको द्वारा अभ्यर्थियों का परीक्षण चिकित्सा मैनुअल के अनुसार	चिकित्सा परीक्षा परिषदः— लिखित परीक्षा पूर्ण होने पर ऐसे अभ्यर्थियों जो उत्तीर्ण हुए हो और अंतिम चयन सूची में स्थान प्राप्त किये हो, को अधिसूचित केन्द्रों पर (जिला सामुदायिक केन्द्र, जिला चिकित्सालय और तहसील सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र) जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा गठित चिकित्सा बोर्ड द्वारा आयोजित चिकित्सा परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। इस संव्यवहार का पर्यवेक्षण नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा। प्रत्येक चिकित्सा बार्ड के लिये अभ्यर्थियों की संख्या (एक दिन में अनाधिक 50) का विनिश्चय इस प्रकार किया जायेगा कि चिकित्सा परीक्षा की गुणवत्ता और प्रक्रिया प्रभावित न हों। चिकित्सा परीक्षा सम्पूर्ण राज्य में एक सप्ताह के अर्न्तगत पूर्ण की जायेगी यदि चिकित्सा परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या अधिक हो तो नियुक्ति प्राधिकारी के स्तर पर अपेक्षानुसार समय बढाने के लिए विनिश्चय किया जा सकता है । चिकित्सा परीक्षा संचालन के पूर्व चिकित्सा परीक्षा अर्ह होने के लिए न्यूनतम अपेक्षाओं को जिला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जिला चिकित्सालय या तहसील सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जहां कही भी चिकित्सा परीक्षा संचालित की जा रही हो, के सूचना पट्ट पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जायेगा। (क) चिकित्सकों द्वारा अभ्यर्थियों का परीक्षण चिकित्सा मैनुअल के अनुसार किया जायेगा। चिकित्सा परिषद मुख्यतया मानव शरीर की कमियों, गंधो नॉक—नी, बो—लेग्स, फ्लेट—कीट बेरिकट वेन्स दूर	लिखित परीक्षा के लिये प्रक्रिया (क) लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी स्वयं के हस्तलेख में लिखेंगे। किसी भी मुंशी (स्काइब) को किसी भी कारण से अनुमति नहीं दी जायेगी। (ख) यह स्पष्ट रूप से इंगित किया जायेगा कि लिखित परीक्षाएं वर्णनात्मक प्रकार की होगी या वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी प्रकार की होंगी। (ग) लिखित परीक्षा के पश्चात् उत्तर पुस्तिकायें, जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा उपलब्ध करायी गयी सुरक्षित अभिरक्षा के माध्यम से मुहरबंद लिफाफे में बोर्ड को केन्द्रवार भेजी जायेगी। (घ) वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षाओं के लिये, अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये समस्त प्रश्नों के उत्तर बोर्ड के वेबसाइट पर उत्तरमाला के साथ अपलोड किये जायेंगे। (ङ) अभ्यर्थियों को दिये गये प्रश्न-पत्र इस प्रकार होंगे कि प्रश्नों का क्रम और साथ में विशिष्ट प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार न हों। प्रत्येक प्रश्न-पत्र पर एक विशिष्ट पहचान संख्या या क्रम अंकित होगा और अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जायेगी कि वे बोर्ड द्वारा निर्गत किये गये निर्देशों के अनुसार, जहां इस प्रकार अनुदेशित किया गया हो, उत्तर पुस्तिका पर उसे अभिलिखित करें। जब अभिलिखित करने के लिये अनुदेशित किया गया हो और अभ्यर्थी उसे अभिलिखित करने में असफल रहे हों, तो उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थियों को कोई अंक प्राप्त नहीं होगा। (च) यद्यपि समस्त प्रश्नों और उत्तरों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिये सभी

***उ0प्र0 ना0पु0 आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली (द्वितीय संशोधन) 2011, द्वारा दिनांक 11.01.2011 से प्रतिस्थापित**
****उ0प्र0 ना0पु0 आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली (तृतीय संशोधन) 2013, द्वारा दिनांक 09.04.2013 से प्रतिस्थापित**

किया जाएगा । चिकित्सा परिषद मुख्य रूप से मानव शरीर के कमियों, जैसे नोक-नी, टेढ़े- मेढ़े टांगे, चपटा पंजा, बेरीकोस नशे, दूर दृष्टि और निकट दृष्टि, रंगों को पहचानने में बाधा, श्रवण शक्ति का परीक्षण रिनीज टेस्ट सहित श्रवण परीक्षण, वेबर्स टेस्ट और वेरटिगो इत्यादि की जांच करेगा। परिषद विशेषज्ञों की राय प्राप्त करके अन्य परीक्षण कर सकता है। (ख)दिन के अंत में परिणामों को सूचना पट्ट पर प्रतिदिन प्रदर्शित किया जायेगा और माईक पर उदघोषित किया जाएगा और साथ ही जहां भी संभव हो परिषद की वेबसाईट पर अद्यावधिक किया जायेगा। (ग) चिकित्सा परिषद के सदस्य जानबूझकर गलत रिपोर्ट देते हुए पाये जाते । दाण्डिक कार्यवाही के भागी होंगे। (घ) चिकित्सकीय परीक्षण केवल अर्हकारी प्रकृति का है और इसका श्रेष्ठता सूची पर कोई प्रभाव न होगा।	एवं निकट दृष्टि,कलर ब्लाइन्डनेस, रिनीज टेस्ट सहित श्रवण परीक्षण, वेबर्स टेस्ट और वरटिंगो इत्यादि की जांच करेगा। परिषद, विशेषज्ञों की राय प्राप्त करके अन्य परीक्षण कर सकता है। (ख) दिन के अंत में परिणामों को सूचना पट्ट पर प्रतिदिन प्रदर्शित किया जाएगा और माईक पर उदघोषित किया जाएगा और साथ ही जहां भी संभव हो परिषद की वेबसाईट पर अद्यावधिक किया जायेगा। (ग) चिकित्सा परिषद के समस्य जो जानबूझ कर गलत रिपोर्ट देते पाये जाते हैं, दाण्डिक कार्यवाही के भागी होंगें। (घ) चिकित्सक परीक्षण केवल अर्हकारी प्रकृति का है और इसका श्रेष्ठता सूची पर कोई प्रभाव न होगा।	सावधानियों बरती जायेगी, फिर भी एक या एक से अधिक प्रश्न पत्रों में किसी प्रश्न के गलत होने की दशा में या बोर्ड की राय में, उत्तर का चुनाव अनन्य न होने या लिखित रूप में अभिलिखित किये गये किसी अन्य कारणों से बोर्ड किसी प्रश्न को निरस्त कर सकता है। फिर भी किसी कारण से किसी प्रश्न के निरस्त किये जाने की दशा में, प्रश्न के लिये आवंटित अंकों को और अभ्यर्थी द्वारा शेष प्रश्नों में प्राप्त किये गये अंकों के अनुपात में समायोजित कर लिया जायेगा। (छ) बोर्ड परीक्षा के लिये विस्तृत पाठ्य-विवरण विनिर्दिष्ट करेगा। तथापि पाठ्य-विवरण संकेतात्मक प्रकृति का होगा और परीक्षा समाप्त हो जाने के बाद पाठ्यक्रम द्वारा अनाच्छादित प्रश्नों से सम्बन्धित मामलों पर कोई अपील या आपत्तियाँ नहीं की जा सकेंगी। (ज) बोर्ड किसी प्रश्न-पत्र को खण्डों में विभक्त कर सकता है और दो या दो से अधिक विषयों को और दो या दो से अधिक प्रश्न-पत्रों को क्रमानुसार एक प्रश्न पत्र में संयुक्त कर सकता है। (झ) बोर्ड किसी परीक्षा के लिये एक न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत नियत कर सकता है और जब तक अन्यथा समाधान न हो जाय तब तक वह अग्रेतर ऐसे अभ्यर्थियों की परीक्षा नहीं ले सकता है जो पूर्ववर्ती चरण में विफल हो गये हों। (ञ) अभ्यर्थी द्वारा उसके किसी उत्तर पुस्तिका पर किये गये किसी हस्ताक्षर, अंकित किये गये नाम या असंगत चिन्ह, सिवाय अभ्यर्थी को दिये गये निर्देश के अनुसार, के परिणाम-स्वरूप अभ्यर्थी की बोर्ड के विवेकानुसार अभ्यर्थन अनर्ह हो सकता है।

परिशिष्ट 4

मूल नियम	***दिनांक 11.01.2011 से प्रतिस्थापित**	****दिनांक09.04.2013 से प्रतिस्थापित**
लिखित परीक्षा :– लिखित परीक्षा के पूर्व प्रत्येक अभ्यर्थी का चिकित्सा परीक्षण अनिवार्य है। चिकित्सा परीक्षण में सफल अभ्यर्थी प्रधान डाकघर/बैंक के माध्यम से कम्प्यूटरीकृत फोटो बुलावा पत्र पुनः प्राप्त करेंगे जहां से बुलावा पत्र भेजा गया था। (क) दोनो हाथेलियों के अंगूठा नि''ाान, फोटो, डाक का पता, परीक्षा का दिनांक जिला का नाम इत्यादि से संबंधित समस्त विवरण बुलावा पत्र में उल्लिखित	(ड.) लिखित परीक्षा के प्रयोजनार्थ ओ0एम0आर0 पत्रक तीन प्रतियों में होगा जिसकी मूल प्रति स्कैनिंग के लिए प्रयोग किया जायेगा प्रथम कार्बन कापी बोर्ड के अभिलेख के लिये और दूसरी कापी अभ्यर्थियों के लिए होगा। अभ्यर्थियों को ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक के साथ कार्बन प्रति अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी। (त) बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि उत्तर पत्रक तत्काल मुख्यालय में पहुचाये जाये	दस्तावेजों की संवीक्षा— 1. ऐसे अभ्यर्थी जो इस नियमावली के अधीन विहित परीक्षा में सफल हो गये हो उन्हें पात्रता, शिथिलता, अधिमानी अर्हता आदि के सम्बन्ध में सुसंगत दस्तावेजों के साथ चिकित्सीय परीक्षा समिति के समक्ष उनके दस्तावेजों की संवीक्षा के लिये बुलाया जायेगा, जिसमें निम्नलिखित होंगे— (क) जिला मजिस्ट्रेट या कोई ऐसा

*उ0प्र0 ना0पु0 आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली (द्वितीय संशोधन) 2011, द्वारा दिनांक 11.01.2011 से प्रतिस्थापित
**उ0प्र0 ना0प0 आरक्षी तथा मख्य आरक्षी सेवा नियमावली (ततीय संशोधन) 2013, द्वारा दिनांक 09.04.2013 से प्रतिस्थापित

किये जायेंगे।
(ख) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि परीक्षा के प्रारम्भ होने के एक सप्ताह पूर्व अभ्यर्थी के पास बुलावा पत्र अवश्य पहुच जाय। यदि कोई अभ्यर्थी एक सप्ताह पूर्व बुलावा पत्र नही प्राप्त करता है तो वह बोर्ड की हेल्पलाइन मोबाइल/लैण्डलाईन टेलीफोन या वेबसाइट के माध्यम से सम्पर्क करके इसकी दूसरी प्रति प्राप्त कर सकता है।
(ग) लिखित परीक्षा पूरे राज्य में एक ही दिनांक और समय पर आयोजित की जायेगी।
(घ) वस्तुनिष्ठ प्र"नप्रत्र की शैली निम्नलिखित रीति में होगी :–

1	सामान्य ज्ञान	50 अंक	30 मिनट
2	आंकिक और मानसिक सामर्थ्य परीक्षण	50 अंक	30 मिनट
3	अभिरूचि परीक्षण	50 अंक	30 मिनट
4	बुद्धि"ाक्ति परीक्षण	50 अंक	30 मिनट
	योग	200 अंक	2 घण्टें

टिप्पणीः– प्रश्नों का स्तर कर्तव्य संबंधी रूपरेखा के अनुकूल होगा।
(ड.) वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र तैयार करते समय बोर्ड अल्पकालिक सदस्यो, जो विषय विशेषज्ञ है, का परामर्श प्राप्त कर सकता है।
(च) प्रश्नपत्रों का खाका बोर्ड के सदस्यों द्वारा बनाया जायेगा। प्रश्नपत्रों के दस सेट बनाये जायेंगे और बाहय सहायित एजेंसी को दिये जायेंगे।
(छ) एक परीक्षा केन्द्र पर प्रश्नपत्रों की पांच सीरिज दी जायेगी (सिविल सेवा प्रारम्भिक परीक्षा की शैली के अनुसार) बाहय सहायित एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि प्रश्न पत्रों के उत्तर की कुंजी प्रश्नपत्रों के साथ नही भेजी जायेगी।
(ज) एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि प्रश्नपत्रों के बण्डल जिलावार/केन्द्रवार और कक्षावर/पंक्तिवार भी बनाये जाय जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि आस पास बैठने वाले अभ्यर्थियों को भिन्न भिन्न सीरीज के प्रश्नपत्र वितरित किये जाये।
(झ) उत्तर पत्रक ओ.एम.आर. पत्रक पर होगा जिसमें चार विकल्प दिये जायेगा

और विभिन्न श्रृंखलाओं के प्रश्नों के समुचित उत्तर अभ्यर्थी स्वंय अपने अंकों की जानकारी को सुगम बनाने के लिये बेवसाइट पर प्रर्दशित किया जाये यदि कोई अभ्यर्थी यह अनुभव करता है कि प्रकाशित उत्तर गलत है तो उसे 7 दिन के अर्न्तगत बोर्ड की हेल्पलाईन/वेबसाईट के माध्यम से लिखित रूप से आपत्ति दर्ज करना होगा।

द्वारा नाम निर्दिष्ट नागरिक श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्गों से सम्बन्धित एक अधिकारी।

(छ) जनपद के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट अल्पसंख्यक श्रेणी से सम्बन्धित एक अधिकारी।

(2) पात्रता, शिथिलता, अधिमानी अर्हता आदि से सम्बन्धित समस्त सुसंगत दस्तावेजों की मूल रूप में जांच उसी दिन की जायेगी जिस दिन अभ्यर्थी को चिकित्सीय परीक्षण हेतु बुलाया गया हो।

(3) दस्तावेजों का मिलान आवेदन-पत्र में उपलब्ध करायी गयी सूचना से किया जायेगा।

अधिकारी जो परगना मजिस्ट्रेट रैंक के नीचे का न हों, अध्यक्ष होगा।

(ख) जनपद के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई डिप्टी-कलक्टर।

(ग) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ जनपद के पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई उप पुलिस अधीक्षक।

(घ) जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक।

(ङ) जनपद के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जाति श्रेणी से सम्बन्धित एक अधिकारी।

(च) जनपद के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट नागरिक श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्गों से सम्बन्धित एक अधिकारी।

(छ) जनपद के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट अल्पसंख्यक श्रेणी से सम्बन्धित एक अधिकारी।

(2) पात्रता, शिथिलता, अधिमानी अर्हता आदि से सम्बन्धित समस्त सुसंगत दस्तावेजों की मूल रूप में जांच उसी दिन की जायेगी जिस दिन अभ्यर्थी को चिकित्सीय परीक्षण हेतु बुलाया गया हो।

(3) दस्तावेजों का मिलान आवेदन-पत्र में उपलब्ध करायी गयी सूचना से किया जायेगा।

और अभ्यर्थी से यह अपेक्षित है कि वह उनमें से किसी एक को चुने । (ञ) अभ्यर्थी का चेहरा प्रवेश पत्र में चिपकाये गये फोटो से अवश्य मिलना चाहिए। (ट) कक्षा अन्तरीक्षक यह सूनिश्चित करेगा कि अभ्यर्थी ने अपना नाम अनुक्रमांक ठीक–ठीक भरा है और और ओ.एम.आर. शीट का कोई भी स्तम्भ बिना भरा नही है। (ठ) ओवरराइटिंग/कटिंग या सफेदा के प्रयोग की अनुमति किसी भी परिस्थिति मे न दी जाय। (ड़) अभ्यर्थियों को ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक की कार्बन प्रति अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी। (ढ) कक्ष अन्तरीक्षक के साथ–साथ परीक्षा केन्द्र के अधीक्षक से यह प्रमाणपत्र देने की अपेक्षा की जाती है कि उनके परीक्षा केन्द्र पर किसी भी अभ्यर्थी ने ओ.एम.आर उत्तर पत्रक को खाली नही छोडा है। यदि किसी अभ्यर्थी ने ऐसा किया है तो अभ्यर्थी का नाम और अनुक्रमांक सहित पृथक –पृथक सम्पूर्ण विवरण लिखित रूप में दिया जाय। ऐसे कक्ष अन्तरीक्षक और केन्द्र अधीक्षक जो जानबूझकर गलत सूचना प्रस्तुत करते है। दाण्डिक कार्यवाही के भागी होंगे। (ण) लिखित परीक्षा समाप्त हो जाने के प''चात उत्तर पुस्तिकाओ/पत्रकों जिला मजिस्ट्रेट/वरिष्ट पुलिस अधीक्षक के माध्यम से समुचित सुरक्षा घेरे में परीक्षा केन्द्रों की सूची के साथ मुहरबन्द आवरण में बोर्ड के कार्यालय में जमा करा दिया जायेगा। (त) बोर्ड यह सुनि''चत करेगा कि उत्तर पत्रक मुख्यालय में तत्काल पहुंच जाय और भिन्न–भिन्न सीरीजों के प्र''नों के सही उत्तर अन्तिम श्रेष्ठता सूची की घोषणा के साथ वेबसाइट पर प्रका''ित किये जायें जिससे अभ्यर्थी को अपने अंक स्वयं जानने में सुविधा हो सके। यदि किसी अभ्यर्थी को यह अनुभव होकि प्रका''ित उत्तर गलत है तो उसे बोर्ड की हेल्पलाईन/वेबसाइट के माध्यम से 07 दिनों के भीतर लिखित रूप में आपत्ति अवश्य दाखिल करनी चाहिए । बोर्ड से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अगामी 07 दिनों के भीतर ऐसी सभी आपत्तियों का निस्तारण करें। (थ) उपर्युक्त 07 दिनों के भीतर उत्तर पत्रकों की जांच का कार्य अवश्य पूर्ण		

कर लिया जाय और अंतिम श्रेष्ठता सूची यथा संभव शीघ्र अवश्य प्रकाशित कर दिया जाय। अंतिम चयन सूची के प्रकाशन के पूर्व सभी आपत्तियों का निस्तारण अवश्य कर दिया जाय। (द) प्रश्न पत्रों को परीक्षा आरंभ होने के एक दिन पूर्व बाह्य एजेंसी और नोडल अधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन जिले में लाया जायेगा और कोषागार में दोहरे ताले में रखा जायेगा। परीक्षा के दिन प्रश्न पत्रों को सेक्टर मजिस्ट्रेट के पर्यवेक्षण में परीक्षा केन्द्र पर लाया जायेगा। और परीक्षा समाप्ति के पश्चात उपस्थिति पत्रक और उत्तर पत्रकों के साथ इन प्रश्न पत्रों को सेक्टर मजिस्ट्रेट के पर्यवेक्षण में पुनः कोषागार में जमा करा दिया जायेगा जहां से नोडल अधिकारी द्वारा ले जाकर बोर्ड के लखनऊ स्थित कार्यालय में जमा करा दिया जायेगा।		

परिशिष्ट– 5

विभागीय परीक्षा के माध्यम से मुख्य आरक्षी के पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया : –

मूल नियम	*दिनांक 20.05.2009 से प्रतिस्थापन
क– विषय/अंको को निम्नलिखित रीति में अवधारित किया जायेगा।	क– विषय/अंको को निम्नलिखित रीति में अवधारित किया जायेगा।

मूल नियम:

क्रम	विषय	अंक
1	बुद्धि शक्ति/तर्क शक्ति/मानसिक अभिरूचि परीक्षण (प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा)	50
2	भारतीय दण्ड संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता साक्ष्य अधिनियम पुलिस मैनुअल आदि को सम्मिलित करते हुये आधारभूत विधि संविधान एवं पुलिस प्रक्रिया।(प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा)	50
3	निबंध (पुलिस विषयों से संबंधित यथा प्रथम सूचना 15 अंक, रिपोर्ट वाद का अध्ययन 20 अंक विवेचना 15 अंक)	50
4	**सेवा का अभिलेख :–** 50 अंक जिसमें से अधिकतम 30 अंक वार्षिक प्रविष्टियों के लिए 15 अंक प्रशिक्षण के लिए और 05 अंक पुरस्कार/विशेष प्रविष्टि के लिए प्रशिक्षण के अंक इस प्रकार विभाजित है कि प्रत्येक मौलिक प्रशिक्षण के लिये 05 अंक जो अधिकतम 10 हो सकते है और प्रत्येक गैर मौलिक प्रशिक्षण के लिये 01 अंक जो अधिकतम 05 हो सकते है पुलिस संगठन के प्रशिक्षण निदेशालय को प्राधिकृत किया जाता है कि मौलिक और गैर मौलिक प्रशिक्षण के रूप में अधिसूचित करें, जिसमें यह शर्त होगी कि एका मास से कम का कोई भी प्रशिक्षण मौलिक प्रशिक्षण के रूप में अधिसूचित नही किया जायेगा।	

***दिनांक 20.05.2009 से प्रतिस्थापन:**

क्रम	विषय	अंक
1	बुद्धि शक्ति/तर्क शक्ति/मानसिक अभिरूचि परीक्षण (प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा)	50
2	भारतीय दण्ड संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता साक्ष्य अधिनियम पुलिस मैनुअल आदि को सम्मिलित करते हुये आधारभूत विधि संविधान एवं पुलिस प्रक्रिया।(प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा)	50
3	निबंध (पुलिस विषयों से संबंधित यथा प्रथम सूचना 15 अंक, रिपोर्ट वाद का अध्ययन 20 अंक विवेचना 15 अंक)	50
4	**सेवा अभिलेख :–** 50 अंक जिसमें से अधिकतम 30 अंक वार्षिक प्रविष्टियों के लिए 15 अंक प्रशिक्षण के लिए और 05 अंक पुरस्कार/विशेष प्रविष्टि के लिए प्रशिक्षण के अंक इस प्रकार विभाजित है कि प्रत्येक मौलिक प्रशिक्षण के लिये 05 अंक जो अधिकतम 10 हो सकते है और प्रत्येक गैर मौलिक प्रशिक्षण के लिये 01 अंक जो अधिकतम 05 हो सकते है पुलिस संगठन के प्रशिक्षण निदेशालय को प्राधिकृत किया जाता है कि मौलिक और गैर मौलिक प्रशिक्षण के रूप में अधिसूचित करें, जिसमें यह शर्त होगी कि एका मास से कम का कोई भी प्रशिक्षण मौलिक प्रशिक्षण के रूप में अधिसूचित नही किया जायेगा।	

अग्रतर प्रत्येक बृहद दण्ड के लिये 03 अंक प्रत्येक लघु दण्ड के लिए 02 अंक और प्रत्येक अति लघु दण्ड के लिए 01 अंक उपर्युक्त अंको में से घटा दिया जाएगा। यह देखने के लिए सेवा अभिलेख का भी अवश्य विश्लेषण किया जाना चाहिए कि यथा अभ्यर्थी को कोई ऐसा दण्ड दिया गया था जो उसकी प्रोन्नति को अनुचित ठहराता है।	अग्रतर प्रत्येक बृहद दण्ड के लिये 03 अंक प्रत्येक लघु दण्ड के लिए 02 अंक और प्रत्येक प्रतिकूल प्रविष्टि और अति लघु दण्ड के लिए 01 अंक उपर्युक्त अंको में से घटा दिया जाएगा। यह देखने के लिए सेवा अभिलेख का भी अवश्य विश्लेषण किया जाना चाहिए कि यथा अभ्यर्थी को कोई ऐसा दण्ड दिया गया था जो उसकी प्रोन्नति को अनुचित ठहराता है।
(ख) उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन और शारीरिक दक्षता परीक्षण 5. **उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन–** उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्याकंन वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र का बाह्य सहायित अभिकरण से मूल्याकंन कराया जाएगा और निबंधो का बोर्ड द्वारा प्राधिकृत अध्यापकों/प्रवक्ताओं /अचार्यों द्वारा मूल्यांकन कराया जाएगा। **6. शारीरिक दक्षता परीक्षण :–** पुरूष अभ्यर्थियों से 10 किलोमीटर की दौड़ 75 मिनट में और महिला अभ्यर्थियों से 05 किलोमीटर की दौड 45 मिनट में पूर्ण किया जाना अपेक्षित है यह दौड केवल अर्हकारी है।	**(ख) उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन और शारीरिक दक्षता परीक्षण** 5. **उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन–** उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्याकंन वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र का बाह्य सहायित अभिकरण से मूल्याकंन कराया जाएगा और निबंधो का बोर्ड द्वारा प्राधिकृत अध्यापकों/प्रवक्ताओं /अचार्यों द्वारा मूल्यांकन कराया जाएगा। **6. शारीरिक दक्षता परीक्षण :–** पुरूष अभ्यर्थियों से 10 किलोमीटर की दौड़ 75 मिनट में और महिला अभ्यर्थियों से 05 किलोमीटर की दौड 45 मिनट में पूर्ण किया जाना अपेक्षित है यह दौड केवल अर्हकारी है। नियम 6 में निर्दिष्ट आरक्षण के उपबन्धों को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड इस परिशिष्ट के क्रम संख्या –1, 2 और 4 में यथा विहित अभ्यर्थियों द्वारा यथा प्रकाशित श्रेष्ठता क्रम में अभ्यर्थियों की अन्तिम चयन सूची तैयार करेगा। यदि दो या उससे अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते है तो क्रमांक 1 और 2 के कुल योग स्वरूप उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा बोर्ड इस सूची को विभागाध्यक्ष को अग्रसारित कर देगा।
****दिनांक 09.04.2013 से प्रतिस्थापन**	*****दिनांक 04.06.2013 से प्रतिस्थापन**
अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा की प्रक्रिया	**अभ्यर्थियों का शारीरिक मानक परीक्षण एवं उनकी चिकित्सा परीक्षा की प्रक्रिया**

(एक) चिकित्सीय परीक्षा परिषद	विहित लिखित परीक्षा और शारीरिक परीक्षा अर्ह पाये गये और छांटे गये अभ्यर्थियों और ऐसे अभ्यर्थी जिनके दस्तावेज परिशिष्ट– 4 द्वारा संवीक्षा के पश्चात सही पाये गये हो, का चिकित्सा परीक्षण किया जायेगा	1– चिकित्सीय परीक्षा परिषद	विहित लिखित परीक्षा और शारीरिक परीक्षा अर्ह पाये गये और छांटे गये अभ्यर्थियों और ऐसे अभ्यर्थी जिनके दस्तावेज परिशिष्ट– 4 द्वारा संवीक्षा के पश्चात सही पाये गये हो, का चिकित्सा परीक्षण किया जायेगा।
(दो)शारीरिक मानक परीक्षण	चिकित्सीय परीक्षण में नीचे बिन्दु तीन द्वारा विहित पैरामीटर के अतिरिक्त शारीरिक मानक परीक्षण भी सम्मिलित होगा, जिसमे महिला एवं पुरूष दोनों अभ्यर्थियों की ऊंचाई का परीक्षण होगा (1) पुरूष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत् है :– (क). पुरूष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक ऊंचाई– (ख). सामान्य/अन्य पिछडे वर्गों और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के 168 सेन्टीमीटर होगी। (ग). आदिवासी अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर है।	2–शारीरिक मानक परीक्षण	चिकित्सीय परीक्षण में नीचे बिन्दु तीन द्वारा विहित पैरामीटर के अतिरिक्त शारीरिक मानक परीक्षण भी सम्मिलित होगा, जिसमे यथास्थिति महिला एवं पुरूष अभ्यर्थियों की ऊंचाई सीना और बजन का परीक्षण होगा। (1) पुरूष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत् है :– **(क).ऊचाई की माप:–** **(एक)** सामान्य/अन्य पिछडे वर्गों और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के 168 सेन्टीमीटर होगी। (दो). आदिवासी अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर है।

***उ0प्र0 ना0पु0 आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली (प्रथम संशोधन) 2009, द्वारा दिनांक 20.05.2009 से प्रतिस्थापित**
****उ0प्र0 ना0पु0 आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली (तृतीय संशोधन) 2013, द्वारा दिनांक 09.04.2013 से प्रतिस्थापित**

	(2)महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक ऊंचाई– (क). सामान्य/अन्य पिछडे वर्गों तथा अनुसूचित जातियों के महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर है। (ख). अनुसूचित जनजाति की महिला के लिए न्यूनतम ऊंचाई 147 सेंटीमीटर है। 3.चिकित्सा मैनुअल के अनुसार चिकित्सकों द्वारा परीक्षण :– टिप्पणीः– (1). शारीरिक मानक परीक्षण की परीक्षा के लिए केवल भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन या निदेशक बॉट माप द्वारा प्रमाणित उपकरणों का ही प्रयोग किया जाय। (2). चिकित्सा परिषद में अल्पसंख्यक अन्य पिछडा वर्ग तथा अनुसूचित जाति में से एक प्रतिनिधि होगा जो महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य के परामर्श से विभागाध्यक्ष द्वारा विहित और कोड़ किये गये पुलिस भर्ती चिकित्सा परीक्षा प्रपत्र के अनुसार अभ्यर्थियों की परीक्षा करेगा। यह प्रपत्र बोर्ड की वेबसाईट पर उपलब्ध होगा और चिकित्सा परीक्षा के स्थान पर भी प्रदर्शित किया जायेगा। (क). चिकित्सकों द्वारा अभ्यर्थियों की परीक्षा चिकित्सा मैनुअल यदि कोई हो के अनुसार की जायेगी और चिकित्सा परीक्षा के दिन ही परिणाम घोषित कर दिया जायेगा। (ख.) चिकित्सा परीक्षा का परिणाम परिसर के बाहर सूचना पट्ट पर दिन की समाप्ति पर प्रदर्शित कर दिया जायेगा। (ग.) बोर्ड चिकित्सा परीक्षण को रिमोट सरवर पर सीधे आन लाइन अभिलिखित करने का प्रयास करेगा जिसमें लेखा परीक्षा किये जाने योग्य परिवर्तन अनुचिन्ह होंगे और प्रत्येक परिवर्तन पर टाइम स्टाम्प अंकित होगा। किसी अभिलेख को अन्तिम रूप से प्रस्तुत किये जाने के पश्चात उसमें किसी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नही होगी। (घ). कोई अभ्यर्थी जो अपनी परीक्षा से असन्तुष्ट हो ठीक परीक्षा के दिन ही अपील फाइल कर सकता है। चिकित्सा परीक्षा के संबंध में किसी अपील पर विचार नहीं किया जायेगा, यदि अभ्यर्थी अपने चिकित्सा परीक्षा और परीक्षा के परिणाम की घोषणा के दिन अपील करने में विफल रहता है।		**(ख) सीने की माप :–** **(एक)** सामान्य/अन्य पिछडी जातियों और अनुसूचित जातियों के संबंधित अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम सीना का माप 79 सेन्टीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर एवं अनुसूचित जनजातियों के लिये 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और फुलाने पर 82 सेंटीमीटर से कम नहीं होगा। नोटः– न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीना का फुलाव अनिवार्य है। (2) महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक :– **(क).ऊचाई की मापः–** **(एक)** सामान्य/अन्य पिछडे तथा अनुसूचित जातिं की महिला अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम ऊचाई 152 सेन्टीमीटर है। (दो) अनुसूचित जन जाति की महिलाओं के लिये न्यूनतम ऊंचाई 147 सेंटीमीटर है। **(ख) बजन की माप :–**न्यूनतम 40 किलोग्राम। **(3)** प्रत्येक परीक्षण हेतु न्यूनतम शारीरिक मानक अर्हता को स्टेडियम /पुलिस लाइन में , जहॉ कहीं भी प्रशिक्षण का आयोजन परीक्षा आयोजित होने के पूर्व किया जाये, बोर्ड पर अत्यन्त प्रमुखता से प्रदर्शित किया जायेगा।
		3–चिकित्सा मैनुअल के अनुसार चिकित्सकों द्वारा परीक्षण	**टिप्पणीः– (1)** शारीरिक मानक परीक्षण की परीक्षा के लिए केवल भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन वाले या निदेशक बॉट माप द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग किया जाय। (2). चिकित्सा परिषद में अल्पसंख्यक अन्य पिछडा वर्ग तथा अनुसूचित जाति में से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि होगा जो महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य के परामर्श से विभागाध्यक्ष द्वारा विहित और कोड़ किये गये " पुलिस भर्ती चिकित्सा परीक्षा प्रपत्र " के अनुसार अभ्यर्थियों की परीक्षा करेगा। यह प्रपत्र बोर्ड की वेबसाईट पर उपलब्ध होगा और चिकित्सा परीक्षा के स्थान पर भी प्रदर्शित किया जायेगा। (क). चिकित्सकों द्वारा अभ्यर्थियों की परीक्षा चिकित्सा मैनुअल, यदि कोई हो, के अनुसार की जायेगी और चिकित्सा परीक्षा के दिन ही परिणाम घोषित कर दिया जायेगा। (ख.) चिकित्सा परीक्षा का परिणाम

	अपील का निस्तारण उक्त अपील के लिए गठित चिकित्सा बोर्ड द्वारा अपील फाइल किये जाने के एक माह के भीतर किया जाना चाहिए। (ड.) चिकित्सा बोर्ड के ऐसे सदस्य जो जानबूझ कर गलत रिपोर्ट देते हुए पाये जायेगें, दांडिक कार्यवाही के भागी होंगे। (च) चिकित्सा परीक्षा केवल अर्हकारी प्रकृति की होगी और योग्यता सूची पर उसका कोई प्रभाव नही पडेगा।		परिसर के बाहर सूचना पट्ट पर दिन की समाप्ति पर प्रदर्शित कर दिया जायेगा। (ग.) बोर्ड चिकित्सा परीक्षण को रिमोट सरवर पर सीधे आन लाइन अभिलिखित करने की प्रणाली निकालने एवं उसे संस्थित करने का प्रयास करेगा जिसमें लेखा परीक्षा किये जाने योग्य परिवर्तन अनुचिन्ह होंगे और प्रत्येक परिवर्तन पर टाइम स्टाम्प अंकित होगा। किसी अभिलेख को अन्तिम रूप से प्रस्तुत किये जाने के पश्चात उसमें किसी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नही होगी। (घ). कोई अभ्यर्थी जो अपनी परीक्षा से असन्तुष्ट हो, ठीक परीक्षा के दिन ही अपील फाइल कर सकता है। चिकित्सा परीक्षा के संबंध में किसी अपील पर विचार नहीं किया जायेगा, यदि अभ्यर्थी अपने चिकित्सा परीक्षा और परीक्षा के परिणाम की घोषणा के दिन अपील करने में विफल रहता है। अपील का निस्तारण उक्त प्रयोजन के लिये गठित चिकित्सा बोर्ड द्वारा अपील फाइल किये जाने के एक माह के भीतर किया जाना चाहिए। (ड.) चिकित्सा बोर्ड के ऐसे सदस्य जो जानबूझ कर गलत रिपोर्ट देते हुए पाये जायेगें, दांडिक कार्यवाही के भागी होंगे। (च) चिकित्सा परीक्षा केवल अर्हकारी प्रकृति की होती है और योग्यता सूची पर उसका कोई प्रभाव नही पडता है।

परिशिष्ट–6

ज्येष्ठता के आधार पर मुख्य आरक्षी के पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया

मूल नियम	दिनांक 09.04.2013 से प्रतिस्थापित
शारीरिक दक्षता परीक्षण :– पुरूष अभ्यर्थियों से 10 किलोमीटर की दौड़ 90 मिनट में और महिला अभ्यर्थियों से 05 किलोमीटर की दौड 50 मिनट में पूर्ण किया जाना अपेक्षित है यह दौड केवल अर्हकारी है।	**ज्येष्ठता के आधार पर मुख्य आरक्षी के पद पर पदोन्नति की प्रक्रियाः–** विभागीय परीक्षा के आधार पर आरक्षी सिविल पुलिस की मुख्य आरक्षी सिविल पुलिस के पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया निम्नवत् होगीः– विभागीय परीक्षा के आधार पर पदोन्नति अधिकतम 300 अंकों की लिखित परीक्षा में प्राप्त किये गयें कुल अंकों के आधार पर और अधिकतम 100 अंकों के सेवा अभिलेख के आधार पर होगी। 1.आरक्षी से मुख्य आरक्षी के पद पर पदोन्नति हेतु लिखित परीक्षा में एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र होगा जो अधिकतम 300 अंकों का होगा जिसका विभाजन निम्नवत् है : – खण्ड कः– विधि और पुलिस प्रक्रिया– 200 अंक खण्ड खः– सामान्य ज्ञान और बोद्यगम्यता– 100 अंक उत्तीर्ण होने के लिए अभ्यर्थी को न्यूनतम 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करना

	आवश्यक होगा। 2.लिखित परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने वाले अभ्यर्थियों में से रिक्तियों की संख्या के ढेड गुनी संख्या में कुल अभ्यर्थी परिशिष्ट– 2 में उल्लिखित शारीरिक दक्षता परीक्षण में सम्मिलित होने के लिए अर्ह होंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षण अर्हकारी प्रकृति का होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षण उत्तीर्ण कर लेने वाले अभ्यर्थियों को न्यूनतम 100 अंक सेवा अभिलेख के लिए निम्नलिखित मानदंड के अनुसार प्रदान किया जायेगा : (एक) गत दस वर्षों की वार्षिक अभ्युक्ति अधिकतम 60 अंक, 8 अंक प्रत्येक उत्कृष्ट के लिए और 4 अंक अति उत्तम के लिए और 2 अंक उत्तम के लिए। प्रत्येक प्रतिकूल अभ्युक्ति के लिए 6 अंक कम कर दिये जायेंगे। (दो) प्रशिक्षण पाठयक्रमः– अधिकतम अंक 10 जिनमें से 5 दिन के या उससे अधिक के प्रत्येक प्रशिक्षण या इस प्रयोजन के लिए विभागाध्यक्ष द्वारा अधिसूचित सरकार/विश्वविद्यालय के किसी दूरस्थ प्रशिक्षण में सम्मिलित होने के लिए एक अंक (तीन) नकद पुरस्कार : अधिकतम अंक 30 जिनमें से प्रत्येक नकद पुस्कार के लिए 5 अंक प्रदान किये जायेंगे। (चार) दण्ड - ऋणात्मक अंक निम्नवत् प्रदान किये जायेंगे : प्रत्येक वृहद दण्ड के लिए 5 अंक, प्रत्येक लघु दण्ड के लिए 3 अंक, सत्यनिष्ठा रोके जाने के लिए ऋणात्मक 10 अंक। मद (दो) से (चार) रिक्ति के वर्ष तक पूर्ण सेवा अभिलेख से सम्बन्धित होंगे। 3. श्रेष्ठता का निर्धारण लिखित एवं सेवा अभिलेख के कुल अंकों पर आधारित होगा। अंकों के बराबर-बराबर होने की दशा में सेवा अभिलेख में अधिक अंक प्राप्त करने वाले व्यक्ति को वरीयता प्रदान की जायेगी।

सेवा अभिलेख :– यह चयन अनुपयुक्त को अस्वीकारन करते हुए ज्येष्ठता के मानदण्ड पर आधारित है। कोई आरक्षी जो अन्यथा रूप से पात्र है किंतु यदि उसकी सत्यनिष्ठा गत 5 वर्षों में एक बार भी रोकी गई तो वह पदोन्नति के लिये पात्र नही होगा।

आज्ञा से ,
अनिल कुमार गुप्ता,
प्रमुख सचिव

उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी और मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली, 2015

उ0प्र0 शासन, गृह(पुलिस) अनुभाग–1,
संख्या–1/15/2675/6–पु0–1–15–54–2015 दिनांक –02.12.2015

पुलिस अधिनियम, 1861 (अधिनियम संख्या–5 सन 1861) की धारा 02 और धारा 46 की उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (2) के खण्ड– ग के अधीन शक्ति और इस निमित्त समस्त अन्य समर्थकारी शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश पुलिस बल के पुलिस के आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी के चयन , पदोन्नति, प्रशिक्षण, नियुक्ति, ज्येष्ठता का निर्धारण और स्थायीकरण आदि को विनियमित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः–

भाग–1 सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1– (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली, 2015 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रस्थिति 2– उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा एक सेवा है जिसमें समूह ''ग'' के पद समाविष्ट है।

परिभाषाएं 3– जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में,–

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4, सन 1994) से है;

(ख) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' का तात्पर्य पुलिस अधीक्षक से है;

(ग) ''बोर्ड'' का तात्पर्य इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार स्थापित उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा भर्ती तथा पदोन्नति बोर्ड से है;

(घ) " संविधान का तात्पर्य " भारत का संविधान से है,

(ड) ''संविधान'' का नागरिक'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग–दो के अधीन भारत का नागरिक हो या या समझा जाये;

(च) ''विभाग'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग से है;

(छ) ''सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है;

(ज) ''राज्यपाल'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;

(झ) ''विभागाध्यक्ष'' का तात्पर्य पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश से है;

(ञ) ''सेवा'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा से है;

(ट) ''सेवा का सदस्य'' का तात्पर्य इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व किन्हीं पूर्ववर्ती नियमावली के अधीन नियुक्त किसी व्यक्ति से है और उस सेवा में किसी पद पर मौलिक नियुक्त किया गया हो;

(ठ) ''नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों'' का तात्पर्य अधिनियम की अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है;

(ड) ''पुलिस मुख्यालय'' का तात्पर्य मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ या उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद से है;

(ढ) ''चयन समिति'' का तात्पर्य सेवा के पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों के चयन के लिए बोर्ड द्वारा सम्यक रूप से गठित चयन समिति से है;

(ण) ''भर्ती का वर्ष'' का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है;

(त) ''मौलिक नियुक्ति'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्य पालक आदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो।

भाग–दो संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4– (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।

(2) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या निम्नलिखित होगी, जब तक कि उप नियम–1 के अधीन उसे परिवर्तित करने का आदेश पारित न हो :–

पद नाम	**पदों की संख्या**		
	स्थायी	अस्थायी	योग
1. आरक्षी	71,239	1,51,029	2,22.268
2. मुख्य आरक्षी	10,358	42,441	52,799

परन्तु यह कि,–

(एक) विभागाध्यक्ष कुल स्वीकृत नियतन के अन्तर्गत विभिन्न इकाईयों के पदों की संख्या को पुनःअवधारित कर सकता है;

(दो) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुये छोड़ सकते हैं या राज्यपाल उसे प्रास्थगित रख सकते हैं जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं होगा; या

(तीन) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थाई या अस्थाई पदों का सृजन कर सकते हैं जिन्हें वह उचित समझें।

भाग–तीन भर्ती

भर्ती का स्रोत 5– सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :–

(1) पुलिस आरक्षी–पुलिस आरक्षी के शत-प्रतिशत पदों को सीधी भर्ती द्वारा बोर्ड के माध्यम से भरा जायेगा।

टिप्पणी–सेवाकाल में पुलिस विभाग के दिवंगत कर्मचारियों के ऐसे आश्रित जो पुलिस आरक्षी के पद पर मृतक आश्रित के रूप में भर्ती के लिए प्रार्थनापत्र देते हैं, उनकी भर्ती बोर्ड द्वारा, सरकार द्वारा तय की गई नीति के अनुसार की जायेगी।

(2) मुख्य आरक्षी–

(क) मुख्य आरक्षी के स्वीकृत पदों की कुल संख्या के सौ प्रतिशत पद, अनुपयुक्त को

अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे आरक्षी पुलिस में से भरे जायेंगे जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए, इस रूप में सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।

(ख) उप खण्ड (क) के अधीन मुख्य आरक्षी पुलिस के पदों पर पदोन्नति के लिए निःसंवर्गीय पदों पर पदोन्नत ऐसे आरक्षी पुलिस भी पात्र होंगे जो अपेक्षाओं को पूरा करते हों।

आरक्षण **6–** अनुसूचित जातियों–अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण अधिनियम और समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 के उपबन्धों और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा। राष्ट्रीय/राज्यस्तरीय खिलाड़ियों का आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त शासनादेशों के अनुसार होगा। परन्तु यह कि शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति पुलिस सेवाओं के लिए अर्ह नहीं होंगे।

भाग–चार अर्हताएं

राष्ट्रीयता **7–** सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी :–

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो; या

(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीकी देश, केनिया, यूगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो;

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो;

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उपमहानिरीक्षक, अधिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें :

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी : ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जायेगा या उसके पक्ष में जारी कर दिया जायेगा।

शैक्षिक अर्हता 8– पुलिस आरक्षी के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की अर्हता भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी बोर्ड द्वारा दसवीं एवं बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए।

अधिमानी अर्हताएं

9– अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने :–

(एक) डीओईएसीसी (DOEACC)/NIELIT सोसायटी से कम्प्यूटर में 'ओ' स्तर का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो, या

(दो) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

(तीन) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

टिप्पणी :–उक्तांकित अधिमान अर्हता के कोई अंक नहीं होंगे, बल्कि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के बराबर अंक प्राप्त करने की दशा में अंतिम चयन सूची में नियम 15(ङ) के अधीन वरीयता दी जायेगी।

आयु

10– आरक्षी के पद पर भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि, जिस कैलेण्डर वर्ष में सीधी भर्ती की रिक्तियां प्रकाशित की जाए उसकी जुलाई के प्रथम दिन पुरूष अभ्यर्थी ने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो और महिला अभ्यर्थी की दशा में उसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष की आयु प्राप्त न की होः

परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी बोर्ड द्वारा रिक्तियों की अधिसूचना के समय अधिनियम में और लागू सरकारी आदेशों में विनिर्दिष्ट की जाये।

चरित्र

11– सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार के उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेंगे।

टिप्पणी :–संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या किसी स्थानीय प्राधिकारी या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति

12– सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित होः

परन्तु यह कि सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान हैं।

शारीरिक स्वस्थता

13– किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अंतिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा बोर्ड के परीक्षण में सफल हो जाये।

टिप्पणी :–चिकित्सा बोर्ड अभ्यर्थी की यथास्थिति ऊँचाई, उसके सीने और भार के माप के लिए विहित शारीरिक मानक का परीक्षण करेगा और नाक–नी, बो लेग्स, फ्लैट फीट, वेरीकोस वेंस, दूर एवं निकट दृष्टि, कलर ब्लाइंडनेस (पूर्ण एवं आंशिक), श्रवण परीक्षण, जिसमें रिनेज परीक्षण, बेब्बर्स परीक्षण और वर्टिगो परीक्षण, वाक दोष आदि समाविष्ट हैं, तथा ऐसी अन्य कमियों, जैसा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाये, का भी परीक्षण करेगा।

भाग–पांच भर्ती हेतु प्रक्रिया

रिक्तियों का अवधारणा 14– नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना विभागाध्यक्ष को देगा। विभागाध्यक्ष, पुरूष एवं महिला दोनों ही अभ्यर्थियों की पृथक-पृथक रिक्तियों की संख्या बोर्ड एवं सरकार को सूचित करेगा एवं तदुपरान्त पुरूष एवं महिला अभ्यर्थियों की रिक्तियां बोर्ड द्वारा निम्नलिखित रीति से अलग-अलग अधिसूचित की जायेंगी :–

(एक) व्यापक प्रसार वाले दैनिक हिन्दी एवं अंग्रेजी समाचार-पत्रों में विज्ञापन जारी करके;

(दो) कार्यालय को सूचना पट्ट पर नोटिस चस्पा करके या रेडियो/दूरदर्शन और अन्य रोजगार समाचार-पत्रों के माध्यम से विज्ञापन द्वारा;

(तीन) रोजगार कार्यालय को रिक्तियों को अधिसूचित करके; और

(चार) जनसंचार के अन्य माध्यमों द्वारा।

आरक्षियों के पद पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया 15– **(क) आवेदन पत्र**

(एक) अभ्यर्थी केवल एक आवेदन पत्र भरेगा। बोर्ड केवल आनलाईन आवेदन पत्र स्वीकार करेगा एवं एक से अधिक आवेदन भरने वाले अभ्यर्थी का आवेदन बोर्ड द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

(दो) शैक्षिक अर्हता, आयु, प्रत्येक श्रेणी के परीक्षण, जिसके अन्तर्गत शारीरिक, चिकित्सीय आदि परीक्षण भी है, के लिये न्यूनतम अर्हक मानक का विवरण एवं अन्य महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जो समय-समय पर बोर्ड द्वारा अवधारित किया जायें, बोर्ड द्वारा अपनी वेबसाइट पर या किसी अन्य रीति से, जैसा वह आवश्यक समझें, उपलब्ध कराये जायेंगे।

(तीन) आवेदन पत्र के लिए आवेदक को पर्याप्त समय देते हुए बोर्ड द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे। अभ्यर्थी आवेदन पत्र की यथार्थता और पूर्णता के लिए व्यक्तिगत रूप से और अकेले ही उत्तरदायी होगा, यदि किसी अभ्यर्थी का आवेदन पत्र अपूर्ण, दोषपूर्ण या अयथार्थ सूचना से युक्त है, तो आवेदन पत्र को निरस्त किया जा सकता है जिसके लिए बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।

(चार) आवेदक, अपने समस्त प्रमाण पत्रों और दस्तावेजों को स्वयं प्रमाणित करेगा और उनकी यथार्थता तथा शुद्धता के लिए उत्तरदायी होगा।

(पाँच) आवेदन पत्र में पहचान विवरण यथा विशिष्ट पहचान पत्र संख्या, अंगूठा एवं अंगुली के निशान, फोटोग्राफ या बायोमैट्रिक्स भी समुचित रीति से इस प्रकार समाविष्ट होंगे जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर विहित किया जाये।

(छः) विभागाध्यक्ष, बोर्ड से विचार-विमर्श कर, किसी भर्ती के लिए आवेदन शुल्क नियत कर सकता है।

(सात) अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत की गयी किसी पूर्ववर्ती या पश्चातवर्ती सूचना में किसी अपूर्णता या अयथार्थता या परिवर्तन या असंगति के लिए बोर्ड को किसी आवेदक का अभ्यर्थन सरसरी तौर पर अस्वीकार करने का अधिकार होगा।

(आठ) सरकार प्रथम परीक्षा के पूर्व किसी भी समय किसी भर्ती के लिए रिक्तियों की संख्या परिवर्तित कर सकती है और किसी भर्ती को किसी भी समय या भर्ती के किसी स्तर पर बिना कोई कारण बताये निरस्त कर सकती है।

(ख) 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा के परिणामों के आधार पर श्रेष्ठता सूची

ऐसे सभी अभ्यर्थी जिनके आवेदन सही पाये जाते हैं उन सभी को, उनके द्वारा इस नियमावली के नियम (8) के अन्तर्गत प्रावधानित, 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड की अथवा उसके समकक्ष परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अंक प्रदान किए जायेंगे। इन प्रदान किए जाने वाले अंकों में 10वीं की बोर्ड की परीक्षा के आधार पर अधिकतम 100 अंक एवं 12वीं की बोर्ड की परीक्षा के आधार पर अधिकतम 200 अंक प्रदान किए जायेंगे। उनको प्रदान किए जाने वाले यह अंक दशमलव के बाद दूसरे अंक तक लिए जायेंगे एवं यह निम्नलिखित रीति से प्रदान किए जायेंगे :–

(एक) 10वीं की परीक्षा के परिणाम के आधार पर प्रदान किये जाने वाले अंक = अभ्यर्थी द्वारा उसकी 10वीं की बोर्ड की अथवा उसके समकक्ष परीक्षा में प्राप्त अंकों का प्रतिशत।

(दो) 12 वी परीक्षा के परिणाम के आधार पर प्रदान किये जाने वाले अंक = 2 x अभ्यर्थी द्वारा उसकी 12 वी की बोर्ड की अथवा उसके समकक्ष परीक्षा में प्राप्त अंको का प्रतिशत।

यदि किसी परीक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं अथवा 12वीं की उपरोक्त किसी परीक्षा में अभ्यर्थियों को अंकों के स्थान पर ग्रेड प्रदान किए जाते हैं तो भर्ती बोर्ड द्वारा संबंधित परीक्षा बोर्ड से ग्रेड प्रदान किए जाते हैं तो भर्ती बोर्ड द्वारा संबंधित परीक्षा बोर्ड से ग्रेड के समकक्ष प्रदान किए जाने वाले अंकों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। उपरोक्तानुसार अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त 10वीं की परीक्षा के परिणाम के आधार पर प्रदान अंक एवं 12वीं की परीक्षा के परिणाम के आधार पर प्रदान किये जाने वाले अंकों का योग कर उसे कुल अंक प्रदान किये जायेंगे। सभी अभ्यर्थियों को अधिकतम 300 अंकों में से उपरोक्त अंकों के योग के अनुसार कुल अंक प्रदान किये जायेंगे एवं प्रदान किये गये कुल अंकों के आधार पर श्रेष्ठता क्रम में सूची बनायी जायेगी। इस प्रकार बनायी गयी श्रेष्ठता सूची में से रिक्तियों की कुल संख्या के 15 गुना के बराबर संख्या में अभ्यर्थी श्रेष्ठता के आधार पर शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिये बुलाये जायेंगे। श्रेष्ठता सूची के अंतिम अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंक पर यदि एक से अधिक अभ्यर्थी पाये जायें तो ऐसे सभी अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु पात्र माना जायेगा।

(ग) शारिरिक दक्षता परीक्षा

खण्ड (ख) के अधीन श्रेष्ठता सूची में पात्र घोषित अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी जो 200 अंकों की होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा के आयोजन की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी परिशिष्ट–1 में विहित की गयी है।

(घ) अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा

खण्ड (ग) के अधीन चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा परिशिष्ट–2 के अनुसार की जायेगी। संवीक्षा के दौरान या संवीक्षा के पश्चात किसी भी समय किसी भी अभिलेख को छलसाधित, गलत या कूटरचित पाये जाने की दशा में आवेदक का अभ्यर्थन, यथास्थिति, बोर्ड अथवा नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक के अनुसार निरस्त कर दिया जायेगा।

(ङ) चयन तथा अंतिम श्रेष्ठता सूची

खण्ड (घ) के अधीन शारीरिक मानक परीक्षा एवं अभिलेखों की संवीक्षा के पश्चात् सफल पाये गये अभ्यर्थियों में से, उनके द्वारा खण्ड (ख) के अनुसार 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा के परिणामों के आधार पर दिए गए अंकों एवं खण्ड (ग) में शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के योग के आधार पर, आरक्षण नीति के दृष्टिगत, बोर्ड रिक्तियों के सापेक्ष प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों की चयन सूची तैयार करेगा और उसे संस्तुति सहित चरित्र सत्यापन,

चिकित्सा परीक्षा एवं 10वीं तथा 12वीं की अंकतालिकाओं के सत्यापन के अधीन विभागाध्यक्ष को प्रेषित करेगा। बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जायेगी। बोर्ड द्वारा प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के साथ समस्त अभ्यर्थियों की सूची अपनी वेबसाइट पर अपलोड की जायेगी। विभागाध्यक्ष बोर्ड द्वारा प्रेषित सूची को अनुमोदनोपरान्त अग्रेतर कार्यवाही हेतु संबंधित को अग्रसारित करेगा।

टिप्पणी :–यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर-बराबर अंक प्राप्त करते हैं, तो श्रेष्ठता सूची का विनिश्चय निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा :–

(1) यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान हो तो खण्ड (ख) के अधीन प्राप्त कुल अंकों में उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जायेगी।

(2) यदि उपर्युक्त के बाद भी एक से अधिक अभ्यर्थी समान हो तो, ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जायेगी जो अधिमानी अर्हता (उपर्युक्त नियम–9 में उल्लिखित क्रम के अनुसार), यदि कोई हो, रखते हो। एक से अधिक अधिमानी अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी को केवल एक ही अधिमानी अर्हता का लाभ प्राप्त होगा।

(3) उपर्युक्त के होते हुए भी यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के अंक बराबर-बराबर हो, तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जायेगी।

(4) यदि उपर्युक्त के बावजूद भी एक से अधिक अभ्यर्थी समान हो, तो ऐसे अभ्यर्थियों की वरीयता, उनके हाईस्कूल प्रमाण पत्र में यथा उल्लिखित नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार, निर्धारित की जायेगी।

(च) 10वीं एवं 12वीं परीक्षा की अंकतालिकाओं का सत्यापन

चयन सूची तैयार करते समय बोर्ड सूची में शामिल सभी अभ्यर्थियों की 10वीं एवं 12वीं कक्षा की अंकतालिकाओं को सत्यापन हेतु संबंधित परीक्षा बोर्ड को भेजेगा। बोर्ड, यथासमय संबंधित परीक्षा बोर्ड से प्राप्त सत्यापन आख्याओं को पुलिस मुख्यालय को बाद में अलग से प्रेषित करेगा जो इसे नियुक्ति प्राधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजेगा। अगर किसी परीक्षा बोर्ड द्वारा प्रेषित की गयी आख्या में किसी अभ्यर्थी की 10वीं अथवा 12वीं परीक्षा की अंकतालिकाओं को सत्यापित नहीं किया जाता है तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसे अनुपयुक्त घोषित किया जायेगा और ऐसी रिक्तियों को अग्रतर चयन के लिए आगे ले जाया जायेगा।

(छ) चिकित्सा परीक्षा

खण्ड (ङ) के अधीन प्रेषित चयन सूची में स्थान रखने वाले अभ्यर्थियों से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। चिकित्सा परीक्षा संबंधित जिले की पुलिस लाइन अथवा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उल्लिखित किये गये स्थान पर की जाएगी। चिकित्सा परीक्षा की प्रक्रिया परिशिष्ट–3 के अनुसार होगी। चिकित्सा परीक्षा में असफल पाये गये अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और ऐसी रिक्तियों को अग्रतर चयन के लिए आगे ले जाया जाएगा।

चरित्र सत्यापन

16–नियुक्ति पत्र जारी किये जाने से पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन, अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण पर भेजे जाने के पहले, चरित्र सत्यापन का कार्य पूर्ण कराया जायेगा। सामान्यतयः चरित्र का सत्यापन एक माह के भीतर पूर्ण कर लिया जायेगा। किसी अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन के दौरान कोई प्रतिकूल तथ्य सामने आने पर, उसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित किया जायेगा और ऐसी रिक्तियों को अग्रतर चयन के लिए आगे ले जाया जायेगा।

मुख्य आरक्षी के पद पर पदोन्नति की

17– (1) मुख्य आरक्षी के पद पर नियुक्ति, आरक्षी पुलिस के रूप में मौलिक रूप से नियुक्त किये गये पात्र कर्मियों में से पदोन्नति द्वारा निम्नलिखित रीति में की जायेगी :–

(क) मुख्य आरक्षी के स्वीकृत पदों की कुल संख्या के 100 प्रतिशत पद

प्रक्रिया

अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त किये गये ऐसे आरक्षियों में से भरे जायेंगे जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए इस रूप में सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।

(ख) उप खण्ड (क) के अधीन मुख्य आरक्षी पुलिस के पदों पर पदोन्नति के लिए मुख्य आरक्षी पुलिस के निःसंवर्गीय पदों पर पदोन्नत ऐसे आरक्षी पुलिस भी पात्र होंगे जो अर्हताओं को पूरा करते हों।

(2) पदोन्नति हेतु चयन समिति :–

(क) बोर्ड द्वारा पदोन्नति हेतु चयन समिति गठित की जायेगी।

(ख) समिति का अध्यक्ष बोर्ड द्वारा नामित होगा तथा जिस पद पर प्रोन्नति के लिये चयन समिति गठित हुई है उस पद के नियुक्ति प्राधिकारी से कनिष्ठ नहीं होगा। समिति में उपयुक्त पद का एक सदस्य विभागाध्यक्ष द्वारा नामित किया जायेगा और समिति के शेष सदस्य विद्यमान शासनादेशों के अनुसार बोर्ड द्वारा नामित किये जायेंगे।

(ग) पदोन्नति हेतु निर्विवाद ज्येष्ठता सूची पुलिस मुख्यालय द्वारा बोर्ड को उपलब्ध करायी जायेगी।

(घ) चयन समिति सफल अभ्यर्थियों का परीक्षाफल अपनी संस्तुति सहित बोर्ड को प्रस्तुत करेगा। बोर्ड चयनित अभ्यर्थियों की सूची अपनी संस्तुति सहित विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा। सूची विज्ञापित रिक्तियों से अधिक की नहीं होगी।

(ङ) विभागाध्यक्ष अनुमोदन के उपरान्त सूची को नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेंगे जो प्रोन्नति हेतु अंतिम आदेश निर्गत करेगा।

(च) प्रोन्नति हेतु चयनित अभ्यर्थियों की अंतिम सूची विभागाध्यक्ष के अनुमोदनोपरान्त बोर्ड द्वारा अपनी तथा उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट (website) पर प्रदर्शित की जायेगी।

भाग–छः

प्रशिक्षण, नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण, और ज्येष्ठता

नियुक्ति

18–(1) नियम–15 एवं नियम–16 के उपबंधों के अधीन रहते हुये नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थियों के नामों को उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे नियम–15 के खण्ड (छ) के अधीन तैयार की गयी सूची में हो, नियुक्त करेगा। नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों को इस निर्देश के साथ नियुक्ति पत्र जारी करेगा कि वे पत्र के जारी किये जाने के दिनांक से या नियुक्ति पत्र में इस प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट किसी दिनांक से एक माह के भीतर सेवा/प्रशिक्षण के लिये उपस्थित हों। ऐसा न करने पर उनके चयन/नियुक्ति को निरस्त कर दिया जायेगा :

परन्तु यह कि इस नियमावली के प्रारम्भ के पूर्व से सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त और कार्यरत किसी व्यक्ति को इस नियमावली के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त किया गया समझा जायेगा।

(2) नियम–17 के अन्तर्गत यदि किसी एक चयन के संबंध में नियुक्तियों के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो, एक संयुक्त सम्मिलित आदेश भी जारी किया जाये, जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा जैसी यथास्थिति चयन में अवधारित की जाये या जैसी की उस संवर्ग में हों जिससे उन्हें पदोन्नत किया जायः

परन्तु यह कि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व सेवा में किसी पद पर नियुक्त और उक्त पद पर कार्यरत किसी व्यक्ति को इस नियमावली के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त हुआ समझा जायेगा और ऐसी मौलिक नियुक्ति को इस नियमावली के अधीन की गयी नियुक्ति

समझी जायेगी।

प्रशिक्षण 19–(1) (क) आरक्षी के पद पर नियम–15 और 16 के अधीन अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों से विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किये गये प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जायेगी। बेसिक प्रशिक्षण की अवधि में कैडेटों पर पी0टी0सी0 मैनुअल में निहित प्रावधान प्रभावी होंगे। बेसिक प्रशिक्षण हेतु अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी द्वारा यदि निर्धारित समय सीमा के अंदर अपना योगदान प्रशिक्षण हेतु नहीं देता है तो उसका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(ख) बेसिक प्रशिक्षण में असफल हुए कैडेटों को पूरक प्रशिक्षण कराकर पुनः प्रशिक्षण की परीक्षा का आयोजन विभागाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा। पूरक प्रशिक्षण के पश्चात प्रशिक्षण परीक्षण में असफल अभ्यर्थियों की, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उनकी सेवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

(2) नियम–17 के अधीन पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों से विभागाध्यक्ष द्वारा विहित प्रशिक्षण पूर्ण करने की अपेक्षा की जायेगी।

परिवीक्षा 20–(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाएगा।

(2) परिवीक्षा अवधि के दौरान परिवीक्षाधीन व्यक्ति से ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करने की अपेक्षा की जाएगी जैसा विभागाध्यक्ष द्वारा अवधारित किया जाये।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जाएंगे अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाएगा जब तक अवधि बढ़ाई जाय :

परन्तु यह कि आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(4) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी के संतोषानुसार पर्याप्त सुधार नहीं किया है तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(5) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (4) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाये या जिसकी सेवायें समाप्त की जायें किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(6) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरंतर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

स्थायीकरण 21–(1) नियम 20 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के अंत में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायगा। यदि,–

(क) उसके द्वारा विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया हो; और

(ख) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक रहा हो; और

(ग) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित की गयी हो।

(2) जहाँ उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं हैं वहाँ उस नियमावली के नियम–5 के उप नियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुए आदेश कि संबंधित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

ज्येष्ठता 22–सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता निम्नानुसार निर्धारित की जायेगी :–

1– दिनांक 2 दिसम्बर, 2008 से पूर्व के भर्ती आरक्षी की ज्येष्ठता निर्धारण

(क) एक चयन के माध्यम से नियुक्त समस्त आरक्षियों की ज्येष्ठता नियुक्ति के पश्चात् प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

(ख) पूर्ववर्ती चयन से नियुक्त आरक्षी पश्चात्वर्ती चयन से नियुक्त आरक्षी से ज्येष्ठ होंगे।

टिप्पणी–पदोन्नति के विचारण क्षेत्र में आने वाले समस्त आरक्षियों के प्रशिक्षण में प्राप्त अंक न उपलब्ध होने पर उनकी पदोन्नति बैचवार निम्न रीति के अनुसार की जाएगी :–

(1) भर्ती के दिनांक के वर्ष को ''वर्ष (बैच)'' माना जायेगा।

(2) पूर्ववर्ती ''वर्ष (बैच)'' में नियुक्त आरक्षी पश्चात्वर्ती ''वर्ष (बैच)'' में नियुक्त आरक्षी से ज्येष्ठ होंगे।

(3) वर्षवार (बैचवार) तैयार की गयी सूची में अंकित आरक्षियों के नामों के क्रम से किसी प्रकार की ज्येष्ठता अवधारित नहीं की जायेगी।

2–दिनांक 2 दिसम्बर, 2008 के पश्चात भर्ती आरक्षी का ज्येष्ठता निर्धारण

(1) किसी भी प्रकार के चयन से नियुक्त किये गये आरक्षी की वरिष्ठता उनके चयन की तिथि से निर्धारित की जायेगी। यहाँ चयन की तिथि का तात्पर्य भर्ती प्रक्रिया के उपरान्त बोर्ड अथवा चयन समिति द्वारा भेजी गयी चयन सूची को विभागाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किये जाने की तिथि से है।

(2) बोर्ड द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से भर्ती आरक्षियों के चयन को एक पृथक चयन माना जायेगा। सीधी भर्ती के अन्तर्गत एक चयन के माध्यम से भर्ती आरक्षियों की पारस्परिक वरिष्ठता बोर्ड द्वारा निर्गत अंतिम चयन सूची के क्रम के अनुसार होगी।

(3) मृतक आश्रित श्रेणी के अन्तर्गत भर्ती आरक्षियों एवं कुशल खिलाड़ियों की नियमावली–2011 के अन्तर्गत भर्ती आरक्षियों के चयन को एक सीधी भर्ती का पृथक चयन माना जायेगा। इस प्रकार से भर्ती आरक्षियों की पारस्परिक वरिष्ठता नियुक्ति के पश्चात प्रशिक्षण संस्थानों प्रशिक्षण में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के अनुसार निर्धारित होगी। एक प्रशिक्षण सत्र में एक से अधिक अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण संस्थानों में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के समान होने पर उनकी जन्मतिथि की वरिष्ठता को ही पारस्परिक वरिष्ठता निर्धारण का आधार बनाया जायेगा। अंकों का प्रतिशत एवं जन्मतिथि समान होने पर हाई स्कूल प्रमाण-पत्र में अंकित नामों के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार वरिष्ठता निर्धारित की जायेगी।

(4) पूर्ववर्ती चयन से नियुक्त आरक्षी पश्चातवर्ती चयन से नियुक्त आरक्षी से ज्येष्ठ होंगे।

3–दिनांक 2 दिसम्बर, 2008 से पूर्व के प्रोन्नति प्राप्त मुख्य आरक्षी की ज्येष्ठता निर्धारण।

(1) मुख्य आरक्षी पुलिस की वरिष्ठता उनके मुख्य आरक्षी पुलिस के रूप में पदभार ग्रहण करने की तिथि से निर्धारित की जायेगी।

(2) यदि एक से अधिक मुख्य आरक्षियों के पदभार ग्रहण करने की तिथि समान हो तो आरक्षी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि के अनुसार वरिष्ठता निर्धारित की जायेगी।

(3) यदि एक से अधिक मुख्य आरक्षियों की, मुख्य आरक्षी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि एवं आरक्षी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि समान हो तो जन्मतिथि के आधार पर वरिष्ठता निर्धारित की जायेगी। आयु में ज्येष्ठ मुख्य आरक्षी, ज्येष्ठ होगा।

(4) यदि एक से अधिक मुख्य आरक्षियों की मुख्य आरक्षी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, आरक्षी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि एवं जन्मतिथि भी समान है

तो हाई स्कूल प्रमाण-पत्र में अंकित नामों के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार अवधारित की जायेगी।

4–दिनांक 2 दिसम्बर, 2008 के पश्चात प्रोन्नति प्राप्त मुख्य आरक्षी का ज्येष्ठता निर्धारण

पदोन्नति के आधार पर नियुक्त मुख्य आरक्षी की ज्येष्ठता उनके चयन की तिथि से निर्धारित की जायेगी। एक चयन तिथि में नियुक्त किये गये मुख्य आरक्षियों की पारस्परिक ज्येष्ठता उनके पोषक संवर्ग में वरिष्ठता के अनुरूप होगी तथा पूर्ववर्ती वर्ष में चयनित मुख्य आरक्षी पश्चातवर्ती वर्ष में चयनित मुख्य आरक्षियों से ज्येष्ठ होंगे। यहाँ चयन की तिथि का तात्पर्य भर्ती प्रक्रिया के उपरान्त बोर्ड अथवा चयन समिति द्वारा भेजी गयी चयन सूची को विभागाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किये जाने की तिथि से है :

परन्तु यह कि आरक्षी के पद से मुख्य आरक्षी के पद पर बैचवार पदोन्नति की दशा में मुख्य आरक्षी के पद पर ज्येष्ठता निम्नलिखित रीति से निर्धारित की जायेगी :–

(1) दिनांक 2 दिसम्बर, 2008 से पूर्व के मौलिक रूप से नियुक्त मुख्य आरक्षी इसके पश्चात् पदोन्नति प्राप्त करने वाले मुख्य आरक्षियों से ज्येष्ठ होंगे।

(2) पूर्ववर्ती ''वर्ष (बैच)'' में नियुक्त आरक्षी जो पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये जाये वे पश्चात्वर्ती ''वर्ष (बैच)'' में नियुक्त आरक्षी जो पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये जाये से ज्येष्ठ होंगे।

(3) पदोन्नति पाये ऐसे आरक्षी जिनका ''वर्ष (बैच)'' समान है, उनमें से जिस आरक्षी की आरक्षी पद पर नियुक्ति की तिथि पूर्व की होगी वह पश्चात्वर्ती तिथि में आरक्षी पद पर नियुक्त हुये आरक्षी से मुख्य आरक्षी के रूप में ज्येष्ठ होंगे।

(4) पदोन्नाति पाये ऐसे आरक्षी जिनका ''वर्ष (बैच)'' समान है तथा जिनकी आरक्षी पद पर भर्ती की तिथि भी समान हो उनकी मुख्य आरक्षी के पद पर पारस्परिक ज्येष्ठता मुख्य आरक्षी के प्रशिक्षण में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

(5) पदोन्नति पाये ऐसे आरक्षी जिनका ''वर्ष (बैच)'' समान है तथा जिनकी आरक्षी पद पर भर्ती की तिथि भी समान हो तथा मुख्य आरक्षी के प्रशिक्षण में कुल प्राप्तांकों के प्रतिशत के भी समान होने की दशा में मुख्य आरक्षी के पद पर पारस्परिक ज्येष्ठता बाह्य प्रशिक्षण के प्राप्तांकों के आधार पर वाह्य प्रशिक्षण के अंक भी समान होने की दशा में उनके जन्मतिथि को वरीयता देते हुये निर्धारित की जायेगी। आयु में ज्येष्ठ मुख्य आरक्षी ज्येष्ठ होगा।

5–विभाग द्वारा किसी विशेष प्रकरण में पूर्व निर्धारित की गयी नीति के अनुसार वरिष्ठता का निर्धारण यथावत् बना रहेगा।

6–उपरोक्त के होते हुए भी अगर ज्येष्ठता के सम्बन्ध में कोई अन्य तथ्य प्रकाश में आते हैं अथवा कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उसका निवारण विभागाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।

भाग–सात
वेतन इत्यादि

वेतनमान

23–वेतनमान

(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान निम्नानुसार दिए गए हैं :–

पद का नाम	वेतनमान
आरक्षी	रू0 5200–20200 ग्रेड पे–2000

मुख्य आरक्षी	रू0 5200–20200 ग्रेड पे–2400

परिवीक्षा अवधि में वेतन 24–(1) फण्डामेंटल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हों, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो एवं प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया हो और द्वितीय वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी तब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो :

परन्तु यह कि यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन, सुसंगत फण्डामेंटल रूल्स द्वारा विनियमित होगा :

परन्तु यह कि यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हों, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग–आठ

अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन

25–सेवा में किसी पद पर लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर चाहे लिखित हों या मौखिक विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन

26–ऐसे विषयों के संबंध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या नियमों, विनियमों एवं आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये विभिन्न नियमों, विनियमों और आदेशों के अनुसार शासित होंगे।

सेवा की शर्तों में शिथिलता

27–जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में किसी पद पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में असम्यक कठिनाई होती है, वहाँ वह उस मामले में लागू नियमों में से किसी बात के होते हुये भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

व्यावृत्ति

28–इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट–1
(नियम–15ग में देखें)
सीधी भर्ती के लिये शारीरिक दक्षता परीक्षण

1–शारीरिक दक्षता परीक्षण का संचालन बोर्ड द्वारा गठित एक दल द्वारा किया जायेगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :–

(एक) जनपद के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम–निर्दिष्ट एक डिप्टी कलेक्टर।

(दो) जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक चिकित्सा अधिकारी।

(तीन) जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक पुलिस उप अधीक्षक।

जहाँ विद्यमान शासनादेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक व अन्य किसी श्रेणी जिसका प्रतिनिधित्व उपरोक्त दल में आवश्यक हो, के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने हेतु बोर्ड द्वारा उपरोक्त दल में संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम-निर्दिष्ट अतिरिक्त अधिकारियों को सदस्य के रूप में रखा जायेगा। नामित किये जाने वाले ऐसे अधिकारी पुलिस विभाग में निरीक्षक स्तर से निम्न नहीं होंगे।

परीक्षा का संचालन करने के लिये यह दल किसी अन्य विशेषज्ञ की सहायता ले सकता है।

2–आरक्षी की सीधी भर्ती के लिये शारीरिक दक्षता परीक्षण में पुरूष अभ्यर्थियों को 4.8 किमी (किलोमीटर) की दौड़ 27 मिनट के भीतर और महिला अभ्यर्थियों को 2.4 किमी (किलोमीटर) की दौड़ 16 मिनट के भीतर पूर्ण करनी होगी। जो अभ्यर्थी नियत समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करते हैं, वे परीक्षा के अगले चरण में जाने के लिये अर्ह नहीं होंगे।

अंकों का आवंटन उपरोक्त समय-सीमा के अन्दर अभ्यर्थी द्वारा दौड़ में लिये गये समय के आधार पर किया जायेगा, जिसके लिये अधिकतम 200 अंक और न्यूनतम 120 अंक होंगे। अभ्यर्थी को अंक निम्नानुसार प्रदान किए जाएंगे।

अंकों का आवंटन उपरोक्त समय-सीमा के अन्दर अभ्यर्थी द्वारा दौड़ में लिये गये समय के आधार पर किया जायेगा, जिसके लिये अधिकतम 200 अंक और न्यूनतम 120 अंक होंगे। अभ्यर्थी को अंक निम्नानुसार प्रदान किए जाएंगे।

पुरूष अभ्यर्थियों द्वारा 4.8 किमी0 की दौड़ 17 मिनट या उससे कम समय में पूरी करने पर उन्हें अधिकतम 200 अंक प्रदान किये जायेंगे। इसके उपरान्त 17 मिनट से अधिक एवं 17 मिनट 15 सेकेण्ड तक दौड़ पूरी करने वाले पुरूष अभ्यर्थियों को 198 अंक प्रदान किये जायेंगे, 17 मिनट 15 सेकेण्ड से अधिक एवं

17 मिनट 30 सेकेण्ड तक दौड़ पूरी करने वाले पुरूष अभ्यर्थियों को 196 अंक प्रदान किये जायेंगे। उपरोक्तानुसार इसी प्रकार दौड़ के समय के बढ़ते हुए क्रम में हर बार, समय के अन्तराल में 15 सेकेण्ड के बढ़ने पर, पुरूष अभ्यर्थियों को प्रदान किये जाने वाले अंकों में हर बार 2 अंक कम कर दिए जायेंगे। निर्धारित किए गए उपरोक्त मानक के क्रम के अनुसार इस प्रकार 26 मिनट 30 सेकेण्ड से अधिक एवं 26 मिनट 45 सेकेण्ड तक दौड़ पूरी करने वाले पुरूष अभ्यर्थियों को 122 अंक एवं 26 मिनट 45 सेकेण्ड से अधिक एवं 27 मिनट तक दौड़ पूरी करने वाले सभी पुरूष अभ्यर्थियों को इस दौड़ के लिए न्यूनतम निर्धारित किये गये 120 अंक प्रदान किये जायेंगे तथा ऐसे सभी पुरूष अभ्यर्थी जो 4.8 किमी की दौड़ 27 मिनट के बाद पूरी करते हैं, उन्हें इस परीक्षा में असफल माना जायेगा।

महिला अभ्यर्थियों द्वारा 2.4 किमी की दौड़ 11 मिनट या उससे कम समय में पूरी करने पर उन्हें अधिकतम 200 अंक प्रदान किये जायेंगे। इसके उपरान्त ऐसी सभी महिला अभ्यर्थी जो 2.4 किमी की दौड़ 11 मिनट से अधिक एवं 11 मिनट 15 सेकेण्ड तक पूरी करती हैं, उन्हें 196 अंक प्रदान किये जायेंगे एवं ऐसी सभी महिला अभ्यर्थी जो उपरोक्त दौड़ 11 मिनट 15 सेकेण्ड से अधिक एवं 11 मिनट 30 सेकेण्ड तक पूरी करती हैं, उन सभी को 192 अंक प्रदान किये जायेंगे। उपरोक्तानुसार इसी प्रकार दौड़ के समय के समय के बढ़ते हुए क्रम में हर बार समय के अन्तराल में 15 सेकेण्ड के बढने पर महिला अभ्यर्थी को प्रदान किये जाने वाले अंकों हर बार 4 अंक कम कर दिए जायेंगे। निर्धारित किए गए उपरोक्त मानक के क्रम के अनुसार इस प्रकार 15 मिनट 30 सेकेण्ड से अधिक एवं 15 मिनट 45 सेकेण्ड तक दौड़ पूरी करने वाली महिला अभ्यर्थियों को 124 अंक एवं 15 मिनट 45 सेकेण्ड से अधिक एवं 16 मिनट तक दौड़ पूरी करने वाली सभी महिला अभ्यर्थियों को इस दौड़ के लिए न्यूनतम निर्धारित किए गये 120 अंक प्रदान किये जायेंगे तथा ऐसी सभी महिला अभ्यर्थी जो 2.4 किमी की दौड़ 16 मिनट के बाद पूरी करती हैं, उन्हें इस परीक्षा में असफल माना जायेगा।

उपरोक्तानुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु निर्धारित किए गए भिन्न-भिन्न समय के लिए अंकों की सारिणी, पुरूष एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए अलग-अलग, विस्तृत रूप से बोर्ड द्वारा अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी।

3–दल द्वारा मैनुअल टाइमिंग प्रयोग किये जाने की अनुमति नहीं होगी। सी.सी.टी.वी. कवरेज सहित मानकीकृत इलेक्ट्रॉनिक टाइमिंग उपकरण और पर्याप्त बैकअप के साथ बायोमैट्रिक्स का प्रयोग यथार्थता व पारदर्शिता सुनिश्चित करने एवं वेषपरिवर्तन से बचने के लिये किया जायेगा।

4–दल नीचे दी गयी प्रक्रिया का पालन करेगा :–

(क) बोर्ड द्वारा प्रतिदिन परीक्षण कराये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का अवधारण किया जायेगा और उनका विनिश्चय परीक्षण कराये जाने वालों की मुख्य कुल संख्या एवं विद्यमान दशाओं पर आधारित होगा।

(ख) अर्हता के लिये इस परिशिष्ट के पैरा 2 में न्यूनतम शारीरिक दक्षता मानकों व शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु भिन्न-भिन्न समय के लिये अंकों की सारणी परीक्षण स्थल पर सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जायेगी।

(ग) इस परीक्षण का परिणाम परीक्षण स्थल पर सूचना पट्ट पर दिन की समाप्ति पर प्रदर्शित किया जायेगा और यदि सम्भव हुआ तो यथाशीध्र बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा।

(घ) संगठनात्मक दल, जिसमें परीक्षण अभिकरण यदि कोई हो, भी सम्मिलित है, के ऐसे सदस्य जो जानबूझकर ऐसा कार्य करते हैं जो गलत हो या किसी ऐसे कार्य को नहीं करते हैं जिससे किसी अभ्यर्थी को अनुचित लाभ पहुँचता हो या उसका अहित होता हो, तो वे दाण्डिक कार्यवाही/या विभागीय कार्यवाही के भागी होंगे।

(ङ) शारीरिक दक्षता परीक्षण का परिणाम अभ्यर्थियों को उसी दिन उपलब्ध कराया जायेगा। सफल अभ्यर्थियों की सूची टीम के सदस्यों के संयुक्त हस्ताक्षर से घोषित की जायेगी।

(च) बहिर्कक्ष परीक्षण इस प्रकार किये जायेंगे कि परिणामों का मूल्यांकन किया जा सके और उन्हें बिना किसी हस्तगत मध्यक्षेप के यांत्रिक रूप से अभिलिखित किया जा सके। शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिये अधिमानतः भारतीय मानक संस्था प्रमाणन वाले मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग किया जायेगा।

(छ) अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जायेगी कि वे दिये गये दिनांक और समय पर उपस्थित हों। ऐसे कारणों से जो नियंत्रण के परे हों और जो लिखित रूप में अभिलिखित किये जायेंगे, किसी विशिष्ट समय पर परीक्षण किये जाने वाले अभ्यर्थियों के समूह हेतु परीक्षण के दिनांक एवं समय में बोर्ड द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है।

(ज) सफल एवं असफल अभ्यर्थियों की सूची दल के सदस्यों के संयुक्त हस्ताक्षर से घोषित की जायेगी।

(झ) यदि कोई अभ्यर्थी नियत समय एवं दिनांक पर परीक्षा में सम्मिलित होने में असफल रहता है तो वह परीक्षा हेतु संबंधित जनपद में गठित समिति को परीक्षा में सम्मिलित न होने के विस्तृत कारणों का उल्लेख करते हुए, किसी अन्य दिनांक को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए प्रत्यावेदन दे सकता है। समिति द्वारा उसके प्रत्यावेदन पर विचार कर उसे किसी अन्य दिनांक एवं समय पर परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु निर्णय लिया जा सकता है। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थी को केवल एक अतिरिक्त अवसर प्रदान किया जायेगा एवं अगर वह पुननिर्धारित दिनांक एवं समय पर परीक्षा में सम्मिलित होने में विफल रहता है तो उसे परीक्षा में असफल माना जायेगा। अभ्यर्थियों को यह प्रत्यावेदन, बोर्ड द्वारा इस परीक्षा हेतु पूर्व से निर्धारित की गयी अन्तिम तिथि तक देना होगा। अंतिम तिथि के बाद दिया गया कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। उपरोक्त ऐसे सभी प्रकरणों को जिसमें समिति द्वारा कोई भी प्रत्यावेदन समय पुनर्निर्धारित किया जायेगा उसके सम्बन्ध में बोर्ड को सूचित किया जायेगा।

(ञ) परीक्षा में विहित मानक प्राप्त न कर सकने के कारण असफल हो जाने वाले अभ्यर्थी को दूसरा मौका नहीं दिया जायेगा और स्वास्थ्य के कारण या किसी अन्य आधार पर चाहे जो भी हो, पुनः परीक्षा के लिए अपील नहीं की जा सकेगी।

टिप्पणी :–समस्त वीडियो अभिलेखों में व्यक्तिगत गोपनीयता का सम्मान रखा जायेगा और अभिलेख को सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जायेगा तथा किसी न्यायालय को उसके सम्मन किये जाने पर या किसी जाँच अधिकारी को बोर्ड की अनुमति से उपलब्ध कराया जायेगा।

परिशिष्ट–2

(नियम–15घ देखें)

अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारिरिक मानक परीक्षण

अभिलेखों की संवीक्षा

1–अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता, शिथिलता, अधिमानी अर्हता आदि के सम्बन्ध में सुसंगत दस्तावेजों के साथ बोर्ड द्वारा गठित समिति के समक्ष उनके अभिलेखों की संवीक्षा के लिये बुलाया जायेगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :–

(क) जनपद के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई डिप्टी-कलेक्टर अध्यक्ष होगा।

(ख) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/जनपद के पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई उप पुलिस अधीक्षक।

(ग) जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक या बेसिक शिक्षा अधिकारी अथवा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट शिक्षा विभाग का कोई राजपत्रित अधिकारी।

विद्यमान शासनादेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक व अन्य किसी श्रेणी जिसका प्रतिनिधित्व उपरोक्त दल में आवश्यक हो, के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने हेतु बोर्ड द्वारा उपरोक्त दल में संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम-निर्दिष्ट अतिरिक्त अधिकारियों को सदस्य के रूप में रखा जायेगा। नामित किये जाने वाले ऐसे अधिकारी पुलिस विभाग में निरीक्षक स्तर से निम्न नहीं होंगे।

(2) मूल अभिलेखों का मिलान आवेदन-पत्र में उपलब्ध करायी गयी सूचना से किया जायेगा।

(3) अभिलेखों के मिलान के दौरान बोर्ड, किसी प्रकरण को किसी दल द्वारा कोई संशय होने के कारण संदर्भित किये जाने पर अथवा सीधे उनके संज्ञान में लाये जाने पर, अपने स्तर से निर्णय लेकर निर्देश जारी कर सकता है। इस प्रकार बोर्ड द्वारा जारी किये गये निर्देश अंतिम माने जायेंगे।

शारीरिक मानक परीक्षण

शारीरिक मानक परीक्षण कराये जाने हेतु उपरोक्त गठित दल किसी अन्य राजकीय अधिकारी/कर्मचारी की सहायता ले सकता है।

(1) पुरूष अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नतम है :–

(क) ऊँचाई :

(एक) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के पुरूष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 168 सेंटीमीटर है।

(दो) अनुसूचित जनजाति के पुरूष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 160 सेंटीमीटर है।

(ख) सीना :

सामान्य/अन्य पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जातियों के संबंधित अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम सीने का माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम-से-कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर एवं अनुसूचित जनजातियों के लिये 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और फुलाने पर 82 सेंटीमीटर से कम नहीं होगा।

नोट :–न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है।

(2) महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है :–

(क) ऊँचाई :

(एक) सामान्य/अन्य पिछड़े तथा अनुसूचित जाति की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 152 सेंटीमीटर है।

(दो) अनुसूचित जनजाति की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 147 सेंटीमीटर है।

(ख) वजन :

महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम।

(3) प्रत्येक परीक्षण हेतु न्यूनतम शारीरिक मानक अर्हता को परीक्षा आयोजित होने के पूर्व परीक्षण स्थल के सूचना पट्ट पर अत्यन्त प्रमुखता से प्रदर्शित किया जायेगा।

(4) शारीरिक मानक परीक्षण की परीक्षा के लिए केवल भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन वाले या निदेशक बाँट माप द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग किया जाय।

(5) कोई अभ्यर्थी जो अपनी शारीरिक मानक परीक्षण से असंतुष्ट हो, ठीक परीक्षण के उपरान्त उसी दिन आपत्ति दाखिल कर सकता है। ऐसे समस्त प्रकरणों की आपत्ति के निस्तारण के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा प्रत्येक स्थान पर एक अपर पुलिस अधीक्षक को नामित किया जायेगा एवं ऐसे सभी अभ्यर्थियों का शारीरिक मानक प्रशिक्षण , दल द्वारा उपरोक्त अपर पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में पुनः कराया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी जो पुनः कराये गये शारीरिक मानक परीक्षण में असफल पाये जाते हैं, उन्हें अनुपयुक्त घोषित किया जायेगा एवं तदोपरान्त किसी प्रकार की अपील स्वीकार नहीं की जायेगी।

सामान्य अनुदेश

(1) अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जायेगी कि वे दिये गये दिनांक और समय पर उपस्थित हों। ऐसे कारणों से जो नियंत्रण के परे हों और जो लिखित रूप में अभिलिखित किये जायेंगे, किसी विशिष्ट समय पर परीक्षण किये जाने वाले अभ्यर्थियों के समूह हेतु परीक्षण के दिनांक एवं समय में बोर्ड द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है।

(2) यदि कोई अभ्यर्थी नियत समय एवं दिनांक पर परीक्षा में सम्मिलित होने में असफल रहता है तो वह परीक्षा हेतु संबंधित जनपद में गठित समिति को परीक्षण में सम्मिलित न होने के विस्तृत कारणों का उल्लेख करते हुए, किसी अन्य दिनांक को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए प्रत्यावेदन दे सकता है। समिति द्वारा उसके प्रत्यावेदन पर विचार कर उसे किसी अन्य दिनांक एवं समय पर परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु निर्णय लिया जा सकता है। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थी को केवल एक अतिरिक्त अवसर प्रदान किया जायेगा एवं अगर वह पुनर्निर्धारित दिनांक एवं समय पर परीक्षा में सम्मिलित होने में विफल रहता है तो उसे परीक्षा में असफल माना जायेगा। अभ्यर्थियों को यह प्रत्यावेदन, बोर्ड द्वारा इस परीक्षा हेतु पूर्व से निर्धारित की गयी अंतिम तिथि तक देना होगा। अंतिम तिथि के बाद दिया गया कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। उपरोक्त ऐसे सभी प्रकरणों

को जिसमें समिति द्वारा परीक्षा का दिनांक एवं समय पुनर्निर्धारित किया जायेगा उसके सम्बन्ध में बोर्ड को सूचित किया जायेगा।

(3) परीक्षा में विहित मानक प्राप्त न कर सकने के कारण असफल हो जाने वाले अभ्यर्थी को दूसरा मौका नहीं दिया जायेगा और स्वास्थ्य के कारण या किसी अन्य आधार पर चाहे जो भी हो, पुनः परीक्षा के लिए अपील नहीं की जा सकेगी।

(4) अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारिरिक मानक परीक्षण का परिणाम उसी दिन अभ्यर्थियों को अवगत कराया जायेगा।

परिशिष्ट–3

(नियम–15 छ देखें)

सीधी भर्ती के लिये चिकित्सीय परीक्षण

नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी से चिकित्सा परीक्षण कराये जाने हेतु चिकित्सा परिषद गठन किये जाने का अनुरोध किया जायेगा। चिकित्सा परिषद में तीन चिकित्सक रखे जायेंगे जो महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य के परामर्श से विभागाध्यक्ष द्वारा विहित और कोड किये गये ''पुलिस भर्ती चिकित्सा परीक्षा प्रपत्र'' के अनुसार अभ्यर्थियों का परीक्षण करेगा। यह प्रपत्र उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा और चिकित्सा परीक्षा के स्थान पर भी प्रदर्शित किया जायेगा। चिकित्सा परिषद आवश्यकता अनुसार किसी अन्य विशेषज्ञ की सेवाएं ले सकता है।

(1) चिकित्सकों द्वारा अभ्यर्थियों का परीक्षण चिकित्सा मैनुअल, यदि कोई हो, के अनुसार की जायेगी और चिकित्सा परीक्षण के दिन ही परिणाम घोषित कर दिया जायेगा।

(2) चिकित्सा परीक्षण का परिणाम परिसर के बाहर सूचना पट्ट पर दिन की समाप्ति पर प्रदर्शित कर दिया जायेगा।

(3) कोई अभ्यर्थी जो अपनी चिकित्सा परीक्षण से असन्तुष्ट हो, ठीक परीक्षा के दिन ही अपील फाइल कर सकता है। चिकित्सा परीक्षण के सम्बन्ध में किसी अपील पर विचार नहीं किया जायेगा, यदि अभ्यर्थी अपने चिकित्सा परीक्षण और उसके परिणाम की घोषणा के दिन अपील करने में विफल रहता है। अपील का निस्तारण उक्त प्रयोजन के लिए गठित मण्डलीय चिकित्सा परिषद द्वारा अपील फाइल किये जाने के दो सप्ताह के भीतर किया जाना चाहिए। मण्डलीय चिकित्सा परिषद में संबंधित दोष का विशेषज्ञ होना आवश्यक होगा।

(4) चिकित्सा परिषद के ऐसे सदस्य जो जानबूझकर गलत रिपोर्ट देते हुए पाये जायेंगे, दांडिक कार्यवाही के भागी होंगे।

(5) चिकित्सा परीक्षा केवल अर्हकारी प्रकृति की होती है और योग्यता सूची पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

टिप्पणी :–चिकित्सा परिषद द्वारा अभ्यर्थियों तथा उनकी कमियों यथा–नाक–नी, बो–लेग्स, फ्लैट–फीट, वेरीकोज वेन्स, दूर तथा निकट दृष्टि, कलर ब्लाइंडनेस (पूर्ण एवं आंशिक), तथा रीनेज परीक्षण, वेब्वर्स परीक्षण को समाविष्ट करते हुए, श्रवण शक्ति परीक्षण की जाँच की जायेगी एवं अभ्यर्थियों का वर्टिगो, वाक दोष आदि का परीक्षण, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाये, किया जायेगा। यदि आवश्यक हो तो चिकित्सा परिषद विशेषज्ञों की राय प्राप्त करके अन्य परीक्षण करा सकता है।

आज्ञा से,
देबाशीष पण्डा,
प्रमुख सचिव, गृह।

उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो सेवा नियमावली- 1979

गृह (पुलिस) अनुभाग–1
संख्या– 5887/आठ–1–2230–63 दिनांक–25.01.1980

संख्या–5887/आठ–1–2230–63–संयुक्त प्रान्तीय आर्म्ड कान्सटेबुलरी एकट–1948 की धारा–15 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्ति व्यक्तियों की सेवा की भर्ती को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः–

भाग एक-सामान्य

1- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) यह नियमावली, 'उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो सेवा नियमावली, 1979' कही जायेगी।

(2) यह तुन्त प्रवृत्त हेगी।

2. उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो सेवा एक राज्य सेवा है, जिसमें समूह 'क' और समूह 'ख' के पद सम्मिलित हैं।

3. जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में—

(क) अधिनियम का तात्पर्य (संयुक्त प्रान्तीय आर्म्ड कान्सटेबुलरी ऐक्ट, 1948 (संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट नं. 40, सन् 1948) से है।

(ख) 'नियुक्ति प्राधिकारी' का तात्पर्य राज्यपाल से है,

(ग) 'भारत का नागरिक' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय,

(घ) 'आयोग' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से है,

(ङ) 'संविधान' का तात्पर्य भारत के संविधान से है,

(च) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है,

(छ) 'राज्यपाल' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है,

(ज) 'सेवा का सदस्य' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या अधिनियम के या इस नियमावली के प्रारम्भ के पूर्व प्रवत्त नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है,

(झ) 'सेवा' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो सेवा से है।

भाग दो-संवर्ग

4. सेवा की सदस्य संख्या—(1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी राज्यपाल द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।

(2) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या, जब तक कि उपनियम (1) के अधीन उसमें परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायं, परिशिष्ट 'क' में दी गयी है—

परन्तु—

(क) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकते हैं या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा, या

(ख) राज्यपाल समय-समय पर ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें।

भाग तीन—भर्ती

5-भर्ती का स्त्रोत—

मूल नियम	*दिनांक 01.07.2015 द्वारा प्रतिस्थापित	**दिनांक 12.05.2016 द्वारा प्रतिस्थापित
5-सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्त्रोतें से की जायगी— (एक) सहायक रेडियो अधिकारी— (क)आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा, और (ख) आयोग के माध्यम से स्थायी रेडियो निरीक्षकों में से योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा। परन्तु उपर्युक्त दोनों स्त्रोतों से भर्ती इस प्रकार की जायेगी कि यथासम्भव 50 प्रतिशत पद सीधे भर्ती किये गये व्यक्तियों द्वारा और 50 प्रतिशत पर पदोन्नत किये गये व्यक्तियों द्वारा धृत किये जायं। (दो) अपर राज्य रेडियो अधिकारी— आयोग के माध्यम से स्थायी सहायक रेडियो अधिकारियों में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा ; परन्तु यदि पदोन्नति के लिए कोई उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध न हों तो पद सीधी भर्ती द्वारा भरा जा सकता है। (तीन) राज्य रेडियो अधिकारी— आयोग के माध्यम से स्थायी अपर राज्य रेडियो अधिकारियों में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा ; परन्तु यदि पदोन्नति के लिए कोई उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध न हो तो पद सीधी भर्ती द्वारा भरा जा सकता है। (चार) उप महानिरीक्षक पुलिस दूर संचार— आयोग के माध्यम से स्थायी राज्य	5-सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्त्रोतें से की जायगी— (एक) सहायक रेडियो अधिकारी— (क) 50 प्रतिशत पद आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा, और (ख) 50 प्रतिशत पद आयोग के माध्यम से ऐसे रेडियो निरीक्षकों में से, जिन्होने इस रूप में 04 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा। (दो) सहायक रेडियो अधिकारी— ज्येष्ठ वेतनमान—ऐसे सहायक रेडियो अधिकारियों में से जिन्होनें 04 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, पदोन्नति द्वारा ; (तीन) अपर राज्य रेडियो अधिकारी— ऐसे सहायक रेडियो अधिकारियों में से, जिन्होने संवर्ग में कुल 12 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा ; (चार) राज्य रेडियो अधिकारी– ऐसे अपर राज्य रेडियो अधिकारियों में से , जिन्होंने संवर्ग में कुल 16 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो , अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा। (पांच) उप महानिरीक्षक (पुलिस दूर संचार)— ऐसे राज्य रेडियो अधिकारियों में से जिन्होने संवर्ग में कुल 22 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो या ऐसे राज्य रेडियो अधिकारियों में से जिनकी नियुक्ति राज्य रेडियो अधिकारी के पद पर उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2015 के पूर्व लागू उपबन्धों के आधार पर सीधी भर्ती से हुई हो और जिन्होनें ऐसे पद पर 16 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो में से योग्यता के आधार पर जिसका अवधारण चरित्र पंजी में दी गयी प्रविष्टियों के अनुसार दिया जायेगा, पदोन्नति द्वारा। (छः) निदेशक (पुलिस दूर संचार)–	(छः) निदेशक (पुलिस दूर संचार)– ऐसे उप महानिरीक्षक

*उ0प्र0 पुलिस रेडियो सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2015 द्वारा दिनांक 01.07.2015 से प्रतिस्थापित

**उ0प्र0 पुलिस रेडियो सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली 2016 द्वारा दिनांक 12.05.2016 से प्रतिस्थापित

रेडियो अधिकारियों में से, योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा — परन्तु यदि पदोन्नति के लिये कोई उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध न हो तो पद नियम 15 के अधीन सीधी भर्ती द्वारा भरा जा सकता है।	ऐसे उप महानिरीक्षक (दूर संचार) में से जिन्होने संवर्ग में कुल 28 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, योग्यता के आधार जिसका अवधारण चरित्र पंजी में दी गयी प्रविष्टियों के अनुसार दिया जायेगा, पदोन्नति द्वारा।	(दूर संचार) में से जिन्होने ऐसे पद पर दो वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, योग्यता के आधार पर जिसका अवधारण चरित्र पंची में दी गयी प्रविष्टियों के अनुसार किया जायेगा, पदोन्नति द्वारा।

6. आरक्षण—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग-चार—अर्हतायें

7.राष्ट्रीयता—सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी—

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से निवारण करने के अभिप्राय से 1 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्रय से आया हो, या

(ग) भारतीय उद्‌भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या केनिया, उगाण्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तंजानिया और जंजीबार) के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रब्रजन किया हो—

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो,

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, गुप्तचर शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें,

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में तभी रखा जा सकेगा, यदि उसने भारतीय नागरिकता प्राप्त कर ली हो।

टिप्पणी—ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

8. शैक्षिक अर्हतायें—

मूल नियम	***दिनांक 01.07.2015 द्वारा प्रतिस्थापित**
8-सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हतायें होनी चाहिये। (एक) सहायक रेडियो अधिकारी—एक विशेष विषय के रूप में बेतार (वायरलेस) के साथ भौतिक में एम.एस.सी. उपाधि या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक्स/रेडियो संचार अभियंत्रण में कोई अभियंत्रण की उपाधि या और देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का कार्यकारी ज्ञान। इलेक्ट्रॉनिक्स/रेडियो संचार	8- सहायक रेडियो अधिकारी की शैक्षिक अर्हतायें– सेवा में सहायक रेडियो अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हतायें होनी चाहिये :— भारत में विधि द्वारा

*उ0प्र0 पुलिस रेडियो सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2015 द्वारा दिनांक 01.07.2015 से प्रतिस्थापित

प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में व्यावहारिक अनुभव अधिमानी अर्हता होगी। (दो) अपर राज्य रेडियो अधिकारी— एक विशेष विषय के रूप में बेतार के साथ भौतिकी में एस.एस.सी. की उपाधि या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से इलेक्टॉनिक्स/रेडियो संचार अभियंत्रण में कोई अभियंत्रण की उपाधि या राज्य सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य उपाधि और देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का कार्यकारी ज्ञान, इसके अतिरिक्त— (क) उसे किसी उत्तरदायी पद पर कम से कम 5 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव होना चाहिये और इलेक्ट्रॉनिक्स/रेडियो प्रौद्योगिकी का अद्यतन ज्ञान होना चाहिये। (ख) वह रेडियो उपस्कर के अधिष्ठापन और अनुरक्षण का पर्ववेक्षण और निदेश कर सकें, (ग) वह रेडियो उपस्कर और सहायक सज्जा के डिजाइन, निर्माण और परीक्षण कार्य का पर्ववेक्षण और निदेश कर सकें। (तीन) राज्य रेडियो अधिकारी—वही शैक्षिक और अन्य अर्हतायें होनी चाहिये जो अपर राज्य रेडियो अधिकारी के पद के लिए अपेक्षित हैं। इसके अतिरिक्त उसे किसी उत्तरदायी पद पर रेडियो प्रौद्योगिकी का कम से कम सात वर्ष का व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए। (चार) उप महानिरीक्षक (दूर पुलिस संचार)—वही शैक्षिक और अन्य अर्हताएं होनी चाहिये जो राज्य रेडियो अधिकारी के पद के लिए अपेक्षित हैं। इसके अतिरिक्त उसे किसी उत्तरदायी पद पर रेडियो प्रौद्योगिकी का कम से कम 10 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव होना चाहिये।	स्थापित किसी विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक्स/इलेक्ट्रानिक्स एवं टेलीकम्यूनिकेशन / इलेक्ट्रिकल अभियंत्रण में स्नातक उपाधि अथवा समकक्ष उपाधि । अथवा भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से वायरलेस कम्न्यूकेशन में एक अनिवार्य विषय के रूप में भौतिकी / अनुप्रयुक्त भौतिकी में परास्नातक उपाधि अथवा समकक्ष उपाधि । एंव देवनागरी लिपि में हिन्दी का कार्यकारी ज्ञान। अधिमानी अर्हता इलेक्ट्रानिक्स / रेडियो संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दो वर्ष का व्यवहारिक अनुभव।

9. अधिमानी अर्हतायें—एक अभ्यर्थी को जिसमें —

(एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या

(दो) राष्ट्रीय कैडेटकोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो,

अन्य बातों के समानहोने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान किया जायेगा।

10-आयु—

मूल नियम	*दिनांक 01.07.2015 द्वारा प्रतिस्थापित
10-सेवा में किसी भी श्रेणी के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की, जिस वर्ष भर्ती की जानी हो उस वर्ष की पहली जनवरी को, यदि पद पहली जनवरी से 30 जून की अवधि में विज्ञापित किये जायें, और पहली जुलाई को, यदि पद पहली जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि में विज्ञापित	10-सेवा में किसी भी श्रेणी के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की, जिस वर्ष भर्ती की जानी हो उस वर्ष की पहली जनवरी को, यदि पद पहली जनवरी से 30 जून की अवधि में विज्ञापित किये जायें, और पहली जुलाई को, यदि पद पहली जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि में विज्ञापित

किये जायें, नीचे निर्दिष्ट वर्ग के पदों के सामने की गयी न्यूनतम आयु हो जानी चाहिए, और अधिकतम आयु से अधिक नहीं होनी चाहिए— **पद का नाम न्यू0 आयु अधि0 आयु** (क) सहायक रेडियो अधिकारी 21 27 (ख) अपर राज्य रेडियो अधिकारी 21 35 (ग) राज्य रेडियो अधिकारी 21 45 (घ) उप महानिरीक्षक (पुलिस दूर संचार) 21 50 परन्तु अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायें, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय, परन्तु यह और कि सरकार आयोग के परामर्श से किसी असाधारण रूप से अर्ह अभ्यर्थी के पक्ष में आयु सीमा शिथिल कर सकती है।	किये जायें, नीचे निर्दिष्ट वर्ग के पदों के सामने की गयी न्यूनतम आयु हो जानी चाहिए, और अधिकतम आयु से अधिक नहीं होनी चाहिए— **पद का नाम न्यू0 आयु अधि0 आयु** (क) सहायक रेडियो अधिकारी 21 27 परन्तु अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायें, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय, परन्तु यह और कि सरकार आयोग के परामर्श से किसी असाधारण रूप से अर्ह अभ्यर्थी के पक्ष में आयु सीमा शिथिल कर सकती है।

11. चरित्र—सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सेवा में नियुक्त के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति अधिकारी किस सम्बन्ध में अपना समाधान करेगा।

टिप्पणी—संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या संघ सरकार या किसी अन्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में किसी स्थानीय प्राधिकारियों या किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगें। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

12. वैवाहिक प्रास्थिति—सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए, ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो—

परन्तु राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं, यदि उनका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।

13. शारीरिक स्वस्थता—किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हों, जिससे उसे अपने कर्त्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने के बाधा पड़ने की संभावना हो। किसी ऐसे अभ्यर्थी को जो पहले से सरकार की स्थायी सेवा में न हों, सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित करने के पूर्व, उससे यह अपेक्षा की जायगी कि वह चिकित्सा बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीण करें।

भाग पांच—भर्ती की प्रक्रिया

14. रिक्तियों का अवधारण—नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और [illegible]

***उ0प्र0 पुलिस रेडियो सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2015 द्वारा दिनांक 01.07.2015 से प्रतिस्थापित**

15. सीधी भर्ती की प्रक्रिया—

(1) आयोग चयन के लिए आवेदन-पत्र विहित प्रपत्र में आमंत्रित करेगा, जिसे आयोग के सचिव से भुगतान किये जाने पर प्राप्त किया जा सकता है।

(2) आयोग नियम 6 के अनुसर अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये साक्षात्कार के लिए ऐसे अभ्यर्थियों को बुलायेगा जो अपेक्षित अर्हतायें पूरी करते हैं।

(3) आयोग अभ्यर्थियों की एक सूची, उनकी प्रवीणता के क्रम में जैसा कि प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा मौखिक परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों में प्रकट हो, तैयार करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करें तो आयोग उनके नाम सेवा के लिए उनकी सामान्य उपयुक्तता के आधार पर योग्यताक्रम में रखेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक होगी, किन्तु 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। आयोग सूची को नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

16. पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया—

मूल नियम	***दिनांक 01.07.2015 द्वारा प्रतिस्थापित**
पदोन्नति द्वारा भर्ती समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग संपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 1970 के अनुसार की जायेगी।	1–सहायक रेडियो अधिकारी के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली–1970 के अनुसार की जायेगी। 2–(क)–सहायक रेडियो अधिकारी (ज्येष्ठ वेतनमान) अपर राज्य रेडियो अधिकारी , राज्य रेडियो अधिकारी, उप महानिरीक्षक (पुलिस दूर संचार) और निदेशक (पुलिस दूर संचार) के पद पर चयन उप नियम–1 में निर्दिष्ट नियमावली के नियम–5 के खण्ड–(दो,) (तीन), (चार), (पांच) और छः में निर्धारित मापदण्ड के

	आधार पर चयन समिति की संस्तुति के आधार पर की जायेगी। चयन समिति निम्न प्रकार गठित की जायेगी :– (एक) सरकार के मुख्य सचिव– अध्यक्ष (दो) गृह विभाग में सरकार का प्रमुख सचिव अथवा सचिव – सदस्य (तीन कार्मिक विभाग में सरकार का प्रमुख सचिव अथवा सचिव– सदस्य (चार) पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 अथवा महानिदेशक / विशेष महानिदेशक / अपर महानिदेशक (पलिस दूर संचार) उत्तर प्रदेश – सदस्य परन्तु यदि इस प्रकार गठित चयन समिति में अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जन जातियों और पिछडे वर्गो में से प्रत्येक के व्यक्ति सम्मिलित न हों तो ऐसी जातियों / जनजातियों और वर्गो , जिनका चयन समिति में प्रतिनिधित्व न हो, के एक अधिकारी को जो शासन के विशेष सचिव से निम्न स्तर का न हो, चयन समिति में सदस्य के रूप में नाम–निर्दिष्ट किया जायेगा। **टिप्पणी–** "पिछडे वर्गो " का तात्पर्य समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनूसचित जन जातियों और अन्य पिछडे वर्गो के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 की अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछडे वर्गो से है। (ख) विभागाध्यक्ष प्रत्येक भर्ती वर्ष हेतु रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा और अभ्यर्थियों की एक पात्रता सूची समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली 1986 के अनुसार तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे संबंधित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जायें, चयन समिति के समक्ष रखेगा। (ग)चयन समिति उप नियम ख में निर्दिष्ठ अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर

	सकती है, (घ) चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों की एक सूची भर्ती के समय राज्य सरकार के प्रवृत्त आदेशों के अनुसार तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी। (ड) चयन सूची, चयन के दिनांक से एक वर्ष के लिये प्रभावी होगी।

17. संयुक्त चयन सूची—यदि नियुक्ति सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों ही प्रकार से की गई हो तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी जिसमें अभ्यर्थियों के नाम-नियम 15 और नियम 16 के अधीन तैयार की गयी सूची से ऐसी रीति से लिये जायेंगे कि सीधी भर्ती और पदोन्नति का विहित प्रतिशत बना रहे, पहला नाम नियम 16 के अधीन तैयार की गयी सूची से होगा।

भाग छः–

नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

18. नियुक्ति—(1) मौलिक रिक्तियाँ होने पर नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यार्थियों को उस क्रम से लेकर जिसमें उनके नाम, यथास्थिति, नियम 15, 16 और 17 के अधीन तैयार की गयी सूचियों में हों, नियुक्तियाँ करेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अस्थायी और स्थानापन्न रिक्तियों में भी उप नियम (1) में निर्दिष्ट सूचियों से नियुक्तियाँ कर सकता है।

यदि इन सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिये पात्र व्यक्तियों में से नियुक्तियाँ कर सकता हूँ। ऐसी नियुक्तियां एक वर्ष से अनधिक अवधि या इस नियमावली के अधीन अगला चयन लिये जाने तक, इनमें जो भी पहले हों, के लिये की जायेंगी।

19. परिवीक्षा—

मूल नियम	*दिनांक 01.07.2015 द्वारा प्रतिस्थापित
(1) सेना में मौलिक रिक्ति में या उसके प्रति किसी पद पर नियुक्ति किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा। (2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, को अभिलिखित किये जायेंगे, अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक कि अवधि बढ़ाया जाये — परन्तु आपवादिक कारणों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी। (3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या असके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद, यदि कोई हों, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें	सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की परिवीक्षा अवधि समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली 2013 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

समाप्त की जा सकती हैं। (4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उप नियम (3) अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त हो जायं, किसी प्रतिकर का हकदार न होगा। (5) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा की परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गणना करने की अनुमति दे सकता है।	

20. परिवीक्षा अवधि के दौरान प्रशिक्षण और विभागीय परीक्षा—सेवा में नियुक्ति किये गये व्यक्ति से परिवीक्षा अवधि के दौरान ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करने और ऐसी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने की

***उ0प्र0 पुलिस रेडियो सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2015 द्वारा दिनांक 01.07.2015 से प्रतिस्थापित**

21. स्थायीकरण—किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि—

(क) उसने विहित विभागीय परीक्षा, यदि कोई हो, उत्तीर्ण कर ली हो,

(ख) उसने विहित प्रशिक्षण, यदि कोई हो, सफलता पूर्वक पूरा कर लिया हो,

(ग) उसका कार्य और आचरण संतोषप्रद बताया जाय,

(घ) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय, और

(ङ) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाये कि वह स्थायीकरण के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

22. जयेष्ठता—

मूल नियम	***दिनांक 01.07.2015 द्वारा प्रतिस्थापित**
सेवा में किसी भी श्रेणी के पद पर ज्येष्ठता वही होगी जो मौलिक रूप में नियुक्ति के आदेश के दिनांक से अवधारित की जाये और यदि दो या अधिक व्यक्ति के साथ नियुक्ति किये जायें तो उस क्रम से अवधारित की जायेगी जिस क्रम से उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये हों, परन्तु— (एक) सेवा में सीधे नियुक्ति किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो चयन के समय अवधारित की जाये, (दो) सेवा में पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो पदोन्नति के समय उनके द्वारा घृत मौलिक पद पर रही हो।	किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय–समय पर यथा संशोधित (उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली –1991)के अनुसार अवधारित की जायेगी।

टिप्पणी—(एक)कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है यदि किसी रिक्त पद का उसे प्रस्ताव किये जाने पर वह विद्यमान कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहे। कारणों की विद्यमान्यता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा। (दो) जब नियुक्ति के आदेश में कोई ऐसा विशिष्ट पिछला दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाय जब से किसी व्यक्ति की रूप से नियुक्ति की जानी हो, तो उस दिनांक को नियुक्ति के आदेश का दिनांक समझा जायेगा। अन्य मामलों में उसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगा।	

भाग सात-वेतन आदि

23. वेतनमान

***उ0प्र0 पुलिस रेडियो सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2015 द्वारा दिनांक 01.07.2015 से प्रतिस्थापित**

प

में या अस्थायी आधार पर नियुक्ति किये गये व्यक्तियों का, अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय के वेतनमान नीचे दिय गये हैं—

पद का नाम	**वेतनमान**
1. सहायक रेडियो अधिकारी-	550-30-700-द.रो.40 900-द.रो.-50-1200 रु.
2. अपर राज्य रेडियो अधिकारी-	800-50-1050-द.रो.-50 -1300-द.रो.-50-1450 रु.
3. राज्य रेडियो अधिकारी-	1400-50-1500-द.रो.-60-1800रु.
4. उप महानिरीक्षक (पुलिस दूर संचार)-	2000-125/2-2250 रु.

में या स्थायी आधार पर नियुक्ति किये गये व्यक्तियों का, अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय के वेतनमान नीचे दिय गये हैं—

पद का नाम	**वेतनमान**
1. सहायक रेडियो अधिकारी-	पी.बी.—3 रू0 15600—39.100 ग्रेड पे— रू0—5400 / —
2. सहायक रेडियो अधिकारी- (ज्येष्ठ वेतनमान)	पी.बी.—3 रू0 15600—39.100 ग्रेड पे— रू0—6600 / —
3. अपर राज्य रेडियो अधिकारी—	पी.बी.—3 रू0 15600—39.100 ग्रेड पे— रू0—7600 / —
4-राज्य रेडियो अधिकारी-	पी.बी.—4 रू0 37400—67.000 ग्रेड पे— रू0—8700 / —
5. उप महानिरीक्षक (पुलिस दूर संचार)-	पी.बी.—4 रू0 37400—67.000 ग्रेड पे— रू0—8900 / —
6.निदेशक (पुलिस दूर संचार)—	पी.बी.—4 रू0 37400—67.000 ग्रेड पे— रू0—10000 / —

24. परिवीक्षा अवधि में वेतन—(1) फन्डामेन्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परीवीक्षाधीन व्यक्ति को यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समय-मान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और प्रशिक्षण, जहाँ विहित हो, पूरा कर लिया हो और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो—

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि की गणना वेतन-वृद्धि के लिये तब तक नहीं की जाय जब तक की नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें।

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहने से सरकार के अधीन कोई पदधार कर रहा हो, यदि परीवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फंडामेंटल रूल्स द्वारा विनियमित होगा—

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निवेश न दें।

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य क कार्यकलाप के संबंध में सामान्यतः सेवारत सरकारी सेवकों पर लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

25. दक्षता रोक पार करने का मान दन्ड—प्रत्येक श्रेणी के पदों के लिये दक्षतारोक पार करने का मानदन्ड नीचे दिया गया है—

(एक) सहायक रेडियो अधिकारी—सहायक रेडियो अधिकारी की—

(एक) प्रथम दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

(दो) द्वितीय दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया जाय, वह उतर प्रदेश पुलिस रेडियो संगठन के किसी अनुभाग का स्वतंत्र प्रभार धृत करने में पूर्णतया समर्थ न पाया जाय और असकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय,

(दो) अपर राज्य रेडियो अधिकारी—अपर राज्य रेडियो अधिकारी को—

***उ0प्र0 पुलिस रेडियो सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2015 द्वारा दिनांक 01.07.2015 से प्रतिस्थापित**

जाय।

(दो) द्वितीय दक्षता रोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया जाय और वह अपने अधीन शाखा का प्रभार धृत करने में पूर्णतया समर्थ न पाया जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

(तीन) राज्य रेडियो अधिकारी—राज्य रेडियो अधिकारी को दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया जाय वह अपने अधीन शाखा का प्रभार धृत करने में पूर्णतया समर्थ न पाया जाय और उसका सत्यनिष्ठा भी प्रमाणित न कर दी जाय।

भाग नौ—अन्य उपबन्ध

26. पक्ष समर्थन—किसी पद या सेवा पर लागू इस नियमावली के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा।

27. अन्य विषयों का विनियमन—ऐसे विषयों के संबंध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

28. सेवा की शर्तों में शिथिलता—जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की शर्तों को विनियति करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले मे अनुचित कठिनाई होती है, वहाँ वह उस मामले में लागू होने वाले नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उक्त नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझें, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

परन्तु जहां कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया है वहां उस नियम की अपेक्षाओं को अभिमुक्त शिथिल करने के पूर्व उस निकाय से परामर्श किया जायेगा।

29. व्यावृत्ति—इस नियमावली में किसी बात का ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जिनको सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,
प्रकाश चन्द्र जैन,
गृह सचिव।

परिशिष्ट 'क'

मूल नियम	***दिनांक 01.07.2015 द्वारा प्रतिस्थापित**
प्रत्येक श्रेणी की सदस्य-संख्या	प्रत्येक श्रेणी की सदस्य-संख्या
1. उप महानिरीक्षक (पुलिस दूर संचार) - 01	1. निदेशक (पुलिस दूर संचार) — 01
2. राज्य रेडियो अधिकारी- -01	2- उप महानिरीक्षक (पुलिस दूर संचार) - 03
3. अपर राज्य रेडियो अधिकारी -01	3. राज्य रेडियो अधिकारी- -05
4. सहायक रेडियो अधिकारी -14	4. अपर राज्य रेडियो अधिकारी -09
	5. सहायक रेडियो अधिकारी(ज्ये0 वेतनमान) -11
	6- सहायक रेडियो अधिकारी —32

परिशिष्ट—ख

संख्या 71/1/69-रा.ए.

प्रेषक,

श्री पूरन चन्द्र पान्डे, सचिव, उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा अन्य प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

राष्ट्रीय एकीकरण विभाग दिनांक लखनऊ, अप्रैल, 25, 1970

विषय–उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जन-जातियों के सदस्यों को राज्य सेवाओं में आरक्षण तथा राज्य सेवाओं / पदों में भर्ती के संबंध में अनुसूचित जातियों के सदस्यों के समान सुविधायें प्रदान करना।

महोदय,

मुझे आपका ध्यान इस विभाग के शासनादेश संख्या 65/17/69-रा. एकी., दिनांक 23 अक्टूबर, 1969 जो समस्त जिला अधिकारियों को संबोधित है जिसकी प्रतिलिपि आपको प्रेषित की गई है, की ओर आकृष्ट करते हुए यह निवेचन करने का आदेश हुआ है कि भारत का संविधान के अनुच्छेद 335 के अधीन अनुसूचित जन-जातियों को केन्द्र अथवा प्रदेश की सेवाओ पदों में भर्ती के संबंध में अनुसूचित जातियों के समान ही माना गया है। अतः श्री राज्यपाल ने यह निर्णय किया है कि इस आदेश के जारी होने के दिन से अनुसूचित जन जातियों के अभ्यर्थियों को वे सभी सुविधायें जो अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों को प्राप्त है, यथा (1) सेवाओं में आरक्षण (2) अधिकतम आयुसीमा में छूट तथा (3) लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगात्मक परीक्षाओं/चयनों की फीस में छूट दी जाये।

2. भविष्य में अनुसूचित जन-जातियों के सदस्यों को राज्य सेवाओं पदों में 2 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त रहेगा और भर्ती हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी। लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगात्मक परीक्षाओं के संबंध में ली जाने वाली परीक्षागिता साक्षात्कार की एक तिहाई फीस ली जाया करेगी।

3. आरक्षित रिक्तियों के लिये पर्याप्त संख्या में अनुसूचित जन जातियों के उपयुक्त अभ्यर्थियों के प्राप्त न होने पर ऐसी रिक्तियों अनारक्षित रिक्तियों के समान समझकर भर्ती उसी समान की जायेगी किन्तु भर्ती के अनुवर्ती अवसरों पर अग्रनीत (Carry forward) की जायेगी। इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को अनुसूचित जन-जाति के अभ्यर्थियों के लिये पांच साल की अवधि तक उपलब्ध रखा जायेगा। तत्पश्चात् इन रिक्तियों को अनारक्षित समझा जायेगा।

4. मुझे आपसे यह अनुरोध करना है कि अपने अधीनस्थ नियुक्ति प्राधिकारियों को उपर्युक्त आदेशों से अवगत करायें और उन्हें सही ढंग से पालन करने का निर्देश दें ताकि अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों को नियमानुसार सरकारी नौकरियों में निर्धारित स्थान मिल सके।

5. यह आदेश वित्त विभाग के अ. शा. संख्या ई. 5-1-400/दस, दिनांक 3 अप्रैल, 1970 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

पूरन चन्द्र पान्डे,

सचिव।

***उ0प्र0 पुलिस रेडियो सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2015 द्वारा दिनांक 01.07.2015 से प्रतिस्थापित**

उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1982

उत्तर प्रदेश सरकार, गृह विभाग(पुलिस) अनुभाग–1
संख्या–466–आठ–1–2233–64 दिनांक 24.07.1982

संख्या–466/आठ–1–2233–64–संयुक्त प्रान्तीय आर्म्ड कांस्टेबुलरी एक्ट , 1948 की धारा–15 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा में पदों पर भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों को सेवा की शर्तो को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते है :–

भाग एक-सामान्य

1–(एक) संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—वह नियमावली उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा नियमावली 1982 कही जायेगी।

(दो) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2–सेवा की प्रास्थिति—उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा एक ऐसी सेवा है, जिसमें समूह ''ग'' और ''घ'' के पद सम्मिलित हैं।

3–परिभाषायें—

मूल नियम	*दिनांक 31.03.2005 द्वारा प्रतिस्थापित
जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में— (क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य संयुक्त प्रान्तीय आर्म्ड कान्स्टेबुलरी एक्ट, 1948 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 40, सन् 1948) से है ; (ख) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' का तात्पर्य कर्मशाला कर्मचारी (वर्कशाप हैण्ड) सहायक परिचालक और प्रधान परिचालक के पदों के सम्बन्ध में राज्य रेडियो अधिकारी और रेडियो स्टेशन अधिकारी और रेडियो अनुरक्षण अधिकारी और रेडियो निरीक्षक के पदों के सम्बन्ध में उप महानिरीक्षक (पुलिस दूरसंचार) से है; (ग) ''भारत का नागरिक'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग-दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय। (घ) ''संविधान'' का तात्पर्य भारत के संविधान से है। (ङ) ''राज्यपाल'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;	जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में— (क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य संयुक्त प्रान्तीय आर्म्ड कान्स्टेबुलरी एक्ट, 1948 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 40, सन् 1948) से है ; (ख) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' का तात्पर्य कर्मशाला कर्मचारी (वर्कशाप हैण्ड) सहायक परिचालक और प्रधान परिचालक के पदों के सम्बन्ध में राज्य रेडियो अधिकारी से है और रेडियो स्टेशन अधिकारी और रेडियो अनुरक्षण अधिकारी और रेडियो निरीक्षक के पदों के सम्बन्ध में उप महानिरीक्षक (पुलिस दूरसंचार) से है; (ग) ''भारत का नागरिक'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो भारत के संविधान के भाग-दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय। (घ) ''संविधान'' का तात्पर्य भारत का संविधान से है। (ङ) ''पुलिस महानिदेशक '' का तात्पर्य का तात्पर्य पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर

(च) ''सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है; (छ) ''सेवा का सदस्य'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली के इस प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त अधिनियम, नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है; (ज) ''सचिव'' का तात्पर्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, गृह विभाग से है	प्रदेश से है; (च) ''पुलिस महानिदेशक, (दूरसंचार) और अपर पुलिस महानिदेशक, (दूरसंचार)''क्रमशः पुलिस महानिदेशक, (दूरसंचार), उत्तर प्रदेश और अपर पुलिस महानिदेशक, (दूरसंचार), उत्तर प्रदेश से है। (छ) ''पुलिस उप महानिरीक्षक'' का तात्पर्य महानिरीक्षक(पुलिस दूर संचार) से है।

(झ)
अधी

***उ0प्र0 पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली–1997 द्वारा दिनांक 31.03.2005 से प्रतिस्थापित**

(ट) ''मौलिक नियुक्ति'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग से किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेश द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो; (ठ) ''भर्ती का वर्ष'' का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह पास की अवधि से है।	(झ) ''सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है; (ट) ''पुलिस महानिरीक्षक'' का तात्पर्य पुलिस महानिरीक्षक/निदेशक(दूरसंचार) उत्तर प्रदेश से है। (ठ) ''सेवा का सदस्य'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली के अधीन अथवा इस नियमावली के प्रारम्भ के पूर्व प्रवृत्त अधिनियम , नियमों और आदेशों को उपबन्धों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है। (ड) "सचिव" का तात्पर्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार, गृह विभाग से है। (ढ) "सेवा " का तात्पर्य उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा से है। (न)"मौलिक नियुक्ति " का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो। (त) "भर्ती का वर्ष " का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई को प्रारम्भ होने वाले बारह माह की अवधि से है।

भाग दो—संवर्ग

सेवा का संवर्ग- 4 —

(1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी राज्यपाल द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।

(2) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या, जब तक कि उपनियम (1) के अधीन

उसमें परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायं, उतनी होगी जितनी नीचे उल्लिखित है :—

	स्थायी	अस्थायी	योग

1. कर्मशाला कर्मचारी (वर्कशाप हण्ड)	...	64	12	76
2. सहायक परिचालक	...	764	535	1299
3. प्रधान परिचालक	...	1500	688	2188
4. रेडियो स्टेशन अधिकारी	...	120	124	244
5. रेडियो अनुरक्षण अधिकारी	...	86	35	121
6. रेडियो निरीक्षक	...	19	34	53

परन्तु—

(क) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा, या

(ख) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों को सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें।

भाग तीन—भर्ती

5—सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती के निम्नलिखित स्रोत होंगे :—

मूल नियम	*** दिनांक 14.02.1998 द्वारा प्रतिस्थापित**
(1) कर्मशाला कर्मचारी....... सीधी भर्ती द्वारा।	(1) कर्मशाला कर्मचारी....... (एक) 75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। (दो) 25 प्रतिशत उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो शाखा के समूह ''घ'' के मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे कर्मचारियों में से जिन्होंने हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की हो या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्राविधिक संस्थान से किसी ऐसे व्यवसाय में से समकक्ष प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम जो पुलिस रेडियो कर्मशाला के लिए उपयोगी हो या उसके समकक्ष कोई अन्य अर्हता रखता हो और भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस की इस रूप पांच वर्ष की सेवा पूरी करली हो।
(2) सहायक परिचालक.......	(एक) 90 प्रतिशत रिक्तियां सीधी भर्ती द्वारा। (दो) 10 प्रतिशत रिक्तियां ऐसे स्थायी कर्मशाला कर्मचारियों में से, जिन्होंने श्रेणी तीन परिचालक पाठ्य-क्रम सफलता पूर्वक प्राप्त कर लिया हो, पदोन्नति द्वारा; परन्तु यदि उपयुक्त पात्र कर्मशाला कर्मचारी पदोन्नति के लिए उपलब्ध न हो तो पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जा सकते हैं। **टिप्पणी**—पदोन्नति के प्रयोजनार्थ कर्मशाला कर्मचारियों को, ज्येष्ठता क्रम में, श्रेणी तीन परिचालक पाठ्यक्रम प्राप्त करने की अनुमति दी जायगी और, पदोन्नति द्वारा भरी जाने वाली प्रत्येक भावी रिक्ति के लिए यथासम्भव पांच व्यक्ति तक उक्त पाठ्यक्रम के लिए भेजे जायेंगे।
(3) प्रधान परिचालक	स्थायी सहायक परिचालकों में से पदोन्नति द्वारा।

(4) रेडियो स्टेशन अधिकारी	(एक) सीधी भर्ती द्वारा जैसा कि नियम 15 में उपबन्धित है। (दो) स्थायी प्रधान परिचालकों में से पदोन्नति द्वारा परन्तु दोनों स्रोतों से भर्ती इस प्रकार की जायगी कि संवर्ग में 75 प्रतिशत पद पदोन्नत व्यक्तियों द्वारा और शेष सीधी भर्ती किये गये व्यक्तियों द्वारा धृत हो।
(5) रेडियो अनुरक्षण अधिकारी	(एक) सीधी भर्ती द्वारा जैसा कि नियम 15 में उपबन्धित है। (दो) स्थायी रेडियो स्टेशन अधिकारियों में से पदोन्नति द्वारा : परन्तु दोनों स्रोतों से भर्ती इस प्रकार की जायगी कि संवर्ग में 75 प्रतिशत पद पदोन्नति व्यक्तियों द्वारा और शेष सीधी भर्ती किये गये व्यक्तियों द्वारा धृत हों।
(6) रेडियो निरीक्षक	स्थायी रेडियो अनुरक्षण अधिकारियों में से पदोन्नति द्वारा।

6–आरक्षण- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जाएगा।

भाग चार-
अर्हताएं

7–राष्ट्रीयता—सेवा में भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी—

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से 1 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका और केनिया, उगाण्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवजन किया हो :

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो;

परन्तु यह और कि श्रेणी (घ) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, गुप्तचर शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें।

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो, तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिऐ जारी नहीं किया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि से आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी—ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया है और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी भी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाए या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

8–शैक्षिक अर्हता—

मूल नियम	* दिनांक 31.03.2005 द्वारा प्रतिस्थापित

सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी निम्नलिखित अर्हतायें रखता हो :— **कर्मशाला कर्मचारी**—हाई स्कूल परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम जो पुलिस रेडियो कर्मशाला के लिए उपयोगी हो या कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो।	सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिये निम्नलिखित अर्हतायें होना अनिवार्य है :— **कर्मशाला कर्मचारी**—अभ्यर्थियों ने हाई स्कूल परीक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा या किसी सरकारी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से पुलिस रेडियो कर्मशाला के लिए उपयोगी किसी व्यवसाय में प्रमाण पत्र परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो।

***उ0प्र0 पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली–1997 द्वारा दिनांक 14.02.1998 से प्रतिस्थापित**

अभ्यर्थियों को जिसके पास किसी मान्यता प्राप्त रेडियो प्रौद्योगिक संस्था का प्रमाण-पत्र हो या जिन्हें बेतार प्रौद्योगिक अनुभव हो, अधिमान दिया जायगा। **रेडियों स्टेशन अधिकारी**—भौतिक विज्ञान और गणित के साथ बी. एस. सी. परीक्षा उत्तीर्ण की हो। ऐसे अभ्यर्थी को जिसके पास किसी मान्यता प्राप्त रेडियो प्रौद्योगिक संस्था का प्रमाण पत्र हो, अधिमान दिया जायगा। बेतार प्रौद्योगिकी में व्यवहारिक अनुमय भी एक अधिमानी अर्हता होगी। **रेडियो अनुरक्षण अधिकारी**—भौतिक विज्ञान और गणित के साथ बी. एस. सी. परीक्षा उत्तीर्ण की हो। ऐसे अभ्यर्थी को जिसके पास रेडियो में डिप्लोमा या प्रथम श्रेणी तकनीशियन का प्रमाण-पत्र हो या जो वृतिक संस्था का स्नातक सदस्य (ग्रेजुएट मेम्बरशिप आफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन्स) हो, अधिमान दिया जाएगा।	की हो। **रेडियों स्टेशन अधिकारी**—अभ्यर्थी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्व विद्यालय/संस्थान से भौतिक विज्ञान और गणित सहित विज्ञान में स्नातक उपाधि (बी0एस0सी0) या इलेक्ट्रानिक्स/इलेक्ट्रिकल/यान्त्रिकी/कम्प्यूटर साइंस/सूचना प्रोद्योगिकी/उपकरण प्रौद्योगिकी(इन्स्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलाजी) में स्नातक उपाधि (बी0ई0/बी0टेक0) आवश्यक रखता हो। **रेडियो अनुरक्षण अधिकारी**— अभ्यर्थी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्व विद्यालय/संस्थान से भौतिक विज्ञान और गणित सहित स्नातक उपाधि (बी0एस0सी0) या इलेक्ट्रानिक्स/इलेक्ट्रिकल/यान्त्रिकी/कम्प्यूटर विज्ञान/सूचना प्रोद्योगिकी/उपकरण प्रौद्योगिकी(इन्स्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलाजी) में स्नातक उपाधि (बी0ई0/बी0टेक0) आवश्यक रखता हो।

9–अधिमानी अर्हता—ऐसे अभ्यर्थी को जिसने—

(एक) प्रादेशिक सेवा में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायगा।

10–आयु—सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु जिस वर्ष भर्ती की जानी हो, उस वर्ष की पहली जनवरी को, यदि पद पहली जनवरी से 30 जून की अवधि में विज्ञापित किये जाए, और पहली जुलाई को यदि पद पहली जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि में विज्ञापित किये जाये,

(एक) सहायक परिचालक के पद के लिये 18 वर्ष की हो जानी चाहिए और 22 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये और;

(दो) शेष पदों के लिए बीस वर्ष की हो जानी चाहिए और 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों भी ऐसे अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्च व आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

11–सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में नियोजन के लिए इसी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति अधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान करेगा।

टिप्पणी—संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में किसी स्थानीय प्राधिकारी या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। वैदिक अधर्मता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र न होंगे।

12–वैवाहिक प्रास्थिति—सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होंगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है, यदि उसका समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।

13–शारीरिक स्वस्थता—

मूल नियम	***दिनांक 14.02.1998 द्वारा प्रतिस्थापित**
13—शारीरिक स्वस्थयता—किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो, वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्त्तव्यों की दक्षतापूर्वक पालन करने में बांधा पड़ने की सम्भावना हो। भर्ती के लिए शारीरिक स्तर वही होगा, जो कि पुलिस विनियमों में समतुल्य श्रेणियों के लिए दिया गया है। किसी अभ्यर्थी को, जो कि पहले से स्थायी सरकारी सेवा में नहीं है, सेवा में नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस विनियमों की अपेक्षानुसार स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें।	13—शारीरिक स्वस्थयता—किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो, वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्त्तव्यों की दक्षतापूर्वक पालन करने में बांधा पड़ने की सम्भावना हो। भर्ती के लिए शारीरिक स्तर वही होगा, जो कि पुलिस विनियमों में समतुल्य श्रेणियों के पदों के लिए दिया गया है। किसी अभ्यर्थी को, जो कि पहले से स्थायी सरकारी सेवा में नहीं है, सीधी भर्ती के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस विनियमों के उपबन्धों के अनुसार स्वास्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें। परन्तु यह कि कर्मशाला कर्मचारी के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती के मामले में किसी शारीरिक स्तर और स्वस्थता चिकित्सा प्रमाण-पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

भाग-पाँच-

भर्ती की प्रक्रिया

14–रिक्तियों का उच्चारण—नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष से दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनूसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और तत्समय प्रवृत्त नियमों और आदेशों के अनुसार सेवायोजन कार्यालय को अधिसूचित करेगा।

15–(1) भर्ती की प्रक्रिया –

मूल नियम	*दिनांक 31.03.2005 द्वारा प्रतिस्थापित
विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती के प्रयोजनार्थ एक चयन समिति का गठन निम्नलिखित प्रकार से किया जाएगा।	विभिन्न पदों पर भर्ती के प्रयोजनार्थ एक चयन समिति का गठन किया जायेगा , जिसमें निम्नलिखित होगें :–
(क) कर्मशाला कर्मचारी, सहायक परिचालक, प्रधान परिचालक के पद के लिए—	(क) कर्मशाला कर्मचारी, सहायक परिचालक, प्रधान परिचालक के पद के लिए—
(एक) राज्य रेडियो अधिकारी,	(एक) पुलिस महानिरीक्षक (दूरसंचार) द्वारा नाम–निर्दिष्ट राज्य रेडियो अधिकारी
(दो) पुलिस महानिरीक्षक द्वारा नाम-निर्दिष्ट पुलिस अधीक्षक,	(दो) पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा नाम निर्दिष्ट पुलिस अधीक्षक
(तीन) अपर राज्य रेडियो अधिकारी या उप महानिरीक्षक (पुलिस दूर संचार) द्वारा नाम-निर्दिष्ट सहायक	(तीन) पुलिस महानिदेशक (दूर संचार) द्वारा नाम निर्दिष्ट अपर राज्य रेडियो अधिकारी या सहायक रेडियो अधिकारी

*उ0प्र0 पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली–1997 द्वारा दिनांक 14.02.1998 से प्रतिस्थापित

अनुरक्षण अधिकारी के पद के लिए—	
(एक) उप महानिरीक्षक (पुलिस दूर संचार)	(एक) पुलिस महानिदेशक (दूरसंचार) द्वारा नाम–निर्दिष्ट उप महानिरीक्षक(पुलिस दूरसंचार)
(दो) राज्य रेडियो अधिकारी,	(दो) पुलिस महानिदेशक (दूर संचार) द्वारा नाम निर्दिष्ट राज्य रेडियो अधिकारी
(तीन) पुलिस महानिरीक्षक द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक ज्येष्ठ पुलिस अधिकारी जो पुलिस अधीक्षक/समादेष्टा से निम्न पद का न हो।	(तीन) पुलिस महानिदेशक द्वारा नाम निर्दिष्ट एक ज्येष्ठ पुलिस अधिकारी, जो पुलिस अधीक्षक / सेनानायक से निम्न पंक्ति का न हो,
(ग) रेडियो निरीक्षक के पद के लिए—	

*उ0प्र0 पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली–1997 द्वारा दिनांक 14.02.1998 से प्रतिस्थापित नाम

	(ग) रेडियो निरीक्षक के पद के लिए—
	(एक) पुलिस महानिरीक्षक / निदेशक दूर संचार।
(दो) उप महानिरीक्षक (पुलिस दूर संचार)	(दो) पुलिस महानिदेशक (दूरसंचार) द्वारा नाम–निर्दिष्ट उप महानिरीक्षक(पुलिस दूरसंचार)
(तीन) राज्य रेडियो अधिकारी।	(तीन) पुलिस महानिदेशक (दूर संचार) द्वारा नाम निर्दिष्ट राज्य रेडियो अधिकारी ।
(2) चयन समिति आवेदन–पत्रों की समीक्षा करेगी और नियम 6 के अधीन आरक्षण की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे	(2) उप नियम–(1) के अर्न्तगत गठित चयन समिति सभी आवेदन पत्रों की संवीक्षा करेगी और अग्रतर परीक्षाओं के लिये सभी पात्र अभ्यर्थियों को निम्नप्रकार

अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिये बुलायेगी जो अपेक्षित अर्हतायें रखते हों। साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों संख्या, यथाशवय, रिक्तियों की संख्या से दुगुनी होगी। यदि किसी भी श्रेणी के पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या अत्यधिक हो, तो समिति अभ्यर्थियों की शैक्षिक उपलब्धता और अनुभव के आधार पर एक योग्यता सूची तैयार करेगी और एतत्पूर्व उल्लिखित संख्या से अधिक उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलायेगी, जितनी वह आवश्यक समझें। (3) चयन समिति अभ्यर्थियों का साक्षात्कार करेगी और अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम में जैसा की साक्षात्कार में उनके द्वारा प्राप्त किये गये अंकों से प्रकट ही, एक सूची तैयार करेगी, यदि दो या अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करें तो चयन समिति उनके नाम, पद के लिए उनकी सामान्य उपयुक्तता के आधार पर, योग्यता कम में रखेगी। सूची में अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक। (किन्तु 25 प्रतिशत से अधिक नहीं) होगी।	आमंत्रित करेगी – (क) कर्मशाला कर्मचारी सहायक परिचालक , रेडियो केन्द्र अधिकारी तथा रेडियो अनुरक्षण अधिकारी के पदों के लिये अलग–अलग प्रारम्भिक परीक्षा ली जायेगी। प्रारम्भिक परीक्षा 150 अंकों की होगी । (एक) कर्मशाला कर्मचारी के पद के लिये इसमें सामान्य हिन्दी और सामान्य ज्ञान विषय समाविष्ट होंगे। प्रश्न हाई स्कूल स्तर के होगें। (दो) सहायक परिचालक , रेडियो केन्द्र अधिकारी और रेडियो अनुरक्षण अधिकारी के पद के लिये प्रारम्भिक परीक्षा सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और मानसिक क्षमता की होगी। प्रश्न , पद के लिये अनिवार्य परीक्षा के स्तर के होंगे। (ख) चयन समिति उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1982 के नियम–6 में दिये गये उपबन्धों के अधीन रहते हुये श्रेष्ठता के कम में एक सूची तैयार करेगी। यह सूची वास्तवित रिक्तियों की दस गुनी होगी। बराबर अंक पाने वाले दो या अधिक अभ्यर्थी अग्रतर परीक्षाओं के लिये पात्र होगें। (ग) प्रारम्भिक परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों को एक शारीरिक स्वस्थता परीक्षा देनी होगी यह शारीरिक स्वस्थता परीक्षा अर्हकारी प्रकृति की होगी और इसमें प्राप्त किये गये अंकों को अन्तिम श्रेष्ठता में नहीं जोडा जायेगा। शारीरिक स्वस्थता परीक्षा के विवरण इस नियमावली से संलग्न अनुलग्नक " क " में दिये गये है। (घ) अभ्यर्थी, जो शारीरिक स्वस्थता परीक्षा में उत्तीर्ण होते है, मुख्य लिखित परीक्षा के लिये आमंत्रित किये जायेंगे। विभिन्न पदों के लिये अर्थात कर्मशाला कर्मचारी , सहायक परिचालक, रेडियो केन्द्र अधिकारी और रेडियो अनुरक्षण अधिकारी हेतु मुख्य लिखित परीक्षा का पाठयकम और अंकों का विवरण इस नियमावली से संलग्न अनुलग्नक "ख" के अनुसार होगा। इन मुख्य लिखित परीक्षाओं में प्रश्नपत्र के लिये अनिवार्य परीक्षा के स्तर के होगें। (ड) चयन समिति उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा नियमावली 1982 के नियम–6 में दिये गये उपबन्धों को ध्यान में रखते हुये , श्रेष्ठता के कम में सफल अभ्यर्थियों की एक सूची पुनः तैयार करेगी। साक्षात्कार के लिये आमंत्रित किये जाने वाले कुल अभ्यर्थियों की संख्या वास्तविक रिक्तियों की संख्या के तीन गुना से अधिक नहीं होगी। मुख्य लिखित परीक्षा में बराबर –बराबर अंक पाने वाले दो या अधिक अभ्यर्थी भी साक्षात्कार के लिये आमंत्रित किये जायेगें। (च) चयन समिति उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ

	सेवा नियमावली 1982 के नियम 6 में दिये गये उपबन्धों के अधीन रहते हुये रिक्तियों के समतुल्य अभ्यर्थियों की एक अंतिम सूची तैयार करेगी। मुख्य लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में अभ्यर्थियों की कार्यक्षमता के आधार पर अन्तिम श्रेष्ठता सूची तैयार की जायेगी। (छ) खण्ड (च) के अधीन तैयार की गयी अंतिम सूची में उल्लिखित अभ्यर्थियों को सक्षम चिकित्सा परिषद द्वारा किये जाने वाले चिकित्सकीय परीक्षण को उर्त्तीण करना होगा। ऐसे अभ्यर्थी, जो चिकित्सा परिषद द्वारा स्वस्थ घोषित किये जायेगें, नियुक्ति के लिये पात्र होंगे।

16–पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया—(1) पदोन्नति द्वारा भर्ती नियम 15 के अधीन गठित अलग-अलग चयन समिति के माध्यम से, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर की जायगी।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी, ज्येष्ठता कक्ष में, अभ्यर्थियों की एक पात्रता-सूची तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेख के साथ जो उचित समझे जाय, चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(3) चयन समिति उप-नियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और, यदि वह आवश्यक समझे, तो वह अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

17–संयुक्त चयन सूची—यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्ति सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों ही प्रकार से की जानी हो, तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायगी, जिसमें अभ्यर्थियों के नाम सुसंगत सूचियों में से ऐसी रीति से लेकर रखे जायेंगे कि विहित प्रतिशत बना रहे, सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा :

दृष्टान्त—

(एक) यदि किसी सेवा में नियुक्ति सीधी भर्ती (सी0 भ0) और पदोन्नति (प) दोनों प्रकार से 75:25 के अनुपात में की जानी हो और किसी विशिष्ट वर्ष में, 20 रिक्तियों हों, तो ऐसी स्थिति में 15 रिक्तियाँ सीधी भर्ती किये गये व्यक्तियों को और 5 रिक्तियां पदोन्नति किये गये व्यक्तियों को दी जायगी चयन किये जाने के पश्चात् संयुक्त चयन सूची निम्नलिखित चक्रानुक्रम में तैयार की जायेगीः—

1–प.	11–सी.भ.
2–सी.भ.	12–सी.भ.
3–सी.भ.	13–प.
4–सी.भ.	14–सी.भ.
5–प.	15–सी.भ.
6–सी.भ.	16–सी.भ.
7–सी.भ.	17–प.

8–सी.भ.	18–सी.भ.
9–प.	19–सी.भ.
10–सी.भ.	20–सी.भ.

(दो) यदि उपर्युक्त स्थिति में किसी वर्ष (एक्स) में, विहित कोटा के अनुसार भर्ती के बजाए, 8 व्यक्ति पदोन्नति द्वारा और 12 व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा भर्ती किये जाये और नियम या जहाँ कोई नियम न हो, वहां तत्समय प्रवृत्त सुसंगत आदेश किसी भी स्रोत से भरी गई रिक्तियों को अन्य स्रोत से भरे जाने की अनुज्ञा न दे और सीधी भर्ती के कोटे की कमी को दूसरे वर्ष (वाई) में, 20 रिक्तियों में से 18 सीधी भर्ती से और 2 पदोन्नत व्यक्तियों की भर्ती से पूरा किया जाये तो (एक्स) और (वाई) वर्ष की संयुक्त चयन सूची निम्नलिखित चक्रानुक्रम में तैयार की जायेगी :—

<table>
<tr><th colspan="2">(एक्स) वर्ष</th><th colspan="3">(वाई) वर्ष</th></tr>
<tr><td>1. प.</td><td>10. सी भ.</td><td>1. सी.भ.</td><td rowspan="3">(एक्स) वर्ष का न भरा गया कोटा</td><td>11. सी भ.</td></tr>
<tr><td>2. सी.भ.</td><td>11. सी. भ.</td><td>2. सी.भ.</td><td>12. प. (एक्स) वर्ष का आधिक्य</td></tr>
<tr><td>3. सी.भ.</td><td>12. सी. भ.</td><td>3. सी.भ.</td><td>13. सी. भ.</td></tr>
<tr><td>4. सी.भ.</td><td>13. प</td><td colspan="2">4. प. (एक्स) वर्ष का आधिक्य</td><td>14. सी. भ.</td></tr>
<tr><td>2. प.</td><td>14. सी. भ</td><td colspan="2">5. सी. भ.</td><td>15. सी. भ</td></tr>
<tr><td>3. सी.भ.</td><td>15. सी. भ.</td><td colspan="2">6. सी.भ.</td><td>16. प.</td></tr>
<tr><td>4. सी.भ.</td><td>16. सी.भ.</td><td colspan="2">7. सी.भ.</td><td>17. सी.भ.</td></tr>
<tr><td>5. सी. भ.</td><td>17. प</td><td colspan="2">8. प. (एक्स) वर्ष का आधिक्य</td><td>18. सी.भ.</td></tr>
<tr><td>6. प</td><td></td><td colspan="2">9. सी.भ.</td><td>19. सी.भ.</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">10. सी.भ.</td><td>20. प</td></tr>
</table>

(तीन) यदि, दृष्टांत (दो) में वर्णित मामले में, नियम या जहां कोई नियम न हो, वहां तत्समय प्रवृत्त सुसंगत आदेश में किसी स्रोत से भरी न गई रिक्तियों को विनिर्दिष्ट आकस्मिकता में अन्य स्रोतों से भरे जाने की व्यवस्था हो और सीधी भर्ती की भरी न गई तीन रिक्तियां पदोन्नति द्वारा इस प्रकार भरी जायं तो संयुक्त चयन सूची निम्नलिखित चक्रानुक्रम में होगी :—

1–प.	11–सी.भ.
2–सी.भ.	12–सी.भ.
3–सी.भ.	13–प.
4–सी.भ.	14–सी.भ.
5–प.	15–सी.भ.
6–सी.भ.	16–सी.भ.
7–सी.भ.	17–प.
8–सी.भ.	18–प.
9–प.	19–प.
10–सी.भ.	20–प.

18—नियुक्ति—(1) उप–नियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए और अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उनके द्वारा बंधपत्र निष्पादित करने पर नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उस क्रम में लेकर

जिसमें उनके नाम, यथास्थिति, नियम 15, 16 या 17 के अधीन तैयार की गयी सूची में हो, नियुक्तियाँ करेगा।

(2) यदि, भर्ती के किसी वर्ष में, नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों ही प्रकार से की जानी हो तो नियमित नियुक्तियाँ तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि दोनों स्त्रोत से चयन न कर लिया जाय और नियम 17 के अनुसार एक संयुक्त सूची तैयार न कर ली जाय।

(3) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति के आदेश जारी किए जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायगा। जिसमें व्यक्तियों के नाम का उल्लेख यथास्थिति चयन में अवधारित उनकी ज्येष्ठताक्रम में या जैसा कि उनके उस संवर्ग में रही हो, जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया है, किया जायेगा। यदि नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों ही प्रकार से की जाती हो, तो नाम नियम 17 में निर्दिष्ट चक्रानुक्रम के अनुसार रखे जायेंगे।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूची से अस्थायी या स्थानापन्न रूप में भी नियुक्तियां कर सकता है। यदि इन सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह ऐसी रिक्ति में इस नियमावली के अधीन पात्र व्यक्तियों में से नियुक्तियां कर सकता है। ऐसी नियुक्तियां एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिये या इस नियमावली के अधीन अगला चयन किये जाने तक के लिये, इनमें से जो भी पहले हो, की जायगी।

19–प्रशिक्षण–सेवा में नियुक्त व्यक्ति को ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा जैसा समय-समय पर विहित किया जाय।

टिप्पणी—इस नियमावली के प्रारम्भ के समय विहित प्रशिक्षण परिशिष्ट ''क'' में दिया गया है।

20–परिवीक्षा—(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रिक्ति में या उसके प्रति नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाएगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा निश्चित दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायगा जब तक कि अवधि बढ़ायी जाय :

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायगी।

(3) यदि परिवीक्षा-अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उप-नियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जाय किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापत्र या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा की परिवीक्षा-अवधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिए गणना करने की अनुमति दे सकता है।

21–स्थायीकरण—किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा-अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि—

(एक) उसने विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो और / या (जहां उपबन्धित हो) विहित पाठ्यक्रम प्राप्त कर लिया हो,

(दो) उसने विहित प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो (जहाँ उपबन्धित हो),

(तीन) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय,

(चार) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय; और

(पाँच) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायीकरण के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

22–ज्येष्ठता–(1) एतपश्चात् यथा उपबन्धित के सिवाय किसी श्रेणी के पद पर व्यक्तियों की ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से, और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाये तो उस क्रम में अवधारित की जायगी; जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये हों :

परन्तु यदि नियुक्ति के आदेश में कोई ऐसा विशिष्ट पिछला दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाय, जब से किसी व्यक्ति की मौलिक रूप से नियुक्ति की जानी हो तो उस दिनांक को मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक समझा जायगा और, अन्य मामलों में, उसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगा :

परन्तु यह और कि यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति के आदेश जारी किये जायें, तो ज्येष्ठता वही होगी, जो नियम 18 के उपनियम (3) के अधीन जारी किये गये नियुक्ति के संयुक्त आदेश में उल्लिखित की जाय।

(2) किसी एक चयन के परिणाम के आधार पर सीधे नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो चयन समिति द्वारा अवधारित की जाय :

परन्तु सीधी भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकती है, यदि किसी रिक्त पद का उसे प्रस्ताव किये जाये पर वह विधिमान्य कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहे। कारणों का विधिमान्यता के सम्बन्ध में नियुक्त प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(3) पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी, जो उस संवर्ग में रही हो, जिससे उन्हें पदोन्नति किया गया।

(4) जहां नियुक्ति पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों ही प्रकार से या एक से अधिक स्रोत से की जाय और प्रत्येक स्रोत का अलग-अलग कोटा विहित हो, वहां उनकी परस्पर ज्येष्ठता नियम 17 के अनुसार तैयार की गयी संयुक्त सूची में चक्रानुक्रम में, उनके नाम रखकर ऐसी रीति से अवधारित की जायगी कि विहित प्रतिशत बना रहे :

परन्तु—

(एक) जहां किसी स्रोत से नियुक्तियाँ विहित कोटा से अधिक की जाय, वहां कोटा से अधिक नियुक्त किये गये व्यक्तियों को ज्येष्ठता के लिए, ऐसे अनुवर्ती वर्ष या वर्षों से जिसमें/जिनमें कोटा के अनुसार रिक्तियाँ हों, नीचे रखा जायगा।

(दो) जहां किसी स्रोत से नियुक्तियां विहित कोटे से कम हो और ऐसी भरी न गई रिक्तियों के प्रति नियुक्तियां अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में की जाय, वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों को किसी पूर्ववर्ती वर्ष की ज्येष्ठता नहीं मिलेगी, किन्तु उन्हें ऐसे वर्ष की जिस वर्ष में उनकी नियुक्ति की जाय, ज्येष्ठता मिलेगी, किन्तु इस नियम के अधीन तैयार की जाने वाली उस वर्ष की संयुक्त सूची में उनके नाम सबसे ऊपर रखे जायेंगे जिसके बाद नियुक्त किये गये अन्य व्यक्तियों के नाम, चक्रानुक्रम में रखे जायेंगे।

(तीन) जहां, नियम या विहित प्रक्रिया के अनुसार किसी स्रोत से भरी न गई रिक्तियां, सुसंगत नियम या प्रक्रिया में उल्लिखित परिस्थितियों में, अन्य स्रोतों से भरी जाय और इस प्रकार कोटा से अधिक

नियुक्तियां की जायं, वहां इस प्रकार नियुक्त किये गये व्यक्तियों को उस वर्ष विशेष की ज्येष्ठता दी जायगी, मानों उन्हें अपने कोटा की रिक्तियों के प्रति नियुक्त किया गया हो।

भाग सात–

वेतन इत्यादि

23–वेतनमान—(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप में या अस्थायी आधार पर, नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा, जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय के वेतनमान नीचे दिये गये है :—

(1) कर्मशाला कर्मचारी	....	330–7–365–8–381–8–405–9–450-9-495 रुपया।
(2) सहायक परिचालक	....	400–10–450–12–474–12–570–15–615 रुपया।
(3) प्रधान परिचालक	....	470–15–575–15–650–17–701–17–735 रुपया।
(4) रेडियो स्टेशन अधिकारी	....	515–15–590–18–626–18–680–20–860 रुपया।
(5) रेडियो अनुरक्षण अधिकारी	....	570–25–770–30–980–30–1100 रुपया।
(6) रेडियो निरीक्षक	....	690–40–970–48–1050–50–1200–50–1300–60–1420 रुपया।

टिप्पणी—सेवा के सदस्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत विशेष वेतन/व्यवसाय वेतन और अन्य भत्ते पाने के भी हकदार होंगे।

24–परिवीक्षा-अवधि में वेतन—(1) फण्डामेन्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायगी, जब उसमें एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और प्रशिक्षण, जहाँ विहित हो, प्राप्त कर लिया हो और द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायगी, जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो, और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो :

परन्तु यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय, तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए तब तक नहीं की जायगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे।

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पदधारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेन्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगा :

परन्तु यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए तब तक नहीं की जायगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें।

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्य कलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

25–दक्षतारोक पार करने का मानदण्ड–(1) किसी कर्मशाली कर्मचारी को उसकी दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी, जब तक कि उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक न पाया जाय और उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

(2) किसी सहायक परिचालक को—

(एक) प्रथम दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक न पाया जाय और वह रेडियों संचार प्रक्रिया से पूर्णतया परिचित न हो, उसने परिश्रम और बुद्धिमत्ता से कार्य न किया हो और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

(दो) द्वितीय दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी, जब तक कि उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक न पाया जाय और उसे स्वतंत्र रूप से रेडियो स्टेशन पर कार्य करने में उपयुक्त न समझा जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

(3) किसी प्रधान परिचालक को—

(एक) प्रथम दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक न पाया जाय और वह किसी व्यस्त रेडियों स्टेशन पर स्वतंत्र रूप से, बिना किसी पर्यवेक्षण के कार्य करने के योग्य न हो और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

(दो) द्वितीय दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी, जब तक कि उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक न पाया जाय, उसने रेडियो स्टेशनों के व्यस्त तंत्र को नियंत्रित करने की योग्यता प्रदर्शित न की हो और नेतृत्व की योग्यता का प्रदर्शन न किया हो और रेडियो संचार उपकरण का संस्थापन, परिचालन और अनुरक्षण न कर सकता हो और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

(4) किसी रेडियो स्टेशन अधिकारी को—

(एक) प्रथम दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक न पाया जाय, उसने श्रेणी एक स्तर की अपनी वृत्तिक प्रवोणता न बनाये रखी हो और परिश्रम, बुद्धिमत्ता और नेतृत्व गुण का प्रदर्शन न किया हो, और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

(दो) द्वितीय दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी, जब तक कि उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक न पाया जाय, और उसने अपने कार्य में परिश्रम, बुद्धिमत्त, नेतृत्व गुण और वृत्तिक निपुणता का प्रदर्शन न किया हो, और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

(5) किसी रेडियो अनुरक्षण अधिकारी को—

(एक) प्रथम दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी, जब तक कि उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक न पाया जाए, उसने परिश्रम, बुद्धिमत्ता, नेतृत्व गुण और तकनीकी प्रचीणता का प्रदर्शन न किया हो और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

(दो) द्वितीय दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी, जब तक कि उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक न पाया जाय और रेडियो स्टेशन और सभी प्रकार की कर्मशालाओं का संस्थापन, करने में उसने उच्च श्रेणी की तकनीकी गुण और प्रबन्ध कौशल का प्रदर्शन न कि नेतृत्व कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर ज्ञान तक

(6) किसी रेडियो निरीक्षक को—

(एक) प्रथम दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी, जब तक कि उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक न पाया जाए, वह स्वतंत्र रूप संगठन शाखा का प्रबन्ध करने के योग्य न हो नेतृत्व गुण और जन प्रबन्ध कौशल का प्रदर्शन न कि अद्यावधिक वृत्तिक ज्ञान और निपुणता न रखता हो जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रभावित न कर दी जाय।

(दो) द्वितीय दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी, जब तक कि उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक न पाया जाय, वह सौंपे गये कार्य को सफलतापूर्वक करने के योग्य न हो और नेतृत्व गुण प्रबन्ध/कौशल का प्रदर्शन न किया हो और जब तक कि सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाए।

भाग आठ—

अन्य उपबन्ध

26–पक्ष समर्थन—किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों में अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी सिफारिश पर, चाहे लिखित हो या मौखिक विचार नहीं किया जायगा। अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करेगें का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अमर्ह कर देगा।

27–अन्य विषयों का विनियजल—ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विर्निदिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

28–सेवा की शर्तों में शिथिलता—जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह, उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा, उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले में न्याय संगत और साम्पूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझें, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

29–व्यावृत्ति—इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशिष्ट श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट ''क''

प्रशिक्षण

1—सीधी भर्ती किये गये रेडियो अनुरक्षण अधिकारियों को पुलिस रेडियो शाखा के मुख्यालय पर छः मास की अवधि के लिए रेडियो अनुरक्षण अधिकारी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्राप्त करना होगा। इस पाठ्यक्रम के अन्त में उससे अन्तिम परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जायगी। जो अर्हता प्राप्त कर लेंगे, उन्हें पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में चार माह का अग्रसर प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

2—पदोन्नत रेडियो अनुरक्षण अधिकारियों को ऐसे स्थानों पर और ऐसी रीति से जिसे उप महानिरीक्षक (दूर संचार) प्रर्धारित करें, छः मास का प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। प्रशिक्षण समाप्त होने पर उनसे परीक्षा उर्त्तीण करने की अपेक्षा की जायगी।

3—सीधी भर्ती किये गये रेडियो स्टेशन अधिकारियों को पुलिस रेडियो शाखा के मुख्यालय पर आठ मास की अवधि के लिए तकनीकी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्राप्त करना होगा। प्रथम चार मास के दौरान अभ्यर्थियों को कम से कम टेक्नीकल स्टैन्डर्ड्स कमेटी रिपोर्ट में यथाविहित रेडियो परिचालक परीक्षा श्रेणी-दो उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जायगी और अन्तिम रूप से उनसे परिचालक परीक्षा श्रेणी-एक और तकनीशियन परीक्षा श्रेणी-दो उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जायेगी, जो नियत अवधि के भीतर इस स्तर को प्राप्त करने में असफल रहेंगे उन्हें सेवोन्युक्त कर दिया जायेगा। उनसे परिचालक परीक्षा श्रेणी–एक और तकनीशियन परीक्षा श्रेणी-दो उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जायगी। जो नियत अवधि के भीतर इस स्तर को प्राप्त करने में असफल रहेंगे, उन्हें सेवोन्मुक्त कर दिया जायगा। आठ मास के प्रशिक्षण को सफलता, पूर्वक पूरा कर लेने के पश्चात् शिक्षु रेडियो स्टेशन अधिकारियों को पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद से चार मास का पुलिस प्रशिक्षण दिया जायेगा। तत्पश्चात् उनको पुलिस रेडियो शाखा के रेडियो स्टेशनों / अनुभागों में छः मास की अवधि का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

4—पदोन्नत रेडियो स्टेशन अधिकारियों को ऐसे स्थानों पर और ऐसी रीति से जिसे उप महानिरीक्षक (दूर संचार) अवधारित करें, छः मास का प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। प्रशिक्षण समाप्त होने पर उनसे टेक्नीकल स्टैन्डर्ड कमेटी रिपोर्ट में यथाविहित तकनीशियन परीक्षा श्रेणी-दो उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जायगी।

5—प्रधान परिचालकों से ऐसे स्थानों पर और ऐसी रीति से जिसे राज्य रेडियों अधिकारी, उप महानिरीक्षक (दूर संचार) की सहमति से अवधारित करें, चार मास के लिए परिचालक पाठ्यक्रम श्रेणी-एक में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। प्रशिक्षण समाप्त होने पर उनसे टेक्नीकल स्टैन्डर्डस कमेटी रिपोर्ट में यथा विहित परिचालक परीक्षा श्रेणी-एक उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जायगी।

6—सहायक परिचालकों से ऐसे स्थानों पर और ऐसी रीति से, जिसे राज्य रेडियो अधिकारी उप महानिरीक्षक (दूर संचार) की सहमति से अवधारित करे, चार मास के लिए परिचालक पाठ्यक्रम श्रेणी-दो में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायगी। प्रशिक्षण समाप्त होने पर उनसे टेक्नीकल स्टैन्डर्ड्स कमेटी रिपोर्ट में यथाविहित परिचालक परीक्षा श्रेणी-दो उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जायेगी।

7—सीधी भर्ती किये गये शिक्षु, परिचालक और ऐसे कर्मशाला कर्मचारियों को, जिनका चयन परिचालक प्रशिक्षण के लिए किया गया हो, पुलिस रेडियो शाखा मुख्यालय पर छः मास की अवधि के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्राप्त करना होगा। प्रशिक्षण समाप्त होने पर उससे टेक्नीकल स्टैन्डर्ड कमेटी रिपोर्ट में यथाविहित परिचालक परीक्षा श्रेणी-तीन उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जायगी।

8—मास्टर ट्रेड हैण्ड वर्क के लिए चयन किये गये प्रधान परिचालकों को ऐसे स्थानों पर और ऐसी रीति से, जिसे राज्य रेडियो अधिकारी उप महानिरीक्षक (दूर संचार) की सहमति से अवधारित करे, छः मास का प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रशिक्षण समाप्त होने पर उनसे मास्टर ट्रेड हैण्ड टेक्नीशियन टेस्ट उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जायगी।

9—उप-नियम (1) से (8) के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्ति, जो अपेक्षित प्रशिक्षण / पाङ्क्यक्रम प्राप्त करने में विफल रहे या विहित परीक्षा में उत्तीर्ण होने में विफल रहे, सीधी भर्ती की स्थिति में सेवोन्मुख कर दिये जायेंगे और पदोन्नत व्यक्तियों की स्थिति में उन्हें उनके मौलिक पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जायगा, जिसके लिए वे किसी प्रतिकर के हकदार न होंगे।

आज्ञा से,
रामचन्द्र टकरू,
गृह सचिव।

टिप्पणी–राजपत्र दिनांक 20–11–82, भाग 1–क में प्रकाशित।
(प्रतिलिपि सूचनार्थं प्रेषित–)

अनुलग्नक– " क "
{नियम 15(2) (ग) देखें}
शारीरिक स्वस्थता परीक्षा–सीधी भर्ती

कमांक	पुरूष अभ्यर्थी	निर्धारित मानदण्ड	महिला अभ्यर्थी	निर्धारित मानदण्ड
1	3 किलोमीटर दौड व चाल	22 मिनट	200 मीटर दौड	50 सेकेण्ड
2	क्रिकेट की गेंद फेकना	50 मीटर	क्रिकेट की गेंद फेकना	25 सेकेण्ड

अनुलग्नक– " ख "
{नियम 15(2) (घ) देखें}
मुख्य लिखित परीक्षा–सीधी भर्ती

(क) कर्मशाला कर्मचारी – लिखित परीक्षा का एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें निम्नलिखित विषय होगें :–

1.सामान्य हिन्दी	100 अंक	समय– 3 घण्टे
2.सामान्य ज्ञान	80 अंक	
योग	**180**	
साक्षात्कार	**20**	
कुल योग	**200 अंक**	

(ख) कर्मशाला कर्मचारी – लिखित परीक्षा में निम्नलिखित दो प्रश्न पत्र होगें :–

प्रथम प्रश्न– पत्र–सामान्य हिन्दी एवं सामान्य ज्ञान (100 अंक) 3 धण्टे

1.सामान्य हिन्दी	50 अंक
2.सामान्य ज्ञान	50 अंक

द्वितीय प्रश्न– पत्र–सामान्य विज्ञान एवं मानसिक क्षमता (80 अंक) 3 धण्टे

1.सामान्य विज्ञान	50 अंक
2.मानसिक तर्क क्षमता	30 अंक
योग	**180 अंक**
साक्षात्कार	**20 अंक**
कुल योग	**200 अंक**

(ग) रेडियो अनुरक्षण अधिकारी/रेडियो केन्द्र अधिकारी – लिखित परीक्षा में निम्नलिखित दो प्रश्न– पत्र होगें :–

प्रथम प्रश्न– पत्र–सामान्य हिन्दी एवं सामान्य ज्ञान (100 अंक) 3 धण्टे

1.सामान्य हिन्दी	50 अंक
2.सामान्य ज्ञान	50 अंक

द्वितीय प्रश्न– पत्र–सामान्य विज्ञान एवं मानसिक तर्क क्षमता (150 अंक) 3 धण्टे

1.सामान्य विज्ञान	50 अंक
2.मानसिक तर्क क्षमता व तर्क शक्ति	50 अंक
3.गणितीय तर्क क्षमता	50 अंक
योग	**250 अंक**
साक्षात्कार	**30 अंक**
कुल योग	**280 अंक**

आज्ञा से ,

आलोक सिन्हा,
प्रमुख सचिव ।

उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियों अधीनस्थ सेवा नियमावली- 2015

उत्तर प्रदेश शासन, गृह विभाग(पुलिस) अनुभाग–1
संख्या– /छः–पु0–1–15–1300(7)/1994 दिनांक. अगस्त 2015

संयुक्त प्रान्तीय आर्म्ड कान्सेटबुलरी एक्ट– 1948 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 40 सन 1948) की धारा 15 के अधीन शक्ति और इस निमित्त समस्त अन्य समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके और इस निमित्त निर्गत समस्त विद्यमान नियमों का अधिक्रमण करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो विभाग के रेडियो निरीक्षक, रेडियो उप निरीक्षक, प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक (यांत्रिक), सहायक परिचालक एवं कर्मशाला कर्मचारी के चयन, पदोन्नति प्रशिक्षण, नियुक्ति, ज्येष्ठता का निर्धारण और स्थायीकरण आदि को विनियमित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते है :–

भाग–1–सामान्य

1-संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियों अधीनस्थ सेवा नियमावली, 2015 कही जायेगी।

(2) यह गजट के प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2- सेवा की प्रास्थिति

उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियों अधीनस्थ एक ऐसी सेवा है जिसमें समूह ग एवं समूह घ के पद समाविष्ट हैं।

3- परिभाषाएं

जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात ने हो इस नियमावली में-

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य का तात्पर्य संयुक्त प्रान्तीय आर्म्ड कान्सटेबुलरी एक्ट, 1948 से हैं

(ख) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' का तात्पयर रेडियों निरीक्षक एवं रेडियों उप निरीक्षक के पदों के सम्बन्ध में उप महानिरीक्षक (पुलिस दूरसंचार) तथा प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक (यांत्रिक), सहायक परिचालक एवं कर्मशाला कर्मचारी के पदों के सम्बन्ध में राज्य रेडियों अधिकारी से है,

(ग) ''बोर्ड'' का तात्पर्य इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार स्थापित पुलिस सेवा भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड से है

(घ) ''संविधान'' का तात्पर्य भारत का संविधान से है,

(ङ) ''भारत का नागरिक'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो भारत का संविधान के भाग-दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय

(च) ''राज्यपाल'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है

(छ) ''सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है

(ज) ''विभागाध्यक्ष'' का तात्पर्य पुलिस महानिदेशक, दूरसंचार/अपर पुलिस महानिदेशक, दूरसंचार,उत्तर प्रदेश से है

(झ) ''नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों'' का तात्पर्य समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम की अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है

(ञ) ''सेवा'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियों अधीनस्थ सेवा में है

(ट) ''चयन समति'' का तात्पर्य सेवा के पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यार्थियों के चयन के

लिए बोर्ड द्वारा समय-समय पर गठित चयन समिति से है

(ठ) ''मौलिक नियुक्ति'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो

(ड) ''भर्ती का वर्ष'' का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह माह की अवधि से है।

भाग–दो–संवर्ग

4- सेवा का संवर्ग :- —(1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेमी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।

(2) जब तक कि उप नियम—1 के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जांय सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या निम्नलिखित होगी!

क.सं.	पद का नाम	अस्थायी	स्थायी	योग
1	कर्मशाला कर्मचारी (वर्कशाप हैण्ड)	110	78	188
2	सहायक परिचालक	700	878	1578
3	प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक (यांत्रिक)	903	2097	3000
4	रेडियों उप निरीक्षक	466	330	796
5	रेडियों निरीक्षक	45	51	96

परन्तु यह कि

(एक) विभागाध्यक्ष कुल स्वीकृत आवंटन के अन्तर्गत विभिन्न इकाईयों के पदों की संख्या को पुनः अवधारित कर सकता है

(दो) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुये छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार होगा

(तीन) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझे।

भाग–तीन–भर्ती

5 भर्ती का स्त्रोत सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्त्रोतों से की जाएगी—

(क) कर्मशाला कर्मचारी—(एक) 75 प्रतिशत पदों को सीधी भर्ती द्वारा बोर्ड के माध्यम से भरा जायेगा।

टिप्पणी—सेवाकाल में पुलिस रेडियों विभाग के दिवंगत मृतक कर्मचारियों के ऐसे आश्रित जो पुलिस रेडियों विभाग के कर्मशाला कर्मचारी के पद पर मृतक आश्रित के रूप में सीधी भर्ती के लिए प्रार्थनापत्र देते हैं, उनकी भर्ती बोर्ड द्वारा सरकार द्वारा तय की गई नीति के अनुसार की जायेगी।

मूल नियम	दिनांक 19.10.2016 द्वारा प्रतिस्थापित
(दो) 25 प्रतिशत पद अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियों शाखा के समूह—घ के मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थाई	(दो) 25 प्रतिशत पद अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियों शाखा के समूह—घ के मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थाई

कर्मचारियों में से भरे जायेंगे जिन्होंने हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की हो एवं सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से इलेक्ट्रानिक्स/टेलीकम्युनिकेशन/इलेक्ट्रिकल/कम्पयूटर साइंस/इन्फारमेशन टेक्लोंलोजी/रेडियों एवं टेलीविजन /इलेक्ट्रिक सप्लाई एण्ड मैनुफैक्चरिंग/रेफ्रीजरेशन/मैकेनिक इन्सटूमेंट/मैकेनिक इलेक्ट्रानिक्स/कम्पयूटर आपरेटर एवं प्रोगामिंग असिस्टेंट ट्रेड में प्रमाण पत्र परीक्षा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो अथवा उसके समकक्ष कोई अन्य अर्हता रखता हो और भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए इस रूप में कम से कम पांच वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो।	कर्मचारियों में से भरे जायेंगे जिन्होंने हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की हो अथवा किसी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) से इलेक्ट्रानिक्स/टेलीकम्युनिकेशन/इलेक्ट्रिकल/कम्पयूटर साइंस/इन्फारमेशन टेक्लोंलोजी/रेडियों एवं टेलीविजन /इलेक्ट्रिक सप्लाई एण्ड मैनुफैक्चरिंग/रेफ्रीजरेशन/मैकेनिक इन्सटूमेंट/मैकेनिक इलेक्ट्रानिक्स/कम्पयूटर आपरेटर एवं प्रोगामिंग असिस्टेंट ट्रेड में प्रमाण पत्र परीक्षा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो अथवा उसके समकक्ष कोई अन्य अर्हता रखता हो और भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए इस रूप में कम से कम पांच वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो।

(ख) सहायक परिचालक—(एक) 90 प्रतिशत पदों को सीधी भर्ती द्वारा बोर्ड के माध्यम से भरा जायेगा।

टिप्पणी—सेवाकाल में पुलिस रेडियों विभाग के दिवंगत मृतक कर्मचारियों के ऐसे आश्रित जो पुलिस रेडियों विभाग के सहायक परिचालक के पद पर मृतक आश्रित के रूप में सीधी भर्ती के लिए प्रार्थनापत्र देते हैं, उनकी भर्ती बोर्ड द्वारा , सरकार द्वारा तय की गई नीति के अनुसार की जायेगी।

मूल नियम	*दिनांक 15.03.2016 का प्रतिस्थापन
(ख) (दो) सहायक परिचालक 10 प्रतिशत पद अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थाई कर्मशाला कर्मचारियों में से भरे जायेंगे, जिन्होंने सहायक परिचालक का आधारभूत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया हो, और भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए इस रूप से कम से कम पांच वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो	(ख) सहायक परिचालक :– (दो) 10 प्रतिशत पद अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थाई कर्मशाला कर्मचारियों में से भरे जायेंगे, जिन्होंने परिचालक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम श्रेणी तीन उत्तीर्ण कर ली हो और भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए इस रूप में कम से कम पांच वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो,

टिप्पणी—पदोन्नति के प्रयोजनार्थ कर्मशाला कर्मचारियों को, ज्येष्ठताक्रम में सहायक परिचालक आधारभूत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्राप्त करने की अनुमति दी जायेगी और पदोन्नति द्वारा भरी जाने वाली प्रत्येक भावी रिक्ति के लिए यथासम्भव पांच व्यक्ति तक उक्त पाठ्यक्रम के लिए भेजे जायेंगे।

मूल नियम	*दिनांक 15.03.2016 का प्रतिस्थापन	**दिनांक 19.10.2016 का प्रतिस्थापन
(ग) प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक (यांत्रिक)—(एक) 50 प्रतिशत पदों को सीधी भर्ती द्वारा बोर्ड के माध्यम से भरा जायेगा।	(ग) प्रधान परिचालक / प्रधान परिचालक (यांत्रिक) :– (एक) रिक्त पदों के 50 प्रतिशत पदों को सीधी भर्ती द्वारा बोर्ड़ के माध्यम से भरा जायेगा।	(ग) प्रधान परिचालक / प्रधान परिचालक (यांत्रिक) :– (एक) 50 प्रतिशत रिक्त पदों को सीधी भर्ती द्वारा बोर्ड़ के माध्यम से भरा जायेगा। **टिप्पणी**–सेवाकाल में पुलिस रेडियो

(दो) 50 प्रतिशत पद अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थाई सहायक परिचालकों में से भरे जायेंगे, जिन्होंने प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक (यांत्रिक) का पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर लिया हो, और भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए, इस रूप से कम से कम आठ वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो।	(दो) रिक्त पदो के 50 प्रतिशत पद अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थाई सहायक परिचालकों में से भरे जायेंगे, जिन्होंने परिचालक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम श्रेणी दो उत्तीर्ण कर ली हो, और भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए, इस रूप में कम से कम आठ वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो।	विभाग के मृत कार्मिकों के ऐसे आश्रित जो प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक(यांत्रिक) के पद पर मृतक श्रेणी के आश्रित के रूप में आवेदन करते हैं, उनकी भर्ती बोर्ड द्वारा सरकार के माध्यम से विनिश्चित की गयी नीति के अनुसार की जायेगी। निर्वन्धन यह है कि प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक (यांत्रिक) के ऐसे पद , प्रत्येक वर्ष सीधी भर्ती के पूर्व स्वीकृत पदों के सापेक्ष होने वाली रिक्तियों के कारण भरे जाने वाले पदों के 05 प्रतिशत से अधिक नहीं होगें। (दो) 50 प्रतिशत रिक्त पद अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थाई सहायक परिचालकों में से भरे जायेंगे, जिन्होंने परिचालक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम श्रेणी दो उत्तीर्ण कर ली हो, और भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए, इस रूप में आठ वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो। **टिप्पणी**—प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक (यांत्रिक) के कुल स्वीकृत पदों में से रिक्त पदों का 50 प्रतिशत को सीधी भर्ती द्वारा भरा जायेगा एवं शेष 50 प्रतिशत रिक्त पदों को प्रोन्नति द्वारा भरा जायेगा। परन्तु उपरोक्त प्रक्रिया तब तक जारी रखी जायेगी जब तक कि सीधी भर्ती द्वारा भरे गये पदों की कुल संख्या , कुल स्वीकृत पदों की संख्या का 50 प्रतिशत न हो जाये। इसके पश्चात रिक्तियां संबंधित श्रेणी में भरी जायेगी।

टिप्पणी—सेवाकाल में पुलिस रेडियों विभाग के दिवंगत मृतक कर्मचारियों के ऐसे आश्रित जो पुलिस रेडियों विभाग के प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक (यांत्रिक) के पद पर मृतक आश्रित के रूप में सीधी भर्ती के लिए प्रार्थनापत्र देते हैं, उनकी भर्ती बोर्ड द्वारा सरकार द्वारा तय की गई नीति के अनुसार की जायेगी। प्रतिबन्ध यह है कि प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक (यांत्रिक) के ऐसे पद, प्रत्येक वर्ष सीधी भर्ती के पूर्व सृजित पदों के सापेक्ष उत्पन्न हुई रिक्तियों के कारण भरे जाने वाले पदों के 05 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

मूल नियम	*दिनांक 15.03.2016 का प्रतिस्थापन
(घ) रेडियों उप निरीक्षक—रेडियों उप निरीक्षक के स्वीकृत पदों की कुल संख्या के सौ प्रतिशत पद, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थाई प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक (यांत्रिक) से जिन्होंने रेडियों उप निरीक्षक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर लिए हों और भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए, इस रूप से कम से कम दस वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो।	(घ) रेडियो उप निरीक्षक :– रेडियो उप निरीक्षक के स्वीकृत पदों की कुल संख्या के सौ प्रतिशत पद, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थाई प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक (यांत्रिक) से जिन्होंने परिचालक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम श्रेणी एक उत्तीर्ण कर ली हो, और भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए, इस रूप में कम से कम दस वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो।
(ङ) रेडियों निरीक्षक—रेडियों निरीक्षक के [illegible] आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे रेडियों उप निरीक्षक से भरे जायेंगे, जिन्होंने रेडियों अनुरक्षण पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर लिए हों और भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए इस रूप में कम से कम पांच वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो।	(ड.) रेडियो निरीक्षक :– रेडियो निरीक्षक के स्वीकृत पदों की कुल संख्या के सौ प्रतिशत पद अनुपयुक्त को [illegible] जिन्होने रेडियो उपनिरीक्षक अथवा रेडियो केन्द्र अधिकारी अथवा रेडियो अनुरक्षण अधिकारी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर लिया हो, और भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए, इस रूप में कम से कम पांच वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो।

***उ0प्र0 पु0रे0अ0सेवा (प्रथम संसोधन) नियमावली 2016, द्वारा दिनांक 15.03.2016 से प्रतिस्थापित**

आरक्षण 6 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यार्थियों के लिए आरक्षण, समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम और उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 के उपबन्धों और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा। परन्तु यह और कि राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय खिलाड़ियों के लिये आरक्षण तत्समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार होगा।

भाग–चार–अर्हताएं

राष्ट्रीयता 7 सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्याथी—(क) भारत का नागरिक हो, या (ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या (ग) भारतीय उदभव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीका देश केनिया, यूगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तन्जानियां (पूर्ववर्ती तांगानिका और जांजीबार) से प्रवजन किया हो

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यार्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यार्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यार्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यार्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी—ऐसे अभ्यार्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षिक अर्हता 8

मूल नियम	*दिनांक 19.10.2016 द्वारा प्रतिस्थापित
(क) कर्मशाला कर्मचारी—अभ्यर्थी ने भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड से इण्टरमीडिएट परीक्षा राज्य सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो एवं सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कम्प्यूटर साईंस/इन्फारमेशन टेक्नोलोजी/रेडियों एवं टेलीविजन/इलेक्ट्रिक सप्लाई एण्ड मैनुफैक्चरिंग/रेफ्रीजरेशन/मैकेनिक इन्सटूमेंट/मैकेनिक इलेक्ट्रानिक्स/कम्प्यूटर आपरेटर एवं प्रोगामिंग असिस्टेंट ट्रेड में प्रमाण पत्र परीक्षा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो।	**(क) कर्मशाला कर्मचारी**—अभ्यर्थी ने भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड से हाईस्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो अथवा किसी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण रेडियों एवं टेलीविजन/इलेक्ट्रिक सप्लाई एण्ड मैनुफैक्चरिंग/रेफ्रीजरेशन/मैकेनिक इन्सटूमेंट/मैकेनिक इलेक्ट्रानिक्स/कम्प्यूटर आपरेटर एवं प्रोगामिंग असिस्टेंट ट्रेड में प्रमाण पत्र परीक्षा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

***उ0प्र0 पु0रे0अ0सेवा (द्वितीय संसोधन) नियमावली 2016, द्वारा दिनांक 19.10.2016 से प्रतिस्थापित**

(ख) **सहायक परिचालक**—अभ्यर्थी ने भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड से भौतिक एवं गणित विषयों सहित इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(ग) **प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक (यांत्रिक)**–अभ्यर्थी ने भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड से इलेक्ट्रानिक्स/टेलीकम्युनिकेशन/इलेक्ट्रिकल/कम्प्यूटर साइंस/इन्फारमेशन टेक्नोलाजी/इन्सट्रमेंटेशन टेक्नोंलाजी/मैकेनिकल इन्जीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा कोर्स अथवा राज्य सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

अधिमानी अर्हताएं 9

अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने

(1) डी. ओ. ई. ए. सी. सी/एन. आई. ई. एल. आई. टी. सोसाइटी से कम्प्यूटर में ओ स्तर का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो या

(2) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या

(3) राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

टिप्पणी—उपर्युक्त अधिमानी अर्हताओं के कोई अंक नहीं होंगे, किन्तु दो या अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करे तो अधिमानी अर्हताएं रखने वाले अभ्यर्थी को नियम—15 के अधीन चयन सूची में अधिमान दिया जायेगा।

आयु 10– सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि जिस कैलेण्डर वर्ष में रिक्तियां विज्ञापित की जांय उसकी पहली जुलाई को अभ्यर्थी ने सहायक परिचालक पद हेतु 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न की हो तथा शेष पदों के लिए अभ्यर्थी ने 20 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न की हो

परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी अधिनियम में और बोर्ड द्वारा रिक्तियों के प्रकाशन के समय लागू सरकारी आदेशों में विनिर्दिष्ट की जांय।

चरित्र 11 सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेंगे।

टिप्पणी—संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नही होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति 12 सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हो या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक जीवित पत्नी हो

परन्तु यह कि सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो डाये कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।

शारीरिक स्वस्थता 13 किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा परिषद द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण करे।

टिप्पणी—चिकित्सा बोर्ड अभ्यर्थी की यथास्थिति ऊँचाई, उसके सीने और भार के माप के लिए विहित शारीरिक मानक का परीक्षण करेगा और नाक—नी, बो लेग्स, फलैट फीट, वेरीकोज वेंस, दूर एवं निकट दृष्टि, कलर ब्लाइंडनेस (पूर्ण एवं आंशिक), श्रवण परीक्षण, जिसमें रिनेज परीक्षण, बेब्बर्स परीक्षण और वर्टिगों परीक्षण, वाक दोष आदि समाविष्ट हैं, तथा ऐसी अन्य कमियों, जैसा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित किया जाये, का भी परीक्षण करेगा।

परन्तु यह कि समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 के उपबन्धों और भर्ती के समय उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियों हेतु प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यार्थियों को सरकार द्वारा निर्धारित शिथिलता प्रदान की जायेगी।

भाग-पांच-भर्ती की प्रक्रिया

14-रिक्तियों की अवधारणा–

मूल नियम	*दिनांक 15.03.2016 का प्रतिस्थापन	**दिनांक 19.10.2016 का प्रतिस्थापन
नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या के साथ-साथ नियम-6के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और विभागाध्यक्ष को सूचित करेगा। विभागाध्यक्ष भी रिक्तियों की संख्या अलग-अलग बो र्स वि	नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या के साथ साथ नियम–6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और विभागाध्यक्ष को सूचित करेगा। विभागाध्यक्ष भी रिक्तियों की संख्या बोर्ड एवं सरकार को सूचित करेगा। सीधी भर्ती के लिए रिक्तियों बोर्ड द्वारा निम्नलिखित रीति से	नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या के साथ साथ नियम–6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना विभागाध्यक्ष को देगा। विभागाध्यक्ष पुरूष एवं महिला दोनों अभ्यर्थियों की रिक्तियों की अलग–अलग संख्या पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश को सूचित
आधसूचत का जायगा— (एक) व्यापक परिचालन वाले दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी करके; (दो) कार्यालय के सूचना पटट पर नोटिस चस्पा करके या रेडियों/दूरदर्शन और अन्य रोजगार समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन द्वारा; (तीन) सेवायोजन कार्यालय को रिक्तिया अदिसूचित करके; और (चार) जनसंचार के किन्हीं अन्य माध्यमों द्वारा ।	नोटिस चस्पा करके या रेडियो/दूरदर्शन और अन्य रोजगार समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन द्वारा; (तीन) सेवायोजन कार्यालय को रिक्तियां अधिसूचित करके; और (चार) जनसंचार के किन्हीं अन्य माध्यमों द्वारा।	समाचार पत्रों एवं जन संचार के अन्य माध्यमों से अधिसूचित की जायेगी।

***उ0प्र0 पु0रे0अ0सेवा (प्रथम संसोधन) नियमावली 2016, द्वारा दिनांक 15.03.2016 से प्रतिस्थापित**

****उ0प्र0 पु0रे0अ0सेवा (द्वितीय संसोधन) नियमावली 2016, द्वारा दिनांक 19.10.2016 से प्रतिस्थापित**

नियम.15- कर्मशाला कर्मचारी, सहायक परिचालक, प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक (यांत्रिक) के पद पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया-

मूल नियम	*दिनांक 19.10.2016 का प्रतिस्थापन
(क) आवेदन पत्र (एक) अभ्यर्थी केवल एक आवेदन पत्र भरेगा। बोर्ड केवल आनलाईन आवेदन पत्र स्वीकार करेगा। एक से अधिक आवेदन भरने वाले अभ्यर्थी का आवेदन—प्रत्र बोर्ड द्वारा निरस्त किया जा सकता है।	**(क) आवेदन पत्र एवं बुलावा पत्र** –कोई अभ्यर्थी केवल एक आवेदन पत्र भरेगा। बोर्ड केवल आनलाईन आवेदन पत्र स्वीकार करेगा। एक से अधिक आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र बोर्ड द्वारा अस्वीकृत किया जा सकता है। विभागाध्यक्ष, बोर्ड से परामर्श करके किसी

(दो) शैक्षिक अर्हता, आयु प्रत्येक श्रेणी के परीक्षण, जिसके अन्तर्गत शारीरिक, लिखित, चिकित्सीय आदि परीक्षण भी है, के लिये न्यूनतम अर्हक मानक, विषयवार लिखित परीक्षा के लिये न्यूनतम अर्हक अंक के संबंध में सूचना का विवरण एवं अन्य महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जो समय समय पर बोर्ड द्वारा अवधारित किया जायें, बोर्ड द्वारा अपनी वेवसाइट पर या किसी अन्य रीति से जैसा वह आवश्यक समझे उपलब्ध करायी जायेगी।

(तीन) आवेदन पत्र के लिए आवेदक को पर्याप्त समय देते हुए बोर्ड द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे, अभ्यर्थी अपनी यथार्थता और पूर्णता के लिए व्यक्तिगत रूप से और अकेले ही उत्तरदायी होगा, यदि किसी अभ्यर्थी का आवेदन पत्र अपूर्ण, दोषपूर्ण या अयथार्थ सूचना से युक्त है, तो आवेदन पत्र को निरस्त किया जा सकता है, जिसके लिए बोर्ड का निर्णय अन्तिम होगा।

(चार) आवेदक, अपने समस्त प्रमाण पत्रों और दस्तावेजों को स्वयं प्रमाणित करेगा और उनकी यथार्थता तथा शुद्धता के लिए उत्तदायी होगा।

(पांच) आवेदन पत्र में पहचान विवरण यथा विशिष्ट पहचान पत्र संख्या, अंगूठा एवं अंगुली के निशान, फोटोग्राफ या बायोमैट्रिक्स भी समुचित रीति से इस प्रकार समाविष्ट होंगे जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाये।

***उ0प्र0 पु0रे0अ0सेवा (द्वितीय संसोधन) नियमावली 2016, द्वारा दिनांक 19.10.2016 से प्रतिस्थापित**

(सात) अभ्यथा द्वारा प्रस्तुत का गया किसा पूववता या पश्चातवर्ती सूचना में किसी अपूर्णता या अयथार्थता या परिवर्तन या असंगति के लिए बोर्ड को किसी आवेदक का अभ्यर्थन सरसरी तौर पर अस्वीकार करने का अधिकार होगा।

(आठ) सरकार प्रथम परीक्षा के पूर्व किसी भी समय किसी भर्ती के लिए रिक्तियों की संख्या परिवर्तित कर सकती है और किसी भर्ती को किसी भी समय या भर्ती के किसी स्तर पर बिना कोई कारण बताये निरस्त कर सकती है।

(ख) बुलावा पत्र–अभ्यर्थियों के लिये बुलावा—पत्र परीक्षा के कम से कम सात दिन पूर्व बोर्ड द्वारा अपनी बेवसाइट पर अपलोड किया जाएगा, जिसे अभ्यर्थी डाउलोड कर पश्चातवर्ती परीक्षा के लिये लायेगा।

भर्ती के लिये आवेदन शुल्क नियत करेगा। आवेदन पत्र भरे जाने एवं बुलावा पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में विस्तृत प्रक्रिया बोर्ड द्वारा अवधारित किया जायेगा एवं इसे अपनी बेवसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा।

सरकार प्रथम परीक्षा के पूर्व किसी भी समय किसी भर्ती के लिये रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन कर सकती है और किसी भर्ती को किसी भी समय या भर्ती के किसी प्रक्रम पर बिना कोई कारण बताये निरस्त कर सकती है।

(ख) लिखित परीक्षा –ऐसे अभ्यर्थियों , जिनके आवेदन सही पाये जाये, से 400 अंकों की लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। इस लिखित परीक्षा में बोर्ड द्वारा वस्तुनिष्ठ प्रकार का निम्नलिखित विषयों का एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र रखा जायेगा :'–

विषय	अधिकतम अंक
1.सामान्य ज्ञान	100 अंक (वस्तुनिष्ठ प्रकार)
2.विज्ञान / सामान्य ज्ञान	100 अंक (वस्तुनिष्ठ प्रकार)
3.संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा	100 अंक (वस्तुनिष्ठ प्रकार)
4.मानसिक अभिरूचि परीक्षा / बुद्विलब्धि परीक्षा / तार्किक परीक्षा	100 अंक (वस्तुनिष्ठ प्रकार)

े में
नहीं
होगें। बोर्ड लिखित परीक्षा एक ही दिनांक को एक पाली अथवा एक से अधिक पाली अथवा एक से अधिक दिनांकों में विभिन्न पालियों में आयोजित कराये जाने हेतु अपने स्तर से विनिश्चय करेगा। लिखित परीक्षा के लिये विस्तृत प्रकिया बोर्ड द्वारा अवधारित की जायेगा और इसे अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी।

मूल नियम	***दिनांक 15.03. 2016 का प्रतिस्थापन**	****दिनांक 19.10.2016 का प्रतिस्थापन**
(ग.) अभिलेखों की संवीक्षा एवं	**(ग.)**	**(ग) अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा–**

चिकित्सीय परीक्षा—ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन-पत्र सही पाये जाते हैं उनसे अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी । यह परीक्षण परिशिष्ट—1 के अनुसार किया जाएगा। संवीक्षा के दौरान या संवीक्षा के पश्चात किसी भी समय किसी भी अभिलेख को छलसाधित, गलत या कूटरचित पाये जाने की दशा में आवेदक का अभ्यर्थन यथास्थिति बोर्ड अथवा नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक के अनुसार निरस्त कर दिया जायेगा।	**अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा—**	खण्ड(ख) के अनुसार लिखित परीक्षा में सफल पाये गये अभ्यर्थियों से अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। रिक्तियों की कुल संख्या को दृष्टिगत रखते हुये बोर्ड इस परीक्षा के लिये बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या को अपने स्तर से विनिश्चित करेगा। अभ्यर्थियों हेतु शारीरिक मापदण्ड निम्नलिखित है :— 1—पुरूष— अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है :— (क)—ऊचाई — (एक)—सामन्य/अन्य पिछडे वर्गो और अनुसूचित जातियों के पुरूष अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम ऊचाई 168 सेटीमीटर है। (दो) अनुसूचित जन जाति के पुरूष अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम ऊचाई 160 सेंटीमीटर है। ख—सीना — सामान्य/ अन्य पिछडे वर्गो और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम सीने का माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर और अनुसूचित जन जातियों के अभ्यर्थियों के लिये 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और फुलाने पर 82 सेंटीमीटर से कम नहीं होगा। टिप्पणी— न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। 2—महिला अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है:— (क) ऊचाई :— (एक) सामान्य/अन्य पिछडे वर्गो या अनुसूचित जातियों के किसी अभ्यर्थी के लिये न्यूनतम ऊचाई 152 सेटीमीटर है। (दो) अनुसूचित जन जातियों की अभ्यर्थी के लिये न्यूनतम ऊचाई 147 सेंटीमीटर है। (ख)—बजन — महिला अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम 40 किलोग्राम। इस परीक्षा को संचालित किये जाने हेतु बोर्ड द्वारा एक समिति का गठन किया जायेगा जिसमें जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई डिप्टी कलेक्टर अध्यक्ष होगा और जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा नामनिर्दिष्ट को पुलिस उपाधीक्षक सदस्य होगा। अपेक्षानुसार बोर्ड के अनुरोध पर समिति के शेष सदस्य, जिला मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे। इस परीक्षा के लिये विस्तृत प्रक्रिया बोर्ड द्वारा अवधारित की जायेगी और इसे अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी। ऐसे अभ्यर्थी जो अपनी शारीरिक मानक परीक्षा से

***उ0प्र0 पु0रे0अ0सेवा (प्रथम संसोधन) नियमावली 2016, द्वारा दिनांक 15.03.2016 से प्रतिस्थापित**

****उ0प्र0 पु0रे0अ0सेवा (द्वितीय संसोधन) नियमावली 2016, द्वारा दिनांक 19.10.2016 से प्रतिस्थापित**

		दाखिल कर सकते हैं। ऐसी समस्त आपत्तियों के समाशोधन के लिये बोर्ड द्वारा प्रत्येक स्थान पर एक अपर पुलिस अधीक्षक को नामनिर्दिष्ट किया जायेगा एवं ऐसे सभी अभ्यर्थियों का शारीरिक मानक परीक्षण, समिति द्वारा नामनिर्दिष्ट अपर पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में पुनः कराया जायेगा। ऐसे समस्त अभ्यर्थी जो पुनः कराये गये शारीरिक मानक परीक्षण में असफल पाये जाते हैं , को भर्ती हेतु अनुपयुक्त घोषित किया जायेगा और इस संबंध में अग्रतर किसी प्रकार की अपील स्वीकार नहीं की जायेगी।

मूल नियम	*दिनांक 15.03.2016 का प्रतिस्थापन	**दिनांक 19.10.2016 का प्रतिस्थापन
(घ) शारीरिक दक्षता परीक्षा— शारीरिक दक्षता परीक्षा खण्ड ग के अनुसार अभिलेखों की संवीक्षा एवं चिकित्सीय परीक्षा में सफल पाये गये अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी जो अर्हकारी प्रकृति की होगी। बोर्ड अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा, उनके अभिलेखों की संवीक्षा एवं चिकित्सीय परीक्षा के दिनांक से यथासंभव अगले कार्य दिवस में करायेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के आयोजन की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी परिशिष्ट-2 में विहित की गयी है।	(घ) **शारीरिक दक्षता परीक्षा**–खण्ड़ ग के अनुसार अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में सफल पाये गये अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी जो अर्हकारी प्रकृति की होगी। बोर्ड अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा उनके अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक के दिनांक से यथासंभव अगले कार्य दिवस में करायेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के आयोजन की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी परिशिष्ट 2 में विहित की गयी है।	**(घ) शारीरिक दक्षता परीक्षा**–खण्ड–ग के अनुसार अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में सफल पाये गये अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षा में उपस्थित होने की अपेक्षा की जायेगी जो अर्हकारी प्रकृति की होगी। इस शारीरिक दक्षता परीक्षा में अर्ह होने के लिये पुरूष अभ्यर्थियों को 4.8 किमी0 की दौड 28 मिनट में और महिला अभ्यर्थी को 2.4 किमी की दौड 16 मिनट में पूरी करनी आवश्यक होगी। जो अभ्यर्थी विहित समय के भीतर दौड पूरी नहीं करते है , वे भर्ती के लिये पात्र नहीं होगें। शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिये विस्तृत प्रक्रिया

***उ0प्र0 पु0रे0अ0सेवा (प्रथम संसोधन) नियमावली 2016, द्वारा दिनांक 15.03.2016 से प्रतिस्थापित**

****उ0प्र0 पु0रे0अ0सेवा (द्वितीय संसोधन) नियमावली 2016, द्वारा दिनांक 19.10.2016 से प्रतिस्थापित**

संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 के उपबन्धों और भर्ती के समय उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियों हेतु प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों को सरकार द्वारा निर्धारित शिथिलता प्रदान की जायेगी।		सचालित किये जाने हेतु बोर्ड द्वारा एक समिति का गठन किया जायेगा जिसमें जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई डिप्टी कलेक्टर अध्यक्ष होगा और जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई पुलिस उपाधीक्षक सदस्य होगा। अपेक्षानुसार बोर्ड के अनुरोध पर समिति के शेष सदस्य , जिला मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस अधीक्षक द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगें।

मूल नियम	**दिनांक 19.10.2016 का प्रतिस्थापन
(ङ) लिखित परीक्षा—खण्ड (घ) के अधीन शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों से लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी, जो निम्नलिखित विषयों में 400 अंकों की होगी— क. विषय अधिकतम अंक	

सं. 1 सामान्य हिन्दी (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) 100 अंक 2 विज्ञान/सामान्य ज्ञान (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) 100 अंक 3 संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) 100 अंक 4 मानसिक अभिरूचि परीक्षा/बुद्धिलब्धि परीक्षा/तार्किक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) 100 अंक	
टिप्पणी–परीक्षा के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जायेगा। लिखित परीक्षा के संचालन की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी **परिशिष्ट–3** में विहित है। प्रत्येक विषय में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे।	
मूल नियम	***दिनांक 19.10.2016 का प्रतिस्थापन**
च- चयन तथा अन्तिम योग्यता सूची— खण्ड (ङ) के अधीन लिखित परीक्षा में सफल पाये गये अभ्यर्थियों में से उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर आरक्षण नीति के दृष्टिगत, बोर्ड रिक्तियों के सापेक्ष प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों की चयन सूची तैयार करेगा और उसे संस्तुति सहित चिकित्सा परीक्षण/चरित्र सत्यापन के अधीन विभागाध्यक्ष को प्रेषित करेगा। बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जायेगी। बोर्ड द्वारा प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के साथ समस्त अभ्यथियों की सूची अपनी वेबसाइट पर अपलोड की जायेगी। विभागाध्यक्ष बोर्ड द्वारा प्रेषित सूची को अनुमोदनोपरान्त अग्रेतर कार्यवाही हेतु नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा। **टिप्पणी–**यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी बराबर-	**ङ.चयन एवं अन्तिम श्रेष्ठता सूची** –खण्ड (घ) के अधीन शारीरिक दक्षता परीक्ष में सफल पाये गये अभ्यर्थियों में से खण्ड (ख) के अधीन लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर , बोर्ड आरक्षण नीति को दृष्टिगत रखते हुये , रिक्तियों के अनुसार, प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम में एक चयन सूची तैयार करेगा और उसे संस्तुति सहित चिकित्सा परीक्षा/चरित्र सत्यापन के अध्यधीन पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 को प्रेषित करेगा जो अनुमोदनोपरान्त इसे अग्रतर कार्यवाही हेतु विभागाध्यक्ष को प्रेषित करेगा। बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जायेगी। बोर्ड द्वारा प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के साथ समस्त अभ्यर्थियों की सूची अपनी वेबसाइट पर अपलोड की जायेगी। विभागाध्यक्ष बोर्ड

***उ0प्र0 पु0रे0अ0सेवा (द्वितीय संसोधन) नियमावली 2016, द्वारा दिनांक 19.10.2016 से प्रतिस्थापित**

बराब

निम्न

(1) यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान हों तो ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जायेगी जो अधिमानी अर्हता (उपर्युक्त नियम-9 में उल्लिखित क्रम के अनुसार) यदि कोई हो, रखते हो। एक से अधिक अधिमानी अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी को केवल एक ही अधिमानी अर्हता का लाभ प्राप्त होगा। (2) उपर्युक्त के होते हुए भी यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान हो, तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जायेगी। (3) यदि उपर्युक्त के बावजूद भी एक से अधिक अभ्यर्थी समान हों, तो ऐसे अभ्यर्थियों की वरीयता, उनके हाईस्कूल प्रमाण पत्र में यथा उल्लिखित नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के	प्राप्त करते हैं तो उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित क्रम में दी गयी प्रक्रियानुसार विनिश्चित की जायेगी :– (1) यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों ने समान अंक प्राप्त किया है तो , ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान प्रदान किया जायेगा जो अधिमानी अर्हता (नियम–9 में यथा उल्लिखित क्रम के अनुसार) यदि कोई हो, रखता हो। एक से अधिक अधिमानी अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी को केवल एक ही अधिमानी अर्हता का लाभ प्राप्त होगा। (2)फिर भी यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी समान हो तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को अधिमान प्रदान किया जायेगा। (3)यदि उपरिलिखित एक से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान हो तो ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान का अवधारण हाईस्कूल प्रमाण पत्र में उल्लिखित उनके नामों के

क्रम के अनुसार, निर्धारित की जायेगी।	अग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार किया जायेगा।
मूल नियम	***दिनांक 19.10.2016 का प्रतिस्थापन**
छ- चिकित्सा परीक्षण— खण्ड (च) के अनुसार प्रेषित सूची में स्थान रखने वाले अभ्यर्थियों से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। चिकित्सा परीक्षण सम्बन्धित जिले की पुलिस लाइन अथवा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किये गये स्थान पर किया जाएगा।चिकित्सा परीक्षण परिशिष्ट—4 के अनुसार संचालित होगी। चिकित्सा परीक्षण में असफल पाये गये अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और ऐसी रिक्तियों को अग्रतर चयन के लिए आगे ले जाय जाएगा।	**च–चिकित्सा परीक्षण** – ऐसे अभ्यर्थियों जिनके नाम खण्ड(ड) के अनुसार चयन सूची में है , से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा परीक्षा में उपस्थित होने की अपेक्षा की जायेगी। चिकित्सा परीक्षा के संचालन हेतु संबंधित जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सा परिषद का गठन किया जायेगा जिसमें 03 चिकित्सक होगे जो पुलिस महानिदेशक द्वारा महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य के परामर्श से यथा विहित और कोड किये गये " पुलिस भर्ती चिकित्सा परीक्षा प्रारूप " के अनुसार चिकित्सा परीक्षा संचालित करेगा। कोई अभ्यर्थी जो अपनी चिकित्सा परीक्षा से संतुष्ट न हो, स्वंय परीक्षा के दिन अपील दाखिल कर सकता है। चिकित्सा परीक्षा के संबंध में किसी अपील पर विचार नहीं किया जायेगा। यदि अभ्यर्थी चिकित्सा परीक्षा एवं स्वंय के परिणाम की घोषणा के दिनांक को अपील दाखिल नहीं करता है । अपील हेतु गठित चिकित्सा परिषद में आवेदक के चिकित्सा दोष से संबंधित विशेषज्ञ होगा। चिकित्सा परीक्षा संचालित करने हेतु विस्तृत अनुदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा जारी किये जायेंगे। चिकित्सा परीक्षण में असफल पायेगये अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित किया जायेगा और ऐसी रिक्तियों को अग्रतर चयन के लिये अग्रनीत किया जायेगा।
चरित्र सत्यापन- **16-** नियुक्ति पत्र जारी किये जाने से पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन, अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण पर भेजे जाने के पहले, चरित्र सत्यापन का कायर पूर्ण कराया जायेगा। सामान्यतः चरित्र का सत्यापन एक माह के भीतर पूर्ण कर लिया जायेगा। किसी अभ्यर्थी के चरित्र	**चरित्र सत्यापन-** **16-** नियुक्ति पत्र जारी किये जाने से पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन, अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण हेतु भेजे जाने के पूर्व, चरित्र सत्यापन पूर्ण कराया जायेगा। किसी अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन के दौरान कोई प्रतिकूल तथ्य सामने आने पर, उसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ... को

***उ0प्र0 पु0रे0अ0सेवा (द्वितीय संसोधन) नियमावली 2016, द्वारा दिनांक 19.10.2016 से प्रतिस्थापित**

जाया जायेगा।	
पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया– **17-1-(क) कर्मशाला कर्मचारी**—कर्मशाला कर्मचारी के स्वीकृत पदों की कुल संख्या के 25 प्रतिशत पद अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियों शाखा के समूह-घ के मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थाई कर्मचारियों में से भरे जायेंगे जिन्होंने हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की हो एवं सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से इलेक्ट्रानिक्स/टेलीकम्युनिकेशन/इलेक्ट्रिकल/कम्प्यूटर	**पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया–** **17-1-(क) कर्मशाला कर्मचारी**—कर्मशाला कर्मचारी के स्वीकृत पदों की कुल संख्या के 25 प्रतिशत पद अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियों शाखा के समूह-घ के मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थाई कर्मचारियों में से भरे जायेंगे जिन्होंने हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की हो अथवा किसी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान(आईटीआई) से इलेक्ट्रानिक्स/टेलीकम्युनिकेशन/इलेक्ट्रिकल/कम्प्यूटर

साइंस/इन्फारमेशन टेक्नोलाजी/रेडियों एवं टेलीविजन/ इलेक्ट्रिक सप्लाई एण्ड मैनुफैक्चरिंग /रेफ्रीजरेशन/मैकेनिक इन्सटूमेंट/मैकेनिक इलेक्ट्रानिक्स/कम्यूटर आपरेटर एवं प्रोगामिंग असिस्टेंट ट्रेड में प्रमाण पत्र परीक्षा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो अथवा उसके समकक्ष कोई अन्य अर्हता रखता हो और भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए इस रूप में कम पांच वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो। **(ख) सहायक परिचालक**—सहायक परिचालक के स्वीकृत पदों की कुल संख्या के 10 प्रतिशत पद अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थाई कर्मशाला कर्मचारियों में से भरे जायेंगे, जिन्होंने सहायक परिचालक का आधारभूत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया हो, और भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए इस रूप मे कम से कम पांच वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, **टिप्पणी**—पदोन्नति के प्रयोजनार्थ कर्मशाला कर्मचारियों को, ज्येष्ठताक्रम में सहायक परिचालक आधारभूत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्राप्त करने की अनुमति दी जायेगी और पदोन्नति द्वारा भरी जाने वाली प्रत्येक भावी रिक्ति के लिए यथासम्भव पांच व्यक्ति तक उक्त पाठ्यक्रम के लिए भेजे जायेंगे। **(ग) प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक (यांत्रिक)**—प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक (यांत्रिक) के स्वीकृत पदों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत पद अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थाई सहायक परिचालकों में से भरे जायेंगे, जिन्होंने प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक (यांत्रिक) का पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर लिया हो, और भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए इस रूप से कम से कम आठ वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो।	साइंस/इन्फारमेशन टेक्नोलाजी/रेडियों एवं टेलीविजन/ इलेक्ट्रिक सप्लाई एण्ड मैनुफैक्चरिंग /रेफ्रीजरेशन/मैकेनिक इन्सटूमेंट/मैकेनिक इलेक्ट्रानिक्स/कम्यूटर आपरेटर एवं प्रोगामिंग असिस्टेंट ट्रेड में प्रमाण पत्र परीक्षा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो अथवा उसके समकक्ष कोई अन्य अर्हता रखता हो और भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए इस रूप में कम पांच वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो। **(ख) सहायक परिचालक**—सहायक परिचालक के स्वीकृत पदों की कुल संख्या के 10 प्रतिशत पद अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थाई कर्मशाला कर्मचारियों में से भरे जायेंगे, जिन्होंने परिचालक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम श्रेणी–तीन उत्तीर्ण कर ली हो, और भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए इस रूप मे पांच वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, **टिप्पणी**—पदोन्नति के प्रयोजनार्थ कर्मशाला कर्मचारियों को, ज्येष्ठताक्रम में सहायक परिचालक हेड आधारभूत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की जायेगी और पदोन्नति द्वारा भरी जाने वाली प्रत्येक आगामी रिक्ति के लिए यथासम्भव पांच कर्मशाला कर्मचारी इस पाठ्यक्रम के लिए भेजे जायेंगे। **(ग) प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक (यांत्रिक)**—प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक (यांत्रिक) के 50 प्रतिशत रिक्तियों को अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थाई सहायक परिचालकों में से भरे जायेंगे, जिन्होंने परिचालक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम श्रेणी–दो उत्तीर्ण कर लिया हो, और भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए इस रूप में आठ वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो। **टिप्पणी**–प्रधान परिचालक / प्रधान परिचालक(यांत्रिक) के कुल स्वीकृत पदों में से 50 प्रतिशत रिक्त पदों को सीधी भर्ती द्वारा एवं शेष 50 प्रतिशत रिक्त पदों को प्रोन्नति द्वारा भरा जायेगा। परन्तु उपरोक्त प्रक्रिया तब तक जारी रखी जायेगी, जब तक कि सीधी भर्ती द्वारा भरे गये पदों की कुल संख्या, कुल स्वीकृत पदों की संख्या का 50 प्रतिशत न हो जाये। इसके पश्चात रिक्तियां संबंधित श्रेणी में भरी जायेगी। **(घ) रेडियों उप निरीक्षक**—रेडियों उप निरीक्षक के

(घ) रेडियों उप निरीक्षक—रेडियों उप निरीक्षक के स्वीकृत पदों की कुल संख्या के सौ प्रतिशत पद, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येषठता के आधार पर बोडर द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थाई प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक (यांत्रिक) में से भरे जायेंगे जिन्होंने रेडियों उप निरीक्षक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर लिया हो और भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए इस रूप से कम से कम दस वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो। **(ङ) रेडियों निरीक्षक**—रेडियों निरीक्षक के स्वीकृत पदों की कुल संख्या के सौ प्रतिशत पद अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे रेडियों उप निरीक्षक में से भरे जायेंगे जिन्होंने रेडियों अनुरक्षण पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर लिए हों और भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए इस रूप में कम से कम पांच वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो।	स्वीकृत पदों की कुल संख्या के शत प्रतिशत पद, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येषठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थाई प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक (यांत्रिक) में से भरे जायेंगे जिन्होंने परिचालक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम श्रेणी—एक उत्तीर्ण कर लिया हो और भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए इस रूप में दस वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो। **(ङ) रेडियों निरीक्षक**—रेडियों निरीक्षक के स्वीकृत पदों की कुल संख्या के शत प्रतिशत पद अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे रेडियों उप निरीक्षक में से भरे जायेंगे जिन्होंने रेडियों उप निरीक्षक अथवा रेडियो केन्द्र अधिकारी अथवा रेडियो अनुरक्षण अधिकारी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर लिए हों और भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए इस रूप में पांच वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो।

2-पदोन्नति हेतु चयन समिति	(क) पदोन्नति हेतु चयन समिति बोर्ड द्वारा गठित की जायेगी। (ख) समिति का अध्यक्ष बोर्ड द्वारा नामित किया जायेगा तथा जिस पद पर प्रोन्नति के लिये चयन समिति गठित हुई है उस पद के नियुक्ति प्राधिकारी से कनिष्ठ नहीं होगा। समिति में उपयुक्त पद का एक सदस्य विभागाध्यक्ष के प्रस्ताव पर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा नामित किया जायेगा और शेष सदस्य शासनादेशों के अनुसार बोर्ड द्वारा नामित किये जायेंगे। (ग) पदोन्नति हेतु निर्विवाद ज्येष्ठता सूची उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियों मुख्यालय द्वारा चयन बोर्ड को उपलब्ध करायी जायेगी। (घ) चयन समिति, चयनित अभ्यर्थियों की सूची अपनी संस्तुति सहित बोर्ड द्वारा पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के माध्यम से विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा। सूची अधिसूचित रिक्तियों से अधिक की नहीं होगी। (ङ) विभागाध्यक्ष अनुमोदन के उपरान्त चयन सूची को नियुक्ति प्राधिकारी को अन्तिम पदोन्नति आदेश निर्गत करने के लिये प्रेषित करेगा (च) चयन सूची विभागाध्यक्ष के अनुमोदनोपरान्त बोर्ड द्वारा अपनी तथा उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट (Website) पर प्रदर्शित की जायेगी।

भाग छः नियुक्ति, प्रशिक्षण, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति 18 (1) मौलिक रिक्तयां होने पर नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थियों के नामों को उस कम से लेकर, जिसमें उनके नाम, यथास्थिति, नियम—15 व नियम—17 के अधीन तैयार की गयी सूचियों में हो, नियुक्तियां करेगा। नियुक्ति प्राधिकारी नियम—15 के अधीन चयनित अभ्यर्थियों से नियुक्ति पत्र में यह अपेक्षा की जायेगी कि वे नियुक्ति पत्र के जारी किये जाने के दिनांक से या नियुक्ति पत्र में इस प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट किसी दिनांक से एक माह के भीतर सेवा/प्रशिक्षण के लिये उपस्थित हों। ऐसा न करने पर उनके चयन/नियुक्ति को निरस्त कर दिया जायेगा

परन्तु यह कि इस नियमावली के प्रारम्भ के पूर्व से सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त

और कार्यरत किसी व्यक्ति को इस नियमावली के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त किया गया समझा जायेगा।

(2) नियम—17 के अन्तर्गत यदि किसी एक चयन के संबंध में नियुक्तियों के एक से अधिक आदेश जारी किये जाये तो, एक संयुक्त सम्मिलित आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा कि नियम—17 के अन्तर्गत तैयार की गयी संयुक् त चयन सूची में हो

परन्तु इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व सेवा में किसी पद पर नियुक्त और उक्त पद पर कार्यरत किसी व्यक्ति को इस नियमावली के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त हुआ समझा जायेगा और ऐसी मौलिक नियुक्ति को इस नियमावली के अधीन की गयी नियुक्ति समझी जायेगी।

प्रशिक्षण 19 (क) कर्मशाला कर्मचारी, सहायक परिचालक तथा प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक (यांत्रिक) के पद पर नियम—15 और 16 के अधीन अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों से विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किये गये प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जायेगी। आधारभूत प्रशिक्षण हेतु अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थी द्वारा यदि निर्धारित समय सीमा के अन्दर अपना योगदान प्रशिक्षण हेतु नहीं देता हे तो इसका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(ख) आधारभूत प्रशिक्षण में असफल हुए कैडेटों को पूरक प्रशिक्षण कराकर पुनः प्रशिक्षण की परीक्षा का आयोजन विभागाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा। पूरक प्रशिक्षण में असफल पाये गये अभ्यर्थियों की सेवाएं नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समाप्त कर दी जायेगी।

(2) नियम—17 के अधीन पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये कर्मियों से विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण पूर्ण करने की अपेक्षा की जायेगी।

परिवीक्षा 20 (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाएगा।

(2) परिवीक्षा अवधि के दौरान परिवीक्षाधीन व्यक्ति से ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करने की अपेक्षा की जाएगी जैसा कि विभागाध्यक्ष द्वारा विहित किया जाये।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जाएंगे, अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाएगा जब तक अवधि बढ़ाई जाय

परन्तु यह कि आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(4) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी के संतोषानुसार पर्याप्त सुधार नहीं किया है तो उसे उसके मौलिक पद पर यदि कोई हो प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है।

(5) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (4) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाये या जिसकी सेवायें समाप्त की जांय, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(6) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

स्थायीकरण 21 (1) उप नियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि

(क) उसने सफलतापूर्वक विहित प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो,

(ख) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक रहा हो और

(ग) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित की गयी हो।

(2) जहां उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है, वहां उस नियमावली के नियम—5 के उप नियम—(3) के

अधीन यह घोषणा करते हुए आदेश कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थानीकरण का आदेश समझा जायेगा।

ज्येष्ठता 22 सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 द्वारा अवधारित की जायेगी।

भाग–सात–वेतनमान

वेतनमान 23 (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर, नियुक्त व्यक्तियों को ऐसा वेतनमान अनुमन्य होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय के वेतनमान नीचे दिए जा रहे हैं—

क्र.सं.	पद का नाम	वेतन बैण्ड (रुपये)	ग्रेड—पे (रुपये)
1	कर्मशाला कर्मचारी	5200—20200	रु0 2000
2	सहायक परिचालक	5200—20200	रु0 2400
3	प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक (यांत्रिक)	9300—34800	रु0 4200
4	रेडियों उप निरीक्षक	9300—34800	रु0 4600
5	रेडियों निरीक्षक	9300—34800	रु0 4800

टिप्पणी—सेवा के सदस्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत विशेष वेतन/व्यवसाय वेतन और अन्य भत्ते पाने के भी हकदार होगे।

परिवीक्षा अवधि में वेतन 24 (1) फण्डामेंट रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, तथा विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो एवं प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया हो और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात तभी दो जायेगी जब उसन` परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो

परन्तु यह कि यदि संतोष प्रदान न कर सकने का कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाये तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन, सुसंगत फण्डामेंटल रूल्स द्वारा विनियमित होगा।

परन्तु यह कि यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नही की जायेगी, जब तक की नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग–आठ–अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन 25 किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर, चाहे लिखित हों या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन 26 ऐसे विषयों के संबंध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या उपबन्धों, विनियमों एवं आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति यथास्थिति पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये अन्य उपबन्धों, विनियमों और आदेशों के अनुसार शासित होंगे।

सेवा की शर्तो में शिथिलता 27 जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो के विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में असम्यक कठिनाई होती है, वहां वह उस मामले में लागू नियमों में से किसी बात के होते हुये भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुये, जिन्हें वह मामलें में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति के कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

व्यावृत्ति 28 इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रिययातों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

....

परिशिष्ट.

मूल नियम	दिनांक 19.10.16 द्वारा प्रतिस्थापित
परिशिष्ट–1 **(नियम–15 (ग) देखे)** **अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण** **अभिलेखों की संवीक्षा** 1—अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता, शिथिलता, अधिमानी अर्हता आदि के सम्बन्ध में सुसंगत दस्तावेजों के साथ बोर्ड द्वारा गठित समिति के समक्ष उनके अभिलेखों की संवीक्षा के लिये बुलाया जायेगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे— (क) जनपद के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई डिप्टी-कलक्टर, अध्यक्ष होगा। (ख) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/जनपद के पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई उप पुलिस अधीक्षक। (ग) जनपद के जिला विधायक निरीक्षक या बेसिक शिक्षा अधिकारी अथवा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट शिक्षा विभाग का कोई अन्य राजपत्रित अधिकारी। जहां विद्यमान शासनादेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक व अन्य किसी श्रेणी जिसका प्रतिनिधित्व उपरोक्त दल में आवश्यक हो, के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने हेतु बोर्ड द्वारा उपरोक्त दल में सम्बन्धित जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा-निर्दिष्ट अतिरिक्त अधिकारियों को सदस्य के रूप में रखा जायेगा।नामित किये जाने वाले ऐसे अधिकारी पुलिस विभाग में निरीक्षक स्तर से निम्न नहीं होंगे। (2) मूल अभिलेखों का मिलान आवेदन-पत्र में उपलब्ध करायी गयी सूचना से किया जायेगा। (3) अभिलेखों के मिलान के दौरान बोर्ड, किसी प्रकरण को किसी दल द्वारा कोई संशय होने के कारण संदर्भित किये जाने पर अथवा सीधे उनके संज्ञान में लाये जाने पर, अपने स्तर से निर्णय लेकर निर्देश जारी कर सकता है। इस प्रकार बोर्ड द्वारा जारी किये गये निर्देश अंतिम माने जायेंगे। **शारीरिक मानक परीक्षण**—शारीरिक मानक परीक्षण कराये जाने हेतु उपरोक्त गठित दल किसी अन्य राजकीय अधिकारी/कर्मचारी की सहायता ले सकता है।	**निकाल दिया गया है**

(1) पुरूष अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है—

(क) ऊंचाई—(एक) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गो और अनुसूचित जातियों के पुरूष अभ्यार्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेन्टीमीटर है।

(दो) अनुसूचित जनजाति के पुरूष अभ्यार्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेन्टीमीटर है।

***उ0प्र0 पु0रे0अ0सेवा (द्वितीय संसोधन) नियमावली 2016, द्वारा दिनांक 19.10.2016 से प्रतिस्थापित**

फुलाने पर एवं अनुसूचित जनजातियों के लिये 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और फुलाने पर 82 सेंटीमीटर से कम नहीं होगा।

नोट—न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है।

(2) महिला अभ्यार्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है—

(क) **ऊंचाई**—(एक) सामान्य/अन्य पिछड़े तथा अनुसूचित जाति की महिला अभ्यार्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 152 सेन्टीमीटर है।

(दो) अनुसूचित जनजाति की महिला अभ्यार्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 147 सेन्टीमीटर है।

(ख) महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम।

(3) प्रत्येक परीक्षण हेतु न्यूनतम शारीरिक मानक अर्हता को परीक्षा आयोजित होने के पूर्व परीक्षण स्थल के सूचना पटट पर अत्यन्त प्रमुखता से प्रदर्शित किया जायेगा।

(4) शारीरिक मानक परीक्षण के परीक्षा के लिए केवल भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन वाले या निदेशक बांट माप द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग किया जाय।

(5) कोई अभ्यर्थी जो अपनी शारीरिक मानक परीक्षा से असंतुष्ट हो, ठीक परीक्षण के उपरान्त उसी दिन आपत्ति दाखिल कर सकता है। ऐसे समस्त प्रकरणों की आपत्ति के निस्तारण के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा प्रत्येक स्थान पर एक अपर पुलिस अधीक्षक को नामित किया जायेगा एवं ऐसे सभी अभ्यर्थियों का शारीरिक मानक परीक्षण, दल द्वारा उपरोक्त अपर पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में पुनः कराया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी जो पुनः कराये गये शारीरिक मानक परीक्षण में असफल पाये जाते है, उन्हें अनुपयुक्त घोषित किया जायेगा एवं तदोपरान्त किसी प्रकार की अपील स्वीकार नही का जायेगी।

सामान्य अनुदेश—(1) अभ्यार्थियों से यह अपेक्षा की जायेगी कि वे दिये गये दिनांक और समय पर उपस्थित हो। ऐसे कारणों से जो नियंत्रण के परे हों और जो लिखित रूप में अभिलिखित किये जायेंगे, किसी विशिष्ट समय पर परीक्षण किये जाने वाले अभ्यर्थियों के समूह हेतु परीक्षण के दिनांक एवं समय में बोर्ड द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है।

(2) यदि कोई अभ्यर्थी नियत समय एवं दिनांक पर परीक्षा में सम्मिलित होने में असफल रहता है तो वह परीक्षा हेतु संबंधित जनपद में गठित समिति को परीक्षा में सम्मिलित न होने के विस्तृत कारणों का उल्लेख करते हुए किसी अन्य दिनांक को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए प्रत्यावेदन दे सकता है। समिति द्वारा उसके प्रत्यावेदन पर विचार कर उसे किसी अन्य दिनांक एवं समय पर परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु निर्णय लिया जा सकता है। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थी को केवल एक अतिरिक्त अवसर प्रदान किया जायेगा एवं अगर वह पुनर्निधारित दिनांक एवं समय पर परीक्षा में सम्मिलित होने में विफल रहता है तो उसे परीक्षा में असफल माना जायेगा। अभ्यर्थियों को यह प्रत्यावेदन बोर्ड द्वारा इस परीक्षा हेतु पूर्व से निर्धारित की गयी अन्तिम तिथि तक देना होगा।अन्तिम तिथि के बाद दिया गया कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। उपरोक्त ऐसे सभी प्रकरणों को जिसमें समिति द्वारा परीक्षा का दिनांक एवं समय पुनर्निधारित किया जायेगा उसके सम्बन्ध में बोर्ड को सूचित किया जायेगा।

(3) परीक्षा में विहित मानक प्राप्त न कर सकने के कारण असफल हो जाने वाले अभ्यर्थी को दूसरा मौका नहीं दिया जायेगा और स्वास्थ्य के कारण या किसी अन्य आधार पर चाहे जो भी हो, पुनः परीक्षा के लिए अपील नहीं की जा सकेगी।

(4) अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा का परीणाम उसी दिन अभ्यर्थियों को अवगत कराया जायेगा।

परन्तु, समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) विनियमावली, 1993 के खण्ड और भर्ती के समय उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियों हेतु प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों को शिथिलता प्रदान की जायेगी।	
परिशिष्ट-2 **(नियम–15 (घ) देखे)** **सीधी भर्ती के लिये शारीरिक दक्षता परीक्षण** 1—शारीरिक दक्षता परीक्षण का संचालन बोर्ड द्वारा गठित एक दल द्वारा किया जायेगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होगे (एक) जनपद के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम—निर्दिष्ट एक डिप्टी कलेक्टर। (दो) जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा नाम –निर्दिष्ट एक चिकित्साधिकारी (तीन) जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम—निर्दिष्ट एक पुलिस उप अधीक्षक। विद्यमान शासनादेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक व अन्य किसी श्रेणी जिसका प्रतिनिधित्व उपरोक्त दल में आवश्यक हो, के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने हेतु बोर्ड द्वारा उपरोक्त दल में सम्बन्धित जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम—दिर्दिष्ट अतिरिक्त अधिकारियों को सदस्य के रूप में रखा जायेगा। नामित किये जाने वाले ऐसे अधिकारी पुलिस विभाग में निरीक्षक स्तर से निम्न नहीं होंगे। परीक्षा का संचालन करने के लिये यह दल किसी अन्य विशेषज्ञ की सहायता ले सकता है। 2—शारीरिक दक्षता परीक्षा केवल अर्हकारी प्रकृति की होगी और इसका श्रेष्ठता सूची पर कोई प्रभाव नहीं होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होने के लिये पुरूष अभ्यर्थियों को 4.8 कि0मी0 की दौड़ 28 मिनट में और महिला अभ्यर्थियों को 2.4 कि0मी0 की दौड़ 16 मिनट में पूरा करना आवश्यक होगा। जो अभ्यर्थी नियत समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करते है, वे परीक्षा के अगले चरण में जाने के लिये अर्ह नहीं होंगे। 3—दल द्वारा मैनुअल टाइमिंग प्रयोग किये जाने की अनुमति नहीं होगी। सी0सी0टी0वी0 कवरेज सहित मानकीकृत इलेक्ट्रानिक टाइमिंग उपकरण और पर्याप्त बैकअप के साथ बायोमैट्रिक्स का प्रयोग यथार्थता व पारदर्शिता सुनिश्चित करने एवं वेषपरिवर्तन से बचने के लिये किया जायेगा। 4—दल नीचे दी गयी प्रक्रिया का पालन करेगा— (क) बोर्ड द्वारा प्रतिदिन परीक्षण कराये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का अवधारण किया जायेगा और उनका विनिश्चय परीक्षण कराये जाने वालों की कुल संख्या एवं विद्यमान दशाओं पर आधारित होगा। (ख) अर्हता के लिये इस परिशिष्ट के खण्ड 2 में न्यूनतम शारीरिक दक्षता मानकों की सूचना परीक्षण स्थल पर सूचना पटट पर प्रदर्शित की जायेगी। (ग) इस परीक्षण का परिणाम परीक्षण स्थल पर सूचना पटट पर दिन की सामाप्ति पर प्रदर्शित किया जायेगा और यदि सम्भव हुआ तो यथाशीघ्र बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा। (घ) संगठनात्मक दल, जिसमें परीक्षण अभिकरण यदि कोई हो, भी सम्मिलित है, के ऐसे सदस्य जो जानबूझ कर ऐसा कार्य करते हैं जो गलत हो या किसी ऐसे कार्य को नहीं करते हैं जिससे किसी अभ्यर्थी को अनुचित लाभ पहुंचता हो या उसका अहित होता हो, तो वे दाण्डिक कार्यवाही/या विभागीय कार्यवाही के भागी होंगे। (ङ) सफल एवं असफल अभ्यर्थियों की सूची दल के सदस्यों के संयुक्त हस्ताक्षर से	**निकाल दिया गया है**

घोषित की जायेगी। (च) बहिर्कक्ष परीक्षण इस प्रकार किये जायेंगे कि परिणामों का मूल्यांकन किया जा सके और उन्हें बिना किसी हस्तगत मध्यक्षेप के यांत्रिक रूप से अभिलिखित किया जा सके। शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिये अधिमानतः भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन वाले मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग किया जायेगा। (छ) अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जायेगी कि वे दिये गये दिनांक और समय पर उपस्थित हों। ऐसे कारणों से जो नियंत्रण के परे हों और जो लिखित रूप में अभिलिखित किये जायेंगे, किसी विशिष्ट समय पर परीक्षण किये जाने वाले अभ्यर्थियों के समूह हेतु परीक्षण के दिनांक एवं समय में बोर्ड द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। (ज) यदि कोई अभ्यर्थी नियत समय एवं दिनांक पर परीक्षा में सम्मिलित होने में असफल रहता है तो वह परीक्षा हेतु संबंधित जनपद में गठित समिति को परीक्षा में सम्मिलित न होने के विस्तृत कारणों का उल्लेख करते हुए, किसी अन्य दिनांक को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए प्रत्यावेदन दे सकता है। समिति द्वारा उसके प्रत्यावेदन पर विचार कर उसे किसी अन्य दिनांक एवं समय पर परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु निर्णय लिया जा सकता है। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थी को केवल एक अतिरिक्त अवसर प्रदान किया जायेगा एवं अगर वह पुनर्निधारित दिनांक एवं समय पर परीक्षा में सम्मिलित होने में विफल रहता है तो उसे परीक्षा में असफल माना जायेगा। अभ्यर्थियों को यह प्रत्यावेदन, बोर्ड द्वारा इस परीक्षा हेतु पूर्व से निर्धारित की गयी अन्तिम तिथि तक देना होगा।अन्तिम तिथि के बाद दिया गया कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। उपरोक्त ऐसे सभी प्रकरणों को जिसमें समिति द्वारा परीक्षा का दिनांक एवं समय पुनर्निर्धारित किया जायेगा उसके सम्बन्ध में बोर्ड को सूचित किया जायेगा। (झ) परीक्षा में विहित मानक प्राप्त न कर सकने के कारण असफल हो जाने वाले अभ्यर्थी को दूसरा मौका नहीं दिया जायेगा और स्वास्थ्य के कारण या किसी अन्य आधार पर चाहे जो भी हो, पुनः परीक्षा के लिए अपील नहीं की जा सकेगी। परन्तु, समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) विनियमावली, 1993 के खण्ड और भर्ती के समय उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियों हेतु प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों को शिथिलता प्रदान की जायेगी। **टिप्पणी** —समस्त वीडियों अभिलेखों में व्यक्तिगत गोपनीयता का सम्मान रखा जायेगा और अभिलेख को सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जायेगा तथा किसी न्यायालय को उसके सम्मन किये जाने पर या किसी जांच अधिकारी को बोर्ड की अनुमति से उपलब्ध कराया जायेगा।	
परिशिष्ट-3 **(नियम–15 (ङ) देखे)** **सीधी भर्ती के लिये लिखित परीक्षा हेतु प्रक्रिया** (1) लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी स्वयं के हस्तलेख में लिखेगे। किसी भी मुंशी (स्काइब) को किसी भी कारण से अनुमति नहीं दी जायेगी। (2) यदि परीक्षा के दिनांक से 07 दिन पूर्व बुलावा पत्र नहीं प्राप्त होता है तो बोर्ड अभ्यर्थी को हेल्पलाइन/लैण्डलाइन/मोबाईन फोन से सम्पर्क करने की तथा उसे बुलावा पत्र वेबसाइट से डाउनलोड करने की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। बोर्ड द्वारा अभ्यर्थियों को	**निकाल दिया गया है**

इसकी जानकारी विज्ञप्ति जारी करने के समय दी जायेगी।

(3) लिखित परीक्षा पूरे राज्य में एक ही दिनांक और समय पर आयोजित की जायेगी।

(4) लिखित परीक्षा के प्रयोजनार्थ ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक तीन प्रतियों में होगा, जिसकी मूलप्रति स्कैनिंग के लिए प्रयोग किया जायेगा, प्रथम कार्बन कांपी बोर्ड के अभिलेख के लिए और दूसरी कांपी अभ्यर्थियों के लिए होगी। अभ्यर्थियों को ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक की दूसरी कार्बन प्रति अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी।

(5) लिखित परीक्षा समाप्त हो जाने के पश्चात उत्तर पत्रकों को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा उपलब्ध करायी गयी, सुरक्षित अभिरक्षा के माध्यम से मुहर बन्द आवरण में केन्द्रवार बोर्ड को भेज दिया जायेगा।

***उ0प्र0 पु0रे0अ0सेवा (द्वितीय संसोधन) नियमावली 2016, द्वारा दिनांक 19.10.2016 से प्रतिस्थापित**

या क्रम अंकित होगा और अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जायेगी कि वे बोर्ड द्वारा निर्गत किये गये निर्देशों के अनुसार, जहां इस प्रकार अनुदेशित किया गया हो, उत्तर पुस्तिका पर उसे अभिलिखित करें। जब अभिलिखित करने के लिये अनुदेशित किया गया हो और अभ्यर्थी उसे अभिलिखित करने में असफल रहे हों, तो उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थियों को कोई अंक प्राप्त नहीं होगा।

(8) सभी प्रश्नों एवं उत्तरों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिये सभी सावधानियां बरती जायेगी। तथापि एक या अधिक प्रश्नपत्रों में किसी प्रश्न के गलत होने की दशा में दशा में या बोर्ड के विचार में उत्तर का विकल्प आनोखा नहीं है या अन्य किसी कारण से जिसे अभिलिखित किया जायेगा बोर्ड किसी भी प्रश्न को रद्द कर सकता है। बोर्ड द्वारा किसी भी कारण से प्रश्न को रद्द किये जाने की दशा में उस प्रश्न हेतु आवंटित अंक उन सभी अभ्यर्थियों को दिये जायेगे, जिन्होंने उस प्रश्न का कोई एक उत्तर विकल्प भरा हो।

(9) बोर्ड परीक्षा के लिये विस्तृत पाठ्य-विवरण विनिर्दिष्ट करेगा। तथापि पाठ्य-विवरण संकेतात्मक प्रकृति का होगा और परीक्षा समाप्त हो जाने के बाद पाठ्यक्रम द्वारा अनाच्छादित प्रश्नों से सम्बन्धित मामलों पर कोई अपील या आपत्तियां नहीं की जा सकेगी।

(10) बोर्ड किसी प्रश्न-पत्र को खण्डों में विभक्त कर सकता है और दो या दो से अधिक विषयों को और दो या दो से अधिक प्रश्न-पत्रों को क्रमानुसार एक प्रश्न-पत्र में संयुक्त कर सकता है।

(11) बोडर किसी परीक्षा के लिये एक न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत नियत कर सकता है, जिसे परीक्षा की विज्ञप्ति में स्पष्ट रूप से इंगित किया जायेगा, और जब तक अन्यथा समाधान न हो जाये तब तक बोर्ड अग्रेतर ऐसे अभ्यर्थियों की परीक्षा नहीं ले सकता है जो पूर्ववर्ती चरण में विफल हो गये हों।

(12) अभ्यर्थी द्वारा उसके किसी उत्तर पुस्तिका पर किये गये किसी हस्ताक्षर, अंकित किये गये नाम या असंगत चिन्ह सिवाय अभ्यर्थी को दिये गये निर्देश के अनुसार के परिणामस्वरूप अभ्यर्थी का बोर्ड के विवेकानुसार अभ्यर्थन अनर्ह हो सकता है।

(13) अगर परीक्षा के दौरान कोई अभ्यर्थी नकल करते हुए अथवा अनुचित संसाधनों का प्रयोग करते हुए पाया जाता है, तो बोर्ड उसका अभ्यर्थन निरस्त कर सकता है एवं इस सम्बन्ध में बोर्ड का निर्णय अन्तिम होगा।

परिशिष्ट-4 **(नियम-15 (छ) देखे)** **सीधी भर्ती के लिये चिकित्सकीय परीक्षा** नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी से चिकित्सा परीक्षण कराये जाने हेतु, चिकित्सा परिषद गठन किये जाने का अनुरोध किया जायेगा। चिकित्सा परिषद में तीन चिकित्सक रखे जायेगी जो महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य के परामर्श से विभागाध्यक्ष द्वारा विहित और कोड किये गये ''पुलिस भर्ती चिकित्सा परीक्षा प्रपत्र'' के अनुसार अभ्यर्थियों की परीक्षा करेगा। यह प्रपत्र उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा और चिकित्सा परीक्षा के स्थान पर भी प्रदर्शित किया जायेगा। चिकित्सा परिषद आवश्यकता अनुसार किसी अन्य विशेषज्ञ की सेवाएं ले सकता है। (1) चिकित्सकों द्वारा अभ्यर्थियों की परीक्षा चिकित्सा मैनुअल, यदि कोई हो, के अनुसार की जायेगी और चिकित्सा परीक्षा के दिन ही परिणाम घोषित कर दिया जायेगा।	**निकाल दिया गया है**

*उ0प्र0 पु0रे0अ0सेवा (द्वितीय संसोधन) नियमावली 2016, द्वारा दिनांक 19.10.2016 से प्रतिस्थापित

प्रद[illegible] (3) कोई अभ्यर्थी जो अपनी चिकित्सा परीक्षा से असन्तुष्ट हो, ठीक परीक्षा के दिन ही अपील फाइल कर सकता है। चिकित्सा परीक्षा के सम्बन्ध में किसी अपील पर विचार नहीं किया जायेगा, यदि अभ्यर्थी अपने चिकित्सा परीक्षा और उसके परिणाम को घोषणा के दिन अपील करने में विफल रहता है। अपील का निस्तारण उक्त प्रयोजन के लिए गठित मण्लीय चिकित्सा परिषद द्वारा अपील फाइल किये जाने के दो सप्ताह के भीतर किया जाना चाहिए। मण्डलीय चिकित्सा परिषद में संबन्धित दोष का विशेषज्ञ होना आवश्यक होगा। (4) चिकित्सा परिषद के ऐसे सदस्य जो जानबूझकर गलत रिर्पोट देते हुए पाये जायेगे, दांडिक कार्यवाही के भागी होंगे। (5) चिकित्सा परीक्षा केवल अर्हकारी प्रकृति की होती है और योग्यता सूची पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। परन्तु समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) विनियमावली, 1993 के खण्ड और भर्ती के समय उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियों हेतु प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों को शिथिलता प्रदान की जायेगी। टिप्पणी—चिकित्सा परिषद द्वारा अभ्यर्थियों तथा उनकी कमियों यथा—नाक—नी, बी—लेग्स, फलैट-फीट, वेरीकोज वेन्ज, दूर तथा निकट दृष्टि, कलर ब्लांइडनेस (पूर्ण एवं आंशिक)तथा रीनेज परीक्षण, वेब्वर्स परीक्षण को समाविष्ट करते हुए, श्रवण शक्ति परीक्षण की जांच की जायेगी एवं अभ्यर्थियों का वर्टिगो, वाक दोष आदि का परीक्षण जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाये, किया जायेगा। यदि आवश्यक हो तो उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड विशेषज्ञों की राय प्राप्त करके अन्य परीक्षण करा सकता है।	

(देबाशीष पण्डा)
प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली, 2008

उत्तर प्रदेश सरकार , गृह (पुलिस) अनुभाग–2,
शा0 संख्या–1998/छः–पु–2–2008–1100(139).2008 लखनऊ दिनांक 02.12.2008

उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी एक्ट–1948 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–40 सन 1948) की धारा 15 के अधीन शक्ति और इस निमित्त अन्य समस्त समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग और इस निमित्त निर्गत सभी विद्यमान नियमों का अधिक्रमण करके राज्यपाल प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी के आरक्षियों , मुख्य आरक्षियों, उप निरीक्षकों, सशस्त्र पुलिस/प्लाटून कमाण्डरों, रिर्जव सब–इन्सपेक्टरों और रिजर्व इन्स्पेक्टरों के चयन, प्रोन्नति, प्रशिक्षण, नियुक्ति, ज्येष्ठता का अवधारण और स्थायीकरण आदि को विनियमित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

भाग–1 सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :– 1.

(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली 2008 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति- 2. प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी संवर्ग में समूह ''ख'' के पद, अर्थात् रिजर्व इन्स्पेक्टर और समूह ''ग'' के पद अर्थात रिजर्व सब-इन्स्पेक्टर, सशस्त्र पुलिस/प्लाटून कमाण्डर, मुख्य आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी और आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी समाविष्ट हैं।

मूल नियम	*दि0 12 जनवरी 2011, से प्रतिस्थापित
2.प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी संवर्ग में समूह ''ख'' के पद, अर्थात् रिजर्व इन्स्पेक्टर और समूह ''ग'' के पद अर्थात रिजर्व सब-इन्स्पेक्टर, सशस्त्र पुलिस/प्लाटून कमाण्डर, मुख्य आरक्षी प्रादेशिक आर्म्डकान्स्टेबुलरी और आरक्षी, प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी समाविष्ट हैं।	2. उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा ऐसी सेवा है जिसमें समूह ''ग'' के पद समाविष्ट हैं।

परिभाषायें 3. जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हों, इस नियमावली में-

(क)'अधिनियम' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 से है;

मूल नियम	**दि0 06 जून 2013, से प्रतिस्थापित
(ख) रिजर्व इन्स्पेक्टरों, रिजर्व सब-इन्स्पेक्टरों और सब-इन्स्पेक्टरों, सशस्त्र पुलिस/प्लाटून कमाण्डरों के मामलों में 'नियुक्ति प्राधिकारी' का तात्पर्य पुलिस उपमहानिरीक्षक से और मुख्य आरक्षी, प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी और आरक्षी, प्रोदशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी के मामलों में कमाण्डेन्ट से है;	(ख) रिजर्व इन्स्पेक्टरों, रिजर्व सब-इन्स्पेक्टरों और सब-इन्स्पेक्टरों, सशस्त्र पुलिस /प्लाटून कमाण्डरों के मामलों में नियुक्ति प्राधिकारी का तात्पर्य पुलिस उपमहानिरीक्षक से ओर मुख्य आरक्षी, प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी और आरक्षी, प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी के मामलों में कमाण्डेन्ट से है।

(ग)''बोर्ड'' का तात्पर्य इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार स्थापित उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा भर्ती तथा पदोन्नति बोर्ड से है;

(घ) ''भारत का नागरिक'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग-दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाये;

(ङ) 'राज्यपाल का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;

*उ0प्र0 प्रा0आ0का0अ0अधि0 (प्रथम संसोधन) नियमावली 2011, द्वारा दिनांक 12.01.2011 से प्रतिस्थापित
**उ0प्र0 प्रा0आ0का0अ0अधि0 (तृतीय संसोधन) नियमावली 2013,द्वारा दिनांक 06.06.2013 से प्रतिस्थापित

(च) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है;

(छ)''विभागाध्यक्ष'' का तात्पर्य, यथास्थिति, पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक, प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी से है;

(ज) ''नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों'' का तात्पर्य समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम की अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है;

(झ) ''पी0ए0सी0 मुख्यालय'' का तात्पर्य यथास्थिति पुलिस महानिदेशक, प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी, उत्तर प्रदेश या अपर पुलिस महानिदेशक, प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी, उत्तर प्रदेश के अधीन चल रहे मुख्यालयों से है;

मूल नियम	**दि0 06 जून 2013, से प्रतिस्थापित
(ञ) ''रिजर्व इन्स्टपेक्टर'' का तात्पय ऐसे व्यक्ति से है जो इस नियमावली के अधीन नियुक्त किया गया है, जिसे किसी नीति के अन्तर्गत पुलिस विभाग की किसी इकाई सहित प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी में समान पद पर तैनात या स्थानान्तरित किया जा सकता है, से है। इन्हें प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी में कम्पनी कमाण्डर, प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी में क्वार्टर मास्टर जिला, प्रशिक्षण संस्था, जी0आर0पी0 और अन्य इकाइयों में रिजर्व इंस्पेक्टर, जिला में यातायात निरीक्षक के नामों से पदाभिहित किया जा सकता है।	(ञ) ''इन्स्टपेक्टर सशस्त्र पुलिस' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे इस नियमावली के अधीन नियुक्त किया गया है व जिसे उस समय विद्यमान रेजीमेन्ट के अन्तर्गत पुलिस विभाग की किसी इकाई सहित प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी में समान पद पर तैनात या स्थानान्तरित किया जा सकता है। इन्हें प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी में कम्पनी कमाण्डर,प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी में क्वार्टर मास्टर, जिला प्रशिक्षण संस्थान, जी0आर0पी0 और अन्य इकाइयों में इंस्पेक्टर सशस्त्र पुलिस और जिलों में यातायात निरीक्षक के नामों से पदाभिहित किया जा सकता है।

मूल नियम	*दि0 12 जनवरी 2011, से प्रतिस्थापित	**दि0 06 जून 2013, से प्रतिस्थापित
(ट) 'रिजर्व सब-इंस्पेक्टर' का तात्पय ऐसे व्यक्ति से है जिसे इस नियमावली के अधीन नियुक्त किया गया है,जिसे किसी नीति के अन्तर्गत पुलिस विभाग की किसी इकाई सहित प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी में समान पद पर तैनात या स्थानान्तरित किया जा सकता है, इन्हें प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी में प्लाटून कमाण्डर, प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी में सूबेदार एडज्यूटैंट, प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी में सूबेदार क्वार्टर मास्टर, जिला प्रशिक्षण संस्था, जी0आर0पी0 और अन्य इकाइयों में सब-इंस्पेक्टर सशस्त्र पुलिस और जिलों में उप यातायात निरीक्षक के नामों से पदाभिहित किया जा सकता है।	(ट) रिजर्व सब-इंस्पेक्टर' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो इस नियमावली के अधीन या इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व किसी आदेश द्वारा रिजर्व सब इंस्पेक्टर पाठ्यक्रम की विहित प्रक्रिया द्वारा चयनित किये जाने के पश्चात व्यवहारिक प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया है।	(ट) 'सब-इंस्पेक्टर सशस्त्र पुलिस' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे इस नियमावली के अधीन नियुक्त किया गया है व जिसे उस समय विद्यमान रेजीमेन्ट के अन्तर्गत पुलिस विभाग की किसी इकाई सहित प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबुलरी में समान पद पर तैनात या स्थानान्तरित किया जा सकता है, इन्हें प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी में प्लाटून कमाण्डर, जिला प्रशिक्षण संस्थान, जी0आर0पी0 और अन्य इकाइयों में सब इंस्पेक्टर सशस्त्र पुलिस और जिले में यातायात उप-निरीक्षक के नामों से पदाभिहित किया जा सकता है।

(ठ) 'चयन समिति' का तात्पर्य सेवा में पद पर नियुक्ति के लिये अभ्यर्थियों के चयन हेतु बोर्ड द्वारा गठित किये गये 'चयन समिति' से है;

*उ0प्र0 प्रा0आ0का0अ0अधि0 (प्रथम संसोधन) नियमावली 2011, द्वारा दिनांक 12.01.2011 से प्रतिस्थापित

**उ0प्र0 प्रा0आ0का0अ0अधि0 (तृतीय संसोधन) नियमावली 2013, द्वारा दिनांक 06.06.2013 से प्रतिस्थापित

मूल नियम	**दि0 06 जून 2013, से प्रतिस्थापित
(ड)''प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी के अधीनस्थ अधिकारी'' का तात्पर्य प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी, अन्य इकाइयाँ, जिला पुलिस की सशस्त्र पुलिस शाखा में तैनात या प्रतिनियुक्ति पर आरक्षी, प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी, मुख्य आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी, सब-इंस्पेक्टर सशस्त्र पुलिस/प्लाटून कमाण्डर, रिजर्व सब-इंस्पेक्टर के पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रवृत्त के पूर्व किसी आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति से है;	(ड) ''प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी के अधीनस्थ अधिकारी'' का तात्पर्य प्रादशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी, अन्य इकाइयों, जिला पुलिस की सशस्त्र पुलिस शाखा में तैनात या प्रतिनियुक्ति पर आरक्षी, प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी, मुख्य आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी, सब-इंस्पेक्टर सशस्त्र पुलिस/ प्लाटून कमाण्डर, सब-इंस्पेक्टर सशस्त्र पुलिस के पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति से है;

(ढ)''मौलिक नियुक्ति'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो और यदि कोई नियम न हों तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई हो।

मूल नियम	*दि0 12 जनवरी 2011, से प्रतिस्थापित
(ण) ''भर्ती का वर्ष'' का तात्पर्य उस कैलेण्डर वर्ष से है जिसमें भर्ती की जाय।	(ण) ''भर्ती का वर्ष'' का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली 12 मास की अवधि से है।

भाग-दो-संवर्ग

सेवा का संवर्ग- **4.(1)** प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी के अधीनस्थ अधिकारियों के संवर्ग की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।

(2) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या निम्न प्रकार होगी जब तक कि उप नियम (1) के अधीन उसे परिवर्तित करने वाला आदेश पारित न हो;

मूल नियम					*दिनांक 12.01.2011 से प्रतिस्थापित				
क्र0	पद का नाम	अस्थायी	स्थायी	योग	क्र0	पद का नाम	अस्थायी	स्थायी	योग
1	रिजर्व इन्स्पेक्टर	74	232	306	क–निरीक्षक आर्म्ड पुलिस				
					1	पीएसी में दलनायक/शिविर पाल	84	222	306
					2	जिलों में रिजर्व इंस्पेक्टर	-	76	76
					3	प्रशिक्षण संस्थान व अन्य इकाईयों में रिजर्व इंस्पेक्टर	-	26	26
					4	जिलों में यातायात निरीक्षक	05	04	09

***उ0प्र0 प्रा0आ0का0अ0अधि0 (प्रथम संसोधन) नियमावली 2011, द्वारा दिनांक 12.01.2011 से प्रतिस्थापित**

					5	सुरक्षा शाखा	29	-	29
						योग	**118**	**328**	**446**
2	रिजर्व सब-इन्स्पेक्टर	-	07	07		**ख–रिर्जब सब इंसपेक्टर**			
					1	पीएसी	09	-	09
					2	जिला पुलिस	28	-	28
					3	जी0आर0पी0	07	-	07
					4	केन्द्रीय रिजर्व सीतापुर	01	-	01
						योग	**45**	**-**	**45**
3	सब इन्स्पेक्टर आर्म्ड पुलिस/प्लाटून कमाण्डर	238	706	944		**(ग)प्लाटून कमाण्डर**			
					1	पीएसी में प्लाटून कमाण्डर	253	652	905
					2	उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस	-	217	217
					3	जी0आर0पी0	-	38	38
					4	प्रशिक्षण निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ	-	74	74
					5	एस0टी0एफ0 लखनऊ	-	01	01
					6	केन्द्रीय भण्डार कानपुर	-	06	06
					7	यातायात उपनिरीक्षक	86	04	90
					8	सुरक्षा शाखा	115	-	115
						योग	**454**	**992**	**1446**
4	मुख्य आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी	1498	4813	6311		**घ– मुख्य आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी**			
					1	पीएसी	1806	4372	6178
					2	सुरक्षा शाखा	144	—	144
						योग	**1950**	**4372**	**6322**
5	आरक्षी प्रादेशिक आर्म्डकान्स्टेबुलरी	21777	6672	28449		**ड– आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी**			
					1	पीएसी	7872	19115	26987
					2	सुरक्षा शाख	303	—	303
						योग	**8175**	**19115**	**27290**

अर्थात

*उ0प्र0 प्रा0आ0का0अ0अधि0 (प्रथम संसोधन) नियमावली 2011, द्वारा दिनांक 12.01.2011 से प्रतिस्थापित

**उ0प्र0 प्रा0आ0का0अ0अधि0 (तृतीय संसोधन) नियमावली 2013, द्वारा दिनांक 06.06.2013 से प्रतिस्थापित

*दिनांक 12.01.2011 से प्रतिस्थापित					**दिनांक 06.06.2013 से प्रतिस्थापित				
क्र0	पद का नाम	अस्थायी	स्थायी	योग	क्र0	पद का नाम	अस्थायी	स्थायी	योग
क–निरीक्षक आर्म्ड पुलिस						क–निरीक्षक आर्म्ड पुलिस			
1	पीएसी में दलनायक/शिविर पाल	84	222	306	1	पीएसी में दलनायक/शिविरपाल	84	222	306
2	जिलों में रिजर्व इंस्पेक्टर	-	76	76	2	जनपद में इंस्पेक्टर सशस्त्र	-	76	76
3	प्रशिक्षण संस्थान व अन्य इकाईयों में रिजर्व इंस्पेक्टर	-	26	26	3	पुलिस प्रशिक्षण संस्थान व अन्य इकाईयों में इंस्पेक्टर सशस्त्र पुलिस	-	26	26
4	जिलों में यातायात निरीक्षक	05	04	09	4	जिलो में यातायात इंस्पेक्टर	05	04	09
5	सुरक्षा शाखा	29	-	29	5	सुरक्षा शाखा	29	-	29
	योग	**118**	**328**	**446**		**योग**	**118**	**328**	**446**
	ख–रिर्जब सब इंसपेक्टर					**ख– सब इंसपेक्टर सशस्त्र पुलिस**			
1	पीएसी	09	-	09	1	पीएसी में प्लाटून कमाण्डर	262	652	914
2	जिला पुलिस	28	-	28	2	सशस्त्र पुलिस में सब इंस्पेक्टर	28	217	245
3	जी0आर0पी0	07	-	07	3	जी0आर0पी0	07	38	45
4	केन्द्रीय रिजर्व सीतापुर	01	-	01	4	प्रशिक्षण निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ	-	74	74
					5	एस0टी0एफ0 लखनऊ	-	01	01
					6	केन्द्रीय भण्डार, कानपुर	-	06	06
					7	यातायात उपनिरीक्षक	86	04	90
					8	सुरक्षा शाखा	115	-	115
					9	केन्द्रीय रिजर्व, सीतापुर	01	-01	
	योग	**45**	**-**	**45**		**योग**	**499**	**992**	**1491**
	(ग)प्लाटून कमाण्डर				**(ग) मुख्य आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी**				
1	पीएसी में प्लाटून कमाण्डर	253	652	905	1	पीएसी	1806	4372	6178
2	उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस	-	217	217	2	सुरक्षा शाखा	144	-	144
3	जी0आर0पी0	-	38	38					

4	प्रशिक्षण निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ	-	74	74					
5	एस0टी0एफ0 लखनऊ	-	01	01					
6	केन्द्रीय भण्डार कानपुर	-	06	06					
7	यातायात उपनिरीक्षक	86	04	90					
8	सुरक्षा शाखा	115	-	115					
योग		**454**	**992**	**1446**	**योग**		**1950**	**4372**	**6322**
	घ– मुख्य आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी				**घ– आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी**				
1	पीएसी	1806	4372	6178	1	पीएसी	7872	19115	26987
2	सुरक्षा शाखा	144	—	144	2	सुरक्षा शाखा	303	—	303
योग		**1950**	**4372**	**6322**	**योग**		**8175**	**19115**	**27290**
ड– आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी									
1	पीएसी	7872	19115	26987					
2	सुरक्षा शाख	303	—	303					
योग		**8175**	**19115**	**27290**					

परन्तु यह कि :- (एक) विभागाध्यक्ष कुल स्वीकृत नियतन के अन्तर्गत विभिन्न इकाइयों के पदों की संख्या को पुन निर्धारित कर सकता है; (दो) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुये छोड़ सकते हैं या राज्यपाल उसे प्रास्थगित रख सकते हैं जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं होगा; (तीन) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थाई या अस्थाई पदों का सृजन कर सकते हैं जिन्हें वह उचित समझें।	परन्तु यह कि :- (एक) विभागाध्यक्ष कुल स्वीकृत नियतन के अन्तर्गत विभिन्न इकाइयों के पदों की संख्या को पुनर्निर्धारित कर सकता है; (दो) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुये छोड़ सकते हैं या राज्यपाल उसे प्रास्थगित रख सकते हैं जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं होगा; (तीन) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थाई या अस्थाई पदों का सृजन कर सकते हैं जिन्हें वह उचित समझें।

भाग-तीन-भर्ती

भर्ती का स्त्रोत नियम 5. सेवा में पदों की विभिन्न श्रेणियों पर भर्ती निम्नलिखित स्त्रोतों से की जायेगी :-

मूल नियम	*दिनांक 06.06.2013 से प्रतिस्थापित
सेवा में पदों की विभिन्न श्रेणियों पर भर्ती निम्नलिखित स्त्रोतों से की जायेगी :- **(क) आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी-** आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी के सौ प्रतिशत पदों की सीधी भर्ती द्वारा भरा जाता है। सेवाकाल में दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों की भर्ती भी उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की नियमावली, 1974 के अनुसार की जायेगी।	**(क) आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी**– आरक्षी प्रादेशिक कान्स्टेबुलरी के सौ प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने है।सेवाकाल में दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों की भर्ती भी उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की नियमावली, 1974 के अनुसार की जानी है।

*उ0प्र0 प्रा0आ0का0अ0अधि0 (तृतीय संसोधन) नियमावली 2013, द्वारा दिनांक 06.06.2013 से प्रतिस्थापित

सेवाकाल में दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों की भर्ती भी उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की नियमावली, 1974 के अनुसार की जायेगी।

मूल नियम	*दिनांक 06.06.2013 से प्रतिस्थापित
(ख) मुख्य आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी के मुख्य आरक्षी के पद पर भर्ती, पात्र आरक्षियों में से हुयी विभागीय परीक्षा के माध्यम से पदोन्नति द्वारा की जाती है।	**(ख) मुख्य आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी** (एक) नियम 4 के उप नियम (2) के खण्ड-ग के अधीन मुख्य आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी के स्वीकृत पदों की कुल संख्या के 100 प्रतिशत पद अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे आरक्षियों प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी में से भरे जायेंगे, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस का परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए इस रूप में सात वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। (दो) उप खण्ड (एक) के अधीन मुख्य आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबुलरी के पद पर पदोन्नति के लिए निःसंवर्गीय पदों पर पदोन्नत ऐसे मुख्य आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबुलरी भी पात्र होंगे, जो अपेक्षाओं को पूरा करते हो, टिप्पणी-1-शारीरिक दक्षता परीक्षण, जो अर्हकारी प्रकृति का होगा, में अर्हता प्राप्त करनेन वाले अभ्यर्थियों पर मुख्य आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबुलरी के पद पर पदोन्नति के लिए विचार किया जायेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षण के संबंध में व्यौरा परिशिष्ट –2 में दिया गया है।

(ग) **उपनिरीक्षक आर्म्ड पुलिस/प्लाटू कमाण्डर :-**

मूल नियम	*दिनांक 06.06.2013 से प्रतिस्थापित	**दिनांक 04.03.2014 से प्रतिस्थापित
(ग) उपनिरीक्षक आर्म्ड पुलिस/प्लाटू कमाण्डर :- **(एक)** उपनिरीक्षक आर्म्ड पुलिस/प्लाटून कमाण्डर के पदों के 50 प्रतिशत बोर्ड के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेंगे। **(दो)** उपनिरीक्षक आर्म्ड पुलिस/प्लाटून कमाण्डर के 50 प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त मुख्य आरक्षियों प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी और मुख्य आरक्षी, प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी की विभिन्न प्लाटून के आर्म्ड पुलिस और पुलिस विभाग की अन्य शाखाओं में से विभागीय परीक्षा के आधार पर निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूर्ण करने वालों में से बोर्ड के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भरी जायेंगी। (क) भर्ती के वर्ष के प्रथम दिन इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो; (ख) भर्ती के वर्ष के प्रथम दिन 40 वर्ष से अधिक की आयु न	**(ग) सब-इस्पेक्टर सशस्त्र पुलिस/प्लाटून कमाण्डर** (एक) नियम-4 के उप नियम (2) के खण्ड (ख) के अधीन सब-इंस्पेक्टर सशस्त्र पुलिस के स्वीकृत पदों की कुल संख्या के पचास प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेंगे। (दो) नियम-4 के उप नियम (2) के खण्ड (ख) के अधीन सब-इंस्पेक्टर सशस्त्र पुलिस के स्वीकृत पदों की कुल संख्या के 25 प्रतिशत पद ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी के विभिन्न बटालियनों, जिला पुलिस और पुलिस विभाग की अन्य शाखाओं के ऐसे मुख्य आरक्षियों में से भरे जायेंगे, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को, इस रूप में 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। (तीन) नियम-4 के उप नियम (2) के खण्ड (ख) के अधीन सब-इंस्पेक्टर सशस्त्र पुलिस के स्वीकृत पदों की कुल संख्या के 25 प्रतिशत पद विभागीय परीक्षा के आधार पर पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी विभिन्न बटालियनों जिला पुलिस विभाग के अन्य शाखाओं के ऐसे मुख्य आरक्षियों में से भरे जायेंगे, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 45 वर्ष की आयु पूरी न की हो और 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।	**(ग) सब-इस्पेक्टर सशस्त्र पुलिस/प्लाटून कमाण्डर** (ग) सब इंस्पेक्टर सशस्त्र पुलिस/(एक) नियम-4 के उप नियम (2) के खण्ड (ख) के अधीन सब-इंस्पेक्टर सशस्त्र पुलिस के स्वीकृत पदों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेंगे। (दो) नियम-4 के उप नियम (2) के खण्ड (ख) के अधीन सब-इंस्पेक्टर सशस्त्र पुलिस के स्वीकृत पदों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत पद ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी के विभिन्न बटालियनों, जिला पुलिस और पुलिस विभाग की अन्य शाखाओं के ऐसे मुख्य आरक्षियों में से भरे जायेंगे, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को, इस रूप में 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। (तीन) उप खण्ड (दो) के अधीन सब-इंस्पेक्टर सशस्त्र पुलिस/ प्लाटून कमाण्डर के पद पर पदोन्नति के लिए निःसंवर्गीय पदों पर पदोन्नत ऐसे सब-इंस्पेक्टर सशस्त्र पुलिस/प्लाटून कमाण्डर भी पात्र होंगे, जो अपेक्षाओं को पूरा करते हो।

हुई हो।	(चार) उप खण्ड (दो) और (तीन) के अधीन सब-इंस्पेक्टर सशस्त्र पुलिस/प्लाटून कमाण्डर के पद पर पदोन्नति के लिए निःसंवर्गीय पदों पर पदोन्नत ऐसे सब इंस्पेक्टर सशस्त्र पुलिस/प्लाटून कमाण्डर भी पात्र होंगे, जो अपेक्षाओं को पूरा करते हो। टिप्पणी-1. शारीरिक दक्षता परीक्षण जो अर्हकारी प्रकृति का होगा, में अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों पर सब इंस्पेक्टर सशस्त्र पुलिस के पद पर पदोन्नति के लिए विचार किया जायेगा।	टिप्पणी-शारीरिक दक्षता परीक्षण जो अह्कारी प्रकृति का होगा, में अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों पर सब-इंस्पेक्टर सशस्त्र पुलिस के पद पर पदोन्नति के लिए विचार किया जायेगा।

(घ) रिजर्व उपनिरीक्षक

मूल नियम	*दि0 12.01.2011 से प्रतिस्थापित	**दि0 10.04.2011 से प्रतिस्थापित	***दि0 06.06.2013 से प्रतिस्थापित
(घ) रिजर्व उपनिरीक्षक मौलिक रूप से नियुक्त उपनिरीक्षक आर्म्ड पुलिस/प्लाटून कमाण्डर और सिविल पुलिस के उपनिरीक्षकों में से विभागीय परीक्षा के आधार पर बोर्ड के माध्यम से पदोन्नति द्वारा। (1) रैंकधारी उपनिरीक्षकों के लिये यह आवश्यक है कि उन्होंने उपनिरीक्षक आर्म्ड पुलिस/सिविल पुलिस की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद चयन के वर्ष की एक जनवरी को कम से कम तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। सीधे भर्ती हुये उपनिरीक्षक के लिये यह आवश्यक है कि उपनिरीक्षक आर्म्ड पुलिस/सिविल पुलिस की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद चयन के वर्ष की एक जनवरी को कम से कम पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। **(ड).रिर्जव निरीक्षक**–ऐसे रिर्जव निरीक्षकों में से पदोन्नति द्वारा जिन्होनें विहित व्यवहारिक प्रशिक्षण और परिवीक्षा काल पूर्ण कर लिया हो और अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर की जायेगी।	**(घ) रिजर्व उपनिरीक्षक :-** मौलिक रूप से नियुक्त उपनिरीक्षक आर्म्ड पुलिस/प्लाटून कमाण्डरों में से विभागीय परीक्षा के आधार पर बोर्ड के माध्यम से चयन द्वारा। रैंकधारी उपनिरीक्षकों/ आर्म्ड पुलिस/प्लाटून कमाण्डर के मामले में यह आवश्यक है कि (एक) उन्होंने उपनिरीक्षक आर्म्ड पुलिस/प्लाटून कमाण्डर पाठ्यक्रम की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद चयन के वर्ष की एक जनवरी को कम से कम तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। (दो) सीधे भर्ती हुये उपनिरीक्षक/आर्म्ड पुलिस/प्लाटून कमाण्डर के लिये यह आवश्यक है कि उपनिरीक्षक आर्म्ड पुलिस/प्लाटून कमाण्डर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भर्ती के प्रथम दिवस को कम से कम पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। **(ड).रिर्जव निरीक्षक**–ऐसे रिर्जव निरीक्षकों में से पदोन्नति द्वारा (एक) जिन्होनें विहित व्यवहारिक प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया हो, (दो) अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये रिर्जव उप निरीक्षक पाठयक्रम परीक्षा की योग्यता सूची में उच्चतर रैंक पर हो।	**(घ) रिजर्व उपनिरीक्षक :-**मौलिक रूप से नियुक्त उपनिरीक्षक आर्म्ड पुलिस/प्लाटून कमाण्डरों में से विभागीय परीक्षा के आधार पर बोर्ड के माध्यम से चयन द्वारा। किन्तु रैंकधारी उपनिरीक्षकों/आर्म्ड पुलिस/प्लाटून कमाण्डर के मामले में यह आवश्यक है कि (एक) उन्होंने उपनिरीक्षक आर्म्ड पुलिस/प्लाटून कमाण्डर पाठ्यक्रम की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद चयन के वर्ष की एक जनवरी को कम से कम तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। (दो) सीधे भर्ती ुये उपनिरीक्षक/आर्म्ड पुलिस /प्लाटून कमाण्डर के लिये यह आवश्यक है कि उपनिरीक्षक आर्म्ड पुलिस/प्लाटून कमाण्डर की परीक्षा उत्तीर्ण करने	**(घ) रिजर्व निरीक्षक** (एक) नियम 4 के उप नियम (2) के खण्ड (क) के अधीन इन्स्पेक्टर सशस्त्र पुलिस के स्वीकृत पदों की कुल संख्या के 100 प्रतिशत पद अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे सब इंस्पेक्टरों, सशस्त्र पुलिस/प्लाटून कमाण्डर में से भरे जायेंगे, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को, इस रूप में परिवीक्षा अवधि सहित सात वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। (दो) उप खण्ड (एक) के अधीन इन्सपेक्टर सशस्त्र पुलिस के पद पर पदोन्नति के लिए निःसंवर्गीय पदों पर पदोन्नत ऐसे इंस्पेक्टर सशस्त्र पुलिस भी पात्र होंगे, जो अपेक्षाओं को पूरा करते हो। टिप्पणी-इंस्पेक्टर सशस्त्र पुलिस के पद पर पदोन्नति के लिए कोई शारीरिक दक्षता परीक्षण नहीं होगा।

		के बाद भर्ती के प्रथम दिवस को कम से कम पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।	

आरक्षण 6.

मूल नियम	*दिनांक 12.01.2011 से प्रतिस्थापित
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण अधिनियम और समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा से (शारीरिक रूप विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 के उपबंधों और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण अधिनियम और समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 के उपबंधों और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा। परन्तु शारीरिक रूप में विकलांग व्यक्ति प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी की सेवाओं के लिये पात्र नहीं होगे; परन्तु यह और कि केन्द्रीय/राज्य स्तरीय खिलाड़ियों के लिए आरक्षण तत्समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार होगा।

भाग-4-अर्हताएं

राष्ट्रीयता 7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी :-

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्‌भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, यूगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्वीवर्ती तांगानिका औरर जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो :

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो;

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उपमहानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले;

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी ''ग'' का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी :-ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इंकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और इसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाये या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

***उ0प्र0 प्रा0आ0का0अ0अधि0 (प्रथम संसोधन) नियमावली 2011, द्वारा दिनांक 12.01.2011 से प्रतिस्थापित**
**** उ0प्र0 प्रा0बा0का0अ0अधि0 (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2011, द्वारा दिनांक 10.04.2011 से प्रतिस्थापित**
*****उ0प्र0 प्रा0आ0का0अ0अधि0 (तृतीय संसोधन) नियमावली 2013, द्वारा दिनांक 06.06.2013 से प्रतिस्थापित**

शैक्षिक अर्हता 8.

(क) **आरक्षी, प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी :-** आरक्षी के पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की अर्हता भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिये।

(ख) **उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस/प्लाटून कमाण्डर :-**

उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस/प्लाटून कमाण्डर के पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की अर्हता भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिये।

अधिमानी अर्हताऐं-9.

मूल नियम	*दिनांक 12.01.2011 से प्रतिस्थापित
9. अन्य बातों के सामान्य होने पर भी सीधी भर्ती के ऐसे अभ्यर्थी का अधिमान दिया जाएगा जिसने- (एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो।	9. अन्य बातों के सामान्य होने पर भी सीधी भर्ती के ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने- (एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो; या (तीन) केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कम्प्यूटर अप्लीकेशन में प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो; या (चार) किसी विश्वविद्यालय या केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विधि संस्थान से विधि स्नातक की उपाधि प्राप्त किया हो। टिप्पणी :- उपर्युक्त वर्णित अधिमानी अर्हताओं के कोई अंक नहीं होंगे किन्तु यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करें तो अधिमानी अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी को अन्तिम चयन में अधिमान दिया जाएगा।

आयु **10.** प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी के अधीनस्थ अधिकारियों के संवर्ग के विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिये आयु निम्न प्रकार होनी चाहिये :-

(एक) प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी के आरक्षी के लिए :-

आरक्षी के पद पर भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि पुरुष अभ्यर्थी की दशा में अभ्यर्थी ने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो और महिला अभ्यर्थी की दशा में उसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो;

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी अधिनियम में और भर्ती के समय लागू सरकारी आदेशों में विनिर्दिष्ट की जाय।

मूल नियम	*दिनांक 12.01.2011 से प्रतिस्थापित	**दिनांक 06.06.2013 से प्रतिस्थापित
(एक) प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी के आरक्षी के लिए :- आरक्षी के पद पर भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि पुरुष अभ्यर्थी की दशा में अभ्यर्थी ने 18 वर्ष की आयु विज्ञापित की जाय प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो और	**(एक) प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी के आरक्षी के पद पर भर्ती के लिये** यह आवश्यक है कि भर्ती वर्ष, जिसमें सीधी भर्ती हेतु रिक्तियॉ की जाय, के प्रथम दिवस को पुरुष अभ्यर्थी की दशा में अभ्यर्थी ने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की	**(एक) प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी के आरक्षी के लिए :-** आरक्षी के पद पर भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि भर्ती वर्ष, जिसमें सीधी भर्ती हेतु रिक्तियाँ विज्ञापित की के प्रथम दिवस को पुरुष अभ्यर्थी की दशा में अभ्यर्थी ने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो ओर 22 वर्ष की आयु न की हो और महिला अभ्यर्थी की दशा में उसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो;

*उ0प्र0 प्रा0आ0का0अ0अधि0 (प्रथम संसोधन) नियमावली 2011, द्वारा दिनांक 12.01.2011 से प्रतिस्थापित

महिला अभ्यर्थी की दशा में उसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो; परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी अधिनियम में और भर्ती के समय लागू सरकारी आदेशों में विनिर्दिष्ट की जाय।	हो और महिला अभ्यर्थी की दशा में उसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो; परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी अधिनियम में और भर्ती के समय लागू सरकारी आदेशों में विनिर्दिष्ट की जाय।	परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी अधिनियम में और भर्ती के समय लागू सरकारी आदेशों में विनिर्दिष्ट की जाय। परन्तु यह और कि ऐसे अभ्यर्थियों, जिन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड द्वारा जारी की गयी अधिसूचना सं0-पीआरबीपी-दो-1(2)/2011, दिनांक 15 जुलाई, 2011 के अनुसरण में आरक्षी, प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी के पद पर भर्ती के लिए आवेदन किया हो, परन्तु उक्त पद पर भर्ती नहीं की जा सकी, को आगामी भर्ती में अधिकतम आयु सीमा में शिथिलता प्रदान की जायेगी ताकि वे उक्त पद पर आगामी भर्ती में सम्मिलित होने के लिए पात्र हो सके।

(दो) उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस बल/प्लाटून कमाण्डर के लिए :-

मूल नियम	*दिनांक 10.04.2011 से प्रतिस्थापित	**दिनांक 04.03.2014 से प्रतिस्थापित
उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस बल/प्लाटून कमाण्डर के लिए :- जिस कैलेण्डर वर्ष में सीधी भर्ती की रिक्तियाँ प्रकाशित की जायं, उसकी जुलाई, के प्रथम दिन अभ्यर्थी ने 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और 28 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो; परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थी की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतनी होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।	**(दो) उपनिरीक्षक सशस्त्र आर्म्ड पुलिस/प्लाटून-**जिस कैलेण्डर वर्ष में सीधी भर्ती की स्थितियाँ, प्रकाशित की जायं, उसकी जुलाई, के प्रथम दिवस को अभ्यर्थी ने 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक की आयु पूर्ण न की हो; परन्तु, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों जैसा कि सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाय, के अभ्यर्थियों के मामले में ऊपरी आयु सीमा उतनी होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।	**(दो) उपनिरीक्षक, सशस्त्र पुलिस बल/प्लाटून कमाण्डर के लिए :-** जिस कैलेण्डर वर्ष में सीधी भर्ती की रिक्तियाँ प्रकाशित की जायं, उसकी जुलाई के प्रथम दिन अभ्यर्थी ने 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और 28 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो,परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थी की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतनी होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय। परन्तु यह और कि ऐसे अभ्यर्थियों जिन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड द्वारा जारी की गयी अधिसूचना सं0-पीआरपीबी-एक-1/2011 दिनांक 19 मई, 2011 के अनुसरण में उपनिरीक्षक, सशस्त्र पुलिस बल/प्लाटून कमाण्डर, के पद पर भर्ती के लिए आवेदन किया हो, परन्तु उक्त पद पर भर्ती नहीं की जा सकी, को अधिकतम आयु सीमा में शिथिलता प्रदान की जायेगी ताकि वे उक्त पद पर आगामी भर्ती में सम्मिलित होने के लिए पात्र हो सके।

चरित्र 11. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेंगे।

टिप्पणी :-संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अद्यमता के किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

*उ0प्र0 प्रा0आ0का0अ0अधि0 (द्वितीय संसोधन) नियमावली 2011, द्वारा दिनांक 10.04.2011 से प्रतिस्थापित
**उ0प्र0 प्रा0आ0का0अ0अधि0 (चुर्थत संसोधन) नियमावली 2014, द्वारा दिनांक 04.03.2014 से प्रतिस्थापित

<u>वैवाहिक प्रास्थिति</u> 12.सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो;

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान हैं।

13. शारीरिक स्वस्थता

मूल नियम	*दिनांक 06.06.2013 से प्रतिस्थापित
13.किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जोयगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह उपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा बोर्ड के परीक्षण में सफल हो जाय। **<u>टिप्पणी</u>** : चिकित्सा बोर्ड नाक-नी, बो लेग्स, फ्लैट फीट, वेरीकोस वेंस, दूर एवं निकट दृष्टि, कलर ब्लाइंडनेस, श्रवण परीक्षण, जिसमें रि नेज परीक्षण, वेब्बर्स परीक्षण और वर्टिगो परीक्षण आदि समाविष्ट हैं, जैसे कमियों का भी परीक्षण करेगा।	किासी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह की जायेगी कि वह चिकित्सा बोर्ड के परीक्षण में सफल हो जाय। **टिप्पणी :-**चिकित्सा बोर्ड, यथास्थिति पुरुषों और महिलाओं के लिए विहित किसी शारीरिक मानक के लिए अभ्यर्थी का परीक्षण करेगा और नाक-नी, बो लेग्स, फ्लैट फीट, वेरीकोस वेंस, दूर एवं निकट दृष्टि, आंशिक या पूर्ण कलर ब्लाइंडनेस, श्रवण परीक्षण, जिसमें रि–नेज परीक्षण , वेब्बर्स परीक्षण और वर्टिगो परीक्षण वाक् दोष आदि समाविष्ट हैं, जैसी कमियों का भी परीक्षण करेगा।

<u>भाग-पाँच</u>

आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी और मुख्य आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी की भर्ती की प्रक्रिया-

रिक्तियों का अवधारणा 14.- नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और अवधारणनियम-6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना विभागाध्यक्ष को देगा। सीधी भर्ती के लिये रिक्तियाँ निम्नलिखित रीति में अधिसूचित की जायगी :-

(एक) व्यापक परिचालन वाले दैनिक समाचार पत्र में विज्ञापन जारी करके;

(दो)कार्यालय के सूचना पट्ट पर नोटिस चस्पा करके या रेडियो/दूरदर्शन और अन्य रोजगार समाचार-पत्रों के माध्यम से विज्ञापन द्वारा।

(तीन) रोजगार कार्यालय को रिक्तियाँ अधिसूचित करके।

प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी आरक्षियों की सीधी भर्ती की प्रक्रिया 15- .प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी आरक्षियों के पदों पर सीधी भर्ती निम्नलिखित रीति से कान्स्टेबुलरी आरक्षियों की जायेगी :-

(क) आवेदन-पत्र

मूल नियम	*दि0 06.06.2013 से प्रतिस्थापित
(एक) अभ्यर्थी केवल एक जिले के लिये आवेदन-पत्र भरेगा। परीक्षा केन्द्र के आबंटन के सम्बन्ध में अभ्यर्थी एक से अधिक विकल्प दे सकता है। फिर भी बोर्ड, अभ्यर्थी द्वारा	प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी आरक्षियों के पदों पर सीधी भर्ती

*उ0प्र0 प्रा0आ0का0अ0अधि0 (तृतीय संसोधन) नियमावली 2013, द्वारा दिनांक 06.06.2013 से प्रतिस्थापित

**उ0प्र0 प्रा0आ0का0अ0अधि0 (प्रथम संसोधन) नियमावली 2011, द्वारा दिनांक 12.01.2011 से प्रतिस्थापित

<table>
<tr><td colspan="2">इंगित केन्द्र से भिन्न केन्द्र आवंटन कर सकता है।
(दो) आवेदन-पत्र के साथ एक पृथक बुकलेट संलग्न की जायेगी जिसमें शैक्षिक अर्हता, आयु और प्रत्येक श्रेणी के शारीरिक मानक परीक्षण, शारीरिक दक्षता परीक्षण, चिकित्सीय परीक्षण के लिये न्यूनतम अर्हता मानक, विषयवार लिखित परीक्षा के लिए न्यूनतम अर्हता अंक, अभ्यास के लिए ओ.एम.आर. पत्रक की प्रति एवं अन्य महत्वपूर्ण दिशा निर्देश से सम्बन्धित जानकारी होगी।</td><td>परिशिष्ट-1 वर्णित प्रक्रिया अनुसार की जायेगी ।</td></tr>
<tr><td>**मूल नियम**</td><td>****दिनांक 12.01.2011 से प्रतिस्थापित**</td><td rowspan="9"></td></tr>
<tr><td>**(तीन)** आवेदन पत्र कार्बन प्रति सहित ओ.एम.आर. पत्रक पर होगा;</td><td>**(तीन)** आवेदन पत्र ओ.एम.आर. पत्रक पर होगा;</td></tr>
<tr><td colspan="2">**मूल नियम**</td></tr>
<tr><td colspan="2">**(चार)** अभ्यर्थियों के बायें और दाहिने दोनों अंगूठे के निशान के लिये आवेदन-पत्र में स्थान दिया गया है।</td></tr>
<tr><td colspan="2">**(पाँच)** अभ्यर्थी के दो अनुप्रमाणित फोटो समुचित स्थानों पर चिपकायें जायेंगे, एक फोटो आवेदन-पत्र पर और दूसरा फोटो प्रवेश-पत्र पर होगा;</td></tr>
<tr><td colspan="2">**(छः)** आवेदन-पत्र अधिसूचित बैंकों/डाकघरों से विहित शुल्क का भुगतान करने पर क्रय किया जा सकता है; हों।</td></tr>
<tr><td>**मूल नियम**</td><td>***दिनांक 12.01.2011 से प्रतिस्थापित**</td></tr>
<tr><td>**(सात)** प्रत्येक आवेदन पत्र में यथास्थिति आयु, दसवीं, बारहवीं, और स्नातक/स्नातकोत्तर के प्रमाण पत्र, खेल प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय कैडेट कोर प्रमाण पत्र, होम गार्ड प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिकों के मामलों में यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण पत्र और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र की अनुप्रमाणित प्रतियॉ संलग्न होनी चाहिये।</td><td>**(सात)** अभ्यर्थी द्वारा अपनी अर्हताओं यथा-आयु, हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट और स्नातक/स्नातकोत्तर, खेल, राष्ट्रीय कैडेट कोर, जाति, होमगार्ड, भूतपूर्व सैनिक या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित और लम्बवत व क्षैतिज आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश के मूल निवास होने का उल्लेख ओ0एम0आर0 पत्रक में विहित स्थान पर किया जायेगा। इन अर्हताओं से सम्बन्धित समस्त प्रमाण –पत्रों की अनुप्रमाणित प्रतिया मूल प्रमाण-पत्रों के साथ शारीरिक मानक परीक्षण केन्द्र दल के अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। शारीरिक मानक परीक्षण केन्द्र दल के अधिकारी, अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये मूल प्रमाणपत्रों से, प्रमाण-पत्रों की अनुप्रमाणित प्रतियों का भली-भाँति मिलान करने के उपरान्त जमा करेंगे। समुचित रूप में भरे गये आवेदन पत्रों को उसी डाकघर/बैंक में जमा किया जाना चाहिये जहाँ से वे क्रय किये गये हों।</td></tr>
<tr><td>**(आठ)**–समुचित रूप में भरे गये आवेदन पत्रों को उसी डाकघर/बैंक में जमा किया जाना चाहिये, जहॉ से</td><td>-</td></tr>
</table>

वे क्रय किये गये हों।		

(ख) बुलावा पत्र

मूल नियम	*दिनांक 12.01.2011 से प्रतिस्थापित	**दिनांक 10.04.2011 से प्रतिस्थापित	***दि0 06. 06.2013 से प्रतिस्थापित
अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रमाण पत्रों का परीक्षण, बुलावा पत्र जारी किये जाने के पूर्व किया जायेगा। यदि कोई प्रमाण पत्र आवेदन पत्र में प्रस्तुत किया दर्शाया गया हो किन्तु उसमें संलग्न न पाया गया हो तो अभ्यर्थी का आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकता है। कम्प्यूटर के माध्यम से आवेदन पत्र की जाँच किये जाने के पश्चात कम्प्यूटरीकृत बुलावा पत्र पात्र अभ्यर्थियों को उसी डाकघर के माध्यम से जारी किये जायेंगे जहा से आवेदन पत्र क्रय किये गये हों। शारीरिक मानक परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा और चिकित्सा परीक्षा का दिनांक और समय सहित कोड/नाम/डाक का पता/परीक्षा केन्द्र स्थल का उल्लेख बुलावापत्र में स्पष्ट रूप से किया जायेगा। ऐसे दस्तावेजों, जो अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा के लिये लाये जाने हेतु अपेक्षित हों, को बुलावा पत्रों में स्पष्ट रूप से इंगित किया जायेगा। बुलावापत्र परीक्षा प्रारम्भ होने से कम से कम एक सप्ताह पूर्व पहुँच जाने चाहियें। यदि बुलावापत्र परीक्षा प्रारम्भ होने के दिनांक से एक सप्ताह पूर्व तक प्राप्त नहीं होता। है तो अभ्यर्थी हेल्प लाइन से	बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रमाण-पत्रों का परीक्षण, बुलावा पत्र जारी जाने के पूर्व किया जायेगा। यदि कोई प्रमाण पत्र आवेदन पत्र में प्रस्तुत किया दर्शाया गया हो किन्तु उसमें संलग्न न पाया गया हो तो अभ्यर्थी का आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकता है। कम्प्यूटर के माध्यम से आवेदन पत्र की जाँच किये जाने के पश्चात कम्प्यूटरीकृत बुलावा पत्र पात्र अभ्यर्थियों को उसी डाकघर के माध्यम से जारी किए जाएंगे जहा से आवेदन पत्र क्रय किये गये हों। बोर्ड सम्यक रूप से विचार विमर्श के पश्चात बुलावापत्र भेजने के किन्हीं अन्य समुचित साधनों का भी प्रयोग कर सकता है। शारीरिक मानक परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा और चिकित्सा परीक्षा का का दिनांक और समय सहित कोड/नाम/डाक का पता/परीक्षा केन्द्र स्थल का उल्लेख बुलावापत्र में स्पष्ट रूप से किया जायेगा। ऐसे दस्तावेजों, जो अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा के लिये लाये जाने हेतु अपेक्षित हों, को बुलावा पत्रों में स्पष्ट रूप सं इंगित किया जायेगा। बुलावापत्र परीक्षा प्रारम्भ होने	बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि शारीरिक मानक परीक्षण के समय प्रमाण-पत्रों की प्रतियों का परीक्षण और मिलान मूल प्रमाण-पत्रों से कर लिया जायेगा। कम्प्यूटर के माध्यम से आवेदन पत्र स्कैन किये जाने के पश्चात् कम्प्यूटरीकृत बुलावा पत्र, पात्र अभ्यर्थियों को उसी डाकघर/बैंक के माध्यम से जारी किये जायेंगे जहाँ से आवेदन पत्र कम प्रस्तुत किये गये हों। बोर्ड सम्यक रूप से विचार विमर्श के पश्चात् बुलावा पत्र भेजने के किन्हीं अन्य समुचित साधनों का भी प्रयोग कर सकता है। शारीरिक मानक परीक्षण का दिनांक और समय सहित शारीरिक मानक परीक्षण का कोड/नाम/डाक का पता/परीक्षा केन्द्र स्थल का उल्लेख बुलावा पत्र में स्पष्ट रूप से किया जायेगा। शारीरिक मानक परीक्षण स्थल पर संवीक्षा के लिए ऐसे दस्तावेज, जो अभ्यर्थियों से अपेक्षित हो, को स्पष्ट रूप से बुलावा पत्र पर इंगित किया जायेगा। बुलावा पत्र शारीरिक परीक्षा से कम से कम एक सप्ताह पूर्व पहुँच जाने चाहिए। यदि परीक्षण प्रारम्भ होने से एक सप्ताह पूर्व में बुलावा पत्र प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसे अभ्यर्थी वेबसाइट की हेल्प लाइन से सम्पर्क कर सकते हैं। बोर्ड से समस्त संसार/पत्राचार में आवेदन पत्र का क्रमिक कोड उद्धृत करना होगा। ऐसी स्थिति में बोर्ड द्वारा द्वितीय बुलावा पत्र जारी किया जायेगा।	प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी आरक्षियों के पदों पर सीधी भर्ती परिशिष्ट-1 वर्णित प्रक्रिया अनुसार की जायेगी ।

<table>
<tr><td>सम्पर्क कर सकते हैं, इस सम्बन्ध में आवेदन पत्र का क्रमिक कोड देना होगा। बोर्ड द्वारा द्वितीय बुलावापत्र जारी किया जायेगा।</td><td>से कम से कम एक सप्ताह पूर्व पहुँच जाने चाहिये। यदि बुलावापत्र परीक्षा प्रारम्भ होने के दिनांक से एक सप्ताह पूर्व तक प्राप्त नहीं होता है तो अभ्यर्थी हेल्प लाइन से सम्पर्क कर सकते हैं, इस सम्बन्ध में आवेदन पत्र का क्रमिक कोड देना होगा।</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">मूल नियम</td><td>***दि0 06.06.2013 से प्रतिस्थापित</td></tr>
<tr><td colspan="3">(ग) शारीरिक मानक परीक्षा- समस्त पात्र अभ्यर्थी एक अर्हकारी प्रकृति की शारीरिक मानक परीक्षा में सम्मिलित होंगे जिसकी प्रक्रिया परिशिष्ट-1 में दी गयी है।</td><td rowspan="9">प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी आरक्षियों के पदों पर सीधी भर्ती परिशिष्ट-1 वर्णित प्रक्रिया अनुसार की जायेगी ।</td></tr>
<tr><td colspan="3">(घ) शारीरिक दक्षता परीक्षा- ऐसे अभ्यर्थी जो नियम 15 (ग) के अधीन शारीरिक मानक परीक्षा में सफल घोषित किये गये हों, से अर्हकारी प्रकृति की शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी जिसकी प्रक्रिया परिशिष्ट-2 में दी गयी है।</td></tr>
<tr><td colspan="2">मूल नियम</td><td>*दिनांक 12.01.2011 द्वारा निकाला जाना</td></tr>
<tr><td colspan="2">(ङ) चिकित्सा परीक्षा -शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों से चिकित्सा परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी, जिसकी प्रक्रिया परिशिष्ट-3 में दी गयी है।</td><td>नियम ङ का निकाला जाना</td></tr>
<tr><td colspan="2">(च) लिखित परीक्षा -चिकित्सा परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थी से लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी जिसकी प्रक्रिया परिशिष्ट-4 में दी गयी है।</td><td>नियम च का निकाला जाना</td></tr>
<tr><td colspan="2">(छ) अन्तिम श्रेष्ठता सूची-बोर्ड राज्य की आरक्षण नीति को दृष्टिगत रखते हुए अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता क्रम में अन्तिम चयन सूची तैयार करेगा।
प्राप्तांक सहित श्रेष्ठता सूची वेबसाइट/सूचना पट्ट और समाचार-पत्रों में प्रकाशित की जायेगी जिससे कि वे स्वयं, इस तथ्य के बिना कि वे अनुत्तीर्ण या उत्तीर्ण हैं, अपने प्राप्तांकों की जांच कर सकें। वाहय सहायित एजेंसी जिला और श्रेणीवार श्रेष्ठता सूची के आधार पर समुचित साफ्टवेयर विकसित करेंगी। तद्नुसार जिला और श्रेणीवार श्रेष्ठता सूचियाँ प्रकाशित की जायेंगी। बाहय सहायित एजेंसी जिसने लिखित परीक्षा संचालित की हो, अपने सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित अभ्यर्थियों द्वारा उत्तर पत्रकों के साथ मुहरबंद आवरण में प्राप्तांकों की सूची बोर्ड के अध्यक्ष को उपलब्ध करायेगी।</td><td>नियम छ का निकाला जाना</td></tr>
<tr><td colspan="2">(ज) चरित्र सत्यापन-
नियुक्ति पत्र जारी किये जाने के पूव चरित्र सत्यापन पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा। अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन</td><td>(ज) लिखित परीक्षा-
शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल घोषित अभ्यर्थियों से लिखित परीक्षा में</td></tr>
</table>

और उनके अपराधिक अभिलेख का सत्यापन जहाँ तक सम्भव हो, एक माह में पूर्ण कर लिया जाना चाहिए। (एक) चरित्र सत्यापन के लिए अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जायेगी कि वे आयु प्रमाण पत्र, शैक्षिक अर्हता प्रमाण पत्र, खेल प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय कैडेट कोर, होम गार्ड प्रमाणपत्र, चरित्र प्रमाण पत्र और भूतपूर्व सैनिकों के मामले में यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें (दो) अभ्यर्थियों को जन्म तिथि हेतु हाईस्कूल प्रमाण पत्र, खेल हेतु जिला/राज्य या राष्ट्रीय स्तर का प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र हेतु तहसीलदार या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित फोटो और संलग्न प्रारूप पर दाहिने और बाएं हथेलियों के अंगूठे का निशान प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थियों को तहसील,विकासखण्ड, ग्राम व डाकघर का पिन कोड सहित डाक का पूर्ण पता भी प्रस्तुत करना होगा।	सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी जिसकी प्रकिया परिशिष्ट 4 में दी गयी है।	

***शासनादेश दिनांक 12.01.2011 द्वारा नियम 15 (झ) का बढाया जाना –**

मूल नियम– दिनांक 12.01.2011 द्वारा बढाया गया	*दि0 10.04.2011 से प्रतिस्थापित
(झ)-चयन एवं श्रेष्ठता सूची – अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों के आधार पर राज्य की आरक्षण नीति को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड द्वारा, प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों के सापेक्ष श्रेष्ठता सूची तैयार की जायेगी। अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्तांक सहित श्रेष्ठता सूची, वेबसाइट/सूचना पट्ट और समाचार पत्रों में प्रकाशित की जायेगी जिससे कि वे स्वयं इस तथ्य के बिना कि वे अनुत्तीर्ण या उत्तीर्ण है, अपने प्राप्तांकों की जांच कर सकें। बाह्य सहायित एजेंसी जिला और श्रेणीवार श्रेष्ठता सूची के आधार पर समुचित साफ्टवेयर विकसित करेंगी। तद्नुसार जिला और श्रेणीवार श्रेष्ठता सूचियाँ प्रकाशित की जायेंगी। बाह्य सहायित एजेंसी जिसने लिखित परीक्षा संचालित की हो, अपने सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित अभ्यर्थियों द्वारा उत्तर पत्रकों के साथ मुहरबंद आवरण में प्राप्तांकों की सूची बोर्ड के अध्यक्ष को उपलब्ध करायेगी। टिप्पणी-यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी बराबर-बराबर औसत अंक प्राप्त करते हैं तो एक के बाद एक निम्नलिखित विधियों से उनकी श्रेष्ठता के गतिरोध दूर किये जायेंगे :- (1) ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया	**(झ) अन्तिम चयन सूची-** अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त किये गये कुल अंकों के आधार पर राज्य की आरक्षण नीति के अनुसार, बोर्ड अधिसूचित रिक्तियों के सापेक्ष श्रेष्ठता सभी प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों की अन्तिम चयन सूची तैयार करेगा। इस प्रकार तैयार की गई सूची बोर्ड द्वारा अपनी संस्तुतियों सहित विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत की जायेगी, जो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संचालित चिकित्सा परीक्षा और चरित्र/अभिलेख सत्यापन के अध्यधीन होगा। बोर्ड द्वारा कोई भी प्रतीक्षा सूची नहीं बनाई जायेगी। इस बात पर ध्यान दिये बिना कि वे सफल या अपात्र हुये हैं, प्रत्येक अभ्यर्थी की श्रेष्ठता सूची और अंकों का विखण्डन वेबसाइट/सूचना पट्ट और समाचार पत्रों में प्रदर्शित की जायेगी जिससे अभ्यर्थी अपनी योग्यता/अंक स्वयं अवगत हो सके। वाह्य सहायतित एजेंसी द्वारा अपेक्षित साफ्टवेयर विकसित की जायेगी, जिसके माध्यम से क्षैतिज और उर्ध्वाधर आरक्षण से सम्बन्धित पूर्व परिभाषित मानकों के आधार पर अधिसूचित रिक्तियों के अनुसार श्रेष्ठता सूची तैयार की जायेगी। तद्नुसार जिलावार और श्रेणीवार श्रेष्ठता सूचियाँ वाह्य सहायतित एजेंसी द्वारा तैयार की जायेंगी। अधिकतम अंकों और अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाते हुए, सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एक श्रेष्ठता सूची बोर्ड को उपलब्ध करायेगी। यह एजेन्सी जिलावार और श्रेणीवार चयन सभी उत्तर पत्रक के साथ बोर्ड के अध्यक्ष को मुहरबन्द लिफाफे में प्रेषित करेगी। टिप्पणी-यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी बराबर-बराबर औसत

*उ0प्र0 प्रा0आ0का0अ0अधि0 (प्रथम संसोधन) नियमावली 2011, द्वारा दिनांक 12.01.2011 से प्रतिस्थापित
**उ0प्र0 प्रा0आ0का0अ0अधि0 (तृतीय संसोधन) नियमावली 2013, द्वारा दिनांक 06.06.2013 से प्रतिस्थापित

हो, या, केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कम्प्यूटर अप्लीकेशन में प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो। एक से अधिक अधिमानी अर्हतायें पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी को एक ही अधिमानी अर्हता का लाभ दिया जायेगा। (2) उक्त बिन्दु-(1) के उपरान्त भी यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी को बराबर-बराबर औसत अंक प्राप्त हो तो ऐसी अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी, जिसकी आयु अधिक हो। (3) इसके उपरान्त भी यदि बराबर-बराबर अंक एवं एक ही जन्मतिथि हो तो फिर ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी, जिसने अभिरूचि परीक्षण में उच्चतर अंक प्रापत किये हों। (4) इसके उपरान्त भी यदि बराबर-बराबर अंक, एक ही जन्मतिथि तथा अभिरूचि परीक्षण में एक से ही औसत अंक हों तो ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी, जिसका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में पहले हो।	अंक प्राप्त करते हैं तो निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार श्रेष्ठता सूची को अन्तिम रूप दिया जायेगा :- (1) ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या राष्ट्रीय कैडेट कोर का ‘‘बी’’ प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो, या, केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।एक से अधिक अधिमानी अर्हतायें पूर्ण कराने वाले अभ्यर्थी को एक ही अधिमानी अर्हता का लाभ दिया जायेगा। (2) यदि उपर्युक्त के बावजूद दो या दो से अधिक अभ्यर्थी को बराबर-बराबर औसत अंक प्राप्त हों तो ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी, जिसकी आयु अधिक हो। (3) यदि औसत अंक अब भी बराबर-बराबर हो और एक ही जन्मतिथि हो तो ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी, जिसने अभिरूचि परीक्षण में उच्चतर अंक प्राप्त किये हों। (4) यदि उपर्युक्त विचार विमर्श के बावजूद अब भी बराबर-बराबर अंक हो और एक ही जन्मतिथि हो तथा अभिरूचि परीक्षण में बराबर-बराबर अंक हों तो जिसका नाम अंग्रेजी वर्णमाला में पहले हो।
(ञ) चिकित्सा परीक्षा लिखित परीक्षा में सफल व चयनित अभ्यर्थियों से चिकित्सा परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। नियम-13 के अनुसार बोर्ड द्वारा चिकित्सा परीक्षण कराया जायेगा, जिसकी प्रक्रिया परिशिष्ट-3 में दी गई है। चिकित्सा परीक्षा में अनुपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों की बोर्ड द्वारा संस्तुति नहीं की जायेगी।	**(ञ) चिकित्सा परीक्षा** ऐसे अभ्यर्थियों से जिनके नाम खण्ड-15(झ) के अधीन बोर्ड द्वारा तैयार की गयी अन्तिम चयन सूची में आये हों, चिकित्सा परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। नियुक्ति प्राधिकारी के आदेश पर नियम-13 के अधीन चिकित्सा परीक्षण, परिशिष्ट-3 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार कराया जायेगा। यदि कोई अभ्यर्थी चिकित्सा परीक्षण में अनुपयुक्त पाया जाता है उसे उस कमी जिसके कारण उसे संबंधित बोर्ड द्वारा अनुपयुक्त घोषित किया गया हो, और यदि संभव हो तो उस कमी को दूर करने तथा 6 माह की अवधि के अन्तर्गत पुनः परीक्षा के लिए चिकित्सा बोर्ड के समक्ष उपस्थिति होने के संबंध में सूचित कर दिया जायेगा। यदि 6 माह के अन्तर्गत पुनः परीक्षा के पश्चात अभ्यर्थी अब भी चिकित्सीय रूप से अनुपयुक्त पाया जाता है तो उसका चयन निरस्त कर दिया जायेगा।
(ट) अनन्तिम चयन सूची नियम-15(ञ) के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा कराये गये चिकित्सा परीक्षा में उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों की अनन्तिम चयन सूची अभिलेख एवं चरित्र सत्यापन में उपयुक्त पाये जाने के अधीन श्रेणीवार तैयार कर बोर्ड द्वारा संस्तुति सहित विभागाध्यक्ष को भेजी जायेग।	(ट) अनन्तिम चयन सूची निकाल दिया गया है।

(ठ) चरित्र सत्यापन-

नियुक्ति पत्र जारी किये जाने के पूर्व चरित्र सत्यापन पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा। अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन और उनके अपराधिक अभिलेख का सत्यापन जहाँ तक सम्भव हो, एक माह में पूर्ण कर लिया जाना चाहिए।

(एक) चरित्र सत्यापन के लिए अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जायेगी कि वे आयु प्रमाण पत्र, शैक्षिक अर्हता प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय

कैडेट कोर प्रमाणपत्र, खेल प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र और भूतपूर्व सैनिकों के मामले में यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

(दो) अभ्यर्थियों को जन्म तिथि हेतु हाई स्कूल प्रमाण पत्र, खेल हेतु जिला/राज्य या राष्ट्रीय स्तर का प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र हेतु तहसीलदार या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित फोटो और संलग्न प्रारूप पर दाहिने और बाएं हथेलियों के अंगूठे का निशान प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थियों को तहसील, विकासखण्ड, ग्राम व डाकघर का पिन कोड सहित डाक का पूर्ण पता भी प्रस्तुत करना होगा।

(तीन) उपरोक्तानुसार चरित्र सत्यापन की सम्पूर्ण कार्यवाही का निष्पादन पुलिस विभाग द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी के पर्यवेक्षणाधीन नियुक्त-पत्र जारी किये जाने के पूर्व किया जायेगा। चरित्र सत्यापन में पाये गये किसी प्रतिकूल तथ्य से अभ्यर्थी नियुक्त हेतु अपात्र हो जायेगा।

नियम16

प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी मुख्य आरक्षी के पद पर पदोन्नति प्रक्रिया-16- प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी मुख्य आरक्षी के पद पर नियुक्त पात्र आरक्षियों के मध्य से पदोन्नति द्वारा निम्नलिखित रीति से की जायेगी :–

मूल नियम	*दि0 12.01.2011 से प्रतिस्थापित	**दि0 06.06.2013 से प्रतिस्थापित
(क) पदोन्नति के लिये तात्पर्यित 50 प्रतिशत रिक्तियां विभागीय परीक्षा द्वारा भरी जायेंगी। केवल ऐसे प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी आरक्षी जिनकी आयु 40 वर्ष पूर्ण न हुई हो, विभागीय परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार होंगे। (ख) पदोन्नति के लिये तात्पर्यित 50 प्रतिशत रिक्तियॉ अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये शारीरिक दक्षता परीक्षा, जो अर्हकारी प्रकृति की होगी, सहित ज्येष्ठता के आधार पर चयन द्वारा भरी जायेगी। विभागीय परीक्षा के माध्यम से मुख्य आरक्षी के पद पर नियुक्ति की विस्तृत प्रक्रिया परिशिष्ट–5 में और अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के माध्यम से परिशिष्ट –6 में दी गयी है।	(क) पदोन्नति के लिए तात्पर्यित 50 प्रतिशत रिक्तियां विभागीय परीक्षा द्वारा भरी जायेंगी। केवल ऐसे प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी आरक्षी भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को जिनकी आयु 40 वर्ष पूर्ण न हुई हो और जिसकी इस दिनांक तक आधारभूत प्रशिक्षण के 5 वर्ष की सेवा पूर्ण हो गयी हो, विभागीय परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार होंगे।	16. प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी मुख्य आरक्षी के पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया :- प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी मुख्य आरक्षी के पद पर नियुक्ति पदोन्नति के माध्यम से निम्ननिखित रीति से की जायेगी :- (एक) बोर्ड द्वारा भर्ती के लिए तात्पर्यित रिक्तियां, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए अर्हकारी प्रकृति की शारीरिक दक्षता परीक्षण सहित ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति की संस्तुति के आधार पर भरी जायेगी। चयन समिति के विवरण का उल्लेख परिशिष्ट-6 में और शारीरिक दक्षता परीक्षण के विवरण का उल्लेख परिशिष्ट-2 में किया गया है। (दो) प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी के महानिदेशक/अपर महानिदेशक चयन समिति द्वारा प्रस्तुत की गयी सूची अनुमोदित करेगा और प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी के मुख्य आरक्षी के पद पर पदोन्नति के लिए अन्तिम आदेशों को जारी करने के लिए अधिकारी/अधिकारियों को नाम निर्दिष्ट करेगा। टिप्पणी-पदोन्नत अभ्यर्थियों की अन्तिम सूची बोर्ड और उत्तर प्रदेश पुलिस की वेव साइट पर प्रदर्शित की जायेगी।

*उ0प्र0 प्रा0आ0का0अ0अधि0 (प्रथम संसोधन) नियमावली 2011, द्वारा दिनांक 12.01.2011 से प्रतिस्थापित

**उ0प्र0 प्रा0आ0का0अ0अधि0 (तृतीय संसोधन) नियमावली 2013, द्वारा दिनांक 06.06.2013 से प्रतिस्थापित

***उ0प्र0 प्रा0आ0का0अ0अधि0 (प्रथम संसोधन) नियमावली 2011,दिनांक 12.01.2011 द्वारा बढाया जाना

उपनिरीक्षक, सशस्त्र पुलिस/प्लाटून कमाण्डर की भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों की अवधारण– 17–नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना विभागाध्यक्ष को देगा। विभागाध्यक्ष द्वारा बोर्ड और सरकार को भी रिक्तियों की संख्या सूचित की जायेगी। सीधी भर्ती के लिये रिक्तियाँ निम्नलिखित रीति में अधिसूचित की जायेंगी :-

(एक) व्यापक परिचालन वाले दैनिक समचार पत्र में विज्ञापन जारी करके,

(दो)कार्यालय के सूचना पट्ट पर नोटिस चस्पा करके या रेडियो/दूरदर्शन और अन्य रोजगार समाचार-पत्रों के माध्यम से विज्ञापन द्वारा।

(तीन) रोजगार कार्यालय को रिक्तियाँ अधिसूचित करके।

(चार) जन संचार के किन्हीं अन्य साधनों द्वारा। ********

उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस/प्लाटून कमाण्डर के पद पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया -18.उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस/प्लाटून कमाण्डर के पद पर सीधी भर्ती के प्रयोजन के लिये चयन समिति में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व होगा जो कि समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम की धारा-7 के अधीन आदेशों के अनुसार किया जायेगा। अभ्यर्थियों का चयन निम्नलिखित रीति से किया जायेगा।

(क) **आवेदन पत्र**

(एक) अभ्यर्थी केवल एक जिले के लिये आवेदन-पत्र भरेगा। परीक्षा केन्द्र के आबंटन के सम्बन्ध में अभ्यर्थी एक से अधिक विकल्प दे सकता है, फिर भी बोर्ड, अभ्यर्थी द्वारा इंगित केन्द्र से भिन्न केन्द्र आबंटन कर सकता है।

(दो) आवेदन-पत्र के साथ एक पृथक बुकलेट संलग्न की जायेगी जिसमें शैक्षिक अर्हता, आयु और प्रत्येक श्रेणी के शारीरिक मानक परीक्षण, शारीरिक दक्षता परीक्षण, चिकित्सीय परीक्षण के लिये न्यूनतम अर्हता मानक, विषयवार लिखित परीक्षा के लिये न्यूनतम अर्हता अंक, अभ्यास के लिये ओ.एम.आर. पत्रक की प्रति एवं अन्य महत्वपूर्ण दिशा निर्देश से सम्बन्धित जानकारी होगी।

मूल नियम	*दि0 12.01.2011 से प्रतिस्थापित
(तीन) आवेदन पत्र कार्बन प्रति सहित ओ0एम0आर0 पत्रक पर होगा।	**(तीन)** आवेदन पत्र ओ0एम0आर0 पत्रक पर होगा;

(चार) अभ्यर्थियों के बाएं और दाहिने दोनों अंगूठे के निशान के लिये आवेदन पत्र में स्थान दिया गया है।

(पाँच) अभ्यर्थी के दो अनुप्रमाणित फोटो समुचित स्थानों पर चिपकाये जायेंगे, एक फोटो आवेदन पत्र पर और दूसरा फोटो प्रवेश पत्र पर होगा ;

मूल नियम	*दि0 12.01.2011 से प्रतिस्थापित
(छः) प्रत्येक आवेदन पत्र में यथा स्थिति आयु दसवीं, बारहवीं और स्नातक/स्नातकोत्तर, के प्रमाण पत्र, खेल प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय कैडेट कोर प्रमाण पत्र, होम गार्ड प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक के मामलों में यूनिट डिचार्ज प्रमाण पत्र और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र की अनुप्रमाणित प्रतियां संलग्न होनी चाहिए।	**(छ)** अभ्यर्थी द्वारा अपनी योग्यता यथा ''आयु हाई स्कूल, इण्टरमीडियट और स्नातक/स्नातकोत्तर, खेल, 'राष्ट्रीय कैडेट कोर, जाति, होम गार्ड, भूतपूर्व सैनिक या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित को लम्बवत व क्षैतिज आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने'' का उल्लेख ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर किया जायेगा। इन योग्यताओं से सम्बन्धित समस्त प्रमाण पत्रों की अनुप्रमाणित प्रतियाँ मूल प्रमाण-पत्रों के साथ शारीरिक मानक परीक्षण केन्द्र के अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। शारीरिक मानक परीक्षण केन्द्र के अधिकारी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये मूल प्रमाण-पत्रों से, प्रमाण पत्रों की अनुप्रमाणित प्रतियों का भली भाँति मिलान करने के उपरान्त जमा करेंगे।

*उ0प्र0 प्रा0आ0का0अ0अधि0 (प्रथम संसोधन) नियमावली 2011, द्वारा दिनांक 12.01.2011 से प्रतिस्थापित

(सात) आवेदन-पत्र अभिसूचित बैंकों/डाकघरों से विहित शुल्क का भुगतान करने पर क्रय किया जा सकता है ;

(आठ) समुचित रूप में भरे गये आवेदन पत्रों को उसी डाकघर/बैंक में जमा किया जाना चाहिये जहां से वे क्रय किये गये हों।

(ख) बुलावा पत्र-

मूल नियम	*दि0 12.01.2011 से प्रतिस्थापित
अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रमाण पत्रों का परीक्षण, बुलावा पत्र जारी किये जाने के पूर्व किया जायेगा। यदि कोई प्रमाण पत्र आवेदन पत्र में प्रस्तुत किया दर्शाया गया हो किन्तु उसमें संलग्न न पाया गया हो तो अभ्यर्थी का आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकता है। कम्प्यूटर के माध्यम से आवेदनपत्र की जांच किये जाने के पश्चात कम्प्यूटरीकृत बुलावा पत्र पात्र अभ्यर्थियों को उसी डाकघर के माध्यम से जारी किये जाएंगे जहां से आवेदनपत्र क्रय किये गये हों। शारीरिक मानक परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा और चिकित्सा परीक्षा का दिनांक और समय सहित कोड/नाम/डाक का पता/परीक्षा केन्द्र स्थल का उल्लेख बुलावा पत्र में स्पष्ट रूप से किया जाएगा। ऐसे दस्तावेजों, जो अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा के लिये लाये जाने हेतु अपेक्षित हों, को बुलावापत्रों में स्पष्ट रूप से इंगित किया जाएगा। बुलावापत्र परीक्षा प्रारम्भ होने से कम से कम एक सप्ताह पूर्व पहुँच जाने चाहिए। यदि बुलावापत्र परीक्षा प्रारम्भ होने के दिनांक से एक सप्ताह पूर्व तक प्राप्त नहीं होता है तो अभ्यर्थी हेल्प लाइन से सम्पर्क कर सकते हैं, इस सम्बन्ध में आवेदनपत्र का क्रमिक कोड देना होगा। तो अभ्यर्थी हेल्प लाइन से सम्पर्क कर सकते हैं, इस संबंध में आवेदन पत्र का क्रमिक कोड देना होगा।	बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि शारीरिक मानक परीक्षा के समय प्रमाण पत्रों की प्रतियां को मिलान मूल प्रमाण पत्र से कर लिया गया है। कम्प्यूटर के माध्यम से आवेदन पत्र की जांच किये जाने के कम्प्यूटरीकृत बुलावा पत्र अभ्यर्थियों को उसी डाकघर के माध्यम से जारी किये जायेंगे जहाँ आवेदन पत्र क्रय प्रस्तुत किया गया था। बोर्ड गहन विचारोपरान्त बुलावा पत्र भेजने के लिए अन्य उपयुक्त साधन का भी उपयोग कर सकता है। शारीरिक मानक परीक्षा का दिनांक और समय सहित कोड/नाम/डाक का पता/परीक्षा केन्द्र स्थल का उल्लेख बुलावा पत्र में स्पष्ट रूप को से किया जायेगा। ऐसे दस्तावेजों जो अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा के लिए ले जाने हेतु अपेक्षित हो को बुलावा पत्रों स्पष्ट रूप से इंगित किया जायेगा। बुलावा पत्र परीक्षा प्रारम्भ होने से कम से कम एक सप्ताह पूर्व पहुँच जाने चाहिए। यदि बुलावा पत्र परीक्षा प्रारम्भ होने के दिनांक से एक सप्ताह पूर्व तक प्राप्त नहीं होता है तो अभ्यर्थी हेल्प लाइन से सम्पर्क कर सकते है, इस संबंध में आवेदन पत्र का क्रमिक कोड देना होगा।

(ग)<u>शारीरिक मानक परीक्षा-</u>समस्त पात्र अभ्यर्थी एक अर्हकारी प्रकृति की शारीरिक मानक परीक्षा में सम्मिलित होंगे जिसकी प्रक्रिया परिशिष्ट-7 में दी गयी है।

(घ) <u>प्रारम्भिक लिखित परीक्षा</u>

मूल नियम	*दि0 10.04.2011 से प्रतिस्थापित
अभ्यर्थियों में से जो खंड (ग) के अधीन शारीरिक मानक परीक्षण में सफल घोषित किये गये हों अर्हकारी प्रकृति की एक वस्तुनिष्ठ प्रकार की प्रारम्भिक लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी, जो अर्हकारी प्रकृति की होगी। इस परीक्षा के लिये 200 अंक होंगे। इसमें तीन खंड होंगे अर्थात 100 अंकों का सामान्य ज्ञान (सामयिकी, इतिहास, भूगोल, भारत का संविधान, स्वतंत्रता संग्राम आदि), 50 अंकों की सामान्य गणित और 50 अंकों की तार्किक योग्यता। जो अभ्यर्थी उक्त परीक्षा में न्यूनतम पचास प्रतिशत अंक प्राप्त करते हैं। सफल घोषित किये जायेंगे।	ऐसे अभ्यर्थियों जो खंड (ग) के अधीन शारीरिक मानक परीक्षण में सफल घोषित किये गये हों, से अर्हकारी प्रकृति की एक वस्तुनिष्ठ प्रकार/ प्रारम्भिक लिखित प्रारम्भिक लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। इस परीक्षा के लिए 200 अंक होंगे। इसमें तीन खंड होंगे अर्थात 100 अंकों का सामान्य ज्ञान (सामयिक विषय, इतिहास, भूगोल, भारत का संविधान, स्वतंत्रता संग्राम आदि), 50 अंकों की संख्यात्मक योग्यता परीक्षा और 50 अंकों की तार्किक योग्यता। जो अभ्यर्थी उक्त परीक्षा में न्यूनतम पचास प्रतिशत अंक प्राप्त करते हैं, सफल घोषित किये जायेंगे।

(ङ) शारीरिक दक्षता परीक्षण-

मूल नियम	*दि0 12.01.2011 से प्रतिस्थापित	**दि0 10.04.2011 से प्रतिस्थापित	***दि0 06.06.2013 से प्रतिस्थापित
खंड (घ) के अधीन प्रारम्भिक लिखित परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों से अर्हकारी प्रकृति की शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। यह परीक्षा राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता मानक स्टार-एक के स्तर की होगी। बोर्ड, उक्त परीक्षा के मानकों को परिवर्तित करने या उच्चीकृत करने के लिये सशक्त होगा जो कि किसी भी दशा में स्टार-एक के मानकों से कमतर न होंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षण की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसे परिशिष्ट-8 में विहित की गयी हैं।	खंड (घ) के अधीन प्रारम्भिक लिखित परीक्षण में सफल घोषित अभ्यर्थियों से अर्हकारी प्रकृति की शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। पुरुष अभ्यर्थियों से 10 किलोमीटर की दौड़ 55 मिनट में तथा महिला अभ्यर्थियों के लिये 05 किलोमीटर की दौड़ 30 मिनट में पूरी करने की अपेक्षा की जायेगी। शारीरिक दक्षता परीक्षण संचालन की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी परिशिष्ट-8 में दी गयी हैं।	खंड (घ) के अधीन प्रारम्भिक लिखित परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों से अर्हकारी प्रकृति की शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। पुरुष अभ्यर्थियों से 10 किलोमीटर की दौड़ 60 मिनट में तथा महिला अभ्यर्थियों को 05 किलोमीटर की दौड़ 35 मिनट में पूरा करने की अपेक्षा की जायेगी। शारीरिक दक्षता परीक्षण संचालित करने की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी परिशिष्ट-8 में दी गयी हैं।	(घ) के अधीन प्रारम्भिक लिखित परीक्षण में सफल घोषित अभ्यर्थियों से अर्हकारी प्रकृति की शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। पुरुष अभ्यर्थियों से 4.8किलोमीटर की दौड़ 35 मिनट में तथा महिला अभ्यर्थियों को 2.4 किलोमीटर की दौड़ 20 मिनट में पूरा करने की अपेक्षा की जायेगी। शारीरिक दक्षता परीक्षण संचालित करने की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी परिशिष्ट-8 में दी गयी हैं।

(च) <u>मुख्य लिखित परीक्षा</u>

(एक) खंड (ङ) के अधीन शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों से मुख्य लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी जिसके लिये निम्नलिखित विषयों में 400 अंक होंगे।

विषय	अधिकतम अंक
1. सामान्य हिन्दी/हिन्दी निबंध	75 अंक/25 अंक
2. मूल विधि और संविधान	100 अंक (वस्तुनिष्ठ प्रकार)
3. आंकिक एवं मानसिक योग्यता परीक्षण	100 अंक (वस्तुनिष्ठ प्रकार)
4. मानसिक अभिरूचित परीक्षण/ परीक्षण/बुद्धिलब्धि/तार्किक योग्यता परीक्षण	100 अंक (वस्तुनिष्ठ प्रकार)

टिप्पणी : लिखित परीक्षा के आयोजन की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी परिशिष्ट 9 में विहित की गयी है।

(दो) अभ्यर्थी जो प्रतयेक विषय में न्यूनतम पचास प्रतिशत अंक प्राप्त करने में विफल रहते हैं भर्ती के लिये पात्र नहीं होंगे। नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य वर्गों के अभ्यर्थियों के सम्यक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बोर्ड सफल अभ्यर्थियों की, उनके द्वारा मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों के आधार पर एक सूची तैयार करेगा। प्रति विषय प्राप्त किये गये अंकों एवं उत्तर कुंजी के साथ बोर्ड की वेब साईट पर सम्पूर्ण सूची तत्काल प्रदर्शित की जाएगी। मुख्य लिखित परीक्षा में चयन किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों की संख्या का तीन गुना होगी।

(छ) <u>चिकित्सकीय परीक्षण -</u> जिन अभ्यर्थियों ने मुख्य लिखित परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है उनको परिशिष्ट-10 में यथा विहित चिकित्सकीय परीक्षण पूरा करना होगा।

*उ0प्र0 प्रा0आ0का0अ0अधि0 (प्रथम संसोधन) नियमावली 2011, द्वारा दिनांक 12.01.2011 से प्रतिस्थापित

**उ0प्र0 प्रा0आ0का0अ0अधि0 (द्वितीय संसोधन) नियमावली 2011, द्वारा दिनांक 10.04.2011 से प्रतिस्थापित

***उ0प्र0 प्रा0आ0का0अ0अधि0 (तृतीय संसोधन) नियमावली 2013, द्वारा दिनांक 06.06.2013 से प्रतिस्थापित

(ज) समूह परिसंवाद - खंड (घ) के अधीन चयनित अभ्यर्थियों से समूह परिसंवाद में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। इन प्रयोजनार्थ दस अभ्यर्थियों का प्रत्येक पृथक समूह बनाया जाएगा। समूह परिसंवाद की प्रक्रिया एक पैनल के अधीन बोर्ड के अध्यक्ष या उसके नामिती की उपस्थिति में सम्पादित की जायेगी जिसें, प्रबन्धन विशेषज्ञ, मनोविश्लेषक, अपराध-विज्ञानी, पुलिस अपर महानिदेशक, (कार्मिक) और पुलिस अपर महानिदेशक, शान्ति व्यवस्था (पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा नाम निर्दिष्ट) समाविष्ट होंगे। उक्त समूह परिसंवाद में किसी पुलिस वाद अध्ययन से संबंधित कुछ समस्याएं परिचर्चा के लिये प्रस्तुत की जाएंगी और सम्पूर्ण समूह परिसंवाद नियत समय सीमा के भीतर पूर्ण किया जाएगा। समूह परिसंवाद के लिये 20 अंक होंगे और इसके अंतर्गत अभ्यर्थियों के प्रबन्धन कौशल (5 अंक) प्रस्तुतिकरण (5 अंक), अभिरूचि (5 अंक) और व्यक्तित्व (5 अंक) का मूल्यांकन किया जाएगा।

टिप्पणी-1. समूह परिसंवाद की सम्पूर्ण प्रक्रिया की वीडियो ग्राफी की जाएगी और उसकी एक काम्पैक्ट डिस्क तैयार की जाएगी।

टिप्पणी-2. चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिये अधिकारियों का नाम निर्देशन समय समय पर यथा संशोधित अधिनियम की धारा-7 के अनुसार किया जायेगा।

टिप्पणी-3. लिखित परीक्षा आयोजन की प्रक्रिया परिशिष्ट-9 में विहित की गयी प्रकार से होगी।

मूल नियम	*दि012.01.2011 से प्रतिस्थापित	**दि0 10.04.2011 से प्रतिस्थापित
(झ) चयन एवं श्रेष्ठता सूची खंड (ख) के अधीन मुख्य लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों को उसके द्वारा खंड (ज) के अधीन समूह परिसंवाद में प्राप्त किये गये अंकों में जोड़ दिया जाएगा। बोर्ड द्वारा, आरक्षण नीति दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों की उनके श्रेष्ठता क्रम में, जैसा कि मुख्य लिखित परीक्षा और समूह परिसंवाद में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के योग से प्रकट हो, एक चयन सूची तैयार की जाएगी। यदि दो अभ्यर्थी बराबर-बराबर अंक प्राप्त करते हैं तो मुख्य लिखित परीक्षा में उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को सूची में ऊपर रखा जाएगा। बोर्ड अपने वेब साइट पर चयन सूची को सभी अभ्यर्थियों के लिये तत्काल अपलोड करेगा और उसे विभागाध्यक्ष को अग्रसारित करेगा।	**(ट) चयन और श्रेष्ठता सूची-** खंड (च) के अधीन मुख्य लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों को उसके द्वारा खंड (ञ) के अधीन समूह परिसंवाद में प्राप्त किये गये अंकों में जोड़ दिया जाएगा। बोर्ड आरक्षण नीति दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों की उनके श्रेष्ठता क्रम में, जैसा कि मुख्य लिखित परीक्षा और समूह परिसंवाद में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के योग से प्रकट हो, एक चयन सूची तैयार करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं तो मुख्य लिखित परीक्षा में उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को सूची में ऊपर रखा जाएगा। बोर्ड वेब साइट पर चयन सूची को सभी अभ्यर्थियों के लिये तत्काल अपलोड करेगा। **टिप्पणी :-**यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी समान औसत अंक प्राप्त करते हैं तो एक के बाद एक निम्नलिखित विधियों से उनकी श्रेष्ठता के गतिरोध दूर किये जायेंगे :-(1) ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता दी	**(ट) अनन्तिम चयन सूची-** खंड (च) के अधीन मुख्य लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों को उसके द्वारा खंड (ञ) के अधीन समूह परिसंवाद में प्राप्त किये गये अंकों में जोड़ दिया जाएगा। मुख्य लिखित परीक्षा और समूह परिसंवाद में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर आरक्षण नीति के दृष्टिगत रखते हुये बोर्ड रिक्तियों के संबंध में प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों की अनन्तिम सूची तैयार करेगा और उसे संस्तुति सहित चिकित्सा परीक्षण और कागजातों /चरित्र सत्यापन के अध्याधीन विभागाध्यक्ष को प्रेषित करेगा। बोर्ड आरक्षण नीति दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों की उनके श्रेष्ठता क्रम में, जैसा कि मुख्य लिखित परीक्षा और समूह परिसंवाद में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के योग से प्रकट हो, एक चयन सूची तैयार करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में समान अंक प्राप्त करते हैं तो मुख्य लिखित परीक्षा में उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को श्रेष्ठता सूची में ऊपर रखा जाएगा। बोर्ड वेब साइट पर चयन सूची को सभी अभ्यर्थियों के लिये तत्काल अपलोड करेगा। **टिप्पणी :-**यदि दो या दो से अधिक

*उ0प्र0 प्रा0आ0का0अ0अधि0 (प्रथम संशोधन) नियमावली 2011, द्वारा दिनांक 12.01.2011 से प्रतिस्थापित

**उ0प्र0 प्रा0आ0का0अ0अधि0 (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2011, द्वारा दिनांक 10.04.2011 से प्रतिस्थापित

	जायेगी, जिसने मुख्य लिखित परीक्षा में उच्चतर अंक प्राप्त किये हो। (2) इसके उपरान्त भी यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक हों तो ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी, जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, या केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कम्प्यूटर अपलीकेशन में प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। एक से अधिक अधिमानी अर्हतायें पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी केवल एक अधिमानी अर्हता का लाभ प्राप्त करेगा। (3) इसके उपरान्त भी यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के समान औसत अंक हो तो ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी, जिसकी आयु अधिक हो। (4) तब भी यदि औसत अंक समान हो तो ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी, जिसका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में पहले हो।	अभ्यर्थी समान औसत अंक प्राप्त करते हैं तो एक के बाद एक निम्नलिखित विधियों से उनकी श्रेष्ठता के गतिरोध दूर किये जायेंगे :- (1) ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी, जिसने मुख्य लिखित परीक्षा में उच्चतर अंक प्राप्त किये हो। (2) यदि इसके पश्चात भी यदि दो या उससे अधिक अभ्यर्थी बराबर–बराबर कुल अंक प्राप्त करते है तो ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, अथवा राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, अथवा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कम्प्यूटर अपलीकेशन में प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। एक से अधिक अधिमानी अर्हतायें पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को एक ही अधिमानी अर्हता का लाभ दिया जायेगा। (3) इसके पश्चात भी यदि दो या उससे अधिक अभ्यर्थी बराबर–बराबर कुल अंक प्राप्त करते है तो ऐसे अभ्यर्थी को अधिमानता दी जायेगी, जिसकी आयु अधिक हो। (4) इसके पश्चात भी यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी बराबर–बराबर अंक प्राप्त करते है तो ऐसे अभ्यर्थी को अधिमानता दी जायेगी जिसका नाम अग्रेजी वर्णमाला के कम में पहले आता हो।

मूल नियम	*दि0 10.04.2011 से प्रतिस्थापित
(ठ) चिकित्सा परीक्षा मुख्य लिखित परीक्षा व समूह परिसंवाद के उपरान्त नियम-18 (ट) में चयनित अभ्यर्थियों को चिकित्सा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी। नियम 13 के अनुसार बोर्ड द्वारा चिकित्सा परीक्षण कराया जायेगा, जिसकी प्रक्रिया परिशिष्ट 10 में दिया गया है। चिकित्सा परीक्षा में अनुपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों की बोर्ड द्वारा संस्तुति नहीं की जायेगी।	**(ठ) चिकित्सा परीक्षा** खण्ड-18(ट) के अधीन मुख्य लिखित परीक्षा और समूह परिसंवाद के पश्चात अनन्तिम चयन सूची में स्थान रखने वाले अभ्यर्थियों से नियुक्ति प्राधिकारी चिकित्सा परीक्षण में सम्मिलित होने की अपेक्षा करेगा। इस नियमावली के नियम-13 के अनुसार चिकित्सा परीक्षण उत्तर प्रदेश पीएसी मुख्यालय द्वारा संचालित करायी जायेगी, जिसकी प्रक्रिया परिशिष्ट-10 में दी गयी है। यदि कोई अभ्यर्थी चिकित्सा परीक्षण में अनुपयुक्त पाया जाता है तो उसे उस कमी जिसके कारण उसे संबंधित बोर्ड द्वारा अनुपयुक्त घोषित किया गया हो, और यदि संभव हो तो उस कमी को दूर करने तथा 6 माह की अवधि के अन्तर्गत पुनः परीक्षा के लिए चिकित्सा बोर्ड के समक्ष उपस्थिति होने के संबंध में सूचित कर दिया जायेगा। यदि 6 माह के अन्तर्गत

	पुनः परीक्षा के पश्चात अभ्यर्थी अब भी चिकित्सीय रूप से अनुपयुक्त पाया जाता है तो उसका चयन निरस्त कर दिया जायेगा।
(ड) औपबन्धित चयन सूची नियम-18 (ठ) के अधीन बोर्ड द्वारा कराये गये चिकित्सा परीक्षण में उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों की औपबन्धिक सूची अभिलेख एवं चरित्र सत्यापन के साथ उपयुक्तता के अधीन श्रेणीवार तैयार कर बोर्ड द्वारा संस्तुति सहित विभागाध्यक्ष को भेजी जायेगी।	**औपबन्धित चयन सूची -** (ड) निकाल दिया जायेगा।
(ढ) चरित्र सत्यापन-नियुक्ति पत्र जारी किये जाने के पूर्व चरित्र सत्यापन पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा। अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन और उनके अपराधिक अभिलेख का सत्यापन जहाँ तक सम्भव हो, एक माह के भीतर पूर्ण कर लिया जाना चाहिए। **(एक)** चरित्र सत्यापन के लिए अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जायेगी कि वे आयु प्रमाण पत्र, शैक्षिक अर्हता प्रमाण पत्र, खेल प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय कैडेट कोर प्रमाण पत्र, होम गार्ड प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र और भूतपूर्व सैनिकों के मामले में यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। **(दो)** अभ्यर्थियों को जन्म तिथि हेतु हाई स्कूल प्रमाण पत्र, खेल हेतु जिला/राज्य या राष्ट्रीय स्तर का प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र हेतु तहसीलदार या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित फोटो और संलग्न प्रारूप पर दाहिने और बाएं हथेलियों के अंगूठे का निशान प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थियों को तहसील, विकासखण्ड, ग्राम व डाकघर का पिन कोड सहित डाक का पूर्ण पता भी प्रस्तुत करना होगा। **(तीन)** उपरोक्तानुसार चरित्र सत्यापन की सम्पूर्ण क्रिया कलाप पुलिस विभाग द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी के परिवेक्षण में नियुक्ति पत्र निर्गत करने से पूर्व सम्पादित की जायेगी। चरित्र सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा।	**(ढ) चरित्र सत्यापन-**नियुक्ति पत्र जारी किये जाने पूर्व चरित्र सत्यापन पूर्ण किया जाना अनिवाय चरित्र/कामजातों का सत्यापन साधारणतया एक माह के भीतर पूर्ण कर लिया जाएगा अभ्यर्थीगण यदि चिकित्सा परीक्षण में अनुपयुक्त पाये जायें अथवा उनके कामजातों/चरित्र सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में लाया जाय तो उन्हें नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित कर दिया जायेंगा और ऐसी रिक्तियाँ अग्रतर चयन के लिए अग्रेनीत कर दी जायेंगी। (क) चरित्र सत्यापन के समय अभ्यर्थियों से आयु प्रमाण पत्र, शैक्षिक पात्रता प्रमाण पत्र, खेल प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय कैडेट कोर प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र और भूतपूर्व सैनिकों के मामले में यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण पत्र और सभी अन्य सम्बन्धित प्रमाण-पत्र,जिनके सम्बन्ध में उसने क्षैतिज अथवा उर्ध्वाधर आरक्षण का लाभ प्रापत करने का दावा किया है,नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित करने की और उनकी प्रमाणित प्रतियों प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेंगी। (ख) अभ्यर्थियों को जन्म तिथि हेतु हाई स्कूल प्रमाण पत्र. खेलों हेतु जिला/राज्य/राष्ट्रीय स्तर का प्रमाण पत्र और जति/अधिवास हेतु तहसीलदार या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा 1 अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित फोटोग्राफ प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित फोटोग्राफ प्रस्तुत करना होगा और आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रारूप पर दाहिने और बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लगाना होगा। अभ्यर्थियों को तहसील, विकासखण्ड ग्राम व डाकघर का पिन कोड सहित डाक का पूर्ण पता प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी। (ग)नियुक्ति प्राधिकारी इस अनुदेश के साथ नियुक्ति पत्र जारी करेगा कि चयनित अभ्यर्थी एक माह के अन्दर अपनी सेवा/प्रशिक्षण में योगदान देगें , यदि कोई अभ्यर्थी अनुदेश के अनुसार सेवा/प्रशिक्षण में सम्मिलित होने में विफल रहता है तो उसका चयन निरस्त किया गया समझाा जायेगा परन्तु यह कि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व कोई व्यक्ति सेवा में किसी पर नियुक्त हुआ हो और वह उस पद पर कार्य कर रहा हो तो उसे इस नियमावली के अधीन इस पद पर नियुक्त

	किया गया समझाा जायेगा तथा ऐसी मौलिक नियुक्ति को इस निमयावली के अधीन की गयी समझी जायेगी।

नियम 19 विभागीय परीक्षा के आधार पर उप निरीक्षक, सशस्त्र पुलिस/प्लाटून कमाण्डर के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया – विभागीय परीक्षा के आधार पर उपनिरीक्षक, सशस्त्र पुलिस/प्लाटून कमांडर के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती के प्रयोजनार्थ बोर्ड निम्नलिखित रीति में एक लिखित परीक्षा का खण्ड आयोजन करेगा –

<table>
<tr><th>मूल नियम</th><th>*दि0 06.06.2013 से प्रतिस्थापित</th><th>**दि0 04.03.2014 से प्रतिस्थापित</th></tr>
<tr>
<td>19. (क) लिखित परीक्षा
(एक) पात्र अभ्यर्थियों से एक लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी जिसके लिये 300 अंक होंगे। लिखित परीक्षा में सम्मिलित विषयों का विवरण तथा प्रत्येक विषय
के लिये आबंटित अंक निम्नवत् हैं -
<table>
<tr><th>विषय</th><th>अधिकतम अंक</th></tr>
<tr><td>1-हिन्दी निबंध (कानून व्यवस्था, वाद अध्ययन तथा पुलिस कार्यप्रणाली पर आधारित)</td><td>100 अंक</td></tr>
<tr><td>2-मूल विधि, संविधान (भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, साक्ष्य अधिनियम तथा पुलिस मैनुअल इत्यादि।)</td><td>100 अंक वस्तुनिष्ठ प्रकार</td></tr>
<tr><td>3-आंकिक एवं मानसिक योग्यता</td><td>50 अंक वस्तुनिष्ठ प्रकार</td></tr>
<tr><td>4-मानसिक अभिरूचि परीक्षा/ बुद्धिलब्धि/तार्किक योग्यता परीक्षा</td><td>50 अंक वस्तुनिष्ठ प्रकार</td></tr>
</table>
</td>
<td>19. उपनिरीक्षक, सशस्त्र पुलिस के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया :-
(क) ज्येष्ठता के आधार पर चयन
(एक) नियम 5 के खण्ड (ग) के उप खण्ड (दो) में यथाउल्लिखित पदोन्नति के माध्यम से बोर्ड द्वारा भर्ती के लिए तात्पर्यित रिक्तियां अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए अर्हकारी प्रकृति की शारीरिक दक्षता परीक्षण सहित ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति की संस्तुति चयन समिति के विवरण का उल्लेख परिशिष्ट-6 में और शारीरिक दक्षता परीक्षण के वितरण का उल्लेख परिशिष्ट-(दो) में किया गया है।
(दो) प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी के महानिदेशक/अपर महानिदेशक चयन समिति द्वारा प्रस्तुत की गयी सूची अनुमोदित करेगा और उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस के पद पर पदोन्नत के लिए अन्तिम आदेशों को जारी करने के लिए अधिकारी/अधिकारियों को नाम निर्दिष्ट करेगा।
(ख) विभागीय परीक्षा के आधार पर चयन-
(एक) नियम 5 के खण्ड (ग) के उपखण्ड (तीन) में</td>
<td>19. उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया :-
ज्येष्ठता के आधार पर चयन- (एक) नियम-5 के खण्ड (ग) के उप खण्ड (दो) में यथाउल्लिखित पदोन्नति के माध्यम से बोर्ड द्वारा भर्ती के लिए तात्पर्यित रिक्तियां अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए अर्हकारी प्रकृति के शारीरिक दक्षता परीक्षण सहित ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति की संस्तुति के आधार पर भरी जायेगी। चयन समिति के विवरण
का उल्लेख परिशिष्ट-6 में और शारीरिक दक्षता परीक्षण के विवरण का उल्लेख परिशिष्ट (2) में किया गया है। (दो) प्रादेशक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी के महानिदेशक/अपर महानिदेशक चयन समिति द्वारा प्रस्तुत की गयी सूची अनुमोदित करेगा और उपनिरीक्षक सशस्त्र
पुलिस के पद पर पदोन्नति के लिए अन्तिम आदेश को जारी करने के लिए अधिकारी/ अधिकारियों को नाम निर्दिष्ट
करेगा।
टिप्पणी-पदोन्नत अभ्यर्थियों की यथाअनुमोदित अन्तिम सूची बोर्ड और उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइड पर प्रदर्शित की जायेगी।</td>
</tr>
</table>

*उ0प्र0 प्रा0आ0का0अ0अधि0 (तृतीय संसोधन) नियमावली 2013, द्वारा दिनांक 06.06.2013 से प्रतिस्थापित

**उ0प्र0 प्रा0आ0का0अ0अधि0 (चतुर्थ संसोधन) नियमावली 2014, द्वारा दिनांक 04.03.2014 से प्रतिस्थापित

	यथाउल्लिखित पदोन्नति लिखित परीक्षा के प्राप्त अंकों एवं सेवा अभिलेखों के अनुसार प्राप्त सम्पूर्ण अंकों के आधार पर की जायेगी। प्रक्रिया का ब्यौरा परिशिष्ट-11 में उल्लिखित है। (दो) प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी के महानिदेशक/अपर महानिदेशक चयन समिति द्वारा संस्तुति की गयी सूची अनुमोदित करेगा और उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस के पद पदोन्नति के लिए अन्तिम आदेशों को जारी करने के लिए अधिकारी/अधिकारियों को नाम निर्दिष्ट करेगा। टिप्पणी-खण्ड (क) और (ख) द्वारा पदोन्नत अभ्यर्थियों की यथा अनुमोदित अंतिम सूची बोर्ड और उत्तर प्रदेश पुलिस की वेब साइट पर प्रदर्शित की जायेगी।	

टिप्पणी-1. प्रश्न पत्रों को उपनिरीक्षक, सशस्त्र पुलिस/प्लाटून कमांडर के कार्य-वृत्त (जाब प्रोफाइल) को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाएगा।

टिप्पणी-2. जो अभ्यर्थी प्रत्येक विषय में न्यूनतम पचास प्रतिशत अंक प्राप्त करने में विफल रहते हैं पदोन्नति के लिये पात्र न होंगे।

(दो) चयन समिति नियम 6 में निर्दिष्ट आरक्षण के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए सफल अभ्यर्थियों की उनके द्वारा उपखंड (1) के अधीन लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर एक सूची तैयार करेगी।

(ख) **शारीरिक दक्षता परीक्षा** खंड (क) के उपखंड (2) के अधीन चयनित अभ्यर्थियों से अर्हकारी प्रकृति की शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। पुरूष अभ्यर्थियों से 75 मिनट में 10 किलो मीटर की दौड़ पूरा करने तथा महिला अभ्यर्थियों से 45 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ पूरा करने की अपेक्षा की जायेगी।

(ग) **सेवा अभिलेख**

खंड (क) के उपखंड (दो) के अधीन चयनित प्रत्येक अभ्यर्थी को सेवा अभिलेखों के आधार पर अंक प्रदान किये जाएंगे। सेवा की कालावधि के लिये अधिकतम 20 अंक होंगे। (प्रत्येक वर्ष के लिये 01 अंक) स्नातक एवं ऊपर की उपाधि की शैक्षिक अर्हता के लिये 10 अंक, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिये 40 अंक जिसमें से 30 अंकों के अधिकतम के अधीन रहते हुए प्रत्येक मौलिक प्रशिक्षण के लिये 10 अंक तथा 10 अंकों के अधिकतम के अधीन रहते हुए प्रत्येक गैर मौलिक प्रशिक्षण के लिये 02 अंक और वार्षिक प्रविष्टि के लिये 30 अंक होंगे। इस प्रकार यथोक्त रूप से अधिकतम 100 अंक होंगे। पुलिस संगठन का प्रशिक्षण निदेशालय इस शर्त के अधीन रहते हुए कि कोई प्रशिक्षण जिसकी अवधि एक माह से

कम होगी मौलिक प्रशिक्षण के रूप में अधिसूचित नहीं की जाएगी, किसी भी प्रशिक्षण को मौलिक प्रशिक्षण और गैर मौलिक प्रशिक्षण के रूप में अधिसूचित करने के लिये प्राधिकृत है। प्रत्येक बृहद दंड के लिये 05 अंक, प्रत्येक लघु दंड के लिये 03 अंक और प्रत्येक सूक्ष्म दंड के लिये 01 अंक काट लिया जाएगा। सेवा अभिलेखों का परीक्षण इस दृष्टिकोण से भी किया जाएगा कि क्या अभ्यर्थी को कोई ऐसा भी दंड दिया गया है जो उसे पदोन्नति के लिये अनुपयुक्त ठहराता हो। कोई अभ्यर्थी जिसकी सत्यनिष्ठा गत पांच वर्षों में एक बार भी रोकी गई हो पदोन्नति के लिये पात्र न होगा।

(घ) खंड (क) (ग) के अधीन प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों की सूची-

खंड (क) उपखंड (दो) के अधीन प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंक उसके द्वारा खंड (ग) के अधीन प्राप्त किये गए अंकों में जोड़ दिये जाएंगे। इस प्रकार प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर चयन समिति अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगी।

(ङ) समूह परिसंवाद - खंड (घ) के अधीन चयनित अभ्यर्थियों से समूह परिसंवाद में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। इस प्रयोजनार्थ दस अभ्यर्थियों का प्रत्येक पृथक समूह बनाया जाएगा। समूह परिसंवाद की प्रक्रिया एक पैनल के अधीन बोर्ड के अध्यक्ष या उसके नामिती की उपस्थिति में संपादित की जाएगी जिसमें, प्रबंधन विशेषज्ञ मनोविश्लेषक, अपराध-विज्ञानी, पुलिस अपर महानिदेशक, (कार्मिक) और पुलिस अपरा महानिदेशक, शांति व्यवस्था (पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा नामनिर्दिष्ट) समाविष्ट होंगे। उक्त समूह परिसंवाद में किसी पुलिस वाद अध्ययन से संबंधित कुछ समस्याएं परिचर्चा के लिये प्रस्तुत की जाएगी और सम्पूर्ण समूह परिसंवाद नियत समय सीमा के भीतर पूर्ण किया जाएगा। समूह परिसंवाद के लिये 20 अंक होंगे और इसके अंतर्गत अभ्यर्थियों के प्रबंधन कौशल (5 अंक), प्रस्तुतिकरण (5 अंक) अभिरूचि (5 अंक) और व्यक्तित्व (5 अंक) का मूल्यांकन किया जायेगा।

टिप्पणी 1. समूह परिसंवाद की सम्पूर्ण प्रक्रिया की वीडियो ग्राफी की जायेगी और उसकी एक कम्पैक्ट डिस्क तैयार की जाएगी।

टिप्पणी 2. चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिये अधिकारियों का नाम-निर्देशन समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियम की धारा-7 में अनुसार किया जाएगा।

चयन एवं श्रेष्ठता सूची नियम-20-

मूल नियम	*दि0 06.06.2013 से प्रतिस्थापित
बोर्ड नियम 6 में निर्दिष्ट आरक्षण प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों की उनके श्रेष्ठता क्रम में जैसा कि उनके द्वारा नियम-19 के खंड (घ) एवं (ङ) के अधीन प्राप्त अंकों के कुल योग से प्रकट हो, एक अंतिम चयन सूची तैयार करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो नियम 19 के खंड (ग) के अधीन उच्चतर अंक पाने वाले अभ्यर्थी को सूची में ऊपर रखा जाएगा। चयन समिति द्वारा सूची बोर्ड को अग्रसारित की जायेगी जो उसे विभागाध्यक्ष को अग्रसारित करेगा।	20 निकाल दिया गया है।

रिजर्व उप निरीक्षक/रिजर्व निरीक्षक की भर्ती की प्रक्रिया - 21. (1) रिजर्व उपनिरीक्षक के पद पर विभागीय परीक्षा के आधार पर पदोन्नति द्वारा भर्ती के प्रयोजनार्थ बोर्ड निम्नलिखित रीति में एक लिखित परीक्षा का आयोजन करेगा, शत-प्रतिशत रिक्तियां पदोन्नति के माध्यम से भरी जाएंगी।

मूल नियम	*दि012.01.2011 से प्रतिस्थापित	** दि0 06.06.2013 से प्रतिस्थापित

(1) रिजर्व उपनिरीक्षक के पद पर विभागीय परीक्षा के आधार पर पदोन्नति द्वारा भर्ती के प्रयोजनार्थ बोर्ड निम्नलिखित रीति में एक लिखित परीक्षा का आयोजन करेगा, शत प्रतिशत रिक्तियां पदोन्नति के माध्यम से भरी जाएगी।	(1) रिजर्व उपनिरीक्षक के पद पर विभागीय परीक्षा के आधार पर चयन के प्रयोजनार्थ बोर्ड निम्नलिखित रीति से एक लिखित परीक्षा का संचालन करेगा।	**21 निकाल दिया गया है।**

(2) पात्र अभ्यर्थियों से एक लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी, जिसके लिये 300 अंक होंगे। लिखित परीक्षा में शामिल विषयों का विवरण तथा प्रत्येक विषय हेतु आवंटित अंक निम्नवत हैं।

क्रम संख्या	विषय	अधिकतम अंक
1.	हिन्दी निबंध (कानून व्यवस्था, वाद अध्ययनतथा पुलिस कार्यप्रणाली पर आधारित)	100 अंक
2.	मूल विधि, संविधान (भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, साक्ष्य अधिनियम तथापुलिस मैनुअल इत्यादि।)	100 अंक वस्तुनिष्ठ प्रकार
3.	आंकिक एवं मानसिक योग्यता	50 अंक वस्तुनिष्ठ प्रकार
4.	मानसिक अभिरूचि परीक्षा/ बुद्धिलब्धि/तार्किक योग्यता परीक्षा	50 अंक वस्तुनिष्ठ प्रकार

टिप्पणी-1. प्रश्न पत्र स्नातक स्तर का होगा।

टिप्पणी-2. प्रत्येक विषय में न्यूनतम पचास प्रतिशत अंक प्राप्त करने में विफल अभ्यर्थी पदोन्नति हेतु पात्र नहीं होंगे।

टिप्पणी-3. लिखित परीक्षा के आयोजन की प्रक्रिया परिशिष्ट-9 में विहित प्रकार से होगी।

(3) चयन समिति नियम-6 में निर्दिष्ट आरक्षण के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, उपनियम (2) के अधीन लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर सफल अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगी।

(4) <u>सेवा अभिलेख</u>

खंड (क) के उपखंड (दो) के अधीन चयनित प्रत्येक अभ्यर्थी को सेवा अभिलेखों के आधार पर अंक प्रदान किये जाएंगे। सेवा की कालावधि के लिये अधिकतम 20 अंक होंगे। (प्रत्येक वर्ष के लिये 01 अंक), स्नातक एवं ऊपर की उपाधि की शैक्षिक अर्हता के लिये 10 अंक, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिये 40 अंक जिसमें से 30 अंकों के अधिकतम के अधीन रहते हुए प्रत्येक मौलिक प्रशिक्षण के लिये 10 अंक तथा 10 अंकों के अधिकतम के अधीन रहते हुए प्रत्येक गैर मौलिक प्रशिक्षण के लिये 02 अंक और वार्षिक प्रविष्टि के लिये 30 अंक होंगे। इस प्रकार यथोक्त रूप से अधिकतम 100 अंक होंगे। पुलिस संगठन का प्रशिक्षण निदेशालय, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि कोई प्रशिक्षण जिसकी अवधि एक माह से कम होगी मौलिक प्रशिक्षण के रूप में अधिसूचित नहीं की जाएगी, किसी भी प्रशिक्षण को मौलिक प्रशिक्षण और गैर मौलिक प्रशिक्षण के रूप में अधिसूचित करने के लिये प्राधिकृत है। प्रत्येक बृहद दंड के लिये 05 अंक प्रत्येक लघु दंड के लिये 03 अंक और प्रत्येक सूक्ष्म दंड के लिये 01 अंक काट लिया जाएगा। सेवा अभिलेखों का परीक्षण इस दृष्टिकोण से भी किया जाएगा कि क्या अभ्यर्थी को कोई ऐसा भी दंड दिया गया है जो उसे पदोन्नति के लिये अनुपयुक्त ठहराता हो। कोई अभ्यर्थी जिसकी सत्यनिष्ठ गत पांच वर्षों में एक बार भी रोकी गई हो पदोन्नति के लिये पात्र न होगा।

(5) उप नियम (3) के अधीन प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंक उसके द्वारा उप नियम-(4) के अधीन प्राप्त किये अंकों में जोड़ दिये जायेंगे। इस प्रकार प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर चयन समिति अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगी।

***उ0प्र0 प्रा0आ0का0अ0अधि0 (प्रथम संसोधन) नियमावली 2011, द्वारा दिनांक 12.01.2011 से प्रतिस्थापित**

****उ0प्र0 प्रा0आ0का0अ0अधि0 (तृतीय संसोधन) नियमावली 2013, द्वारा दिनांक 06.06.2013 से प्रतिस्थापित**

(6) <u>समूह परिसंवाद</u>

खंड (घ) के अधीन चयनित अभ्यर्थियों से समूह परिसंवाद में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। इस प्रयोजनार्थ दस अभ्यर्थियों का प्रत्येक पृथक समूह बनाया जाएगा। समूह परिसंवाद की प्रक्रिया एक पैनल के अधीन बोर्ड के अध्यक्ष या उसके नामिती की उपस्थिति में संपादित की जाएगी जिसमें, प्रबंधन विशेषज्ञ मनोविश्लेषक अपराध-विज्ञानी, पुलिस अपर महानिदेशक (कार्मिक) और पुलिस अपर महानिदेशक, शांति व्यवस्था (पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा नामनिर्दिष्ट) समाविष्ट होंगे। उक्त समूह परिसंवाद में किसी पुलिस वाद अध्ययन से संबंधित कुछ समस्याएं परिचर्चा के लिये प्रस्तुत की जाएंगी और सम्पूर्ण समूह परिसंवाद नियत समय सीमा के भीतर पूर्ण किया जाएगा। समूह परिसंवाद के लिये 20 अंक होंगे और इसके अंतर्गत अभ्यर्थियों के प्रबंधन कौशल (5 अंक) प्रस्तुतिकरण (5 अंक) अभिरूचि (5 अंक) और व्यक्तित्व (5 अंक) का मूल्यांकन किया जायेगा।

टिप्पणी-1. समूह परिसंवाद की सम्पूर्ण प्रक्रिया की वीडियो ग्राफी की जायेगी और उसकी एक कम्पैक्ट डिस्क तैयार की जाएगी।

टिप्पणी-2. चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिये अधिकारियों का नाम निर्देशन समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियम की धारा-7 के अनुसार किया जाएगा।

(7) <u>अंतिम चयन सूची</u>-

मूल नियम	*दि0 12.01.2011 से प्रतिस्थापित
(7) चयन समिति नियम 6 में निर्दिष्ट आरक्षण के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों की उनके श्रेष्ठता क्रम में, जैसा कि उपनियम (6) और उपनियम (5) के अधीन उनके द्वारा प्राप्त अंकों के योग से प्रकट हों, एक अंतिम चयन सूची तैयार करेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर बराबर अंक प्राप्त करें तो उपनियम (5) के अधीन उच्चतर अंक पाने वाले अभ्यर्थी को सूची में ऊपर रखा जाएगा। चयन समिति द्वारा सूची बोर्ड को अग्रसारित की जायेगी जो उसे विभागाध्यक्ष को अग्रसारित करेगा। विभागाध्यक्ष अपेक्षित संख्या में नामों की संबंधित नियुक्ति करेगा अधिकारियों को अग्रसारित करेगा। सभी अभ्यर्थियों के अंकों के साथ अंतिम चयन सूची को बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा	(7) चयन समिति नियम 6 में निर्दिष्ट की आरक्षण के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों की उनके श्रेष्ठता क्रम में,जैसा कि उपनियम (6) और उपनियम (5) के अधीन उनके द्वारा प्राप्त अंकों के योग से प्रकट हों, एक अंतिम चयन सूची तैयार करेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करें तो उपनियम (5) के अधीन उच्चतर अंक पाने वाले अभ्यर्थी को सूची में ऊपर रखा जाएगा। चयन समिति सूची बोर्ड को अग्रसारित करेगी जो उसे विभागाध्यक्ष को अग्रसारित विभागाध्यक्ष द्वारा विहित प्रशिक्षण के पश्चात रिजर्व उप निरीक्षक के व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु तैनाती करेगा। सभी अभ्यर्थियों के अंकों के साथ अंतिम चयन सूची को बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जायेगा।

रिजर्व निरीक्षक के भर्ती का प्रक्रिया-22

मूल नियम	*दि0 06.06.2013 से प्रतिस्थापित
रिजर्व निरीक्षक के भर्ती की प्रक्रिया -विहित प्रायोगिक प्रशिक्षण पूर्ण कर लेने पर विभिन्न जिलों/इकाइयों में तैनात रिजर्व उपनिरीक्षकों को, समय-समय पर सरकार द्वारा जारी आरक्षण नीति से सम्बन्धित प्रावधानों तथा अनुदेशों को ध्यान में रखते	**इन्स्पेक्टर सशस्त्र पुलिस के पद हेतु पदोन्नति की प्रक्रिया-** (1) **रिक्तियों की गणना** पदोन्नति के माध्यम से भर्ती के वर्ष में इन्स्पेक्टर सशस्त्र पुलिस के पद के लिए रिक्तियों की संख्या की गणना नियम-5 के उप खण्ड (घ) में दी गयी परिभाषा के अनुसार की जायेगी।

हुए इस नियम के अधीन तैयार की गई ज्येष्ठता सूची के अनुसार, रिक्तियों के प्रति रिजर्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति दी जाएगी। इस प्रकार पदोन्नत किए गए रिजर्व निरीक्षकों को सरकार द्वारा अधिकथित नीति के अनुसार प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबुलेरी तथा पुलिस विभाग की विभिन्न इकाइयों में तैनात किया जाएगा।	(2) **ज्येष्ठता के आधार पदोन्नति** (एक) बोर्ड द्वारा भर्ती के लिए को तात्पर्यित रिक्तियां अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति की संस्तुति के आधार पर भरी जायेगी। चयन समिति के विवरण का उल्लेख परिशिष्ट-6 में किया गया है। (दो) प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी के महानिदेशक/अपर महानिदेशक चयन समिति द्वारा प्रस्तुत की गयी सूची अनुमोदित करेगा और इन्स्पेक्टर सशस्त्र पुलिस के पद पर पदोन्नति के लिए अन्तिम आदेशों को जारी करने के लिए अधिकारी/अधिकारियों को नाम निर्दिष्ट करेगा।

भाग-छः

प्रशिक्षण, नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण, और ज्येष्ठता

आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबुलरी और मुख्य आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबुलरी के लिए

नियुक्ति .23-

मूल नियम	*दि0 12.01.2011 से प्रतिस्थापित
नियुक्तियां, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और विशेष वर्गों की अन्य श्रेणियों आरक्षण से सम्बन्धित नियमों और शासनादेशों का सर्वथा अनुसरण करते हुए श्रेष्ठता सूची के अनुसार की जाएगी। चरित्र और प्रमाणपत्रों का सत्यापन एक माह में पूर्ण कर लिया जाएगा। इसके पश्चात बोर्ड चयनित अभ्यर्थियों की सूची सम्बन्धित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक का नियुक्ति पत्र जारी करने के लिए उपलब्ध करायेगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक इस अनुदेश के साथ नियुक्ति पत्र जारी करेगा कि चयनित अभ्यर्थी एक माह के भीतर अपनी ड्यूटी/प्रशिक्षण हेतु योगदान देंगे जिसमें विफल होने पर चयन सूची के अन्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान कर दी जायेगी। परन्तु सेवा के अधीन किसी पद पर इस नियमावली के प्रारंभ के पूर्व नियुक्त और उस पद पर कार्यरत कोई व्यक्ति इस नियमावली के अधीन उस पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किया गया समझा जायेगा और ऐसी मौलिक नियुक्ति इस नियमावली के अधीन की गयी समझी जायेगी।	नियुक्तियां, अनुसूचित जातियों के अनुसूचित जनजातियों और विशेष वर्गों की अन्य श्रेणियों के आरक्षण से सम्बन्धित शासनादेशों का सर्वथा अनुसरण करते हुए नियम-15(ट) के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा प्रेषित औपबन्धिक चयन सूची के अनुसार अभिलेख एवं चरित्र सत्यापन के अधीन की जायेगी। अभ्यर्थी के तथ्य प्रतिकूल ज्ञात होने पर नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थी की अनुपयुक्तता के सम्बन्ध में नियमानुसार समुचित विनिश्चय करेंगे। नियुक्ति प्राधिकारी इस अनुदेश के साथ नियुक्ति पत्र जारी करेगा कि चयनित अभ्यर्थी एक माह के भीतर अपनी ड्यूटी/प्रशिक्षण हेतु योगदान देंगे विफल होने पर उनका चयन निरस्त समझा जायेगा एवं चयन सूची के अन्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान कर दी जायेगी। परन्तु सेवा में किसी पद पर इस नियमावली के प्रारंभ के पूर्व नियुक्त और उस पद पर कार्यरत कोई व्यक्ति इस नियमावली के अधीन उस पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किया गया समझा जायेगा और ऐसी मौलिक नियुक्ति इस नियमावली के अधीन की गयी समझी जायेगी।

*दि0 10.04.2011 से प्रतिस्थापित	**दि0 06.06.2013 से प्रतिस्थापित
नियुक्तियॉ वर्तमान क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर आरक्षण नियमावली के अनुसार तैयार की गयी और नियम-15 (झ) के माध्यम से बोर्ड द्वारा प्रस्तुत ऐसी चयन सूची के आधार पर की जायेगी, जो चिकित्सा परीक्षा और में दस्तावेज/प्रमाण सत्यापन में स्पष्टता के अध्यधीन होंगी। यदि किसी	नियुक्तियाँ, वर्तमान क्षैतिज और उर्ध्वाधर आरक्षण नियमावली के अनुसार तैयार की गयी और नियम-15 के माध्यम से बोर्ड द्वारा प्रस्तुत चयन सूची के आधार पर की जायेगी।

***उ0प्र0 प्रा0आ0का0अ0अधि0 (प्रथम संसोधन) नियमावली 2011, द्वारा दिनांक 12.01.2011 से प्रतिस्थापित**

****उ0प्र0 प्रा0आ0का0अ0अधि0 (तृतीय संसोधन) नियमावली 2011, द्वारा दिनांक 06.06.2013 से प्रतिस्थापित**

अभ्यर्थी के दस्तावेज/चरित्र सत्यापन के दौरान कोई प्रतिकूल तथ्य जानकारी में आता है तो अपात्रता के मामले का विनिश्चय नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा। (क) नियुक्ति के पूर्व, अभ्यर्थी से यथा स्थिति अपेक्षित आयु प्रमाण पत्र, शैक्षिक अर्हता प्रमाण पत्र खेल प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय कैडेट कोर प्रमाण पत्र, प्रादेशिक सेना, कम्प्यूटर एप्लीकेशन प्रमाण पत्र, होमगार्ड सेवा के सबूत का प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक/यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण पत्र, उर्ध्वाधर आरक्षण के मामले में जाति प्रमाण पत्र और क्षैतिज आरक्षण में अधिवास प्रमाण पत्र नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने की उपेक्षा की जायेगी। (ख) अभ्यर्थियों से जन्मतिथि के लिए हाईस्कूल परीक्षा प्रमाण पत्र, जिला/राज्य / राष्ट्रीय स्तर का खेल प्रमाण पत्र, उर्ध्वाधर या क्षैतिज आरक्षण के मामले में जिला मजिस्ट्रेट या तहसील द्वारा जारी किया गया निवास एवं श्रेणी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है। अभ्यर्थियों को राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित समस्त प्रमाण पत्रों की फोटो प्रति प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रारूप पर दायें और बायें हाथ के अंगूठे का निशान लगाना होगा। अभ्यर्थियों को अलग-अलग स्थाई पता और पत्राचार पता, प्रत्येक के साथ पिन कोड सहित, डाकघर, विकास खण्ड, तहसील और ग्राम का पूर्ण पता भी प्रस्तुत करना होगा। (ग) नियुक्ति प्राधिकारी इस अनुदेश के साथ नियुक्ति पत्र जारी करेगा कि चयनित अभ्यर्थी एक माह के अन्दर अपनी सेवा/प्रशिक्षण में योगदान देंगे, यदि कोई अभ्यर्थी अनुदेश के अनुसार सेवा/प्रशिक्षण में सम्मिलित होने विफल रहता है तो उसका चयन निरस्त किया गया समझा जायेगा। परन्तु यह कि इस नियमावली के प्रारंभ होने के पूर्व कोई व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्त हुआ हो और वह उस पद पर कार्य कर रहा हो तो उसे इस नियमावली के अधीन इस पद पर नियुक्त किया गया समझा जायेगा तथा ऐसी मौलिक नियुक्ति को इस नियमावली के अधीन की गयी समझी जायेगी।	(1) यदि किसी अभ्यर्थी के दस्तावेज/चरित्र सत्यापन के दौरान कोई प्रतिकूल तथ्य जानकारी में आता है तो अपात्रता के मामले का विनिश्चय नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा। (2) नियुक्ति के पूर्व, अभ्यर्थी से यथा स्थिति अपेक्षित आयु प्रमाण पत्र,शैक्षिक अर्हता प्रमाण पत्र, खेल प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय कैडेट कोर प्रमाण पत्र, प्रादेशिक सेना प्रमाण पत्र, कम्प्यूटर एप्लीकेशन प्रमाण पत्र, होमगार्डस सेवा के सबूत का प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक/यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण पत्र, उर्ध्वाधर आरक्षण के मामले में जाति प्रमाण पत्र और क्षैतिज आरक्षण में अधिवास प्रमाण पत्र नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी। (3) अभ्यर्थियों से जन्मतिथि के लिए हाईस्कूल परीक्षा प्रमाण पत्र, जिला/राज्य/राष्ट्रीय स्तर का खेल प्रमाण पत्र, उर्ध्वाधर या क्षैतिज आरक्षण के मामले में जिला मजिस्ट्रेट या तहसील द्वारा जारी किया गया निवास एवं श्रेणी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है। अभ्यर्थियों को राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित समस्त प्रमाण पत्रों की फोटो प्रति प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रारूप पर दांये और बांये हाथ के अंगूठे का निशान लगाना होगा। अभ्यर्थियों को अलग-अलग स्थाई पता और पत्राचार पता, प्रत्येक के साथ पिनकोड सहित, डाकघर, विकास खण्ड, तहसील और ग्राम का पूर्ण पता भी प्रस्तुत करना होगा। (4) नियुक्ति प्राधिकारी इस अनुदेश के साथ नियुक्ति पत्र जारी करेगा चयनित अभ्यर्थी एक माह की अन्दर अपनी सेवा/प्रशिक्षण में योगदान देंगे, यदि कोई अभ्यर्थी अनुदेश के अनुसार सेवा/प्रशिक्षण में सम्मिलित होने में विफल रहता है तो उसका चयन निरस्त किया गया समझा जायेगा। परन्तु यह कि इस नियमावली के प्रारंभ होने के पूर्व कोई व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्त हुआ हो और वह उस पद पर कार्य कर रहा हो तो उसे इस नियमावली के अधीन इस पद पर नियुक्त किया गया समझा जायेगा तथा ऐसी मौलिक नियुक्ति को इस नियमावली के अधीन की गयी समझी जायेगी।

प्रशिक्षण 24. परिवीक्षा अवधि के दौरान परिवीक्षाधीन व्यक्ति से ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करने की अपेक्षा की जाएगी जैसा कि राज्य सरकार या विभागाध्यक्ष द्वारा विहित किया जाय।

परिवीक्षा 25.

(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाएगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जाएंगे अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है। जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाएगा जब तक अवधि बढ़ाई जाय :

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है, या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है, तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायें किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

स्थायीकरण 26.

(1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि—

(क) उसने सफलतापूर्वक विहित प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो;

(ख) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय;

(ग) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय।

(2) जहां उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है वहां उस नियमावली के नियम-5 के उपनियम-(3) के अधीन यह घोषणा करते हुए आदेश कि सम्बंधित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

ज्येष्ठता **27.** किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

वेतनमान 28. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान निम्नानुसार दिए गए हैं :-

पद का नाम	वेतनमान
आरक्षी पी.ए.सी.	रु0 3050-75-3950-80-4590
मुख्य आरक्षी पी.ए.सी.	रु0 3200-85-4900

परिवीक्षा अवधि में वेतन 29. (1) फन्डामेन्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया हो और प्रशिक्षण जहां विहित हो पूरा कर लिया हो, और द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी कर दिया गया हो;

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें।

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन, सुसंगत फण्डामेंटल रूल्स द्वारा विनियमित होगा :

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें।

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

उप निरीक्षक, सशस्त्र पुलिस/प्लाटून कमांडर प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबुलरी

प्रशिक्षण- 30- (1). उप निरीक्षक या प्लाटून कमाण्डर के पद पर नियम 18 के अधीन नियुक्ति के लिये अंततः चयनित अभ्यर्थियों से ऐसे प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने की अपेक्षा की जायेगी जैसा कि समय–समय पर पुलिस मुख्यालय द्वारा उनकी नियुक्ति के पूर्व विहित किया जाय। विहित प्रशिक्षण विभागाध्यक्ष द्वारा आयोजित किया जायेगा। प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक समापन के पश्चात विभागाध्यक्ष संबंधित नियुक्ति प्राधिकारियों को अपेक्षित संख्या में नामों को अग्रसारित करेगा।

(2) उप निरीक्षक या प्लाटून कमाण्डर के पद पर नियम–18 के अधीन अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों से उनकी नियुक्ति के पश्चात पुलिस–विवेचना के आधुनिक पहलुओं के संबंध में एक पाठयक्रम पूरा करने की अपेक्षा की जायेगी।

नियम 31 - (1). उप नियम (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुये या नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों केनाम उस क्रम में लेकर जैसा कि नियम 18 के अधीन तैयार की गयी सूची में हो, नियुक्तियां करेगा।

मूल नियम	*दि0 10.04.2011 से प्रतिस्थापित	**दि0 06.06.2013 से प्रतिस्थापित
(2) यदि किसी एक चयन के संबंध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायं तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जाएगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख ज्येष्ठता क्रम में जैसा कि, यथा स्थिति, चयन में अवधारित किया गया हो या जैसा उस संवर्ग में हो, जिससे उन्हें पदोन्नति किया गया है। यदि नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जायं तो नामों को नियम 21 में निर्दिष्ट क्रम के अनुसार रखा जाएगा।	(2) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जाये तो, एक सम्मिलित आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें यथा स्थिति चयन में यथा अवधारित या जैसा कि उस संवर्ग में हो, जिस संवर्ग से उन्हें पदोन्नत किया गया हो, ज्येष्ठता क्रम में व्यक्तियों के नामों का उल्लेख होगा परन्तु इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व सेवा में किसी पद पर नियुक्त और उक्त पद पर कार्यरत किसी व्यक्ति को इस निमयावली के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त किया गया समझ जायेगा और ऐसी मौलिक नियुक्ति को इस नियमावली के अधीन की गयी नियुक्ति समझी जायेगी।	(1) नियम 30 के उपबंधों के अधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थियों के नाम उस क्रम में लेकर जैसा कि नियम 15 और 18 के अधीन तैयार की गई सूची में हो, नियुक्ति करेगा। (2) यदि किसी एक चयन के संबंध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जाये तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जाएगा, जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख ज्येष्ठता क्रम में जैसा की यथास्थिति, चयन में अवधारित किया गया है या जैसा उस संवर्ग में हो जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया है : परन्तु यह कि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व कोई व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्त हुआ हो और वह उस पद पर कार्य कर रहा हो तो, उसे इस नियमावली के अधीन नियुक्त किया समझा जायेगा तथा ऐसी

***उ0प्र0 प्रा0आ0का0अ0अधि0 (द्वितीय संसोधन) नियमावली 2011, द्वारा दिनांक 10.04.2011 से प्रतिस्थापित**
****उ0प्र0 प्रा0आ0का0अ0अधि0 (तृतीय संसोधन) नियमावली 2013, द्वारा दिनांक 06.06.2013 से प्रतिस्थापित**

		मौलिक नियुक्त इस नियमावली के अधीन की गयी समझी जायेगी।

परिवीक्षा 32. (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाएगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जाएंगे अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाएगा जब तक अवधि बढ़ाई जाय;
परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है, या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है, तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(4) ऐसे परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायें किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

स्थायीकरण 33. (1) उप नियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि—

(क) उसने सफलतापूर्वक विहित प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो;
(ख) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय;
(ग) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय।

(3) जहाँ उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है वहां उस नियमावली के नियम-5 के उपनियम-(3) के अधीन यह घोषणा करते हुये आदेश कि संबंधित व्यक्ति ने परीवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

ज्येष्ठता 34. किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

वेतनमान 35- 1. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा, जेसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाये।

<table>
<tr><th colspan="3">मूल नियम</th><th colspan="4">*दि0 12.01.2011 से प्रतिस्थापित</th></tr>
<tr><td colspan="3">(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान निम्नानुसार दिये गये हैः-</td><td colspan="4">(2) उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2011 के प्रारम्भ होने के समय वेतनमान निम्नानुसार होगा;</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>पद का नाम</td><td>वेतनमान</td><td rowspan="2">पद का नाम</td><td rowspan="2">पे-बैण्ड का नाम</td><td rowspan="2">तत्समान पे बैण्ड</td><td rowspan="2">तत्समान ग्रेड पै</td></tr>
<tr><td>उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस/</td><td>5500-175-9000</td></tr>
</table>

	प्लाटून कमाण्डर रिर्जव उपनिरीक्षक/रिर्जव निरीक्षक प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबुलरी के लिये	6500-200-10500	उपनिरीक्षक आर्म्ड पुलिस/प्लाटून कमाण्डर	पे-बैण्ड-2	रू0 9300-34800	रू0 4200
परिशिष्ट का संशोधन	17 उक्त नियमावली में अनुसूची 'क' में उल्लिखित विद्यमान परिशिष्ट 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 और 10 के स्थान पर अनुसूची 'ख' में यथा उल्लिखित परिशिष्ट रख दिया जायेगा; अर्थात					

प्रशिक्षण 36–

मूल नियम	**दि0 06.06.2013 से प्रतिस्थापित
चयनित अधिकारी, सरकार के अनुमोदन से पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा विहित पाठ्यक्रम पूरा करेंगे। प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूरा कर लिये जाने पर अधिकारियों को 'रिजर्व उप निरीक्षक' के रूप में पदाभिहित किया जाएगा।	चयनित अधिकारी, सरकार के अनुमोदन से पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा विहित पाठ्यक्रम पूरा करेंगे।

परिवीक्षा 37.

(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाएगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जाएंगे अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाएगा जब तक अवधि बढ़ाई जाय :

परन्तु अपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है, या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है, तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायें किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

स्थायीकरण 38. (1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि—

***उ0प्र0 प्रा0आ0का0अ0अधि0 (ततीय संसोधन) नियमावली 2013. द्वारा दिनांक 06.06.2013 से प्रतिस्थापित**

(क)उसने सफलतापूर्वक विहित प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो;

(ख)उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय;

(ग)उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय।

(2) जहां उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है वहां उस नियमावली के नियम-5 के उपनियम-(3) के अधीन यह घोषणा करते हुए आदेश कि संबंधित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है स्थायीकण का आदेश समझा जायेगा।

ज्येष्ठता 39. किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

वेतनमान 40. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्ति व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

<table>
<tr><th>मूल नियम</th><th>*दि0 06.06.2013 से प्रतिस्थापित</th></tr>
<tr><td>(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान निम्नानुसार दिए गए हैं :-
<table>
<tr><td>पद का नाम</td><td>वेतनमान</td></tr>
<tr><td>रिजर्व उपनिरीक्षक</td><td>रु0 5500-175-9000</td></tr>
<tr><td>रिजर्व निरीक्षक</td><td>रु0 6500-200-10500</td></tr>
</table></td>
<td>(2) उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2013 के प्रारम्भ होने के समय वेतनमान निम्नानुसार दिये गये है :-
<table>
<tr><th rowspan="2">पद का नाम</th><th colspan="3">वेतनमान</th></tr>
<tr><th>पे बैण्ड का नाम</th><th>तत्सदृश पे-बैण्ड (रुपये)</th><th>तत्सदृश ग्रेड-पे (रुपये)</th></tr>
<tr><td>उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस</td><td>पे बैण्ड–2</td><td>9330-34800</td><td>4200</td></tr>
<tr><td>निरीक्षक सशस्त्र पुलिस</td><td>पे बैण्ड–2</td><td>9300-34800</td><td>4600</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

भाग-सात

पुलिस विभाग की विभिन्न इकाइयों में स्थानान्तरण और तैनाती

स्थानान्तरण. 41.

मूल नियम	*दि0 10.04.2011 से प्रतिस्थापित	**दि0 06.06.2013 से प्रतिस्थापित
इस नियमावली के अधीन नियुक्त रिजर्व निरीक्षकों, रिजर्व उपनिरीक्षकों और उपनिरीक्षक आर्म्ड पुलिस/प्लाटून कमांडर, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा सरकार के अनुमोदन से अधिकथित एक नीति के अधीन पी0ए0सी0 को सम्मिलित करते हुए पुलिस विभाग की किसी इकाई	शिविरपालों/दलनायकों, रिजर्व सब इन्स्पेक्टरों,प्लाटून कमाण्डरों, मुख्य आरक्षियों एवं आरक्षियों तथा उनके समकक्ष पदों पर तैनात कर्मियों को सरकार द्वारा गठित पी0ए0सी0 स्थापन बोर्ड के आदेश द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पी0ए0सी0 के अन्तर्गत स्थानान्तरित या तैनात किया जा सकता है। शिविरपाल, रिजर्व निरीक्षक, यातायात	क्वार्टर मास्टर,कम्पनी कमाण्डर, प्लाटून कमाण्डरों,मुख्य आरक्षियों और आरक्षियों और उनके अन्य समकक्ष पदों पर तैनात कर्मियों को सरकार द्वारा गठित प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी स्थापना बोर्ड के आदेश द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी के अन्तर्गत स्थानान्तरित या तैनात किया जा सकता है। (2) क्वार्टर मास्टर, निरीक्षक सशस्त्र

*उ0प्र0 प्रा0आ0का0अ0अधि0 (द्वितीय संसोधन) नियमावली 2011, द्वारा दिनांक 10.04.2011 से प्रतिस्थापित

**उ0प्र0 प्रा0आ0का0अ0अधि0 (तृतीय संसोधन) नियमावली 2013, द्वारा दिनांक 06.06.2013 से प्रतिस्थापित

में समकक्ष पर पद तैनात या स्थानान्तरित किये जा सकते हैं। उन्हें उस नाम से पदाभिहित किया जा सकता है जो सरकार द्वारा उनके कार्य की प्रकृति के अनुसार घोषित किया जाय और उन्हें उस पद पर अनुमन्य विशेष भत्ता या वेतन प्राप्त होगा जिस पर वे तैनात हैं। इस नियमावली के प्रारंभ के समय पी0ए0सी0 के प्रवर अधीनस्थ अधिकारियों के समकक्ष पंक्ति के पदों के नाम निम्नवत हैं :- **रिजर्व निरीक्षक** (क)पी0ए0सी0 में 'कंपनी कमान्डर' (ख)पी0ए0सी0 में 'क्वार्टर मास्टर' (ग)जिलों, प्रशिक्षण संस्थानों, जी0आर0पी0 तथा अन्य इकाइयों में रिजर्व निरीक्षक (घ)जिलों में 'यातायात निरीक्षक' उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस/ **उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस/प्लाटून कमाण्डर** (क)पी0ए0सी0 में 'प्लाटून' कमांडर (ख)पी0ए0सी0 में 'सूबेदार एडजूटेन्ट' (ग)पी0ए0सी0 में 'सूबेदार क्वार्टर मास्टर' (घ)जिलों, प्रशिक्षण संस्थानों, जी0आर0पी0 तथा अन्य इकाइयों में उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस (ङ)जिला में 'यातायात उपनिरीक्षक'	निरीक्षक,तथा उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस का चयन पूर्व प्रचलित प्रक्रिया एवं मानक के अनुसार किया जायेगा। इन संवर्गों के स्थानान्तरण/तैनाती शासन द्वारा गठित पुलिस स्थापना बोर्ड से जिला/इकाइयों /पीएसी में की जायेगी। यातायात उपनिरीक्षक का चयन एवं स्थानान्तरण यातायात निदेशालय द्वारा जिलों/इकाइयों/पीएसी में किया जायेगा। इस नियमावली के प्रारंभ के समय पी0ए0सी0 के प्रवर अधीनस्थ अधिकारियों के समकक्ष पंक्ति के समकक्ष पंक्ति के पदों के नाम निम्नवत हैं :के नाम निम्नवत हैं— **रिजर्व निरीक्षक** (क) पी0ए0सी0 में 'कंपनी कमान्डर' (ख) पी0ए0सी0 में 'क्वार्टर मास्टर' (ग) जिलों, प्रशिक्षण संस्थानों जी0आर0पी0 तथा अन्य इकाइयों में रिजर्व निरीक्षक (घ) जिलों में 'यातायात निरीक्षक' **उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस/प्लाटून कमाण्डर** (क) पी0ए0सी0 में 'प्लाटून कमांडर' (ख) पी0ए0सी0 में 'सूबेदार एडजूटेन्ट' (ग) पी0ए0सी0 में 'सूबेदार क्वार्टर मास्टर' (घ) जिलों, प्रशिक्षण संस्थानों, जी0आर0पी0 अन्य इकाइयों में 'उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस (ङ) जिलों में 'यातायात उपनिरीक्षक'	पुलिस, यातायात निरीक्षक, उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस का चयन पूर्व प्रचलित प्रक्रिया एवं मानक के अनुसार किया जायेगा। इन संवर्गों का स्थानान्तरण या तैनाती सरकार द्वारा गठित पुलिस स्थापना बोर्ड द्वारा जिलों/इकाइयों/प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी में की जायेगी। (3) यातायात उप निरीक्षक का चयन यातायात निदेशालय द्वारा किया जायेगा और स्थानान्तरण या तैनाती यातायात निदेशालय द्वारा जिलों/ इकाईयों/प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी में किया जायेगा। (4) इस नियमावली के प्रारंभ के समय प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी के प्रवर अधीनस्थ अधिकारियों के समकक्ष पंक्ति के पदों के नाम निम्नवत हैं :- **निरीक्षक सशस्त्र पुलिस** (क) प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी में 'कंपनी कमान्डर' (ख) प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी में 'क्वार्टर मास्टर' जिलों, प्रशिक्षण संस्थानों, जी0आर0पी0 और अन्य इकाइयों में निरीक्षक सशस्त्र पुलिस। (ग) जिलों में 'यातायात निरीक्षक' **उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस** (क) प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी में 'प्लाटून कमाण्डर' (ख) प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी में 'सूबेदार एडजूटेन्ट' (ग) प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी में 'सूबेदार क्वार्टर मास्टर' (घ) जिलों, प्रशिक्षण संस्थानों, जी0आर0पी0 तथा अन्य इकाइयों में 'उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस' (ङ) जिलों में 'यातायात उपनिरीक्षक'।

भाग-आठ

अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन 42.किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर चाहे लिखित हों या मौखिक विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी

अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थ प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन 43. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा शामिल होंगे।

संयुक्त चयन सूची 44. यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जाय तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जाएगी जिसमें अभ्यर्थियों के नाम सुसंगत सूचियों से लेकर ऐसी रीति से रखे जाएंगे कि विहित प्रतिशत बना रहे, सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

सेवा की शर्तों में शिथिलता 45. जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में असम्यक कठिनाई होती है, वहाँ वह उस मामले में लागू नियमों में से किसी बात के होते हुये भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभियुक्त या शिथिल कर सकती है।

व्यावृत्ति 46. इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

अध्यारोही प्रभाव 47 (शा0 दिनांक 10.04.2011 से द्वारा नियम का बढाया जाना)

1. राज्य सरकार द्वारा बनाई गई किसी अन्य नियमावली या जारी किये गये शासनादेश या जाना प्रशासनिक अनुदेशों में अर्न्तविष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुये भी, इस नियमावली के अध्यारोही उपबन्ध प्रभावी होंगे।

2. चयन पदोन्नति, प्रशिक्षण, नियुक्ति, ज्येष्ठता निर्धारण और स्थायीकरण आदि से संबंधित या उनसे आनुषंगिक विषयों के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये शासनादेश प्रारम्भ से विखण्डित और प्रतिसंहृत हो जायेंगे।

3. सेवारत सदस्यों का, तत्सम्बन्ध में जारी किसी नियमावली शासनादेशों या प्रशासनिक अनुदेशों के अधीन चयन, पदोन्नति, प्रशिक्षण, नियुक्ति, ज्येष्ठता निर्धारण और स्थायीकरण आदि से सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों के सम्बन्ध में, कोई दावा नहीं होगा और तद्धीन प्रोद्भूत कोई अधिकार समाप्त हुये समझे जायेंगे।

4. ऐसे विखण्डन के होते हुये भी प्रचलित नियमावली, शासनादेशों या प्रशासनिक अनुदेशों के अधीन 02 दिसम्बर, 2008 के पूर्व स्वीकृत चयन, पदोन्नति, प्रशिक्षण, नियुक्ति, ज्येष्ठता निर्धारण और स्थायीकरण आदि की प्रसुविधा प्रत्याहरित नहीं की जायेगी।

अनुसूची 'क'
परिशिष्ट-1
प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी के आरक्षी की सीधी भर्ती के लिये मानक परीक्षण
शारीरिक मानक परीक्षण

मूल नियम	*दि0 10.04.2011 से प्रतिस्थापित	**दि0 06.06.2013 से प्रतिस्थापित
1. पुरूष अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक- **ऊंचाई** (1) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये 168 सेंटीमीटर; (2) जनजातीय अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम ऊंचाई 160 सेन्टीमीटर है। **सीने का फुलाव** सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों/अनुसूचित जातियों के लिये फुलाने पर 84 सेंटीमीटर अनुसूचित जनजातियों के लिये 82 सेंटीमीटर **टिप्पणी :** न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है। 2. महिला अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक- **ऊंचाई** (1) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर है। (2) अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये न्यूनतम ऊंचाई 147 सेंटीमीटर है। **वजन** **45 से 58 किलोग्राम** 3. स्टेडियम/पुलिस लाईन जहां कहीं भी परीक्षण आयोजित	**शारीरिक मानक परीक्षण** प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी के आरक्षियों की सीधी भर्ती के लिए शारीरिक मानक परीक्षण शारीरिक मानक परीक्षण 3 सदस्यीय दल द्वारा किया जायेगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे— 1. परगना मजिस्ट्रेट/उप कलेक्टर 2. चिकित्सक/क्रीड़ाधिकारी/राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिकारी 3. पुलिस उपाधीक्षक (1) दल के सदस्यों का यह दायित्व होगा कि अभ्यर्थी द्वारा अपनी अर्हता यथा-आयु, हाई स्कूल, इण्टरमीडियट और स्नातक/स्नातकोत्तर के प्रमाण-पत्र, खेल प्रमाण-पत्र, राष्ट्रीय कैडेट कोर प्रमाण-पत्र, होम गार्ड प्रमाण-पत्र, भूतपूर्व सैनिकों के मामलों में यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण-पत्र, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रमाण-पत्र और उर्ध्वाधर व क्षैतिज आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों से उनके उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने के प्रमाण पत्रों के नियम-15(क) (सात) के अनुसार प्रस्तुत किये जाने वाले मूल प्रमाण पत्रों से अनुप्रमाणित प्रतियों के भली-भाँति मिलान करने के उपरान्त अनुप्रमाणित प्रतियों का भॅली–भॉति मिलान करने के उपरान्त अनुप्रमाणित प्रतियों को अभिलेखार्थ शारीरिक मानक परीक्षण केन्द्र पर जमा कर लेगें। 2. पुरूष अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक-	(क) आवेदन पत्र (एक) अभ्यर्थी केवल एक जिले से परीक्षा केन्द्र के आबंटन के संबंध में अभ्यर्थी एक से अधिक विकल्प दे सकता है। फिर भी बोर्ड, अभ्यर्थी द्वारा इंगित केन्द्र से भिन्न केन्द्र का आबंटन कर सकता है। (दो) आवेदन पत्र के साथ एक पृथक बुकलेट, जिसमें शैक्षिक अर्हता आयु, शारीरिक मानक, प्रत्येक परीक्षा के लिए अर्हक अंक और उसका पाठ्य विवरण, अपेक्षित चिकित्सा स्वस्थता आदि एवं अभ्यास के लिए ओ0एम0आर0 पत्रक की प्रति के संबंध में सूचना का विवरण अन्य महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश सहित, जैसा समय-समय पर बोर्ड द्वारा विहित किया जाय संलग्न किया जायेगा। बोर्ड द्वारा यह सूचना उसकी वेब साइट पर या किसी अन्य रीति से, जैसा वह आवश्यक उपलब्ध करायी जायेगी। (तीन) आवेदन पत्र के लिए आवेदक को पर्याप्त समय देते हुए बोर्ड द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे। अभ्यर्थी, आवेदन पत्र की यथार्थता और पूर्णता के लिए व्यक्तिगत रूप से और अकेले ही उत्तरदायी होगा। यदि किसी अभ्यर्थी का आवेदन पत्र अपूर्ण, दोषपूर्ण या अयथार्थ सूचना से युक्त पाया जाता है, तो आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा। (चार) आवेदक, अपने समस्त प्रमाण पत्रों और दस्तावेजों को स्वयं प्रमाणित करेगा और उनकी यथार्थता तथा शुद्धता के लिए उत्तरदायी होगा/होगी। (पांच) आवेदन पत्र में पहचान विवरण यथाविशिष्ट पहचान संख्या, अंगूठा एवं अंगुली निशान, फोटोग्राफ या बायोमैट्रिक्स भी समुचित रीति से इस प्रकार समय-समय पर विहित किया जाये।

*उ0प्र0 प्रा0आ0का0अ0अधि0 (द्वितीय संसोधन) नियमावली 2011, द्वारा दिनांक 10.04.2011 द्वारा बढाया जाना

**उ0प्र0 प्रा0आ0का0अ0अधि0 (तृतीय संसोधन) नियमावली 2013, द्वारा दिनांक 06.06.2013 द्वारा बढाया जाना

हो, वहां परीक्षा आयोजन के पूर्व सूचना पट्ट (बोर्ड) पर प्रत्येक परीक्षण हेतु अर्हता के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक को अत्यंत प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाय। 4. सम्पूर्ण राज्य में शारीरिक मानक परीक्षण पुलिस लाईन/स्टेडियम में आयोजित किया जाय। एक दिन में अभ्यर्थियों की संख्या 200 से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह परीक्षा उसी दिन आरंभ होनी चाहिए किन्तु गठित किये गए दलों की संख्या जिले में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर घट बढ़ सकती है। 5. दल के सदस्य, जो जानबूझकर गलत रिपोर्ट देते हुये पाये जाते हैं दाण्डिक कार्यवाही के भागी होंगे। 6. इस अर्हकारी परीक्षा का परिणाम, परीक्षण के समाप्त होने के तत्काल बाल परीक्षणवार प्रत्येक अभ्यर्थी के परिमापों का उल्लेख करते हुए माईक पर उद्घोषित किया जायेगा, और सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा और यदि संभव हो तो बोर्ड की वेबसाइट पर भी नित्य अपलोड किया जायेगा। 7. शारीरिक मानक परीक्षण की परीक्षा के लिये भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन वाले मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग किया जाय।	**ऊंचाई-** (एक) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये 168 सेंटीमीटर; (दो) जनजातीय अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम ऊंचाई 160 सेन्टीमीटर है। **सीने का माप –** सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों/अनुसूचित जातियों के लिये बिना फलाने पर 79 सेंटीमीटर व फुलाने पर 84 सेंटीमीटर तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये बिना फुलाये 77 से0मी0 व फुलाने पर 82 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिये। **टिप्पणी :** न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है। 3. महिला अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक- **ऊंचाई** (एक) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर है। (दो) अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये न्यूनतम ऊंचाई 147 सेंटीमीटर है। **वजन- न्यूनतम 40 किलोग्राम** 4. स्टेडियम/पुलिस लाईन जहां कहीं भी परीक्षण आयोजित हो, वहां परीक्षा आयोजन के पूर्व सूचना पट्ट (बोर्ड) पर प्रत्येक परीक्षण हेतु अर्हता के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक को अत्यंत प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाय। 5. सम्पूर्ण राज्य में शारीरिक मानक परीक्षण पुलिस लाईन/स्टेडियम में आयोजित किया जाय। एक दिन में अभ्यर्थियों की संख्या 200 से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह परीक्षा उसी दिन आरंभ होनी चाहिए किन्तु गठित किये गए दलों की संख्या जिले में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर घट बढ़ सकती है।	(छः) अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत की गयी किसी पूर्ववर्ती या पश्चातवर्ती सूचना में किसी अपूर्णता या अयथार्थता या परिवर्तन या असंगति के लिए या भर्ती की प्रक्रिया के दौरान किसी अन्य अनियमितता का पता चलने पर बोर्ड को आवेदक का अभ्यर्थन सरसरीतौर पर अस्वीकार करने का अधिकार होगा। (सात) सरकार प्रथम परीक्षा के पूर्व किसी भी समय किसी भर्ती के लिए रिक्तियों की संख्या परिवर्तित कर सकती है और किसी भर्ती को किसी भी समय या भर्ती के किसी स्तर पर बिना कोई कारण बताये निरस्त कर सकती है। **(ख) बुलावा पत्र-**परीक्षा के कम से कम 10 दिन पूर्व अभ्यर्थियों को बुलावा पत्र उपलब्ध **(ग) प्रारम्भिक लिखित परीक्षा -** अभ्यर्थी अर्हकारी प्रकृति की एक वस्तुनिष्ठ प्रकार/प्रारम्भिक लिखित परीक्षा में सम्मिलित होंगे। इस परीक्षा में 300 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें समुचित स्तर का सामान्य ज्ञान, सामयिक विषय, तार्किक क्षमता और आंकिक क्षमता के प्रश्न होंगे। प्रश्न पत्रवार अंका का विभाजन और प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जायेगा। जो अभ्यर्थी 35 प्रतिशत अंक पाने में विफल रहेगा, वह भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। प्रारम्भिक लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों में से, रिक्तियों की कुल संख्या में श्रेष्ठता के आधार पर शारीरिक दक्षता पात्र होंगे। **(घ) शारीरिक दक्षता परीक्षा** पात्र अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी जो 100 अंकों की होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा के आयोजन की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी परिशिष्ट-2 में विहित की गयी है। **(ङ) मुख्य लिखित परीक्षा** शारीरिक दक्षता परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले पात्र अभ्यर्थियों से मुख्य लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी, जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी और जिसके लिए 300 अंक होंगे। लिखित प्रश्नपत्र में समुचित स्तर की सामान्य जानकारी, मानसिक क्षमता, तर्क शक्ति और बोधगम्यता के प्रश्न होंगे। प्रश्नपत्रवार अंकों

	6. दल के सदस्य, जो जानबूझकर गलत रिपोर्ट देते हुये पाये जाते हैं दाण्डिक कार्यवाही के भागी होंगे। 7. इस अर्हकारी परीक्षा का परिणाम, परीक्षण के समाप्त होने के तत्काल बाद परीक्षणवार प्रत्येक अभ्यर्थी के परिमापों का उल्लेख करते हुए माईक पर उद्‌घोषित किया जायेगा, और सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा और यदि संभव हो तो बोर्ड की वेबसाइट पर भी नित्य अपलोड किया जायेगा। 8. शारीरिक मानक परीक्षण की परीक्षा के लिये भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन वाले मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग किया जाय।	का विभाजन और प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम, बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी जो मुख्य लिखित परीक्षा में अधिकतम अंकों के 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में विफल रहते हैं, भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। टिप्पणी-प्रारम्भिक और मुख्य लिखित परीक्षा के आयोजन की प्रक्रिया ऐसी होगी, जैसी परिशिष्ट-5 में वर्णित है। **(च) दस्तावेजों की संवीक्षा शारीरिक मानक परीक्षण और चिकित्सा परीक्षण-** बोर्ड प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा और मुख्य लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर अधिसूचित रिक्तियों के सापेक्ष राज्य आरक्षण नीति के अनुसार एक श्रेष्ठता सूची तैयार करेगा। उपर्युक्त अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की संवीक्षा परिशिष्ट-3 के अनुसार की जायेगी। संवीक्षा के दौरान या संवीक्षा के पश्चात् किसी भी समय किसी भी दस्तावेज को छलसाधित, गलत, दूषित किया गया या कूटरचित पाये जाने की दशा में आवेदक का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी विधिक कार्यवाही के भागी होंगे। जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेज ठीक पाये जाते हैं। वे परिशिष्ट-4 के अनुसार शारीरिक मानक मापन और चिकित्सा परीक्षा में सम्मिलित होंगे। **(छ) चयन तथा श्रेष्ठता सूची** (1) शारीरिक मानक परीक्षा और चिकित्सा परीक्षा के पश्चात् सफल पाये गये अभ्यर्थियों में से बोर्ड द्वारा एक श्रेष्ठता सूची तैयार की जायेगी। टिप्पणी-यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर-बराबर अंक प्राप्त करते हैं, तो श्रेष्ठता सूची का विनिश्चय निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा :- (एक) ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जायेगी जो अधिमानी अर्हता, यदि कोई हो, रखते हो। एक से अधिक अधिमानी अर्हता पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी को केवल एक ही अधिमानी अर्हता का लाभ प्राप्त होगा। (दो) उपरोक्त के होते हुए भी, यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों की श्रेणी समान हो तो मुख्य लिखित परीक्षा में उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी

		को वरीयता प्रदान की जायेगी। (तीन) उपयुक्त (एक) एवं (दो) के होते हुए भी, यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के अंक बराबर-बराबर हो, तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जायेगी। (चार) यदि उपर्युक्त विचार के बावजूद भी अंक बराबर-बराबर हों और जनम दिनांक समान हो और मुख्य लिखित परीक्षा में भी अंक समान हो, तो ऐसे अभ्यर्थी को हाई स्कूल प्रमाण-पत्र में यथाउल्लिखित प्रथम नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अक्षर के क्रम में वरीयता प्रदान की जायेगी। (पांच) श्रेष्ठता सूची को वेबसाइट/सूचना पट पर प्रकाशित किया जायेगा। (2) बोर्ड आरक्षण नीति संबंधी दिशा निर्देशों और बोर्ड को अधिसूचित की गयी रिक्तियों की कुल संख्या को दृष्टिगत रखते हुए अभ्यर्थियां की उनकी श्रेष्ठता क्रम में एक चयन सूची तैयार करेगा, जो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चरित्र सत्यापन के अध्यधीन होगी। अनन्तिम चयन सूची विभागाध्यक्ष को अग्रसारित की जायेगी जो उसे अनुमोदनोपरान्त अग्रेतर कार्यवाही हेतु नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा। **(ज) चरित्र सत्यापन-** नियुक्ति पत्र जारी कियेजाने के पूर्व संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी के परिवेक्षण में चरित्र सत्यापन को अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण में भेजे जाने के पूर्व पूर्ण किया जायेगा। चरित्र सत्यापन सामान्यतः एक माह के भीतर पूर्ण कर लिया जायेगा। किसी अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन में प्रतिकूल तथ्य के प्रकाश में आने पर, उसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा और ऐसी रिक्तियाँ अग्रतर चयन के लिए अग्रनीत कर दी जायेग।

परिशिष्ट-2

प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी के आरक्षी की सीधी भर्ती के लिये शारीरिक दक्षता परीक्षण

शारीरिक दक्षता परीक्षण तीन सदस्यीय एक दल द्वारा किया जायेगा, जिसमें निम्न लिखित सदस्य होंगे :-

1. परगना मजिस्ट्रेट/डिप्टी कलेक्टर।

2. चिकित्सक/क्रीड़ा अधिकारी/राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिकारी

3. पुलिस उप अधीक्षक

(क) पुरूष अभ्यर्थियों से 60 मिनट में 10 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थियों से 35 मिनट में 05 किलोमीटर की दौड़ पूरा किया जाना अपेक्षित है। यह दौड़ केवल अर्हकारी है।

(ख) ऐसे प्रत्येक दल के लिये अभ्यर्थियों की संख्या एक दिन में 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए जिससे कि परीक्षण की गुणवत्ता और प्रक्रिया प्रभावित न होने पाये। यह परीक्षण सम्पूर्ण राज्य में एक सप्ताह में पूर्ण किया जाएगा। अभ्यर्थियों की अत्यधिक संख्या के कारण बोर्ड समयावधि बढ़ाने का निर्णय ले सकता है।

(ग) प्रत्येक परीक्षण हेतु अर्हता के लिए न्युनतम शारीरिक मानकों का प्रदर्शन स्टेडियम में सूचना पट पर प्रमुखता से किया जायेगा, और जहाँ और जहाँ स्टेडियम उपलब्ध न हो वहाँ शारीरिक दक्षता परीक्षण पुलिस लाईन में आयोजित किया जाना चाहिए।

(घ) शारीरिक दक्षता परीक्षण केवल अर्हकारी प्रकृति का है और इसका श्रेष्ठता सूची पर कोई प्रभाव न होगा। इस अर्हकारी परीक्षण का परिणाम सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जायेगा और जहां संभव हो बोर्ड की वेबसाइट पर नित्य अपलोड किया जायेगा।

(ङ) जब भी 100 अभ्यर्थियों की परीक्षा पूरी हो जाय तो सफल अभ्यर्थियों की सूची परगना मजिस्ट्रेट/डिप्टी कलेक्टर और पुलिस उप अधीक्षक के संयुक्त हस्ताक्षर से घोषित की जाएगी।

(च) शारीरिक दक्षता परीक्षण दल के जो सदस्य जानबूझकर गलत रिपोर्ट देते हुये पाये जाते हैं, दाण्डिक कार्यवाही के भागी होंगे।

(छ) शारीरिक दक्षता परीक्षण का परिणाम अभ्यर्थियों को उसी दिन उपलब्ध कराया जायेगा। सभी अभ्यर्थियों के परीक्षण परिणाम सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किये जायेंगे और बोर्ड की वेबसाइट यथासंभव नित्य अपलोड की जाएगी।

<table>
<tr><th>मूल नियम</th><th>*दि0 10.04.2011 से प्रतिस्थापित</th></tr>
<tr><td>(ज)- शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों से, तहसील मुख्यालय और जिला चिकित्सालयों के अभिहित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकीय स्वस्थता परीक्षण पूरा करने की अपेक्षा की जाएगी।</td><td>(ज)- शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों से लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी।</td></tr>
<tr><td colspan="2">**दि0 06.06.2013 से प्रतिस्थापित
सीधी भर्ती और विभागीय पदोन्नति के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षण (पी.ई.टी.)
1 (क). शारीरिक दक्षता परीक्षण एक दल द्वारा किया जायेगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :-
(एक) जनपद के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट एक डिप्टी कलेक्टर।
(दो) यथास्थिति जिला के वरिष्ठ- पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक या प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी के सेनानायक द्वारा नाम निर्दिष्ट एक पुलिस पुलिस उप अधीक्षक।
(तीन) जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट एक चिकित्सा अधिकारी।
(ख) दल में अनुसूचित जाति वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित प्रत्येक का कम से कम एक अधिकारी सम्मिलित होगा। यदि आवश्यकता हुई तो जनपद का जिला मजिस्ट्रेट तीनों उल्लिखित वर्गों में से प्रत्येक का प्रतिनिधित्व करने के</td></tr>
</table>

लिए अतिरिक्त सदस्य/सदस्यों को दल के लिए नाम निर्दिष्ट करेगा।

(ग) दल का नेतृत्व जनपद के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट डिप्टी कलेक्टर द्वारा किया जायेगा।

(घ) समिति परीक्षण के आयोजन के लिए किसी अन्य विशेषज्ञ/विशेषज्ञों की मदद ले सकती है।

2. केवल सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी द्वारा लिये गये समय-सीमा के आधार पर दौड़ के लिए अंकों का आबंटन किया जायेगा। तथापि विभागीय पदोन्नति के लिए दौड़ के की लिए कोई अंक नहीं दिया जायेगा, जो अर्हकारी प्रकृति की होगी।

3. दल नीचे दी गयी प्रक्रिया का पालन करेगा :-

(क) प्रतिदिन परीक्षण कराये जाने अभ्यर्थियों की संख्या का अवधारण परीक्षण कराये जाने वालों की कुल संख्या एवं विद्यमान दशाओं के आधार पर बोर्ड द्वारा किया जायेगा।

(ख) भिन्न-भिन्न समय के लिए अंकों की सारणी परीक्षण स्थल पर सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जायेगी।

(ग) दल द्वारा मैनुअल टाईमिंग प्रयोग किये जाने की अनुमति नहीं होगी। सी0सी0टी0वी0 कवरेज सहित मानकीकृत इलेक्ट्रानिक उपकरण और पर्याप्त बैकअप के साथ बायोमैट्रिक्स का प्रयोग यथार्थता व पारदर्शिता सुनिश्चित करने एवं छद्म व्यक्तिता से बचने के लिए किया जायेगा।

(घ) इस परीक्षण का परिणाम परीक्षण स्थल पर सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जायेगा और यदि संभव हुआ तो यथाशीघ्र बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा।

(ङ) संगठनात्मक दल, जिसमें परीक्षण अभिकरण यदि कोई हो, भी सम्मिलित है, के ऐसे सदस्य जो जानबूझकर ऐसा कार्य करते हैं जो गलत हा या किसी ऐसे कार्य को नहीं करते हैं जो उन्हें करना चाहिए और जिससे किसी अभ्यर्थी को अनुचित लाभ पहुँचता हो या उसका अहित होता हो, तो वे दाण्डिक कार्यवाही और/या आवश्यक विभागीय कार्यवाही के भागी होंगे।

(च) शारीरिक दक्षता परीक्षण का परिणाम अभ्यर्थियों को उसी दिन उपलब्ध कराया जायेगा। सफल अभ्यर्थियों की सूची टीम के सदस्यों के संयुक्त हस्ताक्षर से घोषित की जायेगी।

(छ) वहिर्कक्ष परीक्षण इस प्रकार किये जायेंगे कि परिणामों का मापन किया जा सके और उन्हें न्यूनतम हस्तगत मध्यक्षेप के यांत्रिक रूप से अभिलिखित किया जा सकें। शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन वाले मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग किया जायेगा।

(ज) अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जायेगी कि वे दिये गये दिनांक और समय पर उपस्थित हो। ऐसे कारणों से जो उनके नियंत्रण से परे हो और जो लिखित रूप में अभिलिखित किये जायेंगे, किसी विशिष्ट समय पर परीक्षण किये जाने वाले अभ्यर्थियों के समूह हेतु परीक्षण के दिनांक एवं समय में बोर्ड द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। यदि कोई अभ्यर्थी नियत दिनांक पर परीक्षा में सम्मिलित होने में विफल रहता है तो उसे परीक्षा में असफल माना जायेगा। परीक्षा में सम्मिलित न होने के कारण अथवा विहित मानक प्राप्त न कर सकने के कारण असफल हो जाने वाले अभ्यर्थी को दूसरा मौका नहीं दिया जायेगा और स्वास्थ्य के कारण या किसी अन्य आधार पर, चाहे जो भी हो, पुनः परीक्षण के लिए कोई अपील नहीं की जा सकेगी।

4. प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी के आरक्षी पदों के लिए सीधी भर्ती-

प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी के आरक्षी की सीधी भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षण में पुरुष अभ्यर्थियों को 4.8 किमी0 की दौड़ 30 मिनट के भीतर पूर्ण करनी होगी और महिला अभ्यर्थियों को 2.4 किमी0 की दौड़ 18 मिनट के भीतर पूर्ण करनी होगी। जो अभ्यर्थी नियत समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करते है, वे परीक्षा के अगले चरण में जाने के लिए अर्ह नहीं होंगे।

(एक) पुरूषों के लिए 4.8 किमी0 की दौड़ - (अर्हकारी समय तीस मिनट)

मिनट (') और सेकेंड ('') में दौड़ के लिए समय		
से (सम्मिलित)	तक(सम्मिलित)	अंक
00 '00 ''	20 '	100
20 '01 ''	25 '	80
25 '01 ''	30 '	60

(दो) महिलाओं के लिए 2.4 किमी0 की दौड़ (अर्हकारी समय 18 मिनट)

मिनट (') और सेकेण्ड ('') में दौड़ के लिए समय		
से (सम्मिलित)	तक(सम्मिलित)	अंक

00 '00 ''	14 '	100
14 '01 ''	16 '	80
16 '01 ''	18 '	60

टिप्पणी :- समय की संगणना निकटतम सेकेण्ड तक की जायेगी।

5. प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी के मुख्य आरक्षी और उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस के पद पर विभागीय पदोन्नति के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षण :- शारीरिक दक्षता परीक्षण में पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 3.2 किमी0 की दौड़ 30 मिनट में और महिला अभ्यर्थियों के लिए 2.4 किमी0 की दौड़ 25 मिनट में पूर्ण करनी होगी।

(झ) शारीरिक दक्षता परीक्षण की परीक्षा के लिये भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन वाले मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग किया जाय।

परिशिष्ट-3

प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी के आरक्षी की सीधी भर्ती के लिये चिकित्सकीय परीक्षण

चिकित्सा परीक्षा परिषद

मूल नियम	*दि0 12.01.2011 से प्रतिस्थापित	**दि0 10.04.2011 से प्रतिस्थापित
जिन अभ्यर्थियों ने शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है वे अधिसूचित केन्द्रों पर (जिला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला चिकित्सालय और तहसील सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र) जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा गठित चिकित्सा परिषद द्वारा चिकित्सकीय परीक्षण कराएंगे। प्रत्येक चिकित्सा परिषद के लिये अभ्यर्थियों की संख्या (एक दिन में 50 से अनधिक) इस प्रकार निर्धारित की जायेगी कि उससे चिकित्सकीय परीक्षण की गुणवत्ता और प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी। सम्पूर्ण राज्य में चिकित्सकीय परीक्षण एक सप्ताह में पूर्ण कर लिया जाएगा। यदि अभ्यर्थियों की अधिक संख्या के कारण अधिक समय की अपेक्षा हो तो पुलिस सेवा भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड अपने स्तर पर निर्णय लेकर अपेक्षित समय का विनिश्चय कर सकता है। जहां कहीं भी परीक्षण आयोजित होता है, परीक्षा आयोजन के पूर्व चिकित्सकीय परीक्षण हेतु अर्हता के लिये न्यूनतम अपेक्षाओं को जिला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला चिकित्सालय और तहसील सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के सूचना पट्ट	जिन अभ्यर्थियों ने शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है वे अधिसूचित केन्द्रों पर (जिला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला चिकित्सालय और तहसील सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र) जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा गठित चिकित्सा परिषद द्वारा चिकित्सकीय परीक्षण कराएंगे। प्रत्येक चिकित्सा परिषद के लिये अभ्यर्थियों की संख्या (एक दिन में 50 से अनधिक) इस प्रकार निर्धारित की जायेगी कि उससे चिकित्सकीय परीक्षण की गुणवत्ता और प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी। सम्पूर्ण राज्य में चिकित्सकीय परीक्षण एक सप्ताह में पूर्ण कर लिया जाएगा। यदि अभ्यर्थियों की अधिक संख्या के कारण अधिक समय की अपेक्षा हो तो पुलिस सेवा भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड अपने स्तर पर निर्णय लेकर अपेक्षित समय का विनिश्चय कर सकता है। जहां कहीं भी परीक्षण आयोजित होता है, परीक्षा आयोजन के पूर्व चिकित्सकीय परीक्षण हेतु	जिन अभ्यर्थियों ने शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है वे अधिसूचित केन्द्रों पर (जिला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला चिकित्सालय और तहसील सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र) जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा गठित चिकित्सा परिषद द्वारा आयोजित चिकित्सा, परीक्षा में सम्मिलित होंगे।सम्पूर्ण प्रक्रिया का पर्यवेक्षण नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा। प्रत्येक चिकित्सा परिषद के लिए अभ्यर्थियों की संख्या (एक दिन में 50 से अनधिक) इस प्रकार निर्धारित की जाएगी की उससे चिकित्सा परीक्षा की गुणवत्ता और प्रक्रिया प्रभावित न हो। सम्पूर्ण राज्य में चिकित्सा परीक्षा एक सप्ताह में पूर्ण कर लिया जायेगा। यदि अभ्यर्थियों की अधिक संख्या के कारण अधिक समय की अपेक्षा हो तो नियुक्ति प्राधिकारी के स्तर पर अपेक्षानुसार समय बढ़ाने के लिए विनिश्चय किया जा सकता है। जहां कहीं भी चिकित्सा परीक्षा आयोजित होती है, परीक्षा आयोजन के पूर्व चिकित्सकीय परीक्षण हेतु अर्हता के लिए न्यूनतम अपेक्षाओं को जिला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला चिकित्सालय और तहसील सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के सूचना पट्ट पर अत्यंत प्रमुखता से प्रदर्शित किया जायेगा

पर अत्यंत प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाय।	अर्हता के लिये न्यूनतम अपेक्षाओं को जिला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला चिकित्सालय और तहसील सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के सूचना पट्ट पर अत्यंत प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाय।	

*****दिनांक 06.06.2013 से प्रतिस्थापित**

सीधी भर्ती के लिए दस्तावेजों की संवीक्षा -

1. विहित परीक्षा में अर्ह पाये गये और छॉटे गये अभ्यर्थियों को चिकित्सीय परीक्षा के पूर्व दस्तावेजों की संवीक्षा के लिए निम्नानुसार बुलाया जायेगा :

2-(क) पात्रता, आयु में शिथिलता अधिमानी अर्हता आदि के संबंध में समस्त सुसंगत दस्तावेजों की जांच मूल रूप में उसी दिन की जाएगी जिस दिन अभ्यर्थी को चिकित्सा परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा।

दस्तावेजों की संवीक्षा समिति द्वारा की जायेगी जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

(एक) जनपद के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई डिप्टी कलेक्टर।

(दो) जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई पुलिस उपअधीक्षक।

(तीन) जनपद का जिला विद्यालय निरीक्षक।

(ख) समिति में अनुसूचित जाति वर्ग, अन्य पिछड़े वर्ग और अल्प संख्यक वर्ग से संबंधित प्रत्येक का कम से कम एक अधिकारी सम्मिलित होगा। यदि ऐसी आवश्यकता हुई तो जनपद का जिला मजिस्ट्रेट तीनों उल्लिखि वर्गों में से प्रत्येक का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त सदस्य/सदस्यों को समिति के लिए नाम निर्दिष्ट करेगा।

(ग) समिति का नेतृत्व जनपद के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट डिप्टी कलेक्टर द्वारा किया जायेगा। दस्तावेजों का मिलान आवेदन पत्र तें दी गयी सूचना से की जायेगी।

चिकित्सा मैनुअल के अनुसार चिकित्सकों द्वारा परीक्षण	(क) चिकित्सकों द्वारा अभ्यर्थियों का परीक्षण चिकित्सा मैनुअल के अनुसार किया जाएगा। चिकित्सा परिषद मुख्यतया मानव शरीर की कमियों, यथा नॉक- नी, बो-लेग्स, फ्लैट-फीट, वैरिकोज वेन्स, दूर एवं निकट दृष्टि, कलर ब्लाइन्डनेस, रिन्नीज टेस्ट सहित श्रवण परीक्षण, वेबर्स टेस्ट और वरटिगो इत्यादि की जांच करेगा। परिषद, विशेषज्ञों की राय प्राप्त करके अन्य परीक्षण कर सकता है। (ख) दिन के अंत में परिणामों को सूचना पट्ट पर प्रतिदिन प्रदर्शित किया जाएगा और माईक पर उद्घोषित किया जाएगा और साथ ही जहां भी संभव हो परिषद की वेबसाईट पर अद्यावधिक किया जाएगा। (ग) चिकित्सा परिषद के सदस्य जो जानबूझ कर गलत रिपोर्ट देते पाये जाते हैं, दाण्डिक कार्यवाही के भागी होंगे। (घ) चिकित्सकीय परीक्षण केवल अर्हकारी प्रकृति का है और इसका श्रेष्ठता सूची पर कोई प्रभाव न होगा।

***उ0प्र0 प्रा0आ0का0अ0अधि0 (प्रथम संसोधन) नियमावली 2011, द्वारा दिनांक 12.01.2011 से प्रतिस्थापित**

****उ0प्र0 प्रा0आ0का0अ0अधि0 (द्वितीय संसोधन) नियमावली 2011, द्वारा दिनांक 10.04.2011 से प्रतिस्थापित**

*****उ0प्र0 प्रा0आ0का0अ0अधि0 (तृतीय संसोधन) नियमावली 2013, द्वारा दिनांक 06.06.2013 से प्रतिस्थापित**

परिशिष्ट-4

आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी के लिये लिखित परीक्षा

<table>
<tr><th>मूल नियम</th><th>**दि0 10.04.2011 से प्रतिस्थापित</th><th>***दि0 06.06.2013 से प्रतिस्थापित</th></tr>
<tr><td>
लिखित परीक्षा के पूर्व प्रत्येक अभ्यर्थी का चिकित्सा परीक्षण अनिवार्य है। चिकित्सा परीक्षण में सफल अभ्यर्थी प्रधान डाकघर/बैंक के माध्यम से कम्प्यूटरीकृत फोटो बुलावा पत्र पुनः प्राप्त करेंगे जहां से बुलावा पत्र भेजा गया था।
(क).दोनों हथेलियों के अंगूठा निशान , फोटो, डाक का पता, परीक्षा का दिनांक , जिला का नाम इत्यादि से संबंधित समस्त विवरण बुलावा पत्र में उल्लिखित किये जायेगें।
(ख)यह सुनिश्चित किया जायेगा कि परीक्षा के प्रारंभ होने के एक सप्ताह पूर्व अभ्यर्थी के पास बुलावा पत्र अवश्य पहुंच जाय। यदि कोई अभ्यर्थी एक सप्ताह पूर्व बुलावा पत्र नहीं प्राप्त करता है तो वह बोर्ड की हेल्पलाईन मोबाइल/लैण्डलाईन टेलीफोन या वेबसाइट के माध्यम से सम्पर्क करके इसकी दूसरी प्रति प्राप्त कर सकता है।
(ग) लिखित परीक्षा पूरे राज्य में एक ही दिनांक और समय पर आयोजित की जायेगी।
(घ) वस्तुनिष्ठ प्रश्नपत्र की शैली निम्नलिखित रीति में होगी :-
<table>
<tr><td>1</td><td>सामान्य ज्ञान</td><td>50 अंक</td><td>30 मिनट</td></tr>
<tr><td>2</td><td>आंकिक और मानसिक सामर्थ्य परीक्षण</td><td>50 अंक</td><td>30 मिनट</td></tr>
<tr><td>3</td><td>अभिरूचि परीक्षण</td><td>50 अंक</td><td>30 मिनट</td></tr>
<tr><td>4</td><td>बुद्धिशक्ति परीक्षण</td><td>50 अंक</td><td>30 मिनट</td></tr>
<tr><td></td><td>योग</td><td>200 अंक</td><td>2 घण्टे</td></tr>
</table>
टिप्पणी-प्रश्नों का स्तर कर्तव्य संबंधी रूपरेखा के अनुकूल होगा।
(ड) वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र तैयार करते समय बोर्ड अल्पकालिक सदस्यों, जो विषय विशेषज्ञ हैं, का परामर्श प्राप्त कर सकता है।
(च) प्रश्नपत्रों का खाका बोर्ड के सदस्यों द्वारा बनाया जायेगा। प्रश्नपत्रों के दस सेट बनाये जायेंगे और बाह्य सहायित एजेंसी को दिये जायेंगे।
(छ) एक परीक्षा केन्द्र पर प्रश्नपत्रों की पांच सीरीज दी जायेंगी (सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की शैली के अनुसार)। बाह्य सहायित एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि प्रश्न पत्रों के उत्तर की कुंजी प्रश्नपत्रों के साथ नहीं भेजी जायेगी।
(ज) एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि प्रश्नपत्रों के बण्डल जिलावार/केन्द्रवार और कक्षवार/पंक्तिवार भी बनाये जायं जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि आस पास बैठने वाले अभ्यर्थियों को भिन्न भिन्न सीरीज के प्रश्नपत्र वितरित किये जाये।
(झ) उत्तर पत्रक ओ.एम.आर. पत्रक पर होगा जिसमें चार विकल्प दिये जायेंगे और अभ्यर्थी से यह अपेक्षित है कि वह उनमें से किसी एक को चुने।
</td><td>
शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल अभ्यर्थी प्रधान डाकघर/ बैंक के माध्यम से कम्प्यूटरीकृत फोटो माध्यम से बुलावा पत्र पुनः प्राप्त करेंगे, जहाँ से पूर्ववर्ती बुलावा पत्र भेजा गया था।
</td><td>
1-चिकित्सा परीक्षा परिषद
(1)मुख्य लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा में अर्ह पायें गये और छांटे गये अभ्यर्थियों और ऐसे अभ्यर्थी जिनके दस्तावेज परिशिष्ट –3 के अनुसार संवीक्षा के पश्चात सही पाये गये हो, का चिकित्सीय परीक्षण किया जायेगा।
(2) जहाँ चिकित्सीय परीक्षण किया जायेगा उस जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सा परिषद गठित की जायेगी, इसमें अल्पसंख्यक, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति से संबंधित प्रत्येक का कम एक प्रतिनिधि होगा।
(3) महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य के परामर्श से विभागाध्यक्ष द्वारा विहित और कोड किये गये ''पुलिस भर्ती चिकित्सा परीक्षा प्रपत्र'' के अनुसार चिकित्सा परिषद अभ्यर्थियों की परीक्षा करेगा। यह प्रपत्र बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा और चिकित्सा परीक्षा के स्थल पर भी प्रदर्शित किया जायेगा।
(4) चिकित्सा परीक्षा में नीचे बिन्दु तीन द्वारा विहित पैरामीटर के अतिरिक्त शारीरिक मानक परीक्षण भी सम्मिलित होगा जिसमें यथास्थिति अभ्यर्थियों की ऊँचाई, सीना और वजन का मापन होगा।
<u>दो :– शारीरिक मानक परीक्षण</u>
पुरुष और महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत् हैः–
1. पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक–
<u>उॅचाई</u>
(एक) सामान्य / अन्य पिछडे वर्गों और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये 168 सेंटीमीटर है।
(दो) आदिवासी अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम ऊँचाई 160 सें0मी0 है ।
<u>सीने की माप</u>
सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के लिये 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और फुलाने पर 84 सें0मी0 से कम नही होना चाहिये एवं अनुसूचित जनजातियों के लिये 77 से0मी0 बिना फुलाने पर और फुलाने पर 82 सें0मी0 से कम नही होना चाहिये।
नोटः– न्यूनतम 5 सें0मी0 का फुलाव अनिवार्य है।
महिला अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम शारीरिक
</td></tr>
</table>

*उ0प्र0 प्रा0आ0का0अ0अधि0 (प्रथम संसोधन) नियमावली 2011, द्वारा दिनांक 12.01.2011 से प्रतिस्थापित

**उ0प्र0 प्रा0आ0का0अ0अधि0 (द्वितीय संसोधन) नियमावली 2011, द्वारा दिनांक 10.04.2011 से प्रतिस्थापित

***उ0प्र0 प्रा0आ0का0अ0अधि0 (तृतीय संसोधन) नियमावली 2013, द्वारा दिनांक 06.06.2013 से प्रतिस्थापित

(ञ) अभ्यर्थी का चेहरा प्रवेश पत्र में चिपकाये गये फोटो से अवश्य मिलना चाहिए। (ट) कक्ष अन्तरीक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि अभ्यर्थी ने अपना नाम, अनुक्रमांक ठीक-ठीक भरा है और ओ.एम.आर. शीट का कोई भी स्तम्भ बिना भरा नहीं है। (ठ) ओवरराइटिंग/कटिंग या सफेदा के प्रयोग की अनुमति किसी भी परिस्थिति में न दी जाय। (ड) अभ्यर्थियों को ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक की कार्बन प्रति अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी। (ढ) कक्ष अन्तरीक्षक के साथ-साथ परीक्षा केन्द्र के अधीक्षक से यह प्रमाणपत्र देने की अपेक्षा की जाती है कि उनके परीक्षा केन्द्र पर किसी भी अभ्यर्थी ने ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक की खाली नहीं छोड़ा है। यदि किसी अभ्यर्थी ने ऐसा किया है तो अभ्यर्थी का नाम और अनुक्रमांक सहित पृथक-पृथक सम्पूर्ण विवरण लिखित रूप में दिया जाय। ऐसे कक्ष अन्तरीक्षक और केन्द्र अधीक्षक जो जानबूझकर गलत सूचना प्रस्तुत करते हैं, दाण्डिक कार्यवाही के भागी होंगे। (ण) लिखित परीक्षा समाप्त हो जाने के पश्चात उत्तर पुस्तिकाओं/पत्रकों को जिला मजिस्ट्रेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के माध्यम से समुचित सुरक्षा घेरे में परीक्षा केन्द्रों की सूची के साथ मुहरबन्द आवरण में बोर्ड के कार्यालय में जमा करा दिया जायेगा। (त) बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि उत्तर पत्रक मुख्यालय में तत्काल पहुंच जाय और भिन्न भिन्न सीरिजों के प्रश्नों के सही उत्तर अन्तिम श्रेष्ठता सूची की घोषणा के साथ वेबसाइट पर प्रकाशित किये जायें जिससे अभ्यर्थी को अपने अंक स्वयं जानने में सुविधा हो सके। यदि किसी अभ्यर्थी को यह अनुभव हो कि प्रकाशित उत्तर गलत है तो उसे बोर्ड की हेल्पलाईन/वेबसाइट के माध्यम से 07 दिनों के भीतर लिखित रूप में आपत्ति अवश्य दाखिल करनी चाहिए। बोर्ड से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आगामी 07 दिनों के भीतर ऐसी सभी आपत्तियों का निस्तारण करे। (थ) उपर्युक्त 07 दिनों के भीतर उत्तर पत्रकों की जांच का कार्य अवश्य पूर्ण कर लिया जाय और अंतिम श्रेष्ठता सूची यथासंभव शीघ्र अवश्य प्रकाशित कर दी जाय। अंतिम चयन सूची के प्रकाशन के पूर्व सभी आपत्तियों का निस्तारण अवश्य कर दिया जाय। (द) प्रश्न पत्रों को परीक्षा आरंभ होने के एक दिन पूर्व बाह्य एजेंसी और नोडल अधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन जिले में लाया जायेगा और कोषागार में दोहरे ताले में रखा जायेगा। परीक्षा के दिन प्रश्न पत्रों को सेक्टर मजिस्ट्रेट के पर्यवेक्षण में परीक्षा केन्द्र पर लाया जायेगा और परीक्षा की समाप्ति के पश्चात उपस्थिति पत्रक और उत्तर पत्रकों के साथ इन प्रश्न पत्रों को सेक्टर मजिस्ट्रेट के पर्यवेक्षण में पुनः कोषागार में जमा करा दिया जायेगा, जहां से नोडल अधिकारी द्वारा ले जाकर बोर्ड के लखनऊ स्थित कार्यालय में जमा करा दिया जायेगा।		मानक– (एक) सामान्य / अन्य पिछडे वर्गों और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये 152 सेंटीमीटर है। (दो) आदिवासी अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम ऊँचाई 147 सें0मी0 है । **वतन न्यूनतम 40 किलोग्राम** प्रत्येक परीक्षण हेतु न्यूनतम शारीरिक मानक अर्हता को स्टेडियम/पुलिस लाईन में, जहां कहीं भी परीक्षा आयोजित हो, बोर्ड पर अत्यन्त प्रमुखता से परीक्षा आयोजित करने से पहले प्रदर्शित किया जाये। टिप्पणी :– 1. शारीरिक मानक परीक्षण की परीक्षा के लिए केवल भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन वाले या निदेशक बांट माप द्वारा सम्यक रुप से प्रमाणित मानकीयकृत उपकरणों का ही प्रयोग किया जाय। **(3) चिकित्सा मैनुअल के अनुसार चिकित्सकों द्वारा परीक्षण** (क) चिकित्सकों द्वारा अभ्यर्थियों की परीक्षा चिकित्सा मैनुअल, यदि कोई हो , के अनुसार की जायेगी और चिकित्सा परीक्षा के दिन ही परिणाम घोषित कर दिया जायेगा। (ख) चिकित्सा परीक्षा का परिणाम परिसर के बाहर सूचना पट्ट पर दिन की समाप्ति पर प्रदर्शित कर दिया जायेगा। (ग) कोई अभ्यर्थी अपनी चिकित्सा परीक्षा से असंतुष्ट हो, ठीक परीक्षा के दिन ही उस जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को, जहां परीक्षा आयोजित हो, अपील फाइल कर सकता है। चिकित्सा परीक्षा के संबंध में किसी अपील पर विचार नही किया जायेगा, यदि अभ्यर्थी अपने चिकित्सा परीक्षा और परीक्षा के परिमाण की घोषणा के दिन अपील करने में विफल रहता है अपील का निस्तारण उक्त प्रयोजन के लिए गठित चिकित्सा बोर्ड द्वारा अपील फाइल किये जाने के एक माह के भीतर जाना चाहिए। (घ) चिकित्सा बोर्ड के ऐसे सदस्य जो जानबूझकर गलत रिर्पोट देते हुए पाये जायेंगे, दांडिक कार्यवाही के भागी होगें। (ड) चिकित्सा परीक्षा केवल अर्हकारी प्रकृति की होती है और योग्यता सूची पर उसका कोई प्रभाव नही पड़ता है।

परिशिष्ट- 5

विभागीय परीक्षा के माध्यम से मुख्य आरक्षी के पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया क. विषय/अंकों को निम्नलिखित रीति में अवधारित किया जायेगा :-

	मूल नियम		* दि0 06.06.2013 से प्रतिस्थापित
क्र0	विषय	अंक	**<u>लिखित परीक्षा के लिए प्रक्रिया</u>** (क) लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी अपने स्वयं के हस्तलेख में लिखेंगे और किसी भी मुंशी (स्क्राइब) की किसी भी कारण से अनुमति नही दी जायेगी। (ख) लिखित परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को दिये गये प्रश्न पत्र में यह स्पष्ट रूप से इंगित किया जायेगा कि प्रश्न वर्णनात्मक प्रकार के हैं। या वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी प्रकार के हैं। (ग) लिखित परीक्षा के पश्चात उत्तर पुस्तिकांए, जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा उपलब्ध करायी गयी सुरक्षित अभिरक्षा के माध्यम से मुहरबंद लिफाफे में बोर्ड को, केन्द्रवार भेजी जायेगी।
1	बुद्धि शक्ति/तर्क शक्ति/मानसिक अभिरूचिपरीक्षण (प्रश्नपत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा)	50	
2	भारतीय दण्ड संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता, साक्ष्य अधिनियम, पुलिस मैनुअल आदि को सम्मिलित करते हुये आधार भूत विधि, संविधान एवं पुलिस प्रक्रिया। (प्रश्नपत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा)	50	
3	निबंध (पुलिस विषयों से सम्बन्धित यथा प्रथम सूचना रिपोर्ट-15 अंक, वाद का अध्ययन-20 अंक, विवेचना-15 अंक)	50	
4	**सेवा अभिलेख – 50 अंक** जिसमें से अधिकतम 30 अंक वार्षिक प्रविष्टियों के लिए, 15 अंक प्रशिक्षण के लिए और 05 अंक पुरस्कार/विशेष प्रविष्टि के लिए। प्रशिक्षण के अंक इस प्रकार विभाजित है कि प्रत्येक मौलिक प्रशिक्षण के लिये पांच अंक जो अधिकतम 10 हो सकते हैं और प्रत्येक गैर मौलिक प्रशिक्षण के लिये 01 अंक जो अधिकतम 05 हो सकते हैं। पुलिस संगठन के प्रशिक्षण निदेशालय को प्राधिकृत किया जाता है कि वह मौलिक प्रशिक्षण और गैर मौलिक प्रशिक्षण के रूप में अधिसूचित करें, जिसमें यह शर्त होगी कि एक मास से कम का कोई भी प्रशिक्षण मौलिक प्रशिक्षण के रूप में अधिसूचित नहीं किया जाएगा। अगेतर प्रत्येक वृहद दण्ड के लिये 03 अंक, प्रत्येक लघु दण्ड के लिए 02 अंक और प्रत्येक अति लघु दण्ड के लिए 01 अंक उपर्युक्त अंकों में से घटा दिया जाएगा। यह देखने के लिए सेवा अभिलेख का भी अवश्य विश्लेषण किया जाना चाहिए कि क्या अभ्यर्थी को कोई ऐसा दण्ड दिया गया था जो उसकी प्रोन्नति को अनुचित ठहराता है।		(घ) वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षाओं के लिए, अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये समस्त प्रश्नों के उत्तर बोर्ड की वेबसाइट पर उत्तरमाला के साथ अपलोड किये जायेंगे। (ङ) अभ्यर्थियों को दिये गये प्रश्न पत्र इस प्रकार होंगे कि प्रश्नों को क्रम और साथ में विशिष्ट प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार न हों। प्रत्येक प्रश्न पत्र पर एक विशिष्ट पहचान संख्या या कम अंकित होगा और अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जायेगी कि वे बोर्ड द्वारा निर्गत किये गये निर्देशों के अनुसार, जहां इस प्रकार अनुदेशित किया गया हो, उत्तर पुस्तिका पर उसे अभिलिखित करें। जब अभिलिखित करने के लिए अनुदेशित किया गया हो, और अभ्यर्थी उसे अभिलिखित करने में असफल रहे हों तो उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थियों को कोई अंक प्राप्त नहीं होगा। (च) एक या एक से अधिक प्रश्न पत्रों में किसी प्रश्न के गलत होने की दशा में या बोर्ड की राय में, उत्तर का चुनाव अनन्य न होने या लिखित रूप में अभिलिखित किये गये किसी अन्य कारणों से बोर्ड किसी प्रश्न को निरस्त कर सकता है। किसी भी कारण से प्रश्न के निरस्त किये जाने की दशा में, प्रश्न के लिए आवंटित अंकों को अभ्यर्थी द्वारा शेष प्रश्नों में प्राप्त किये गये अंकों के आधार पर समायोजित कर लिया जायेगा। (छ) बोर्ड, परीक्षा के लिए विस्तृत पाठ्य-विवरण विनिर्दिष्ट करेगा। तथापि, पाठ्यविवरण संकेतात्मक प्रकृति का होगा और परीक्षा समाप्त हो जाने के बाद पाठ्यक्रम द्वारा अनाच्छादित प्रश्नों से सम्बन्धित मामलों पर कोई अपील या आपत्तियां नहीं की जा सकेंगी। (ज) बोर्ड किसी प्रश्न पत्र को खण्डों में विभक्त कर सकता है और दो या दो से अधिक विषयों को और दो से अधिक प्रश्न पत्रों को क्रमानुसार एक प्रश्न पत्र में संयुक्त कर सकता है किन्तु ऐसे मामलों में उनके

***उ0प्र0 प्रा0आ0का0अ0अधि0 (तृतीय संसोधन) नियमावली 2013, द्वारा दिनांक 06.06.2013 से प्रतिस्थापित**

		कारणों को इंगित किया जायेगा। स्पष्ट रूप से यह भी इंगित किया जायेगा कि प्रत्येक भाग या खण्ड में पृथक रूप से न्यूनतम अंक अपेक्षित है। (झ) अभ्यर्थी द्वारा उसके किसी उत्तर पुस्तिका पर किये गये किसी हस्ताक्षर, अंकित किये गये नाम या असंगत चिन्ह, सिवाय अभ्यर्थी को दिये गये निर्देश के अनुसार, के परिणाम स्वरूप अभ्यर्थी का अभ्यर्थन अनर्ह हो सकता है। (ञ) वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न-पत्रों की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन वाह्य सहायित अभिकरण द्वारा मूल्यांकित किया जायेगा और वर्णनात्मक प्रकार के प्रश्न-पत्र का मूल्यांकन बोर्ड द्वारा प्राधिकृत (जो विषय से सम्बद्ध हो) अध्यापक/ अध्यापकों/आचार्यों/व्यक्तियों द्वारा किया जायेगा।

ख. उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन और शारीरिक दक्षता परीक्षण

5 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन	उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन-वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र का बाह्य सहायित अभिकरण से मूल्यांकन कराया जाएगा और निबंधों का बोर्ड द्वारा प्राधिकृत अध्यापकों/प्रवक्ताओं/आचार्यों द्वारा मूल्यांकन कराया जाएगा।
6 शारीरिक दक्षता परीक्षण	पुरूष अभ्यर्थियों से 10 किलोमीटर की दौड़ 75 मिनट में और महिला अभ्यर्थियों से 05 किलोमीटर की दौड़ 45 मिनट में पूर्ण किया जाना अपेक्षित है। यह दौड़ केवल अर्हकारी है।

***दि0 12.01.2011 से प्रतिस्थापित**	****दि0 10.04.2011 से प्रतिस्थापित**
7 चयन सूची -शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की खण्ड-क के क्रम संख्या-1, 2 व 4 में यथाविहित अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों द्वारा प्रकटित श्रेष्ठता क्रम में अभ्यर्थियों की अन्तिम चयन सूची तैयार करेगा। यदि दो या उससे अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं तो क्रमांक-12 के कुल योग स्वरूप उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा। बोर्ड-इस सूची को विभागाध्यक्ष को अवधारित कर देगा।	**7.चयन सूची** शारीरिक दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों की खण्ड-क के क्रम संख्या-1, 2, व 4 में यथाविहित प्रकटित अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता सभी के अनुसार अन्तिम चयन सूची तैयार की जायेगी। यदि दो या उससे अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं तो क्रमांक-1 और 2 के कुल योग स्वरूप उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को सूची में उच्चतर बोर्ड इस सूची को विभागाध्यक्ष को अग्रसारित कर देगा।

परिशिष्ट-6

ज्येष्ठता के आधार पर प्रधान आरक्षी के पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया

मूल नियम	*****दि0 06.06.2013 से प्रतिस्थापित**
1 शारीरिक दक्षता परीक्षण पुरुष अभ्यर्थियों से 10 किलोमीटर की दौड़ 90 मिनट में और महिला अभ्यर्थियों से 05 किलोमीटर की दौड़ 50 मिनट में पूरा किया जाना अपेक्षित है। यह दौड़ केवल अर्हकारी है।	**अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति के माध्यम से भर्ती के लिए चयन समिति का गठन और शक्तियां** **(क) चयन समिति** बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा गठित की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे :- (एक) चेयरपरसन, जो पुलिस महानिरीक्षक स्तर का एक अधिकारी होगा, जिसे बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा। (दो) इसके प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी के उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय)

***उ0प्र0 प्रा0आ0का0अ0अधि0 (प्रथम संसोधन) नियमावली 2011, द्वारा दिनांक 12.01.2011 से प्रतिस्थापित**
****उ0प्र0 प्रा0आ0का0अ0अधि0 (द्वितीय संसोधन) नियमावली 2011, द्वारा दिनांक 10.04.2011 से प्रतिस्थापित**
*****उ0प्र0 प्रा0आ0का0अ0अधि0 (तृतीय संसोधन) नियमावली 2013, द्वारा दिनांक 06.06.2013 से प्रतिस्थापित**

2	सेवा अभिलेख यह चयन अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के मानदण्ड पर आधारित है। कोई आरक्षी जो अन्यथा रूप से पात्र है किंतु यदि उसकी सत्यनिष्ठा गत 5 वर्षों में एक बार भी रोकी गई है तो वह पदोन्नति के लिये पात्र नहीं होगा।	समिति के पदेन सदस्य के रूप में होंगे, जो वर्तमान शासनादेशों के अनुसार अर्ह अभ्यर्थियों की निर्विवादित ज्येष्ठता सूची भी चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। (तीन) प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी के महानिदेशक द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक सदस्य जो पुलिस अधीक्षक के स्तर से निम्न नहीं हों। (चार) पुलिस सेवा के राजपत्रित स्तर के दो सदस्य, जिन्हें बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा। (ख) चयन समिति, पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों की सूची अपनी संस्तुति सहित प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी के महानिदेशक/अपर महानिदेशक को प्रस्तुत करेगी। सूची अधिसूचित रिक्तियों से अधिक की नहीं होगी। टिप्पणी-बोर्ड का अध्यक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि चयन समिति में अल्पसंख्यक, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति से सम्बन्धित प्रत्येक का कम से कम एक प्रतिनिधित्व सम्मिलित हो।

परिशिष्ट-7

(नियम 18 (2) देखिये)

उपनिरीक्षक, सशस्त्र बल/प्लाटून कमाण्डर की सीधी भर्ती के लिए शारीरिक मानक परीक्षण

मूल नियम	*दि0 12.01.2011 से प्रतिस्थापित	**दि0 10.04.2011 से प्रतिस्थापित
उपनिरीक्षक, सशस्त्र बल/प्लाटून कमाण्डर की सीधी भर्ती के लिए शारीरिक मानक परीक्षण पुरूष और महिला अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक निम्न प्रकार हैं 1. पुरूष अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक- **ऊंचाई** (1) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये 168 सेंटीमीटर; (2) जनजातीय अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम ऊंचाई 160 सेन्टीमीटर है। **सीने का फुलाव** सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों/अनुसूचित जातियों के लिये फुलाने पर 84 सेंटीमीटर अनुसूचित जनजातियों के लिये 82 सेंटीमीटर टिप्पणी :- न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है।	शारीरिक मानक परीक्षा का संचालन 3 सदस्यीय दल द्वारा किया जायेगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :- 1. परगना मजिस्ट्रेट/उप कलेक्टर 2.चिकित्सक/क्रीड़ाधिकारी/राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिकारी 3. पुलिस उपाधीक्षक (1) दल के सदस्यों का यह दायित्व होगा कि वे अभ्यर्थी द्वारा अपनी योग्यता यथा-आयु, दसवीं, बारहवीं और स्नातक/स्नातकोत्तर के प्रमाण पत्र होम गार्ड प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिकों के मामलों में यूनिट, डिस्चार्ज प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रमाण पत्र और लगायत व क्षैतिज आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों से उनके उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने के प्रमाण पत्रों को प्रस्तर-(क)(सात) के अनुसार प्रस्तुत किये जाने वाले मूल प्रमाण-पत्रों से नुप्रमाणित प्रतियों का भली-भांति	शारीरिक मानक परीक्षा का संचालन 3 सदस्यीय दल द्वारा किया जायेगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :- 1. परगना मजिस्ट्रेट/उप कलेक्टर 2.चिकित्सक/क्रीड़ाधिकारी/राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिकारी 3. पुलिस उपाधीक्षक (1) दल के सदस्यों का यह दायित्व होगा कि अभ्यर्थी द्वारा अपनी अर्हता यथा-आयु, हाई स्कूल इण्टरमीडियट और स्नातक/स्नातकोत्तर के पत्र होम गार्ड प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिकों के मामलों में यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रमाण पत्र और उर्वबाधर व क्षैतिज आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों से उनके उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने के प्रमाण पत्रों को नियम- 18(क)(6) के अनुसार प्रस्तुत किये जाने वाले मूल

***उ0प्र0 प्रा0आ0का0अ0अधि0 (प्रथम संसोधन) नियमावली 2011, द्वारा दिनांक 12.01.2011 से प्रतिस्थापित**
****उ0प्र0 प्रा0आ0का0अ0अधि0 (द्वितीय संसोधन) नियमावली 2011, द्वारा दिनांक 10.04.2011 से प्रतिस्थापित**

2. महिला अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक- **ऊंचाई** (1) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर है। (2) अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये न्यूनतम ऊंचाई 147 सेंटीमीटर है। **वजन** 45 से 58 किलोग्राम 3. स्टेडियम/पुलिस लाईन जहां कहीं भी परीक्षण आयोजित हो, वहां परीक्षा आयोजन के पूर्व सूचना पट्ट (बोर्ड) पर प्रत्येक परीक्षण हेतु अर्हता के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक को अत्यंत प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाय। 4. सम्पूर्ण राज्य में शारीरिक मानक परीक्षण पुलिस लाईन/स्टेडियम में आयोजित किया जाय। एक दिन में अभ्यर्थियों की संख्या 200 से अधिक नहीं होना चाहिए। यह परीक्षा उसी दिन आरंभ होनी चाहिए किन्तु गठित किये गए दलों की संख्या जिले में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर घट बढ़ सकती है। 5. दल के सदस्य, जो जानबूझकर गलत रिपोर्ट देते हुये पाये जाते हैं दाण्डिक कार्यवाही के भागी होंगे। 6. इस अर्हकारी परीक्षा का परिणाम, परीक्षण के समाप्त होने के तत्काल बाद परीक्षणवार प्रत्येक अभ्यर्थी के परिमापों का उल्लेख करते हुए माईक पर उद्घोषित किया जायेगा, और सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा और यदि संभव हो तो बोर्ड की वेबसाइट पर भी नित्य अपलोड किया जायेगा। 7. शारीरिक मानक परीक्षण की परीक्षा के लिये भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन वाले मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग किया जाय।	मिलान करने के उपरान्त अनुप्रमाणित प्रतियों को अभिलेखार्थ शारीरिक मानक परीक्षण केन्द्र पर जमा कर लेंगे। (2) पुरुष अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक— **ऊंचाई** 1-सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये 168 सेंटीमीटर 2- जनजातीय अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम ऊंचाई 160 सेन्टीमीटर है। **सीने का फुलाव** सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों अनुसूचित जातियों के लिये फुलाने पर 84 सेमी0 और बिना फुलाए 79 सेमी0 से कम नहीं होनी चाहिए और अनुसूचित जनजातियों के लिए फुलाने पर 82 सेमी0 बिना फुलाए 77 सेमी0 से कम नहीं होनी चाहिए। टिप्पणी :- न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवाय है। (3) महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक- **ऊंचाई** सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर है। अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 147 सेंटीमीटर है। **वजनः-न्यूनतम 40 किलोग्राम** (4) सम्पूर्ण राज्य में शारीरिक मानक परीक्षण पुलिस लाईन/स्टेडियम में आयोजित किया जाय। एक दिन में अभ्यर्थियों की संख्या 200 से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह परीक्षा उसी दिन आरंभ होनी चाहिए किन्तु गठित किये गए दलों की संख्या जिले में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर घट बढ़ सकती है। (5) दल के सदस्य, जो जानबूझकर	प्रमाण-पत्रों से अनुप्रमाणित प्रतियों का भली-भांति मिलान करने के उपरान्त अनुप्रमाणित प्रतियों को अभिलेखार्थ शारीरिक मानक परीक्षण केन्द्र पर जमा कर लेंगे। (2) पुरुष अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक- (एक) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये 168 सेंटीमीटर (दो) जनजातीय अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम ऊंचाई 160 सेन्टीमीटर है **सीने की माप-** सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों/अनुसूचित जातियों के लिए फुलाने पर 84 सेमी0 तथा अनुसूचित जनजातियों के 82 सेमी0 से कम नहीं होनी चाहिए। टिप्पणी-न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है। (3) महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम मानक- **ऊंचाई** सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर है। अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 147 सेंटीमीटर है। **वजनः-न्यूनतम 40 किलोग्राम** (4) सम्पूर्ण राज्य में शारीरिक मानक परीक्षण पुलिस लाईन/स्टेडियम में आयोजित किया जाय। एक दिन में अभ्यर्थियों की संख्या 200 से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह परीक्षा उसी दिन आरंभ होनी चाहिए किन्तु गठित किये गए दलों की संख्या जिले में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर घट बढ़ सकती है। (5) दल के सदस्य, जो जानबूझकर गलत रिपोर्ट देते हुये पाये जाते हैं दाण्डिक कार्यवाही के भागी होंगे।

	गलत रिपोर्ट देते हुये पाये जाते हैं दाण्डिक कार्यवाही के भागी हैं (6) इस अर्हकारी परीक्षा का परिणाम, परीक्षण के समाप्त होने के तत्काल बाद परीक्षणवार प्रत्येक अभ्यर्थी के परिमाणों का उल्लेख करते हुए माईक पर उद्घोषित किया जायेगा, और सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा और यदि संभव हो तो बोर्ड की वेबसाइट पर भी नित्य अपलोड किया जायेगा (7) शारीरिक मानक परीक्षण की परीक्षा के लिये भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन वाले मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग किया जाय।	(6) इस अर्हकारी परीक्षा का परिणाम, परीक्षण के समाप्त होने के तत्काल बाद परीक्षणवार प्रत्येक अभ्यर्थी के परिमापों का उल्लेख करते हुए माईक पर उद्घोषित किया जायेगा, और सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा और यदि संभव हो तो बोर्ड की वेबसाइट पर भी नित्य अपलोड किया जायेगा। (7) शारीरिक मानक परीक्षण की परीक्षा के लिये भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन वाले मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग किया जाय।

परिशिष्ट-8

(नियम 18 (4) देखिये)

उपनिरीक्षक, सशस्त्र बल/प्लाटून कमान्डर की सीधी भर्ती के लिये शारीरिक दक्षता परीक्षण

शारीरिक दक्षता परीक्षण तीन सदस्यीय एक दल द्वारा किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

1. परगना मजिस्ट्रेट/डिप्टी कलेक्टर;
2. चिकित्सक/क्रीड़ा अधिकारी/राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिकारी;
3. पुलिस उप अधीक्षक

(क) ऐसे प्रत्येक दल के लिये अभ्यर्थियों की संख्या एक दिन में 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए जिससे कि परीक्षण की गुणवत्ता और प्रक्रिया प्रभावित न होने पाये। यह परीक्षण सम्पूर्ण राज्य में एक सप्ताह में पूर्ण किया जाएगा। अभ्यर्थियों की अत्यधिक संख्या के कारण बोर्ड समयावधि बढ़ाने का निर्णय ले सकता है और अपेक्षित समय का अवधारणा कर सकता है।

(ख) प्रत्येक परीक्षण हेतु अर्हता के लिये न्यूनतम शारीरिक मानकों का प्रदर्शन स्टेडियम में सूचना पट्ट पर प्रमुखता से किया जायेगा, और जहां परीक्षा के आयोजन के पूर्व परीक्षण का आयोजन किया जाय।

(ग) शारीरिक दक्षता परीक्षण केवल अर्हकारी प्रकृति का है और इसका श्रेष्ठता सूची पर कोई प्रभाव न होगा। इस अर्हकारी परीक्षण का परिणाम सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जायेगा और जहां संभव हो बोर्ड की वेबसाइट पर नित्य अपलोड किया जायेगा।

(घ) शारीरिक दक्षता परीक्षण दल के जो सदस्य जानबूझकर गलत रिपोर्ट देते हुये पाये जाते हैं, दाण्डिक कार्यवाही के भागी होंगे।

(ङ) शारीरिक दक्षता परीक्षण का परिणाम अभ्यर्थियों को उसी दिन उपलब्ध करा दिया जायेगा। सफल/असफल अभ्यर्थियों की सूची सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जायेगी और बोर्ड की वेबसाईट को नित्य अपलोड किया जायेगा। जैसे ही 100 अभ्यर्थियों की परीक्षा पूरी हो जाय तो सफल अभ्यर्थियों की सूची परगना मजिस्ट्रेट/डिप्टी कलेक्टर और पुलिस उप अधीक्षक के संयुक्त हस्ताक्षर से घोषित की जाएगी।

(च) इस परीक्षण का परिणाम परीक्षा समाप्त होने के तत्काल बाद माईक द्वारा उद्घोषित किया जायेगा जिसमें परीक्षणवार प्रत्येक अभ्यर्थी की माप का उल्लेख होगा।

(छ) शारीरिक दक्षता परीक्षण की परीक्षा के लिये भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन वाले मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग किया जाय।

मूल नियम	*दि0 12.01.2011 से प्रतिस्थापित	**दि0 10.04.2011 से प्रतिस्थापित
(ज)शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों की सूची घोषित हो जाने पर उन्हें अभिहित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तहसील मुख्यालय और जिला चिकित्सालय और चिकित्सकीय स्वस्थता परीक्षण के लिये भेज दिया जायेगा।	(ज) शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों की सूची की घोषणा कर उन्हें अभिहित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तहसील/मुख्यालय और जिला चिकित्सालय को चिकित्सा परीक्षण के लिये भेजा जायेगा।	(ज) शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों सूची की घोषणा कर उनसे मुख्य लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी।

परिशिष्ट-9
(नियम 22 और 28 देखिये)
उपनिरीक्षकों, सशस्त्र बल/प्लाटून कमाण्डर/रिजर्व उपनिरीक्षक की सीधी भर्ती के लिए

लिखित परीक्षा की प्रक्रिया	मुख्य लिखित परीक्षा के पूर्व सभी अभ्यर्थियों (उपनिरीक्षकों की सीधी भर्ती के मामले में) को की प्रक्रिया शारीरिक दक्षता परीक्षण कराना होगा। संघ लोक सेवा आयोग की रीति से मुख्य लिखित परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को चिपके हुए फोटोग्राफ के साथ कम्प्यूटरीकृत बुलावा पत्र डाक घर/बैंक के माध्यम से उसी रीति से भेजे जायेंगे जैसे कि प्रारम्भिक परीक्षा के लिए भेजे गये थे।
(क)	फोटो, दोनों हथेलियों के अंगूठा निशान, परीक्षा केन्द्र की कोड संख्या/नाम, डाक का पता, परीक्षा का समय/दिनांक सहित जिला का नाम बुलावा पत्र में स्पष्ट रूप से दिया जाएगा।
(ख)	परीक्षा के दिनांक से कम से कम एक सप्ताह पूर्व अभ्यर्थी के पास बुलावा पत्र पहुँचना चाहिए। यदि परीक्षा के दिनांक से एक सप्ताह पूर्व बुलावा पत्र नहीं प्राप्त होता है तो अभ्यर्थी बोर्ड की हेल्पलाइन/लैण्डलाइन/मोबाइल फोन से सम्पर्क कर सकता है या बोर्ड की वेबसाइट से बुलावा पत्र की दूसरी प्रति प्राप्त कर सकता है।
(ग)	लिखित परीक्षा पूरे राज्य में एक ही दिनांक और समय पर आयोजित की जाएगी।
(घ)	अभ्यर्थियों की परीक्षा केन्द्र में कार्बन प्रति सहित ओ0एम0आर0 पत्रक उपलब्ध कराया जायगा। परीक्षा के बाद अभ्यर्थी कार्बन प्रति अपने साथ ले जा सकते हैं। जब सभी अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित हो जाय तो परिणाम को बोर्ड की वेबसाइट पर उत्तर कुंजी सहित विषयवार उनके द्वारा प्राप्त किये गये अंकों के साथ लोड किया जायगा।
(ङ)	लिखित परीक्षा समाप्त हो जाने के पश्चात् उत्तर पत्रकों को जिला मजिस्ट्रेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा उपलब्ध करायी गयी, सुरक्षित अभिरक्षा के माध्यम से मुहर बन्द आवरन में केन्द्रवार बोर्ड को भेज दिया जायेगा।

परिशिष्ट-10
(नियम 23 देखिये)
उपनिरीक्षक, सशस्त्र बल/प्लाटून कमाण्डर की सीधी भर्ती के लिये चिकित्सकीय परीक्षण

मूल नियम	*दि0 12.01.2011 से प्रतिस्थापित	**दि0 10.04.2011 से प्रतिस्थापित
जिन अभ्यर्थियों ने शारीरिक दक्षता	केवल उन्हीं अभ्यर्थियों की विभिन्न	

*उ0प्र0 प्रा0आ0का0अ0अधि0 (प्रथम संसोधन) नियमावली 2011, द्वारा दिनांक 12.01.2011 से प्रतिस्थापित

**उ0प्र0 प्रा0आ0का0अ0अधि0 (द्वितीय संसोधन) नियमावली 2011, द्वारा दिनांक 10.04.2011 से प्रतिस्थापित

परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है वे अधिसूचित केन्द्रों पर (जिला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व जिला चिकित्सालय और तहसील सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र) जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा गठित चिकित्सा परिषद् द्वारा चिकित्सकीय परीक्षण करायेंगे प्रत्येक चिकित्सा परिषद के लिये अभ्यर्थियों की संख्या (एक दिन में 50 से अनधिक) इस प्रकार निर्धारित की जोयगी कि उससे चिकित्सकीय परीक्षण की गुणवत्ता और प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी। समूची राज्य में चिकित्सकीय परीक्षण एक सप्ताह में पूर्ण कर लिया जाएगा। यदि अभ्यर्थियों की अधिक संख्या के कारण अधिक समय की अपेक्षा हो तो पुलिस सेवा भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड अपने स्तर पर निर्णय लेकर अपेक्षित समय का विनिश्चत कर सकता है। जहां कहीं भी परीक्षण आयोजित होता है, परीक्षा आयोजन के पूर्व चिकित्सकीय परीक्षण हेतु अर्हता के लिये न्यूनतम अपेक्षाओं को जिला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला चिकित्सालय और तहसील सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के सूचना पट्ट पर अत्यंत प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाय।	अधिसूचित केन्द्रों पर चिकित्सा परीक्षा होगी जिन्हें लिखित परीक्षा और समूह वाद विवाद के पश्चात नियम 18(ट) के अधीन चयन किया गया है, इन केन्द्रों को बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जायेगा। (जिला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला अस्पताल और तहसील सामुदायिक स्वास्थ्य मुख्य केन्द्र) जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा गठित द्वारा चिकित्सा बोर्ड द्वारा चिकित्सा परीक्षा ली जायेगी। प्रत्येक होगा। चिकित्सा बोर्ड के लिये अभ्यर्थियों की संख्या (एक दिन में 50 से अधिक नहीं) इस प्रकार निर्धारित की जाएगी कि इससे चिकित्सा परीक्षा की प्रक्रिया और गुणवत्ता प्रभाव नहीं पड़ेगा। चिकित्सा परीक्षा सम्पूर्ण राज्य में सप्ताह के भीतर पूरी कर ली जायेगी। यदि अभ्यर्थियों की अधिक संख्या के कारण और समय की आवश्यकता होगी तो पुलिस सेवा भर्ती और पदोन्नति बोर्ड निर्णय लेगा और अपने स्तर पर अपेक्षित समय का निश्चय करेगा। चिकित्सा परीक्षा के लिये अर्ह होने के लिये न्यूनतम अपेक्षा को जिला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला अस्पताल और तहसील सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के सूचना पट्टों पर प्रमुखता से प्रदर्शित की जायेगी। ये कार्य परीक्षा प्रारम्भ होने के पूर्व किया जायेगा।	मुख्य लिखित परीक्षा और समूह परिसंवाद पूर्ण होने पर ऐसे अभ्यर्थियों जो अन्तिम/अन्नतिम चयन सूची मे स्थान प्राप्त किये हों, को अधिरचित केन्द्रों पर (जिला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला अस्पताल और तहसील सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों जिलें के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा गठित चिकित्सा बोर्ड द्वारा आयोजित चिकित्सा परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। इस सम्पूर्ण प्रक्रिया का पर्यवेक्षण नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा। प्रत्येक चिकित्सा बोर्ड लिए अभ्यर्थियों की संख्या (एक दिन में अनधिक 50) का विनिश्चय इस प्रकार किया जायेगा कि चिकित्सा परीक्षा की गुणवत्ता और प्रक्रिया प्रभावित न हो। चिकित्सा परीक्षा सम्पूर्ण राज्य में एक सप्ताह के अन्दर पूर्ण की जाये। यदि चिकित्सा परीक्षा में सम्मिलित होन वाले अभ्यर्थियों की संख्या अधिक हो तो नियुक्ति प्राधिकारी के स्तर पर अपेक्षानुसार समय बढ़ाने का विनिश्चय किया जा सकता है। चिकित्सा परीक्षा संचालन के पूर्व चिकित्सा परीक्षण में अर्ह होने के लिये न्यूनतम अपेक्षाओं को जिला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला चिकित्सालय या तहसील सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जहां कही भी चिकित्सा परीक्षा संचालित की जा रही हो, के सूचना पट्ट पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जायेगा।

चिकित्सा मैनुअल के अनुसार चिकित्सकों द्वारा परीक्षण

(क) चिकित्सकों द्वारा अभ्यर्थियों का परीक्षण चिकित्सा मैनुअल के अनुसार किया जाएगा। चिकित्सा परिषद् मुख्यालय मानव शरीर की कमियाँ, यथा नोक-नी, बो-लेग्स, प्लेट फीट वैरिकोज वेन्स, दूर एवं निकट दृष्टि, कलर ब्लाइन्डनेस रिनीज टेस्ट सहित श्रवण परीक्षण वेबर्स टेस्ट और वरटिगो इत्यादि की जांच करेगा। परिषद् विशेषज्ञों की राय प्राप्त करके अन्य परीक्षण कर सकता है।

*उ0प्र0 प्रा0आ0का0अ0अधि0 (प्रथम संसोधन) नियमावली 2011, द्वारा दिनांक 12.01.2011 से प्रतिस्थापित
**उ0प्र0 प्रा0आ0का0अ0अधि0 (द्वितीय संसोधन) नियमावली 2011, द्वारा दिनांक 10.04.2011 से प्रतिस्थापित

(ख) दिन के अंत में प्रत्येक दिन परिणामों को सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जाएगा।
(ग) चिकित्सा परिषद के सदस्य जो जानबूझकर गलत रिपोर्ट देते पाये जाएंगे दाण्डिक कार्यवाही के भागी होंगे।
(घ) चिकित्सकीय परीक्षण केवल अर्हकारी प्रकृति का है और इसका श्रेष्ठता सूची पर कोई प्रभाव न होगा। इस अर्हकारी परीक्षा का परिणाम प्रतिदिन सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जाएगा और जहाँ भी सम्भव हो उसे बोर्ड के वेब साइट पर अपलोड किया जाएगा।

आज्ञा से
(कुँवर फतेह बहादुर)
प्रमुख सचिव

अनुसूची 'ख'

परिशिष्ट-1

प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी के आरक्षी की सीधी भर्ती के लिये मानक परीक्षण

शारीरिक मानक परीक्षण-शारीरिक दक्षता परीक्षण तीन सदस्यीय दल द्वारा किया जायेगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

1. परगना मजिस्ट्रेट/उप कलेक्टर
2. चिकित्सक/क्रीड़ाधिकारी/राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिकारी
3. पुलिस उपाधीक्षक

(1) दल के सदस्यों का यह दायित्व होगा कि वे अभ्यर्थी द्वारा अपनी योग्यता यथा-आयु, हाई स्कूल, इण्टरमीडियक और स्नातक/स्नातकोत्तर के प्रमाण-पत्र, खेल प्रमाण-पत्र, राष्ट्रीय कैडेट कोर प्रमाण-पत्र, होम गार्ड प्रमाण-पत्र, भूतपूर्व सैनिकों के मामलों में यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण-पत्र, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रमाण-पत्र और उर्धवीय व क्षैतिज आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों से उनके उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने के प्रमाण पत्रों को प्रस्तर-(क)(सात) के अनुसार प्रस्तुत किये जाने वाले मूल प्रमाण पत्रों से अनुप्रमाणित प्रतियों का भली-भाँति मिलान करने के उपरान्त अनुप्रमाणित प्रतियों को अभिलेखार्थ शारीरिक मानक परीक्षण केन्द्र पर जमा कर लेंगे।

(2) पुरूष अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक :-

ऊंचाई

(एक) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये 168 सेंटीमीटर;

(दो) जनजातीय अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम ऊंचाई 160 सेन्टीमीटर है।

सीने का फुलाव

सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों/अनुसूचित जातियों के लिये बिना फुलाये 79 सेंटीमीटर से कम नहीं और फुलाने पर 84 सेमी0 और अनुसूचित जनजातियों के लिये बिना फुलाये 77 सेमी0 से कम नहीं और फुलाने पर 82 सेंटीमीटर होनी चाहिये।

टिप्पणी :-न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है।

(3) महिला अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक :-

ऊंचाई

(एक) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर है।

(दो) अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये न्यूनतम ऊंचाई 147 सेंटीमीटर है।

वजन

न्यूनतम 40 किलोग्राम

(4) स्टेडियम/पुलिस लाईन जहां कहीं भी परीक्षण आयोजित हो, वहां परीक्षा आयोजन के पूर्व सूचना पट्ट (बोर्ड) पर प्रत्येक परीक्षण हेतु अर्हता के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक को अत्यंत प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाय।

(5) सम्पूर्ण राज्य में शारीरिक मानक परीक्षण पुलिस लाईन/स्टेडियम में आयोजित किया जाय। एक दिन में अभ्यर्थियों की संख्या 200 से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह परीक्षा उसी दिन आरंभ होनी चाहिए किन्तु गठित किये गए दलों की संख्या जिले में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर घट बढ़ सकती है।

(6) दल के सदस्य, जो जानबूझकर गलत रिपोर्ट देते हुये पाये जाते हैं दाण्डिक कार्यवाही के भागी होंगे।

(7) इस अर्हकारी परीक्षा का परिणाम, परीक्षण के समाप्त होने के तत्काल बाद परीक्षणवार प्रत्येक अभ्यर्थी के परिमापों का उल्लेख करते हुए माईक पर उद्घोषित किया जायेगा, और सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा और यदि संभव हो तो बोर्ड की वेबसाइट पर भी नित्य अपलोड किया जायेगा।

(8) शारीरिक मानक परीक्षण की परीक्षा के लिये भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन वाले मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग किया जाय।

परिशिष्ट-2

प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी के आरक्षी की सीधी भर्ती के लिये शारीरिक दक्षता परीक्षण

शारीरिक दक्षता परीक्षण तीन सदस्यीय एक दल द्वारा किया जायेगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

1. परगना मजिस्ट्रेट/डिप्टी कलेक्टर।
2. चिकित्सक/क्रीड़ा अधिकारी/राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिकारी
3. पुलिस उप अधीक्षक

(क) पुरूष अभ्यर्थियों से 60 मिनट में 10 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थियों से 35 मिनट में 05 किलोमीटर की दौड़ पूरा किया जाना अपेक्षित है। यह दौड़ केवल अर्हकारी है।

(ख) दल के सदस्य प्रतिदिन शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु उपस्थित होने वाले समस्त अभ्यर्थियों की दक्षता परीक्षा कराना सुनिश्चित करेंगे। यह परीक्षा सम्पूर्ण राज्य में एक सप्ताह में पूर्ण किया जाएगा। अभ्यर्थियों की अत्यधिक संख्या के कारण बोर्ड समयावधि बढ़ाने का निर्णय ले सकता है।

(ग) प्रत्येक परीक्षण हेतु अर्हता के लिये न्यूनतम शारीरिक मानकों का प्रदर्शन स्टेडियम में सूचना पट्ट पर प्रमुखता से किया जायेगा, और जहां स्टेडियम उपलब्ध न हों वहां शारीरिक दक्षता परीक्षण पुलिस लाईन में आयोजित किया जाना चाहिये।

(घ) शारीरिक दक्षता परीक्षण केवल अर्हकारी प्रकृति का है और इसका श्रेष्ठता सूची पर कोई प्रभाव न होगा। इस अर्हकारी परीक्षण का परिणाम सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जायेगा और जहां संभव हो बोर्ड की वेबसाइट पर नित्य अपलोड किया जायेगा।

(ङ) शारीरिक दक्षता परीक्षा पूर्ण होने पर समस्त सफल/असफल अभ्यर्थियों की सूची उसी दिन दल के सदस्य के संयुक्त हस्ताक्षर से घोषित की जाएगी।

(च) शारीरिक दक्षता परीक्षण दल के जो सदस्य जानबूझकर गलत रिपोर्ट देते हुये पाये जाते हैं, दाण्डिक कार्यवाही के भागी होंगे।

(छ) शारीरिक दक्षता परीक्षण का परिणाम अभ्यर्थियों को उसी दिन उपलब्ध कराया जायेगा। सभी अभ्यर्थियों के परीक्षण परिणाम सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किये जायेंगे और बोर्ड की वेबसाइट यथासंभव नित्य अपलोड की जाएगी।

(ज) शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों से, तहसील मुख्यालय और जिला चिकित्सालयों के अभिहित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकीय स्वस्थता परीक्षण पूरा करने की अपेक्षा की जाएगी।

(झ) शारीरिक दक्षता परीक्षण की परीक्षा के लिये भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन वाले मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग किया जाय।

परिशिष्ट-3

प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी के सीधी भर्ती की चिकित्सकीय परीक्षा

जिन अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षाा उत्तीर्ण कर ली है और उसमें चयनित हो गये है।

चिकित्सा परीक्षा परिषद

जिन अभ्यर्थियों ने शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है वे अधिसूचित केन्द्रों पर (जिला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला चिकित्सालय और तहसील सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र) चिकित्सा अधिकारी के द्वारा गठित चिकित्सा परिषद द्वारा चिकित्सकीय परीक्षण कराएंगे। प्रत्येक चिकित्सा परिषद के लिये अभ्यर्थियों की संख्या (एक दिन में 50 से अनधिक) इस प्रकार निर्धारित की जायेगी कि उससे चिकित्सकीय परीक्षण की गुणवत्ता और प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी। सम्पूर्ण राज्य में चिकित्सकीय परीक्षण एक सप्ताह में पूर्ण कर लिया जाएगा। यदि अभ्यर्थियों की अधिक संख्या के कारण अधिक समय की अपेक्षा हो तो पुलिस सेवा भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड अपने स्तर पर निर्णय लेकर अपेक्षित समय का विनिश्चय कर सकता है। जहां कहीं भी परीक्षण आयोजित होता है, परीक्षा आयोजन के पूर्व चिकित्सकीय परीक्षण हेतु अर्हता के लिये न्यूनतम अपेक्षाओं को जिला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला चिकित्सालय और तहसील सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के सूचना पट्ट पर अत्यंत प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाय।

चिकित्सा मैनुअल के अनुसार चिकित्सकों द्वारा परीक्षण

(क) चिकित्सकों द्वारा अभ्यर्थियों का परीक्षण चिकित्सा मैनुअल के अनुसार किया जाएगा। चिकित्सा परिषद मुख्यतया मानव शरीर की कमियों, यथा नॉक-नी, बो-लेग्स, फ्लैट-फीट, वैरिकोज वेन्स, दूर एवं निकट दृष्टि, कलर ब्लाइन्डनेस, रिन्नीज टेस्ट सहित श्रवण परीक्षण, वेबर्स टेस्ट और वरटिगो चिकित्सकों इत्यादि की जांच करेगा। परिषद, विशेषज्ञों की राय प्राप्त करके अन्य परीक्षण कर सकता है।

(ख) दिन के अंत में परिणामों की सूचना पट्ट पर प्रतिदिन प्रदर्शित किया जाएगा और माईक पर उद्घोषित किया जाएगा और साथ ही जहां भी संभव हो परिषद की वेबसाईट पर अद्यावधिक किया जाएगा।

(ग) चिकित्सा परिषद के सदस्य जो जानबूझ कर गलत रिपोर्ट देते पाये जाते हैं, दाण्डिक कार्यवाही के भागी होंगे।

(घ) चिकित्सकीय परीक्षण केवल अर्हकारी प्रकृति का है और इसका श्रेष्ठता सूची पर कोई प्रभाव न होगा।

परिशिष्ट-4

आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी के लिये लिखित परीक्षा

लिखित परीक्षा

लिखित परीक्षा के पूर्व प्रत्येक अभ्यर्थी का चिकित्सा परीक्षण अनिवार्य है। चिकित्सा परीक्षण में सफल अभ्यर्थी प्रधान डाकघर/बैंक के माध्यम से कम्प्यूटरीकृत फोटो बुलावा पत्र पुनः प्राप्त करेंगे जहां से बुलावा पत्र भेजा गया था।
(क) दोनों हथेलियों के अंगूठा निशान, फोटो, डाक का पता, परीक्षा का दिनांक, जिला का नाम इत्यादि से संबंधित समस्त विवरण बुलावा पत्र में उल्लिखित किये जायेंगे।
(ख) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि परीक्षा के प्रारंभ होने के एक सप्ताह पूर्व अभ्यर्थी के पास बुलावा पत्र अवश्य पहुंच जाय। यदि कोई अभ्यर्थी एक सप्ताह पूर्व बुलावा पत्र नहीं प्राप्त करता है तो वह बोडे की हेल्पलाईन मोबाइल/लैण्डलाईन टेलीफोन या वेबसाइट के माध्यम से सम्पर्क करके इसकी दूसरी प्रति प्राप्त कर सकता है।
(ग) लिखित परीक्षा पूरे राज्य में एक ही दिनांक और समय पर आयोजित की जायेगी।

(घ) वस्तुनिष्ठ प्रश्नपत्र की शैली निम्नलिखित रीति में होगी :-

1	सामान्य ज्ञान	50 अंक	30 मिनट
2	आंकिक और मानसिक सामर्थ्य	50 अंक	30 मिनट
3	अभिरूचि परीक्षण	50 अंक	30 मिनट
4	बुद्धिशक्ति परीक्षण	50 अंक	30 मिनट
	योग	200 अंक	2 घण्टे

टिप्पणी-प्रश्नों का स्तर कर्तव्य संबंधी रूपरेखा के अनुकूल होगा।

(ङ) वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र तैयार करते समय बोर्ड अल्पकालिक सदस्यों, जो विषय विशेषज्ञ हैं, का परामर्श प्राप्त कर सकता है।

(च) प्रश्नपत्रों का खाका बोर्ड के सदस्यों द्वारा बनाया जायेगा। प्रश्नपत्रों के दस सेट बनाये जायेंगे और बाह्य सहायित एजेंसी को दिये जायेंगे।

(छ) एक परीक्षा केन्द्र पर प्रश्नपत्रों की पांच सीरीज दी जायेंगी (सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की शैली के अनुसार)। बाह्य सहायित एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि प्रश्न पत्रों के उत्तर की कुंजी प्रश्नपत्रों के साथ नहीं भेजी जायेगी।

(ज) एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि प्रश्नपत्रों के बण्डल जिलावार/केन्द्रवार और कक्षवार/पंक्तिवार भी बनाये जायं जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि आस पास बैठने वाले अभ्यर्थियों को भिन्न भिन्न सीरीज के प्रश्नपत्र वितरित किये जाये।

(झ) उत्तर पत्रक ओ.एम.आर. पत्रक पर होगा जिसमें चार विकल्प दिये जायेंगे और अभ्यर्थी से यह अपेक्षित है कि वह उनमें से किसी एक को चुने।

(ञ) अभ्यर्थी का चेहरा प्रवेश पत्र में चिपकाये गये फोटो से अवश्य मिलना चाहिए।

(ट) अभ्यर्थियों को ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक की कार्बन प्रति अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी। लिखित परीक्षा हेतु उत्तर पत्रक 03 प्रतियों में होगा, जिसकी मूल प्रति स्कैनिंग हेतु, प्रथम कार्बन प्रति बोर्ड के अभिलेख हेतु तथा द्वितीय कार्बन प्रति अभ्यर्थी को दिये जाने हेतु होगी।

(ठ) ओवरराइटिंग/कटिंग या सफेदा के प्रयोग की अनुमति किसी भी परिस्थिति में न दी जाय।

(ड) बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि उत्तर पत्रक मुख्यालय में तत्काल पहुंच जाए और भिन्न-भिन्न सीरीजों के प्रश्नों के सही उत्तर वेबसाइट पर प्रकाशित किये जाए जिससे अभ्यर्थी को अपने अंक स्वयं जानने में सुविधा हो सके। यदि किसी अभ्यर्थी को यह अनुभव हो कि प्रकाशित उत्तर गलत है तो उसे बोर्ड की हेल्पलाईन/वेबसाइट के माध्यम से 07 दिनों के भीतर लिखित रूप में आपत्ति अवश्य दाखिल करनी चाहिए। बोर्ड से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आगामी 07 दिनों के भीतर ऐसी सभी आपत्तियों का निस्तारण करें।

(ढ) कक्ष अन्तरीक्षक के साथ-साथ परीक्षा केन्द्र के अधीक्षक से यह प्रमाणपत्र देने की अपेक्षा की जाती है कि उनके परीक्षा केन्द्र पर किसी भी अभ्यर्थी ने ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक को खाली नहीं छोड़ा है। यदि किसी अभ्यर्थी ने ऐसा किया है तो अभ्यर्थी का नाम और अनुक्रमांक सहित पृथक-पृथक सम्पूर्ण विवरण लिखित रूप में दिया जाय। ऐसे कक्ष अन्तरीक्षक और केन्द्र अधीक्षक जो जानबूझकर गलत सूचना प्रस्तुत करते हैं, दाण्डिक कार्यवाही के भागी होंगे।

(ण) लिखित परीक्षा समाप्त हो जाने के पश्चात उत्तर पुस्तिकाओं/पत्रकों को जिला मजिस्ट्रेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के माध्यम से समुचित सुरक्षा घेरे में परीक्षा केन्द्रों की सूची के साथ मुहरबन्द आवरण में बोर्ड के कार्यालय में जमा करा दिया जायेगा।

(त) बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि उत्तर पत्रक मुख्यालय में तत्काल पहुंच जाय और भिन्न भिन्न सीरिजों के प्रश्नों के सही उत्तर अन्तिम श्रेष्ठता सूची की घोषणा के साथ वेबसाइट पर प्रकाशित किये जायें जिससे अभ्यर्थी को अपने अंक

स्वयं जानने में सुविधा हो सके। यदि किसी अभ्यर्थी को यह अनुभव हो कि प्रकाशित उत्तर गलत है तो उसे बोर्ड की हेल्पलाईन/वेबसाइट के माध्यम से 07 दिनों के भीतर लिखित रूप में आपत्ति अवश्य दाखिल करनी चाहिए। बोर्ड से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आगामी 07 दिनों के भीतर ऐसी सभी आपत्तियों का निस्तारण करे।

(थ) उपर्युक्त 07 दिनों के भीतर उत्तर पत्रकों की जांच का कार्य अवश्य पूर्ण कर लिया जाय और अंतिम श्रेष्ठता सूची यथासंभव शीघ्र अवश्य प्रकाशित कर दी जाय। अंतिम चयन सूची के प्रकाशन के पूर्व सभी आपत्तियों का निस्तारण अवश्य कर दिया जाय।

(द) प्रश्न पत्रों को परीक्षा आरंभ होने के एक दिन पूर्व बाह्य एजेंसी और नोडल अधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन जिले में लाया जायेगा और कोषागार में दोहरे ताले में रखा जायेगा। परीक्षा के दिन प्रश्न पत्रों को सेक्टर मजिस्ट्रेट के पर्यवेक्षण में परीक्षा केन्द्र पर लाया जायेगा और परीक्षा की समाप्ति के पश्चात उपस्थिति पत्रक और उत्तर पत्रकों के साथ इन प्रश्न पत्रों को सेक्टर मजिस्ट्रेट के पर्यवेक्षण में पुनः कोषागार में जमा करा दिया जायेगा, जहां से नोडल अधिकारी द्वारा ले जाकर बोर्ड के लखनऊ स्थित कार्यालय में जमा करा दिया जायेगा।

परिशिष्ट-5

विभागीय परीक्षा के माध्यम से मुख्य आरक्षी के पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया

क्रमांक	विषय	अंक
1	बुद्धि शक्ति/तर्क शक्ति/मानसिक अभिरूचि परीक्षण (प्रश्नपत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा)	50 अंक
2	पीएसी एक्ट, पीएसी मैनुअल, पैम्फलेट-10, फील्ड क्राफ्ट एण्ड टैक्टिस, वैपेन्स से सम्बन्धित विषय	50 अंक
3	निबंध (पीएसी के कर्तव्यों से सम्बन्धित) (अर्हकारी)	50 अंक
4	सेवा अभिलेख	50 अंक जिसमें से अधिकतम 80 अंक वार्षिक प्रविष्टियों के लिए, 15 अंक प्रशिक्षण के लिए और 05 अंक पुरस्कार/विशेष प्रविष्टि के लिए। प्रशिक्षण के अंक इस प्रकार विभाजित हैं कि प्रत्येक मौलिक प्रशिक्षण के लिये पांच अंक जो अधिकतम 10 हो सकते हैं और प्रत्येक गैर मौलिक प्रशिक्षण के लिये 01 अंक जो अधिकतम 05 हो सकते हैं। पुलिस संगठन के प्रशिक्षण निदेशालय को प्राधिकृत किया जाता है कि वह मौलिक प्रशिक्षण और गैर मौलिक प्रशिक्षण के रूप में अधिसूचित करे, जिसमें यह शर्त होगी कि एक मास से कम का कोई भी प्रशिक्षण मौलिक प्रशिक्षण के रूप में अधिसूचित नहीं किया जाएगा। अगेतर प्रत्येक वृहद दण्ड के लिये 03 अंक, प्रत्येक लघु दण्ड के लिए 02 अंक और प्रत्येक अति लघु दण्ड के लिए 01 अंक उपर्युक्त अंकों में से घटा दिया जाएगा। यह देखने के लिए सेवा अभिलेख का भी अवश्य विश्लेषण किया जाना चाहिए कि क्या अभ्यर्थी को कोई ऐसा दण्ड दिया गया था जो उसकी प्रोन्नति को अनुचित ठहराता है।

ख. उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन और शारीरिक दक्षता परीक्षण

5	उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन	उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन-वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र का बाह्य सहायित अभिकरण से मूल्यांकन कराया जाएगा और निबंधों का बोर्ड द्वारा प्राधिकृत अध्यापकों/प्रवक्ताओं/आचार्यों द्वारा मूल्यांकन कराया जाएगा।
6	शारीरिक दक्षता परीक्षण	पुरूष अभ्यर्थियों से 10 किलोमीटर की दौड़ 75 मिनट में और महिला अभ्यर्थियों से 05 किलोमीटर की दौड़ 45 मिनट में पूर्ण किया जाना अपेक्षित है। यह दौड़ केवल अर्हकारी है।
7	चयन सूची	शारीरिक स्वस्थता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की भाग-क के क्रम संख्या-1, 2 व 4 में यथाविहित प्रकटित अंकों के आधार पर श्रेष्ठता सूची के अनुसार अभ्यर्थियों की अन्तिम चयन सूची तैयार किया जायेगा। यदि दो या उससे अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं तो क्रमांक-1 और 2 के कुल योग को जोड़ने पर उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा। बोर्ड इस सूची को विभागाध्यक्ष को अग्रसारित कर देगा।

परिशिष्ट-7

(नियम 18 (ग) देखिये)

उपनिरीक्षक, आर्म्ड पुलिस/प्लाटून कमाण्डर की सीधी भर्ती के लिए शारीरिक मानक परीक्षण

शारीरिक मानक परीक्षण

शारीरिक मानक परीक्षा का संचालन तीन सदस्यीय दल द्वारा किया जायेगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

1. परगना मजिस्ट्रेट/डिप्टी कलेक्टर
2. चिकित्सक/क्रीड़ाधिकारी/राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिकारी
3. पुलिस उप अधीक्षक

(1) दल के सदस्यों का यह दायित्व होगा कि वे अभ्यर्थी द्वारा अपनी योग्यता यथा-आयु, हाई स्कूल, इण्टरमीडियट और स्नातक/स्नातकोत्तर के प्रमाण पत्र, खेल प्रमाण पत्र राष्ट्रीय कैडेट कोर प्रमाण पत्र, होम गार्ड प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिकों के मामलों में यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रमाण पत्र और उर्धवीय व क्षैतिज आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों से उनके उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने के प्रमाण पत्रों को प्रस्तर-(क)(सात) के अनुसार प्रस्तुत किये जाने वाले मूल प्रमाण-पत्रों से अनुप्रमाणित प्रतियों का भली-भांति मिलान करने के उपरान्त अनुप्रमाणित प्रतियों को अभिलेखार्थ शारीरिक मानक परीक्षण केन्द्र पर जमा कर लेंगे।

(2) पुरूष अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक-

ऊंचाई

(1) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये 168 सेंटिमीटर;

(2) जनजातीय अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम ऊंचाई 160 सेन्टीमीटर है।

सीने का फुलाव

सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों/अनुसूचित जातियों के लिए फुलाने पर 84 सेमी0 और बिना फुलाए 79 सेमी0 से कम नहीं होनी चाहिए और अनुसूचित जनजातियों के लिए फुलाने पर 82 सेमी0 और बिना फुलाए 77 सेमी0 से कम नहीं होनी चाहिए।

टिप्पणी :- न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है।

(3) महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक-

ऊंचाई

(1) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों ओर अनुसूचित जातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर है।

(2) अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 147 सेंटीमीटर है।

वजनः-

न्यूनतम 40 किलोग्राम

(4) सम्पूर्ण राज्य में शारीरिक मानक परीक्षण पुलिस लाईन/स्टेडियम में आयोजित किया जाय। एक दिन में अभ्यर्थियों की संख्या 200 से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह परीक्षा उसी दिन आरंभ होनी चाहिए किन्तु गठित किये गए दलों की संख्या जिले में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर घट बढ़ सकती है।

(5) दल के सदस्य, जो जानबूझकर गलत रिपोर्ट देते हुये पाये जाते हैं दाण्डिक कार्यवाही के भागी होंगे।

(6) इस अर्हकारी परीक्षा का परिणाम, परीक्षण के समाप्त होने के तत्काल बाद परीक्षणवार प्रत्येक अभ्यर्थी के परिमापों का उल्लेख करते हुए माईक पर उद्घोषित किया जायेगा, और सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा और यदि संभव हो तो बोर्ड की वेबसाइट पर भी नित्य अपलोड किया जायेगा।

(7) शारीरिक मानक परीक्षण की परीक्षा के लिये भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन वाले मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग किया जाय।

परिशिष्ट-8

(नियम 18(ङ) देखिये)

उपनिरीक्षक, आर्म्ड पुलिस/प्लाटून कमाण्डर की सीधी भर्ती के लिये शारीरिक दक्षता परीक्षण

शारीरिक दक्षता परीक्षण

शारीरिक दक्षता परीक्षण तीन सदस्यीय दल द्वारा आयोजित है जिसमें निम्नलिखित सदस्य समाविष्ट है :-

1. परगना मजिस्ट्रेट/डिप्टी कलेक्टर;
2. चिकित्सक/क्रीड़ा अधिकारी/राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिकारी;
3. पुलिस उप अधीक्षक

(क) दल के सदस्य प्रतिदिन शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु उपस्थित होने वाले समस्त अभ्यर्थियों की दक्षता परीक्षा कराना सुनिश्चित करेंगे। इस परीक्षा को सम्पूर्ण राज्य में एक सप्ताह में पूर्ण किया जाएगा। अभ्यर्थियों की अत्यधिक संख्या के कारण बोर्ड समयावधि बढ़ाने का निर्णय ले सकता है और अपेक्षित समय का अवधारण कर सकता है ओर अपेक्षित समय का अवधारण कर सकता है।

(ख) स्टेडियम/पुलिस लाइन जहॉ कही भी, परीक्षण आयोजित हो, वहाँ परीक्षा आयोजन के पूर्व सूचना पट्ट (बोर्ड) पर प्रत्येक परीक्षण हेतु अर्हता के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक को अत्यन्त प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाय।

(ग) शारीरिक दक्षता परीक्षण केवल अर्हकारी प्रकृति का है और इसका श्रेष्ठता सूची पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस अर्हकारी परीक्षण का परिणाम सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जायेगा और यदि संभव हो बोर्ड की वेबसाइट पर नित्य अपलोड किया जायेगा।

(घ) दल के सदस्य जो जानबूझकर गलत रिपोर्ट देते हुये पाये जाते हैं, दाण्डिक कार्यवाही के भागी होंगे।

(ङ) शारीरिक दक्षता परीक्षण का परिणाम अभ्यर्थियों को उसी दिन उपलब्ध कराया जायेगा। सफल और असफल अभ्यर्थियों की सूची सूचना पट्ट (बोर्ड) पर प्रदर्शित किये जायेंगे और बोर्ड की वेबसाईट पर नित्य अपलोड की जायेगी।

सफल अभ्यर्थियों की सूची दल के सदस्यों के संयुक्त हस्ताक्षर से घोषित की जाएगी।

(च) इस अर्हकारी परीक्षण के परिणाम, परीक्षण के समाप्त होने के तत्काल बाद परीक्षणवार प्रत्येक अभ्यर्थी के परिमापों का उल्लेख करते हुए माईक पर उद्घोषित किया जायेगा। सूचना पट्ट (बोर्ड) पर प्रदर्शित किया जायेगा और यदि संभव हो तो बोर्ड की वेबसाईट पर भी नित्य अपलोड किया जायेगा।

(छ) शारीरिक दक्षता परीक्षण की परीक्षा के लिये भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन वाले मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग किया जाय।

(ज) शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों की सूची की घोषणा पर उन्हें अभिहित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तहसील/मुख्यालय और जिला चिकित्सालय को चिकित्सा परीक्षण के लिये भेजा जायेगा।

परिशिष्ट-9

(नियम 18 (च) देखिये)

उपनिरीक्षक, आर्म्ड पुलिस/प्लाटून कमाण्डर की सीधी भर्ती के लिये लिखित परीक्षा की प्रक्रिया

संघ लोक सेवा आयोग की पद्धति पर मुख्य लिखित परीक्षा (उपनिरीक्षक के सीधी भर्ती के मामलों में) के पहले सभी अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षण से गुजरना पड़ेगा, फोटो चिपके हुए कम्प्यूटरीकृत बुलावा पत्र मुख्य लिखित परीक्षा के अभ्यर्थियों को भेजे जायेंगे। यद्यपि डाक घर, बैंकों की रीति से जैसे प्रारम्भिक परीक्षा में भेजे गये थे।

(क) छाया चित्र, दोनों हाथों के अंगूठे का निशान, परीक्षा केन्द्र की कूट संख्या, नाम, डाक का पता, परीक्षा का दिनांक और समय, जिले के नाम के सहित बुलावा पत्र में अस्पष्ट रूप से दिया गया

(ख) बुलावा पत्र कम से कम परीक्षा के दिनांक से एक सप्ताह के पहले अभ्यर्थियों के पास पहुँच जायेंगे। यदि बुलावा पत्र परीक्षा के दिनांक से एक सप्ताह पहले प्राप्त न हो तो अभ्यर्थी बोर्ड के हेल्पलाइन, लेण्डलाइन, मोबाइल फोन पर सम्पर्क कर सकते हैं या बोर्ड की वेबसाइट से द्वितीय प्रति निकाल सकते हैं।

(ग) पूरे राज्य में लिखित परीक्षा एक ही दिन और एक ही समय पर होगी।

(घ) अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र ओ0एम0आर0 उत्तर पुस्तिका 03 प्रतियों में दी जायेगी, जिसकी मूल प्रति स्कैनिंग के वास्ते होगी, प्रथम कार्बन प्रति बोर्ड के अभिलेख के लिए होगी और द्वितीय कार्बन प्रति अभ्यर्थियों की दी जायेगी। परीक्षा के पश्चात अभ्यर्थी कार्बन प्रति अपने साथ ले जा सकते हैं। जब सभी अभ्यर्थियों का परीक्षा फल घोषित किया जायेगा तो परिणाम बोर्ड की वेबसाइट पर डाल दिया जायेगा जिसमें उनके प्रत्येक विषय में प्राप्त अंक होंगे।

(ङ) लिखित परीक्षा समाप्त होने के बाद उत्तर पत्रिका को बन्द लिफाफों में केन्द्र के अनुसार बोर्ड को भेजा जायेगा। यह व्यवस्था जिला मजिस्ट्रेट/ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा सुरक्षित अभिरक्षा में की जायेगी।

परिशिष्ट-10

(नियम 18(1) देखिये)

उपनिरीक्षक, आर्म्ड पुलिस/प्लाटून कमाण्डर की सीध भर्ती के लिए चिकित्सा परीक्षा

चिकित्सा परीक्षा बोर्ड

केवल उन्हीं अभ्यर्थियों की विभिन्न अधिसूचित केन्द्रों पर चिकित्सा परीक्षा होगी जिन्हें लिखित परीक्षा और समूह वाद-विवाद के पश्चात नियम 18 (ट) के अधीन चयन किया गया है, इन केन्द्रों को बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जायेगा। (जिला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला अस्पताल और तहसील सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र) जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा गठित चिकित्सा बोर्ड द्वारा चिकित्सा परीक्षा ली जायेगी। प्रत्येक चिकित्सा बोर्ड के लिये अभ्यर्थियों की

संख्या (एक दिन में 50 से अधिक नहीं) इस प्रकार निर्धारित की जायेगी कि इससे चिकित्सा परीक्षा की प्रक्रिया और गुणवत्ता प्रभाव नहीं पड़ेगा। चिकित्सा परीक्षा सम्पूर्ण राज्य में एक सप्ताह के भीतर पूरी कर ली जायेगी। यदि अभ्यर्थियों की अधिक संख्या के कारण और समय की आवश्यकता होगी तो पुलिस सेवा भर्ती और पदोन्नति बोर्ड निर्णय लेगा और अपने स्तर पर अपेक्षित समय का निश्चय करेगा। चिकित्सा परीक्षा के लिए अर्ह होने के लिये न्यूनतम अपेक्षा को जिला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला अस्पताल और तहसील सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के सूचना पट्टों पर प्रमुखता से प्रदर्शित की जायेगी। ये कार्य परीक्षा प्रारम्भ होने के पूर्व किया जायेगा।

चिकित्सा मैनुअल के अनुसार डाक्टर परीक्षण करेंगे

(क) डाक्टर चिकित्सा मैनुअल के अनुसार अभ्यर्थियों की परीक्षा करेंगे। चिकित्सा बोर्ड मुख्य रूप से मानव शरीर के विकारों का परीक्षण करेगा, जैसे नोक-नी, टेढ़े- मेढ़े टांगे, चपटा पंजा, बेरीकोस नशे, दूर दृष्टि और निकट दृष्टि, रंगों को पहचानने में बाधा, श्रवण शक्ति का परीक्षण रिनीज परीक्षा के अनुसार बबर्स परीक्षा चक्कर आने की परीक्षा आदि। यदि परिस्थितियों के अनुसार ऐसी आवश्यकता हो तो पुलिस सेवा भर्ती और पदोन्नति बोर्ड विशेषज्ञों की राय प्राप्त करने के पश्चात अन्य परीक्षा कर सकता है।

(ख) परिणाम बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा और दिन के अन्त में प्रत्येक दिन भोपू पर घोषित किया जायेगा।

(ग) चिकित्सा बोर्ड के सदस्य दाण्डिक प्रक्रिया के भागी होंगे यदि वे जानबूझकर गलत रिपोर्ट देते हुए पाये गये।

(घ) चिकित्सा परीक्षा केवल अर्हकारी परीक्षा है। इसका श्रेष्ठता सूची पर कोई प्रभाव नहीं है। इस अर्हकारी परीक्षा का परिणाम प्रत्येक दिन सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जाएगा और जहाँ कही सम्भव हो बोर्ड की वेब साइट पर डाला जाएगा।

(नेत राम)

प्रमुख सचिव

उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली, 2015

भाग-एक सामान्य

उत्तर प्रदेश सरकार .गृह (पुलिस) अनुभाग-2

संख्याः—1349/छः-पु.-2-2015-1100(126)/2012 लखनऊः दिनांकः 14 अगस्त, 2015

भाग—1 सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ **1**.(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली, 2015 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने को दिनांक से प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति **2.** उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा ऐसी सेवा है, जिसमें समूह ''ग'' के पद समाविष्ट हैं।

परिभाषायें **3.** जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हों, इस नियमावली में,—

(क) 'अधिनियम' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 से है;

(ख) निरीक्षक सशस्त्र पुलिस और उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस/प्लाटून कमाण्डर के मामलों में 'नियुक्ति प्राधिकारी' का तात्पर्य पुलिस उपमहानिरीक्षक से है और मुख्य आरक्षी, प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी और आरक्षी, प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी के मामलों में यथास्थिति कमाण्डेन्ट/पुलिस अधीक्षक से है;

(ग) ''बोर्ड'' का तात्पर्य इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार स्थापित उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा भर्ती तथा पदोन्नति बोर्ड से है;

(घ) ''भारत का नागरिक'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो भारत का संविधान के भाग-दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाये;

(ङ) 'पूर्ववर्ती नियमावली' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली, 2008 से है;

(च) 'राज्यपाल' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;

(छ) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है;

(ज) ''विभागाध्यक्ष'' का तात्पर्य, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश से है;

(झ) ''नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों'' का तात्पर्य समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम की अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है;

(ञ) ''पी.ए.सी. मुख्यालय'' का तात्पर्य यथास्थिति, पुलिस महानिदेशक, प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी, उत्तर प्रदेश या अपर पुलिस महानिदेशक, प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी, उत्तर प्रदेश के अधीन चल रहे मुख्यालयों से है;

(ट) ''निरीक्षक सशस्त्र पुलिस'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे इस नियमावली के अधीन नियुक्त किया गया है व जिसे उस समय विद्यमान रेजीमेन्ट के अन्तर्गत पुलिस विभाग की किसी इकाई सहित प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी में समान पद पर तैनात या स्थानान्तरित किया जा सकता है। इन्हें प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी में कम्पनी कमाण्डर, प्रादेश्कि आर्म्ड कान्स्टेबुलरी में क्वार्टर मास्टर, जिला प्रशिक्षण संस्थान, जी.आर.पी. और अन्य

इकाइयों में निरीक्षक सशस्त्र पुलिस / रिजर्व इंस्पेक्टर और जिलों में यातायात निरीक्षक के नामों के पदाभिहित किया जा सकता है;

(ठ) 'उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे इस नियमावली के अधीन नियुक्त किया गया है व जिसे उस समय विद्यमान रेजीमेन्ट के अन्तर्गत पुलिस विभाग की किसी इकाई सहित प्रादेशिक आर्म्ड कास्टेबुलरी में समान पद पर तैनात या स्थानान्तरित किया जा सकता है, इन्हें प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी में प्लाटून कमाण्डर, जिला प्रशिक्षण संस्थान, जी.आर.पी. और अन्य इकाइयों में उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस और जिलें में यातायात उप-निरीक्षक के नामों से पदाभिहित किया जा सकता है;

(ड) 'चयन समिति' का तात्पर्य सेवा में पद पर नियुक्ति के लिये अभ्यर्थियों के चयन हेतु बोर्ड द्वारा गठित की गयी 'चयन समिति' से है;

(ढ़) ''प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी के अधीनस्थ अधिकारी'' का तात्पर्य प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी, अन्य इकाइयों , जिला पुलिस की सशस्त्र पुलिस शाखा में तैनात या प्रतिनियुक्ति पर आरक्षी, प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी, मुख्य आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी, उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस/प्लाटून कमाण्डर, निरीक्षक सशस्त्र पुलिस के पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति से है;

(ण) ''मौलिक नियुक्ति'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और पूर्ववर्ती नियमावली के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो;

(त) ''भर्ती का वर्ष'' का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली 12 मास की अवधि से है।

भाग-दो-संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4. (1) प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी के अधीनस्थ अधिकारियों के संवर्ग की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।

(2) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या जब तक कि उप नियम (1) के अधीन उसे परिवर्तित करने का आदेश पारित न हो, निम्नवत होगीः—

क्रम संख्या	पद का नाम	अस्थायी	स्थायी	यो
(क)	निरीक्षक आर्म्ड पुलिस			
1	पीएसी में दलनायक / शिविरपाल	84	222	30
2	जनपद में इंस्पेक्टर सशस्त्र पुलिस	-	76	76
3	प्रशिक्षण संस्थान व अन्य इकाईयों में इंस्पेक्टर सशस्त्र पुलिस	-	26	26
4	जिलों में यातायात इंस्पेक्टर	05	04	09
5	सुरक्षा शाखा	29	-	29
योग		118	328	44
(ख)	सब-इन्स्पेक्टर सशस्त्र पुलिस			
1	पीएसी में प्लाटून कमाण्डर	263	652	91

2	सशस्त्र पुलिस में सब इंस्पेक्टर	28	217	24
3	जी.आर.पी.	7	38	45
4	प्रशिक्षण निदेशालय उ.प्र. लखनऊ	-	74	74
5	एस.टी.एफ. लखनऊ	-	01	01
6	केन्द्रीय भण्डार, कानपुर	-	06	06
7	यातायात उपनिरीक्षक	86	04	90
8	सुरक्षा शाखा	115	-	11
9	केन्द्रीय रिजर्व सीतापुर	01	-	01
योग		500	922	149
(ग)	मुख्य आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी			
1	पीएसी	1811	4372	618
2	सुरक्षा शाखा	144	-	14
योग		1955	4372	632
(घ)	आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी			
1	पीएसी	7887	19115	270
2	सुरक्षा शाखा	303	-	30
योग		8190	19115	273

परन्तु यह कि :—

(एक) विभागाध्यक्ष कुल स्वीकृत नियतन के अन्तर्गत विभिन्न इकाइयों के पदों की संख्या को पुनःअवधारित कर सकता है;

(दो) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुये छोड़ सकते हैं या राज्यपाल उसे प्रास्थगित रख सकते हैं जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं होगा;

(तीन) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थाई या अस्थाई पदों का सृजन कर सकते हैं जिन्हें वह उचित समझें।

भाग-तीन-भर्ती

भर्ती का स्रोत

5. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से इस शर्त के अधीन रहते हुए की जायेगी कि केवल ऐसे पुरूष अभ्यर्थी, जो शारीरिक रूप से विकलांग नहीं है, विभिन्न श्रेणियों के पदों पर सीधी भर्ती के लिए पात्र होंगे।

(क) **आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी**—आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी के शत प्रतिशत पदों को सीधी भर्ती द्वारा बोर्ड के माध्यम से भरा जायेगा।

टिप्पणी—सेवाकाल में प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी के दिवंगत कर्मचारियों के ऐसे आश्रित जो प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी के आरक्षी के पद पर मृतक आश्रित के रूप में सीधी भर्ती के लिए प्रार्थनापत्र देते हैं, उनकी भर्ती बोर्ड द्वारा, सरकार द्वारा तय की गई नीति के अनुसार की जायेगी।

(ख) **मुख्य आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी**

(एक) नियम 4 के उप नियम (2) के खण्ड-ग के अधीन मुख्य आरक्षी प्रादेशिक

आर्म्ड कान्स्टेबुलरी के स्वीकृत पदों की कुल संख्या के सौ प्रतिशत पद अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे आरक्षियों, प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी, में से भरे जायेगे, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए इस रूप में सात वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

(दो) उप खण्ड (एक) के अधीन मुख्य आरक्षी, प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबुलरी के पद पर पदोन्नति के लिए मुख्य आरक्षी, प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबुलरी के निःसंवर्गीय पदों पर पदोन्नत ऐसे आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबुलरी भी पात्र होगे, जो अर्हताओं को पूरा करते हो,

(ग) **सब-इस्पेक्टर सशस्त्र पुलिस / प्लाटून कमाण्डर**

(एक) नियम-4 के उप नियम (2) के खण्ड (ख) के अधीन सब-इंस्पेक्टर सशस्त्र पुलिस / प्लाटून कमाण्डर के स्वीकृत पदों के कुल संख्या के 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा बोर्ड के माध्यम से भरे जायेंगे।

टिप्पणी—सेवाकाल में प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी के दिवंगत कर्मचारियों के ऐसे आश्रितों, जो प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी के प्लाटून कमाण्डर के पद पर मृतक आश्रित के रूप में सीधी भर्ती के लिए प्रार्थनापत्र देते हैं, की भर्ती सरकार द्वारा तय की गई नीति के अनुसार बोर्ड द्वारा की जायेगीः

परन्तु यह कि प्रत्येक वर्ष ऐसे पद, प्लाटून कमाण्डर के पूर्व स्वीकृत पदों में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों के सापेक्ष सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के 05 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

(दो) नियम-4 के उप नियम (2) के खण्ड (ख) के अधीन सब-इंस्पेक्टर सशस्त्र पुलिस / प्लाटून कमाण्डर के स्वीकृत पदों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत पद अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए जयेष्ठता के आधार पर पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी की विभिन्न बटालियनों, जिला पुलिस और पुलिस विभाग की अन्य शाखाओं के ऐसे मुख्य आरक्षी सशस्त्र पुलिस तथा मुख्य आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबुलरी में से भरे जायेगें, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को, इस रूप में परिवीक्षा अवधि सहित 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

(तीन) उप खण्ड (दो) के अधीन सब-इंस्पेक्टर सशस्त्र पुलिस / प्लाटून कमाण्डर के पद पर पदोन्नति के लिए उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस / प्लाटून कमाण्डर के निःसंवर्गीय पदों पर पदोन्नत ऐसे मुख्य आरक्षी सशस्त्र पुलिस / प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबुलरी भी पात्र होगे,जो अर्हताओं को पूरा करते हों।

टिप्पणी—शारीरिक दक्षता परीक्षण, जो अर्हकारी प्रकृति का होगा, में अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों पर उप निरीक्षक पुलिस के पद पर पदोन्नति के लिए विचार किया जायेगा।

(घ) **इंस्पेक्टर सशस्त्र पुलिस**

(एक) नियम 4 के उप नियम (2) के खण्ड (क) के अधीन इंस्पेक्टर सशस्त्र पुलिस के स्वीकृत पदों की कुल संख्या के 100 प्रतिशत पद अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे सब इंस्पेक्टरों, सशस्त्र पुलिस / प्लाटून कमाण्डर में से भरे जायेगे, जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को, इस रूप में परिवीक्षा अवधि सहित सात वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

(दो) उप खण्ड (एक) के अधीन इंस्पेक्टर सशस्त्र पुलिस के पद पर पदोन्नति के लिए इंस्पेक्टर सशस्त्र पुलिस के निःसंवर्गीय पदों पर पदोन्नत ऐसे उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस / प्लाटून कमाण्डर भी पात्र होंगे, जो अपेक्षाओं को पूरा करते हों।

टिप्पणी—इंस्पेक्टर सशस्त्र पुलिस के पद पर पदोन्नति के लिए कोई शारीरिक दक्षता परीक्षण नही होगा।

आरक्षण

6. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण सम्बन्धित अधिनियम और समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोग सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 के उपबंधों और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगाः

परन्तु यह कि शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी की सेवाओं के लिये पात्र नहीं होगाः

परन्तु यह और कि राष्ट्रीय / राज्य स्तरीय खिलाड़ियों के लिए आरक्षण तत्समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार होगा।

भाग-4-अर्हताएं

राष्ट्रीयता

7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थीः—

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, यूगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्वीवर्ती तांगोनिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया होः

परन्तु यह कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया होः

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उपमहानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेः

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी ''ग'' का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी—ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इंकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और इसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाये या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षिक अर्हता

8. (क) आरक्षी, प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी :—

आरक्षी के पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता भारत में विधि द्वारा

स्थापित बोर्ड द्वारा बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिये।

(ख) **उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस / प्लाटून कमाण्डर** :—

उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस / प्लाटून कमाण्डर के पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिये।

अधिमानी अर्हताएं

9.अन्य बातों के सामान्य होने पर भी सीधी भर्ती के ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने :—

(एक) डीओईएसीसी / एनआईईएलटी सोसायटी से कम्प्यूटर में 'ओ' स्तर का प्रमाणपत्र, या

(दो) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

(तीन) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

टिप्पणी—उपर्युक्त वर्णित अधिमानी अर्हताओं के कोई अंक नहीं होंगे किन्तु यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करें तो अधिमानी अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी को नियम 15 के उपनियम (1) और (2) के अधीन चयन सूची में अधिमान दिया जाएगा।

आयु

10. प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी के अधीनस्थ अधिकारियों के संवर्ग के विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिये आयु निम्न प्रकार होनी चाहियेः—

(एक) **प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी के आरक्षी के लिएः–**

आरक्षी के पद पर भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि भर्ती के वर्ष के प्रथम दिन पुरुष अभ्यर्थी की दशा में अभ्यर्थी ने 18 वर्ष वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो और महिला अभ्यर्थी की दशा में उसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष की आयु प्राप्त न की होः

परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी अधिनियम में और बोर्ड द्वारा रिक्तियों की विज्ञप्ति के समय लागू सरकारी आदेशों में विनिर्दिष्ट की जाय।

(दो) **उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस / प्लाटून कमाण्डर के लिए** :—

जिस कैलेण्डर वर्ष में सीधी भर्ती की रिक्तियाँ प्रकाशित की जायं, भर्ती के वर्ष के प्रथम दिन अभ्यर्थी ने 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक की आयु पूर्ण न की होः

परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी अधिनियम में और बोर्ड द्वारा रिक्तियों की विज्ञप्ति के समय लागू सरकारी आदेशों में विनिर्दिष्ट की जाय।

चरित्र

11. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेंगे।

टिप्पणी—संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा

पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगें। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति

12. सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसे पुरुष / महिला अभ्यर्थी पात्र न होंगे जिनकी एक से अधिक पत्नियां / पति जीवित होंः

परन्तु यह कि सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान हैं।

शारीरिक स्वस्थता

13. किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और जब तक कि वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा बोर्ड द्वारा की जाने वाली परीक्षा उत्तीर्ण कर ले।

टिप्पणी—चिकित्सा बोर्ड, यथास्थिति पुरूषों और महिलाओं के लिए विहित किसी शारीरिक मानक के लिए अभ्यर्थी का परीक्षण करेगा और नाक-नी, बो-लेग्स, फ्लैट फीट, वेरीकोस वेंस, दूर एवं निकट दृष्टि, आंशिक या पूर्ण कलर ब्लाइंडनेस, श्रवण परीक्षण, जिसमें रिनीज परीक्षण, वेब्बर्स परीक्षण और वर्टिगो परीक्षण वाक् दोष आदि समाविष्ट हैं, तथा ऐसी अन्य कमियों जैसा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाये, का भी परीक्षण करेगा।

भाग-पाँच भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों का अवधारण

14. नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम-6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की भी संख्या अवधारित करेगा और उसकी सूचना विभागाध्यक्ष को देगा। विभागाध्यक्ष रिक्तियों की संख्या बोर्ड और सरकार को भी सूचना करेगा। सीधी भर्ती के लिए रिक्तियाँ, निम्नलिखित रीति से अधिसूचित की जायेंगीः—

(एक) अधिकतम प्रसार वाले दैनिक समाचार पत्र में विज्ञापन जारी करके,

(दो) कार्यालय के सूचना पट्ट पर नोटिस चस्पा करके या रेडियो / दूरदर्शन और अन्य रोजगार समाचार-पत्रों के माध्यम से विज्ञापन द्वारा,

(तीन) रोजगार कार्यालय को रिक्तियाँ अधिसूचित करके; और

(चार) जनसंचार के अन्य माध्यमों द्वारा।

सीधी भर्ती की प्रक्रिया

15. प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर सीधी भर्ती के लिये भर्ती प्रक्रिया निम्न प्रकार होगीः—

(1) प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी आरक्षी

प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी के आरक्षी के पद पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया वैसी होगी जैसी तत्समय प्रवृत्त उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली 2015 के नियम-15 में आरक्षी पुलिस की सीधी भर्ती के लिए प्रक्रिया विहित होगी।

(2) उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस / प्लाटून कमाण्डर

उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस / प्लाटून कमाण्डर के पद पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया वैसी

होगी जैसी तत्समय प्रवृत्त उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली, 2015 के नियम-15 में उपनिरीक्षकों की सीधी भर्ती के लिए प्रक्रिया विहित होगी।

चरित्र सत्यापन

16. नियुक्ति पत्र जारी किये जाने से पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन, अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण पर भेजे जाने के पहले, चरित्र सत्यापन का कार्य पूर्ण कराया जायेगा। सामान्यतः चरित्र का सत्यापन एक माह के भीतर पूर्ण कर लिया जायेगा। किसी अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन के दौरान कोई प्रतिकूल तथ्य सामने आने पर, उसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित किया जायेगा और ऐसी रिक्तियों को अग्रतर चयन के लिए आगे ले जाया जायेगा।

पदोन्नति की प्रक्रिया

17. (1) प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर पदोन्नति से भर्ती के लिये प्रक्रिया निम्न प्रकार होगीः—

(क) मुख्य आरक्षी, प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी

(एक) मुख्य आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी के स्वीकृत पदों की कुल संख्या के सौ प्रतिशत पद अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से मौलिक रूप से नियुक्त प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी के ऐसे आरक्षियों में से भरे जायेगें, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए इस रूप में सात वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

(दो) उप खण्ड(एक) के अधीन मुख्य आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबुलरी के पद पर पदोन्नति के लिए मुख्य आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबुलरी के निःसंवर्गीय पदों पर पदोन्नत प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबुलरी के ऐसे आरक्षी भी पात्र होंगे, जो अपेक्षाओं को पूरा करते हों,

(ख) उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस / प्लाटून कमाण्डर

(एक) उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस / प्लाटून कमाण्डर के स्वीकृत पदों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत पद अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए अर्हकारी प्रकृति के शारीरिक दक्षता परीक्षण सहित ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी के विभिनन बटालियनों, जिला पुलिस और पुलिस विभाग की अन्य शाखाओं के ऐसे मुख्य आरक्षी सशस्त्र पुलिस एवं मुख्य आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी में से भरे जायेगें, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को, इस रूप में परिवीक्षा अवधि सहित 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

(दो) उप खण्ड (एक) के अधीन सब-इंस्पेक्टर सशस्त्र पुलिस / प्लाटून कमाण्डर के पद पर पदोन्नति के लिए प्लाटून कमाण्डर / उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस के निःसंवर्गीय पदों पर पदोन्नति ऐसे मुख्य आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबुलरी / मुख्य आरक्षी सशस्त्र पुलिस भी पात्र होंगे, जो अपेक्षाओं को पूरा करते हों।

टिप्पणी—शारीरिक दक्षता परीक्षण की प्रक्रिया ऐसी होगी, जैसे परिशिष्ट में उल्लिखित है।

(ग) निरीक्षक सशस्त्र पुलिस

(एक) निरीक्षक सशस्त्र पुलिस के स्वीकृत पदों की कुल संख्या के सौ प्रतिशत पद अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे सब इंस्पक्टरों सशस्त्र पुलिस / प्लाटून कमाण्डर में से भरे जायेगे, जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को, इस रूप में परिवीक्षा अवधि सहित सात

वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

(दो) उप खण्ड (एक) के अधीन इन्सपेक्टर सशस्त्र पुलिस के पद पर पदोन्नति के लिए इन्सपेक्टर सशस्त्र पुलिस के निःसंवर्गीय पदों पर पदोन्नत ऐसे उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस / प्लाटून माण्डर भी पात्र होंगे, जो अपेक्षाओं को पूरा करते हों।

(2) (क) बोर्ड द्वारा गठित चयन समिति की संस्तुलियों के आधार पर पदोन्नति की जायेगी।

(ख) समिति का अध्यक्ष बोर्ड द्वारा नामित किया जायेगा जो सम्बन्धित पदोन्नत पद के नियुक्ति प्राधिकारी से निम्न स्तर का अधिकारी न होगा। समिति के सदस्य विद्यमान शासनादेशों के अनुसार बोर्ड द्वारा नामित किये जायेंगे।

(ग) निर्विवाद ज्येष्ठता सूची प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी मुख्यालय द्वारा बोर्ड को उपलब्ध करायी जायेगी।

(घ) चयन समिति पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों की सूची अपनी संस्तुति सहित बोर्ड को प्रस्तुत करेगी। बोर्ड चयनित चयनित अभ्यर्थियों की सूची अपनी संस्तुति सहित विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा। सूची विज्ञापित रिक्तियों से अधिक की नहीं होगी।

(ङ) विभागाध्यक्ष के अनुमोदन के उपरान्त सूची पदोन्नति हेतु अन्तिम आदेश जारी करने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

(च) चयन सूची विभागाध्यक्ष के अनुमोदनोपरान्त बोर्ड द्वारा अपनी तथा उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी।

भाग - छः

नियुक्ति, प्रशिक्षण, परिवीक्षा, स्थायीकरण, और ज्येष्ठता

नियुक्ति **18**.(1) नियम-15 एवं नियम-16 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थियो के नामों को उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे नियम-15 के अधीन तैयार की गयी सूची में हों, नियुक्ति करेगा। नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियो को इस निर्देश के साथ नियुक्ति पत्र जारी करेगा कि चयनित अभ्यर्थी एक माह के भीतर या पत्र में दिये गये निर्देशों के अनुसार सेवा / प्रशिक्षण के लिये उपस्थित हो जायेंगे। निर्देशानुसार सेवा / प्रशिक्षण में उपस्थित न होने की दशा में उनके चयन / नियुक्ति को निरस्त कर दिया जायेगाः

परन्तु यह कि इस नियमावली के प्रारम्भ के पूर्व से सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त और कार्यरत किसी व्यक्ति को इस नियमावली के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त किया समझा जायेगा।

(2) नियम-17 के अन्तर्गत यदि किसी एक चयन के संबंध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो, सम्मिलित आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें यथा स्थिति, चयन में यथा अवधारित या जैसा कि उस संवर्ग में हो, जिस संवर्ग से उन्हे पदोन्नति किया गया हो, ज्येष्ठता क्रम में व्यक्तियों के नामों का उल्लेख होगाः

परन्तु यह किस इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व सेवा में किसी पद पर नियुक्त और उक्त पद पर कार्यरत किसी व्यक्ति को इस नियमावली के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त हुआ समझा जायेगा और ऐसी मौलिक नियुक्ति को इस नियमावली के अधीन की गयी नियुक्ति समझी जायेगी।

प्रशिक्षण **19.** (1) (क) नियम-15 और 16 के अधीन अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों से

विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किये गये प्रशिक्षण को उत्तरीर्ण करने की अपेक्षा की जायेगी। बेसिक प्रशिक्षण की अवधि में कैडेटों पर पी.टी.सी. मैनुअल में निहित प्रावधान प्रभावी होंगे। बेसिक प्रशिक्षण हेतु अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थी यदि निर्धारित समय सीमा के अन्दर प्रशिक्षण में उपस्थित नहीं होता है तो उसका चयन / अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(ख) बेसिक प्रशिक्षण में असफल हुए कैडेटों का विभागाध्यक्ष द्वारा पूरक प्रशिक्षण कराकर उनके पुनः परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। पूरक प्रशिक्षण में असफल पाये गये अभ्यर्थियों की सेवा समाप्त करने की कार्यवाही नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेगी।

(2) नियम-17 के अधीन पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों से विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने की अपेक्षा की जायेगी।

परिवीक्षा

20. (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाएगा।

(2) परिवीक्षा अवधि के दौरान परिवीक्षाधीन व्यक्ति से ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करने के अपेक्षा की जाएगी जैसा कि विभागाध्यक्ष द्वारा विहित किया जाये।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जाएंगे अलग-अलग मामालों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ठ किया जाएगा जब तक अवधि बढ़ाई जाय।

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(4) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को वह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी के संतोषानुसार अपने अवसर का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(5) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (4) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाये या जिसकी सेवायें समाप्त की जायें, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(6) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता हैं।

स्थायीकरण ा

21. (1) नियम 20 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा; यदिः

(क) उसके द्वारा विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया हो, और

(ख) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक पाया गया हो, और

(ग) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित की गयी हो।

(2) जहाँ उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली 1991 को उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नही है वहाँ उस नियमावली के नियम-5 के उप नियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुए आदेश को कि संबंधित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि

सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

ज्येष्ठता **22**.(1) **दिनांक 02.12.2008 के पूर्व भर्ती कर्मियों की ज्येष्ठता का अवधारण**

(क) आरक्षी पीएसी

एकल चयन के माध्यम से नियुक्त समस्त आरक्षियों के पद की ज्येष्ठता नियुक्ति के पश्चात् प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर अवधारित की जायेगी।

नोट—पदोन्नति के विचारण क्षेत्र में आने वाले समस्त आरक्षियों के प्रशिक्षण में प्राप्त अंक न उपलब्ध होने पर उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रीति के अनुसार अवधारित की जाएगीः—

(1) भर्ती की तिथि के अनुसार।

(2) भर्ती की तिथि समान हो तो उनकी जन्मतिथि के अनुसार।

(3) यदि एक से अधिक आरक्षियों की आरक्षी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि एवं जन्मतिथि भी समान है तो हाई स्कूल प्रामण-पत्र में अंकित नामों के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार अवधारित की जायेगी।

(ख) मुख्य आरक्षी पीएसी

(1) मुख्य आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी / सशस्त्र पुलिस की ज्येष्ठता उनके मुख्य आरक्षी के रूप में पदभार ग्रहण करने की तिथि से अवधारित की जायेगी।

(2) यदि एक से अधिक मुख्य आरक्षियों के पदभार ग्रहण करने की तिथि समान हो, तो आरक्षी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि के अनुसार वरिष्ठता निर्धारित की जायेगी।

(3) यदि एक से अधिक मुख्य आरक्षियों की मुख्य आरक्षी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि एवं आरक्षी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि समान हो, तो जन्मतिथि के आधार पर ज्येष्ठता अवधारित की जायेगी।

(4) यदि एक से अधिक मुख्य आरक्षियों की मुख्य आरक्षी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, आरक्षी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि एवं जन्मतिथि भी समान है तो हाईस्कूल प्रमाण-पत्र में अंकित नामों के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार ज्येष्ठता अवधारित की जायेगी।

(ग) प्लाटून कमाण्डर / उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस

(1) किसी भी प्रकार से भर्ती किये गये ऐसे प्लाटून कमाण्डर / उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस जिन्होनें एक साथ प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, की पारस्परिक ज्येष्ठता प्रशिक्षण संस्थानों में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के अनुसार चकानुक्रम में (प्रथम स्थान पदोन्नत व्यक्ति) होगी।

(2) पूरक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले किसी भी प्रकार से भर्ती किये गये ऐसे प्लाटून कमाण्डर / उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस की ज्येष्ठता उस प्रशिक्षण सत्र के अभ्यर्थियों के बाद में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत के अनुसार अवधारित होगी।

(घ) दलनायक- पदोन्नति के माध्यम से नियुक्त किये गये समस्त दलनायकों की पारस्परिक ज्येष्ठता उनके द्वारा रिजर्व सब इंस्पेक्टर कोर्स में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के अनुसार अवधारित की जायेगी।

(ङ) विभाग द्वारा किसी विशेष प्रकरण में पूर्व अवधारित की गयी नीति के अनुसार ज्येष्ठता का अवधारण यथावत् बना रहेगा।

(2) **दिनांक 02.12.2008 के पश्चात भर्ती कर्मियों की ज्येष्ठता का अवधारण**

(1) किसी भी प्रकार के चयन से नियुक्त किये गये कर्मियों की वरिष्ठता उनके चयन की तिथि से निर्धारित की जायेगी। यहाँ चयन की तिथि का तात्पर्य भर्ती प्रक्रिया के उपरान्त बोर्ड अथवा चयन समिति द्वारा भेजी गयी चयन सूची को विभागाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किये जाने की तिथि से है।

(2) बोर्ड द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से भर्ती कर्मियों के चयन को एक पृथक चयन माना जायेगा। सीधी भर्ती के अन्तर्गत एकल चयन के माध्यम से भर्ती कर्मियों की पारस्परिक वरिष्ठता बोर्ड द्वारा निर्गत अन्तिम चयन सूची के क्रम के अनुसार होगी।

(3) मृतक आश्रित श्रेणी के अन्तर्गत भर्ती कर्मियों एवं उत्तर प्रदेश नागरिक पुलिस / प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी में कुशल खिलाड़ियों की भर्ती, पदोन्नति प्रक्रिया नियमावली-2011 के अन्तर्गत भर्ती कर्मियों के चयन को एक सीधी भर्ती का पृथक चयन माना जायेगा। इस प्रकार से भर्ती कर्मियों की पारस्परिक ज्येष्ठता प्रशिक्षण संस्थानों में चयन के पश्चात प्रशिक्षण में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत के अनुसार अवधारित होगी। एक प्रशिक्षण सत्र में एक से अधिक अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण संस्थानों में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के समान होने पर उनकी जन्मतिथि की वरिष्ठता को ही पारस्परिक वरिष्ठता अवधारण का आधार बनाया जायेगा। अंकों का प्रतिशत एवं जन्मतिथि समान होने पर हाई स्कूल प्रमाण-पत्र में अंकित नामों के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार ज्येष्ठता अवधारित की जायेगी।

(4) पदोन्नति के माध्यम से नियुक्त कर्मियों की ज्येष्ठता उनके चयन की तिथि के आधार पर अवधारित की जायेगी। एक ही चयन तिथि में नियुक्त किये गये कर्मियों की पारस्परिक ज्येष्ठता उनके पोषक सवंर्ग में वरिष्ठता के अनुरूप होगी तथा पूर्ववर्ती वर्ष में चयनित कर्मी पश्चात्वर्ती वर्ष में चयनित कर्मियों से ज्येष्ठ होंगे। यहाँ चयन की तिथि का तात्पर्य भर्ती प्रक्रिया के उपरान्त बोर्ड अथवा चयन समिति द्वारा भेजी गयी चयन सूची का विभागाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किये जाने की तिथि से है।

(3) उपरोक्त के होते हुए भी यदि ज्येष्ठता के सम्बन्ध में कोई नए तथ्य प्रकाश में आते हैं अथवा काई विवाद उत्पन्न होता है, तो उनका निवारण विभागाध्यक्ष द्वारा तर्कसंगत नीति के अनुसार किया जायेगा।

भाग-7 वेतन

वेतनमान **23**. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

(2) उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली-2015 के प्रारम्भ होने के समय वेतनमान निम्नवत होगा;

पद का नाम	पे-बैण्ड का नाम	तत्समान पे बैण्ड (रू.)	तत्समान ग्रेड पे (रू.)
आरक्षी	पे बैण्ड-1	रू. 5200-20200	रू. 2000
मुख्य आरक्षी	पे बैण्ड-1	रू. 5200-20200	रू. 2400
उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस / प्लाटून कमाण्डर	पे बैण्ड-2	रू. 9300-34800	रू. 4200
निरीक्षक सशस्त्र पुलिस	पे बैण्ड-2	रू. 9300-34800	रू. 4600
परिवीक्षा अवधि में वेतन			

परिवीक्षा **24.** (1) फण्डामेन्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति

अवधि में वेतन को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो तथा विभागीय परीक्षा उत्तरीर्ण कर लिया हो एवं प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया हो, और द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया होः

परन्तु यह कि यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जास तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन, सुसंगत फण्डामेंटल रूल्स द्वारा विनियमित होगाः

परन्तु यह कि यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत् सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

स्थानान्तरण **25.** (1) क्वार्टर मास्टर, कम्पनी कमाण्डर, प्लाटून कमाण्डरों, मुख्य आरक्षियों और आरक्षियों और उनके अन्य समकक्ष पदों पर तैनात कर्मियों को सरकार द्वारा गठित प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी स्थापना बोर्ड के आदेश द्वारा एक स्थान पर प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी के अन्तर्गत स्थानान्तरित या तैनात किया जा सकता है।

(2) रिजर्व इंस्पेक्टर, निरीक्षक सशस्त्र पुलिस, यातायात निरीक्षक, उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस का चयन पूर्व प्रचलित प्रक्रिया एवं मानदण्ड के अनुसार किया जायेगा। इन संवर्गों का स्थानान्तरण या तैनाती सरकार द्वारा गठित पुलिस स्थापना बोर्ड के आदेश द्वारा जिलों / इकाईयों / प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी में की जायेगी।

(3) यातायात उप निरीक्षक का चयन यातायात निदेशालय द्वारा किया जायेगा और स्थानान्तरण या तैनाती यातायात निदेशालय द्वारा जिलों / इकाईयों / प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी में किया जायेगा।

(4) इस नियमावली के प्रारंभ के समय प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी के प्रवर अधीनस्थ अधिकारियों के समकक्ष पंक्ति के पदों के नाम निम्नवत हैः—

निरीक्षक सशस्त्र पुलिस

(क) प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी में 'कंपनी कमान्डर'

(ख) प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी में 'क्वार्टर मास्टर'

(ग) जिलों, प्रशिक्षण संस्थानों, जी.आर.पी. और अन्य इकाइयों में 'रिजर्व इंस्पेक्टर' / 'निरीक्षक सशस्त्र पुलिस'

(घ) जिलों में 'यातायात निरीक्षक'

उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस

(क) प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी में 'प्लाटून कमाण्डर'

(ख) प्रदेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी में 'सूबेदार क्वार्टर मास्टर'

(घ) जिलों, प्रशिक्षण संस्थानों, जी.आर.पी. तथा अन्य इकाईयों में 'उपनिरीक्षक सशस्त्र

पुलिस'

(ङ) जिलों में 'यातायात उपनिरीक्षक'।

भाग-8 अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन **26**. किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर, चाहे लिखित हों या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रतयक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन **27.** ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या नियमों, विनियमों एवं आदेशों के उपबन्धों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति यथास्थिति पुलिस अधिनियम / प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये अन्य उपबन्धों, विनियमों और आदेशों के अनुसार शासित होंगे।

सेवा की शर्तो में शिथिलता **28.** जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में असम्यक् कठिनाई होती है, वहाँ वह उस मामले में लागू नियमों में से किसी बात के होते हुये भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं के उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

व्यावृत्ति **29.** इस नियमावाली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये अधिनियमों और आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

अध्यारोही प्रभाव **30.** (1) राज्य सरकार द्वारा बनाई गई किसी अन्य नियमावली या जारी किये गये शासनादेश या प्रशासनिक अनुदेशों में किसी बात के प्रतिकूल होते हुये भी, इस नियमावली के उपबन्ध प्रभावी होंगे।

(2) चयन, पदोन्नति, प्रशिक्षण, नियुक्ति, ज्येष्ठता निर्धारण और स्थायीकरण आदि से संबंधित या उनसे अनुसांगिक विषयों के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये शासनादेश विखण्डित हो जायेंगे।

(3) ऐसे विखण्डन के होते हुये भी, प्रचलित नियमावली, शासनादेशों या प्रशासनिक अनुदेशों, जो इस नियमावली से असंगत न हो, के अधीन स्वीकृत चयन, पदोन्नति, प्रशिक्षण, नियुक्ति, ज्येष्ठता निर्धारण और स्थायीकरण आदि की प्रसुविधा इस नियमावली के अधीन स्वीकृत की गयी समझी जायेगी।

आज्ञा से,
(देबाशीष पण्डा)
प्रमुख सचिव

परिशिष्ट

(नियम-17(1)(ख) देखें)

उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस / प्लाटून कमाण्डर के पद पर पदोन्नति हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षण

1. शारीरिक दक्षता परीक्षण का संचालन बोर्ड द्वारा गठित एक दल द्वारा किया जायेगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होगें:—

(एक)बोर्ड द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक अपर पुलिस अधीक्षक।

(दो) जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक चिकित्सा अधिकारी।

विद्यमान शासनादेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक व अन्य किसी श्रेणी, जिसका प्रतिनिधित्व उपरोक्त दल में आवश्यक हो, के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने हेतु बोर्ड द्वारा उपरोक्त दल में उचित स्तर के अतिरिक्त अधिकारियों को सदस्य के रूप में रखा जायेगा।

परीखा का संचालन करने के लिये यह दल किसी अन्य विशेषज्ञ / विशेषज्ञों की सहायता ले सकता है।

2. शारीरिक दक्षता परीक्षा केवल अर्हकारी प्रकृति की होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होने के लिये पुरूष अभ्यर्थियों को 3.2 कि.मी. की दौड़ 35 मिनट में पूरा करना आवश्यक होगा।

टिप्पणी—समय की संगणना निकटतम सेकेण्ड तक की जायेगी।

3. दल द्वारा मैनुअल टाइमिंग प्रयोग किये जाने की अनुमति नहीं होगी। सी.सी.टी.वी. कवरेज सहित मनकीकृत इलेक्ट्रानिक टाइमिंग उपकरा और पर्याप्त बैकअप के साथ बायोमैट्रिक्स का प्रयोग यथार्थता व पारदर्शिता सुनिश्चित करने एवं वेशपरिवर्तन से बचने के लिये किया जायेगा।

4. दल नीचे दी गयी प्रक्रिया का पालन करेगा:—

(क) बोर्ड द्वारा प्रतिदिन परीक्षण कराये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का अवधारण किया जायेगा और उनका विनिश्चय परीक्षण कराये जाने वालों की कुल संख्या एवं विद्यमान दशाओं पर आधारित होगा।

(ख) अर्हता के लिये इस परिशिष्ट के खण्ड 2 में न्यूनतम शरीरिक दक्षता मानकों की सूचना परीक्षण स्थल पर सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जायेगी।

(ग) इस परीक्षण का परिणाम परीक्षण स्थल पर सूचना पट्ट पर दिन की समाप्ति पर प्रदर्शित किया जायेगा और यदि सम्भव हुआ तो यथा शीर्घ बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा।

(घ) संगठनात्मक दल, जिसमें परीक्षण अभिकरण यदि कोई हो, भी सम्मिलित है, के ऐसे सदस्य जो जानबूझ कर ऐसा कार्य करते हैं जो गलत हो या किसी ऐसे कार्य को नहीं करते हैं उन्हें करना चाहिए और जिसे किसी अभ्यर्थी को अनुचित लाभ पहुँचाता हो या उसका अहित होता हो, तो वे दाण्डिक कार्यवाही और / या आवश्यक विभागीय कार्यवाही के भागी होंगे।

(ङ) शारीरिक दक्षता परीक्षण का परिणाम अभ्यर्थियों को उसी दिन उपलब्ध कराया जायेगा। सफल अभ्यर्थियों की सूची टीम के सदस्यों के संयुक्त हस्ताक्षर से घोषित की जायेगी।

(च) बहिर्कक्ष परीक्षण इस प्रकार किये जायेंगे कि परिणामों का मूल्यांकन किया जा सके और उन्हें बिना किसी हस्तगत मध्यक्षेप के यांत्रिक रूप से अभिलिखित किया जा सके। शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिये केवल भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन वाले मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग किया जायेगा।

(छ) अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जायेगी कि वे दिये गये दिनांक और समय पर उपस्थित हों। ऐसे कारणों से जो उनके नियंत्रण के परे हों और जो लिखित रूप में अभिलिखित किये जायेंगे, किसी विशिष्ट समय पर परीक्षण किये जाने वाले अभ्यर्थियों के समूह हेतु परीक्षण के दिनांक एवं समय में बोर्ड द्वारा परिवर्तन किया जा सकता

है। यदि कोई अभ्यर्थी नियत दिनांक पर परीक्षा में सम्मिलित होने में विफल रहता है तो उसे परीक्षा में असफल माना जायेगा। परीक्षा में सम्मिलित न होने के कारण अथवा विहित मानक प्राप्त न कर सकने के कारण असफल हो जाने वाले अभ्यर्थी को दूसरा मौका नहीं दिया जायेगा और स्वास्थ्य के कारण या किसी अन्य आधार पर चाहे जो भी हो, पुनः परीक्षण के लिये कोई अपील नहीं की जा सकेगी।

टिप्पणी—समस्त वीडियों अभिलेखों को विशेष रूप से गोपनीय रखा जायेगा और अभिलेख को सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जायेगा तथा किसी न्यायालय द्वारा मांग किये जाने पर या किसी जाँच अधिकारी को बोर्ड की अनुमति से उपलब्ध कराया जायेगा।

उत्तर प्रदेश नागरिक पुलिस/प्रादेशिक सशस्त्र कान्टेबुलेरी में कुशल खिलाड़ियों की भर्ती एवम पदोन्नति प्रक्रिया नियमावली, 2011

उत्तर प्रदेश सरकार, गृह(पुलिस) अनुभाग–10

संख्या–1667/06–पु0–10–2011–1200(122)/78 दिनांक 25.06.2011

भाग-एक समान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(1) यह निवमावली उत्तर प्रदेश नागरिक पुलिस/प्रादेशिक सशस्त्र कान्स्टेबुलेरी कुशल खिलाड़ियों की भर्ती एवम पदोन्नति प्रक्रिया नियमावली 2011 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2.राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये गये जा जारी किये गये किसी नियमावली या आदेशों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी यह नियमावली प्रभावी होगी।

परिभाषाएं

3. जब तक विषय अथवा सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में

(क) 'कुशल खिलाड़ी' का तात्पर्य ऐसे पुरूष/महिला खिलाड़ियों से है, जिसने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक संघ द्वारा आयोजित खेलों में और राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा आयोजित खेलों में भाग लिया हो

(ख) 'अखिल भारतीय पुलिस खेल प्रतियोगिता' का तात्पर्य ऐसी खेल सम्बन्धी घटनाओं/ प्रतियोगिताओं से है, जो अखिल भारतीय पुलिस खेल नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली द्वारा आयोजित किये जाते है :

(ग) 'नियुक्ति प्राधिकारी' का तात्पर्य :–

(एक) निरीक्षक (नागरिक पुलिस) कम्पनी कमाण्डर (प्रादेशिक सशस्त्र कान्स्टेबुलेरी), उपनिरीक्षक (नागरिक पुलिस) और प्लाटून कमाण्डर (प्रादेशिक सशस्त्र कान्स्टेबुलेरी) के पद के सम्बन्ध में पुलिस उपमहानिरीक्षक और

(दो) मुख्य आरक्षी (नागरिक पुलिस/सशस्त्र पुलिस/प्रादेशिक सशस्त्र कान्सटेबुलेरी) और आरक्षी (नागरिक पुलिस/प्रादेशिक सशस्त्र कान्सटेबुलेरी) के सम्बन्ध में यथास्थिति वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक अथवा कमाण्डेन्ट (प्रादेशिक सशस्त्र कान्स्टेबुलेरी) से है

(घ) 'बोर्ड का तात्पर्य उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवम पदोन्नत्ति बोर्ड से है

(ङ) 'भारत का नागरिक' का तात्पर्य संविधान के भाग-2 के अधीन किसी व्यक्ति के भारत का नागरिक होने अथवा समझे जाने से है

(च) 'संविधान का तात्पर्य भारत का संविधान से है'

(छ) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है

(ज) 'राज्यपाल' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है

(झ) 'विभागाध्यक्ष' का तात्पर्य पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश से है

(ञ) 'अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का तात्पर्य ऐसी किसी प्रतियोगिता से है जो ऐसे संघ द्वारा आयोजित की गयी हो, जो अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति/संघ द्वारा सीनियर/जूनियर अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिये आयोजित किया गया है

(ट) राष्ट्रीय प्रतियोगिता का तात्पर्य खेल संघों या भारतीय ओलंम्पिक संघ द्वारा आयोजित

सीनियर/जूनियर राष्ट्रीय चैम्पियनशिप/स्पोर्ट्स शाखाओं से है

(ठ) 'चयन समिति का तात्पर्य उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवम पदोन्नति बोर्ड द्वारा गठित समिति से है

(ड) 'सेवा' का तात्पर्य इस नियमावली के अधीन सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति के माध्यम से सवर्ग में किसी पद पर नियुक्त किसी व्यक्ति की सेवा से है

(ढ) 'खेल उपलब्धि का तात्पर्य किसी खिलाड़ी द्वारा सृजित प्रतिमानों अथवा उसके द्वारा अर्जित पदकों से है

(ण) 'अधिष्ठायी नियुक्ति का तात्पर्य नियमावली के अनुसार और यदि नियमावली नहीं है तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यकारी निर्देशों के अनुसार तत्समय के लिये विहित प्रक्रिया के अनुसार सेवा के संवर्ग में किसी पद पर तदर्थ नियुक्ति से भिन्न की गयी किसी नियुक्ति से है

(त) 'टीम' का तात्पर्य खिलाड़ियों के ऐसे समूह से है जिनकी संख्या राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति/एसोशियेशन द्वारा राष्ट्रीय/ अन्तर्राष्ट्रीय खेलों के लिये नियत की जाती है

(थ) उत्तर प्रदेश पुलिस खेल नियंत्रण भर्ती का तात्पर्य ऐसी इकाई से है, जो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिये विभिन्न खेल गतिविधियों को नियंत्रित और आयोजित करती है

(द) 'भर्ती का वर्ष का तात्पर्य किसे कैलेण्डर वर्ष की प्रथम जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह महीने के अवधि से है'

भाग– दो संवर्ग

सेवा का संवर्ग 4. नियुक्ति के लिये वह पद जिसके लिये किसी कुशल खिलाड़ी की भर्ती की गयी है, सेवा के संवर्ग में उस पद के लिये नियुक्त किया गया समझा जायेगा।

भाग–तीन भर्ती

भर्ती के स्त्रोत 5. उपनिरीक्षक (नागरिक पुलिस) प्लाटून कमाण्डर (प्रादेशिक सशस्त्र कान्स्टेबुलेरी) आरक्षी (नागरिक पुलिस) अथवा आरक्षी (प्रादेशिक सशस्त्र कान्स्टेबुलेरी) के पदों में से प्रत्येक की दो प्रतिशत रिक्तियों पर भर्ती, जिसके लिये सीधी भर्ती अनुध्यात है, सीधी भर्ती द्वारा कुशल खिलाड़ियों में से की जायेगी।

परन्तु इस नियमावली के अधीन यदि विभाग का कोई पात्र अभ्यर्थी आरक्षी/मुख्य आरक्षी, नागरिक पुलिस/सशस्त्र पुलिस/प्रादेशिक सशस्त्र कान्सटेबुलेरी के उपनिरीक्षक (नागरिक पुलिस) प्लाटून कमाण्डर (प्रादेशिक सशस्त्र कान्स्टेबुलेरी) के पद पर चयनित हो जाता है, तब ऐसी दशा में उसे सीधी भर्ती के माध्यम से भर्ती किया गया समझा जायेगा।

आरक्षण 6. ऐसे अभ्यर्थियो जो अपेक्षित अर्हता धारित करते है, का सेवा/संवर्ग में चयन वर्ष के लिये यथा अवधारित 02 प्रतिशत रिक्तियों के सापेक्ष किया जायेगा और इन पदों को समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता/सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 के अनुसार अलग से भरा जायेगा । आरक्षण क्षैतिज प्रकृति का होगा और रिक्तियों को कुल संख्या के आधार पर दिया जायेगा और

इसे श्रेणीवार निर्बन्धित नहीं किया जायेगा और यदि नागरिकों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित कोई अभ्यर्थी चयनित हो जाता है, तब उसे श्रेणी के सापेक्ष माना जायेगा, जिससे कि वह सम्बन्धित है।

भाग– चार सीधी भर्ती के लिये अर्हताएं

राष्ट्रीयता–7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी को होना चाहिये ।

(क) भारत का नागरिक अथवा

(ख) तिब्बती शरणाथी जो 1 जनवरी 1962 के पूर्व भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से भारत आया हो या

(ग) भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से भारतीय मूल को कोई व्यक्ति पाकिस्तान वर्मा, सीलान अथवा पूर्वी अर्फीकी कोई देश कीनिया, युगाण्डा और संयुक्त गणराज्य तन्जीनिया (पूर्व नाम तंजानिका और जंजीबार) से प्रवजन किया हो

परन्तु उपरोक्त श्रेणी (ख) अथवा (ग) से सम्बन्धित कोई अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया गया हो

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) से सम्बन्धित किसी अभ्यर्थी से पुलिस उपमहानिरीक्षक आसूचना शाखा उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदान किया गया पात्रता का प्रमाण- पत्र प्राप्त करने की अपेक्षा भी की जायेगी

परन्तु यह भी कि यदि उपरोक्त श्रेणी (ग) से सम्बन्धित कोई अभ्यर्थी, एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये पात्रता प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी का सेवा में एक वर्ष से परे का प्रतिधारण उसकी भारतीय नागरिकता अर्जित करने के अधीन होगा।

टिप्पणी—कोई अभ्यर्थी जिसके मामले में पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक हो, लेकिन प्रमाण-पत्र न जारी किया गयो हो, और न ही जारी करने से इन्कार किया गया हो, उसे परीक्षा अथवा साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण-पत्र प्राप्त किये जाने या उसके पक्ष में प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के अधीन उसको औपबन्धिक रूप से नियुक्त किया जा सकता है।

भर्ती हेतु कुशल खिलाड़ियों के लिये अर्हता. 8–

8(।) कोई व्यक्ति जिसने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति द्वारा आयोजित/मान्यता प्राप्त अथवा राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा आयोजित/मान्यता प्राप्त प्रतियोगिताओं/खेलों में भाग लिया हो केवल कुशल खिलाड़ी के रूप में भर्ती किया जायेगा।

(।।) कोई व्यक्ति जो रिक्तियों के विज्ञापन के दिनांक को निम्नलिखित अर्हताएं धारित करता है, सीधी भर्ती के लिये पात्र अभ्यर्थी होगा

(क) उपनिरीक्षक (नागरिक पुलिस) और प्लाटून कमाण्डेट (प्रादेशिक सशस्त्र कान्स्टेबुलेरी) के लिये अभ्यर्थी कोई अभ्यर्थी जो

(एक) टीम प्रतियोगिताओं में सीनियर राष्ट्रीय टीम के लिये या व्यक्तिगत खेल में चयनित किया गया हो,और किसी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लिया हो अथवा

(दो) किसी सीनियर राष्ट्रीय टूर्नामेण्ट प्रतियोगिता के लिये राज्य/विभाग का प्रतिनिधित्व किया हो और किसी

व्यक्तिगत स्पर्द्धा में स्वण/रजत अथवा कांस्य पदक जीना हो अथवा किसी टीम स्पर्द्धा मे 02 वर्षो तक लगातार प्रतिनिधित्व किसी हो।

(ख) आरक्षी (नागरिक पुलिस) और आरक्षी (सशस्त्र प्रादेशिक कान्स्टेबुलेरी) के पद के लिये कोई अभ्यर्थी जिसने किसी सीनियर राष्ट्रीय टूर्नामेण्ट/प्रतियोगिता के लिये राज्य / विभाग को प्रतिनिधित्व किया हो और स्वर्ण/कान्सय पदक जीता हो या किसी व्यक्तिगत स्पर्द्धा में चतुर्थ स्थान अर्जित किया हो या किसी टीम स्पर्द्धा में 02 वर्षों तक लगातार प्रतिनिधित्व किया हो।

शैक्षिक अर्हताए

9-(क) उपनिरीक्षक (नागरिक पुलिस) और प्लाटून कमाण्डर (प्रादेशिक सशस्त्र कान्स्टेबुलेरी) के पद के लिये अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट की परीक्षा अथवा उसके समकक्ष द्वारा मान्यता प्राप्त परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

(ख) आरक्षी नागरिक पुलिस/आरक्षी (प्रादेशिक सशस्त्र कान्स्टेबुलेरी) के पद के लिये अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट एजुकेशन की हाईस्कूल की परीक्षा अथवा उसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

आयु

10-आयु सीधी भर्ती के लिये किसी अभ्यर्थी को उस कैलेण्डर वर्ष में प्रथम जुलाई को जिसमें कि रिक्तियां विज्ञापित की जाती है, नीचे दी गयी सारिणी में पद के सापेक्ष विनिर्दिष्ट न्यूनतम आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए और अधिकतम आयु से अधिक आयु नहीं पूरी करनी चाहिए

कम सं0	पदनाम	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु
1	उपनिरीक्षक (नागरिक पुलिस)	19 वर्ष	26 वर्ष
2	प्लाटून कमाण्डर (प्रादेशिक सशस्त्र कान्स्टेबुलरी)	19 वर्ष	26
3	आरक्षी (नागरिक पुलिस)	18 वर्ष	25 वर्ष
4	आरक्षी (प्रादेशिक सशस्त्र कान्स्टेबुलरी)	18 वर्ष	25 वर्ष

परन्तु अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों आर ऐसे वर्गो के अभ्यर्थियों के मामले में जो समय समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित किये जाये ऊपरी आयु सीमा उतने वर्षो की संख्या तक अधिक होगी जैसी कि विनिर्दिष्ट की जाय।

शारीरिक मानक

11. कुशल खिलाड़ियों के लिये किसी पद पर भर्ती के लिये शारीरिक मानक निम्नानुसार होगा

(क) **ऊंचाई**

पुरूष अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम ऊंचाई 160 सेन्टीमीटर अपेक्षित है और अनुसूचित जनजातियों के पुरूष अभ्यर्थियों के लिये यह 160 सेन्टीमीटर होगी, महिला अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम ऊंचाई 152 सेन्टीमीटर है और अनुसूचित जनजाति की महिला अभ्यर्थियों के लिये यह 147 सेन्टीमीटर होगी।

(ख) **सीना (केवल पुरूष अभ्यर्थियो के लिये)**

पुरूष अभ्यर्थियों के लिये बिना फुलाये सीना न्यूनतम 79 सेन्टीमीटर होना चाहिए। न्यूनतम फुलाव 05 सेन्टीमीटर होना चाहिए अर्थात फुलाव के पश्चात सीना 84 सेन्टीमीटर (न्यूनतम) होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति के पुरूष अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम 77 सेन्टीमीटर अपेक्षित है और 05 सेन्टीमीटर का फुलाव अपेक्षित है, अर्थात फुलाव पर सीने का माप न्यूनतम 82

सेन्टीमीटर है।

चरित्र **12.**सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस बिन्दु पर स्वयं का समाधान कर लेंगे।

टिप्पणी—संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा सशस्त्र अथवा नियंत्रित किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये अपात्र होगे। नैतिक अधमता से सम्बन्धित किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध व्यक्ति भी अपात्र होगा।

वैवाहिक प्रस्थिति **13.**ऐसा पुरूष अभ्यथी जिसके एक से अधिक जीवित पत्नियां है, अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसके पूर्व से ही एक जीवित पत्नी है, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

शारीरिक/ चिकित्सा परीक्षा **14.** (1) सेवा में किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि वह मानसिक न शारीरिक रूप से उपयुक्त न हो, और व कोई ऐसी शारीरिक अक्षमता से युक्त न हो जो उसे अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन में विपरीत प्रभाव डाल सके। सेवा के किसी पद पर किसी अभ्यर्थी को जिसकी नियुक्ति की जानी है, औपचारिक नियुक्ति आदेशों से पूर्व उत्तर प्रदेश पुलिस के लिये स्थापित दिशा-निर्देशों और प्रकिया के अनुसार भर्ती के लिये गठित चिकित्साधिकारी वार्ड द्वारा उपयुक्त पाया जाना आवश्क होगा।

(2) सेवा में किसी पद पर किसी अभ्यर्थी कि नियुक्ति से पूर्व उसे चिकित्सा नियम संग्रह में निर्धारित चिकित्सा परीक्षा की प्रक्रिया से गुजरना होगा, और चिकित्साधिकारी/बोर्ड द्वारा उसे सफल घोषित किया जाना आवश्यक होगा।

भाग-पांच सीधी भर्ती के लिये प्रक्रिया

रिक्तियों का अवधारण **15.**. (1) क्रमशः पदों से सम्बन्धित नियमावली के अधीन भरी जाने वाली रिक्तियों का भर्ती के वर्ष के दौरान अवधारण नियुक्ति प्राधिकारी करेगा और उन्हें विभागाध्यक्ष को सूचित करेगा। कुल रिक्तियों का 02 प्रतिशत उन कुशल खिलाड़ियों द्वारा अलग से भरी जायेगी जो रिक्तियों के विज्ञापन के दिनांक को सभी अपेक्षाएं पूरी करते हो। रिक्तियों की संख्या की गणना पूर्णांक में की जायेगी और 1 से नीचे दशमलव की गणना नही की जायेगी।

(2) उपनियम (2) के अधीन प्रमाणित रिक्तियों के बारे में विभागाध्यक्ष राज्य सरकार को सूचित करेगा और अगेत्तर कार्यवाही के लिये बोर्ड को भी अधिसूचित करेगा।

(3) यदि किसी दिये गये वर्ष में कोई उपयुक्त और अर्ह अभ्यर्थी भर्ती के लिये

उपलब्ध नही है तो ऐसे पद और रिक्तियों अग्रेनीत नही की जायेगी। तब ऐसी रिक्तियों सामान्य भर्ती प्रक्रिया द्वारा भरी जा सकेगी।

16. खिलाड़ियों के लिये उपलब्ध रिक्तियां/पर्दा की संख्या की सूचना अभिप्राप्त करने के पश्चात बोर्ड किसी विशेष खेल में अपेक्षित निश्चित खिलाड़ियों की संख्या का अवधारण करेगा (उदाहरण के लिये हांकी और फुटबांल के लिये कितने फॉरवर्ड डिफेण्डर्स विंगर्स आदि है) इसके पश्चात उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवम पदोन्नति बोर्ड विभागाध्यक्ष से अनुमोदन लेगा और तब कुशल खिलाड़ियों की भर्ती के लिये खेल और निश्चित विशिष्ठता को को अधिसूचित करेगा और भर्ती के लिये नीचे यथा विनिर्दिष्ट अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया विज्ञापित करेगा

(एक) व्यापक प्रसार वाले दैनिक समाचार पत्र में विज्ञापन जारी करके

(दो) कार्यालयों के नोटिस-बोर्ड पर सूचना प्रदर्शित करके अथवा रेडियों/दूरदर्शन तथा अन्य रोजगार समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन करके

(तीन) सेवायोजन कार्यालय का रिक्तियां अधिसूचित करके।

चयन–समिति गठन

17. कुशल खिलाड़ियों के चयन के लिये बोर्ड द्वारा एक चयन समिति का गठन किया जायेगा। चयन समिति खेलों की विभिन्न विधाओं के लिये अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के प्रख्यात खिलाड़ियों का विशेषज्ञ के रूप में सहयोग ले सकेगी।

टिप्पणी—चयन-समिति में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों तथा नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ष के अधिकारियों को प्रतिनिधित्व देने के लिये समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा –7 के अधीन किये गये आदेशानुसार नामांकन किया जायेगा।

आवेदन–पत्र

18. (1) अभ्यर्थी विहित प्रारूप में नियत दिनांक के भीतर बोर्ड का आवेदन करेगा।

(2) आवेदन-पत्र के साथ यथास्थिति आयु का सबूत, हाईस्कूल परीक्षा, इण्टरमीडिएट परीक्षा, स्नातक उपाधि, परास्नातक उपाधि, खेल उपलब्धि प्रमाण-पत्रों और अन्य सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की जानी चाहिए।

(3) अपेक्षित स्थान पर अभ्यर्थी के नवीतम फोटोग्राफ की प्रमाणित प्रति चस्पा की जानी चाहिए।

(4) अभ्यर्थी को शपथ-पत्र पर शपथपूर्वक सामान्य भर्ती के मामले में व्यक्तिगत सूचना की सत्यता और यथार्थता तथा आवेदन-पत्र के साथ संलग्न प्रमाण-पत्रों के बारे में परीक्षित होनी चाहिए।

आवेदन–पत्रों की संवीक्षा

19. बुलावा-पत्र निर्गत किये जाने से पूर्व बोर्ड सभी आवेदन-पत्रों और उनके संलग्नकों अर्थात प्रमाण पत्रों की विस्तृत संवीक्षा करेगा। यदि आवेदन-पत्र में उल्लिखित दस्तावेजों की कोई प्रमाणित प्रतियां आवेदन के साथ सम्बद्ध नही है तब ऐसे अपूर्ण अथवा अशुद्ध आवेदन-पत्र बोर्ड द्वारा निरस्त किये जा सकेगे।

बुलावा–पत्र

20. उन अभ्यर्थियों/आवेदकों को जिनके आवेदन पत्र संवीक्षा के दौरान शुद्ध पाये गये थे, बुलावा-पत्र निर्गत किये जायेगें और अपेक्षा की जायेगी कि वे चयन समिति के समक्ष विनिर्दिष्ट दिनांक/समय और स्थान पर अपनी खेल कुशलता और शारीरिक मानक/दक्षता का प्रदर्शन करे। अभ्यर्थियों आवेदन से सत्यापन के लिये अपनी आयु, शिक्षा और खेल

उपलब्धियों से सम्बन्धित सभी आवश्यक दस्तावेज मूलरूप में प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है। पश्चातवर्ती प्रक्रम पर बुलावा-पत्र जारी किया जाना नियुक्ति के लिये कोई अधिकार परिकल्पित नहीं करता है।

प्रमाणपत्र खेल और शारीरिक दक्षता परीक्षण

21. (1) ऐसे सभी आवेदक जिनके आवेदन-पत्र संवीक्षा के प्रक्रम पर शुद्ध पाये गये थे, और जिन्हे बोर्ड द्वारा चयन समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिये बुलावा-पत्र निर्गत किये गये थे, गहनता से परीक्षण किये जायेगे और उनकी खेल सम्बन्धी कुशलता तथा शारीरिक दक्षता का भी परीक्षण किया जायेगा।

(2) मूल दस्तावेज चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने होगे। मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल होने अथवा किसी दस्तावेज के अशुद्ध/त्रुटिपूर्ण पाये जाने की दशा में आवेदन पत्र सारांशत अस्वीकृत किया जा सकेगा और अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया से हटाया जा सकता है।

प्रमाण पत्रों का सत्यापन

22. नियुक्ति के लिये औपचारिक, संस्तुति से पूर्व बोर्ड/चयन समिति का सचिव खेल प्रमाण-पत्रों/शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों का उन्हे निर्गत करने वाले निकायों अर्थात संघ/शिक्षा परिषदों से सत्यापित करेगा। यदि कोई प्रमाण-पत्र अशुद्ध पाया जाता है, तब आवेदक का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

चरित्र सत्यापन और नियुक्ति

23. (1) नियम 21 के अनुसार उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों की सूची बोर्ड विभागाध्यक्ष को अग्रसारित करेगा जो अपने स्पष्ट अनुमोदन के साथ इसे खेल कोटे के अधीन नियुक्ति के लिये नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

(2) नियुक्ति पत्र निर्गत किये जाने से पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये चरित्र सत्यापन की स्थापित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा। अभ्यर्थी के चरित्र के बारे में यदि कोई ऐसा प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आता है जो सरकारी पद धारित के लिये उसकी पात्रता को शून्य करता है, तब ऐसे अभ्यर्थी का अभ्यर्थन अस्वीकार किये जाने योग्य है। ऐसे मामलों में नियुक्ति प्राधिकारी विभागाध्क्ष को सूचित करेगा।

(3) उपनिरीक्षक (नागरिक पुलिस) के लिये नियुक्ति पत्र उपमहानिरीक्षक (स्थापना) उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद द्वारा जारी किये जायेगे और प्लाटून कमाण्डर (प्रादेशिक सशस्त्र कान्स्टेबुलेरी) के लिये नियुक्ति पत्र उपमहानिरीक्षक प्रादेशिक सशस्त्र कान्सटेबुलेरी मुख्यालय, लखनऊ जारी किये जायेगे।

(4) आरक्षी (नागरिक पुलिस)/प्रादेशिक सशस्त्र कान्स्टेबुलेरी के लिये नियुक्ति पत्र जिले के सम्बन्धित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक और सम्बन्धित प्रादेशिक सशस्त्र कान्स्टेबुलेरी बटालियन के कमाण्डेन्ट द्वारा जारी किये जायेगे।

(5) नियुक्ति पत्र निर्गत किये जाने के तीन महीने के भीतर चयनित कुशल खिलाड़ियों से अपनी तैनाती पर विभाग में अपनी सेवा ग्रहण करने की अपेक्षा की जाती है। जिसमें असफल रहने पर उनकी नियुक्ति का प्रस्ताव निरस्त किया जा सकता है।

भाग-छः प्रशिक्षण परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता निर्धारण

प्रशिक्षण

24. (1) उपनिरीक्षक (नागरिक पुलिस)/प्लाटून कमाण्डर (प्रादेशिक सशस्त्र कान्स्टेबुलेरी)/आरक्षी (नागरिक पुलिस प्रादेशिक सशस्त्र कान्स्टेबुलेरी के पदों पर इस नियमावली के अधीन भर्ती कुशल खिलाड़ियों को 14 सप्ताह के प्रारम्भिक प्रशिक्षण से गुजरना होगा।

(2) इस प्रशिक्षण के दौरान ऐसे कुशल खिलाड़ियों का अखिल भारतीय पुलिस खेल/राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने की छूट प्राप्त होगी। ऐसे मामले में जिसे अलग से अपेक्षित प्रारम्भिक प्रशिक्षण पूर्ण करना होगा।

(3) प्रशिक्षण कार्यक्रम में उन खेल विधाओं के बारे में विशिष्टीकृत संव्यवहार सत्र होने जिनके लिये वे चयनित किये गये हैं। यह विशिष्टीकृत निविष्टीकृत निविष्टी 14 सप्ताह के प्रारम्भिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का अनिवार्यतः भाग होगा।

(4) पुलिस कार्मिक के रूप में भर्ती कुशल खिलाड़ी को पद के लिये उस दिनांक/समय से विहित आज्ञापक आधारभूत पाठ्यक्रम से गुजरना होगा जैसा कि सचिव उ0प्र0 पुलिस खेल नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्देशित किया जाये।

परिवीक्षा

25. इस नियमावली के अधीन नियुक्त सभी कुशल खिलाड़ी सम्बन्धित सेवा नियमावली के उपबन्धों के अनुसार परिवीक्षा पर रखे जायेगे।

स्थायीकरण

26. कोई परिवीक्षाधीन व्यक्ति अपनी नियुक्ति पर परिवीक्षा अवधि अथवा बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर स्थायी कर दिया जायेगा यदि

(क) उसने सफलतापूर्वक विहित प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया है

(ख) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक पाया गया है और

(ग) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी गयी हो।

ज्येष्ठता

27. (1) इस नियमावली के अधीन नियुक्त व्यक्ति की पारस्परिक ज्येष्ठता समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

(2) इस नियमावली के अधीन नियुक्त व्यक्ति किसी विशिष्ट भर्ती वर्ष में सम्बन्धित नियमावली के अधीन नियुक्त व्यक्ति से जिसमें कि इस नियमावली के अधीन कुशल खिलाड़ियों के लिये 02 प्रतिशत रिक्तियों भरी गयी है, नीचे रखा जायेगा।

भाग—सात—वेतन,आदि

वेतन

28. विभाग में मौलिक पद/सेवा के लिये प्रचलित वेतन संरचना के अनुसार कुशल खिलाड़ियों को वही वेतन और भत्ते अनुमन्य होंगे जिसके सापेक्ष उनकी नियुक्ति की गयी है।

भाग—आठ—
कुशल खिलाड़ियों की बिना पारी पदोन्नति

पदोन्नति के लिये पात्रता

29. (1) इस नियमवाली में विहित अर्हताओं के अनुसार ऐसे कुशल खिलाड़ी जो अपेक्षित अर्हताएं रखते है और उनके खेलों में उत्कृष्ट निष्पादन के आधार पर बिना पारी की पदोन्नति के आधार पर प्रत्येक सम्बन्धित संवर्ग पद से सम्बन्धित सेवा नियमावली में विहित मुख्य आरक्षी (नागरिक पुलिस, सशस्त्र पुलिस, प्रादेशिक सशस्त्र कान्स्टेबुलेरी) उपनिरीक्षक (नागरिक पुलिस) प्लाटून कमाण्डर (प्रादेशिक सशस्त्र

कान्स्टेबुलेरी) निरीक्षक (नागरिक पुलिस) कम्पनी कमाण्डर (प्रादेशिक सशस्त्र कान्स्टेबुलेरी) के पद पर प्रोन्नत किये जा सकते हैं।

(2) इस नियमावली के अधीन अपेक्षित मानक पूरा करने पर बिना पारी की पदोन्नत्ति एक अधिकार विषयक मामला नहीं होगा। यह पदोन्नति विभाग की आवश्यकताओं और प्रत्येक अलग कुशल खिलाड़ी की व्यक्तिगत स्पर्द्धा पर आधारित होगा।

(3) किसी कुशल खिलाड़ी का दी गयी इस प्रकार बिना पारी की पदोन्नति उदाहरण के रूप में उधृत नही की जा सकेगी और यह किसी अन्य खिलाड़ी को बिना पारी की पदोन्नति का कोई अधिकार प्रदत्त नहीं करेगा।

(4) उत्कृष्ट खेल निष्पादन के आधार पर बिना पारी की पदोन्नति प्रदान करते समय दण्ड, सत्यनिष्ठा विभागीय/विधिक कार्यवाहियों के मामले संज्ञान में लिये जायेगे और उनके मानकों को इस प्रकार अनुसंज्ञान में लिया जायेगा जो विभाग में साधारणतया ऐसे रैंक में पदोन्नत्ति के दौरान देखे जाते हैं।

पदोन्नति के लिये रिक्तियों का निर्धारण

30. इस नियमावली के अनुसार, बिना पारी की पदोन्नत्ति के लिये निर्धारित प्रक्रिया हेतु ऐसे व्यक्तियों जो इस अवसर का उपयोग करते हैं के पदों पर समायोजन भर्ती के उस वर्ष में होने वाली रिक्तियों के सापेक्ष किया जायेगा।

कुशल खिलाड़ियों की पदोन्नति के लिये अर्हताए

31. मुख्य आरक्षी (नागरिक पुलिस सशस्त्र पुलिस/प्रादेशिक सशस्त्र कान्स्टेबुलेरी के पद पर बिना पारी की पदोन्नत्ति के लिये निम्नलिखित मापदण्ड अपनाये जायेगे (क) उत्तर प्रदेश राज्य टीम या भारतीय टीम के लिये चयन किये जाने के पश्चात कुशल खिलाड़ी भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय प्रतियोगिता/राष्ट्रीय खेलों में या तो टीम खेलों में या व्यक्तिगत स्पर्द्धा में सम्मिलित हुए हो और स्वर्ण या रजय या कान्स्य पदक अर्जित किये हो।

(ख) उपनिरीक्षक (नागरिक पुलिस) और प्लाटून कमाण्डर (प्रादेशिक सशस्त्र कान्स्टेबुलेरी) के लिये निम्नलिखित में से किसी एक मापदण्ड को अपनाया जायेगा

(एक़) भारतीय टीम में चयन किये जाने के पश्चात कुशल खिलाड़ी किसी अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेन्ट में ऐसे किसी टीम या व्यक्तिगत स्पर्द्धा में सम्मिलित हुए हो जो अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त हो और स्वर्ण या रजत या कांस्य पदक अर्जित किये हो।

(दो) उत्तर प्रदेश राज्य टीम या भारतीय टीम के लिये चयन किये जाने के पश्चात कुशल खिलाड़ी भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय प्रतियोगिता/राष्ट्रीय खेलों में यो तो टीम खेलों या व्यक्तिगत स्पर्द्धा में सम्मिलित हुए हो और स्वर्ण या रजत या कांस्य पदक अर्जित किये हों।

(ग) निरीक्षक (नागरिक पुलिस) और कम्पनी कमाण्डर प्रादेशिक सशस्त्र कान्स्टेबुलेरी के लिये निम्नलिखित में से किसी एक मापदण्ड को अपनाया जायेगा

(एक) वह खेलों में देश का उच्चतम उत्कृष्ट पुरस्कार (अर्जुन पुरस्कार) अर्जित किया हो/की हो।

(दो) भारतीय टीम में चयन किये जाने के पश्चात वह विश्व चैम्पियनशिप में, ऐसे किसी टीम या व्यक्तिगत स्पर्द्धा में सम्मिलित हुआ हो/हुई हो जो अन्तर्राष्ट्रीय

ओलम्पिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त हो, और स्वर्ण या रजत या कान्स्य पदक अर्जित किया हो/की हो, या प्रथम आठ में स्थान अर्जित किया हो/की हो।

(तीन) भारतीय टीम में चयन किये जाने के पश्चात वह ऐसे ओलम्पिक खेलों में सम्मिलित हुआ हो, हुई हो जो अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त हो और स्वर्ण या रजत या कान्स्य पदक अर्जित किया हो/की हो या प्रथम आठ में स्थान अर्जित किया हो/की हो।

(चार) भारतीय टीम में चयन किये जाने के पश्चात वह ऐसे ऐशियन खेलों में सम्मिलित हुआ हो/हुई हो, जो अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त हो और स्वर्ण या रजत या कान्स्य पदक अर्जित किया हो/की हो।

(पांच) भारतीय टीम में चयन किये जाने के पश्चात वह ऐसे कॉमनवेल्थ खेलों में या तो टीम या व्यक्तिगत स्पर्द्धा में सम्मिलित हुआ हो/हुई जो अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त हो और स्वर्ण या रजत या कान्स्य पदक अर्जित किया हो/की हो।

(छ) भारतीय टीम में चयन किये जाने के पश्चात वह ऐसे ऐशियन चैम्पियनशिप में सम्मिलित हुआ हो/हुई हो, जो अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त हो और स्वर्ण या रजत या कान्स्य पदक अर्जित किया हो/की हो।

(सात) उत्तर प्रदेश राज्य टीम या भारतीय पुलिस टीम के लिये चयन किये जाने के पश्चात वह भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय प्रतियोगिता/राष्ट्रीय खेलों में या तो टीम खेलों में या व्यक्तिगत स्पर्द्धा में सम्मिलित हुआ हो/हुई हो और चार पदक अर्जित किया/की हो, जिनमें से कम से कम दो पदक स्वर्ण पदक हो।

(आठ) अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में वह चार पदक अर्जित किया/की हो जिनमें से कम से कम दो पदक स्वर्ण पदक हों।

पदोन्नति के लिए चयन समिति

32. कुशल खिलाड़ियों के लिये बिना जारी की पदोन्नत्ति के समस्त मामलों का परीक्षण बोर्ड द्वारा किया जायेगा। बिना पारी की पदोन्नत्ति प्रदान करने के लिये ऐसी समिति की बैठक का आयोजन वर्ष में दो बार फरवरी और अगस्त मात में किया जायेगा, जो फरवरी और अगस्त माह की समाप्ति तक अपनी संस्तुतियां पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 को प्रस्तुत करेगी।

पदोन्नति की प्रकिया

33.. (1) किसी आसीन कुशल खिलाड़ी जो नियम 31 के अधीन मापदण्ड को पूरा करता हो और जो नियम 32 के अधीन चयन समिति द्वारा पदोन्नति के लिये संस्तुत किया गयो हो, के लिये सचिव उ0प्र0 पुलिस खेल नियंत्रण बोर्ड कुशल खिलाड़ियों की संपर्ण खेल क्रियाकलापों/उपलब्दिधयां सहित विद्यमान रैंक से एक रैंक उच्चतर रैंक में बिना पारी के पदोन्नत्ति का प्रस्ताव बोर्ड को अग्रसारित करेगा।

(2) चयन समिति की संस्तुतियों के आधार पर विभाागध्यक्ष का स्पष्ट अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात अराजपित्रत कर्मचारी की पदोन्नत्ति/नियुक्ति समक्ष नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विद्यमान रिक्तियों के सापेक्ष नियम 30 के अधीन की जायेगी।

(3) इस नियमावली के अधीन की गयी समस्त पदोन्नत्ति पदभार ग्रहण करने के दिनांक से लागू होगी।

भाग-नौ-

बिना पारी की पदोन्नत्ति खिलाड़ियों का प्रशिक्षण और उनकी ज्येष्ठता

प्रशिक्षण

34.. (1) कुशल खिलाड़ियों को बिना पारी की पदोन्नत्ति प्रदान किये जाने पर उन्हें उस रैंक जिस पर उनकी पदोन्नत्ति कि गयी हो, के लिये विहित अनिवार्य मौलिक प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफलता पूर्वक पूर्ण करना होगा।

(2) सामान्यतः अगले उच्चतर रैंक पर पदोन्नत्ति के लिये कोई खिलाड़ी केवल तभी पात्र होगा जब वह उस रैंक के लिये विहित निर्धारित मौलिक प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलता पूर्वक पूर्ण कर लिया हो और वह ऐसी पदोन्नत्ति के लिये समस्त अर्हताओं को भी पूर्ण करता हो।

ज्येष्ठता

35. (1) बिना पारी की पदोन्नत्ति के आधार पर नियुक्ति व्यक्ति की पारस्परिक ज्येष्ठता का अवधारण समय-समय पर यथासंशोधित उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार किया जायेगा।

(2) बिना पारी की पदोन्नत्ति के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों को उस वर्ष में सुसंगत सेवा नियमावली के अधीन पदोन्नत्ति द्वारा भर्ती किये गये व्यक्तियों के नीचे रखा जायेगा।यदि किसी वर्ष में सुसंगत सेवा नियमावली के अधीन कोई पदोन्नत्ति न की गयी हो तो उस वर्ष में बिना पारी की पदोन्नत्ति के आधार पर इस नियमावली के अधीन पदोन्नत व्यक्तियों को उस वर्ष के लिये संगत सेवा नियमावली के अधीन अनुवर्ती रूप से पदोन्नत व्यक्तियों से नीचे रखा जायेगा।

भाग–दस–अन्य उपबन्ध

प्रकीर्ण

36. (1) ऐसी विषय वस्तुए जो इस नियमावली या अन्य सुसंगत आदेशों द्वारा सुस्पष्ट रूप से आच्छादित न हो, ऐसी नियमावली उपबन्ध और आदेशों द्वारा नियंत्रित होगी जो सामान्यतः राज्य के अन्य सेवारत कर्मचारियों के लिये उनके संचालन हेतु लागू हो।

(2) इस नियमावली में किये गये उपबन्धों के विपरीत सरकारी आदेश के समस्त विद्यमान उपबन्ध इस नियमावली के प्रारम्भ होने के दिनांक से अस्तित्वहीन हो जायेगे।

(3) समय-समय पर निर्गत सरकारी आदेशों के अनुपालन में ऐसे व्यक्तियों जो अपनी खेल उपलब्धियों के आधार पर पदोन्नत्ति प्राप्त किये हो को पदोन्नत्ति के दिनांक से उनके संवर्ग में पदोन्नत किया हुआ समझा जायेगा।

(4) इस नियमावली में किसी बात पर प्रभाव अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और समय समय पर इस सबन्ध में जारी किये गये शासनादेशों के अनुसार अन्य विशेष श्रेणी के व्यक्तियों के अभ्यर्थियों के लिये उपबन्धित किये जाने हेतु अपेक्षित आरक्षण और छूट पर नहीं पड़ेगा।

सेवा शर्तों में शिथिलता

37. जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों

की सेवा शर्तो से सम्बन्धित किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई उत्पन्न होती है तो वह उक्त मामलों में लागू नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा, उस नियम की अपेक्षाओं में अभिमुक्ति यह शिथिलता इस सीमा तक और ऐसी शर्तो के अध्यधीन प्रदान कर सकती है जैसा कि वह न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से मामले को व्यवहृत करने के लिये आवश्यक समझे परन्तु जहां कोई नियम उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के परमार्श से बनाया गया हो वहां उक्त निकाय से नियम की अपेक्षाओं में अभिमुक्ति या शिथिलता प्रदान करने के पूर्व परामर्श लिया जायेगा।

विस्तार प्रयोज्यता

38. इस नियमावली के अधीन कृत्य किसी भर्ती या पदोन्नति को समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी और मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली, 2008 समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली 2008 समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश प्रान्तीय संशस्त्र कान्स्टेबुलेरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली, 2008 के अधीन की गयी समझी जायेगी।

39. किसी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक अर्जित करने वाले खिलाड़ियों की आयु और अन्य सेवा शर्तो में शिथिलता

सरकार विशेष परिस्थितियों में पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश और अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पुलिस खेल नियंत्रण बोर्ड की संस्तुतियों के आधार पर ऐसे खिलाड़ियों की आयु और ऊंचाई की शर्तो में शिथिलता प्रदान कर सकती है जो अन्तर्राष्ट्रीय अथवा राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में स्वर्ण, रजत या कान्स्य पदक जीता हो।

आज्ञा से

(आर0पी0मिश्र)
विशेष सचिव

GOVERNMENT OF THE UNITED PROVINCES

No. 107-2/VIII-1028-1944
Home Department (Police)
Dated Lucknow, October 3, 1945

In pursuance of the provisions of clause (b) of sub-section (1) and clause (b) of sub-section (2) of section 241 of the Government of India Act, 1935, the Governor of the United Provinces hereby makes the following rules regulating recruitment to the United Provinces Fire Service and the condition of service of the persons so recruited—

The United Provinces Fire Service (Recruitment and conditions of service) Rules, 1945

Part I-General

1. Short title and commencement—(1) These rules may be called "the United Provinces Fire service (Recruitment and conditions of service) Rules, 1945".

(2) They shall take effect from the date of their publication in the official Gazette.

2.Definitions—In these rules, unless there is anything repugnant in the subject of context—

(a) "Act" means the United Provinces Fire Service Act, 1944;

(b) "Governor" means the Governor of the United Provinces;

(c) "Inspector General" "Deputy Inspector General" "Superintendent of Police" and "Assistant District Superintendents of Police", shall have the meanings assingned to them in the police Act, 1861 (Act V of 1861) and "Inspector General" and "Deputy Inspector General" shall include the provincial Fire Officer for such purpose of these rules as the Inspector General and Deputy Inspector General respectively may direct; and "Superintendent of police" shall include all persons appointed under section 1 of the police Act to perform any of the duties of the "Superintendent of police;"

(d) "Service" means the United Provinces Fire Service; and

(e) "Member of the Service" means a person appointed in a substantive capacity under the provisions of these rules to a post in the cadree of the service.

3. Status of the Service—The United Provinces Fire Service is a subordinate service.

Part II-CADRE

4. Strength of the establishment—The sanctioned strength of the service and the nature of the posts therein shall be determined by the Governor from time to time and shall, on the commencement of these rules, be as specified in the schedule given in Appendix A to these rules; provided that—

(a) the Governor, on the recommendation of the appointing authority may create such additional temporary, permanent or special posts in the establishment as he may deem fit; and

(b) the appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post without thereby entitling any person to compensation.

5. Sections of the Service—The Service is divided into three sections viz., Section I consisting of Fire Station Officers and Fire Station Second Officers, Section II of Drivers and Section III of leading Firemen and Firemen.

6. Method of recruitment—Appointment to each section of the Service shall be at the bottom by direct recruitment or by transfer of persons already in the service of the Crown.

7. Communal representation—In making appointments care shall be taken to secure a reasonable representation of the defferent communities and to prevent the preponderance of any one class or community.

Qualifications

8. Nationality, domicile and residence—No person shall be appointed to any post in section I of the Service unless he be—

(a) a natural born British subject whose original domicile is in the United Provinces, provided he has not acquired a domicile elsewhere; or

(b) a natural born British subject whose original domicile is not in the United Provinces, but who has acquired a domicile in the United Provinces and has resided there for not less than five years at the date on which he applies for recruitment to the Service or post; or

(c) the ruler or a subject of an Indian State or a native of a tribal area or territory adjacent to India, in respect of whom or which a declaration has been made by the Governor of the United Provinces under sub-section (2) of Section 262 of the Government of India Act, 1935.

Exception—Notwithstanding anything contained in this rule, a natural born British subject whose father is (or, if dead, was at the time of his death) employed in any department of the Central Government, and is (or was) liable to inter-provincial transfers, shall be eligible for recruitment provided that he has himself resided in the United Provincial for three continuous years immediately preceding the date of application for appointment.

Note—(1) A declaration as required by sub-rule (a) above has been issued with regard to the subjects of the States of Banaras, Rampur and Tehri-Garhwal.

(2) The Original domicile prevails is until a new domicile has been acquired and a new domicile continue until the former domicile has been resumed or another has been acquired. But a person can have only one domicile at one time for the purpose of this rule.

(3) A person acquires a new domicile by taking up his fixed habitation in province which is not that of his original domicile. Such a person may make a declaration of his having

acquired a new domicile before the District Magistrate of the District in which he takes up his fixed habitation but such declaration shall not by itself be regarded as sufficient proof of change of domicile.

9. Educational qualification—(i) No person shall be appointed to section I of the service unless he has passed at least the High School Examination conducted by the Board of High School and Intermediate Education, United Provinces or any other similar examination which the provincial Government may have recognized an equivalent thereto.

(ii) No educational qualification is prescribed for entry into Sections II and III of the Service, but preference shall be given to a candidate who can read and write Hindi or Urdu or Roman Urdu with accuracy, ease and fluency.

10. Age—(i) A candidate for appointment to Section 1 of the service shall not ordinarily be less than 20 years or more than 24 years of age on the 1st day of January of the year in which he appears for selection.

(ii) The age of a candidate for the post of a Firemen shall not be less than 18 years and more than 25 years, and for the post of a dirver not less than 23 years and more than 30 years at the time he appear for selection, provided that, these age limits may be relaxed in the case of military pensioners if the candidate is certified by the Civil Surgeon to be fit for hard work.

11. Character—(i) The Character of a candidate for any post in the Service must be such as to qualify him for appointment in the service.

(ii) Candidates for posts in Section I of the Service must produce a certificate of good character from the principal academic officer of the school or college at which they last studied.

(iii) Candidates for posts in Sections, II and III of the Service are not required to furnish certificates of good character but the appointing authority may take such steps as it may deem necessary to verify the character of each approved candidate before enlishment.

Note—A conviction need not of its own involve the refusal of certificate of good character. The circumtances of the conviction should be taken into account and if they involve no moral turpitude or association with crimes of violence or with a movement which has as its object the overthrow by violent means of Government as by law establisned, the mere conviction need not be regarded as a disqualification.

12. Physical Requirement—(i) A candidate must not be less than 5fit 6 inches in height and chest measurement must not be less than 32 inches unexpanded and 34 inches expanded.

(ii) Before a cndidate for appointment to any section of the Service is substantively appointed, he shall be required to furnish a certificate of physical fitness in the form prescribed in S.R. rule 10 in chapter III of Financial Handbook, Volume II, Part III, signed by a Civil Surgeon and in accodance with the other provisions of that Chapter.

13. Exemption Form Prescribed Qualifications—The Governor may upon the recommendation of the Inspector General of Police exempt any person form any of the qualification prescribed by rules 8-12and all persons already in the service of the Crown shall be deemed to be exempted.

Procedure of appointment

14. Recruitment to Section 1 of the Service shall be made on a provincial basis by the Deputy Inspector General, Headquarter in accordance with the directions given by the Inspector General of Police.

15. Procedure for recruitment of firemen and drivers Recruitment to posts in sections II and III of the service shall be made by the Superintendent of Police in accoradance with the directions given by the Inspector General of Police.

16. Canvassing—Any attempt on the part of a candidate for any post in the service to enlist support directly or indirectly for his candidature by canvassing may disqualify him.

Part IV—Probation and Promotion

17. Probation and confirmation—(1) A candidate appoined in or against a substantive vacancy shall ordinarily be placed on one year's probation at the end of which period he will be confirmed if his work and conduct have been found satisfactory. The appointing authority may extend the period of probation up to two years, or shorten it, or dispense with it altogether, in any special case. If during or at the end of the period of probation or extended period of probation the work or conduct of the person on probation is found to be unsatisfactory, the appointing authority may dispense with his service or revert him to his substantive post, if he has one.

(2) The period of probation shall count for increment in the time scale of pay except that if it is extended beyond one year for failure to give satisfaction the extended period shall not so count unless the appointing authority directs otherwise.

(3) A person removed from the service during or at the end of the period of probation or extended period of probation under sub-rule (1) shall not be entitled to any compensation.

18. Promotion—(1) Promotions to Section I of the Service shall be made on the basis of seniority subject to the rejection of the unfit provided that, in any special case, the Inspector-General of police may promote out of his turn or pass over any member.

(2) Promotion in Section III of the Service shall be by merit only, provided also that the appointing authority may promote any person of outstanding merit from a lower to a higher section of the Service.

19. Seniority—The seniority of persons appointed to the service in a section shall be determined by the date of the order of his appointment to a substantive vacancy in the section provided that if two or more candidated are appointed on the same date their seniority inter se shall be determined according to the order in which their names appear in the appointment order.

Part V—Pay and Allowances

20. Rates of pay—The rates of monthly pay admissible to the incumbents of the various posts in each section of the service, whether the appointment is in a substantive or officiating capacity or as a temporary measures, shall be as shown in the schedule in Appendix A to these rules as amended from time to time.

21. Uniform allowance for Fire Station Officer and Fire Station Second Officers—Persons appointed to a post in Section I of the Service shall receive a grant for the purchase of uniform. The amount of this grant and the conditions under which it shall be made shall be as set forth in Appendix B of these rules.

Part VI—Control

General

22. Authority to grant leave and punish—(a) Notwithstanding anything to the contrary in paragraph 477 of the Police Regulations the discipline of members of the United Provinces Fire Service and of all other persons (including police officers of subordinate ranks) holding posts in that service shall be governed by Chapter XXXII of the Police Regulations, as if—

(i) references to section 29, Police Act, were read as reference to section 9, United Provices Fire Service Act;

(ii) the punishments mentioned were prescribed under section 241, Government of India Act; and

(iii) a fireman of driver were a police constable, a leading fireman were a head constable, and a station second officer and a station officer were sub-inspector.

(b) All punishments shall be awarded under these rules and the Police Regulations. No officers have been authorised by the Inspector-General to punish under section 8 of the Act.

23. Fire Station Officers shall have power to punish firemen and drivers in their station with punishment drill up to a maximum of three days, but their orders must be despatched to the Supeintendent of Police for confirmation within 24 hours.

24. Every person appointed to the United Provinces Fire Service shall have the right of one appeal from any order of punishment or formal censure.

The appeal shall lie as follows—

From an order of			**To**
Inspector-General	….	….	Provincial Government
Deputy Inspector-General	….	….	Inspector-General
Superintendent of Police and officers	….	….	
mentioned in paragraph 479 (f) of police Regulations	….	….	Deputy Inspector-Gerneral
Officers mentioned in paragraph 479 (g) of Police Regulation	….	….	Superintendent of Police
Fire Station Officers	….	….	Officers mentioned in paragraph 479 (g) of police Regulations.

25. Subject to the provisions of rule 24, the procedure for appeals shall be as laid down in paragraph 508, Police Regulations.

26. Enhancement of punishment, on appeal or revision—A punishment may be enhanced by—

(a) an appellate authority on appeal or in revision, or

(b) any authority superior to the appellate authority in revision; provided that,

(i) in either case before enhancing a punishment, the competent authority must call upon the officer punished to show cause why his punishment should not be enhanced and that,

(ii) the order of enhancement will count as an original order for the purpose of appeal.

Part VIII—MISCELLANEOUS

27. Notice of resignation to be given—No person appointed to the Service may resign from the service unless he shall have given two months notice in writing of his intention to do so to the appointing authority, provided that the appointing authority need not insist on this

notice if the reason for tendering the resignation is satisfactory and the applicant can be immediately spared.

28. Power to retire members of the Service—Any member of Sections II and III of the Service may be required to retire on a retiring pension after twenty years' qualifying Service or upon reaching the age of 45 years whichever takes place earlier.

29. (1) Upon the supersession by the United Provinces Fire Service of a Fire Brigade under any local authority, any member of that Fire Brigade may be recruited to the United Provices Fire Service.

(2) The service of a person recruited under sub-rule (1) who has not reached the age of 30 years will be pensionable, but his previous service with the local body will not count for pension. The service of a person recruited after the age of 30 years will be non-pensionable. Previous service with the local authority will not count towards pension.

(3) A person recruited under sub-rule (1) before he has attained the age of 30 years will be eligible to jion the General Provident fund and a person recruited after he has attained the age of 30 years who is in non-pensionable service may be allowed to join the United Provinces Contributory Provident Fund. The accumulations, if any, standing at the credit of such persons in the Fund of the local body may be transferred to their new accounts in the General Provident Fund or the United Provinces Contributory Provident Fund, as the case may be.

Part IX—General Conditions of Service

30. Except as provided in these rules, the pay, leave allowances, pension and other conditions of service of the persons appointed to the Service shall be regulated by the rules framed under clause (b) of sub-section (2) of section 241 of the Government of India Act, 1935, and pending the issue of such rules, by the rules continued in force by section 276 of the said Act and in accordance with the provisions of paragraph 15 (2) of the Government of India (Commencement and Transitory Provisions) Order, 1936.

Order

In exercise of the powers conferred by clause (b) of section 275 of the Govenment of India Act, 1935, the Governor of the United Provinces is pleased to order that women shall not be eligible for appointment to the United Provinces Fire Service.

APPENDIX 'A'
(See Rules 4 and 20)
Schedule

Serial no.	Designation of Post		Sanctioned number of posts	Scale of pay
1.	Fire Station Officer	Section I	8	180-5-240.
2.	Fire Station Second Officer		8	65-2½-90-3-120.
		Section II		
3.	Drivers		19	45-1½-60
		Section III		
4.	Leading Firemen		19	35-1-45.
5.	Firemen		133	25-1-35 (biennial)

APPENDIX 'B'
(See Rule 21)

Rules governing the payment of initial grants for uniform to Fire Station Officers and Fire Station Second Officers

1. Fire Station Second Officers on first substantive appointment will be given a free grant of Rs. 100 for uniform. Officiating Fire Station Second Officers will be given a grant of Rs. 50 after three months' service in the rank of Fire Station Second Officers, if they show fitness for permanent promotion. This sum will be deducted from the full uniform of Rs. 100 to which these officers become entitled on substantive apponintment.

2. Upon promotion to Fire Station Officers, Fire Station Second Officers will be given a uniform grant of Rs. 75 unless they have received a uniform grant within the previous seven years.

3. Fire Station Officers upon appointment directly or on transfer from other service of the Crown under rule 17, will be given a grant of Rs. 100 for uniform after three months' approved service in either an officiating or substantive capacity.

Government of Uttar Pradesh Home Department (Police-A)
No. 857-A/VIII-903/1955 Dated : Lucknow, July 21, 1956
(NOTIFICATION)
MISCELIANEOUS

In exercise of the powers conferred by th proviso to Article 309 of the constitution of India, the Governor of Uttar Pradesh is pleased to make the following amendment to the U.P. Fire Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1945, published with Home Department (Police) Notification no. 107-2/VII-1028/1944, dated October 3, 1945 on pages 300-302 of Part I-A of the U.P. Gazette, dated November 3, 1945.

AMENDMENT

For the existing rule 12 (i) the following shall be substituted, namely—

"12. Physical requirements—(i) No candidate shall be enlisted whose chest measurement is less than 34 inches expanded,with a minimum expansion of 2 inches and height is less than 5 feet 6 inches. To this rule there are the following exceptions—

(a) A candidate for Fireman between 18 and 20 years of age, who shows signs of growing, may be with a minimum expansion of 2 inches, provided that the Civil Surgeon certifies that he is under 20 years of age, and thathe is likely to grow and attain the prescribed standards of physical requirements.

(b) In the case Nepalese and people from hilly regions, the standard of height may be relaxed but not below 5 feet 4 inches."

By order,
Sd/- (M.G. Kaul,)
I.C.S.
Home Secretary

No. 857-A(1)/VIII-903/1955

Copy forwarded for imformation to the—

1. Inspector Genral of Police, Uttar Pradesh, Allahabad. (15 copies).
2. Secretary to the Government in the Finance (G-2) Deptt. (2 copies).
3. Chief Secy. to Govt. in the Appointment (B) Deptt. (2 copies)
4. Legal Remembrances to Govt., U.P. (1 copy).

5. Chief Inspector of Office, U.P. (2 copies).

By Order Sd/-
(J.C. Pande)
Under Secretary

Extract of para 2 from G.O. No. 6172/VIII-E1626-63, dated Jan. 1-1966 Home (Police-E) Vibhag, U.P. Shasan Lucknow to I.G. of Police, U.P. Allahabad.

SUBJECT—REVISION OF THE U.P. FIRE SERVICE (RECRUITMENT AND CONDITIONS OF SERVICE) RULES.

2. As regards the proposal made in your letter dated Nov. 8, 1965 under reference, I am to say that there seems to be no bar in the existing rules to the serving members of Sections II & III of the State Fire Service to compete as public candidates for the posts of Fire Station Second Officer subject to their eing otherwise eligible in all respect for these posts.

——

U.P. POLICE HEADQUARTERS, ALLAHABAD—1
No. V—632—65, dated January 17, 1966

Extract forwarded to the Sr. Superintendent of Police, KAVAL towns for information, in contimuation of Police HQ. letter no. V—632—65 dated 10-12-65.

sd/-
Sabir Husain,Superintendent,
For Dy. Inspector General of Police, H.Q., Uttar Pradesh

उ. प्र. अग्नि शमन (राजपत्रित अधिकारी) सेवा नियमावली, 1984

भाग-एक-सामान्य

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) यह नियमावली, उत्तर प्रदेश अग्नि शमन (राजपत्रित अधिकारी) सेवा नियमावली, 1984 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. सेवा की प्रास्थिति—उत्तर प्रदेश अग्नि शमन (राजपत्रित अधिकारी) सेवा एक राज्य सेवा है, जिसमें समूह ''क'' और ''ख'' के पद समाविष्ट है।

3. परिभाषाएं—(1) जब तक विषय या संवर्ग में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में—

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित संयुक्त प्रान्त अग्नि शमन अधिनियम, 1944 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 3 सन् 1944) से है ;

(ख) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' का तात्पर्य राज्यपाल से है ;

(ग) ''भारत का नागरिक'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय ;

(घ) ''आयोग'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से है ;

(ङ) ''संविधान'' का तात्पर्य ''भारत का संविधान'' से है ;

(च) ''महानिदेशक और महानिरीक्षक'' का तात्पर्य पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश से है ;

(छ) ''सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है ;

(ज) ''राज्यपाल'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है ;

(झ) ''सेवा का सदस्य'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है ;

(ञ) ''सेवा'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश अग्निशमन (राजपत्रित अधिकारी) सेवा से है ;

(ठ) ''मौलिक नियुक्ति'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो, और यदि केई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किए गए कार्यपालक अनुदेशों के द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो ;

1. यह नियमावली अधिसूचना संख्या 528/आठ (8)—42-72 14 जुलाई, 1981 द्वारा उ. प्र. सरकारी गजट के भाग 1-क में दिनांक 5 जनवरी, 1985 को प्रकाशित हुई।

(ग) ''भर्ती का वर्ष'' का तात्पर्य किसी कलैण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है ;

(2) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के यही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए दिये गये हैं, यदि परिभाषित हों।

भाग-दो-संवर्ग

4. सेवा का संवर्ग—(1) सेवा की सदस्य-संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।

(2) जब तक उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें, सेवा की सदस्य-संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी परिशिष्ट में दी गयी है :

परन्तु—(क) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे अस्थगित रख सकते है, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा।

(ख) राज्यपाल समय-समय पर ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन पर सकते हैं, जो वह उचित समझें।

भाग तीन-भर्ती

5. भर्ती का स्त्रोत—विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्त्रोतों से की जायेगी—

(एक) **निदेशक**—स्थायी संयुक्त निदेशक की पदोन्नति द्वारा और यदि और कोई स्थायी संयुक्त निदेशक न हो तो स्थानापन्न संयुक्त निदेशक का, जो किसी अवर पद पर स्थायी हो, पदोन्नति द्वारा ;

परन्तु यह संयुक्त निदेशक का पद धारण करने वाले व्यक्ति का पदोन्नति के लिए उपयुक्त न समझा जाय तो निदेशक का पद सीधी भर्ती द्वारा भरा जायगा और ऐसी सीधी भर्ती होने तक, भारतीय पुलिस सेवा के किसी अधिकारी को, जो उप महानिरीक्षक से निम्न पद का न हो, बिल्कुल तदर्थ आधार पर, प्रतिनियुक्ति पर लेकर नियुक्त किया जा सकेगा।

(दो) **संयुक्त निदेशक**—स्थायी उप निदेशक (प्राविधिक) और स्थायी कमाण्डेन्ट अग्नि शमन सेवा प्रशिक्षण केन्द्र में से पदोन्नति द्वारा और यदि स्थायी उप निदेशक (प्राविधिक) और स्थायी कमाण्डेन्ट, अग्नि शमन सेवा प्रशिक्षण केन्द्र न हों तो इन पदों के स्थानापन्न पदधारियों की, जो किसी अवर पद पर स्थायी हो, पदोन्नति द्वारा :

परन्तु यदि उप निदेशक (प्राविधिक) और कमाण्डेन्ट, अग्नि शमन सेवा प्रशिक्षण केन्द्र के पदों को धारण करने वाले व्यक्तियों को संयुक्त निदेशक के पद पर पदोन्नति के लिए उपयुक्त समझा जाय तो इस पद

को सीधी भर्ती द्वारा भरा जायगा और ऐसी सीधी भर्ती होने तक भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग के ज्येष्ठ वेतनमान के किसी अधिकारी को बिल्कुल तदर्थ आधार पर प्रति नियुक्त पर लिया जा सकता है।

(तीन) उप निदेशक (प्राविधिक) और कमाण्डेन्ट, अग्नि शमन सेवा प्रशिक्षण केन्द्र—स्थायी मुख्य अग्नि शमन अधिकारियों में से पदोन्नति द्वारा।

(चार) मुख्य अग्निशमन अधिकारी—

(एक) आयोग के माध्यम से 50 प्रतिशत पद स्थायी अग्निशमन केन्द्राधिकारियों में से पदोन्नति द्वारा।

(दो) 50 प्रतिशत पद, आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

6. आरक्षण—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार किया जायगा।

भाग चार-अर्हतायें

7. राष्ट्रियता—सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी—

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो ; या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी-अफ्रीकी देश केन्या, उगाउण्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानियां (पूर्ववर्ती संगानिका और जंजीवार) से प्रवजन किया हो :

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (य) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो :

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी उपेक्षा की जायगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, गुप्तचर शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले—

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में तभी रहने दिया जायेगा जब कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी—ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पत्र में जारी कर दिया जाय।

8. शैक्षिक अर्हतायें—निम्नलिखित पदों पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हताएँ होनी चाहिए—

अनिवार्य अर्हताएं

निदेशक (एक) नेशनल फायर सर्विस कालेज, नागपुर से फायर इंजीनियरिंग में तीन वर्ष की उपाधि या सदृश प्रास्थिति को किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कोई समकक्ष उपाधि।

या

नेशनल फायर सर्विस कॉलेज, नागपुर से डिवीजनल ऑफिसर्स या सदृश प्रास्थिति की किसी मान्यता प्राप्त संस्था से समकक्ष कोर्स किया हो।

(दो) किसी ख्याति प्राप्त अग्निशमन सेवा संगठन में पूर्णकालिक सेवा का कम से कम दस वर्ष का अनुभव, जिसमें कम से कम पांच वर्ष का अनुभव किसी उत्तरदायी पद पर कार्य करने का होना चाहिए।

अधिमानी अर्हताएं

अग्निशमन में प्रशिक्षण देने और उसका आयोजन करने की क्षमता।

अनिवार्य अर्हताएं

संयुक्त निदेशक

(एक) नेशनल फायर सर्विस कॉलेज, नागपुर से फायर इंजीनियरिंग में तीन वर्ष की उपाधि या सदृश प्रास्थिति को किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कोई समकक्ष उपाधि।

या

नेशनल फायर सर्विस कालेस, नागपुर से डिवीजनल आफिसर्स या कोर्स या सदृश प्रास्थिति की किसी मान्यता प्राप्त संस्था से समकक्ष कोर्स किया हो।

(दो) किसी ख्याति प्राप्त अग्निशमन सेवा संगठन में पूर्णकालिक सेवा का कम से कम आठ वर्ष का अनुभव जिसमें से कम से कम चार वर्ष का अनुभव किसी उत्तरदायी पद पर कार्य करने का होना चाहिए।

अधिमानी अर्हता

अग्निशमन में प्रशिक्षण देने और उसका आयोजन करने की क्षमता।

अनिवार्य अर्हताएं

मुख्य अग्निशमन अधिकारी—नेशनल फायर सर्विस कॉलेज, नागपुर से फायर इंजीनियरिंग में तीन वर्ष की उपाधि या सदृश प्रास्थिति की किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कोई समकक्ष उपाधि।

या

नेशनल फायर सर्विस कॉलेज, नागपुर से डिवीजनल ऑफिसर्स कोर्स या सदृश प्रास्थिति को किसी मान्यता प्राप्त संस्था से समकक्ष पाठ्यक्रम।

अधिमानी अर्हताएं

(एक) मोटर गाड़ियों (आटोमोबाइल) की मरम्मत करने का ज्ञान।

(दो) व्यावहारिक दृष्टि से अग्निशमन और भयंकर अग्नि काण्ड का काबू पाने का अनुभव।

9. अधिमानी अर्हताएं—अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायगा, जिसने—

(एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो; या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

10. आयु—नीचे उल्लिखित पदों पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी को आयु जिस वर्ष भर्ती की जाय, उस वर्ष की पहली जनवरी को, यदि पद पहली जनवरी से 30 जून की अवधि में विज्ञापित किये जयें, और पहले जुलाई को यदि पद पहली जुलाई से 31 दिसमबर की अवधि में विज्ञापित किये जायें प्रत्येक पद के सामने उल्लिखित न्यूनतम से कम और अधिकतम से अधिक नहीं होनी चाहिए।

	न्यूनतम	अधिकतम
(एक) निदेशक/संयुक्त निदेशक	35	45

(दो) मुख्य अग्निशमन अधिकारी 23 35

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायें, अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

11. चरित्र—सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्त प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान करेंगे।

टिप्पणी-संघ सरकर या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

12. वैवाहिक प्रास्थिति—सेवा मे किसी पद पर नियुक्त के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों और न ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से कोई पत्नी जीवित रही हो—

परन्तु राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं यदि उनका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

13. शारीरिक स्वस्थता—किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तभी नियुक्त किया जायेगा, जब मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह ऐसे सभी शारीरिक दोष से मुक्त हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना न हो। किसी अभ्यर्थी को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा परिषद् द्वारा नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा परिषद् द्वारा आयोजित परीक्षा में सफल पाया जाय। परीक्षा के विनियम और शारीरिक मानदण्ड वही होंगे जो उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में सीधी भर्ती पर लागू होते हैं।

भाग-पांच–भर्ती की प्रक्रिया

14. रिक्तियों का अवधारण—सचिव वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले पदों पर रिक्तियों की सूचना आयोग को दी जायेगी।

15. सीधी भर्ती के लिए प्रक्रिया—(1) चयन के लिए विचारार्थ आवेदन-पत्र आयोग द्वारा विहित प्रपत्र में आमंत्रित किये जायेंगे जिसे आयोग के सचिव से भुगतान करने पर, यदि कोई हो, प्राप्त किया जा सकता है।

(2) आयोग नियम 6 के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, उतने अभ्यर्थियों को जो अपेक्षित अर्हताएं पूरी करते हों, साक्षात्कार के लिए बुलायेगा जितने वह उचित समझे।

(3) आयोग अभ्यर्थियों की, उनकी प्रवीणता क्रम में, जैसा कि साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त अंकों से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा। यदि दो या अधिक अीयर्थी बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें, तो आयोग उनके नाम सेवा के लिए उनकी सामान्य उपयुक्तता के आधार पर, योग्यता क्रम में रखेगा। सूची में नामों की संख्या, रिक्तियों की संख्या से अधिक किन्तु 25 प्रतिशत से ज्यादा अधिक नहीं होगा। आयोग सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

16. निदेशक, संयुक्त निदेशक और मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया—निदेशक और संयुक्त निदेशक के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त की अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर और मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पद पर योग्यता के आधार पर, समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 1970 के अनुसार की जायेगी।

17. उपनिदेशक (प्राविधिक) और कमान्डेन्ट, अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण केन्द्र के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया–

(1) उप निदेशक (प्राविधिक) और कमान्डेन्ट, अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण केन्द्र के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर, चयन समिति के माध्यम से की जायगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे—

(एक) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, गृह विभाग।

(दो) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, कार्मिक विभाग।

(तीन) पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की एक पात्रता सूची, ज्येष्ठता-क्रम में, तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जायं, चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(3) चयन समिति उप नियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो वह अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4) चयन समिति चुने गये अभ्यर्थियों की एक सूची ज्येष्ठता-क्रम में तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

18. संयुक्त चयन सूची—यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जायें तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी जिसमें अभ्यर्थियों के नाम नियम 15 और 16 के अधीन तैयार की गयी सूचियों से बारी-बारी से लिए जायेंगे, पहला नाम नियम 16 के अधीन तैयार की गयी सूची से होगा।

भाग छः–नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

19. नियुक्ति—(1) उप नियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की नियुक्ति उसी क्रम में करेगा जिनके नाम, यथास्थिति नियम 15, 16, 17 या 18 के अधीन तैयार की गयी सूचियों में हो।

(2) जहाँ भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जानी हों, वहाँ नियमित नियुक्ति तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि दोनों स्त्रोतों से चयन न कर लिया जाय और नियम 18 के अनुसार एक संयुक्त सूची तैयार न कर ली जाय।

(3) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें, व्यक्तियों के नामों का उल्लेख, यथास्थिति चयन से यथाअवधारित या उस संवर्ग से जिससे उन्हें पदोन्नति किया जाय, विद्यमान ज्येष्ठताक्रम में किया जायेगा। यदि नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जायें तो नाम नियम 18 में निर्दिष्ट क्रम के अनुसार रखे जायेंगे।

(1) नियुक्ति प्राधिकारी अस्थायी या स्थानापन्न रूप में भी उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूची से नियुक्तियां कर सकता है। यदि इन सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह ऐसी रिक्ति में इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्तियों में से नियुक्तियां कर सकता है। ऐसी नियुक्तियां एक वर्ष से अधिक अवधि या इस नियमावली के अधी अगला चयन किये जाने तक, इसमें जो भी पहले हो, से अधिक नहीं चलेगी, और जहाँ पद आयोग के क्षेत्रान्तर्गत हो, वहाँ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 1954 के विनियम 5 (क) के उपबन्ध लागू होंगे।

20. प्रशिक्षण—सेवा में भर्ती किए गये व्यक्तियों को ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अपेक्षा की जाय।

21. परिवीक्षा—(1) सेवा में किसी पद पर स्थायी रिक्ति में या उसके प्रति नियुक्ति किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा-अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा, जब तक अवधि बढ़ायी जाय—

परन्तु, आपवादिक परिस्थितियों सिवाय, परिवीक्षा-अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी स्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा-अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा-अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(4) उपनियम (3) के अधीन जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति को प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायं, वह किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा-अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

22. स्थायीकरण—किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति की परिवीक्षा-अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा-अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में, स्थायी कर दिया जायगा, यदि—

(क) उसने अपेक्षित प्रशिक्षण, यदि कोई हो, सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है ;

(ख) उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक बताया जाय ;

(ग) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय, और

(घ) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किये जाने के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

23. ज्येष्ठता—(1) एतद्पश्चात् यथा उपबन्धित के सिवाय, किसी श्रेणी के पदों पर व्यक्तियों की ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से, और यदि दो यो अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जायें, तो उस क्रम में, जिनमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये हों, अवधारित की जायगी—

परन्तु यदि नियुक्ति के आदेश में किसी व्यक्ति की मौलिक रूप से नियुक्ति का कोई विशिष्ट पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाय तो उस दिनांक को मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक समझा जायगा और अन्य मामलों में, उसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगा—

परन्तु यह और कि यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति के आदेश जारी किये जायं तो ज्येष्ठता वही होगी जो नियम 19 के उप नियम (3) के अधीन या जारी किये गये नियुक्ति के संयुक्त आदेश में उल्लिखित हो।

(2) किसी एक चयन के परिणाम के आधार पर सीधे नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो, यथास्थिति, आयोग या चयन समिति द्वारा अवधारित की गयी हो—

परन्तु सीधी भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है, यदि किसी रिक्त पद का उसे प्रस्ताव किये जाने पर वह युक्ति युक्त कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहे। कारण की युक्तियुक्तता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(3) पदोन्नति द्वारा नियुक्ति व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो उस संवर्ग में रही हो, जिससे उनकी पदोन्नति की गयी।

(4) जहाँ नियुक्तियाँ पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से या एक से अधिक स्रोत से की जायें और स्रोतों का अलग-अलग कोटा विहित हो, वहां उनकी परस्पर ज्येष्ठता निगम 18 के अनुसार तैयार की गयी संयुक्त सूची में, चक्रानुक्रम में, उनके नाम रखकर ऐसी रीति से अवधारित की जायगी कि विहित प्रतिशत बना रहे—

परन्तु—

(एक) जहाँ किसी स्रोत से नियुक्तियां विहित कोटा से अधिक की जायं, वहां कोटा से अधिक नियुक्त व्यक्तियों को, ज्येष्ठता के लिए अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में जिसमें/जिनमें कोटा के अनुसार रिक्तियां हों, नीचे रखा जायगा।

(दो) जहाँ नियुक्तियाँ किसी स्रोत से विहित कोटा से कम हों, और ऐसी भरी न गयी रिक्तियों के प्रति नियुक्तियाँ अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में की जायें, वहाँ इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों को किसी पूर्ववर्ती वर्ष की ज्येष्ठता नहीं मिलेगी, किन्तु उन्हें उस वर्ष के, जिस वर्ष उनकी नियुक्ति की जाय, ज्येष्ठता इस प्रकार मिलेगी कि इस नियम के अधीन तैयार की जाने वाली उस वर्ष की संयुक्त सूची में उनके नाम सबसे ऊपर रखे जायेंगे, जिसके बाद अन्य नियुक्त किये गये व्यक्तियों के नाम, चक्रानुक्रम में, रखे जायेंगे।

भाग-सात–वेतन इत्यादि

24. वेतनमान—(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप में हों या अस्थायी आधार पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा, जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमान नीचे दिये गये हैं—

पद का नाम	वेतनमान
1—निदेशक	840-60-1,900-75-2200-100-2,400 रुपया।

2—संयुक्त निदेशक	1840-60-1,900-द.रो.-75-2,200 रुपया।
3—उप निदेशक (प्राविधिक)	
4—कमाण्डेण्ट, अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण केन्द्र	1,250-50-1,300-60-1,660-द.रो.-60-,900-75-2,050 रुपया।

टिप्पणी—ऊपर 3 और 4 के सामने प्रदर्शित पदों के वेतनमान समान होने के कारण इन पदों को धारण करने वाले अधिकारियों का स्थानान्तरण एक पद से दूसरे पद पर किया जा सकता है।

5—मुख्य अग्निशमन अधिकारी-850-40-1050-द.रो-50-13-6060-1,420-द.रो.-60-1,720 रु.।

25. परिवीक्षा-अवधि में वेतन–(1) फण्डामेन्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतन-वृद्धि तभी दी जायगी, जब उसने एक वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, जहाँ विहित हो, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, और प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो, और द्वितीय वेतन वृद्वि दो वर्ष की सेवा के पश्चात तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा –अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो—

परन्तु यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन-वृद्धि के लिए नहीं की जायगी जब तक कि नियुक्ति अधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा-अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेन्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगा—

परन्तु यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकर बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिए नही की जायगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा-अवधि में वेतन राज्य के कार्यलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

26. दक्षतारोक पार करने का मानदण्ड–(1) जहाँ एक ही दक्षतारोक हो, वहां किसी व्यक्ति को दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि उसने तत्परतापूर्वक और अपनी सर्वोत्तम योग्यता से कार्य न किया हो, समुचित पर्यवेक्षण न रखा हो, उसका कार्य और आचरण, अन्यथा सन्तोषजनक न पाया जाय, और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा से प्रमाणित न कर दी जाय।

(2) उपनियम (1) के अन्तर्गत आने वाले व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को—

(एक) प्रथम दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी, जब तक कि उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक न पाया जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

(दो) द्वितीय दक्षतरोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि उसने तत्परतापूर्वक और अपनी सर्वोत्तम योग्यता से कार्य न किया हो, उसे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने में पूर्णतया योग्य न पाया जाय, उसका कार्य और आचरण अन्यथा सन्तोषजनक पाया न जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

भाग-आठ–अन्य उपबन्ध

27. पक्ष समर्थन—किसी पद या सेवा के सम्बन्ध में लागू नियम के अधीन अपेक्षित सिफरिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

28. अन्य विषयों का विनियमन—ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्य-कलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

29. सेवा की शर्तों में शिथिलता—जहाँ सरकार का यह समाधान हो गया है कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहाँ वह, उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा, उस सीमा और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिसे वह मामलों में न्यायसंगत और सम्पूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, उस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्ति दे सकती है या उसे शिथिल कर सकती है—

परन्तु यदि नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो, तो उस नियम से अभिमुक्ति देने या उसको शिथिल करने के पूर्व आयोग से परामर्श किया जायगा।

30. व्यावृत्ति—इस नियमावली का किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और व्यक्तियों की अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट

(नियम 4 (2) देखिये)

अग्निशमन सेवा और उसमें सम्मिलित प्रत्येक श्रेणी के पदों को स्वीकृत स्थायी और अस्थायी सदस्य-संख्या निम्न प्रकार है—

1.	निदेशक (अस्थायी)	1
2.	संयुक्त निदेशक (अस्थायी)	1
3.	उप निदेशक (प्राविधिक) (स्थायी)	1
4.	कमाण्डेन्ट, अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण केन्द्र, इलाहाबाद (स्थायी)	1
5.	मुख्य अग्निशमन अधिकारी (स्थायी)	11

उप निदेशक (प्राविधिक) और संयुक्त निदेशक के पदों के सृजन के कारण जैसा कि ऊपर दिखाया गया है, 900-1450 रुपये के वेतनमान में राज्य अग्निशमन अधिकारी के एक (स्थायी) पद को आस्थगित रखा गया है।

उत्तर प्रदेश अग्निशमन (राजपत्रित अधिकारी) सेवा नियमावली, 2016

उत्तर प्रदेश शासन, गृह (पुलिस) अनुभाग–8,
संख्या–2232/छः–पु0–8–2016–801(33) 2013 दिनांक 15.12.2016

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके राज्यपाल , उत्तर प्रदेश अग्निशमन (राजपत्रित अधिकारी) सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः–

भाग एक-सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ **1.** (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश अग्निशमन (राजपत्रित अधिकारी) सेवा नियमावली, 2016 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति **2.** उत्तर प्रदेश अग्निशमन (राजपत्रित अधिकारी) सेवा एक ऐसी राज्य सेवा है जिसमें समूह 'क' और समूह 'ख' के पद समाविष्ट हैं।

परिभाषाएं **3.** (1) जब तक विषय या संदभ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में—

(क) 'अधिनियम' का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित संयुक्त प्रान्त अग्निशमन सेवा अधिनियम, 1944 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 3 सन् 1944) से है ;

(ख) 'नियुक्ति प्राधिकारी' का तात्पर्य राज्यपाल से है ;

(ग) 'भारत का नागरिक' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय ;

(घ) 'आयोग' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से है ;

(ङ) 'संविधान का तात्पर्य' भारत का संविधान से है ;

(च) 'महानिदेशक और महानिरीक्षक' का तात्पर्य पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश से है ;

(छ) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है ;

(ज) 'राज्यपाल' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है ;

(झ) 'सेवा का सदस्य' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है ;

(ञ) 'नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों' का तात्पर्य समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है ;

(ट) 'प्रमुख सचिव' का तात्पर्य गृह विभाग में सरकार के प्रमुख सचिव से है ;

(ठ) 'सेवा' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश अग्निशमन (राजपत्रित अधिकारी) सेवा से है ;

(ड) 'मौलिक नियुक्ति' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और

यदि कोई नियम न हों तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो ;

(ढ) 'भर्ती का वर्ष' का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

(2) इस नियमावली में प्रयुक्त शब्द और पद जो कि पारिभाषित नहीं है, उनके वही तात्पर्य होंगे जो कि अधिनियम में दिये गये हैं, यदि वहाँ उन्हें पारिभाषित किया गया हो।

भाग-दो—संवर्ग

सेवा का संवर्ग **4.** (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।

(2) जब तक कि उप-नियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के अदेश न दिये जायें, सेवा की सदस्य-संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी परिशिष्ट में दी गयी है—

परन्तु यह कि—

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद के बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थागित रख सकते हैं जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर हकदार न होगा ; अथवा

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं जिन्हें वह उचित समझें।

भाग-तीन–भर्ती

भर्ती का स्त्रोत **5.** सेवा में विभिन्न श्रेणी के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्त्रोतों से की जायेगी—

(1) निदेशक—चयन समिति के माध्यम से मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे संयुक्त निदेशकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

(2) संयुक्त निदेशक—चयन समिति के माध्यम से मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे उप निदेशकों (प्राविधिक) और कमाण्डेन्ट/प्राचार्य, अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण कालेज में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में आठ वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

(3) उप निदेशक (प्राविधिक) और कमाण्डेन्ट/प्राचार्य, अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण कॉलेज चयन समिति के माध्यम से मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे मुख्य अग्निशमन अधिकारियों/सहायक कमाण्डेन्ट/उप प्राचार्य, अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण कॉलेज में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में बारह वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

(4) मुख्य अग्निशमन अधिकारी/सहायक कमाण्डेन्ट/उप प्राचार्य, अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण कॉलेज—

(एक) पचास प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे अग्निशमन केन्द्राधिकारियों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में आठ वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

(दो) पचास प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

आरक्षण **6.** अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण अधिनियम एवं समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग-चार—अर्हताएं

राष्ट्रीयता **7.** सेवा में किसी पद पर भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी—

(क) भारत का नागरिक हो ; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो ; या

(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, युगांडा और यूनाईटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवजन किया हो—

परन्तु यह कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो—

परन्तु यह कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उपमहानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें—

परन्तु यह और भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा, और ऐसे अभ्यर्थी का एक वर्ष की अवधि से परे सेवा में बने रहना उसके भारतीय नागरिकता अर्जित करने के अध्यधीन होगा।

टिप्पणी—ऐसा अभ्यर्थी जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति दी जा सकती है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षणिक अर्हता **8.** सेवा में मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हतायें अवश्य होनी चाहिए—

नेशनल फायर सर्विस कॉलेज, नागपुर से फायर इंजीनियरिंग में उपाधि या भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सृदश प्रास्थिति की किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कोई समकक्ष उपाधि ;

या

अभियान्त्रिकी स्नातक/भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से मकैनिकल/केमिकल/सिविल/इलेक्ट्रिकल/ इंडस्ट्रियल/हाइड्रालिक इंजीनियरिंग में बी.टेक.।

अधिमानी अर्हता 9. अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने—

(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो,

या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

आयु 10. सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की, जिसमें सीधी भर्ती के लिए आयोग द्वारा रिक्तियाँ विज्ञापित की जायें, की पहली जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष की अधिक की आयु प्राप्त न की हो—

परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों की दशा में, जो, सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

चरित्र 11. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस बिन्दु पर अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी—संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति 12. सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक जीवित पत्नी हो—

परन्तु यह कि सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

शारीरिक स्वस्थता 13. किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक व शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा बोर्ड के परीक्षण में सफल हो जाय। सीधी भर्ती में परीक्षण के विनियम और शारीरिक मानक वहीं होंगे जैसे कि उ.प्र. पुलिस सेवा में लागू होंगे।

रिक्तियों का अवधारण 14. नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या के साथ-साथ नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। आयोग के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों को उन्हें सूचित किया जायेगा।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पद हेतु आयोग 15. (1) प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुज्ञा के लिए आवेदन-पत्र, आयोग द्वारा जारी किये गये विज्ञापन में प्रकाशित प्रपत्र में आयोग द्वारा आमंत्रित किया जायेगा।

(2) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में तब तक सम्मिलित नहीं होने दिया जायेगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश प्रमाण-पत्र न हो।

के माध्यम से सीधी भर्ती की प्रक्रिया

(3) आयोग, लिखित परीक्षा के परिणाम प्राप्त होने और सारणीबद्ध करने के पश्चात्, नियम-6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, उतने अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलायेगा जितने लिखित परीक्षा का परिणाम के आधार पर आयोग द्वारा इस सम्बन्ध में निर्धारित स्तर तक पहुंचे हों। साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को दिये गये अंक लिखित परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त अंकों में जोड़ दिये जायेंगे।

(4) आयोग, अभ्यर्थियों की, उनकी प्रवीणता क्रम में, जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त अंकों के कुल योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा और उतने अभ्यर्थियों को जितने वह उचित समझें, नियुक्ति के लिए संस्तुत करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल योग में बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में भी बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो सामान्य नीति के अनुसार अभ्यर्थियों के नामों को व्यवस्थित किया जायेगा। आयोग सूची को नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

टिप्पणी—प्रतियोगिता परीक्षा से सम्बन्धित पाठ्य-विवरण और नियम ऐसे होंगे जैसे कि समय-समय पर सरकार की सहमति से आयोग द्वारा विहित किये जायें।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पद हेतु आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

16. सेवा में मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती योग्यता के आधार पर समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सपरामार्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 1970 के अनुसार की जायेगी।

निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक (प्राविधिक)/ कमाण्डेन्ट/ प्राचार्य, अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण कॉलेज के पदों हेतु चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

17. (1) निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक (प्राविधिक) / कमाण्डेन्ट / प्राचार्य,अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण कालेज के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड) नियमावली, 1994 में दिये गये मानदण्ड के आधार पर समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों के लिए) नियमावली, 1992 के उपबन्धों के अनुसार गठिन चयन समिति के माध्यम से की जायेगी।

टिप्पणी—चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए अधिकारियों का नाम-निर्देशन, समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा 7 के अधीन दिये गये आदेश के अनुसार किया जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी, समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली 1986 के अनुसार अभ्यर्थियों की एक पात्रता सूची तैयार करेगा और उसे उसकी चरित्र पंजियों और

उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जायं, चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(3) चयन समिति उप-नियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4) चयन समिति, चयनित किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में जैसी उस संवर्ग में हों, जिससे उनकी पदोन्नति की जानी है, एक सूची तैयार करेगी और नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

संयुक्त चयन सूची 18. यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जायं तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी जिसमें अभ्यर्थियों के नाम सुसंगत सूचियों से इस प्रकार लिये जायेंगे कि विहित प्रतिशत बना रहे। सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

भाग-छः-

नियुक्ति, प्रशिक्षण, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति **19.** (1) उप-नियम (2) के उपबन्धों के अध्याधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की नियुक्तियाँ उसी क्रम में करेगा जिसमें उनके नाम, यथास्थिति नियम 15, 16, 17 या 18 के अधीन तैयार की गयी सूचियों में हों।

(2) जहाँ भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जानी हों, वहाँ नियमित नियुक्तियाँ तब तक नहीं की जायेंगी जब तक कि दोनों स्रोतों से चयन न कर लिया जाय और नियम 18 के अनुसार एक संयुक्त सूची तैयार न कर ली जाय।

(3) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति के आदेश जारी किये जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख उसी ज्येष्ठताक्रम में किया जायेगा जैसा यथास्थिति, चयन में अवधारित किया जाय अथवा जैसे कि उस संवर्ग में हो जिससे उन्हें पदोन्नत किया जाय। यदि नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जायें तो नामों को नियम 18 में निर्दिष्ट क्रम के अनुसार रखा जायेगा।

प्रशिक्षण **20.** सेवा में भर्ती किये गये व्यक्तियों को ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हो

परिवीक्षा **21.** (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली, 2013 के अनुसार परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल

रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(3) उप-नियम (2) के अधीन जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति को प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायें, वह किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि को संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

स्थायीकरण

22. (1) उप-नियम (2) के अध्यधीन रहते हुए किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि—

(क) उसने अपेक्षित प्रशिक्षण, यदि केई हो, सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है ;

(ख) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय ;

(ग) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय ; और

(घ) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किये जाने के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

(2) जहाँ, उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है वहाँ उस नियमावली के नियम-5 के उप-नियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुए आदेश को कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, स्थायीकरण का अदेश समझा जायेगा।

ज्येष्ठता

23. सेवा में मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 द्वारा अवधारित की जायेगी।

वेतनमान

24. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमान निम्नलिखित है—

पद का नाम	वेतन बैण्ड का नाम	तत्सदृश्य वेतन बैण्ड	तत्सदृश्य ग्रेड वेतन
(1) निदेशक	वेतन बैण्ड-4	37400-67000	8700/-
(2) संयुक्त निदेशक	वेतन बैण्ड-3	15600-39100	7600/-
(3) उप निदेशक (प्राविधिक)	वेतन बैण्ड-3	15600-39100	6600/-
(4) कमाण्डेन्ट / प्राचार्य, अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण कालेज, उन्नाव	वेतन बैण्ड-3	15600-37100	6600/-
(5) मुख्य अग्निशमन अधिकारी	वेतन बैण्ड-3	15600-39100	5400/-
(6) सहायक कमाण्डेन्ट/उप प्राचार्य, अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण कालेज, उन्नाव	वेतन बैण्ड-3	15600-39100	5400/-

परिवीक्षा अवधि

25. (1) फण्डामेन्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन

में वेतन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, जहाँ विहित हो, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो ;

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जायगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन, सुसंगत फण्डामेन्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगा ;

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जायगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग-आठ—अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन **26.** किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन **27.** ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त वयक्ति राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यता लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

सेवा की शर्तों में शिथिलता **28.** जहाँ सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में असम्यक कठिनाई होती है, वहाँ वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा, उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले में न्याय-संगत और साम्यपूर्ण रीति के कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्तया उसे शिथिल कर सकती है ;

परन्तु यह कि जहाँ कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो, वहाँ उस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्ति देने या उसे शिथिल करने के पूर्व आयोग से परामर्श किया जायेगा।

व्यावृत्ति **29.** इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,
(देवाशीष पण्डा),
प्रमुख सचिव।

परिशिष्ट

(नियम 4 (2) देखिए)

सेवा में स्थायी और अस्थायी पदों की स्वीकृत संख्या और उसमें सम्मिलित पदों की श्रेणियाँ निम्नलिखित हैं—

क्रम संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या		
		अस्थायी	स्थायी	योग
1.	निदेशक	01	–	01
2.	संयुक्त निदेशक	02	01	03
3.	उप निदेशक (प्राविधिक)	08	01	09
4.	कमाण्डेन्ट/प्राचार्य, अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण कालेज, उन्नाव	–	01	01
5.	सहायक कमाण्डेन्ट/उप प्राचार्य, अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण कालेज, उन्नाव	–	01	01
6.	मुख्य अग्निशमन अधिकारी	65	11	76

(देवाशीष पण्डा),
प्रमुख सचिव

उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी सेवा नियमावली –2010

उत्तर प्रदेश सरकार , गृह विभाग (पुलिस) अनुभाग–8,
संख्या– 1857/छः–पु0–8–2010–801(50) 2009 दिनांक 14.10.2010

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों और यूनाइटेड प्राविन्सेज फायर सर्विस एक्ट 1944 की धारा 25 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी सेवा में भर्ती और सेवा शर्तो को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते है :–

भाग –एक–सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1- (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधीनस्थ अधिकारी/ कर्मचारी सेवा नियमावली 2010 कही जायेगी ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति 2- उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी सेवा में समूह 'ग' के पद समाविष्ट हैं।

परिभाषाएं 3- जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो इस नियमावली में-

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 से है,

मूल नियम	*दिनांक 06.06.2013 से प्रतिस्थापित
(ख) 'नियुक्ति प्राधिकारी' का तात्पर्य फायर स्टेशन आफिसर के पद के संबंध में पुलिस महानिरीक्षक और फायर स्टेशन सेकण्ड आफिसर के पद के संबंध में पुलिस उप महानिरीक्षक और सेवा के शेष पदों के संबंध में ज्येष्ठ जिला पुलिस अधीक्षक से है	(ख) 'नियुक्ति प्राधिकारी' का तात्पर्य फायर स्टेशन आफिसर और फायर स्टेशन सेकण्ड आफिसर के पद के संबंध में पुलिस उप महानिरीक्षक और सेवा के शेष पदों के संबंध में ज्येष्ठ जिला पुलिस अधीक्षक से है

(ग) 'बोर्ड' का तात्पर्य अधिसूचना संख्या-1256/छः-पु-10-2008-27(7)-08, दिनांक, 2 दिसम्बर 2008 के अधीन यथा-स्थापित उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड से है ;

(घ) ''भारत का नागरिक' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग-2 के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाये ;

(ङ) ''संविधान'' का तात्पर्य भारत के संविधान से है;

(च) ''राज्यपाल'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;

(छ) ''सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है;

(ज) 'विभागाध्यक्ष' का तात्पर्य, यथास्थिति, महानिदेशक/अपर महानिदेशक, उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा से है,

(झ) 'सेवा का सदस्य' का तात्पर्य इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त आदेशों के अधीन सेवा के संवर्ग में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति से हैं,

(ञ) ''नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों'' का तात्पर्य अधिनियम की अनुसूची-एक में समय-समय पर

*उ0प्र0 अग्निशमन सेवा अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली–2013 दिनांक 06.06.13 द्वारा प्रतिस्थापित

यथासंशोधित विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है,

(ट) 'चयन समिति' का तात्पर्य सेवा में पदों पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों के चयन के लिए बोर्ड द्वारा गठित चयन समिति से है;

(ठ) ''सेवा'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी सेवा से है;

(ड) ''मौलिक नियुक्ति'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गई हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक आदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई हो;

(ढ) ''उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा मुख्यालय'' का तात्पर्य, यथास्थिति, महानिदेशक/अपर महानिदेशक, अग्निशमन सेवा के अधीन कार्यशील मुख्यालय से है,

(ण) 'भर्ती का वर्ष' का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग-दो-संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4- (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित हो जाए।

(2) जब तक उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन के आदेश न दिये जाये, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जैसी नीचे दी गई है :-

क्र.सं.	पद का नाम	पदों की संख्या		
		स्थायी	अस्थायी	योग
1	फायर स्टेशन आफिसर	146	58	204
2	फायर स्टेशन सेकेन्ड आफिसर	174	17	191
3	लीडिंग फायरमैन	578	122	700
4	फायर सर्विस ड्राईवर	610	122	732
5	फायरमैन	3551	960	4511

परन्तु,

(एक) विभागाध्यक्ष सरकार के अनुमोदन से आवश्यकता के अनुसार स्वीकृत समग्र आवंटन के अधीन विभिन्न इकाइयों के पदों की संख्या को पुनः अवधारित कर सकता है,

(दो) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुये छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे अस्थगित रख सकते हैं जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं होगा, या

(तीन) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जैसा वह उचित समझें।

भाग-तीन-भर्ती

भर्ती का स्रोत

5- सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :-

मूल नियम	*दिनांक 30.12.2011 से प्रतिस्थापित	**दिनांक 06.06.2013 से प्रतिस्थापित
5. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी-	5.सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी-	5. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से इस शर्त के अधीन रहते हुए की जायेगी कि केवल वे पुरूष अभ्यर्थी, जो शारीरिक रूप से

*उ0प्र0 अग्निशमन सेवा अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी सेवा(प्रथम संशोधन)नियमावली 2011 द्वारा दि0 30.12.2011 से प्रतिस्थापित

*उ0प्र0 अग्निशमन सेवा अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी सेवा(द्वितीय संशोधन)नियमावली 2013 द्वारा दि0 06.06.2013 से प्रतिस्थापित

			विकलांग नहीं है, विभिन्न श्रेणियों के पदों पर सीधी भर्ती के लिए पात्र होंगे।
(1) फायरमैन	(1) बोर्ड के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।	(1) बोर्ड के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।	(1) बोर्ड के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।
(2) फायर सर्विस	(एक) पचास प्रतिशत बोर्ड के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।	(एक) पचास प्रतिशत बोर्ड के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।	मौलिक रूप से नियुक्त फायरमैनों में से जिन्होंने परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में सात वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो और विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो और भारी वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेन्स प्राप्त कर लिया हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड के माध्यम से पदोन्नति द्वारा। टिप्पणी-फायर सर्विस चालक के पद पदोन्नति के लिए उन्हीं अभ्यर्थियों पर विचार किया जाएगा जो शारीरिक दक्षता परीक्षण में, जो कि अर्हकारी प्रकृति की है, सफल होंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षा के सम्बन्ध में विवरण परिशिष्ट 2-क में दिया गया है
	(दो) पचास प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त फायरमैनों में से विभागीय परीक्षा के आधार पर बोर्ड के माध्यम से पदोन्नति द्वारा, जो निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूर्ण करते हों :-	(दो) पचास प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त फायरमैनों में से विभागीय परीक्षा के आधार पर बोर्ड के माध्यम से पदोन्नति द्वारा, जो निम्नलिखित पात्रता, शर्तों को पूर्ण करते हों :-	
	(क) 35 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो,	(क) 35 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो,	
	(ख) भर्ती के वर्ष के प्रथम दिन को फायरमैन के रूप में तीन वर्ष की सेवा अवश्य पूर्ण कर ली हो, और	(ख) भर्ती के वर्ष के प्रथम दिन को फायरमैन के रूप में तीन वर्ष की सेवा अवश्य पूर्ण कर ली हो, और	
	(ग) विहित प्रशिक्षण सफलता-पूर्वक अवश्य पूर्ण किया हो और ड्राईविंग लाइसेन्स प्राप्त किया हो।	(ग) विहित प्रशिक्षण सफलता-पूर्वक अवश्य पूर्ण किया हो और भारी वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेन्स प्राप्त किया हो।	
(3) मुख्य फायरमैन	**मूल नियम**	***दिनांक 30.12.2011 से प्रतिस्थापित**	****दिनांक 06.06.2013 से प्रतिस्थापित**
	(3) मुख्य फायरमैन (एक) निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूर्ण करने वाले मौलिक रूप से नियुक्त फायरमैनों में से विभागीय परीक्षा के आधार पर बोर्ड के माध्यम से पचास प्रतिशत पदोन्नति द्वारा;	**(3) लीडिंग फायरमैन** (एक) पचास प्रतिशत, मौलिक रूप से नियुक्त फायरमैनों में से जो निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूर्ण करते हों, विभागीय परीक्षा के आधार पर बोर्ड के माध्यम से पदोन्नति द्वारा;	**(3) लीडिंग फायरमैन** मौलिक रूप से नियुक्त फायरमैनों में से जिन्होंने परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में सात वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड के माध्यम से पदोन्नति द्वारा। **टिप्पणी-** लीडिंग फायरमैन के पद पर पदोन्नति के लिये उन्हीं अभ्यर्थियों पर विचार किया जायेगा जो शारीरिक दक्षता
	(क) भर्ती के वर्ष के प्रथम दिन को इस रूप में 3 वर्ष की सेवा अवश्य पूर्ण कर ली हो, और	(क) भर्ती के वर्ष के प्रथम दिन को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा अवश्य पूर्ण कर ली हो और	
	(ख) भर्ती के वर्ष के प्रथम दिन को 40 वर्ष से अधिक आयु न प्राप्त की हो।	(ख) भर्ती के वर्ष के प्रथम दिन को 40 वर्ष से अधिक की आयु न प्राप्त की हो।	
	(दो) पचास प्रतिशत, मौलिक रूप	(दो) पचास प्रतिशत, मौलिक रूप	

*उ0प्र0 अग्निशमन सेवा अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी सेवा(प्रथम संशोधन)नियमावली 2011 द्वारा दि0 30.12.2011 से प्रतिस्थापित

**उ0प्र0 अग्निशमन सेवा अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी सेवा(द्वितीय संशोधन)नियमावली 2013 द्वारा दि0 06.06.2013 से प्रतिस्थापित

	से नियुक्त फायरमैनों, जिन्होंने 40 वर्ष से अधिक आयु पूर्ण कर ली हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।	से नियुक्त फायरमैनों, जिन्होंने 40 वर्ष से अधिक आयु पूर्ण कर ली हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के, आधार पर पदोन्नति द्वारा।	परीक्षण में, जो कि अर्हकारी प्रकृति की है, सफल होंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षा के सम्बन्ध में विवरण परिशिष्ट 2-क में दिया गया है।
(4) फायर स्टेशन सेकेण्ड आफिसर	**मूल नियम**	***दिनांक 30.12.2011 से प्रतिस्थापित**	****दिनांक 06.06.2013 से प्रतिस्थापित**
	(एक) पचास प्रतिशत बोर्ड के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।	(एक) पचास प्रतिशत बोर्ड के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।	(एक) पचास प्रतिशत बोर्ड के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।
	(दो) पचास प्रतिशत, फायर सेवा चालकों और लीडिंग फायरमैनों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिन को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, विभागीय परीक्षा के आधार पर बोर्ड के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।	(दो) पच्चीस प्रतिशत, फायर सेवा चालकों और लीडिंग फायरमैनों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, और 45 वर्ष से अधिक आयु न प्राप्त की हो विभागीय परीक्षा के आधार पर बोर्ड के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।	(दो) पच्चीस प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त लीडिंग फायरमैनों और फायर सर्विस चालकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।
		(तीन) पचीस प्रतिशत, फायर सेवा चालकों और लीडिंग फायरमैनों में से जिन्होंने पैंतालीस वर्ष से अधिक आयु प्राप्त कर ली हो और जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।	(तीन) पच्चीस प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त लीडिंग फायरमैनों और फायर सर्विस चालकों में से,जिन्होंने पैंतालिस वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो और भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, विभागीय परीक्षा के आधार पर बोर्ड के माध्यम से पदोन्नति द्वारा। टिप्पणी-फायर स्टेशन सेकेण्ड आफिसर के पद पर पदोन्नति हेतु उन्हीं अभ्यर्थियों पर विचार किया जाएगा जो शारीरिक दक्षता परीक्षण में, जो कि अर्हकारी प्रकृति की है, सफल होंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षा के सम्बन्ध में ब्योरा परिशिष्ट 2क में दिया गया है।
(5) फायर स्टेशन आफिसर	**मूल नियम**	***दिनांक 30.12.2011 से प्रतिस्थापित**	****दिनांक 06.06.2013 से प्रतिस्थापित**
	(5)मौलिक रूप से नियुक्त फायर स्टेशन सेकेण्ड आफिसरों, जिन्होंने	(5)मौलिक रूप से नियुक्त फायर स्टेशन सेकेण्ड आफिसरों, जिन्होंने	(5)मौलिक रूप से नियुक्त फायर स्टेशन सेकेण्ड आफिसरों में

***उ0प्र0 अग्निशमन सेवा अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी सेवा(प्रथम संशोधन)नियमावली 2011 द्वारा दि0 30.12.2011 से प्रतिस्थापित**
****उ0प्र0 अग्निशमन सेवा अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी सेवा(द्वितीय संशोधन)नियमावली 2013 द्वारा दि0 06.06.2013 से प्रतिस्थापित**

	भर्ती के वर्ष के प्रथम दिन को इस रूप में 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा। **टिप्पणी :** विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती के लिए पुरूष अभ्यर्थी पात्र होंगे।	भर्ती के वर्ष के प्रथम दिन को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा। **टिप्पणी :** विभिन्न श्रेणियों के पदों पर सीधी भर्ती के लिए केवल पुरूष अभ्यर्थी पात्र होंगे।	से,जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए इस रूप में सात वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड के माध्यम से पदोन्नति द्वारा। **टिप्पणी-**फायर स्टेशन आफिसर के पद के लिए कोई शारीरिक दक्षता परीक्षा नहीं होगी।

आरक्षण-6	**मूल नियम**	***दिनांक 30.12.2011 से प्रतिस्थापित**
	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण अधिनियम और समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 के उपबंधों और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।	6. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण अधिनियम और समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 के उपबन्धों और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायगा लेकिन शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति पात्र नहीं होंगे।

राष्ट्रीयता-7

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी :-

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्‌भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीका देश केनिया, यूगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्वीवर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो;

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो।

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उपमहानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रताा का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले,

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी ''ग'' का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी :-ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इंकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और इसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाये या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

***उ0प्र0 अग्निशमन सेवा अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी सेवा(प्रथम संशोधन)नियमावली 2011 द्वारा दि0 30.12.2011 से प्रतिस्थापित**

	मूल नियम	**दिनांक 06.06.2013 से प्रतिस्थापित
शैक्षिक अर्हता	**8**-विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हता होनी चाहिए : **(1) फायरमैन**- माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। **(2) फायर सर्विस चालक** (एक)- माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उर्त्तीण होना आवश्यक है। (दो) हैवी ड्यूटी वाहन चलाने के लिए विधिमान्य लाइसेन्स धारक होना आवश्यक है। **(3) फायर स्टेशन सेकेन्ड आफिसर** - भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। अधिमानी—केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सर्टिफिकेट इन कम्प्यूटर एप्लिकेशन।	8- सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हताएं होनी आवश्यक है : 1. (क) **फायरमैन के पद के लिए-** अभ्यर्थी ने माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो। **(ख) अधिमानी अर्हताएं-** (एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो, या (तीन) केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कम्प्यूटर अप्लीकेशन में कोई प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो। 2.**फायर स्टेशन सेकेण्ड आफिसर के पद के लिए-** (क) अभ्यर्थी के पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता अवश्य होनी चाहिए। (ख) अधिमानी अर्हताएं- (एक) केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कम्प्यूटर अप्लीकेशन में कोई प्रमाण पत्र। (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' या 'सी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो, या (तीन) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो। टिप्पणी-उपर्युक्त अधिमानी अर्हताएं के लिए कोई अंक नहीं होंगे किन्तु दो या अधिक अभ्यर्थियों की समान श्रेणी होने पर अधिमानी अर्हताएं रखने वाले अभ्यर्थी को अन्तिम सूची (श्रेष्ठता सूची) में ऊपर दिये गए क्रम में अधिमान दिया जायेगा।
अधिमानी अर्हता	मूल नियम	***दिनांक 06.06.2013 से प्रतिस्थापित**
	9-इन बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामलें में अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने :- (एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो; या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।	9-उक्त नियमावली में, नियम 9 निकाल दिया जायेगा।

आयु-10

मूल नियम	*दिनांक 30.12.2011 से प्रतिस्थापित	**दिनांक 06.06.2013 से प्रतिस्थापित
10-सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कलेण्डर वर्ष की जुलाई के प्रथम दिन, जिसमें रिक्तियां विज्ञापित की जायें, नीचे दी गयी तालिका में पद के सम्मुख दी गयी न्यूनतम आयु प्राप्त कर ली हो और अधिकतम आयु से अधिक आयु न प्राप्त की हो; क्रमांक पदनाम न्यूनतम आयु अधिकतम आयु 1. फायरमैन 18 वर्ष 22 वर्ष 2. फायर सर्विस ड्राइवर 18 वर्ष 22 वर्ष 3. फायर स्टेशन सेकैण्ड आफिसर 21 वर्ष 28 वर्ष परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतनी वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।	10-सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कलैण्डर वर्ष की जुलाई के प्रथम दिन, जिसमें रिक्तियां विज्ञापित की जायें, नीचे दी गयी तालिका में पद के सम्मुख दी गयी न्यूनतम आयु प्राप्त कर ली हो और अधिकतम आयु से अधिक आयु न प्राप्त की हो; क्रमांक पदनाम न्यूनतम आयु अधिकतम आयु 1. फायरमैन 18 वर्ष 22 वर्ष 2. फायर सर्विस ड्राइवर 21 वर्ष 25 वर्ष 3. फायर स्टेशन सेकैण्ड आफिसर 21 वर्ष 28 वर्ष परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित को जाय अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतनी वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।	10-सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कलेण्डर वर्ष की जुलाई के प्रथम दिवस को, जिसमें रिक्तियां विज्ञापित की जायें, नीचे दी गयी तालिका में पद के सम्मुख दी गयी न्यूनतम आयु प्राप्त कर ली हो और अधिकतम आयु से अधिक आयु न प्राप्त की हो; क्रमांक पदनाम न्यूनतम आयु अधिकतम आयु 1. फायरमैन 18 वर्ष 22 वर्ष 2. फायर स्टेशन सेकैण्ड आफिसर 21 वर्ष 28 वर्ष परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय. अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतनी वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

चरित्र-11 सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेंगे।

टिप्पणी—संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति' सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

12-वैवाहिक प्रास्थिति- सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों, परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान हैं।

शारीरिक स्वस्थता-13

मूल नियम	*दिनांक 30.12.2011 से प्रतिस्थापित	**दिनांक 06.06.2013 से प्रतिस्थापित
किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया	13. किसी अभ्यर्थी को सेवा में	13. किसी अभ्यर्थी को

***उ0प्र0 अग्निशमन सेवा अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी सेवा(प्रथम संशोधन)नियमावली 2011 द्वारा दि0 30.12.2011 से प्रतिस्थापित**
****उ0प्र0 अग्निशमन सेवा अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी सेवा(द्वितीय संशोधन)नियमावली 2013 द्वारा दि0 06.06.2013 से प्रतिस्थापित**

जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तवयों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा बोर्ड के परीक्षण में सफल हो जाय। **टिप्पणी :** चिकित्सा बोर्ड नाक-नी, बो लेग्स, फ्लैट-फीट, वेरीकोस वेन्स, दूर और पास कलर की दृष्टि। कलर ब्लाइण्डनेस दृष्टि जिसमें सुनने के रिनीज को वेबर्स का और वार्टिगो आदि दोषों जैसी कमियों का भी परीक्षण करेगा। (एक) परीक्षा केन्द्र के आवंटन के संबंध में अभ्यर्थी एक से अधिक विकल्प दे सकता है। फिर भी बोर्ड, अभ्यर्थी द्वारा इंगित केन्द्र से भिन्न केन्द्र आबंटन कर सकता है, (दो) आवेदन-पत्र के साथ एक पृथक बुकलेट संलग्न की जायगी जिसमें शैक्षिक अर्हता, आयु और प्रत्येक श्रेणी के शारीरिक मानक परीक्षण, शारीरिक दक्षता परीक्षण, चिकित्सीय परीक्षण के लिए न्यूनतम अर्हता मानक, विषयवार लिखित परीक्षा के लिए न्यूनतम अर्हता अंक, अभ्यास के लिए ओ0एन0आर0 पत्रक की प्रति एवं अन्य महत्वपूर्ण दिशा निर्देश से संबंधित जानकारी होगी। (तीन) आवेदन-पत्र कार्बन प्रति सहित ओ0एम0आर0 पत्रक पर होगा। (चार) अभ्यर्थियों के बायें और दाहिने दोनों अंगूठे के निशान के लिए आवेदन-पत्र में स्थान दिया जायगा; (पाँच) अभ्यथ्री के दो अनुप्रमाणित फोटो समुचित स्थानों पर चिपकाये जायेंगे, एक फोटो आवेदन-पत्र पर और दूसरा फोटो प्रवेश-पत्र पर होगा। (छः) आवेदन पत्र अधिसूचित बैंकों/डाकघरों से विहित शुल्क का भुगतान करने पर क्रय किया जा सकता है। (सात) प्रत्येक आवेदन-पत्र में यथास्थिति आयु (दसवीं, बारहवीं और स्नातक/स्नातकोत्तर) के प्रमाण पत्र, खेल प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय कैडेट कोर प्रमाण पत्र, होमगार्ड प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिकों के मामलों में यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण-पत्र और स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र की अनुप्रमाणित प्रतियाँ संलग्न होनी चाहिए। समुचित रूप में भरे गये आवेदन पत्रों को उसी डाकघर/बैंक में जमा किया जाना चाहिये जहाँ से वे भी क्रय किये गये हों।	किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा बोर्ड के परीक्षण में सफल हो जाय। **टिप्पणी :** चिकित्सा बोर्ड नाक-नी, बो लेग्स,फ्लैट-फीट, वेरीकोस-वेन्स, दूर और पास की दृष्टि, कलर ब्लाइण्डनेस, दृष्टि जिसमें सुनने का वेबर्स का और वर्टिगा आदि दोषों जैसी कमियों का भी परीक्षण करेगा।	सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा बोर्ड के परीक्षण को उत्तीर्ण कर ले् **टिप्पणी :** चिकित्सा बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी की यथास्थिति लम्बाई और छाती के लिये विहित किन्ही शारीरिक मानकों और कमिंयों यथा—नाक-नी, बो लेग्स,फ्लैट-फीट, वेरीकोस-वेन्स, दूर और निकट दृष्टि, आंशिक या पूर्णतः कलर ब्लाइण्डनेस और रिनीज टेस्ट, बेब्सर्स टेस्ट और वेरिटगो, स्पीच डिफेक्ट(वाक दोष) आदि को सम्मिलित करते हुये श्रवण शक्ति का परीक्षण किया जायेगा।

(ख) बुलावा पत्र

अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रमाण पत्रों का परीक्षण, बुलावा पत्र जारी किये जाने के पूर्व किया जायेगा। यदि कोई प्रमाण

पत्र आवेदन पत्र में प्रस्तुत किया दर्शाया गया हो किन्तु उसमें संलग्न न पाया गया हो तो अभ्यर्थी का आवेदन पत्र अस्वीकार किया जा सकता है। कम्प्यूटर के माध्यम से आवेदन पत्र की जाँच किये जाने के पश्चात कम्प्यूटरीकृत बुलावा पत्र पात्र अभ्यर्थियों को उसी डाकघर के माध्यम से जारी किये जायेंगे जहाँ से आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये हो। शारीरिक मानक परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा और चिकित्सा परीक्षा का दिनांक और समय सहित कोड/नाम/डाक का पता/परीक्षा केन्द्र स्थल का उल्लेख बुलावापत्र में स्पष्ट रूप से किया जायेगा। ऐसे दस्तावेजों, जो अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा के लिये प्रस्तुत करने हेतु अपेक्षित हों, को बुलावा पत्रों में स्पष्ट रूप से इंगित किया जायेगा। बुलावापत्र परीक्षा प्रारंभ होने से कम से कम एक सप्ताह पूर्व पहुँच जाने चाहिये। यदि बुलावापत्र परीक्षा के दिनांक से पूर्व एक सप्ताह के भीतर प्राप्त नहीं होता है तो अभ्यर्थी हेल्प लाइन से सम्पर्क कर सकते हैं, इस सम्बन्ध में आवेदन पत्र का क्रमिक कोड देना होगा। बोर्ड द्वारा बुलावापत्र की दूसरी प्रति जारी की जायेगी।

(ग) शारीरिक मानक परीक्षा समस्त पात्र अभ्यर्थियों से एक अर्हकारी प्रकृति की शारीरिक मानक परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी जिसकी प्रक्रिया परिशिष्ट-1 में दी गयी है।

भाग-पाँच-भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों की अवधारणा –14

नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान रिक्तियों की संख्या और नियम-6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करे और विभागाध्यक्ष को सूचित करेगा। बोर्ड द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियाँ बोर्ड को सूचित की जाएगी।

सीधी भर्ती के लिए रिक्तियाँ निम्नलिखित रीति से अधिसूचित की जायेगी :–

(एक) व्यापक परिचालन वाले दैनिक समाचार पत्र में विज्ञापन जारी कर के;

(दो) कार्यालय के सूचना पट्ट पर सूचना चस्पा कराकर या रेडियो/दूरदर्शन और रोजगार समाचार-पत्रों के माध्यम से विज्ञापित कर के

(तीन) सेवायोजन कार्यालय को रिक्तियाँ अधिसूचित कर के।

फायरमैन और फायर सविर्स चालक के पदों के लिए सीधी भर्ती की प्रक्रिया -15-

मूल नियम	*दिनांक 30.12.2011 से प्रतिस्थापित	**दिनांक 06.06.2013 से प्रतिस्थापित
फायरमैन और फायर सविर्स चालक के पदों पर सीधी भर्ती निम्नलिखित रीति से की जायेगी **(क) आवेदन पत्र-**(एक) अभ्यर्थी केवल एक जिले के लिए आवेदन-पत्र भरेगा। परीक्षा केन्द्र के आबंटन के समय अभ्यर्थी एक से अधिक विकल्प दे सकता है। फिर भी बोर्ड, अभ्यर्थी द्वारा इंगित केन्द्र से भिन्न केन्द्र आबंटन कर सकता है। (दो) आवेदन-पत्र के साथ एक पृथक बुकलेट संलग्न की जायेगी, जिसमें शैक्षिक अर्हता, आयु और प्रत्येक श्रेणी के शारीरिक मानक परीक्षण, शारीरिक दक्षता परीक्षण, चिकित्सीय	फायरमैन और फायर सर्विस चालक के पदों पर सीधी भर्ती निम्नलिखित रीति से की जायेगी - **(क) आवेदन पत्र-**(एक) अभ्यर्थी केवल एक जिले के लिए आन लाईन आवेदन-पत्र भरेगा। परीक्षा केन्द्र के आबंटन के समय अभ्यर्थी एक से अधिक विकल्प दे सकता है। फिर भी बोर्ड, अभ्यर्थी द्वारा इंगित केन्द्र से भिन्न केन्द्र आबंटन कर सकता है। (दो) आवेदन-पत्र के साथ एक पृथक बुकलेट संलग्न की जायेगी, जिसमें शैक्षिक अर्हता, आयु और प्रत्येक श्रेणी के शारीरिक मानक परीक्षण, शारीरिक दक्षता परीक्षण,चिकित्सकीय परीक्षण के लिये न्यूनतम अर्हता मानक, विषयवार लिखित परीक्षा के न्यूनतम अर्हता	फायर मैन के पद पर सीधी भर्ती परिशिष्ट–1 में विहित प्रक्रिया के अनुसार की जायेगी।

*उ0प्र0 अग्निशमन सेवा अधीनस्थ अधिकारी / कर्मचारी सेवा(प्रथम संशोधन)नियमावली 2011 द्वारा दि0 30.12.2011 से प्रतिस्थापित

**उ0प्र0 अग्निशमन सेवा अधीनस्थ अधिकारी / कर्मचारी सेवा(द्वितीय संशोधन)नियमावली 2013 द्वारा दि0 06.06.2013 से प्रतिस्थापित

परीक्षण के लिये न्यूनतम अर्हता मानक, विषयवार लिखित परीक्षा के लिये न्यूनतम अर्हता अंक, अभ्यास के लिए ओ0एम0आर0 पत्रक की प्रति एवं अन्य महत्वपूर्ण दिशा निर्देश से संबंधित जानकारी होगी। (तीन) आवेदन-पत्र कार्बन प्रति सहित ओ0एम0आर0 पत्रक पर होगा। (चार) अभ्यर्थियों के बायें और दाहिने दोनों अंगूठे के निशान के लिए आवेदन-पत्र में स्थान दिया जायेगा। (पांच) अभ्यर्थी के दो अनुप्रमाणित फोटो समुचित स्थानों पर चिपकाये जायेंगे, एक फोटो आवेदन-पत्र पर और दूसरा फोटो प्रवेश-पत्र पर होगा। (छ) आवेदन-पत्र अधिसूचित बैंकों/डाकघरों से विहित शुल्क का भुगतान करने पर क्रय किया जा सकता है। (सात) प्रत्येक आवेदन पत्र में यथास्थिति आयु, दसवीं, बारहवीं, और स्नातक/स्नातकोत्तर के प्रमाण पत्र, खेल प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय जाति प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिकों के मामलों में यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण पत्र और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र की अनुप्रमाणित प्रतियाँ संलग्न होनी चाहिये। समुचित रूप में भरे गये आवेदन पत्रों को उसी डाकघर/बैंक में जमा किया जाना चाहिये जहाँ से वे क्रय किये गये हों।	अंक, अभ्यास के लिए ओ0एम0आर0 पत्रक की प्रति एवं अन्य महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश से संबंधित जानकारी होगी। (तीन) आन लाईन आवेदन-पत्र ओ0एम0आर0 पत्रक पर होगा। (चार) अभ्यर्थियों के बायें और दाहिने अंगूठे के निशान के लिए आवेदन-पत्र में स्थान दिया जायेगा। (पांच) अभ्यर्थी के दो अनुप्रमाणित फोटो समुचित स्थानों पर चिपकाये जायेंगे, एक फोटो आवेदन-पत्र पर और दूसरा फोटो प्रवेश-पत्र पर होगा। (छ) आवेदन-पत्र अधिसूचित बैंकों/डाकघरों से विहित शुल्क का भुगतान करने पर क्रय किया जा सकता है। (सात) प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ आयु के प्रमाण-पत्र, (दसवीं, बारहवीं और स्नातक/परास्नातक) खेल प्रमाण-पत्र, राष्ट्रीय कैडेटकोर प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, भूतपूर्व सैनिकों की दशा में यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण-पत्र और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों का प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतियां जैसी भी स्थिति हो, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए संलग्न करेगा, ओ0एम0आर0 पत्रक में समुचित स्थान पर अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का नागरिक अवश्य लिखना चाहिए। शारीरिक दक्षता परीक्षण केन्द्र के अधिकारियों के समक्ष विधिवत सत्यापित सभी फोटो प्रतियां और सभी प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करना अनिवार्य है। शारीरिक दक्षता परीक्षण केन्द्र के अधिकारियों द्वारा प्रमाण-पत्रों की सभी फोटो प्रतियों की मूल प्रमाण पत्रों से जांच की जानी चाहिए और जमा की जानी चाहिए। (आठ) विधिवत भरे हुए आवेदन-पत्रों को उसी डाकघर/बैंक में जमा किया जाना चाहिए जहाँ से उसे खरीदा गया था। **(ख) बुलावा पत्र**—बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपि का परीक्षण और मिलान मूल प्रमाण पत्रों से शारीरिक मानक परीक्षण के समय कर लिया जायेगा। कम्प्यूटर के माध्यम से स्केन किये गये आवेदन प्राप्त होने पर डाकघर/बैंक के माध्यम से प्राप्त अभ्यर्थियों को कम्प्यूटरीकृत बुलावा पत्र जारी किये जायेंगे। पूर्ण रूपेण विचारोपरान्त बोर्ड बुलावा-पत्र भेजने के लिए अन्य समुचित साधनों का भी उपयोग कर सकता है। शारीरिक मानक परीक्षण का कोड/नाम/डाक का पता/दिनांक और समय के साथ-साथ शारीरिक मानक परीक्षण का स्थान बुलावा पत्र में	

	साफ-साफ उल्लिखित किया जायेगा। शारीरिक मानक परीक्षण स्थान पर संवीक्षा हेतु लाने के लिए दस्तावेज, जिनकी अभ्यर्थी से अपेक्षा है, को साफ-साफ बुलावा-पत्र में अंकित किया जायेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षण से कम से कम एक सप्ताह पूर्व बुलावा-पत्र पहुंच जाने चाहिए। ऐसे अभ्यर्थियों के मामले में जिनका बुलावा-पत्र परीक्षण के प्रारम्भ होने से एक सप्ताह के पूर्व तक नहीं प्राप्त होता है, वह वेबसाइट की हेल्प लाइन से सम्पर्क कर सकेगा। बोर्ड के साथ समस्त संचार/पत्राचार में अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र का क्रमांक कोड उद्धरित करना होगा। ऐसे मामलों में बोर्ड द्वारा अनुक्रति (डुप्लीकेट) बुलावा पत्र निर्गत किया जायेगा।	
(ग) फायरमैन को सीधी भर्ती के लिएशारीरिक दक्षता परीक्षा–शारीरिक मानक परीक्षा में सफल घोषित किये गये अभ्यर्थियों से एक अर्हकारी प्रकृति की शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायगी जिसकी प्रक्रिया परिशिष्ट 2-क में दी गई है।	**(ग) फायरमैन को सीधी भर्ती के लिए शारीरिक मानक परीक्षण**—सभीपात्र अभ्यर्थियों से अर्हकारी प्रकृति की एक शारीरिक मानक परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी, जिसकी प्रक्रिया परिशिष्ट-एक में दी गयी है।	
(घ) फायर सर्विस चालक की सीधी भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता एवं वृतिक परीक्षा–शारीरिक मानक परीक्षा में सफल घोषित किये गये अभ्यर्थियों से एक अर्हकारी प्रकृति की शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं वृत्तिक परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी जिसकी प्रक्रिया परिशिष्ट-2क और 2ख में दी गयी है।	**(घ) फायरमैन की सीधी भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा**—शारीरिकमानक परीक्षा में सफल घोषित किये गये अभ्यर्थियों से एक अर्हकारी प्रकृति की शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने कीअपेक्षा की जायेगी जिसकी प्रक्रिया परिशिष्ट 2-क में दी गई है।	
(ङ) चिकित्सा परीक्षा–शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल घोषित किये गये अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा होगी, जिसकी प्रक्रिया परिशिष्ट-3 में दी गयी है।	**(ङ) फायर सर्विस चालक की सीधी भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता एवं वृत्तिक परीक्षा**—शारीरिक मानक परीक्षा में सफल घोषित किये गये अभ्यर्थियों से एक अर्हकारी प्रकृति की शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं वृत्तिक परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी जिसकी प्रक्रिया परिशिष्ट-2 ''क'' और 2-'ख' में दी गयी है।	
(च) लिखित परीक्षा–चिकित्सा परीक्षा में सफल घोषित किये गये अभ्यर्थियों से लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी जिसकी प्रक्रिया परिशिष्ट-4 में दी गयी है।	**(च) लिखित परीक्षा**—चिकित्सा परीक्षा में सफल घोषित किये गये अभ्यर्थियों से लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी जिसकी प्रक्रिया परिशिष्ट-4 में दी गयी है।	
(छ) अन्तिम श्रेष्ठता सूची–बोर्ड नियम 6के अनुसरण में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए,	**(छः) अन्तिम चयन सूची**—राज्य की आरक्षण नीति के अनुसार बोर्ड अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में अर्जित अंकों के आधार पर अधिसूचित रिक्तियों के सापेक्ष प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए एक अन्तिम चयन सूची तैयार करेगा। बोर्ड द्वारा तैयार की गयी अन्तिम चयन सूची संस्तुति सहित विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत की जायेगी जो नियुक्त प्राधिकारी द्वारा	

अभ्यर्थियों की उनकी श्रेष्ठता क्रम में एक अन्तिम चयन सूची तैयार करेगा। अन्तिम श्रेष्ठता सूची को वेबसाइट/सूचना पट्ट और समाचार पत्रों में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के साथ प्रकाशित किया जायेगा, जिससे कि वे उनके द्वारा प्राप्त अंकों को जाँच सके इस तथ्य से निरपेक्ष रहते हुए कि वे सफल रहे हैं या असफल। वाह्यस्रोत अभिकरण द्वारा जनपद और श्रेणीवारश्रेष्ठता सूची के आधार पर समुचित साफ्टवेयर तैयार किया जायेगा। तद्नुसार जनपदवार और श्रेणीवार श्रेष्ठता सूची प्रकाशित की जायगी। वाह्य स्रोत अभिकरण, जो लिखित परीक्षा का आयोजन कर रहा है, अपने सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षर की गई अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों की सूची को उत्तर पत्रकों के साथ एकसील बंद आवरण में बोर्ड के अध्यक्ष को प्रस्तुतकरेगा। **(ज) चरित्र सत्यापन–**नियुक्ति पत्र जारी किये जाने के पूर्व चरित्र सत्यापन पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा। अभ्यर्थियों के चरित्र	संचालित चिकित्सीय परीक्षा/अभिलेख सत्यापन के अध्यधीन होगी। बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची नहीं तैयार की जायेगी। प्रत्येक अभ्यर्थी का चाहे वह सफल हो अथवा असफल हो, श्रेष्ठता सूची और अंकों का ब्रेकअप वेबसाइट/नोटिस बोर्ड (सूचनापट्ट) और समाचार पत्रों में प्रदर्शित किया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक अभ्यर्थी अपनी श्रेष्ठता/अंक जान सके। यथा बोर्ड, एजेन्सी द्वारा एक अपेक्षित साफ्टवेयर का विकास किया जायेगा, जिसके माध्यम से अधिसूचित रिक्तियों के अनुसार किसी श्रेष्ठता सूची का निर्माण किया जायेगा जो क्षैतिज और उर्ध्वाधर आरक्षण से संबंधित पूर्व परिभाषित मानकों पर आधारित होगी। तद्नुसार आउटसोर्स एजेन्सी द्वारा जिलावार और श्रेणी वार श्रेष्ठता सूची तैयार की जायेगी। अधिकतम अंक और अभ्यर्थी द्वारा अर्जित अंकों को प्रदर्शित करते हुए आउटसोर्स एजेन्सी सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एक श्रेष्ठता सूची बोर्ड को उपलब्ध कराएगी। यह एजेन्सी उत्तर पत्रकों सहित एक जिलावार और श्रेणीवार चयन सूची बन्द लिफाफे में बोर्ड के अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगी। **टिप्पणी :** यदि दो य अधिक अभ्यर्थी समान औसत अंक अर्जित करते हैं तब निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार श्रेष्ठता सूची को अन्तिमीकृत किया जायेगा :- (एक) ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्षों की अवधि के लिए सेवा की है अथवा नेशनल कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया है, अथवा केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कम्प्यूटर अप्लीकेशन में प्रमाण-पत्र प्राप्त किया है। एक से अधिक अधिमानी अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी मात्र एक अधिमानी अर्हता का लाभ प्राप्त करेगा। (दो) यदि उक्त के बावजूद दो या अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक हैं तब ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जो आयु में अपेक्षाकृत अधिक है। (तीन) यदि औसत अंक तब भी समान हैं और जन्म तिथि भी बराबर है तो ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने अभिरूचि परीक्षण में अधिक अंक अर्जित किये हैं। (चार) यदि उक्त विचारणों के बावजूद अंक तब भी समान हैं और अभिरूचि परीक्षण में अंक बराबर है तब ऐसे अभ्यर्थी जिसका नाम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पहले आता है, को अधिमान दिया जायेगा। **(ज) चरित्र सत्यापन–**नियुक्ति पत्र जारी किये जाने	

और उनके अपराधिक अभिलेख का सत्यापन, जहाँ तक समभव हो, एक माह में पूर्ण कर लिया जाना चाहिए। (एक) चरित्र सत्यापन के लिये अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाएगी कि वे आयु प्रमाण पत्र, शैक्षिक अर्हता प्रमाण पत्र, खेल प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय कैडेट कोर, होमगार्ड प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र और भूतपूर्व सैनिकों के मामले में यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। (दो) अभ्यर्थियों को जन्मतिथि हेतु हाईस्कूल प्रमाण पत्र, खेल हेतु जिला/राज्य या राष्ट्रीयस्तर का प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र हेतु तहसीलदार या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थियों को पत्र के साथ किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित फोटो और संलग्न प्रारूप पर दाहिने और बाएं हाथ के अंगूठे का निशान प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थियों को तहसील, विकासखण्ड, ग्राम व डाकघर का पिन कोडसहित डाक का पूर्ण पता भी प्रस्तुत करना होगा।	के पूर्व चरित्र सत्यापन पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा। अभ्यर्थियों के चरित्र और उनके अपराधिक अभिलेख का सत्यापन जहाँ तक सम्भव हो, एक माह में पूर्ण कर लिया जाना चाहिए। (एक) चरित्र सत्यापन के लिये अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाएगी कि वे आयु प्रमाण पत्र, शैक्षिक अर्हता प्रमाण पत्र, खेल प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय कैडेट कोर, होमगार्ड प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र और भूतपूर्व सैनिकों के मामले में यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। (दो) अभ्यर्थियों को जन्मतिथि हेतु हाईस्कूल प्रमाण पत्र, खेल हेतु जिला/राज्य या राष्ट्रीय स्तर का प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र हेतु तहसीलदार या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित फोटो और संलग्न प्रारूप पर दाहिने और बाएं हाथ के अंगूठे का निशान प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थियों को तहसील, विकासखण्ड, ग्राम व डाकघर का पिन कोड सहित डाक का पूर्णयता भी प्रस्तुत करना होगा। **चिकित्सीय परीक्षा**—अभ्यर्थियों जिनके नाम खण्ड-(छ) के अधीन बोर्ड द्वारा तैयार की गयी अन्तिम चयन सम्मिलित है उनसे चिकित्सीय परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जोयगी। चिकित्सा परीक्षा परिशिष्ट-3 में अभिकथित प्रक्रिया के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी के आदेश पर नियम-13 के अधीन संचालित करायी जायेगी। यदि कोई अभ्यर्थी चिकित्सीय परीक्षा में अनुपयुक्त पाया जाता है तो उसकी वह कमी सूचित की जायेगी जिसके कारण संबंधित बोर्ड द्वारा उसे अनुपयुक्त घोषित किया गया है और यदि सम्भव है तो कमी को दूर करके व छः महीने की अवधि के भीतर पुनः परीक्षा के लिए चिकित्सा बोर्ड के समक्ष सम्मिलित होगा। यदि छः महीने के भीतर पुनः परीक्षा के पश्चात अभ्यर्थी तब भी चिकित्सीय रूप से अनुपयुक्त पाया जाता है तो उसका चयन निरस्त कर दिया जायेगा।	

लीडिंग फायरमैन के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया- 16-

मूल नियम	*दिनांक 30.12.2011 से प्रतिस्थापित	**दिनांक 06.06.2013 से प्रतिस्थापित
16-लीडिंग फायरमैन के पद पर भर्ती पात्र फायरमैनों में से	**16-लीडिंग फायरमैन के पद पर भर्ती पात्र फायरमैनों में से निम्नलिखित रीति से की जायेगी :-**	**16–ज्येष्ठता के आधार पर फायर सर्विस चालक/लीडिंग फायरमैन के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रकिया** :–फायर

*उ0प्र0 अग्निशमन सेवा अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी सेवा(प्रथम संशोधन)नियमावली 2011 द्वारा दि0 30.12.2011 से प्रतिस्थापित

**उ0प्र0 अग्निशमन सेवा अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी सेवा(द्वितीय संशोधन)नियमावली 2013 द्वारा दि0 06.06.2013 से प्रतिस्थापित

निम्नलिखित रीति से की जायेगी :- (क) पदोन्नति के लिए पचास प्रतिशत पद विभागीय परीक्षा द्वारा भरे जायेंगे। केवल वही फायरमैन, जिन्होंने 40 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है, इस विभागीय परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए हकदार होंगे। विभागीय परीक्षा के माध्यम से लीडिंग फायरमैन के पद पर पदोन्नति की विस्तृत प्रक्रिया परिशिष्ट-5 में दी गयी है। (ख) पदोन्नति के लिये 50 प्रतिशत पद चयन के माध्यम से अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर भरे जायेगे। लीडिंग फायरमैन के पद पर अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति की विस्तृत प्रक्रिया परिशिष्ट–6 में दी गयी है।	(क) पदोन्नति के लिए 50 प्रतिशत पद विभागीय परीक्षा द्वारा भरे जायेंगे। केवल वही फायरमैन, जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है और 40 अन्यधिक की आयु प्राप्त कर ली है, विभागीय परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए हकदार होंगे। लीडिंग फायरमैन के पद पर विभागीय परीक्षा के माध्यम से पदोन्नति के लिए विस्तृत प्रक्रिया परिशिष्ट-5 में दी गयी है।	सर्विस चालक/लीडिंग फायरमैन के ीमवों की रिक्तियो की संख्या की गणना नियम 5(2) और 5(3) में यथा उल्लिखित रूप से की जायेगी। फायर सर्विस चालक/लीडिंग फायरमैन के पद पर पदोन्नति अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर निम्नवत की जायेगी (एक) शारीरिक दक्षता परीक्षण, जो अर्हकारी प्रकृति का है, के साथ अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भर्ती के लिये आशायित रिक्तियां चयन मिति की संस्तुतियों के आधार पर भरी जायेगी। चयन समिति का विवरण परिशिष्ट 2 ख में और शारीरिक दक्षता परीक्षण का विवरण पिरिशिष्ट 2 क में उल्लिखित है। (दो) अग्निशमन सेवा के महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक सूची को अनुमोदित करेंगे और फायर सर्विस चालक/लीडिंग फायरमैन के पद पर पदोन्नति के लिये अंतिम आदेश निर्गत करने के लिये अधिकारियों को नाम निर्दिष्ट करेंगे। टिप्पणीः– पदोन्नत किये गये अभ्यर्थियों की अंतिम सूची बोर्ड और यू0पी0 पुलिस के बेवसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी।

विभागीय परीक्षा के आधार पर फायर सर्विस ड्राइवर के पद हेतु पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया.17

मूल नियम	***दिनांक 30.12.2011 से प्रतिस्थापित**	****दिनांक 06.06.2013 से प्रतिस्थापित**
17-फायर सर्विस ड्राइवर के पचास प्रतिशत पद, विभागीय परीक्षा के माध्यम से पात्र फायरमैनों में से पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे। केवल वही फायरमैन, जिन्होंने 35 वर्ष से अधिक आयु नहीं पूर्ण की है और तीन वर्ष की सेवा अवश्य पूर्ण की हो, इस विभागीय परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए हकदार होंगे। विभागीय परीक्षा के माध्यम से फायर सर्विस ड्राइवर के पद पर पदोन्नति हेतु विस्तृत प्रक्रिया परिशिष्ट-5 में दी गयी है।	17-पदोन्नति के लिए फायर सर्विस ड्राईवर के पचास प्रतिशत पद विभागीय परीक्षा से भरे जायेंगे। केवल वही फायरमैन, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है और 35 वर्ष से अनधिक की आयु प्राप्त की है, इस विभागीय परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार होंगे। विभागीय परीक्षा के माध्यम से फायर सर्विस ड्राईवर के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती की विस्तृत प्रक्रिया परिशिष्ट-5 में दी गयी है।	उक्त नियमावली में विद्यमान नियम 17 निकाल दिया जायेगा

***उ0प्र0 अग्निशमन सेवा अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी सेवा(प्रथम संशोधन)नियमावली 2011 द्वारा दि0 30.12.2011 से प्रतिस्थापित**
****उ0प्र0 अग्निशमन सेवा अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी सेवा(द्वितीय संशोधन)नियमावली 2013 द्वारा दि0 06.06.2013 से प्रतिस्थापित**

फायर स्टेशन सेकेन्ड आफिसर के पद पर सीधी भर्ती-18- फायर स्टेशन सेकेन्ड आफिसर के पद पर सीधी भर्ती निम्नलिखित रीति से की जाएगी-

मूल नियम	*दिनांक 30.12.2011 से प्रतिस्थापित	**दिनांक 06. 06.2013 से प्रतिस्थापित
क. आवेदन-पत्र- (एक) अभ्यर्थी केवल एक जिले के लिए आवेदन-पत्र भरेगा। परीक्षा केन्द्र के आबंटन के संबंध में अभ्यर्थी एक से अधिक विकल्प दे सकता है। फिर भी बोर्ड, अभ्यर्थी द्वारा इंगित केद्र से भिन्न केन्द्र आबंटन कर सकता है। (दो) आवेदन-पत्र के साथ एक पृथक बुकलेट संलग्न की जायेगी, जिसमें शैक्षिक अर्हता, आयु और प्रत्येक श्रेणी के शारीरिक मानक परीक्षण, शारीरिक दक्षता परीक्षण, चिकित्सीय, परीक्षण के लिए न्यूनतम अर्हता मानक, चिकित्सीय, परीक्षण अंक, अभ्यास के लिए ओ0एम0आर0 पत्रक प्रति एवं अन्य महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश से संबंधित जानकारी होगी। (तीन) आवेदन-पत्र कार्बन प्रति सहित ओ0एम0आर0 पत्रक पर होगा। (चार) अभ्यर्थियों के बायें और दाहिने दोनों अंगूठे के निशान के लिये आवेदन-पत्र में स्थान दिया जायेगा। (पांच) अभ्यर्थी के दो अनुप्रमाणित फोटो दिये गये स्थानों पर चिपकाये जायेंगे, एक फोटो आवेदन-पत्र पर और दूसरा फोटो प्रवेश-पत्र पर समुचित स्थान पर चिपकाया जाये। (छः) प्रत्येक आवेदन पत्र में यथास्थिति आयु, दसवीं, बारहवीं, और स्नातक/स्नातकोत्तर के प्रमाण	**क. आवेदन-पत्र-** (एक) अभ्यर्थी केवल एक जिले से आन लाईन आवेदन करेगा। परीक्षा केन्द्र के आबंटन के संबंध में अभ्यर्थी एक से अधिक विकल्प दे सकता है। फिर भी बोर्ड अभ्यर्थी द्वारा इंगित केन्द्र से भिन्न केन्द्र आबंटन कर सकता है। (दो) आवेदन-पत्र के साथ एक पृथक बुकलेट संलग्न की जायेगी, जिसमें शैक्षिक अर्हता, आयु और प्रत्येक श्रेणी के शारीरिक मानक परीक्षण, शारीरिक दक्षता परीक्षण, चिकित्सीय, परीक्षण के लिए न्यूनतम अर्हता मानक, विषयवार लिखित परीक्षा के लिए न्यूनतम अर्हता मानक, विषयवार लिखित परीक्षा के लिए न्यूनतम अर्हता अंक, अभ्यास के लिए ओ0एम0आर0 पत्रक की प्रति एवं अन्य महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश से संबंधित जानकारी होगी। (तीन) आन लाईन आवेदन-पत्र ओ0एम0आर0 पत्रक पर होगा। (चार) अभ्यर्थियों के बायें और दाहिने दोनों अंगूठे के निशान के लिये आवेदन-पत्र में स्थान दिया जायेगा। (पांच) अभ्यर्थी के दो अनुप्रमाणित फोटो दिये गये स्थानों पर चिपकाये जायेंगे, एक फोटो आवेदन-पत्र पर और दूसरा फोटो प्रवेश-पत्र समुचित स्थान पर चिपकाया जाये। (छः) आवेदन पत्र पर अभिसूचित बैंको/डाकघरों से विहित शुल्क का भुगतान करने पर क्रय किया जा सकता है। (सात) प्रत्येक आवेदन पत्र में यथास्थिति आयु (दसवीं, बारहवीं, और स्नातक/स्नातकोत्तर) के प्रमाण पत्र, खेल प्रमाण-पत्र राष्ट्रीय कैडेट कोर प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, भूतपूर्व सैनिकों के मामलों में यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण-पत्र और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण-पत्र की अनुप्रमाणित प्रतियां संलग्न होनी चाहिये और क्षैतिज और उर्ध्वाधर आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी को ओ0एम0आर0 पत्रक में समुचित स्थान पर उत्तर प्रदेश का नागरिक अवश्य लिखना होगा। (आठ) समुचित रूप से भरे गये आवेदन-पत्रों को उसी डाकघर/बैंक में जमा किया जाना चाहिये जहाँ से क्रय किये गये हों। **(ख) बुलावा पत्र**-बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि प्रमाण-पत्रों की प्रतिलिपियों का परीक्षण और मिलान मूल प्रमाण पत्रों से शारीरिक मानक परीक्षण के समय कर लिया जायेगा। कम्प्यूटर के माध्यम से स्कैन किये गये आवेदन पत्र प्राप्त होने पर डाकघर/बैंक के माध्यम से	फायर स्टेशन सेकन्ड आफिसर के पद पर सीधी भर्ती परिशिष्ट –1 में विहित प्रकिया के अनुसार की जायेगा।

पत्र, खेल प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय कैडेट कोर प्रमाण पत्र, होमगार्ड प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिकों के मामलों में यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण पत्र और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र की अनुप्रमाणित प्रतियां संलग्न होनी चाहिये। (सात) आवेदन पत्र अभिसूचित बैंको/ डाकघरों से विहित शुल्क का भुगतान करने पर क्रय किया जा सकता है। (आठ) समुचित रूप से भरे गये आवेदन पत्रों को उसी डाकघर/बैंक में जमा किया जाना चाहिये जहाँ से क्रय किये गये हों। **(ख) बुलावा पत्र**-अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रमाण पत्रों का परीक्षण, बुलावा पत्र जारी किये जाने के पूर्व किया जायेगा। यदि कोई प्रमाण पत्र आवेदन पत्र में प्रस्तुत किया दर्शाया गया हो किन्तु उसमें संलग्न न पाया गया हो तो अभ्यर्थी का आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जा सकता है। कम्प्यूटर के माध्यम से आवेदन पत्र की जांच किये जाने के पश्चात कम्प्यूटरीकृत बुलावा पत्र पात्र अभ्यर्थियों को उसी डाकघर के माध्यम से जारी किये जाएंगे जहां से आवेदन-पत्र क्रय किये गये हों।शारीरिक मानक परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा और चिकित्सा परीक्षा का दिनांक और समय सहित कोड/नाम/डाक का पता/परीक्षा केन्द्र स्थल का उल्लेख बुलावा पत्र में स्पष्ट रूप से किया जायगा। ऐसे दस्तावेजों, जो अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा के लिए प्रस्तुत किये जाने हेतु अपेक्षित हों, को बुलावा पत्रों में स्पष्ट रूप से इंगित किया जाएगा।	प्राप्त अभ्यर्थियों को कम्प्यूटरीकृत बुलावा पत्र जारी किये जायेंगे।पूर्णरूपेण विचारोपरान्त बोर्ड बुलावा पत्र भेजने के लिए कोई अन्य समुचित साधनों का भी उपयोग कर सकता है। शारीरिक मानक परीक्षण का कोड/नाम/डाक का पता/दिनांक और समय के साथ-साथ शारीरिक मानक परीक्षण का स्थान बुलावा पत्र में साफ-साफ उल्लिखित किया जायेगा। शारीरिक मानक परीक्षण स्थान पर संविक्षा हेतु लाने के लिए दस्तावेज, जिनकी अभ्यर्थी से अपेक्षा है, को साफ-साफ बुलावा-पत्र में अंकित किया जायेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षण से कम से कम एक सप्ताह पूर्व बुलावा-पत्र पहुंच जाने चाहिए। ऐसे अभ्यर्थियों के मामले में जिनका बुलावा-पत्र परीक्षण के प्रारम्भ होने से एक सप्ताह के पूर्व तक नहीं प्राप्त होता है, वह वेबसाइट की हेल्फ लाइन से सम्पर्क कर सकेगा। बोर्ड के साथ समस्त संचार/पत्राचार में अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र का क्रमांक कोड उद्धरित करना होगा। ऐसी मामले में बोर्ड द्वारा अनुक्रति (डुप्लीकेट) बुलावा पत्र निर्गत किया जायेगा। **(ग) शारीरिक मानक परीक्षा–**समस्त पात्र अभ्यर्थी एक अर्हकारी प्रकृति की शारीरिक मानक परीक्षा में सम्मिलित होंगे जिसकी प्रक्रिया परिशिष्ट-7 में दी गई है। **(घ) प्रारम्भिक लिखित परीक्षा–**अभ्यर्थियों में से जो खंड (ग) के अधीन शारीरिक, मानक परीक्षण में सफल घोषित किये गये हों, से अर्हकारी प्रकृति की एक वस्तुनिष्ठ प्रकार /प्रारम्भिक लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। इस परीक्षा के लिये 200 अंक होंगे। इसमें तीन खंड होंगे अर्थात 100 अंकों का सामान्य ज्ञान (सामयिकी, इतिहास, भूगोल, भारत का संविधान, स्वतंत्रता संग्राम आदि), 50 अंकों की सामान्य गणित और 50 अंकों की तार्किक योग्यता। जो अभ्यर्थी उक्त परीक्षा में न्यूनतम पचास प्रतिशत अंक प्राप्त करते हैं, सफल घोषित किये जायेंगे। **(ङ) शारीरिक दक्षता परीक्षण–**खंड (घ) के अधीन प्रारम्भिक लिखित परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों से अहंकारी प्रकृति की शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। पुरूष अभ्यर्थियों से 10 किलोमीटर की दौड़ 60 मिनट में पूरा करने की अपेक्षा की जायेगी।शारीरिक दक्षता परीक्षण संचालन की प्रक्रिया परिशिष्ट-8 में दी गयी है। **(च) मुख्य लिखित परीक्षा-** (एक) खण्ड (ङ) के अधीन शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों से मुख्य लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने के अपेक्षा की जायेगी जिसके लिए निम्नलिखित विषयों में 350अंक होंगे। **विषय** **अधिकतमअंक** 1.सामान्यहिन्दी/हिन्दानिबन्ध/सामान्यज्ञान- 100 अंक	

बुलावा पत्र परीक्षा प्रारम्भ होने से कम से कम एक सप्ताह पूर्व पहुँच जाने चाहिए। यदि बुलावा पत्र परीक्षा प्रारम्भ होने के दिनांक से एक सप्ताह पूर्व तक प्राप्त नहीं होता है तो अभ्यर्थी हेल्प लाइन से सम्पर्क कर सकते हैं, इस सम्बन्ध में आवेदन पत्र का क्रमिक कोड देना होगा। **(ग) शारीरिक मानक परीक्षा–** समस्त पात्र अभ्यर्थी एक अर्हकारी प्रकृति की शारीरिक मानक परीक्षा में सम्मिलित होंगे जिसकी प्रक्रिया परिशिष्ट-7 में दी गई है। **(घ) प्रारम्भिक लिखित परीक्षा–**अभ्यर्थियों में से जो खण्ड (ग) के अधीन शारीरिक मानक परीक्षण में सफल घोषित किये गये हो, अर्हकारी प्रकृति की एक वस्तुनिष्ठ प्रकार की प्रारम्भिक लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। इस परीक्षा के लिये 200 अंक होगें। इसमें तीन खंड होंगे अर्थात 100 अंकों का सामान्य ज्ञान (सामयिकी, इतिहास, भूगोल, भारत का संविधान, स्वतंत्रता संग्राम आदि), 50 अंकों की सामान्य गणित और 50अंकों की तार्किक योग्यता। जो अभ्यर्थी उक्त परीक्षा में न्यूनतम पचास प्रतिशत अंक प्राप्त करते हैं, सफल घोषित किये जायेंगे। **(ङ) शारीरिक दक्षता परीक्षण–**खंड (घ) के अधीन प्रारम्भिक लिखित परीक्षा में	2. मल विधि और संविधान(वस्तुनिष्ठ प्रकार)- 100 अंक 3. आंकिक एवं मानसिकयोग्यता परीक्षण- 100 अंक (वस्तुनिष्ठ प्रकार) 4.मानसिक अभिरूचित परीक्षण/बुद्धिलब्धि/ तार्किक योग्यता परीक्षण (वस्तुनिष्ठ प्रकार)- 50 अंक **टिप्पणी-**(एक) लिखित परीक्षा के आयोजन की प्रक्रिया ऐसी होंगी जैसी परिशिष्ट-9 में विहित की गयी है। दो) अभ्यर्थी जो प्रत्येक विषय में न्यूनतम पचास प्रतिशत अंक प्राप्त करने में विफल रहते हैं भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। नियम-6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य वर्गों के अभ्यर्थियों के सम्यक् प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बोर्ड सफल अभ्यर्थियों की उनके द्वारा मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों के आधार पर एक सूची तैयार करेगा। प्रति विषय प्राप्त किये गये अंकों एवं उत्तर कुंजी के साथ बोर्ड की वेबसाईट पर सम्पूर्ण सूची तत्काल प्रदर्शित की जाएगी। मुख्य लिखित परीक्षा में चयन किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों की संख्या का तीन गुना होगी। **(छ) चिकित्सकीय परीक्षण**- जो अभ्यर्थी मुख्य लिखित परीक्षा में सफल घोषित किये गये हैं उनको परिशिष्ट-10 में यथाविहित चिकित्सकीय परीक्षण पूरा करना होगा। **(ज)** समूह परिसंवाद-खण्ड (च) के अधीन चयनित अभ्यर्थियों से समूह परिसंवाद में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। जिसके लिए प्रत्येक 10 अभ्यर्थियों का पृथक् समूह बनाया जायेगा। समूह परिसंवाद की प्रक्रिया एक पैनल के अधीन बोर्ड के अध्यक्ष या उनके नामिती और उ0प्र0 अग्निशमन सेवा के महानिदेशक/अपर महानिदेशक के नामिनी उ0प्र0 अग्निशमन सेवा की उपस्थिति में सम्पादित की जायेगी, जिसमें प्रबन्धन विशेषज्ञ, मनोविश्लेषक और अग्निशमन विशेषज्ञ समाविष्ट होंगे। उक्त समूह परिसंवाद में अग्निशमन/आपदा प्रबंधन वाद, अध्ययन परिचर्चा के लिए प्रस्तुत किये जायेंगे और सम्पूर्ण समूह परिसंवाद नियत समय सीमा के भीतर पूर्ण किया जायेगा। समूह परिसंवाद के लिए 20 अंक और इसके अन्तर्गत अभ्यर्थियों के प्रबन्धन कौशल (5 अंक), प्रस्तुतीकरण (5 अंक),अभिरूचि (5 अंक) और व्यक्तित्व (5 अंकों का मूल्यांकन किया जायेगा। इन अंकों का बोर्ड वेबसाइट पर भी अपलोड किया जायेगा। **टिप्पणी-1** समूह परिसंवाद की सम्पूर्ण प्रक्रिया की वीडियो ग्राफी की जाएगी और उसकी एक काम्पैक्ट डिस्क तैयार की जाएगी। **टिप्पणी-2** चयन समिति में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिये अधिकारियों का नाम निर्देशन समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियम की धारा-7 के अधीन दिये गये आदेशों के अनुसार किया जायेगा। **(झ)** अन्तिम चयन सूची-राज्य की आरक्षण नीति के अनुसार बोर्ड अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में अर्जित अंकों के आधार पर अधिसूचित रिक्तियों के सापेक्ष प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थी के लिए एक अन्तिम चयन सूची तैयार करेगा। बोर्ड द्वारा तैयार की गयी अन्तिम चयन सूची संस्तुति सहित विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत की जायेगी, जो नियुक्त प्राधिकारी द्वारा संचालित चिकित्सीय परीक्षा/अभिलेख सत्यापन के अध्यधीन होगी। बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची नहीं तैयार की जायेगी।	

सफल घोषित अभ्यर्थियों से अहंकारी प्रकृति की शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। यह परीक्षा राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता मानक स्टार-एक के स्तर की होगी। बोर्ड उक्त परीक्षा के मानकों को परिवर्तित करने या उच्चीकृत करने के लिये सशक्त होगा जो कि किसी भी दशा में स्टार–एक मानकों से कमतर न होंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षण की प्रकिया ऐसी होगी जैसी परिशिष्ट–8 में विहित की गयी है।

(च) मुख्य लिखित परीक्षा-

(एक) खण्ड (ड.) के अधीन शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों से मुख्य लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी, जिसके लिये निम्नलिखित विषयों में 350 अंक होगें :–

विषय	अधिकतम अंक
1.सामान्य हिन्दी /हिन्दी निबन्ध/ सामान्य ज्ञान-	100 अंक
2.मूल विधि और संविधान(वस्तुनिष्ठ प्रकार)-	100 अंक
3.आंकिक एवं मानसिक योग्यता परीक्षण-	100 अंक
4.मानसिक अभिरूचित परीक्षण /बुद्धिलब्धि/ तार्किक योग्यता परीक्षण- (वस्तुनिष्ठ प्रकार)	50 अंक

टिप्पणी-लिखित परीक्षा के आयोजन की प्रक्रिया ऐसी होंगी जैसी परिशिष्ट-9 में विहित की गयी है।

(दो) अभ्यर्थी जो प्रत्येक विषय में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त

प्रत्येक अभ्यर्थी का चाहे वह सफल हो अथवा असफल हो, श्रेष्ठता सूची और अंकों का ब्रेकअप वेबसाइट/नोटिस बोर्ड (सूचना पट्ट) और समाचार पत्र में प्रदर्शित किया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक अभ्यर्थी अपनी श्रेष्ठता/अंक जान सके। आउट सोर्स एजेन्सी द्वारा एक अपेक्षित साफ्टवेयर का विकास किया जायेगा, जिसके माध्यम से अधिसूचित रिक्तियों के अनुसार किसी श्रेष्ठता सूची का निर्माण किया जायेगा जो क्षैतिज और उर्ध्वाधर आरक्षण से संबंधित पूर्व परिभाषित मानकों पर आधारित होगी। तद्नुसार आउटसोर्स एजेन्सी द्वारा जिलावार और श्रेणीवार श्रेष्ठता सूची तैयार की जायेगी। अधिकतम अंक और अभ्यर्थी द्वारा अर्जित अंकों को प्रदर्शित करते हुए आउट सोर्स एजेन्सी सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एवं श्रेष्ठता सूची बोर्ड को उपलब्ध करायगी। यह एजेन्सी उत्तर पत्रकों सहित एक जिलावार और श्रेणीवार चयन सूची बन्द लिफाफे में बोर्ड के अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगी।

टिप्पणी :-यदि दो या अधिक अभ्यर्थी समान औसत अंक अर्जित करते हैं तब निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार श्रेष्ठता सूची को अन्तिमी कृत किया जायेगा :-

(एक) ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्षो की अवधि की अवधि के लिए सेवा की है अथवा नेशनल कैडेट कोर का ''ब'' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया, अथवा केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कम्प्यूटर अप्लीकेशन में प्रमाण-पत्र प्राप्त किया है। एक से अधिक अधिमानी अर्हता धारित करने वाला अभ्यर्थी मात्र एक अधिमानी अर्हता का लाभ प्राप्त करेगा।

(दो) यदि उक्त के बावजूद दो या अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक तब ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जो आयु में अपेक्षाकृत अधिक है।

(तीन) यदि औसत अंक तब भी समान हैं और जन्म तिथि भी बराबर है तो ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने अभिरूचि परीक्षण में अधिक अंक अर्जित किये हैं।

(चार) यदि उक्त विचारणों के बावजूद अंक तब भी समान है और अभिरूचि परीक्षण में अंक बराबर हैं तब ऐसे अभ्यर्थी जिसका नाम अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है, को अधिमान दिया जायेगा।

(झ) चरित्र सत्यापन-नियुक्ति पत्र जारी किये जाने के पूर्व चरित्र सत्यापन पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा। अभ्यर्थियों के चरित्र और उनके आपराधिक अभिलेख का सत्यापन, जहाँ तक सम्भव हो, एक माह में पूर्ण कर लिया जाना चाहिए।

(एक) चरित्र सत्यापन के लिये अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाएगी कि वे आयु प्रमाण पत्र, शैक्षिक

अर्हता प्रमाण पत्र, खेल प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय कैडेट कोर, होमगार्ड प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र और भूतपूर्व सैनिकों के मामले में यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

(दो) अभ्यर्थियों को जन्मतिथि हेतु हाईस्कूल प्रमाण पत्र, खेल हेतु जिला/राज्य या राष्ट्रीय स्तर का प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र हेतु तहसीलदार या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित फोटो और संलग्न प्रारूप पर दाहिने और बाएं हाथ के अंगूठे का निशान प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थियों को तहसील, विकास खण्ड, ग्राम व डाकघर का पिन कोड सहित डाक का पूर्ण पता भी प्रस्तुत करना होगा।

(ञ) चिकित्सीय परीक्षा-अभ्यर्थियों जिनके नाम खण्ड-(ज) के अधीन बोर्ड द्वारा तैयार की गयी अन्तिम चयन सूची सम्मिलित है जिनसे चिकित्सीय परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। चिकित्सीय परीक्षा परिशिष्ट-3 में

करने में विफल रहते हैं भर्ती के लिये पात्र नहीं होगें। नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य वर्गो के अभ्यर्थियों के सम्यक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये बोर्ड सफल अभ्यर्थियों की उनके द्वारा मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों के आधार पर एक सूची तैयार करेगा। प्रति विषय प्राप्त किये गये अंकों एवं उत्तर कुजी के साथ बोर्ड की वेबसाइट पर सम्पूर्ण सूची तत्काल प्रदर्शित की जायेगी। मुख्य लिखित परीक्षा में चयन किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों की संख्या का तीन गुना होगी। **(छ) चिकित्सकीय परीक्षण**- जो अभ्यर्थी मुख्य लिखित परीक्षा में सफल घोषित किये गये हैं उनको परिशिष्ट-10 में यथाविहित चिकित्सकीय परीक्षण पूरा करना होगा। **(ज)** समूह परिसंवाद-खंड (घ) के अधीन चयनित अभ्यर्थियों से समूह परिसंवाद में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी।जिसके लिए प्रत्येक दस अभ्यर्थियों का पृथक समूह बनाया जाएगा। समूह परिसंवाद की प्रक्रिया एक पैनल के अधीन बोर्ड के अध्यक्ष या उसके नामिनी अपर पुलिस महानिदेशक, (कार्मिक) और उ0प्र0 अग्निशमन सेवा के महानिदेशक द्वारा नामित अपर पुलिस महानिदेशक अग्निशम की उपस्थिति में संपादित की जायेगी जिसमें प्रबन्धन विशेषज्ञ, मनोविश्लेषक समाविष्ट होगें। उक्त समूहपरिसंवाद में अग्निशमन/आपदा प्रबन्धन बाद अध्ययन परिचर्चा के लिये प्रस्तुत किये जायेंगे और सम्पूर्ण समूह परिसंवाद नियत समय सीमा के भीतर पूर्ण किया जायेगा। समूह परिसंवाद के लिये 20 अंक होगें और इसके अन्तर्गत अभ्यर्थियों के प्रबन्ध कौशल (5अंक) प्रस्तुतकरण (5 अंक) अभिरूचि (5 अंक)और व्यक्तित्व (5 अंक) का मूल्यांकन किया	अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी के आदेश पर नियम-13 के अधीन संचालित करायी जायेगी। यदि कोई अभ्यर्थी चिकित्सीय परीक्षा में अनुपयुक्त पाया जाता है तो उसकी वह कमी सूचित की जायेगी जिसके कारण संबंधित बोर्ड द्वारा उसे अनुपयुक्त घोषित किया गया है और यदि सम्भव है तो कमी को दूर करके व छः महीने की अवधि के भीतर पुनः परीक्षा के लिए चिकित्सा बोर्ड के समक्ष सम्मिलित होगा। यदि छः महीने के भीतर पुनः परीक्षा के पश्चात अभ्यर्थी तब भी चिकित्सीय रूप से अनुपयुक्त पाया जाता है तो उसका चयन निरस्त कर दिया जायेगा।	

जाएगा। इन अंकों की बोर्ड को वेबसाइट पर भी अपलोड किया जायेगा। **टिप्पणी-1** समूह परिसंवाद की सम्पूर्ण प्रक्रिया की वीडियो ग्राफी की जाएगी और उसकी एक कॉम्पैक्ट डिस्क तैयार की जाएगी। **टिप्पणी-2** चयन समिति में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिये अधिकारियों का नाम निर्देशन समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियम की धारा-7 के अधीनदिये गये आदेशों के अनुसार किया जायेगा। **(झ)** चयन एवं श्रेष्ठता सूची-खण्ड (ङ) के अधीन मुख्य लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों को उसके द्वारा खंड (ज) के अधीन समूह परिसंवाद में प्राप्त किये गये अंकों में जोड़ दिया जाएगी। बोर्ड द्वारा नियम-6 उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों की उनके श्रेष्ठता क्रम में, जैसा कि मुख्य लिखित परीक्षा और समूह परिसंवाद में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के योग से प्रकट हो, एक चयन सूची तैयार की जाएगी। यदि दो अभ्यर्थी बराबर-बराबर अंक प्राप्त करते हैं तो मुख्य लिखित परीक्षा में उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को सूची में ऊपर रखा जाएगा।बोर्ड अपने वेबसाइट पर चयन सूची को सभी अभ्यर्थियों के लिये तत्काल अपलोड करेगा और उसे विभागाध्यक्ष को अग्रसारित करेगा।		

विभागीय परीक्षा के आधार पर फायर स्टेशन सेकेन्ड आफिसर के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया-19- फायर-फायर सर्विस और जिन्होंने पद पर सेवा पूर्ण कर ली हो और जिन्होंने की हो, विभागीय परीक्षा के आधार पर पदोन्नति द्वारा भर्ती के प्रयोजनार्थ बोर्ड निम्नलिखित रीति में एक लिखित परीक्षा आयोजित करेगा -

मूल नियम	***दिनांक 30.12.2011 से प्रतिस्थापित**	****दिनांक 06. 06.2013 से प्रतिस्थापित**
19. फायर स्टेशन सेकेन्ड आफिसर के पद पर, फायर सर्विस ड्राइवरों और मुख्य फायरमैनों, जिन्होंने पद पर 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो और जिन्होंने 45वर्ष से अनधिक आयु प्राप्त की	19. फायर स्टेशन सेकेन्ड आफिसर के पद पर, फायर सर्विस ड्राइवरों और लीडिंग फायरमैनों, जिन्होंने पद पर 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो और जिन्होंने 45 वर्ष से अनधिक आयु प्राप्त की हो, विभागीय	विभागीय परीक्षा के आधार पर फायर स्टेशन

हो,विभागीय परीक्षा के आधार पर विभागीय परीक्षा के आधार पर पदोन्नति द्वारा भर्ती के प्रयोजनार्थ बोर्ड निम्नलिखित रीति में एकलिखित परीक्षा आयोजित करेगा : **(क) लिखित परीक्षा** (एक) पात्र अभ्यर्थियों से एक लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायगी,जिसके लिये 350 अंक होंगे। लिखित परीक्षा में सम्मिलित विषयों का विवरण तथा प्रत्येक विषय के लिये आबंटित अंक निम्नवत् हैं :- **विषय अधिकतम अंक** 1. हिन्दी निबंध (अग्निशमन सेवा कार्य प्रणाली पर आधारित), सामान्य ज्ञान- 100 अंक 2.भवन निर्माण, आपदा प्रबन्धन, सामुदायिक अग्निशमन सुरक्षा, मूल विधि संविधान 100अंक 3. आंकिक एवं मानसिक योग्यता परीक्षण (वस्तुनिष्ठप्रकार) 50 अंक 4. मानसिक अभिरूचि परीक्षा बुद्धिलब्धि/तार्किक योग्यता परीक्षा (वस्तुनिष्ठप्रकार) 50 अंक 5. कम्प्यूटर प्रचालन (एम0एस0 आफिस और इण्टरनेट) 50 अंक टिप्पणी 1. प्रश्न पत्रों को फायर स्टेशन सेकेन्ड आफिसर के पद के कार्य-वृत्त (जाब प्रोफाइल) को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाएगा। टिप्पणी 2. जो अभ्यर्थी प्रत्येक विषय में न्यूनतम पचास प्रतिशत अंक प्राप्त करने में विफल रहते हैं पदोन्नति के लिये पात्र न होंगे। (दो) चयन समिति नियम-6 में निर्दिष्ट आरक्षण के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए सफल अभ्यर्थियों की उनके द्वारा उपखंड (1) के अधीन लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर एक सूची तैयार करेगी। (ख) शारीरिक दक्षता परीक्षा खंड (क) के उपखण्ड (2) के अधीन चयनित अभ्यर्थियों से, अर्हकारी प्रकृति की अभ्यर्थियों से, अर्हकारी प्रकृति की शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। अभ्यर्थियों से 30 मिनट में 05 किलो मीटर की	परीक्षा के आधार पर पदोन्नति द्वारा भर्ती के प्रयोजनार्थ बोर्ड निम्नलिखित रीति में एक लिखित परीक्षा आयोजित करेगा : **(क) लिखित परीक्षा** (एक) पात्र अभ्यर्थियों से एक लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायगी, जिसके लिये 350 अंक होंगे। लिखित परीक्षा में सम्मिलित विषयों का विवरण तथा प्रत्येक विषय के लिये आबंटित अंक निम्नवत् हैं :- **विषय अधिकतम अंक** 1. हिन्दी निबंध (अग्निशमन सेवा कार्य प्रणाली पर आधारित), सामान्य ज्ञान- 100 अंक 2. भवन निर्माण, आपदा प्रबन्धन, सामुदायिक अग्निशमन सुरक्षा, मूल विधि संविधान - 100 अंक 3. आंकिक एवं मानसिक योग्यता परीक्षण (वस्तुनिष्ठ प्रकार) 50 अंक 4. मानसिक अभिरूचि परीक्षा/बुद्धिलब्धी/तार्किक योग्यता परीक्षा (वस्तुनिष्ठप्रकार) 50 अंक 5. कम्प्यूटर प्रचालन (एम0एस0 आफिस और इण्टरनेट) 50 अंक टिप्पणी 1. प्रश्न पत्रों को फायर स्टेशन सेकेन्ड के पद के कार्य-वृत्त (जाब प्रोफाइल) को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाएगा। टिप्पणी 2. जो अभ्यर्थी प्रत्येक विषय में न्यूनतम पचास प्रतिशत अंक प्राप्त करने में विफल रहते हैं पदोन्नति के लिये पात्र न होंगे। (दो) चयन समिति नियम-6 में निर्दिष्ट आरक्षण के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए सफल अभ्यर्थियों की उनके द्वारा उपखंड (1) के अधीन लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर एक सूची तैयार करेगी। (ख) शारीरिक दक्षता परीक्षा खंड (क) के उपखण्ड (2) के अधीन चयनित शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। अभ्यर्थियों से 30 मिनट में05 किलो मीटर की दौड़ पूरा करने की अपेक्षा की जायेगी। (ग) सेवा अभिलेख-खण्ड (क) के उपखण्ड (दो) के अधीन चयनित प्रत्येक अभ्यर्थी को सेवा अभिलेखों के आधार पर कुल 100 अंकों के अधीन रहते हुए अंक प्रदान किये जायेंगे। सेवा की कालावधि के लिए अधिकतम 20 अंक होंगे। (प्रत्येक वर्ष के लिए	सेकेन्ड आफिसर के पद के लिये रिक्तियों की गणना नियम 5 के खंड (4) (तीन) में यथा उल्लिखित रूप से की जायेगी। **विभागीय परीक्षा के आधार पर चयन –** पदोन्नति लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों और सेवा अभिलेखों के अनुसार प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर की जायेगी। परिशिष्ट–5 में प्रक्रिया का विवरण उल्लिखित है। (एक) अग्निशमन सेवा के महानिदेशक / अपर महानिदेशक चयन समिति द्वारा संस्तुत सूची को अनुमोदित करेगें और फायर स्टेशन सेकेण्ड आफिसर के पद पर पदोन्नति के लिये अंतिम आदेश निर्गत करने के लिये अधिकारियों को नामनिर्दिष्ट

दौड़ पूरा करने की अपेक्षा की जायेगी। (ग) सेवा अभिलेख-खण्ड (क) के उप खण्ड (2) के अधीन चयनित प्रत्येक अभ्यर्थी को सेवा अभिलेख के आधार पर कुल 100 अंकों के अधीन रहते हुए अंक प्रदान किये जायेंगे। सेवा की कालावधि के लिए अधिकतम 20 अंक होंगे (प्रत्येक वर्ष के लिए01 अंक)। स्नातक एवं ऊपर की उपाधि की शैक्षिक अर्हता के लिये अधिकतम 10 अंक। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए अधिकतम 50 अंक, जिसमें से 35 अंकों के अधिकतम के अधीन रहते हुए प्रत्येक मौलिक प्रशिक्षण के प्रशिक्षण के लिए 10 अंक तथा 15 अंकों के अधिकतम के अधीन रहते हुए प्रत्येक गैर मौलिक प्रशिक्षण के लिए 03 अंक और वार्षिक प्रविष्टि के लिए 20 अंक होंगे। अग्निशमन संगठन का प्रशिक्षण विद्यालय इस शर्त के अधीन रहते हुए कि कोई प्रशिक्षण जिसकी अवधि एक माह से कम होगी, मौलिक प्रशिक्षण के रूप में अधिसूचित नहीं की जायेगी, किसी भी प्रशिक्षण को मौलिक प्रशिक्षण और गैर मौलिक प्रशिक्षण के रूप में अधिसूचित करने के लिए प्राधिकृत है। प्रत्येक बृहद दण्ड के लिए 05 अंक, प्रत्येक लघु दण्डके लिए 03 अंक और प्रत्येक सूक्ष्म दण्ड के लिए 01 अंक काट लिया जायेगा। सेवा अभिलेखों का परीक्षण इस दृष्टिकोण से भी किया जायेगा कि क्या अभ्यर्थी को कोई ऐसा भी दण्ड दिया गया है, जो उसे पदोन्नति के लिए अनुपयुक्त ठहराता हो। कोई अभ्यर्थी जिसकी सत्यनिष्ठा गत 5 वर्षों में एक बार भी रोकी गई हो, पदोन्नति के लिये पात्र न होगा। अभिलेखों के लिए 30 अंक होंगे जिसमें से सेवा अभिलेखों के लिए 10 अंक, स्नातक एवं ऊपर की उपाधि के लिए 10 अंक,पुरस्कार/अच्छी पृविष्टि के लिए 5 अंक और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए 5 अंक प्रदान किये जायेंगे। अग्रतर प्रत्येक दण्ड के लिए 02 अंक और प्रत्येक लघु दण्ड के लिए 01 अंक काट लिया जायेगा। (घ) खण्ड (क) (ग) के अधीन प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों की सूची-खंड (क) उपखंड (दो) के अधीन प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंक उसके द्वारा खंड (ग) के अधीन प्राप्त किये गए अंकों में जोड़ दिये जाएंगे। इस प्रकार प्राप्त अंकों के कुल योग केआधार पर चयन	01 अंक) स्नातक एवं ऊपर की उपाधि की शैक्षिक अर्हता के लिए अधिकतम 10 अंक, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए अधिकतम 50 अंक, जिसमें से 35 अंकों के अधिकतम के अधीन रहते हुए प्रत्येक मौलिक लिए 10 अंक तथा15 अंकों के अधीन रहते हुए प्रत्येक गैर मौलिक प्रशिक्षण के लिये 03 अंक और वार्षिक प्रविष्टि के लिए 20 अंक होंगे। अग्निशमन संगठन का निदेशालय इस शर्त के अधीन रहते हुए कि कोई प्रशिक्षण जिसकी अवधि एक माह कम होगी मौलिक प्रशिक्षण के रूप में अधिसूचित नहीं की जाएगी, किसी भी प्रशिक्षण को मौलिक प्रशिक्षण और गैर मौलिक प्रशिक्षण के रूप में अधिसूचित करने के लिये प्राधिकृत है। प्रत्येक बृहद दंड के लिये 05 अंक, प्रत्येक लघु दंड के लिये 03 अंक और प्रत्येक सूक्ष्म दंड के लिये 01 अंक काट लिया जाएगा। सेवा अभिलेखों का परीक्षण इस दृष्टिकोण से भी किया जाएगा कि क्या अभ्यर्थी को कोई ऐसा भी दंड दिया गया है जो उसे पदोन्नति के लिये अनुपयुक्त ठहराता हो। कोई अभ्यर्थी जिसकी सत्यनिष्ठा गत पांच वर्षों में एक बार भी रोकी रोकी गयी हो, पदोन्नति के लिए पात्र न होगा। (घ) खण्ड (क) (ग) के अधीन प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों की सूची-खंड (क)उपखंड (दो) के अधीन प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंक उसके द्वारा खंड (ग) के अधीन प्राप्त किये गए अंकों में जोड़ दिये जाएंगे। इस प्रकार प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर चयन समिति अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगी। (ङ) समूह परिसंवाद-खंड (घ) के अधीन चयनित अभ्यर्थियों से समूह परिसंवाद में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। जिसके लिए प्रत्येक दस अभ्यर्थियों का पृथक समूह बनाया जाएगा। समूह परिसंवाद की प्रक्रिया एक पैनल के अधीन बोर्ड के अध्यक्ष या उसके नामिती उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा के महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक के नामिती की उपस्थिति में सम्पादित की जायेगी जिसमें प्रबन्धन विशेषज्ञ,मनोविश्लेषक और अग्निशमन	करेंगे। (दो) पदोन्नत किये गये अभ्यर्थियों की अंतिम सूची को बोर्ड और यू0पी0 पुलिस के बेसवाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा।

समिति अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगी। (ङ) समूह परिसंवाद-खंड (घ) के अधीन चयन अभ्यर्थियों से समूह परिसंवाद में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी जिसके लिए प्रत्येक दस अभ्यर्थियों का पृथक समूह बनाया जाएगा। समूह परिसंवाद की प्रक्रिया एक पैनल के अधीन बोर्ड के अध्यक्ष या उसके नामिती अपर पुलिस महानिदेशक (कार्मिक)और उत्तर प्रदेश अग्निशमन के महा निदेशक द्वारा नामित अपर महानिदेशक अग्निशमन की उपस्थिति में संपादित की जाएगी जिसमें,प्रबंधन विशेषज्ञ, मनोविश्लेषक, समाविष्ट होंगे।उक्त समूह परिसंवाद में अग्निशमन/आपद प्रबन्धन संबंधी वाद अध्ययन परिचर्चा के लियेप्रस्तुत किये जाएंगे और सम्पूर्ण समूह परिसंवाद नियत समय सीमा के भीतर पूर्ण किया जाएगा। समूह परिसंवाद के लिए 20 अंक होंगे और इसके अंतर्गत अभ्यर्थियों के प्रबंधन कौशल (5 अंक), प्रस्तुतिकरण अंक), अभिरूचि (5 अंक) और व्यक्तित्व (5 अंक) का मूल्यांकन किया जायेगा। इन अंकों को बोर्ड की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जायगा। **टिप्पणी-1.** समूह परिसंवाद की सम्पूर्ण प्रक्रिया की वीडियो ग्राफी की जायेगी और उसकी एक कम्पैक्ट डिस्क तैयार की जाएगी। **टिप्पणी-2.** चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिये अधिकारियों का नाम-निर्देशन समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम की धारा-7 के अधीन किये गये आदेशों के अनुसार किया जाएगा।	विशेषज्ञ समाविष्ट होंगे। उक्त समूह परिसंवाद में अग्निशमन/आपदा प्रबन्धन वाद। अध्यन परिचर्चा के लिये प्रस्तुत किये जाएंगे और सम्पूर्ण समूह परिसंवाद नियत समय सीमा के भीतर पूर्ण किया जाएगा। समूह परिसंवाद के लिये 20 अंक होंगे और इसके अंतर्गत अभ्यर्थियों के प्रबन्धन कौशल (5 अंक), प्रस्तुतिकरण (5 अंक), अभिरूचि (5 अंक) और (5व्यक्तित्व (5 अंक) का मूल्यांकन किया जायेगा। (5 इन अंकों को बोर्ड की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जायगा। **टिप्पणी-1.** समूह परिसंवाद की सम्पूर्ण प्रक्रिया की वीडियो ग्राफी की जायेगी और उसकी एक कम्पैक्ट डिस्क तैयार की जाएगी। **टिप्पणी-2.** चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिये अधिकारियों का नाम-निर्देशन समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियम की धारा-7 के अधीन किये गये आदेशों के अनुसार किया जाएगा।	

नियम 19-क का बढ़ाया जाना.—ज्येष्ठता के आधार पर फायर स्टेशन सेकेण्ड आफिसर के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

***दिनांक 30.12.2011 से प्रतिस्थापित**	****दिनांक 06.06.2013 से प्रतिस्थापित**
19-क. यह चयन अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर किया जायेगा। कोई भी दंड जो अभ्यर्थी को पदोन्नति हेतु अनुपयुक्त ठहराता है, के लिये अभिलेखों की जाँच की जाएगी। यदि किसी लीडिंग फायरमैन/फायर सर्विस ड्राइवर की सत्यनिष्ठा पाँच वर्षों के भीतर रोकी गई है तो वह पदोन्नति के लिये पात्र न होगा।	19-क. अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर फायर स्टेशन सेकेन्ड आफिसर के पद के लिये रिक्तियों की गणना नियम 5 के खंड (4) (दो) में यथा उल्लिखित रूप से की जायेगी। प्रक्रिया निम्नवत होगी। (एक) शारीरिक दक्षता परीक्षण, जो अर्हकारी प्रकृति का है, के साथ अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भर्ती के लिये आशायित रिक्तियां चयन समिति की संस्तुतियों के आधार पर भरी जायेगी। चयन समिति का विवरण परिशिष्ट 2 क में उल्लिखित है। (दो) अग्निशमन सेवा के महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक चयन

***उ0प्र0 अग्निशमन सेवा अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी सेवा(प्रथम संशोधन)नियमावली 2011 द्वारा दि0 30.12.2011 से प्रतिस्थापित**

****उ0प्र0 अग्निशमन सेवा अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी सेवा(द्वितीय संशोधन)नियमावली 2013 द्वारा दि0 06.06.2013 से प्रतिस्थापित**

	समिति द्वारा प्रस्तुत सूची को अनुमोदित करेंगे और फायर स्टेशन सेकेन्ड आफिसर के पद पर पदोन्नति के लिये अंतिम आदेश निर्गत करने के लिये अधिकारियों को नाम निर्दिष्ट करेगें। (तीन) पदोन्नत किये गये अभ्यर्थियों की यथा अनुमोदित सूची को बोर्ड और यूपी पुलिस की बेवसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा।

चयन एवं श्रेष्ठता सूची-20

मूल नियम	''दिनांक 06.06.2013 से प्रतिस्थापित
बोर्ड नियम 6 में निर्दिष्ट आरक्षण प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों की उनके श्रेष्ठता क्रम में जैसा कि उनके द्वारा खंड (घ) एवं (ङ) के अधीन प्राप्त अंकों के कुल योग से प्रकट हो, एक अंतिम चयन सूची तैयार करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो खंड (ग) के अधीन उच्चतर अंक पाने वाले अभ्यर्थी को सूची में ऊपर रखा जाएगा। चयन समिति द्वारा सूची बोर्ड को अग्रसारित की जायेगी जो उसे विभागाध्यक्ष को अग्रसारित करेगा।	उक्त नियमावली में विद्यमान नियम 20 को निकाल दिया जायेगा।

बोर्ड के माध्यम से फायर स्टेशन आफिसर के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया-21

मूल नियम	*दिनांक 30.12.2011 से प्रतिस्थापित	**दिनांक 06.06.2013 से प्रतिस्थापित
21-पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने पर फायर स्टेशन सेकेन्ड आफिसर के पद के पदधारियों को बोर्ड द्वारा फायर स्टेशन आफिसर के पद पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति दी जायेगी। बोर्ड नियम-6 के अधीन आरक्षण संबंधी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए इस नियम के अधीन एक सूची तैयार करेगा। अभिलेखों के आधार पर अंक दिये जायेंगे। प्रत्येक पात्र अभ्यर्थी को सेवा अभिलेखों के आधार पर अधिकतम 100 अंकों के अध्यधीन निम्नलिखित रीति में अंक प्रदान किये।	21-यह चयन अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर किया जायेगा, कोई भी दण्ड, जो अभ्यर्थी को पदोन्नति हेतु अनुपयुक्त ठहराता है, के लिए अभिलेखों की जाँच की जाएगी। यदि किसी लीडिंगफायरमैन/फायर सर्विस ड्राइवर की सत्यनिष्ठा पाँच वर्षों से भीतर रोकी गई है तो वह पदोन्नति के लिए पात्र न होगा।	**21.ज्येष्ठता के आधार पर स्टेशन आफिसर के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया–** अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर फायर स्टेशन आफिसर के पद के लिये रिक्तियों की गणना नियम 5 के खंड(5) में उल्लिखित रूप से की जायेगी। प्रक्रिया निम्नवत होगी :– (एक) अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिये आशायित रिक्तियों को चयन समिति की संस्तुतियों के आधार पर भरा जायेगा। चयन समिति का विवरण परिशिष्ट 2 ख में उल्लिखित है। (दो)चयन समिति द्वारा प्रस्तुत की गई सूची को महानिदेशक/ अपर महानिदेशक अग्निशमन सेवा अनुमोदित करेगा और फायर स्टेशन आफिसर के पद हेतु पदोननति के लिये अंतिम आदेश निर्गत करने हेतु अधिकारी (यों)को नामनिर्दिष्ट करेंगे। **टिप्पणी:–**प्रोन्नत अभ्यर्थियों की अंतिम सूची को बोर्ड और उ0प्र0 पुलिस की बेबसाइट पर प्रदर्शित किया।

***उ0प्र0 अग्निशमन सेवा अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी सेवा(प्रथम संशोधन)नियमावली 2011 द्वारा दि0 30.12.2011 से प्रतिस्थापित**
****उ0प्र0 अग्निशमन सेवा अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी सेवा(द्वितीय संशोधन)नियमावली 2013 द्वारा दि0 06.06.2013 से प्रतिस्थापित**

सेवा अभिलेख	सेवा की कालावधि के लिए अधिकतम-20 अंक होंगे (प्रत्येक वर्ष के लिये 01 अंक) स्नातक एवं ऊपर की उपाधि की शैक्षिक अर्हता के लिए अधिकतम-10 अंक, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए 50 अंक, जिसमें से 35 अंकों के अधिकतम के अधीन रहते हुए प्रत्येक मौलिक प्रशिक्षण के लिए 10 अंक तथा 15 अंकां के अधिकतम के अधीन रहते हुए प्रत्येक गैर मौलिक प्रशिक्षण के लिए 03 अंक और वार्षिक पृविष्टि के लिए 20 अंक होंगे। अग्निशमन संगठन का प्रशिक्षण निदेशालय इस शर्त के अधीन रहते हुए कि कोई प्रशिक्षण जिसकी अवधि एक माह से कम होगी मौलिक प्रशिक्षण के रूप में अधिसूचित नहीं की जाएगी, किसी भी प्रशिक्षण को मौलिक प्रशिक्षण और गैर मौलिक प्रशिक्षण के रूप मे अधिसूचित करने के लिये प्राधिकृत हैं। प्रत्येक बृहद दंड के लिये 05 अंक, प्रत्येक लघु दंड के लिये 03 अंक और प्रत्येक सूक्ष्म दंड के लिये 01 अंक काट लिया जाएगा। सेवा अभिलेखों का परीक्षण इस दृष्टिकोण से भी किया जाएगा कि क्या अभ्यर्थी को कोई ऐसा भी दंड दिया गया है जो उसे पदोन्नति के लिये अनुपयुक्त ठहराता हो, कोई अभ्यर्थी जिसकी सत्यनिष्ठा गत पांच वर्षों में एक बार भी रोकी गई हो पदोन्नति के लिये पात्र न होगा। अभिलेखों के लिए 30 अंक होंगे जिसमें से सेवा अभिलेखों 10 अंक प्रदान किया जायेंगे, स्नातक एवं ऊपर की उपाधि के लिए 10 अंक, पुरस्कार/अच्छी पृविष्टि के लिए 05 अंक और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए 5 अंक/अग्रतर प्रत्येक बृहद दण्ड के लिए 02 अंक प्रत्येक लघु दण्ड के लिए 01 अंक काट लिया जायेगा।
नियुक्त चयन सूची	22. यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जाय तो सुसंगत सूचियों में से अभ्यर्थियों के नाम ऐसी रीति में लेकर एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी कि विहित प्रतिशत बना रहे, सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

भाग-छः

प्रशिक्षण नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

	मूल नियम	***दिनांक 06.06.2013 से प्रतिस्थापित**
नियुक्ति	23-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और विशेष वर्गों की अन्य श्रेणियों के आरक्षण के संबंध में नियमों और शासनादेशों का अनुपालन करते हुए नियुक्तियाँ विशुद्ध रूप से श्रेष्ठता सूची के अनुसार ही की जायेगी। चरित्र और प्रमाणपत्रों का सत्यापन एक माह में पूर्ण कर लिया जायेगा। एतत्पश्चात, बोर्ड द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की सूची संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी को नियुक्ति पत्र जारी करने के लिए उपलब्ध करा दी जायेगी। नियुक्ति प्राधिकारी इस अनुदेश के साथ नियुक्ति पत्र जारी करेंगे कि चयनित अभ्यर्थी एक माह के भीतर अपना कार्यभार ग्रहण कर लें। प्रशिक्षण के लिए उपस्थित हों नहीं तो चयन सूची के अन्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान कर दी जायेगी।	23-साविधिक या अन्य विनिर्दिष्ट उपबंधो के अधीन रहते हुये , नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नामों को उस क्रम में लेते जिसमें वे, यथास्थिति नियम 15, 16, 18, 19, 19–क और 21 के अधीन आये हो। यदि किसी एक चयन के संबंध में नियुक्ति का एक से अधिक आदेश जारी किया जाता है तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख उसी ज्येष्ठता के क्रम में किया जायेगा जैसा कि यथा स्थिति चयन में या उस संबंर्ग में था जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया है। यदि नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जाती है तो नामों को उसी क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया गया जैसा कि उक्त परिशिष्टों में वर्णित किया गया है।
प्रशिक्षण	**मूल नियम**	***दिनांक 06.06.2013 से प्रतिस्थापित**
	24- परिवीक्षा अवधि के दौरान परिवीक्षाधीन व्यक्ति से राज्य सरकार या विभागाध्यक्ष द्वारा यथाविहित प्रशिक्षण प्राप्त करने	24–नियम 15, 16, 18, 19,19–क और 21 के अधीन अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों से ऐसे प्रशिक्षण को पूरा

***उ0प्र0 अग्निशमन सेवा अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी सेवा(द्वितीय संशोधन)नियमावली 2013 द्वारा दि0 06.06.2013 से प्रतिस्थापित**

	की अपेक्षा की जायेगी।	करने की अपेक्षा की जायेगी जैसा विभागाध्यक्ष द्वारा समय पर विहित किया जाये।
परिवीक्षा	**मूल नियम**	***दिनांक 06.06.2013 से प्रतिस्थापित**
	25- (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाएगा। (2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जाएंगे, अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा, जब तक अवधि बढ़ायी जाय। परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी। (3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं। (4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायें, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा। (5) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्गों में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।	25- (1) सेवा में फायर मैन और फायर स्टेशन सेकेन्ड आफिसर के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाएगा। (2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जाएंगे, अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा, जब तक अवधि बढ़ायी जाय। परन्तु यह कि आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी। (3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं। (4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायें, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा। (5) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।
स्थायीकरण	26- (1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा यदि ... (क) उसने विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया हो, (ख) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय और	

****उ0प्र0 अग्निशमन सेवा अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी सेवा(द्वितीय संशोधन)नियमावली 2013 द्वारा दि0 06.06.2013 से प्रतिस्थापित**

(ग) उसका सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय।

(2) जहाँ उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है, वहां उस नियमावली के नियम-5 के उपनियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुए आदेश कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

ज्येष्ठता

27. सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

भाग-सात वेतन इत्यादि

वेतनमान

28- (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय के वेतनमान निम्नवत दिये गये हैं :-

मूल नियम				*दिनांक 06.06.2013 से प्रतिस्थापित		
पद का नाम	वेतनमान		तत्सवृष ग्रेड-वेतन	वेतनमान		तत्सवृष ग्रे वेतन
	वेतन बैन्डका नाम	तत्सदृष वेतन बैन्ड(रू0)		वेतन बैन्डका नाम	तत्सदृष वेतन बैन्ड(रू0)	
फायरमैन	वेतन बैन्ड	5200-20200	1900	वेतन बैन्ड-1	5200-20200	2000
फायर सर्विस चालक	वेतन बैन्ड	5200-20200	2000	वेतन बैन्ड-1	5200-20200	2400
लीडिंग फायरमैन	वेतन बैन्ड	5200-20200	2000	वेतन बैन्ड-1	5200-20200	2400
अग्निशमन अधिकारी द्वितीय	वेतन बैन्ड	9300-34800	4200	वेतन बैन्ड-2	9300-34800	4200
अग्निशमन अधिकारी	वेतन बैन्ड	9300-34800	4600	वेतन बैन्ड-2	9300-34800	4600

परिवीक्षा अवधि वेतन

29 - (1) फण्डामेन्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबंध के होते हुए भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, तथा विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो एवं प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया हो और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा, के पश्चात तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो।

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो, इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये नहीं की जायगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो परिवीक्षा अवधि में वेतन, सुसंगत फण्डामेन्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगा

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण, परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये नहीं की जायगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

(4) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो परिवीक्षा अवधि वेतन सुसंगत फण्डामेन्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगा।

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये नहीं की जायगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(5) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा; अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप

***उ0प्र0 अग्निशमन सेवा अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी सेवा(द्वितीय संशोधन)नियमावली 2013 द्वारा दि0 06.06.2013 से प्रतिस्थापित**

	के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।	
भाग-आठ-अन्य उपबन्ध		
	मूल नियम	***दिनांक 06.06.2013 से प्रतिस्थापित**
पक्ष समर्थन	30-किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर चाहे लिखित हो या मौखिक विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थ प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा	30-किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर चाहे लिखित हो या मौखिक विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये एक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का प्रयास (दो) किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिरूपण या प्रतिरूपण उपाप्त करने का प्रयास, (तीन) गढ़े हुए दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज जिनसे छेड़छाड़ की गई है प्रस्तुत किया जाता है, (चार) कोई ऐसा अभिकथन किया जाय जो गलत हो या झूंठा हो या जो किसी तात्विक सूचना को छिपाता हो, (पांच) किसी अन्य अनियमित या अनुचित साधन का अवलम्ब लेने का प्रयास जो परीक्षा के लिए उसकी अभ्यर्थिता के संबंध में बोर्ड द्वारा इस रूप में माना जाय, या (छः) अपने लाभ के लिए या दूसरे अभ्यर्थी की मदद के लिए परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग या प्रयोग की कोशिश करने का प्रयास, (सात) पराभौतिक सत्ता या नेता के प्रति, बेतुकी भाषा को सम्मिलित करते हुए, कोई असंगत बात या कोई निशान लिखा जाय जिसे कि आलेख में पहचान की निशानी के रूप में माना जा सके, या (आठ) परीक्षा कक्ष में किसी अन्य रीति में दुर्व्यवहार किया जाय, या (नौ) परीक्षा संचालन के लिए बोर्ड द्वारा तैनात कर्मचारी को परेशान किया जाय या उन्हें कोई शारीरिक हानि पहुंचाने के लिये कुछ किया जाय या करने का प्रयास किया जाय, या (दस) उपरिवर्णित खंडों में विनिर्दिष्ट किसी कृत्य को, यथा स्थिति, करने का प्रयास या करने को दुष्प्रेरित किया जाता है, या (ग्यारह) अभ्यर्थियों को निर्गत किन्हीं शर्तो/अनुदेशों का उल्लंघन किया जाय, या (बारह) परीक्षा की प्रक्रिया के दौरान या बाद में अपनी सेवाओं के दौरान किसी भी समय कोई परस्पर विरोधी सूचना या बेमेल सूचना दिये जाने पर, वह स्वयं को आपराधिक अभियोजन का दायी होने के अतिरिक्त (क) बोर्ड द्वारा उस परीक्षा से, जिसके लिये वह अभ्यर्थी है, अयोग्य करार दिये जाने, या (ख) स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट अवधि के लिए (एक) बोर्ड द्वारा किसी परीक्षा में या उसके द्वारा चयन के लिये किसी साक्षात्कार में सम्मिलित होने से, या (दो) राज्य सरकार द्वारा उसके अधीन किसी सेवायोजन से, विवर्जित किये जाने का दायी होगा, परन्तु यह कि खंड (क) और (ख) के अधीन कोई शास्ति आरोपित नहीं की जाएगी जब तक कि अभ्यर्थी को सुनवाई का या अपने आचरण हेतु स्पष्टीकरण का बयान देने का अवसर नहीं दिया जाता है, या

*उ0प्र0 अग्निशमन सेवा अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी सेवा(द्वितीय संशोधन)नियमावली 2013 द्वारा दि0 06.06.2013 से प्रतिस्थापित

		(ग) यदि वह सरकारी सेवा में है तो सुसंगत नियमों के अधीन अनुशासनात्मक कार्यवाही का दायी होगा।
अन्य विषयों का विनियमन	31. ऐसे विषयों के संबंध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।	
सेवा की शर्तों में शिथिलता	32 -जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा रहते हुए, जिन्हें वह मामले में, न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी भर्ती के अधीन कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझें, अभिमुक्त या शिथिल कर सकते हैं।	
व्यावृत्ति	33- इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हों।	

परिशिष्ट-1

1. अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक निम्न प्रकार हैं :-

मूल नियम	*दिनांक 06.06.2013 से प्रतिस्थापित
फायरमैन/फायर सर्विस ड्राइवर की सीधी भर्ती के लिये शारीरिक मानक परीक्षण	फायरमैन और फायर स्टेशन सेकेन्ड आफिसर की सीधी भर्ती हेतु प्रक्रिया
ऊंचाई (1) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये - 168 सेंटीमीटर, (2) अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम ऊंचाई -160 सेन्टीमिटर **सीने का फुलाव** (1) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों/अनुसूचित जातियों के लिये फुलाने से पहले 81.3 सेंटीमीटर Qqykus ij &86.3 सेंटीमीटर (2) अनुसूचित जनजातियों के लिये फुलाने से पहले-79 सेंटीमीटर फुलाने पर-84 सेंटीमीटर टिप्पणी : न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है। 2. स्टेडियम/पुलिस लाईन जहां कहीं भी परीक्षण आयोजित हो, वहां परीक्षा आयोजन के पूर्व सूचना पट्ट (बोर्ड) पर इन परीक्षणों हेतु अर्हता के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक को अत्यंत प्रमुखता से प्रदर्शित किया जायेगा। 3. सम्पूर्ण राज्य में शारीरिक मानक परीक्षण पुलिस लाईन/स्टेडियम में आयोजित किया जाय। एक दिन में अभ्यर्थियों की संख्या 200 से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह परीक्षा उसी दिन आरंभ होनी चाहिए किन्तु गठित किये गए दलों की संख्या जिले में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर घट बढ़ सकती है। 4. दल के सदस्य, जो जानबूझकर गलत रिपोर्ट देते हुये पाये जाते हैं, दाण्डिक कार्यवाही के भागी होंगे। 5. इस अर्हकारी परीक्षा का परिणाम,	भरे जाने वाले पद के आधार पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया निम्नवत होगी :- (क) आवेदन (एक) कोई अभ्यर्थी किसी एक जनपद मात्र से ही आवेदन करेगा। परीक्षा केन्द्र के आवंटन के संबंध में अभ्यर्थी एकाधिक विकल्प दे सकता है। तथापि बोर्ड अभ्यर्थी द्वारा इंगित केन्द्रों से भिन्न केन्द्र आवंटित कर सकता है। (दो) आवेदन पत्र के साथ एक पृथक पुस्तिका संलग्न/नत्थी की जाएगी जिसमें शैक्षिक अर्हता, आयु, शारीरिक मानक, प्रत्येक परीक्षा हेतु अर्हता अंक और उनका पाठ्यक्रम, चिकित्सकीय स्वस्थतापरक अपेक्षाओं आदि के संबंध में सूचनात्मक विवरण दिया जाएगा और बोर्ड द्वारा समय समय पर यथा विहित दिशा निर्देशों के साथ-साथ अभ्यास हेतु ओ0एम0आर0 पत्रक की एक प्रति भी दी जाएगी। यह सूचना बोर्ड द्वारा अपने वेबसाईट पर या किसी पद्धति द्वारा भी जो आवश्यक समझी जाय, उपलब्ध करायी जाएगी। (तीन) अभ्यर्थियों को आवेदन हेतु पर्याप्त समय देते हुए बोर्ड द्वारा आवेदन आमंत्रित किये जाएंगे। उसकी शुद्धता और पूर्णता के लिए अभ्यर्थी व्यक्ति रूप से तथा पूर्णतः उत्तरदायी होगा। यदि किसी अभ्यर्थी का आवेदन पत्र अपूर्ण, गलत या त्रुटिपूर्ण सूचना युक्त पाया जाता है तो ऐसा आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। (चार) अभ्यर्थियों से सभी प्रमाणकों और दस्तावेजों को स्वतः प्रमाणित करने की अपेक्षा की जाएगी और वे उसकी वास्तविकता और शुद्धता के लिये जिम्मेदार होंगे। (पांच) आवेदन पत्र में समुचित रीति में पहचान विवरण यथा, अनन्य पहचान संख्या, अंगूठा एवं उंगलियों के निशान, फोटोग्राफ या बायोमेट्रिक्स को भी सम्मिलित किया जा सकता है जैसा कि बोर्ड द्वारा समय समय पर विहित किया जाय। (छः) बोर्ड को, अभ्यर्थी द्वारा दी गई किसी पूर्ववर्ती या पश्चातवर्ती सूचना में किसी अपूर्णता या अयथार्थता या फेरफार या विरुद्ध बात के लिये या भर्ती की प्रक्रिया के दौरान किसी अनियमितता के पाये जाने पर, आवेदक के अभ्यर्थन को सरसरी तौर से अस्वीकार करने का अधिकार होगा। (सात) सरकार किसी भर्ती के लिये, प्रथम परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित कर सकती है और किसी भी भर्ती को, भर्ती के किसी भी समय पर या चरण में, उसके लिये बिना कोई कारण बताये निरस्त कर सकती है। (ख) बुलावा पत्र अभ्यर्थियों के लिये बुलावा पत्र परीक्षा से कम से कम

*उ0प्र0 अग्निशमन सेवा अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी सेवा(द्वितीय संशोधन)नियमावली 2013 द्वारा दि0 06.06.2013 से प्रतिस्थापित

	परीक्षण के समाप्त होने के तत्काल बाद परीक्षणवाद प्रत्येक अभ्यर्थी के परिणामों का उल्लेख करते हुए माईक पर उद्घोषित किया जायेगा, और सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा और यदि संभव हो तो बोर्ड की वेबसाइट पर भी नित्य अपलोड किया जायेगा।	10 दिन पूर्व उपलब्ध कराये जाएंगे। (ग) प्रारंभिक लिखित परीक्षा : अभ्यर्थीगण अर्हकारी प्रकृति की एक प्रारंभिक लिखित परीक्षा में सम्मिलित होंगे। यह परीक्षा 300 अंकों की होगी जिसमें समुचित स्तर के सामान्य ज्ञान, समसामयिकी, तार्किक क्षमता और संख्यात्मक क्षमता के प्रश्न होंगे। अंकों का प्रश्नपत्रवार वितरण तथा विस्तृत पाठ्यक्रम बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। जो अभ्यर्थी अधिकतम अंकों का 35 प्रतिशत प्रापत करने में विफल रहता है वह भर्ती के लिए पात्र नहीं होगा। प्रारंभिक लिखित परीक्षा में जो अभ्यर्थी सफल होते हैं उनमें से रिक्तियों की कुल संख्या के अधिकतम दस गुने के बराबर संख्या में अभ्यर्थी श्रेष्ठता के आधार पर शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु पात्र होंगे। (घ) शारीरिक दक्षता परीक्षा- पात्र अभ्यर्थियों से एक शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी जो 100 अंकों का होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के आयोजन की प्रक्रिया परिशिष्ट 2क में यथा विहित रूप से होगी। (ङ) मुख्य लिखित परीक्षा- शारीरिक दक्षता परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले पात्र अभ्यर्थियों से मुख्य लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी और जिसके लिये 300 अंक होंगे। लिखित परीक्षा में सामान्य जानकारी, मानसिक क्षमता, तार्किकता और बोधगम्यता (कम्प्रिहेन्शन) के समुचित स्तर के प्रश्न होंगे। अंकों का प्रश्नपत्रवार विवरण तथा प्रत्येक प्रश्न पत्र हेतु पाठ्यक्रम बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जायेगा। जो अभ्यर्थी मुख्य लिखित परीक्षा में 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में विफल रहते हैं वे भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। टिप्पणी : प्रारंभिक और मुख्य लिखित परीक्षा के आयोजन की प्रक्रिया परिशिष्ट-4 में यथा वर्णित रूप से होगी। (च) दस्तावेजों की संवीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षण और चिकित्सकीय परीक्षण- बोर्ड, अभ्यर्थी द्वारा शारीरिक दक्षता परीक्षा और मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर, अधिसूचित रिक्तियों के प्रति राज्य आरक्षण नीति के अनुसार अभ्यर्थियों की प्रत्येक श्रेणी के लिये एक श्रेष्ठता सूची तैयार करेगा। उपर्युक्त अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की संवीक्षा परिशिष्ट 4क के अनुसार की जायेगी। संवीक्षा के दौरान या संवीक्षा के पश्चात किसी भी समय यदि कोई दस्तावेज छल साधित, अयथार्थ, उपचारित या कूट रचित पाया जाता है तो आवेदक का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी विधिक कार्यवाही के दायी होंगे। जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेज ठीक पाये जाते हैं, वे परिशिष्ट-3 के अनुसार शारीरिक मानक मापन और चिकित्सकीय परीक्षण को पूरा करेंगे। (छ) चयन और श्रेष्ठता सूची- (1) शारीरिक मानक परीक्षण और चिकित्सकीय परीक्षण के उपरान्त सफलता प्राप्त अभ्यर्थियों में से बोर्ड द्वारा एक श्रेष्ठता सूची तैयार की जाएगी। टिप्पणी : यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर-बराबर अंक प्राप्त
6.	शारीरिक मानक परीक्षण की परीक्षा के लिये भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन वाले मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग किया जाय।	

	करें तो श्रेष्ठता सूची को निम्न प्रक्रियानुसार अंतिम रूप दिया जाएगा :- (एक) ऐसे अभ्यर्थी को अधिमानी अर्हता हेतु, यदि कोई हो, अधिमान दिया जाये। एक से अधिक अधिमानी अर्हता पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी को केवल एक अधिमानी अर्हता का लाभ मिलेगा। (दो) यदि उपर्युक्त के बावजूद दो या अधिक अभ्यर्थी समान श्रेणी प्राप्त करें तो ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने लिखित परीक्षा में उच्चतर अंक प्राप्त किया हो। (तीन) यदि उपर्युक्त (एक) और (दो) के बावजूद दो या अधिक अभ्यर्थियों के बराबर बराबर अंक हों तो आयु में ज्येष्ठतर अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा। (चार) यदि उपयुक्त विचारणों के बाद भी अंक बराबर बराबर हों और जन्म दिनांक भी समान हो और मुख्य लिखित परीक्षा में भी अंक समान हों तो एसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसका हाई स्कूल प्रमाणपत्र में यथा उल्लिखित प्रथम नाम अंग्रेजी वर्णमाला के वर्ण क्रम में पहले आता हो। (पांच) श्रेष्ठता सूची को वेबसाइट/नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित किया जाएगा। (2) बोर्ड द्वारा, अभ्यर्थियों की उनकी श्रेष्ठता कम में, आरक्षण नीति दिशानिर्देशों तथा बोर्ड को अधिसूचित रिक्तियों की कुल संख्या को ध्यान में रखते हुए एक चयन सूची तैयार की जाएगी, जो कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चरित्र सत्यापन के अधीन रहते हुए होगी। अन्तिम चयन सूची विभागाध्यक्ष को अग्रसारित की जाएगी, जो उसे अनुमोदित करने के पश्चात अग्रतर कार्यवाही के लिये नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा। (ज) चरित्र सत्यापन- नियुक्ति पत्र जारी किये जाने के पूर्व संबन्धित नियुक्ति प्राधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण पर भेजे जाने के पहले, चरित्र सत्यापन का कार्य पूर्ण कराया जाएगा। सामान्यतया, चरित्र का सत्यापन एक माह के भीतर पूर्ण कर लिया जाएगा। किसी अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन के दौरान कोई प्रतिकूल तथ्य सामने आने पर, उसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और ऐसी रिक्तियों को अग्रतर चयन के लिये आगे ले जाया जाएगा।

परिशिष्ट-2 क

फायरमैन/फायर सर्विस ड्राइवर के पदों की सीधी भर्ती के लिये शारीरिक दक्षता परीक्षण

मूल नियम	*दिनांक 30.12.2011 से प्रतिस्थापित	**दिनांक 06.06.2013 से प्रतिस्थापित
शारीरिक दक्षता परीक्षण तीन सदस्यीय एक दल द्वारा किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:-	शारीरिक दक्षता परीक्षण तीन सदस्यीय एक दल द्वारा किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:-	सीधी भर्ती और विभागीय पदोन्नति हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षण
1. परगना मजिस्ट्रेट/डिप्टी	1. परगना मजिस्ट्रेट/डिप्टी कलेक्टर;	1. (क) शारीरिक दक्षता परीक्षण का

*उ0प्र0 अग्निशमन सेवा अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी सेवा(प्रथम संशोधन)नियमावली 2011 द्वारा दि0 30.12.2011 से प्रतिस्थापित
**उ0प्र0 अग्निशमन सेवा अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी सेवा(द्वितीय संशोधन)नियमावली 2013द्वारा दि0 06.06.2013 से प्रतिस्थापित

कलेक्टर; 2. चिकित्सक/क्रीड़ा अधिकारी/राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिकारी; 3. मुख्य अग्निशमन अधिकारी (क) अभ्यर्थियों से 60 मिनट में 10 किलोमीटर की दौड़ पूरा किया जाना अपेक्षित होगा। यह दौड़ केवल अर्हकारी हो। (ख) ऐसे प्रत्येक दल के लिये अभ्यर्थियों की संख्या एक दिन में 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए जिसमें कि परीक्षण की गुणवत्ता और प्रक्रिया प्रभावित न होने पाये। यह परीक्षण सम्पूर्ण राज्य में एक सप्ताह में पूर्ण किया जाएगा। अभ्यर्थियों की अत्यधिक संख्या को देखते हुए बोर्ड समयावधि बढ़ाने का निर्णय ले सकता है। (ग) प्रत्येक परीक्षण हेतु अर्हता के लिये न्यूनतम शारीरिक मानकों का प्रदर्शन स्टेडियम में सूचना पट्ट पर प्रमुखता से किया जायेगा, और जहां स्टेडियम उपलब्ध न हों वहां शारीरिक दक्षता परीक्षण पुलिस लाईन में आयोजित किया जाना चाहिये। (घ) शारीरिक दक्षता परीक्षण केवल अर्हकारी प्रकृति का है और इसका श्रेष्ठता सूची पर कोई प्रभाव न होगा। इस अर्हकारी परीक्षण का परिणाम सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जायेगा और जहां संभव हो बोर्ड की वेबसाइट पर नित्य अपलोड किया जायेगा। (ङ) जब भी 100 अभ्यर्थियों की परीक्षा पूरी हो जायं तो सफल अभ्यर्थियों की सूची परगना मजिस्ट्रेट/डिप्टी कलेक्टर और मुख्य अग्निशमन अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से	2. चिकित्सक/क्रीड़ा अधिकारी/राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिकारी; 3. मुख्य अग्निशमन अधिकारी (क) अभ्यर्थियों से 60 मिनट में 10 किलोमीटर की दौड़ पूरा किया जाना अपेक्षित होगा। यह दौड़ केवल अर्हकारी है। (ख) ऐसे प्रत्येक दल के लिये अभ्यर्थियों की संख्या एक दिन में 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए जिससे कि परीक्षण की गुणवत्ता और प्रक्रिया प्रभावित न होने पाये। यह परीक्षण सम्पूर्ण राज्य में एक सप्ताह में पूर्ण किया जाएगा। अभ्यर्थियों की अत्यधिक संख्या को देखते हुए बोर्ड समयावधि बढ़ाने का निर्णय ले सकता है। (ग) प्रत्येक परीक्षण हेतु अर्हता के लिये न्यूनतम शारीरिक मानकों का प्रदर्शन स्टेडियम में सूचना पट्ट पर प्रमुखता से किया जायेगा, और जहां स्टेडियम उपलब्ध न हों वहां शारीरिक दक्षता परीक्षण पुलिस लाईन में आयोजित किया जाना चाहिये। (घ) शारीरिक दक्षता परीक्षण केवल अर्हकारी प्रकृति का है और इसका श्रेष्ठता सूची पर कोई प्रभाव न होगा। इस अर्हकारी परीक्षण का परिणाम सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जायेगा और जहां संभव हो बोर्ड की वेबसाइट पर नित्य अपलोड किया जायेगा। (ङ) जब भी 100 अभ्यर्थियों की परीक्षा पूरी हो जायं तो सफल अभ्यर्थियों की सूची परगना मजिस्ट्रेट/डिप्टी कलेक्टर और मुख्य अग्निशमन अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से घोषित की जाएगी। (च) शारीरिक दक्षता परीक्षण दल के जो सदस्य जानबूझकर गलत रिपोर्ट देते हुये पाये जाते हैं, दाण्डिक कार्यवाही के भागी होंगे। (छ) शारीरिक दक्षता परीक्षण का परिणाम अभ्यर्थियों को उसी दिन उपलब्ध कराया जायेगा। सभी अभ्यर्थियों	आयोजन एक दल द्वारा किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :- (एक) जिले के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट उप कलेक्टर (दो) जिला के ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/पी0ए0सी0 कमान्डेन्ट के द्वारा नाम निर्दिष्ट पुलिस उप अधीक्षक (तीन) जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट चिकित्सा अधिकारी (ख) दल में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्प संख्यक वर्ग प्रत्येक का कम कम एक अधिकारी होगा। यदि आवश्यक हो तो जिले का जिला मजिस्ट्रेट, उल्लिखित तीनों श्रेणियों से प्रत्येक का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने हेतु दल के लिये अतिरिक्त सदस्य (यों) को नामित करेगा। (ग) दल को अध्यक्षता जिले के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित उप कलेक्टर द्वारा की जाएगी। (घ) परीक्षा के आयोजन हेतु समिति किसी अन्य विशेषज्ञ(ज्ञों) की सहायता से सकती है। 2. केवल सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थियों के समयमाप के आधार पर दौड़ के लिये अंक आबंटित किये जाएंगे। तथापि,विभागीय पदोन्नति हेतु दौड़ के लिये कोई अंक नहीं दिये जाएंगे, जो कि अर्हकारी प्रकृति की होगी। 3. दल द्वारा नीचे दी गई प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा :- (क) प्रतिदिन हेतु परीक्षणार्थ अभ्यर्थियों की संख्या का अवधारण बोर्ड द्वारा परीक्षणार्थ कुल लोगों की संख्या और विद्यमान परिस्थितियों के आधार पर विनिश्चित किया जाएगा। (ख) विभिन्न समयमापों के लिये अंकों के व्यवस्था क्रम को परीक्षा स्थल के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जाएगा। (ग) दल के द्वारा मानव चालित समय मापन का प्रयोग किये जाने की अनुमति नहीं

घोषित की जाएगी। (च) शारीरिक दक्षता परीक्षण दल के जो सदस्य जानबूझकर गलत रिपोर्ट देते हुये पाये जाते हैं, दाण्डिक कार्यवाही के भागी होंगे। (छ) शारीरिक दक्षता परीक्षण का परिणाम अभ्यर्थियों को उसी दिन उपलब्ध कराया जायेगा। सभी अभ्यर्थियों के परीक्षण परिणाम सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किये जायेंगे और बोर्ड की वेबसाइट यथासंभव नित्य अपलोड की जाएगी। (ज) शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों से, तहसील मुख्यालय और जिला चिकित्सालयों के अभिहित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकीय स्वस्थता परीक्षण पूरा करने की अपेक्षा की जाएंगी। (झ) शारीरिक दक्षता परीक्षण की परीक्षा के लिये भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन वाले मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग किया जाय।	के परीक्षण परिणाम सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किये जायेंगे और बोर्ड की वेबसाइट यथासंभव नित्य अपलोड की जाएगी।	होगी। सटीकता/यथार्थता एवं पारदर्शिता को सुनिश्चित करने तथा प्रतिरूपण को निवारित करने के लिए स्टैन्डर्ड इलेक्ट्रानिक टाइमिंग इक्विपमेंट के साथ सी0सी0टी0वी0 कवरेज और एडिक्वेट बैकअप सहित बायोमेट्रिक्स का प्रयोग किया जाएगा। (घ) इस परीक्षा के परिणाम को परीक्षा-स्थल के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जाएगा और यदि संभव हो तो बोर्ड के वेबसाइट पर भी यथाशीघ्र प्रदर्शित किया जाएगा। (ङ) परीक्षण अभिकरण, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुये आयोजक दल के सदस्य यदि ऐसा कार्य करते हैं जो गलत है, या कोई ऐसा कार्य नहीं करते हैं जो उसे करना चाहिये और जिससे किसी अभ्यर्थी को अनुचित लाभ या हानि हो सकती है तो वे आपराधिक कार्यवाही और/या आवश्यक विभागीय कार्यवाही के दायी हो सकते हैं। (च) शारीरिक दक्षता परीक्षा का परिणाम अभ्यर्थियों को उसी दिन उपलब्ध कराया जाएगा। सफल अभ्यर्थियों की सूची, दल के सदस्यों के संयुक्त हस्ताक्षरों से घोषित की जाएगी। (छ) बहिर्कक्षीय परीक्षण ऐसे होंगे कि उसके परिणामों को न्यूनतम मानव/शारीरिक हस्तक्षेप के साथ यांत्रिक रूप से मापा और अभिलिखित किया जा सके। शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिये केवल स्टैन्डर्ड उपकरण, जो अधिमानतः इंडियन स्टैन्डर्ड इंस्टीट्यूट प्रमाणक युक्त हों, का प्रयोग किया जाएगा। (ज) अभ्यर्थियों से, उनको समनुदिष्ठ दिनांक और समय पर उपस्थित होने की अपेक्षा की जाएगी। किसी समय विशेष पर परीक्षित किये जाने वाले अभ्यर्थियों के किसी समूह के लिये बोर्ड द्वारा, ऐसे कारणों से, जो उनके नियंत्रण से परे हों और लिखित में अभिलिखित किये जाएं, परीक्षा का दिनांक और समय परिवर्तित किया जा सकता है। यदि नियत दिनांक को कोई अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा में उपस्थित होने में विफल रहता है तो उसे उस परीक्षा में विफल माना जाएगा। कोई अभ्यर्थी जो

		परीक्षा में उपस्थित होने में विफल रहने या विहित मानक न प्राप्त करने के कारण असफल हो जाता है, उसे दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा और स्वास्थ्य कारण या चाहे किसी अन्य कारण के आधार पर पुनः परीक्षण के लिये कोई अपील नहीं की जाएगी। 4. फायरमैन के पद पर सीधी भर्ती हेतु फायरमैन की सीधी भर्ती हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षण में अभ्यर्थियों हेतु 4.8 किमी0 की दौड़ होगी जिसे 30 मिनट में पूर्ण करना होगा। जो अभ्यर्थी नियत समय में दौड़ पूरी नहीं कर पाते हैं वे परीक्षा के अगले चरण में जाने के लिये अर्ह नहीं होंगे। **4.8 किमी0 दौड़ (अर्हकारी समय 30 मिनट)** **मिनटों (') तथा सेकेण्डों (") में दौड़ हेतु समय** से (सम्मिलित करते हुये) / तक (सम्मिलित करते हुये) / अंक 00' 00" / 20' / 100 20' 01" / 25' / 80 25' 01 / 30' / 60 5. फायर स्टेशन सेकेण्ड आफिसर के पद पर सीधी भर्ती हेतु : फायर स्टेशन सेकेण्ड आफिसर की सीधी भर्ती हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षण में अभ्यर्थियों हेतु 4.8 किमी0 की दौड़ होगी जिसे 35 मिनट में पूर्ण करना होगा। जो अभ्यर्थी नियत समय में दौड़ पूरी नहीं कर पाते हैं वे परीक्षा के अगले चरण में जाने के लिये अर्ह नहीं होंगे। **4.8 किमी0 दौड़ (अर्हकारी समय 35 मिनट)** **मिनटों (') तथा सेकेण्डों (") में दौड़ हेतु समय** से (सम्मिलित करते हुये) / तक (सम्मिलित करते हुये) / अंक 00' 00" / 23' / 100 23' 01" 01" / 27' / 80

		27' 01 35' 60 टिप्पणी : समय की गणना निकटतम सेकेन्ड में की जाएगी। 6. फायर सर्विस चालक, लीडिंग फायरमैन और फायर स्टेशन सेकेन्ड आफिसर के पद हेतु पदोन्नति के लिये शारीरिक दक्षता परीक्षण :- शारीरिक दक्षता परीक्षण में 3.2 कि0मी0की दौड़ होगी जिसे अभ्यर्थी को 30मिनट में पूरा करना होगा।

परिशिष्ट-2 ख

मूल नियम	*दिनांक 06.06.2013 से प्रतिस्थापित
अग्निशमन सेवा चालक के पद पर सीधी भर्ती के लिये व्यवसायिक दक्षता परीक्षण	अनुपयुक्त को अस्वीकार कते हुये ज्येष्ठता के आधार पर प्रोन्नति के माध्यम से भर्ती हेतु चयन समिति का गठन और शक्तियां
व्यवसायिक दक्षता परीक्षण चार सदस्ययी एक दल द्वारा ली जायेगी। जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. परगना मजिस्ट्रेट/डिप्टी कलेक्टर, 2. चिकित्सक अधिकारी/क्रीड़ा अधिकारी/राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिकारी/मनोचिकित्सक 3. मुख्य अग्निशमन अधिकारी। 4. सम्भाग के परिवहन अधिकारी या उसका, नाम निर्देशिती जो सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो। (क) 05 किमी0 की चालन परीक्षा, जिसमें निम्नलिखित बिन्दुओं पर उनके सम्मुख अंकित अंकों पर ध्यान देते हुए विचार किया जायेगा- बिन्दु अंक 1.ट्राफिकसिग्नलपरीक्षा 20 2.वाहन का चालन एवं अनुरक्षण तथा मोटर पार्टस कीजानकारा 20 3.मनोवैज्ञानिक परीक्षा 10	अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड के माध्यम से चयन द्वारा प्रोन्नति के माध्यम से भर्ती हेतु आशयित रिक्तियों का चयन समिति की संस्तुतियों के आधार पर भरा जाएगा। (क) चयन समिति (एक) चयन समिति का गठन सरकारी आदेशों के अनुसार किया जाएगा। (दो) इसकी अध्यक्षता पुलिस महानिरीक्षक के एक अधिकारी द्वारा की जाएगी जो बोर्ड के अध्यक्ष का नामिती होगा। (तीन) इसमें अग्निशमन सेवा का उप महानिरीक्षक समिति के पदेन सदस्य के रूप में होगा जो शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसरण में चयन समिति के समक्ष पात्र अभ्यर्थियों की निर्विवादित चयन सूची भी प्रस्तुत करेगा। (चार) यह महानिदेशक/अपर महानिदेशक, अग्निशमन सेवा उ0प्र0 के एक नामिती का नाम देगीं, जो पुलिस अधीक्षक की पंक्ति (रैंक) से नीचे का न होगा। (पांच) इसमें पुलिस सेवा के राजपत्रित पंक्ति (रैंक) के दो अन्य सदस्य होंगे जिन्हें बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा नामित किया जायेगा। (ख) चयन समिति अपनी संस्तुतियों के साथ साथ, पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों की एक सूची अग्निशमन सेवा के महानिदेशक/अपर महानिदेशक को प्रस्तुत करेगी। सूची अधिसूचित रिक्तियों से अधिक नहीं होगी। टिप्पणी : बोर्ड का अध्यक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि चयन समिति में अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों प्रत्येक का कम से कम एक प्रतिनिधि हो।

*उ0प्र0 अग्निशमन सेवा अधीनस्थ अधिकारी / कर्मचारी सेवा(द्वितीय संशोधन)नियमावली 2013द्वारा दि0 06.06.2013 से प्रतिस्थापित

परिशिष्ट-3

सीधी भर्ती के लिये चिकित्सकीय परीक्षण

मूल नियम	*दिनांक 30.12.2011 से प्रतिस्थापित	**दिनांक 06.06.2013 से प्रतिस्थापित
चिकित्सा परीक्षा बोर्ड	**चिकित्सा परीक्षा बोर्ड**	**फायरमैन और फायर स्टेशन सेकेण्ड आफिसर की सीधी भर्ती हेतु शारीरिक मानक परीक्षण तथा चिकित्सकीय परीक्षण**
जिन अभ्यर्थियों ने शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है वे अधिसूचित केन्द्रों पर (जिला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला चिकित्सलय और तहसील सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र) जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा गठित चिकित्सा परि... द्वारा चिकित्सकीय परीक्षण कराएंगे। प्रत्येक चिकित्सा परिषद के लिये अभ्यर्थियों की संख्या (एक दिन में 50 से अनधिक) इस प्रकार निर्धारित की जायेगी कि उससे चिकित्सकीय परीक्षण की गुणवत्ता और प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी। सम्पूर्ण राज्य में चिकित्सकीय परीक्षण एक सप्ताह में पूर्ण कर लिया जाएगा। यदि अभ्यर्थियों की अधिक संख्या के कारण अधिक समय की अपेक्षा हो तो बोर्ड अपने स्तर पर निर्णय लेकर अपेक्षित समय का विनिश्चय कर सकता है। जहां कहीं भी परीक्षण आयोजित होता है, परीक्षा, आयोजन के पूर्व चिकित्सकीय परीक्षण हेतु अर्हता के लिये न्यूनतम अपेक्षाओं को जिला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला चिकित्सालय और तहसील सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के सूचना पट्ट पर अत्यंत प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाय। चिकित्सकों द्वारा अभ्यर्थियों का परीक्षण चिकित्सा मैनुअल के अनुसार किया जाएगा।	मुख्य लिखित परीक्षा और समूह परिसंवाद के समापन पर, ऐसे अभ्यर्थियों का जिन्होंने अन्तिम तत्कालिक चयन सूची में स्थान प्राप्त किया है,अधिसूचित केन्द्रों (जिला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मुख्य लिखित परीक्षा और समूह परिसंवाद के समापन पर, ऐसे अभ्यर्थियों का जिन्होंने अन्तिम तत्कालिक चयन सूची में स्थान प्राप्त किया है,अधिसूचित केन्द्रों (जिला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला चिकित्सालय और तहसील सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र) पर जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा गठित एक चिकित्सा बोर्ड द्वारा चिकित्सकीय परीक्षण किया जायेगा। इस प्रक्रिया पर्यवेक्षण नियुक्त प्राधिकारी द्वारा किया प्रत्येक चिकित्सा बोर्ड के लिए अभ्यर्थियों की संख्या इस प्रकार विनिश्चित की जायेगी (एक दिन में 50 से अनधिक) कि चिकित्सकीय परीक्षण की	एक-चिकित्सकीय परीक्षण बोर्ड- 1. मुख्य लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा में पात्र पाये गए तथा छांटे गये अभ्यर्थी, जिनके दस्तावेज परिशिष्ट 4क के अनुसार संवीक्षा पश्चात् ठीक पाये गए हैं, चिकित्सकीय परीक्षण देंगे। 2. चिकित्सकीय परीक्षण जहां हो रहा है उस जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा एक चिकित्सकीय बोर्ड का गठन किया जएगा, जिसमें अल्पसंख्यक, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों प्रत्येक का एक प्रतिनिधि होगा। चिकित्सा बोर्ड द्वारा अभ्यर्थियों का परीक्षण ''पुलिस रिक्रूटमेंट मेडिकल इक्जमिनेशन फार्म'' के अनुसार किया जाएगा जैसा कि महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य के परामर्श से विभागाध्यक्ष द्वारा विहित एवं कूट चिन्हित किया गया हो। यह प्रपत्र बोर्ड के वेबसाइट पर उपलब्ध होगा और चिकित्सकीय परीक्षण के स्थान पर भी प्रदर्शित किया जाएगा। 3. नीचे बिन्दु तीन द्वारा विहित पैरामीटर के अतिरिक्त, चिकित्सकीय परीक्षण में अभ्यर्थी की लम्बाई और सीने की माप को सम्मिलित करते हुए होंगे। शारीरिक मानक परीक्षण भी सम्मिलित (दो) शारीरिक मानक परीक्षण अभ्यर्थी हेतु न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है : 1. लम्बाई : (1) सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग और सेंटी अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों हेतु- 168से0मी0 (2) जनजातीय अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम लंबाई- 160से0मी0 2. सीने की माप : (1)सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति हेतु- बिना फुलाये 79 से.मी. फुलाव सहित 84 से.मी. (2) जनजातियों हेतु- बिना फुलाये 77 से.मी.

*उ0प्र0 अग्निशमन सेवा अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी सेवा(प्रथम संशोधन)नियमावली 2011 द्वारा दि0 30.12.2011 से प्रतिस्थापित

**उ0प्र0 अग्निशमन सेवा अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी सेवा(द्वितीय संशोधन)नियमावली 2013 द्वारा दि0 06.06.2013 से प्रतिस्थापित

	गुणवत्ता और प्रक्रिया प्रभावित न होने पाये। चिकित्सकीय परीक्षण राज्य भर में एक सप्ताह में पूर्ण कर लिया जायेगा। यदि चिकित्सकीय परीक्षण के लिए अभ्यर्थियों की संख्या अधिक हो, तो नियुक्त प्राधिकारी के स्तर पर आवश्यकतानुसार समय बढ़ाये जाने का निर्णय लिया जा सकता है। चिकित्सकीय परीक्षण के संचालन के पूर्व, चिकित्सकीय परीक्षणार्थ न्यूनतम अपेक्षाओं को जिला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला चिकित्सालय या तहसील सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जहाँ चिकित्सकीय परीक्षण आयोजित किया जा रहा है,के सूचना पट्ट पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जायेगा।	फुलाव सहित 82 से.मी. टिप्पणी : 1. न्यूनतम 5 से.मी. का फुलाव अनिवार्य है। टिप्पणी : 2. प्रत्येक परीक्षण हेतु न्यूनतम शारीरिक मानकों को परीक्षा आयोजन के पूर्व स्टेडियम/पुलिस लाइन, जहां कहीं भी परीक्षा/आयोजित है वहां पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा। टिप्पणी 3. शारीरिक मानक परीक्षण हेतु केवल स्टैन्डर्ड उपकरण जो आई.एस.आई. प्रमाणक युक्त हों या बॉट-माप निदेशालय द्वारा विधिवत् प्रमाणित हो, प्रयोग किये जाएंगे। (तीन) चिकित्सकों द्वारा मेडिकल मैनुअल के अनुसार परीक्षण किया जाना :- (क) चिकित्सकों द्वारा मेडिकल मैनुअल, यदि कोई हो, के अनुसरण में अभ्यर्थियों का परीक्षण किया जाएगा और चिकित्सकीय परीक्षण के दिन ही परिणाम घोषित किया जाएगा। (ख) दिन की समाप्ति पर परिसर के बाहर सूचना पट्ट पर चिकित्सा परीक्षण के परिणाम को प्रदर्शित किया जाएगा। (ग) अपने चिकित्सकीय परीक्षण के असंतुष्ट कोई अभ्यर्थी परीक्षण के दिनांक को ही, उस जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को अपील दायर कर सकता है, जहां चिकित्सा परीक्षा हुई है। अपने चिकित्सा परीक्षण और परिणाम घोषित के दिन को अपील दायर करने में यदि अभ्यर्थी विफल रहता है तो चिकित्सा परीक्षण संबंधी कोई अपील ग्रहण नहीं की जाएगी। इस प्रयोजनार्थ गठित चिकित्सा बोर्ड द्वारा अपील दायर करने के एक माह के भीतर निस्तारित की जानी चाहिये। (घ) चिकित्सा परिषद के जो सदस्य जानबूझ कर गलत रिपोर्ट देते हुए पाये जाते हैं वे अपराधिक कार्यवाही के दायी होंगे। (ङ) चिकित्सकीय परीक्षण मात्र अर्हकारी प्रकृति का है और इसका श्रेष्ठता सूची पर कोई प्रभाव न होगा।

परिशिष्ट-4

मूल नियम	*दिनांक 06.06.2013 से प्रतिस्थापित
फायरमैन/फायर ड्राइवर चालक के पदों की सीधी भर्ती के लिये लिखित परीक्षा,	फायरमैन और फायर स्टेशन सेकेण्ड आफिसर के पदों पर सीधी भर्ती हेतु लिखित परीक्षा
लिखित परीक्षा के पूर्व प्रत्येक अभ्यर्थी का चिकित्सा परीक्षण अनिवार्य है। चिकित्सा परीक्षण में सफल अभ्यर्थी प्रधान डाकघर/बैंक के माध्यम से कम्प्यूटरीकृत फोटो बुलावा पत्र पुनः प्राप्त करेंगे जहां से बुलावा पत्र भेजा गया था। (क) दोनों हथेलियों के अंगूठा निशान फोटो, डाक का पता, परीक्षा का दिनांक, जिला का नाम इत्यादि से संबंधित समस्त विवरण बुलावा पत्र में	लिखित परीक्षा की प्रक्रिया- (क) अभ्यर्थीगण अपने ही हस्तलेख में लिखित परीक्षा देंगे और किसी भी कारणवश उन्हें कोई मुंशी (स्क्राब) नहीं दिया जाएगा। (ख) लिखित परीक्षा वर्णनात्मक प्रकार या बहु विकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार की हो सकती है

उल्लिखित किये जायेंगे।

(ख) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि परीक्षा के प्रारंभ, होने के एक सप्ताह पूर्व अभ्यर्थी के पास बुलावा पत्र अवश्य पहुंच जाय। यदि कोई अभ्यर्थी एक सप्ताह पूर्व बुलावा पत्र नहीं प्राप्त करता है तो वहां बोर्ड की हेल्पलाईन मोबाइल/लैण्डलाईन टेलीफोन या वेबसाइट के माध्यम से सम्पर्क करके इसकी दूसरी प्रति प्राप्त कर सकता है।

(ग) लिखित परीक्षा पूरे राज्य में एक ही दिनांक और समय पर आयोजित की जायेगी।

(घ) वस्तुनिष्ठ प्रश्नपत्र की शैली निम्नलिखित रीति में होंगी :-

1	सामान्य अंक	50 अंक	30 मिनट
2	आंकिक और मानसिक सामर्थ्य परीक्षण	50 अंक	30 मिनट
3	अभिरूचि परीक्षण	50 अंक	30 मिनट
4	बुद्धिशक्ति परीक्षण	200 अंक	2:00घण्टे

टिप्पणी-प्रश्नों का स्तर कर्तव्य संबंधी रूपरेखा के अनुकूल होगा।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र तैयार करते समय बोर्ड अल्पकालिक सदस्यों जो विषय विशेष हैं, का परामर्श प्राप्त कर सकता है।

(ङ)प्रश्नपत्रों का खाका बोर्ड के सदस्यों द्वारा बनाया जायेगा। प्रश्नपत्रों के दस सेट बनाये जायेंगे और बाह्य सहायित एजेंसी को दिये जायेंगे।

(च)एक परीक्षा केन्द्र पर प्रश्नपत्रों की पांच सीरीज दी जायेंगी (सिविल, सेवा प्रारंभिक परीक्षा की शैली के अनुसार)। बाह्य सहायित एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि प्रश्न पत्रों के उत्तर की कुंजी प्रश्नपत्रों के साथ नहीं भेजा जाये।

(छ)एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि प्रश्नपत्रों के बण्डल जिलावार/केन्द्रवार और कक्षवार/पंक्तिवार भी बनाये जाये जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि आस-पास बैठने वाले अभ्यर्थियों को भिन्न भिन्न सीरीज के प्रश्नपत्र वितरित किये जाये।

(ज)उत्तर पत्रक ओ0एम0आर0 पत्रक पर होगा जिसमें चार विकल्प दिये जायेंगे और अभ्यर्थी से यह अपेक्षित है कि वह उनमें से किसी एक को चुनें।

(झ)अभ्यर्थी का चेहरा प्रवेश पत्र में चिपकाये गये फोटो से अवश्य मिलना चाहिए।

(ञ)कक्ष अन्तरीक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि अभ्यर्थी ने अपना नाम, अनुक्रमण ठीक-ठीक भरा है और ओ0एम0आर0 शीट का कोई भी स्तम्भ बिना भरा नहीं है।

(ट)ओवरराइटिंग/कटिंग या सफेदा के प्रयोग की अनुमति किसी भी परिस्थिति में न दी जाय।

(ठ)अभ्यर्थियों को ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक की कार्बन प्रति अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी।

(ड)कक्ष अन्तरीक्षक के साथ-साथ परीक्षा केन्द्र के अधीक्षक से यह प्रमाण पत्र देने की अपेक्षा की जाती है कि उनके परीक्षा केन्द्र पर किसी

और स्पष्ट रूप से इंगित की जाएगी।

(ग) लिखित परीक्षा के पश्चात उत्तर पुस्तिकाएं केन्द्रवार मुहरबंद आवरणों में, जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा उपलब्ध कराई गई सुरक्षित अभिरक्षा में बोर्ड को भेजी जाएंगी।

(घ) वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षाओं में अभ्यर्थियों द्वारा सभी प्रश्नों के उत्तरों को, उत्तर कुंजी के साथ बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।

(ङ) अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र इस प्रकार दिया जाएगा कि प्रश्नों का क्रम तथा प्रश्न विशेष के उत्तरों का क्रम क्रमानुसार न हो। प्रत्येक प्रश्न पत्र की एक विशिष्ट पहचान संख्या या क्रमांक होगा और जहां ऐसा अनुदेशित हो वहां अभ्यर्थियों से बोर्ड द्वारा जारी निर्देशानुसार उत्तर पत्रक पर इसे अंकित करने की अपेक्षा की जाएगी। जहां ऐसा अनुदेशित हो और अभ्यर्थी ऐसा करने में विफल रहे तो उस उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थी को कोई अंक नहीं मिलेंगे।

(च) एक या अधिक प्रश्न पत्रों में, किसी प्रश्न के गलत होने की दशा में या बोर्ड की राय में उत्तर का विकल्प अनन्य/ठीक न होने या किसी भी अन्य कारण से जो लिखित में दिया जायगा, बोर्ड द्वारा किसी प्रश्न को निरस्त किया जा सकता है। चाहे किसी भी कारण से प्रश्न/प्रश्नों के निरस्त किये जाने की दशा में, निरस्त प्रश्न हेतु आबंटित अंकों को अभ्यर्थी द्वारा अन्य प्रश्नों में प्राप्त अंकों के आधार पर समायोजित किया जाएगा।

(छ) बोर्ड द्वारा परीक्षा के लिए एक विस्तृत पाठक्रम विनिर्दिष्ट किया जाएगा। तथापि यह पाठक्रम सांकेतिक प्रकार का होगा और पाठक्रम द्वारा प्रश्न आच्छादित न होने संबंधी विषयों पर परीक्षा के बाद कोई अपील या आपत्ति नहीं की जायेगी।

(ज) बोर्ड प्रश्न पत्र को खण्डों में विभक्त कर सकता है और दो या अधिक विषयों को एक प्रश्न पत्र में, दो या अधिक प्रश्न पत्रों को निरन्तरता में जोड़ सकता है।

(झ) बोर्ड, किसी परीक्षा के लिये न्यूनतम

भी अभ्यर्थी ने ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक को खाली नहीं छोड़ा है। यदि किसी अभ्यर्थी ने ऐसा किया है तो अभ्यर्थी का नाम और अनुक्रमांक सहित पृथक-पृथक सम्पूर्ण विवरण लिखित रूप में दिया जाय। ऐसे कक्ष अन्तरीक्षक और केन्द्र अधीक्षक जो जानबूझकर गलत सूचना प्रस्तुत करते हैं, दाण्डिक कार्यवाही के भागी होंगे। (ढ)लिखित परीक्षा समाप्त हो जाने के पश्चात उत्तर पुस्तिकाओं/पत्रकों को जिला मजिस्ट्रेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के माध्यम से समुचित सुरक्षा घेरे में परीक्षा केन्द्रों की सूची के साथ मुहरबंद आवरण में बोर्ड के कार्यालय में जमा करा दिया जायेगा। (ण)बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि उत्तर पत्रक मुख्यालय में तत्काल पहुंच जाय और भिन्न-भिन्न सीरिजों के प्रश्नों के सही उत्तर अन्तिम श्रेष्ठता सूची की घोषणा के साथ वेबसाइट पर प्रकाशित किये जायें जिससे अभ्यर्थी को अपने अंक स्वयं जानने में सुविधा हो सके। यदि किसी अभ्यर्थी को यह अनुभव हो कि प्रकाशित उत्तर गलत है तो उसे बोर्ड की हेल्पलाईन/वेबसाइट के माध्यम से 07 दिनों के भीतर लिखित रूप में आपत्ति अवश्य दाखिल करनी चाहिए। बोर्ड से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आगामी 07 दिनों के भीतर ऐसी सभी आपत्तियों का निस्तारण करे। (त)उपर्युक्त 07 दिनों के भीतर उत्तर पत्रकों की जांच का कार्य अवश्य पूर्ण कर लिया जाय और अंतिम श्रेष्ठता सूची यथासंभव शीघ्र अवश्य प्रकाशित कर दी जाय। अंतिम चयन सूची के प्रकाशन के पूर्व सभी आपत्तियों का निस्तारण अवश्य कर दिया जाय। (थ)प्रश्न पत्रों को परीक्षा आरम्भ होने के एक दिन पूर्व बाह्य एजेंसी और नोडल अधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन जिले में लगाया जायेगा और कोषागार में दोहरे ताले में रखा जायेगा। परीक्षा के दिन प्रश्न पत्रों को सेक्टर मजिस्ट्रेट के पर्यवेक्षण में परीक्षा केन्द्र पर लगाया जायेगा और परीक्षा की समाप्ति के पश्चात उपस्थिति पत्रक और उत्तर पत्रकों के साथ इन प्रश्न पत्रों को सेक्टर मजिस्ट्रेट के पर्यवेक्षण में पुनः कोषागार में जमा करा दिया जायेगा, जहां से नोडल अधिकारी द्वारा ले जाकर बोर्ड के लखनऊ स्थित कार्यालय में जमा करा दिया जायेगा।	उत्तीर्ण प्रतिशत नियत कर सकता है और अपने विवेकाधीन ऐसे अभ्यर्थियों का अग्रतर परीक्षण नहीं कर सकता है जो किसी पूर्ववर्ती चरण में विफल रहे हैं। (ञ) अभ्यर्थियों को दिये गये निर्देशों के सिवाय, किसी अभ्यर्थी द्वारा अपने उत्तर पत्रक में किया गया कोई हस्ताक्षर, नाम या विषयेतर चिन्ह, बोर्ड के विवेकानुसार उसके अभ्यर्थन की अनर्हता में परिणत हो सकता है। (ट) वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नपत्रों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन बाह्यसहायित अभिकरण द्वारा और वर्णनात्मक प्रकार के प्रश्नपत्रों का मूल्यांकन बोर्ड द्वारा प्राधिकृत अध्यापकों/आचार्यों/व्यक्तियों (जो विषय से संबंधित है) द्वारा कराया जाएगा।

परिशिष्ट– 4 क

फायरमैन तथा फायर स्टेशन , सेकण्ड आफिसर के पद पर सीधी भर्ती हेतु दस्तावेजों की संवीक्षा

सीधी भर्ती हेतु दस्तावेजों की संवीक्षा –

(1) विहित परीक्षाओं में पात्र पाये गये तथा छॉटे गये सभी अभ्यर्थियों को दस्तावेजों की संवीक्षा के लिये बुलाया जायेगा जो कि चिकित्सा परीक्षण के पूर्व निम्नवत कराया जायेगाः–

(2)(क)– पात्रता, आयु शिथिलता, अधिमानी अर्हता आदि संबंधी सभी दस्तावेजों को मूल रूप में उसी दिन जॉचा जायेगा जिस दिन अभ्यर्थी को चिकित्सा परीक्षण के लिये बुलाया जाता है। दस्तावेजों की संवीक्षा एक समिति द्वारा की जायेगी जिसमें निम्नलिखित होगें :–

(एक)– जिले के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित उप कलेक्ट्रर ,

(दो)– जिले के ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक /पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित एक पुलिस उप अधीक्षक,

(तीन)– जिले का जिला विद्यालय निरीक्षक ।

(ख)–दल में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछडे और अल्प संख्यक वर्ग, प्रत्येक का कम से कम एक अधिकारी होगा। यदि आवश्यक हो तो जिले का जिला मजिस्ट्रेट उल्लिखित तीनों वर्गो से प्रत्येक के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने हेतु दल के लिये अतिरिक्त सदस्य(यों) को नामित कर सकता है।

(ग)– यदि दल की अध्यक्षता जिले के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित उप कलेक्ट्रर द्वारा नामित की जायेगी।

(घ) दस्तावेजों का आवेदन पत्र में दी गयी सूचना से मिला किया जायेगा।

परिशिष्ट-5

<table>
<tr><th>मूल नियम</th><th>'दिनांक 30.12.2011 से प्रतिस्थापित</th><th>''दिनांक 06.06.2013 से प्रतिस्थापित</th></tr>
<tr><td>विभागीय परीक्षा के माध्यम से फायरसर्विस ड्राइवर/लीडिंग फायरमैन के पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया</td><td>विभागीय परीक्षा के माध्यम से फायरसर्विस ड्राइवर/लीडिंग फायरमैन के पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया</td><td>विभागीय परीक्षा के माध्यम से फायर स्टेशन सेकेण्ड आफिसर के पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया</td></tr>
<tr><td>क- विषय/अंकों को निम्नलिखित रीति में अवधारित किया जायेगा :-
1-बुद्धि शक्ति/तर्क शक्ति/मानसिक अभिरूचि परीक्षण (प्रश्नपत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा)
- 50 अंक
2-निबंध (जो अग्नि से बचाव/अग्नि से सुरक्षा, जीवन रक्षा, सामान्य ज्ञान और आपदा प्रबंधन से संबंधित होंगे) - 50 अंक
3-सेवा अभिलेख –
50 अंक होंगे जिसमें से अधिकतम
20 अंक वार्षिक प्रविष्टियों के लिए,
20 अंक प्रशिक्षण के लिए
05 अंक पुरस्कार/विशेष प्रविष्टि के लिए और</td><td>1-बुद्धि शक्ति/तर्क शक्ति/मानसिक अभिरूचि परीक्षण (प्रश्नपत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा) - 50 अंक
2-निबंध (जो अग्नि से बचाव/अग्नि से सुरक्षा, जीवन रक्षा, सामान्य ज्ञान और आपदा प्रबंधन से संबंधित होंगे) - 50 अंक
3-सेवा अभिलेख –
50 अंक होंगे जिसमें से अधिकतम
20 अंक वार्षिक प्रविष्टियों के लिए,
20 अंक प्रशिक्षण के लिए
05 अंक पुरस्कार/विशेष प्रविष्टि के लिए और
05 अंक कम्प्यूटर चालन के ज्ञान के लिए है।</td><td>विभागीय परीक्षा द्वारा पदोन्नति के माध्यम से फायर स्टेशन सेकेन्डआफिसर की रिक्तियों के लिये लिखित परीक्षा बोर्ड द्वारा निम्नलिखित रीति में आयोजित की जाएगी :
(क) लिखित परीक्षा :
(एक) पात्र अभ्यर्थियों से एक लिखितपरीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। फायर स्टेशन सेकेन्ड आफिसर के पदों के लिये लिखित परीक्षा में सम्मिलित विषयों और प्रत्येक विषय हेतु आबंटित अंकों का विवरण निम्नवत् तालिका में दिया गया है :
फायर स्टेशन सेकेण्ड आफिसर
<table>
<tr><th>कम</th><th>विषय</th><th>अधिकतम अंक</th></tr>
<tr><td>1</td><td>हिन्दी निबंध (अग्निसुरक्षा तथाबचाव/अग्निअग्निशमन सेवा सामान्य ज्ञान पर आधारित</td><td>100</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

05 अंक कम्प्यूटर चालन के ज्ञान के लिए है। **प्रशिक्षण अंकों का विभाजन निम्नवत है :-** प्रत्येक मौलिक प्रशिक्षण के लिये 05 अंक जो अधिकतम 10 अंक होंगे और प्रत्येक गैर मौलिक प्रशिक्षण के लिये 02 अंक जो अधिकतम 10 अंक होंगे। अग्निशमन सेवा संगठन के प्रशिक्षण निदेशालय को प्राधिकृत किया जाता है कि इस शर्त के अधीन कि एक मास से कम के किसी भी प्रशिक्षण का मौलिक अधिसूचित नहीं किया जाएगा, किसी भी प्रशिक्षण को मौलिक या गैर मौलिक प्रशिक्षण के रूप में अधिसूचित कर सकते हैं। अग्रतर प्रत्येक वृहद दण्ड के लिये 03 अंक प्रत्येक लघु दण्ड के लिए 02 अंक और प्रत्येक सूक्ष्म दण्ड के लिए उपर्युक्त अंकों में से 01 अंक काट लिया जाएगा। सेवा अभिलेखों का परीक्षण इस दृष्टिकोण से भी किया जाय कि क्या अभ्यर्थी को ऐसा दण्ड भी दिया गया है जो उसे पदोन्नति के लिये अनुपयुक्त ठहराता है।	**प्रशिक्षण अंकों का विभाजन निम्नवत है :-** प्रत्येक मौलिक प्रशिक्षण के लिये 05 अंक जो अधिकतम 10 अंक होंगे और प्रत्येक गैर मौलिक प्रशिक्षण के लिये 02 अंक जो अधिकतम 10 अंक होंगे। अग्निशमन सेवा संगठन के प्रशिक्षण निदेशालय को प्राधिकृत किया जाता है कि इस शर्त के अधीन कि एक मास से कम के किसी भी प्रशिक्षण का मौलिक अधिसूचित नहीं किया जाएगा, किसी भी प्रशिक्षण को मौलिक या गैर मौलिक प्रशिक्षण के रूप में अधिसूचित कर सकते हैं। अग्रतर प्रत्येक वृहद दण्ड के लिये 03 अंक प्रत्येक लघु दण्ड के लिए 02 अंक और प्रत्येक सूक्ष्म दण्ड के लिए उपर्युक्त अंकों में से 01 अंक काट लिया जाएगा। सेवा अभिलेखों का परीक्षण इस दृष्टिकोण से भी किया जाय कि क्या अभ्यर्थी को ऐसा दण्ड भी दिया गया है जो उसे पदोन्नति के लिये अनुपयुक्त ठहराता है।	2 — भवन निर्माण, आपदा प्रबन्धन,सामुदायिक अग्निसुरक्षा, मूल विधि, संविधान — 100 3 — अंकीय एवं मानसिक क्षमता परीक्षण (वस्तुनिष्ठ प्रकार) — 50 4 — मानसिकअभिरूचिपरीक्षा/बुद्धिलब्धि परीक्षा/तार्किक क्षमता परीक्षण — 50 5 — कम्प्यूटर प्रचालन (एम.एस.आफिस तथा इंटरनेट) — 50 टिप्पणी-1. प्रश्नपत्र मुख्यतया जाब प्रोफाईल पर आधारित होंगे और कार्य दायित्वों से सुसंगत होंगे। टिप्पणी-2. पदोन्नति के लिये पात्रता हेतु अभ्यर्थियों को अधिकतम अंकों का न्यूनतम 35 प्रतिशत प्राप्त करना आवश्यक है। टिप्पणी-3. लिखित परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने वाले अभ्यर्थीगण में से रिक्तियों की संख्या का अधिकतम डेढ़ गुना संख्या में अभ्यर्थीगण शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिये पात्र होंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षण की प्रक्रिया परिशिष्ट 2क में दी गयी है। यह परीक्षण अर्हकारी प्रकृति का होगा। टिप्पणी-4. लिखित परीक्षा की प्रक्रिया परिशिष्ट 4 में दी गयी है। (ख) सेवा अभिलेख सेवा अभिलेखों के लिये अधिकतम 100 अंक होंगे। फायर स्टेशन सेकन्ड आफिसर के पद हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षण उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के सेवा अभिलेखों को निम्नवत् श्रेणीकृत किया जाएगा:-

ख. उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन और शारीरिक दक्षता परीक्षण :-

1-उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन	1-उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन- वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र का बाह्य सहायित अभिकरण से मूल्यांकन कराया जाएगा और निबंधों का बोर्ड द्वारा प्राधिकृत अध्यापकों/प्रवक्ताओं/आचार्यों द्वारा मूल्यांकन कराया जाएगा।	
2-शारीरिक दक्षता परीक्षण	**मूल नियम**	**''दिनांक 06.06.2013 से प्रतिस्थापित**
	2-अभ्यर्थियों से 05 किलोमीटर की दौड़ 30 मिनट में पूरी करने की अपेक्षा की जाती है। यह दौड़ केवल अर्हकारी है।	(एक) गत 10 वर्षों की वार्षिक अभ्युक्तियों के लिये अधिकतम 60 अंक दिये जायेंगे। 6 अंक प्रत्येक उत्कृष्ट श्रेणी हेतु, 4 अंक अति उत्तम श्रेणी हेतु और 02 अंक उत्तम श्रेणी हेतु दिये जाएंगे। कुल अंकों में से प्रत्येक प्रतिकूल अभ्युक्ति के लिये 6 अंक घटा दिये जाएंगे। (दो) प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों हेतु अधिक अधिकतम 20 अंक दिये जाएंगे। प्रत्येक मौलिक प्रशिक्षण हेतु 10 अंक तथा प्रत्येक गैर मौलिक प्रशिक्षण हेतु 2 अंक दिये जायेंगे। टिप्पणी 1. मौलिक प्रशिक्षण तथा गैर मौलिक प्रशिक्षण की सूची अग्निशमन

		सेवा प्रधान मुख्यालय द्वारा अधिसूचित की जायेगी। यह अधिसूचना प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष के आरम्भ में की जाएगी। इस प्रकार अधिसूचित सूची को पदोन्नति की प्रक्रिया के दौरान पुनरीक्षित नहीं किया जाएगा। टिप्पणी 2. कोई भी प्रशिक्षण, जो एक माह की अवधि से कम हो, मौलिक प्रशिक्षण के रूप में अधिसूचित नहीं किया जाएगा। (तीन) पुरस्कारों के लिये अधिकतम 20 अंक होंगे। प्रत्येक पुरस्कार हेतु आधा अंक दिया जाएगा। (चार) दण्ड के लिये अंक निम्नवत् घटाये जाएगें:- (1) प्रत्येक वृहद दण्ड 10 अंक (2) प्रत्येक लघु दण्ड 6 अंक (3) वर्ष के लिये रोकी गयी 10 अंक सत्यनिष्ठा सेवा अभिलेखों के विचारण का परिक्षेत्र, संबंधित पद हेतु पदोन्नति द्वारा भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस से विगत दस वर्षों तक होगा। **(ग) अन्तिम चयन सूची** (एक) चयन समिति, अभ्यर्थियों की इनके द्वारा खण्ड(क) लिखित परीक्षा तथा (ख) सेवा अभिलेख के अधीन प्राप्त अंकों के कुल योग द्वारा यथा प्रदर्शित श्रेष्ठता के क्रम में एक अन्तिम सूची तैयार करेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर अंक प्राप्त करें तो खण्ड (ख)- सेवा अभिलेख के अधीन उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को सूची में ऊपर रखा जाएगा। यदि इसके बावजूद भी दो या अधिक अभ्यर्थी सेवा अभिलेखों में बराबर अंक प्राप्त करते हैं तो उन्हें उनकी आयु के अनुसार सूची में ऊपर रखा जायेगा। आयु में ज्येष्ठतर को ऐसे अन्य अभ्यर्थियों से ऊपर रखा जाएगा। (दो) चयन समिति अपनी संस्तुतियों के साथ, पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता क्रम में सूची को अग्निशमन सेवा के महानिदेशक/अपर महानिदेशक को प्रस्तुत करेगी। सूची अधिसूचित रिक्तियों से अधिक नहीं होगी।

परिशिष्ट-6

ज्येष्ठता के आधार पर प्रधान फायरमैन के पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया

मूल नियम	'दिनांक 30.12.2011 से प्रतिस्थापित
1- शारीरिक दक्षता परीक्षण- अभ्यर्थियों से 05 किलोमीटर की दौड़ 30 मिनट में किया जाना अपेक्षित है। यह दौड़ केवल अर्हकारी है। **2- सेवा अभिलेख-** यह चयन अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर किया जायेगा। यदि उसकी सत्यनिष्ठा गत 05 वर्षों में एक बार की रोकी गई है, तो वह पदोन्नति के लिये पात्र नहीं होगा। **सेवा अभिलेख :** सेवा अभिलेख के आधार पर कुल 100 अंकों के अधीन रहते हुए निम्नलिखित रीति में अंक प्रदान किये जायेंगे। सेवा की कालावधि के लिये अधिकतम 20 अंक होंगे (प्रत्येक वर्ष के लिये 01 अंक) स्नातक एवं ऊपर की अवधि की शैक्षिक अर्हता 10 अंक, प्रषिक्षण पाठ्यक्रम के लिये 50 अंक जिसमें से 35 अंकों के अधिकतम के अधीन रहते हुए प्रत्येक मौलिक प्रशिक्षण के लिये 10 अंक तथा 15 अंक की अधिकतम के अधीन रहते हुए प्रत्येक गैर मौलिक प्रशिक्षण के लिये 03 अंक और	**सेवाभिलेख :-** यह चयन अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर किया जायेगा। यदि उसकी सत्यनिष्ठा गत 5 वर्षों में एक बार भी रोकी गयी है, तो वह पदोन्नति नहीं होगा।

वार्षिक प्रविष्टि के लिये 20 अंक होंगे। इस प्रकार यथोक्त रूप से अधिकतम 100 अंक होंगे। पुलिस संगठन को प्रशिक्षण निदेशालय इस शर्त के अधीन रहते हुए कि कोई प्रशिक्षण जिसकी अवधि एक माह से कम होगी मौलिक प्रशिक्षण के रूप में अधिसूचित नहीं किया जाएगा, किसी भी प्रशिक्षण को मौलिक प्रशिक्षण और गैर मौलिक प्रशिक्षण के रूप में अधिसूचित करने के लिये प्राधिकृत है, प्रत्येक वृहद दण्ड के लिये 05 अंक, प्रत्येक लघु दण्ड के लिये 03 अंक और प्रत्येक सूक्ष्म दण्ड के लिये 01 अंक काट लिया जायगा। सेवा अभिलेखों का परीक्षण इस दृष्टिकोण से भी किया जायेगा कि क्या अभ्यर्थी को कोई ऐसा भी दण्ड दिया गया है जो उसे पदोन्नति के लिये अनुपयुक्त ठहराता हो। कोई अभ्यर्थी जिसकी सत्यनिष्ठा गत पांच वर्षों में एक बार भी रोकी गई हो पदोन्नति के लिये पात्र न होगा।	

परिशिष्ट-7

शारीरिक मानक परीक्षण

फायर स्टेशन सेकेन्ड आफिसर के पद पर सीधी भर्ती के लिए शारीरिक मानक परीक्षण

	मूल नियम	''दिनांक 06.06. 2013 से प्रतिस्थापित
	1.अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक निम्न प्रकार हैं :- **ऊंचाई** (1) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये 168 सेंटीमीटर; (2) जनजातीय अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम ऊंचाई 160 सेन्टीमीटर है। **सीने की माप** (1) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों/अनुसूचित जातियों के लिये 81.3 सेन्टीमीटर फुलाने पर 86.3 सेन्टीमीटर (2) अनुसूचित जनजातियों के लिये 79 सेन्टीमीटर फुलाने पर 84 सेन्टीमीटर **टिप्पणी :-**न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है। 2. स्टेडियम/पुलिस लाईन जहां कहीं भी परीक्षण आयोजित हो, वहां परीक्षा आयोजन के पूर्व सूचना पट्ट (बोर्ड) पर प्रत्येक परीक्षण हेतु अर्हता के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक को अत्यंत प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाय। 3. सम्पूर्ण राज्य में शारीरिक मानक परीक्षण पुलिस लाईन/स्टेडियम में आयोजित किया जाय। एक दिन में अभ्यर्थियों की संख्या 200 से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह परीक्षा उसी दिन आरंभ होनी चाहिए, किन्तु गठित किये गए दलों की संख्या जिले में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर घट बढ़ सकती है। 4. दल के सदस्य जो जानबूझकर गलत रिपोर्ट देते हुये पाये जाते हैं दाण्डिक कार्यवाही के भागी होंगे। 5. इस अर्हकारी परीक्षा का परिणाम, परीक्षण के समान होने के तत्काल बाद, परीक्षणवार प्रत्येक अभ्यर्थी के परिमापों का उल्लेख करते हुए माईक पर उद्घोषित किया जायेगा, और सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा और यदि संभव हो तो बोर्ड की वेबसाइट पर भी नित्य अपलोड किया जायेगा। 6. शारीरिक मानक परीक्षण की परीक्षा के लिये भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन वाले मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग किया जाय।	निकाल दिया गया है।

परिशिष्ट-8

फायर स्टेशन सेकेन्ड आफिसर के पद पर सीधी भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षण

शारीरिक दक्षता परीक्षण-

मूल नियम	*दिनांक 30.12.2011 से प्रतिस्थापित	**दिनांक 06.06.2013 से प्रतिस्थापित
शारीरिक दक्षता परीक्षण तीन सदस्यीय एक दल द्वारा किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगेः 1. परगना मजिस्ट्रेट/डिप्टी कलेक्टर 2. चिकित्सा अधिकारी/क्रीड़ा अधिकारी/राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिकारी 3. मुख्य अग्निशमन अधिकारी (क) ऐसे प्रत्येक दल के लिये अभ्यर्थियों की संख्या एक दिन में 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए जिससे कि परीक्षण की गुणवत्ता और प्रक्रिया प्रभावित न होने पाये। यह परीक्षण सम्पूर्ण राज्य में एक सप्ताह में पूर्ण किया जाएगा। अभ्यर्थियों की अत्यधिक संख्या के कारण बोर्ड समयावधि बढ़ाने को निर्णय ले सकता है और अपेक्षित समय का अवधारण कर सकता है। (ख) प्रत्येक परीक्षण हेतु अर्हता के लिये न्यूनतम शारीरिक मानकों का प्रदर्शन स्टेडियम में सूचना पट्ट पर प्रमुखता से किया जायेगा और जहां परीक्षा के आयोजन के पूर्व परीक्षण का आयोजन किया जाय। (ग) शारीरिक दक्षता परीक्षण केवल अर्हकारी प्रकृति का है और इसका श्रेष्ठता सूची पर कोई प्रभाव न होगा। इस अर्हकारी परीक्षण का परिणाम सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जायेगा और जहां संभव हो बोर्ड की वेबसाइट पर नित्य अपलोड किया जायेगा। (घ) शारीरिक दक्षता परीक्षण दल के जो सदस्य जानबूझकर गलत रिपोर्ट देते हुये पाये जाते हैं, दाण्डिक कार्यवाही के भागी होंगे। (ङ) शारीरिक दक्षता परीक्षण का परिणाम अभ्यर्थियों को उसी दिन उपलब्ध करा दिया जायेगा। सफल/असफल अभ्यर्थियों की सूची सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जायेगी और बोर्ड की वेबसाइट को नित्य अपलोड किया जायेगा। जैसे ही 100	शारीरिक दक्षता परीक्षण तीन सदस्यीय एक दल द्वारा किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगेः 1. परगना मजिस्ट्रेट/डिप्टी कलेक्टर 2. चिकित्सा अधिकारी/क्रीड़ा अधिकारी/राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिकारी 3. मुख्य अग्निशमन अधिकारी (क) ऐसे प्रत्येक दल के लिये अभ्यर्थियों की संख्या एक दिन में 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए जिससे कि परीक्षण की गुणवत्ता और प्रक्रिया प्रभावित न होने पाये। यह परीक्षण सम्पूर्ण राज्य में एक सप्ताह में पूर्ण किया जाएगा। अभ्यर्थियों की अत्यधिक संख्या के कारण बोर्ड समयावधि बढ़ाने को निर्णय ले सकता है और अपेक्षित समय का अवधारण कर सकता है। (ख) प्रत्येक परीक्षण हेतु अर्हता के लिये न्यूनतम शारीरिक मानकों का प्रदर्शन स्टेडियम में सूचना पट्ट पर प्रमुखता से किया जायेगा और जहां परीक्षा के आयोजन के पूर्व परीक्षण का आयोजन किया जाय। (ग) शारीरिक दक्षता परीक्षण केवल अर्हकारी प्रकृति का है और इसका श्रेष्ठता सूची पर कोई प्रभाव न होगा। इस अर्हकारी परीक्षण का परिणाम सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जायेगा और जहां संभव हो बोर्ड की वेबसाइट पर नित्य अपलोड किया जायेगा। (घ) शारीरिक दक्षता परीक्षण दल के जो सदस्य जानबूझकर गलत रिपोर्ट देते हुये पाये जाते हैं, दाण्डिक कार्यवाही के	**निकाल दिया गया है।**

*उ0प्र0 अग्निशमन सेवा अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी सेवा(प्रथम संशोधन)नियमावली 2011 दिनांक दि0 30.12.2011 से प्रतिस्थापित

**उ0प्र0 अग्निशमन सेवा अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी सेवा(द्वितीय संशोधन)नियमावली 2013 दि0 06-06-2013 से प्रतिस्थापित

अभ्यर्थियों की परीक्षा पूरी हो जाय तो सफल अभ्यर्थियों की सूची परगना मजिस्ट्रेट/डिप्टी कलेक्टर और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के संयुक्त हस्ताक्षर से घोषित की जायगी। (च) इस परीक्षण का परिणाम परीक्षा समाप्त होने के तत्काल बाद माईक द्वारा उद्घोषित किया जायेगा जिसमें परीक्षणवार प्रत्येक अभ्यर्थी की माप का उल्लेख होगा, यदि सम्भव होगा तो बोर्ड की वेबसाइट प्रतिदिन अद्यतन की जायेगी। (छ) शारीरिक दक्षता परीक्षण की परीक्षा के लिये भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन वाले मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग किया जाय। (ज) शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों की सूची घोषित हो जाने पर उन्हें अशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तहसील मुख्यालय और जिला चिकित्सालय को चिकित्सकीय स्वस्थता परीक्षण के लिये भेज दिया जायेगा।	भागी होंगे। (ङ) शारीरिक दक्षता परीक्षण का परिणाम अभ्यर्थियों को उसी दिन उपलब्ध करा दिया जायेगा। सफल/असफल अभ्यर्थियों की सूची सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जायेगी और बोर्ड की वेबसाइट को नित्य अपलोड किया जायेगा। जैसे ही 100 अभ्यर्थियों की परीक्षा पूरी हो जाय तो सफल अभ्यर्थियों की सूची परगना मजिस्ट्रेट/डिप्टी कलेक्टर और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के संयुक्त हस्ताक्षर से घोषित की जायगी। (च) इस परीक्षण का परिणाम परीक्षा समाप्त होने के तत्काल बाद माईक द्वारा उद्घोषित किया जायेगा जिसमें परीक्षणवार प्रत्येक अभ्यर्थी की माप का उल्लेख होगा, यदि सम्भव होगा तो बोर्ड की वेबसाइट प्रतिदिन अद्यतन की जायेगी।	

परिशिष्ट-9

फायर स्टेशन सेकेन्ड आफिसर के पद पर सीधी भर्ती के लिए लिखित परीक्षा की प्रक्रिया-

लिखित परीक्षा की प्रक्रिया

मूल नियम	'दिनांक 30.12.2011 से प्रतिस्थापित	''दिनांक 06. 06.2013 से प्रतिस्थापित
फायर स्टेशन सेकेन्ड आफिसर के पद पर सीधी भर्ती के लिये मुख्य लिखित परीक्षा के पूर्व सभी अभ्यर्थियों को संघ लोक सेवा आयोग के पैटर्न पर शारीरिक दक्षता परीक्षण कराना होगा। मुख्य लिखित परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को चिपके हुए फोटोग्राफ के साथ कम्प्यूटरीकृत बुलावा पत्र डाक घर/बैंक के माध्यम से उसी रीति से भेजे जायेंगे जैसे कि प्रारम्भिक परीक्षा के लिए भेजे गये थे। (क) फोटो दोनों हथेलियों के अंगूठा निशान, परीक्षा केन्द्र की कोड संख्या/नाम, डाक का पता, परीक्षा का समय/दिनांक सहित जिला का नाम बुलावा पत्र में स्पष्ट रूप से दिया जाएगा।	मुख्य लिखित परीक्षा के पूर्व सभी अभ्यर्थियों को संघ लोक सेवा आयोग के पैटर्न पर शारीरिक दक्षता परीक्षण क़राना होगा। मुख्य लिखित परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को चिपके हुए फोटोग्राफ के साथ कम्प्यूटरीकृत बुलावा पत्र भेजे जायेंगे। (क) फोटो दोनों हथेलियों के अंगूठा निशान, परीक्षा केन्द्र की कोड संख्या/नाम, डाक का पता, परीक्षा का समय/दिनांक सहित जिला का नाम बुलावा पत्र में स्पष्ट रूप	**निकाल दिया गया है।**

(ख) परीक्षा के दिनांक से कम से कम एक सप्ताह पूर्व अभ्यर्थी के पास बुलावा पत्र पहुँचना चाहिए। यदि परीक्षा के दिनांक से एक सप्ताह पूर्व बुलावा पत्र नहीं प्राप्त होता है, तो अभ्यर्थी बोर्ड की हेल्पलाइन/लैण्डलाइन/मोबाइल फोन से सम्पर्क कर सकता है या बोर्ड की वेबसाइट से बुलावा पत्र की दूसरी प्रति प्राप्त कर सकता है। (ग) लिखित परीक्षा पूरे राज्य में एक ही दिनांक और समय पर आयोजित की जाएगी। (घ) अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में कार्बन प्रति सहित ओ0एम0आर0 पत्रक उपलब्ध कराया जायगा। परीक्षा के बाद अभ्यर्थी कार्बन प्रति अपने साथ ले जा सकते हैं। जब सभी अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित हो जाय तो परिणाम को बोर्ड की वेबसाइट पर उत्तर कुँजी सहित विषयवार उनके द्वारा प्राप्त किये गये अंकों के साथ लोड किया जायगा। (ङ) लिखित परीक्षा समाप्त हो जाने के पश्चात उत्तर पत्रकों को जिला मजिस्ट्रेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा उपलब्ध करायी गयी, सुरक्षित अभिरक्षा के माध्यम से मुहर बन्द आवरण में केन्द्रवार बोर्ड को भेज दिया जायेगा।	से दिया जाएगा। (ख) परीक्षा के दिनांक से कम से कम एक सप्ताह पूर्व अभ्यर्थी के पास बुलावा पत्र पहुँचना चाहिए। यदि परीक्षा के दिनांक से एक सप्ताह पूर्व बुलावा पत्र नहीं प्राप्त होता है, तो अभ्यर्थी बोर्ड की हेल्पलाइन/लैण्डलाइन/मोबाइल फोन से सम्पर्क कर सकता है या बोर्ड की वेबसाइट से बुलावा पत्र की दूसरी प्रति प्राप्त कर सकता है। (ग) लिखित परीक्षा पूरे राज्य में एक ही दिनांक और समय पर आयोजित की जाएगी। (घ) अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में कार्बन प्रति सहित ओ0एम0आर0 पत्रक उपलब्ध कराया जायगा। परीक्षा के बाद अभ्यर्थी कार्बन प्रति अपने साथ ले जा सकते हैं। जब सभी अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित हो जाय तो परिणाम को बोर्ड की वेबसाइट पर उत्तर कुँजी सहित विषयवार उनके द्वारा प्राप्त किये गये अंकों के साथ लोड किया जायगा। (ङ) लिखित परीक्षा समाप्त हो जाने के पश्चात उत्तर पत्रकों को जिला मजिस्ट्रेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा उपलब्ध करायी गयी, सुरक्षित अभिरक्षा के माध्यम से मुहर बन्द आवरण में केन्द्रवार बोर्ड को भेज दिया जायेगा।	

उक्त नियमावली में परिशिष्ट-9 के पश्चात निम्नलिखित नया परिशिष्ट-9 (क) रख दिया जायेगा, अर्थात :-

	***दिनांक 30.12.2011 से प्रतिस्थापित**
	ज्येष्ठता के आधार पर फायर स्टेशन सेकेण्ड आफिसर के पद पर पदोन्नति द्वारा सीधी भर्ती की प्रक्रिया **सेवा अभिलेख** यह चयन अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर होगा। अभ्यर्थी जिनकी सत्यनिष्ठा पाँच वर्ष के लिए रोकी गयी है, तो वह पदोन्नति के लिए पात्र न होगा।

***उ0प्र0 अग्निशमन सेवा अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी सेवा(प्रथम संशोधन)नियमावली 2011 द्वारा दि0 30.12.2011 से प्रतिस्थापित**

परिशिष्ट-10

फायर स्टेशन सेकेन्ड आफिसर के पद पर सीधी भर्ती के लिए चिकित्सकीय परीक्षण

मूल नियम	*दिनांक 30.12.2011 से प्रतिस्थापित	**दिनांक 06.06.2013 से प्रतिस्थापित
चिकित्सा परीक्षा परिषद् जिन अभ्यर्थियों ने शारीरिक दक्षता परीक्षा और मुख्य लिखित परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है वे अधिसूचित केन्द्रों पर (जिला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व जिला चिकित्सालय और तहसील सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र) जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा गठित चिकित्सा परिषद द्वारा चिकित्सकीय परीक्षण करायेंगे। प्रत्येक चिकित्सा परिषद के लिये अभ्यर्थियों की संख्या (एक दिन में 50 से अनधिक) इस प्रकार निर्धारित की जायेगी कि उससे चिकित्सकीय परीक्षण की गुणवत्ता और प्रक्रिया प्रभावित न हो। राज्य में चिकित्सकीय परीक्षण एक सप्ताह में पूर्ण कर लिया जाएगा। यदि अभ्यर्थियों की अधिक संख्या के कारण अधिक समय की अपेक्षा हो तो बोर्ड अपने स्तर पर निर्णय लेकर अपेक्षित समय का विनिश्चय कर सकता है। जहां कहीं भी परीक्षण आयोजित होता है। परीक्षा आयोजन के पूर्व चिकित्सकीय परीक्षण हेतु अर्हता के लिये न्यूनतम अपेक्षाओं को जिला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जिला चिकित्सालय और तहसील सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के सूचना पट्ट पर अत्यंत प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाय।	**चिकित्सकीय परीक्षा बोर्ड :** मुख्य लिखित परीक्षा और समूह परिसंवाद के समापन पर, ऐसे अभ्यर्थियों का जिन्होंने अन्तिम तत्कालिक चयन सूची में स्थान प्राप्त किया है, अधिसूचित केन्द्रों (जिला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला चिकित्सालय और तहसील सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र) पर जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा गठित एक चिकित्सा बोर्ड द्वारा चिकित्सकीय परीक्षण किया जायेगा। इस प्रक्रिया का पर्यवेक्षण नियुक्त प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा। प्रत्येक चिकित्सा बोर्ड के लिए अभ्यर्थियों की संख्या इस प्रकार विनिश्चित की जायेगी (एक दिन में पचास से अनधिक) कि चिकित्सकीय परीक्षण की गुणवत्ता और प्रक्रिया प्रभावित न होने पाये। चिकित्सकीय परीक्षण राज्य भर में एक सप्ताह में पूर्ण कर लिया यदि चिकित्सकीय परीक्षण के लिए अभ्यर्थियों की संख्या अधिक हो तो, नियुक्त प्राधिकारी के स्तर पर आवश्यकतानुसार समय बढ़ाये जाने का निर्णय लिया जा सकता है। चिकित्सकीय परीक्षण के संचालन के पूर्व, चिकित्सकीय परीक्षणार्थ न्यूनतम अपेक्षाओं को जिला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला चिकित्सालय या तहसील सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जहाँ चिकित्सकीय परीक्षण अयोजित किया जा रहा है, के सूचना पट्ट पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जायेगा।	**निकाल दिया गया है।**

चिकित्सा मैनुअल के अनुसार चिकित्सकों द्वारा परीक्षण

(क) अभ्यर्थियों का परीक्षण चिकित्सा मैनुअल के अनुसार किया जाएगा। चिकित्सा परिषद मुख्यालय मानव शरीर की कमियाँ, यथा नोक-नी; बो-लेग्स, प्लेट फीट, वैरिकोज वेन्स दूर एवं निकट दृष्टि, कलर ब्लाइन्डनेस रिनीज टेस्ट सहित श्रवण परीक्षण वेबर्स टेस्ट और वरटिगो इत्यादि की जांच करेगा। परिषद् विशेषज्ञों की राय प्राप्त करके अन्य परीक्षण कर सकता है।

(ख) दिन के अंत में प्रत्येक दिन परिणामों को सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जाएगा : और जहां भी सम्भव हो उसे बोर्ड की वेब साइट प्रत्येक दिन अद्यतन की जायेगी।

(ग) चिकित्सा परिषद के सदस्य जो जानबूझकर गलत रिपोर्ट देते पाये जाएंगे दाण्डिक कार्यवाही के भागी होंगे।

(घ) चिकित्सकीय परीक्षण केवल अर्हकारी प्रकृति का है और इसका श्रेष्ठता सूची पर कोई प्रभाव न होगा। इस अर्हकारी परीक्षा का परिणाम प्रतिदिन सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जाएगा और जहाँ भी सम्भव हो उसे बोर्ड के वेब साइट पर अपलोड किया जाएगा।

आज्ञा से

कुंवर फतेह बहादुर,प्रमुख सचिव।

'उ0प्र0 अग्निशमन सेवा अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी सेवा(प्रथम संशोधन)नियमावली 2011 द्वारा दि0 30.12.2011 से प्रतिस्थापित

''उ0प्र0 अग्निशमन सेवा अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी सेवा(द्वितीय संशोधन)नियमावली 2013 द्वारा दि0 06.06-2013 से प्रतिस्थापित

उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी सेवा नियमावली, 2016

उत्तर प्रदेश शासन गृह (पुलिस) अनुभाग-8

संख्या-670/6-पु-8-2016-801(07)/2015 लखनऊ, दिनांक 15.03.2016

अधिसूचना

यूनाइटेड प्राविन्सेज फायर सर्विस एक्ट, 1944 की धारा-25 के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा/अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी सेवा के लिये नियुक्त व्यक्तियों की सेवा में भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

भाग-1 सामान्य

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(1) यह नियमावली ''उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी सेवा नियमावली, 2016'' कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2. सेवा की प्रास्थिति- उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी सेवा एक ऐसी सेवा है जिसमें समूह 'ग' के पद समाविष्ट हैं।

3. परिभाषाएं -जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में :

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 से है;

(ख) ''**नियुक्ति प्राधिकारी**''-

(एक) फायर स्टेशन आफिसर और फायर स्टेशन सेकण्ड आफिसर के पद के संबंध में इसका तात्पर्य पुलिस उप महानिरीक्षक से है, और

(दो) फायरमैन, लीडिंग फायर मैन और फायर सर्विस चालक के पदों के सम्बंध में इसका तात्पर्य वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक यथास्थिति अपने-अपने जनपदों से है और जनपदों से भिन्न कार्यालयों पर उक्त पदों के सम्बंध में निदेशक, अग्निशमन सेवा, उत्तर प्रदेश से है;

(ग) '**बोर्ड**' का तात्पर्य इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार स्थापित उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड से है;

(घ) ''**भारत का नागरिक**'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग-2 के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाए;

(ङ) ''**संविधान**'' का तात्पर्य भारत का संविधान से है;

(च) ''**सरकार**'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है;

(छ) ''**राज्यपाल**'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;

(ज) **''विभागाध्यक्ष''** का तात्पर्य यथास्थिति महानिदेशक/अपर महानिदेशक उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा से है;

(झ) **''सेवा का सदस्य''** का तात्पर्य इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त आदेशों के अधीन सेवा के संवर्ग में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति से है;

(ञ) **''नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों''** का तात्पर्य समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम की अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है;

(ट) **''दण्ड नियमावली''** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली, 1991 से है;

(ठ) **''चयन समिति''** का तात्पर्य सेवा में पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों के चयन के लिये बोर्ड द्वारा गठित चयन समिति से है;

(ड) **''सेवा''** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी सेवा से है;

(ढ) **''मौलिक नियुक्ति''** का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गई हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक आदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो;

(ण) **''उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा मुख्यालय''** का तात्पर्य यथास्थिति महानिदेशक/अपर महानिदेशक, उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा के अधीन कार्यशील मुख्यालय से है;

(त) **''भर्ती का वर्ष''** का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह माह की अवधि से है।

भाग-दो-संवर्ग

सेवा का संवर्ग -

4- (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाए।

(2) जब तक उप-नियम (i) के अधीन उसे परिवर्तन करने का आदेश पारित न किया जाय सेवा की सदस्य संख्या और प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या निम्नलिखित होगी,

क्र0 सं0	पद का नाम	पदों की संख्या		
		स्थायी	अस्थायी	योग
1	फायर स्टेशन आफिसर	160	76	236
2	फायर स्टेशन सेकण्ड आफिसर	190	20	210
3	लीडिंग फायरमैन	611	159	770
4	फायर सर्विस चालक	646	152	798
5	फायरमैन	3790	1198	4988

परन्तु यह कि :-

(क) विभागाध्यक्ष आवश्यकतानुसार सरकार के अनुमोदन से कुल स्वीकृत नियमन के अन्तर्गत विभिन्न इकाइयों के पदों की संख्या को पुनर्निर्धारित कर सकता है;

(ख) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुये छोड़ सकते हैं या राज्यपाल उसे प्रास्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं होगा; या

(ग) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें।

भाग-तीन-भर्ती

5. भर्ती का स्रोत- सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से इस शर्त के अधीन रहते हुए की जायेगी कि केवल वे पुरूष अभ्यर्थी, जो शारीरिक रूप से विकलांग नहीं है, सीधी भर्ती के लिए पात्र होंगे :

1. फायरमैन-सीधी भर्ती द्वारा बोर्ड के माध्यम से भरा जायेगा।

टिप्पणी-सेवाकाल में अग्निशमन विभाग के ऐसे मृतक आश्रित जो विभाग में फायरमैन के पद पर मृतक आश्रित के अधीन प्रार्थनापत्र देते हैं, उनकी भर्ती बोर्ड द्वारा, सरकार द्वारा तय की गई नीति के अनुसार की जायेगी।

2. फायर सर्विस चालक- मौलिक रूप से नियुक्त फायरमैन में से जिन्होंने परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में सात वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो और विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो और भारी वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेन्स प्राप्त कर लिया हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

3. लीडिंग फायरमैन- मौलिक रूप से नियुक्त फायरमैन में से जिन्होंने परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए, भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में सात वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, और विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

4. फायर स्टेशन सेकेण्ड आफिसर-

(क) पचास प्रतिशत बोर्ड के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

टिप्पणी-सेवाकाल में अग्निशमन विभाग के ऐसे मृतक आश्रित जो विभाग में फायर स्टेशन सेकण्ड आफिसर के पद पर मृतक आश्रित के अधीन प्रार्थनापत्र देते हैं, उनकी भर्ती बोर्ड द्वारा, सरकार द्वारा तय की गई नीति के अनुसार की जायेगी। प्रतिबन्ध यह है कि फायर स्टेशन सेकण्ड आफिसर के ऐसे पद, प्रत्येक वर्ष सीधी भर्ती के पूर्व सृजित पदों के सापेक्ष उत्पन्न हुई रिक्तियों के कारण भरे जाने वाले पदों के 05 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

(ख) पचास प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त फायर सर्विस चालकों और लीडिंग फायरमैन में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में **तीन वर्ष** की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर, बोर्ड के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

5. फायर स्टेशन आफिसर- अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा मौलिक रूप से ऐसे फायर स्टेशन सेकेण्ड आफिसर नियुक्त किये जायेंगे जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परीवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुये, इस रूप में सात वर्ष की सेवा कर ली हो।

6. आरक्षण- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य श्रेणियों से सम्बंधित अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण अधिनियम और समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 के उपबन्धों और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायगा, किन्तु शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति अर्ह नहीं होंगे।

भाग-चार-अर्हतायें

7. राष्ट्रीयता- सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी :-

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो; या

(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, यूगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्वीवर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो :

परन्तु यह कि उपर्युक्त (ख) या (ग) के श्रेणी से सम्बंधित अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो :

परन्तु यह और कि (ख) श्रेणी के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी क वह पुलिस उपमहानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले :

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त ''ग'' श्रेणी का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी :- ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और इसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाये या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

8. शैक्षिक अर्हता- अग्निशमन सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिये किसी अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हताएं होनी आवश्यक है :

(1) फायरमैन- भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा दसवीं एवं बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष शैक्षिक अर्हता होनी आवश्यक है।

(2) फायर स्टेशन सेकेण्ड आफिसर- भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता।

9. अधिमानी अर्हताएं- अन्य बातों के समान होने पर फायरमैन एवं फायर स्टेशन सेकेण्ड आफिसर के पद पर सीधी भर्ती के ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने :

(एक) डीओईएसीसी/नाईलेट सोसायटी से कम्प्यूटर संचालन में ''ओ'' स्तर का प्रमाण पत्र या

(दो) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

(तीन) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

टिप्पणी :- उक्तांकित अधिमान अर्हता के कोई अंक नहीं होंगे, बल्कि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के बराबर अंक प्राप्त करने की दशा में अन्तिम चयन सूची में अधिमानी अर्हता प्राप्त करने वाले को वरीयता दी जायेगी।

(ख) फायर स्टेशन सेकेण्ड आफिसर

अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने :-

(एक) डीओईएसीसी/नाईलेट सोसायटी से कम्प्यूटर में ''ओ'' स्तर का प्रमाण पत्र; या

(दो) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो; या

(तीन) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

टिप्पणी :-उक्तांकित अधिमान अर्हता के कोई अंक नहीं होंगे, बल्कि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के बराबर अंक प्राप्त करने की दशा में अन्तिम चयन सूची में अधिमानी अर्हता प्राप्त करने वाले को वरीयता दी जायेगी।

10. आयु- सीधी भर्ती के लिए यह आववश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की जुलाई के प्रथम दिवस को, जिसमें रिक्तियां विज्ञापित की जाय, नीचे दी गई तालिका में पद के सम्मुख दी गयी न्यूनतम आयु प्राप्त कर ली हो और अधिकतम आयु से अधिक आयु न प्राप्त की हो :

क्रमांक	पद का नाम	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु
1	फायरमैन	18 वर्ष	22 वर्ष
2	फायर स्टेशन सेकेण्ड आफिसर	21 वर्ष	28 वर्ष

परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाये।

11. चरित्र- सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में नियुक्ति से पूर्व अपना समाधान कर लेंगे।

टिप्पणी : संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में

किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

12. वैवाहिक प्रास्थिति- सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों :

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।

13. शारीरिक स्वस्थता- किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जोयगी कि वह चिकित्सा बोर्ड के परीक्षण में सफल हो जाय।

टिप्पणी :- चिकित्सा बोर्ड अभ्यर्थी को यथास्थिति ऊंचाई, उसके सीने और भार के माप के लिए विहित किसी शारीरिक मानक का परीक्षण करेगा और नाक-नी, बो लेग्स, फ्लैट फीट, वेरीकोस वेंस, दूर एवं निकट दृष्टि, कलर ब्लाइंडनेस (पूर्ण एवं आंशिक), श्रवण परीक्षण, जिसमें रिनेज, परीक्षण, बेब्बर्स परीक्षण और वर्टिगो परीक्षण, वाक दोष आदि समाविष्ट हैं, तथा ऐसी अन्य कमियों, जैसा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित किया जाये, का भी परीक्षण करेगा।

भाग-पांच-भर्ती की प्रक्रिया

14. रिक्तियों का अवधारण- नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना विभागाध्यक्ष को देगा। विभागाध्यक्ष रिक्तियों की संख्या बोर्ड और सरकार को भी सूचित करेगा। सीधी भर्ती के लिए रिक्तियॉ, निम्नलिखित रीति से अधिसूचित की जायेंगी :-

(एक)- (क) व्यापक प्रसार वाले हिन्दी एवं अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी करके;

(ख) कार्यालय के सूचना पट्ट पर नोटिस चस्पा करके या रेडियो/दूरदर्शन और अन्य रोजगार समाचार पत्रां के माध्यम से विज्ञापन द्वारा;

(ग) रोजगार कार्यालय को रिक्तियों को अधिसूचित करके;

(घ) जनसंचार के अन्य माध्यमों द्वारा।

15. सीधी भर्ती की प्रक्रिया-उ0प्र0 अग्निशमन सेवा में फायरमैन और फायर स्टेशन सेकेण्ड आफिसर के पदों पर सीधी भर्ती निम्नलिखित रीति से की जायेगी :-

(1) फायरमैन-फायरमैन के पद पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया वैसी होगी जैसी प्रक्रिया तत्समय प्रचलित नियमों के अनुसार सीधी भर्ती के लिए आरक्षी उत्तर प्रदेश पुलिस की होगी।

(2) फायर स्टेशन सेकण्ड आफिसर-फायर स्टेशन सेकण्ड आफिसर के पद पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया वैसी होगी जैसी प्रक्रिया तत्समय प्रचलित नियमों के अनुसार सीधी भर्ती के उपनिरीक्षक, नागरिक पुलिस की होगी।

16. चरित्र सत्यापन- नियुक्ति पत्र जारी किये जाने से पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन, अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण पर भेजे जाने के पहले, चरित्र सत्यापन का कार्य पूर्ण कराया जायेगा। सामान्यतः चरित्र का सत्यापन एक माह के भीतर पूर्ण कर लिया जायेगा। किसी अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन के दौरान कोई प्रतिकूल तथ्य सामने आने पर, उसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित किया जायेगा और ऐसी रिक्तियों को अग्रेतर चयन के लिए आगे ले जाया जायेगा।

17. (1) प्रोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया -

(क) फायर सर्विस चालक -फायर सर्विस चालक के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती, मौलिक रूप से नियुक्त पात्र फायरमैन में से निम्नलिखित नीति से की जायेगी :-

फायर सर्विस चालक के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती बोर्ड के माध्यम से अनुपयुक्तों अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर मौलिक रूप से नियुक्त किये गये ऐसे फायरमैनों में से की जायेगी जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परीवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए इस रूप में सात वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो और विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त किया हो और भारी वाहन चलाने के लिये ड्राइविंग लाइसेन्स प्राप्त कर लिया हो।

(ख) लीडिंग फायरमैन

लीडिंग फायरमैन के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती, मौलिक रूप से नियुक्त पात्र फायरमैन में से निम्नलिखित पात्र कर्मियों में से पदोन्नति द्वारा निम्नलिखित नीति के अनुसार की जायेगी :-

लीडिंग फायरमैन के पदों पदोन्नति द्वारा भर्ती बोर्ड के माध्यम से अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर मौलिक रूप से नियुक्त किये गये ऐसे फायरमैनों में से की जायेगी जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए इस रूप में सात वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो और विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त किया हो।

(ग) फायर स्टेशन सेकेण्ड आफिसर-

फायर स्टेशन सेकेण्ड आफिसर के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती मौलिक रूप से नियुक्त पात्र लीडिंग फायरमैन और फायर सर्विस चालक में से निम्नलिखित नीति के अनुसार की जायेंगी :-

फायर स्टेशन सेकेण्ड आफिसर पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती बोर्ड के माध्यम से अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर मौलिक रूप से नियुक्त किये गये ऐसे फायर सर्विस चालक और लीडिंग फायरमैन में से की जायेगी जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो एवं जो परिशिष्ट के अनुसार अर्हकारी प्रकृति की शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल पाये गये हों।

(घ) फायर स्टेशन आफिसर-

फायर स्टेशन आफिसर के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती मौलिक रूप से नियुक्त पात्र फायर स्टेशन सेकेण्ड आफिसर में से निम्नलिखित नीति के अनुसार की जायेगी :-

फायर स्टेशन आफिसर के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती बोर्ड के माध्यम से अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर मौलिक रूप से नियुक्त किये गये ऐसे फायर स्टेशन सेकेण्ड आफिसर में से की जायेगी जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए इस रूप में सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।

(2) पदोन्नति हेतु चयन समिति-

(क) पदोन्नति हेतु चयन समिति बोर्ड द्वारा गठित की जायेगी।

(ख) चयन समिति का अध्यक्ष बोर्ड द्वारा नामित होगा तथा जिस पद पर प्रोन्नति के लिये चयन समिति गठित हुई है उस पद के नियुक्ति प्राधिकारी से कनिष्ठ नहीं होगा। उपयुक्त पद का एक सदस्य विभागाध्यक्ष द्वारा नामित किया जायेगा और शेष सदस्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिडड़े वर्गों के सदस्यों को सम्मिलित करते हुए, विद्यमान शासनादेशों के अनुसार बोर्ड द्वारा नामित किये जायेंगे।

(ग) पदोन्नति हेतु निर्विवाद ज्येष्ठता सूची अग्निशमन सेवा मुख्यालय द्वारा बोर्ड को उपलब्ध करायी जोयगी।

(घ) चयन समिति सफल अभ्यर्थियों का परीक्षाफल अपनी संस्तुति सहित बोर्ड को प्रस्तुत करेगा। बोर्ड चयनित अभ्यर्थियों की सूची अपनी संस्तुति सहित विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा। सूची अधिसूचित रिक्तियों से अधिक की नहीं होगी।

(ड़) विभागाध्यक्ष अनुमोदन के उपरान्त सूची को नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेंगे जो प्रोन्नति हेतु अंतिम आदेश निर्गत करेगा।

(च) प्रोन्नति हेतु चयनित अभ्यर्थियों की अंतिम सूची विभागाध्यक्ष के अनुमोदनोपरान्त बोर्ड द्वारा अपनी वेबसाइट तथा उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी।

भाग-छः

नियुक्ति, प्रशिक्षण, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति- 18 (1) नियम-16 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थियों के नामों को उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे नियम-15 के अधीन तैयार की गयी सूची में हो, नियुक्त करेगा। नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों को इस निर्देश के साथ नियुक्ति पत्र जारी करेगा कि वे पत्र के जारी किये जाने के दिनॉक से या नियुक्ति पत्र में इस प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट किसी दिनॉक से एक माह के भीतर सेवा/प्रशिक्षण के लिये उपस्थित होने के विषय में सूचित कर दें। ऐसा न करने पर उनके चयन/नियुक्ति को निरस्त कर दिया जायेगा :

परन्तु यह कि इस नियमावली के प्रारम्भ के पूर्व से सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त और कार्यरत किसी व्यक्ति को इस नियमावली के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त किया समझा जायेगा।

(2) नियम-17 के अन्तर्गत यदि किसी एक चयन के संबंध में नियुक्तियों के एक अधिक आदेश जारी किये जाये तो, एक सम्मिलित आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा। जैसी यथास्थिति चयन में अवधारित की जाय या जैसा कि उस संवर्ग में, हो जिससे उन्हें पदोन्नत किया जाय :

परन्तु इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व सेवा में किसी पद पर नियुक्त और उक्त पद पर कार्यरत किसी व्यक्ति को इस नियमावली के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त हुआ समझा जायेगा और ऐसी मौलिक नियुक्ति को इस नियमावली के अधीन की गयी नियुक्ति समझी जायेगी।

प्रशिक्षण- 19. (1) (क) फायरमैन एवं फायर स्टेशन सेकेण्ड आफिसर के पद पर नियम-15 और 16 के अधीन अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों से विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किये गये प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जायेगी। बेसिक प्रशिक्षण की अवधि में कैडेटों पर फायर सर्विस ट्रेनिंग मैनुअल में निहित प्रावधान प्रभावी होंगे। बेसिक प्रशिक्षण हेतु अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थी द्वारा यदि निर्धारित समय सीमा के अन्दर अपना योगदान प्रशिक्षण हेतु नहीं देता है तो उसका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(ख) बेसिक प्रशिक्षण में असफल हुये कैडेटों को पूरक प्रशिक्षण कराकर पुनः प्रशिक्षण की परीक्षा का आयोजन विभागाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा। पूरक प्रशिक्षण के पश्चात प्रशिक्षण परीक्षा में असफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उनकी सेवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

(2) नियम-17 के अधीन पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये कर्मियों से विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण पूर्ण करने की अपेक्षा की जायेगी।

परिवीक्षा- 20 (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाएगा।

(2) परिवीक्षा अवधि के दौरान परिवीक्षाधीन व्यक्ति से ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करने की अपेक्षा की जाएगी जैसा कि विभागाध्यक्ष द्वारा विहित किया जोय।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जाएंगे, अलग अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाएगा जब तक अवधि बढ़ाई जाय।

परन्तु यह कि आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(4) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान नियुति प्राधिकारी के संतोषानुसार पर्याप्त सुधार नहीं किया है तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(5) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (4) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाये या जिसकी सेवायें समाप्त की जायें किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(6) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता हैं।

स्थायीकरण- 21.(1) इस नियमावली के नियम 20 एवं उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जाएगा। यदि :

(क) उसके द्वारा विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया हो, और

(ख) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक रहा हो, और

(ग) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित की गयी हो।

(2) जहाँ, उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है वहाँ उस नियमावली के नियम-5 के उप नियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुए आदेश कि संबंधित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

ज्येष्ठता-22. (1) किसी भी प्रकार के चयन से नियुक्त किये गये अग्निशमन सेवा कर्मियों की वरिष्ठता उनके चयन की तिथि से निर्धारित की जायेगी। जहां चयन की तिथि का तात्पर्य भर्ती प्रक्रिया के उपरान्त यथास्थिति बोर्ड अथवा चयन समिति द्वारा भेजी गयी चयन सूची को विभागाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किये जाने की तिथि से है।

(2) बोर्ड द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से भर्ती अग्निशमन सेवा कर्मियों के चयन को एक पृथक चयन माना जायेगा। सीधी भर्ती के अन्तर्गत एक चयन के माध्यम से भर्ती अग्निशमन सेवा कर्मियों की पारस्परिक वरिष्ठता बोर्ड द्वारा निर्गत अन्तिम चयन सूची के क्रम के अनुसार होगी।

(3) मृतक आश्रित श्रेणी के अन्तर्गत भर्ती अग्निशमन सेवा कर्मिकों के चयन को एक सीधी भर्ती का पृथक चयन माना जायेगा। इस प्रकार से भर्ती अग्निशमन सेवा कर्मियों की पारस्परिक वरिष्ठता प्रशिक्षण संस्थानों में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के अनुसार निर्धारित होगी। एक प्रशिक्षण सत्र में एक से अधिक अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण संस्थानों में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के समान होने पर उनकी जन्मतिथि की वरिष्ठता को ही पारस्परिक वरिष्ठता निर्धारण का आधार बनाया जायेगा। अंकों का प्रतिशत एवं जन्मतिथि समान होने पर हाई स्कूल प्रमाण-पत्र में अंकित नामों के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार वरिष्ठता निर्धारित की जायेगी।

(4) पदोन्नति के माध्यम से नियुक्त अग्निशमन सेवा कार्मिक एक पृथक चयन माना जायेगा। एक चयन तिथि में नियुक्त किये गये कर्मियों की पारस्परिक ज्येष्ठता उनके पोषक संवर्ग में वरिष्ठता के अनुरूप होगी तथा पूर्ववर्ती वर्ष में चयनित कर्मी पश्चातवर्ती वर्ष में चयनित कर्मियों से ज्येष्ठ होंगे। यहां चयन की तिथि का तात्पर्य भर्ती प्रक्रिया के उपरान्त बोर्ड अथवा चयन समिति द्वारा भेजी गयी चयन सूची को विभागाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किये जाने की तिथि से है।

(5) पूर्वोक्त के होते हुये भी यदि ज्येष्ठता के संबंध में कोई अन्य तथ्य प्रकाश में आते हैं अथवा कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उसका निवारण विभागाध्यक्ष द्वारा तर्कसंगत नीति के अनुसार किया जायेगा।

भाग-सात-वेतन इत्यादि

वेतनमान- 23. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय के वेतनमान निम्नवत् दिये गये हैं :-

क्रम	पद का नाम	वेतनमान		
		वेतन बैण्ड का नाम	तत्सदृश्य वेतन बैण्ड (रू0)	तत्सदृश्य ग्रेड-वेतन (रू0)
1	फायरमैन वेतन बैण्ड	वेतन बैण्ड	5200-20200	2000
2	फायर सर्विस चालक	वेतन बैण्ड	5200-20200	2400
3	लीडिंग फायरमैन	वेतन बैण्ड	5200-20200	2400
4	अग्निशमन द्वितीय अधिकारी	वेतन बैण्ड-2	9300-34800	4200
5	अग्निशमन अधिकारी	वेतन बैण्ड-2	9300-34800	4600

परिवीक्षा अधिकारी में वेतन -24. (1) फण्डामेंट रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हों, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, तथा विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो एवं प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया हो और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो :

परन्तु यह कि यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन, सुसंगत फण्डामेंटल रूल्स द्वारा विनियमित होगा :

परन्तु यह कि यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हों, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित करेगा।

भाग-आठ-अन्य उपबन्ध

25. पक्ष समर्थन- किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर चाहे लिखित हों या मौखिक विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी

अभ्यर्थियों के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

26. अन्य विषयों का विनियमन- विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के संबंध में सेवा में नियुक्त व्यक्ति फायर सर्विस अधिनियम के अधीन बनाये गये विभिन्न नियमों, विनियमों और आदेशों के अनुसार शासित होंगे।

27. दण्ड एवं अपील- उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के अधिकारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली, 1991 के अन्तर्गत किसी विपरीत बात के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश के अग्निशमन सेवा में अधीनस्थ श्रेणी के सभी अधिकारी/कर्मचारी, उनकी विभागीय कार्यवाही, दण्ड और अपील सम्बन्धित प्रकरणों हेतु, समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली, 1991 द्वारा शासित होंगे।

इस हेतु उक्त दण्ड नियमावली में :

(1) 'पुलिस अधिकारी' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा के अधीनस्थ श्रेणी के सभी अधिकारी/कर्मचारियों से है, एवं आरक्षी पुलिस का तात्पर्य फायरमैन से, मुख्य आरक्षी पुलिस का तात्पर्य लीडिंग फायरमैन एवं फायर सर्विस चालक से, उपनिरीक्षक पुलिस का तात्पर्य फायर स्टेशन सेकण्ड आफिसर से तथा निरीक्षक पुलिस का तात्पर्य फायर स्टेशन आफिसर से है।

(2) 'पुलिस उपाधीक्षक' में अग्निशमन सेवा विभाग के मुख्य अग्निशमन अधिकारी भी सम्मिलित होंगे।

(3) 'राजपत्रित अधिकारी' में अग्निशमन सेवा विभाग में तैनात वह सभी अधिकारी सम्मिलित होंगे जो मुख्य अग्निशमन अधिकारी से निम्न स्तर के न हो।

(4) उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा मुख्यालय में तैनात पुलिस विभाग का कोई भी अधिकारी जो पुलिस उपमहानिरीक्षक स्तर के अधिकारी से निम्न स्तर का न हो वह-

(एक) उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा के अधीनस्थ श्रेणी के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को दण्ड नियमावली के नियम-4 में यथाउल्लिखित कोई भी दण्ड दे सकता है एवं इसका आदेश पारित कर सकता है, जैसा कि दण्ड नियमावली के नियम-7(1) में वर्णित है।

(दो) दण्ड नियमावली के नियम 17 में यथा वर्णित-

(क) उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा के अधीनस्थ श्रेणी के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को स्वयं निलम्बित कर सकता है।

(ख) किसी भी अधिकारी को, जो पुलिस अधीक्षक अथवा निदेशक अग्निशमन सेवा से निम्न स्तर का न हो, उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा के अधीनस्थ श्रेणी के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को निलम्बित करने के लिये अधिकृत कर सकता है।

(ग) किसी भी प्राधिकारी को, जो संयुक्त निदेशक अग्निशमन सेवा से निम्न स्तर का न हो, उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा के अधीनस्थ श्रेणी के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को जो फायर स्टेशन सेकण्ड आफिसर से निम्न श्रेणी का हो, निलम्बित करने के लिये अधिकृत कर सकता है।

(तीन) दण्ड नियमावली के नियम 11 के अनुसार जाँच अधिकारी द्वारा प्रयोग किए जाने वाले सभी या किन्हीं कृत्यों का प्रयोग कर सकता है।

(चार) उचित स्तर के किसी भी अधिकारी को, दण्ड नियमावली के नियम-12 के अनुसार, जांच स्थानान्तरित कर सकता है।

28. सेवा की शर्तों में शिथिलता- जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में असम्यक कठिनाई होती है, वहाँ वह उस मामले में लागू नियमों में से किसी बात के होते हुये भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

29. व्यावृत्ति-इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये आदेशो के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

30. अध्यारोही प्रभाव- (1) राज्य सरकार द्वारा बनाई गई किसी अन्य नियमावली या जारी किये गये शासनादेश या प्रशासनिक अनुदेशों में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, इस नियमावली के उपबन्ध प्रभावी होंगे।

(2) अग्निशमन सेवा के फायरमैन, फायर सर्विस चालक, लीडिंग फायरमैन, फायर स्टेशन सेकेण्ड आफिसर एवं फायर स्टेशन आफिसर के चयन, पदोन्नति, प्रशिक्षण, नियुक्ति, ज्येष्ठता निर्धारण और स्थायीकरण आदि से सम्बन्धित या उनसे आनुषंगिक विषयों के संबंध में समय-समय पर जारी किए गए शासनादेश प्रारम्भ से विखण्डित और पतिसंह्रत हो जायेंगे।

(3) सेवारत् सदस्यों का तत्सम्बन्ध में जारी किसी नियमावली शासनादेशों या प्रशासनिक अनुदेशों के अधीन चयन, पदोन्नति, प्रशिक्षण, नियुक्ति, ज्येष्ठता निर्धारण और स्थायीकरण आदि से सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों के सम्बन्ध में, कोई दावा नहीं होगा, और तद्धीन प्रोद्भूत कोई अधिकार समाप्त हुए समझे जायेंगे।

(4) ऐसे विखण्डन के होते हुए भी प्रचलित नियमावली, शासनादेशों या प्रशासनिक अनुदेशों के अधीन 14 अक्टूबर, 2010 के पूर्व स्वीकृत चयन, पदोन्नति, प्रशिक्षण, नियुक्ति, ज्येष्ठता निर्धारण और स्थायीकरण आदि की प्रसुविधा प्रत्याहरित नहीं की जायेगी।

आज्ञा से,
(देबाशीष पण्डा)
प्रमुख सचिव, गृह

परिशिष्ट

नियम-17(1)(ग) देखें,

फायर स्टेशन सेकेण्ड आफिसर के पद पर पदोन्नति हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षण

1. शारीरिक दक्षता परीक्षण का संचालन बोर्ड द्वारा गठित एक समिति द्वारा किया जायेगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

(क) बोर्ड द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक अपर पुलिस अधीक्षक।

(ख) जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक चिकित्सा अधिकारी।

विद्यमान शासनादेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्ग के नागरिक, अल्पसंख्यक व अन्य किसी श्रेणी जिसका प्रतिनिधित्व उपरोक्त दल में आवश्यक हो, के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने हेतु बोर्ड द्वारा उपरोक्त दल में उचित स्तर के अतिरिक्त अधिकारियों को सदस्य के रूप में रखा जायेगा।

परीक्षा का संचालन करने के लिये यह दल किसी अन्य विशेषज्ञ की सहायता ले सकता है।

2. शारीरिक दक्षता परीक्षा केवल अर्हकारी प्रकृति की होगी शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होने के लिये अभ्यर्थियों को 3.2 किमी0 की तेज चाल 35 मिनट में पूरा करना आवश्यक होगा।

टिप्पणी :- समय की संगणना निकटतम सेकेण्ड तक की जायेगी।

3. दल द्वारा मैनुअल टाइमिंग किये जाने की अनुमति नहीं होगी। सी0सी0टी0वी0 कवरेज सहित मानकीकृत इलेक्ट्रानिक टाइमिंग उपकरण और पर्याप्त बैकअप के साथ बायोमैट्रिक्स का प्रयोग यथार्थता व पारदर्शिता सुनिश्चित करने एवं वेशपरिवर्तन से बचने के लिये किया जायेगा।

4. दल नीचे दी गयी प्रक्रिया का पालन करेगा :-

(क) बोर्ड द्वारा प्रतिदिन परीक्षण कराये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का अवधारण किया जायेगा और उनका विनिश्चय परीक्षण कराये जाने वालों की कुल संख्या एवं विद्यमान दशाओं पर आधारित होगा।

(ख) अर्हता के लिये इस परिशिष्ट के खण्ड-2 में न्यूनतम शारीरिक दक्षता मानकों की सूचना परीक्षण स्थल पर सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जायेगी।

(ग) इस परीक्षण का परिणाम परीक्षण स्थल पर सूचना पट्ट पर दिन की समाप्ति पर प्रदर्शित किया जायेगा और यदि सम्भव हुआ तो यथाशीघ्र बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा।

(घ) संगठनात्मक दल, जिसमें परीक्षण अभिकरण यदि कोई हो, भी सम्मिलित है, के ऐसे सदस्य जो जानबूझ कर ऐसा कार्य करते हैं जो गलत हो या किसी ऐसे कार्य को नहीं करते हैं जिससे किसी अभ्यर्थी को अनुचित लाभ पहुँचता हो या उसका अहित होता हो, तो वे दाण्डिक कार्यवाही/या विभागीय कार्यवाही के भागी होंगे।

(ङ) शारीरिक दक्षता परीक्षण का परिणाम अभ्यर्थियों को उसी दिन उपलब्ध कराया जायेगा। सफल अभ्यर्थियों की सूची दल के सदस्यों के संयुक्त हस्ताक्षर से घोषित की जायेगी।

(च) बहिर्कक्ष परीक्षण इस प्रकार किये जायेंगे कि परिणामों का मूल्यांकन किया जा सके और उन्हें बिना किसी हस्तगत मध्यक्षेप के यांत्रिक रूप से अभिलिखित किया जा सके। शारीरिक मानक परीक्षण के लिये अधिमानतः भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन वाले मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग किया जायेगा।

(छ) अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जायेगी कि वे दिये गये दिनांक और समय पर उपस्थित हों। ऐसे कारणों से जो उनके नियंत्रण के परे हों, और जो लिखित रूप में अभिलिखित किये जायेंगे, किसी विशिष्ट

समय पर परीक्षण किये जाने वाले अभ्यर्थियों के समूह हेतु परीक्षण के दिनांक एवं समय में बोर्ड द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। यदि कोई अभ्यर्थी नियत दिनांक पर परीक्षा में सम्मिलित होने में विफल रहता है तो उसे परीक्षा में असफल माना जायेगा। परीक्षा में सम्मिलित न होने के कारण अथवा विहित मानक प्राप्त न कर सकने के कारण असफल हो जाने वाले अभ्यर्थी को दूसरा मौका नहीं दिया जायेगा और स्वास्थ्य के कारण या किसी अन्य आधार पर चाहे जो भी हो पुनः परीक्षण के लिये कोई अपील नहीं की जा सकेगी।

टिप्पणी :-समस्त वीडियो अभिलेखों में व्यक्तिगत गोपनीयता का सम्मान रखा जायेगा और अभिलेख को सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जायेगा तथा किसी न्यायालय को उसके सम्मन किये जाने पर या किसी जांच अधिकारी को बोर्ड की अनुमति से उपलब्ध कराया जायेगा।

आज्ञा से,

(देबाशीष पण्डा)
प्रमुख सचिव, गृह

उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली, 2015

उत्तर प्रदेश शासन गृह (पुलिस) अनुभाग-1

संख्या-6-पु-1-15-650(59)/2002 लखनऊ, दिनांक जुलाई , 2015

अधिसूचना

पुलिस अधिनियम 1861 (अधिनियम संख्या 5 सन 1861) की धारा–2 के साथ पठित धारा–46 की उपधारा (2) के अधीन शक्ति और इस निमित्त समस्त अन्य समर्थकारी शक्ति का प्रयोग करके और इस निमित्त जारी समस्त विद्यमान सरकारी आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल , उततर प्रदेश पुलिस बल के लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक सेवा संवर्ग के सभी पदों के चयन, पदोन्नति, प्रशिक्षण, नियुक्ति, ज्येष्ठता का निर्धारण और स्थायीकरण आदि को विनियमित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः–

भाग–1 सामान्य

1-संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1-यह नियमावली उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली, 2015 कही जायेगी।

2- यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2-सेवा की प्रस्थिति उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक सेवा में उत्तर प्रदेश पुलिस के अनुषांगिक संवर्ग हैं और जिसमें समूह 'ग' के पद समाविष्ट हैं।

3- परिभाषाएं जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो इस नियमावली में :-

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण अधिनियम, 1994 से है;

(ख) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' का तात्पर्य- सहायक उप निरीक्षक के पद के लिए पुलिस अधीक्षक एवं उप निरीक्षक व निरीक्षक के पद के लिए अपनी-अपनी अधिकारिता में पुलिस उप महानिरीक्षक से है;

(ग) ''बोर्ड'' का तात्पर्य इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार स्थापित उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड से है;

(घ) ''संविधान'' का तात्पर्य भारत का संविधान से है;

(ङ) ''भारत का नागरिक'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग-2 के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाए;

(च) ''सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है;

(छ) ''राज्यपाल'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;

(ज) ''विभागाध्यक्ष'' का तात्पर्य पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश से है;

(झ) ''सेवा का सदस्य'' का तात्पर्य इस नियमावली के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति से है और इसके अन्तर्गत सरकारी आदेशों के अधीन पहले से नियुक्त व्यक्ति भी सम्मिलित होंगे;

(ञ) ''नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों'' का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियम की अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है;

(ट) ''पुलिस मुख्यालय'' का तात्पर्य मुख्यालय, पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ या उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद से है;

(ठ) ''चयन समिति'' का तात्पर्य सेवा के पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों के चयन के लिए बोर्ड द्वारा गठित चयन समिति से है;

(ड) ''सेवा'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश पुलिस बल के लिपिक वर्गीय सेवाओं में लिपिक संवर्ग, लेखा संवर्ग एवं गोपनीय सहायक संवर्ग से है;

(ढ) ''मौलिक नियुक्ति'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हों और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्य पालक आदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो;

(ण)''भर्ती का वर्ष'' का तात्पर्य प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली 12 मास की अवधि से है;

भाग-2 संवर्ग

4- सेवा का संवर्ग उत्तर प्रदेश पुलिस के लिपिकीय सेवाओं में निम्नलिखित संवर्ग होंगे :-

(1) लिपिक संवर्ग।

(2) लेखा संवर्ग।

(3) गोपनीय सहायक संवर्ग।

संवर्गों का गठन एवं संख्या (1) नियम-4 में निर्दिष्ट संवर्गों की संख्या और उसमें श्रेणियों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।

(2) इन संवर्गों का गठन एवं संख्या निम्नवत होगी :-

(क) लिपिक संवर्ग

कंम सं०	पदों का नाम	संख्या
1.	पुलिस निरीक्षक (लिपिक)	92
2.	पुलिस उप निरीक्षक (लिपिक)	678
3.	पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लिपिक)	1560

(ख) लेखा संवर्ग

कंम सं०	पदों का नाम	संख्या
1.	पुलिस निरीक्षक (लेखा)	37
2.	पुलिस उप निरीक्षक (लेखा)	276
3.	पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लेखा)	585

(ग) गोपनीय सहायक संवर्ग

कंम सं०	पदों का नाम	संख्या
1.	पुलिस निरीक्षक (गोपनीय)	247

2.	पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय)	540

(3) राज्यपाल किसी ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल किसी रिक्त पद को प्रास्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

भाग-3 भर्ती

6.भर्ती का स्रोत (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :-

(क) लिपिक संवर्ग

पुलिस निरीक्षक (लिपिक)-

मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे पुलिस उप निरीक्षक (लिपिक) में से अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

पुलिस उप निरीक्षक (लिपिक)-

मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लिपिक) में से अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा;

पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लिपिक)-

(क) अस्सी प्रतिशत पदों को नियम-17 में विहित प्रक्रिया के अनुसार बोर्ड के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा;

टिप्पणी-सेवाकाल में पुलिस विभाग के मृतक कर्मचारियों के ऐसे आश्रित जो पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लिपिक) के पद पर मृतक आश्रित के रूप में प्रार्थनापत्र देते हैं, उनकी भर्ती बोर्ड द्वारा, राज्य सरकार द्वारा तय की गई नीति के अनुसार की जायेगी।

प्रतिबन्ध यह है कि पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) के ऐसे पद, प्रत्येक वर्ष सीधी भर्ती द्वारा पूर्व स्वीकृत पदों के सापेक्ष उत्पन्न हुई रिक्तियों के कारण भरे जाने वाले पदों के 05 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

(ख) बीस प्रतिशत पदों को मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे समूह 'घ' कर्मचारियों में से **परिशिष्ट-''घ''** में विहित प्रक्रिया के अनुसार विभागीय परीक्षा के आधार पर बोर्ड के माध्यम से पदोन्नति द्वारा, जिन्होंने :-

(एक) भर्ती वर्ष के प्रथम दिन को सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो;

(दो) भर्ती वर्ष के प्रथम दिन को 50 वर्ष से अधिक आयु पूरी न की हो;

(तीन) भर्ती वर्ष के प्रथम दिन को सीधी भर्ती हेतु विनिर्दिष्ट अन्य समस्त अर्हता रखता हो;

परन्तुक यह कि यदि समूह 'घ' के कर्मचारियों में से उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो इन रिक्तियों को सीधी भर्ती द्वारा भरा जायेगा।

(ख) लेखा संवर्ग

पुलिस निरीक्षक (लेखा)-

मौलिक रूप से नियुकत ऐसे पुलिस उप निरीक्षक (लेखा) में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा।

पुलिस उप निरीक्षक (लेखा)-

मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लेखा) में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा।

पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लेखा)-

शत-प्रतिशत पदों को नियम-17 में विहित प्रक्रिया के अनुसार बोर्ड के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

टिप्पणी- सेवाकाल में पुलिस विभाग के मृतक कर्मचारियों के ऐसे आश्रित जो पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लेखा) के पद पर मृतक आश्रित के रूप में प्रार्थनापत्र देते हैं, उनकी भर्ती बोर्ड द्वारा, राज्य सरकार द्वारा तय की गई नीति के अनुसार की जायेगी।

प्रतिबन्ध यह है कि पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लेखा) के ऐसे पद, प्रत्येक वर्ष सीधी भर्ती द्वारा पूर्व स्वीकृत पदों के सापेक्ष उत्पन्न हुई रिक्तियों के कारण भरे जाने वाले पदों के 05 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

(ग) गोपनीय सहायक संवर्ग

पुलिस निरीक्षक (गोपनीय)-

मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय) में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा।

पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय)-

शत-प्रतिशत पदों को नियम-17 में विहित प्रक्रिया के अनुसार बोर्ड के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

टिप्पणी-सेवाकाल में पुलिस विभाग के मृतक कर्मचारियों के ऐसे आश्रित जो पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय) के पद पर मृतक आश्रित के रूप में प्रार्थनापत्र देते हैं, उनकी भर्ती बोर्ड द्वारा, राज्य सरकार द्वारा तय की गई नीति के अनुसार की जायेगी।

प्रतिबन्ध यह है कि पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय) के ऐसे पद, प्रत्येक वर्ष सीधी भर्ती द्वारा पूर्व स्वीकृत पदों के सापेक्ष उत्पन्न हुई रिक्तियों के कारण भरे जाने वाले पदों के 05 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

आरक्षण 7. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण अधिनियम और समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (महिला अभ्यर्थी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित, खिलाड़ी एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 के अनुसार और बोर्ड द्वारा रिक्तियों की अधिसूचना के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा। राष्ट्रीय और राज्य स्तर खिलाड़ियों का आरक्षण बोर्ड द्वारा रिक्तियों की अधिसूचना के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार होगा।

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति इस नियमावली के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे।

संक्रमणकालीन 8. (1) आरक्षी (लिपिक) या सहायक उप निरीक्षक (लिपिक) के पद पर नियुक्त कोई व्यक्ति जो वर्तमान में लिपिक शाखा या लेखा शाखा में प्रावधान शासनादेश संख्या :

4907/VIII/650(4)/75 दिनांक : 09 फरवरी, 1976 एवं पुलिस मुख्यालय के अर्द्धशासकीय परिपत्र संख्या : 18-115-76, दिनांक 25 अक्टूबर, 1977 में वर्णित पूर्व के किन्हीं पाँच संवर्गों में शासनादेश संख्या : 7252/VIII-क-94/66 दिनांक : 06 सितम्बर, 1966 में वर्णित किसी भी पद को धारण कर रहा हो, को इस नियमावली के गजट में प्रकाशन की तिथि से नव निर्मित लिपिक संवर्ग अथवा लेखा संवर्ग में क्रमशः सम्मिलित समझा जायेगा।

परन्तु यह कि कोई कर्मी जो नवसृजित लिपिक संवर्ग अथवा लेखा संवर्ग में सम्मिलित माना गया है, यदि उसे नवसृजित संवर्ग आवंटन के संबंध में कोई शिकायत है तो इस नियमावली के गजट में प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर अपने संवर्ग के परिवर्तन के लिए प्रत्यावेदन विभागाध्यक्ष को दे सकता है। विभागाध्यक्ष लिपिक संवर्ग एवं लेखा संवर्ग के ऐसे सभी कर्मियों की जिन्होंने निर्धारित समय में अन्य संवर्ग में जाने के संबंध में अपना प्रत्यावेदन दिया है उनकी पदवार प्रत्येक पद की ज्येष्ठता सूची तैयार करेंगे और ज्येष्ठता के अनुसार अधिक से अधिक कर्मियों का यथासम्भव समायोजन इस शर्त के साथ करेंगे कि प्रत्यावेदन निस्तारण के पश्चात प्रत्येक संवर्ग में प्रत्येक पद पर कर्मियों की उपलब्धता समानुपातिक रूप से दोनों संवर्गों में बनी रहे।

(2) शासनादेश संख्या : 7252/VIII-क-94/66 दिनांक : 06 सितम्बर, 1966 में वर्णित केवल उप निरीक्षक (लिपिक)/आशुलिपिक के पद पर नियुक्त तथाा शासनादेश संख्या : 4907/VIII/650(4)/75 दिनांक : 09 फरवरी, 1976 के अनुसार पाँच संवर्गों में कार्यरत कर्मी इस नियमावली के अधीन गोपनीय सहायक संवर्ग में गठित किये जायेंगे।

भाग-4 अर्हता

राष्ट्रीयता 9. सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी :-

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थाई निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, वर्मा (म्यांनमार), श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीकी देश केनिया, उगांडा तथा यूनाईटेड रिपब्लिक आफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जांजीबार) से प्रव्रजन किया हो :-

परन्तु यह कि श्रेणी (ख) व (ग) से सम्बन्धित अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें :-

परन्तु अग्रतर यह कि श्रेणी (ख) से सम्बन्धित अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें :-

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी : ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों का चयन के बाद नियुक्ति तभी की जायेगी जब अपेक्षित प्रमाण पत्र नियुक्ति अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

सीधी भर्ती हेतु शैक्षिक अर्हता 10. (1) पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लिपिक)

(क) भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता ;

(ख) कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी टंकण अथवा 30 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी टंकण (इनस्क्रिप्ट की बोर्ड पर यूनिकोड में या जैसा विभागाध्यक्ष निर्धारित करे);

(ग) डोएक/नाइलिक सोसायटी से कम्प्यूटर में ''ओ'' स्तर का प्रमाण पत्र।

(2) पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लेखा)

(क) भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से वाणिजय में स्नातक उपाधि या लेखाशास्त्र में परास्नातक डिप्लोमा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता;

(ख) कम से कम 15 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी टंकण (इनस्क्रिप्ट की बोर्ड पर यूनिकोड में या जैसा विभागाध्यक्ष निर्धारित करें);

(ग) डोएक/नाइलिक सोसायटी से कम्प्यूटर में ''ओ'' स्तर का प्रमाण पत्र।

(3) पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय)

(क) भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता;

(ख) न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी टंकण (इनस्क्रिप्ट की बोर्ड पर यूनिकोड में या जैसा विभागाध्यक्ष निर्धारित करें);

(ग) न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी शार्ट हैण्ड श्रुतलेख;

(घ) डोएक/नाइलिक सोसायटी से कम्प्यूटर में 'ओ' स्तर का प्रमाण पत्र।

अधिमानी अर्हता 11. अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने :-

(1) डोएक/नाइलिक सोसाइटी से उच्च प्रमाणीकरण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कम्प्यूटर एप्लीकेशन/प्रौद्योगिकी में स्नातक उपाधि या उससे उच्च अर्हता प्राप्त किया हो;

(2) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान या महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक किया हो,

(3) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की सेवा की हो;

(4) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

अधिमान्यता दिये जाने का तरीका विभागाध्यक्ष की सहमति के बोर्ड द्वारा निर्णीत किया जायेगा।

आयु 12. सभी पदों में सीधी भर्ती के लिये जिस कलैन्डर वर्ष में सीधी भर्ती की रिक्तियाँ प्रकाशित की जाय, उसकी जुलाई के प्रथम दिन अभ्यर्थी ने 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक की आयु पूर्ण न की हो;

परन्तुक यह कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाय।

चरित्र 13. किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्त प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेंगे।

टिप्पणी :- संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अद्यमता के किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध व्यक्ति भी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति 14. सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा व्यक्ति पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हो या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होंगी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो;

परन्तुक यह कि राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं, यदि उसका समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।

शारीरिक स्वस्थता 15. किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा। जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षता पूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्त के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा बोर्ड के परीक्षण में सफल हो जाय।

टिप्पणी :-चिकित्सा बोर्ड नाक-नी, बो लेग्स, फ्लैट फीट, वेरीकोस वेंस, दूर एवं निकट दृष्टि, कलर ब्लाइंडनेस (पार्सियल एवं टोटल), श्रवण परीक्षण, जैसा कमियों इत्यादि का भी परीक्षण करेगा।

भाग-5 भर्ती हेतु प्रक्रिया

रिक्तियों की अवधारणा 16. कार्यालयाध्यक्ष भर्ती वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा और नियम-7 के अधीन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य श्रेणी के

अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। विभागाध्यक्ष, रिक्तियों की संख्या की सूचना, बोर्ड को देगा। सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां निम्नलिखित रूप से अधिसूचित की जायेंगी :-

(एक) व्यापक प्रसार वाले दैनिक हिन्दी एवं अंग्रेजी समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी करके;

(दो) कार्यालय के सूचना पट्ट पर नोटिस चस्पा करके या रोजगार समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन द्वारा, एवं

(तीन) रोजगार कार्यालय को रिक्तियों को अधिसूचित करके,

(चार) पुलिस के वेबसाइट तथा सूचना विभाग को सम्मिलित करके बहु संचार के किसी अन्य माध्यम द्वारा;

सीधी भर्ती हेतु प्रकिया 17. (क) आवेदन-पत्र प्रक्रिया

(एक) अभ्यर्थी केवल एक आवेदन-पत्र भरेगा। बोर्ड केवल आनलाईन आवेदन-पत्र स्वीकार करेगा। एक से अधिक आवेदन भरने वाले अभ्यर्थी का आवेदन पत्र बोर्ड द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

(दो) शैक्षिक अर्हता, आयु, प्रत्येक श्रेणी के परीक्षण, जिसके अन्तर्गत शारीरिक, लिखित, चिकित्सीय आदि परीक्षण भी हैं, के लिये न्यूनतम अर्हक मानक, विषयवार लिखित परीक्षा के लिये न्यूनतम अर्हक अंक के संबंध में सूचना का विवरण एवं अन्य महत्वपूर्ण दिशा निर्देश, जो समय-समय पर बोर्ड द्वारा अवधारित किया जाये, बोर्ड द्वारा अपनी वेबसाइट पर या किसी अन्य रीति से जैसा वह आवश्यक समझें, उपलब्ध करायी जायेगी।

(तीन) आवेदन पत्र के लिए आवेदक को पर्याप्त समय देते हुए बोर्ड द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे। अभ्यर्थी आवेदन पत्र की यथार्थता और पूर्णता के लिए व्यक्तिगत रूप से और अकेले ही उत्तरदायी होगा, यदि किसी अभ्यर्थी का आवेदन-पत्र अपूर्ण, दोषपूर्ण या अयथार्थ सूचना से युक्त है, तो आवेदन-पत्र को निरस्त किया जा सकता है जिसके लिए बोर्ड का निर्णय अन्तिम होगा।

(चार) आवेदक अपने प्रमाण पत्रों और दस्तावेजों को स्वयं प्रमाणित करेगा और उनकी यथार्थता तथा शुद्धता के लिए उत्तरदायी होगा।

(पाँच) आवेदन पत्र में पहचान विवरण, विशिष्ट पहचान पत्र संख्या, अंगूठा एवं अंगुली के निशान, फोटोग्राफ या बायोमैट्रिक्स विवरण इस प्रकार समाविष्ट होंगे जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाये।

(छः) विभागाध्यक्ष, बोर्ड से विचार विमर्श कर, किसी भर्ती के लिए आवेदन शुल्क नियत कर सकता है।

(सात) अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत की गयी किसी पूर्ववर्ती या पश्चातवर्ती सूचना में किसी अपूर्णता या अयथार्थता या परिवर्तन या असंगति के लिए बोर्ड को किसी आवेदन का अभ्यर्थन सरसरी तौर पर अस्वीकार करने का अधिकार होगा।

(आठ) सरकार प्रथम परीक्षा के पूर्व किसी भी समय किसी भर्ती के लिए रिक्तियों की संख्या परिवर्तित कर सकती है और किसी भर्ती को किसी भी समय या भर्ती के किसी स्तर पर बिना कोई कारण बताये निरस्त कर सकती है।

(नौ) अभ्यर्थी अपने आवेदन में उपखण्ड (एक) में यथा विहित अपनी वरीयता का क्रमशः उल्लेख करेगा जो चयन की दशा में आवंटन का आधार होगा। आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा दी गयी वरीयता अन्तिम होगी एवं इसके पश्चात किसी परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(ख) बुलावात्र

अभ्यर्थियों के लिए बुलावा पत्र परीक्षा के कम से कम सात दिन पूर्व बोर्ड द्वारा अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा, जिसे अभ्यर्थी डाऊनलोड करेगा और इसे पश्चातवर्ती परीक्षा के लिये लायेगा।

(ग) लिखित परीक्षा

अभ्यर्थी, जिनके आवेदन पत्र सही पाये जाते हैं, से एक वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी, जो निम्नलिखित विषयों में 400 अंकों की होगीः-

क्रम सं०	**विषय**	**अधिकतम अंक**
1.	सामान्य हिन्दी/कम्प्यूटर (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)	100 अंक
2.	सामान्य जागरूकता/सामायिक विषय (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)	100 अंक
3.	संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा(वस्तुनिष्ठ प्रकार की)	100 अंक
4.	मानसिक अभिरूचि परीक्षा/ बुद्धिलब्धि परीक्षा/तार्किक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)	100 अंक

टिप्पणी : परीक्षा के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जायेगा। लिखित परीक्षा के संचालन की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी परिशिष्ट-क में विहित है। प्रत्येक विषय में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे।

(घ) अभिलेखों की संवीक्षा एवं चिकित्सीय परीक्षा

ऐसे अभ्यर्थी जो खण्ड (ग) में निर्दिष्ट लिखित परीक्षा में सफल होते हैं, उनसे अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा परिशिष्ट-ख के अनुसार संचालित की जाएगी। संवीक्षा के दौरान या संवीक्षा के पश्चात किसी भी समय किसी भी अभिलेख की छलसाधित, गलत या कूटरचित पाये जाने की दशा में, आवेदक का अभ्यर्थन, यथास्थिति, बोर्ड अथवा नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक के अनुसार निरस्त कर दिया जायेगा।

(ङ) कम्प्यूटर टंकण एवं आशुलिपि परीक्षा

भाग (घ) के अनुसार अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में सफल पाये गये अभ्यर्थी से अर्हकारी प्रकृति की कम्प्यूटर टंकण परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। कम्प्यूटर टंकण की अर्हकारी गति अभ्यर्थी द्वारा आवेदित पद के अनुसार होगी। अभ्यर्थी से, उसके आवेदन पत्र में भरे विकल्प के अनुसार, हिन्दी अथवा अंग्रेजी टंकण परीक्षा में बैठने की अपेक्षा की जायेगी। केवल वही अभ्यर्थी, जिनके

द्वारा पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय) के पद हेतु आवेदन किया गया है और उपरोक्तानुसार कम्प्यूटर टंकण में उत्तीर्ण होते हैं, आशुलिपि परीक्षा में सम्मिलित होंगे, जो अर्हकारी प्रकृति की होगी। उपर्युक्त परीक्षा हेतु समस्त पाठ्यक्रम, बोर्ड द्वारा विभागाध्यक्ष की सहमति से विनिश्चित किया जायेगा तथा वेबसाइट पर सम्यक रूप से प्रकाशित किया जायेगा।

नोट :- समस्त वीडियो रिकार्ड में व्यक्तिगत गोपनीयता बनाई रखी जायेगी तथा समस्त अभिलेख बोर्ड में सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जायेंगे तथा न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर न्यायालय को या जांच अधिकारी द्वारा तलब किये जाने पर बोर्ड के स्तर से उपलब्ध कराये जायेंगे।

(च) चयन तथा अन्तिम योग्यता सूची

ऐसे अभ्यर्थियों से जिन्होंने कम्प्यूटर टंकण परीक्षा उत्तीर्ण की है और ऐसे अभ्यर्थियों में जिन्होंने उप निरीक्षक (गोपनीय) के पद हेतु आवेदन किया है और आशुलिपिक परीक्षा भी उत्तीर्ण की हो में से, उनके द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर, प्रत्येक पद के लिये आरक्षण नीति के दृष्टिगत, बोर्ड रिक्तिों के सापेक्ष प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों की चयन सूची तैयार करेगा और उसे संस्तुति सहित चिकित्सा परीक्षा/चरित्र सत्यापन के अधीन विभागाध्यक्ष को प्रेषित करेगा। बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जायेगी। बोर्ड द्वारा, प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के साथ ऐसे समस्त अभ्यर्थियों की सूची, अपनी वेबसाइट पर अपलोड की जायेगी। विभागाध्यक्ष बोर्ड द्वारा प्रेषित सूची को अनुमोदनोपरान्त अग्रतर कार्यवाही हेतु नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

टिप्पणी :- यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी बराबर-बराबर अंक प्राप्त करते हैं, तो उनकी योग्यता का विनिश्चय निम्नलिखित प्रक्रिया के क्रमानुसार किया जायेगा :-

(1) यदि दो या अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं तो, ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जायेगी जो अधिमानी अर्हता (उपर्युक्त नियम-11 में उल्लिखित क्रम के अनुसार), यदि कोई हों, रखते हों। एक से अधिक अधिमानी अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी को केवल एक ही अधिमानी अर्हता का लाभ प्राप्त होगा।

(2) उपर्युक्त के होते हुए भी यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान हों, तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जायेगी।

(3) यदि उपरिलिखित के बावजूद भी एक से अधिक अभ्यर्थी समान हो, तो ऐसे अभ्यर्थियों की वरीयता, उनके हाईस्कूल प्रमाण पत्र में यथा उल्लिखित उनके नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार, निर्धारित की जायेगी।

(छ) चिकित्सा परीक्षण

भाग (च) के अनुसार प्रेषित सूची में स्थान रखने वाले अभ्यर्थियों से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। चिकित्सा परीक्षण, सम्बन्धित जिले की पुलिस लाइन अथवा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उल्लिखित किये गये स्थान पर संचालित किया जाएगा। चिकित्सा परीक्षण परिशिष्ट-ग के अनुसार संचालित होगा। चिकित्सा परीक्षण में असफल पाये गये अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और ऐसी रिक्तियों को अग्रतर चयन के लिए आगे ले जाया जाएगा।

(ज) चरित्र सत्यापन

नियुक्ति पत्र जारी किये जाने से पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन, अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण पर भेजे जाने के पहले, चरित्र सत्यापन का कार्य पूर्ण कराया जायेगा। सामान्यतः चरित्र का सत्यापन एक माह के भीतर पूर्ण कर लिया जायेगा। किसी अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन के दौरान कोई प्रतिकूल तथ्य सामने आने पर, उसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित किया जायेगा और ऐसी रिक्तियों को अग्रतर चयन के लिऐ आगे ले जाया जायेगा।

पदोन्नति द्वारा भर्ती हेतु प्रक्रिया 18.

(1) सहायक उप निरीक्षक (लिपिक) से उप निरीक्षक (लिपिक) :- उप निरीक्षक (लिपिक) के स्वीकृत शत प्रतिशत पद अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति से बोर्ड द्वारा ऐसे मौलिक रूप से नियुक्त सहायक उप निरीक्षकों (लिपिक) में से की जायेगी, जो परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए भर्ती वर्ष के प्रथम दिन को 07 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हों।

(2) उप निरीक्षक (लिपिक) के निरीक्षक (लिपिक):- निरीक्षक (लिपिक) के स्वीकृत शत प्रतिशत पद अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर प्रोन्नति से बोर्ड द्वारा ऐसे मौलिक रूप से नियुक्त उप निरीक्षकों (लिपिक) में से की जायेगी जो परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए भर्ती वर्ष के प्रथम दिन को 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हों।

(3) सहायक उप निरीक्षक (लेखा) के उप निरीक्षक (लेखा) :- उप निरीक्षक (लेखा) के स्वीकृत शत प्रतिशत पद अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर प्रोन्नति से बोर्ड द्वारा ऐसे मौलिक रूप से नियुक्त सहायक उप निरीक्षकों (लेखा) में से की जायेगी, जो परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए भर्ती वर्ष के प्रथम दिन को 07 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हों।

(4) उप निरीक्षक (लेखा) से निरीक्षक (लेखा) :- निरीक्षक (लेखा) के स्वीकृत शत प्रतिशत पद अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर प्रोन्नति से बोर्ड द्वारा ऐसे मौलिक रूप से नियुक्त उप निरीक्षकों (लेखा) में से की जायेगी, जो परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए भर्ती वर्श के प्रथम दिन को 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हों।

(5) उप निरीक्षक (गोपनीय) से निरीक्षक (गोपनीय) :- निरीक्षक (गोपनीय) के स्वीकृत शत् प्रतिशत पद अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर प्रोन्नति से बोर्ड द्वारा ऐसे मौलिक रूप से नियुक्त उप निरीक्षकों (गोपनीय) में से की जायेगी, जो परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए भर्ती वर्ष के प्रथम दिन को 07 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हों।

(6) (क) उप निरीक्षक (लिपिक), उप निरीक्षक (लेखा), निरीक्षक (लिपिक), निरीक्षक (लेखा) एवं निरीक्षक (गोपनीय) के पदों के लिए चयन समिति बोर्ड द्वारा गठित की जायेगी।

(ख) समिति का अध्यक्ष बोर्ड द्वारा नामित होगा तथा जिस पद पर प्रोन्नति के लिये चयन समिति गठित हुई है उस पद के नियुक्ति प्राधिकारी के कनिष्ठ नहीं होगा। उपयुक्त पद का एक सदस्य विभागाध्यक्ष द्वारा नामित किया जायेगा और समिति के शेष सदस्य विद्यमान शासनादेशों के अनुसार बोर्ड द्वारा नामित किये जायेंगे।

(ग) चयन समिति सफल अभ्यर्थियों का परीक्षाफल अपनी संस्तुति सहित बोर्ड को प्रस्तुत करेगा। बोर्ड चयनित अभ्यर्थियों की सूची अपनी संस्तुति सहित विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा। सूची विज्ञापित रिक्तियों से अधिक की नहीं होगी।

(घ) विभागाध्यक्ष अनुमोदन के उपरान्त सूची को नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेंगे जो प्रोन्नति हेतु अंतिम निर्गत करेगा।

(ङ) प्रोन्नति हेतु चयनित अभ्यर्थियों की अंतिम सूची जैसे विभागाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित हो, बोर्ड और उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट (website) पर प्रदर्शित की जायेगी।

भाग-6 नियुक्ति, परिवीक्षा, प्रशिक्षण, स्थाईकरण तथा वरिष्ठता

नियुक्ति 19.

(1) चरित्र सन्तोषजनक पाये जाने पर बोर्ड द्वारा अग्रसारित श्रेष्ठता सूची में अभ्यर्थियों को सूची में अपने नामों के क्रम में नियुक्त किया जायेगा।

(2) बोर्ड द्वारा **नियम-18** के अन्तर्गत पदोन्नति के द्वारा नियुक्ति हेतु अनुसंशित व्यक्तियों को फीडर रैंक में उनकी ज्येष्ठता के क्रम में पदोन्नत किया जायेगा,

परन्तु यह कि पूर्ववर्ती चयन में पदोन्नत व्यक्ति पश्चातवर्ती चयन में पदोन्नत व्यक्ति से ज्येष्ठ होगा :

परन्तु यह और कि कोई व्यक्ति जो इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व शासनादेश संख्या : 4907/आठ/650(4)/75 दिनांक : 09 फरवरी 1976 में वर्णित पाँच संवर्गों में, शासनादेश संख्या : 7552/आठ-क-04/66 दिनांक : 06 सितम्बर 1966 में वर्णित पद पर अथवा शासनादेश संख्या : 1447/6-पु-1-14-650(59)/02 टीसी दिनांक 10 अक्टूबर 2014 में वर्णित पद पर इस नियमावली के प्रारम्भ होने के दिनांक से कार्यरत हों को इस नियमावली के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त किया गया समझा जायेगा और ऐसी मौलिक नियुक्ति इस नियमावली के अधीन की गयी समझी जायेगी।

परिवीक्षा 20.

(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ाई जाय :

परन्तु यह कि आपवादिक परिस्थितियों में परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग संतोषप्रद रूप से करने में अन्यथा विफल रहा है, तो उसे उसके मौलिक पद पर यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उप नियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जाय किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

प्रशिक्षण 21.

(1) संवर्ग में उल्लिखित किसी पद पर सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति को ऐसे संस्थान में ऐसी रीति से ऐसे प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने की अपेक्षा की जायेगी जैसा विभागाध्यक्ष द्वारा अवधारित किया जाय।

(2) विभागाध्यक्ष सेवा के सदस्यों के लिए पदोन्नति या सेवाकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम अवधारित कर सकता है।

स्थाईकरण 22.

(1) नियम 20 के उप नियम (1) एवं (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए नियम-17 के अन्तर्गत नियुक्त व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थाई कर दिया जायेगा, यदि :-

(क) उसने विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया हो;

(ख) उसका कार्य एवं आचरण सन्तोषजनक बताया जाय, और

(ग) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय।

(2) जहाँ उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली 1991 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है वहाँ उस नियमावली के नियम-5 के उपनियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुये आदेश कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

ज्येष्ठता 23. सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार इस प्रतिबन्ध के साथ अवधारित की जायेगी, कि किसी पूर्ववर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्ति व्यक्ति पश्चातवर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्ति से ज्येष्ठ होगा।

भाग-7-वेतन इत्यादि

वेतनमान 24.

(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय विभिन्न श्रेणियों के अनुमन्य वेतनमान निम्नवत् हैं :-

पद	**पे बैण्ड**	**ग्रेड पे**
(क) लिपिक वर्गीय संवर्ग		
1. पुलिस निरीक्षक (लिपिक)	9300-34800	4600
2. पुलिस उप निरीक्षक (लिपिक)	9300-34800	4200
3. पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक)	5200-20200	2800
(ख) लेखा संवर्ग		
1. पुलिस निरीक्षक (लेखा)	9300-34800	4600
2. पुलिस उप निरीक्षक (लेखा)	9300-34800	4200
3. पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लेखा)	5200-20200	2800
(ग) गोपनीय सहायक संवर्ग		
1. पुलिस निरीक्षक (गोपनीय)	9300-34800	4600
2. पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय)	9300-34800	4200

परिवीक्षा अवधि में वेतन 25.

(1) फन्डामेंटल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपलब्ध के होते हुये भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थाई सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और प्रशिक्षण जहाँ विहित हो, पूरा कर लिया हो, और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात तभी दी जायेगी, जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो;

परन्तु यदि नियुक्ति प्राधिकारी को संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये नहीं की जायेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन, सुसंगत फन्डामेंटल रूल्स द्वारा विनियमित होगा;

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थाई सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

अन्य विषयों का विनियमन-26. ऐसे विषयों के संबंध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये विभिन्न नियमों, विनियमों और आदेशों के अनुसार शासित होंगे।

सेवा की शर्तों में शिथिलता 27.-जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनयमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में असम्यक कठिनाई होती है, वहाँ वह उस मामले में लागू नियमों में से किसी बात के होते हुये भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, अभियुक्त या शिथिल कर सकती है।

व्यावृत्ति28.-इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका तत्समय प्रवृत्त विधि और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

....

....

परिशिष्ट 'क'
लिखित परीक्षा हेतु प्रक्रिया

(नियम-17 (ग) देखें)

(1) लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी स्वयं के हस्तलेखमें लिखेंगे। किसी भी मुंशी (स्काइब) या सहायक को किसी भी कारण से अनुमति नहीं दी जायेगी।

(2) यदि परीक्षा के दिनांक से 07 दिन पूर्व बुलावा पत्र नहीं प्राप्त होता है तो बोर्ड अभ्यर्थी को हेल्पलाइन/लैण्डलाइन/मोबाइल फोन से सम्पर्क करने की तथा उसे बुलावा पत्र वेबसाइट से डाउनलोड करने की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।

(3) लिखित परीक्षा पूरे राज्य में एक ही दिन और एक ही समय पर आयोजित की जोयगी।

(4) लिखित परीक्षा के प्रयोजनार्थ ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक तीन प्रतियों में होगा, जिसकी मूलप्रति स्कैनिंग के लिए प्रयोग किया जायेगा, प्रथम कार्बन कॉपी बोर्ड के अभिलेख के लिए और दूसरी कॉपी अभ्यर्थियों के लिए होगी। अभ्यर्थियों को ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक की दूसरी कार्बन प्रति अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी।

(5) लिखित परीक्षा समाप्त हो जाने के पश्चात उत्तर पत्रकों को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा उपलब्ध करायी गयी, सुरक्षित अभिरक्षा के माध्यम से मुहर बन्द आवरण में केन्द्रवार बोर्ड को भेज दिया जायेगा।

(6) बोर्ड समस्त अभ्यर्थियों के (ओ.एम.आर.) उत्तर पत्रकों को उत्तर कुंजी के साथ अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगा।

(7) अभ्यर्थियों को दिये गये प्रश्न-पत्र इस प्रकार होंगे कि प्रश्नों का क्रम और साथ में विशिष्ट प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार न हों। प्रत्येक प्रश्न-पत्र पर एक विशिष्ट पहचान संख्या या क्रम अंकित होगा और अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जोयगी कि वे बोर्ड द्वारा निर्गत किये गये अनुदेशों के अनुसार, जहां इस प्रकार अनुदेशित किया गया हो, उत्तर पुस्तिका पर उसे अभिलिखित करें। जब अभिलिखित करने के लिये अनुदेशित किया गया हो और अभ्यर्थी उसे अभिलिखित करने में असफल रहे हों, तो उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थियों को कोई अंक प्राप्त नहीं होगा।

(8) सभी प्रश्नों एवं उत्तरों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिये सभी सावधानियां बरती जायेगी। तथापि एक या अधिक प्रश्नपत्रों में किसी प्रश्न के गलत होने की दशा में या बोर्ड के विचार में उत्तर का विकल्प अनोखा नहीं है या अन्य किसी कारण से जिसे अभिलिखित किया जायेगा बोर्ड किसी भी प्रश्न को रद्द कर सकता है। बोर्ड द्वारा किसी भी कारण से प्रश्न को रद्द किये जाने की दशा में उस प्रश्न हेतु आबंटित अंक उन सभी अभ्यर्थियों को दिये जायेंगे, जिन्होंने उस प्रश्न का कोई एक उत्तर विकल्प भरा हो।

(9) बोर्ड परीक्षा के लिये विस्तृत पाठ्य-विवरण विनिर्दिष्ट करेगा। तथापि पाठ्य-विवरण संकेतात्मक प्रकृति का होगा और परीक्षा समाप्त हो जाने के बाद पाठ्यक्रम द्वारा अनाच्छादित प्रश्नों से सम्बन्धित मामलों पर कोई अपील या आपत्तियां नहीं की जा सकेगीं।

(10) बोर्ड किसी प्रश्न-पत्र को खण्डों में विभक्त कर सकता है और दो या दो से अधिक विषयों को और दो या दो से अधिक प्रश्न-पत्रों को क्रमानुसार एक प्रश्न-पत्र में संयुक्त कर सकता है।

(11) बोर्ड किसी परीक्षा के लिये एक न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत नियत कर सकता है, जिसे परीक्षा की विज्ञप्ति में स्पष्ट रूप से इंगित किया जायेगा, और जब तक अन्यथा समाधान न हो जाये तब तक बोर्ड अग्रेतर ऐसे अभ्यर्थियों की परीक्षा नहीं ले सकता हैं जो पूर्ववर्ती चरण में विफल हो गये हों।

(12) अभ्यर्थी द्वारा उसके किसी उत्तर पुस्तिका पर किये गये किसी हस्ताक्षर, अंकित किये गये नाम या असंगत चिन्ह, सिवाय अभ्यर्थी को दिये गये निर्देश के अनुसार, के परिणामस्वरूप अभ्यर्थी का बोर्ड के विवेकानुसार अभ्यर्थन अनर्ह हो सकता है।

(13) अगर परीक्षा के दौरान कोई अभ्यर्थी नकल करते हुए अथवा अनुचित संसाधनों का प्रयोग करते हुए पाया जाता है, तो बोर्ड उसका अभ्यर्थन निरस्त कर सकता है एवं इस सम्बन्ध में बोर्ड का निर्णय अन्तिम होगा।

परिशिष्ट 'ख'
अभिलेखों की संवीक्षा एवं चिकित्सीय परीक्षा
(नियम-17(घ) देंखे)

अभिलेखों की संवीक्षा

(1) अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता, शिथिलता, अधिमानी अर्हता आदि के सम्बन्ध में सुसंगत दस्तावेजों के साथ समिति के समक्ष उनके अभिलेखों की संवीक्षा के लिये बुलाया जायेगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

(क) जनपद के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई डिप्टी-कलक्टर अध्यक्ष होगा;

(ख) जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई पुलिस उपाधीक्षक;

(ग) जनपद के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट शिक्षा विभाग का जिला विद्यालय निरीक्षक या बेसिक शिक्षा अधिकारी अथवा कोई अन्य राजपत्रित अधिकारी।

जहाँ विद्यमान शासनादेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक व अन्य किसी श्रेणी जिसका प्रतिनिधित्व उपरोक्त दल में आवश्यक हो के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने हेतु बोर्ड द्वारा जिला के पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम-निर्दिष्ट अतिरिक्त अधिकारियों को रखा जायेगा। नामित किये जाने वाले ऐसे अधिकारी पुलिस विभाग में निरीक्षक स्तर से निम्न नहीं होंगे।

(2) मूल अभिलेखों का मिलान आवेदन-पत्र में उपलब्ध करायी गयी सूचना से किया जायेगा।

(3) अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान बोर्ड, किसी समिति द्वारा किसी प्रकरण का कोई संशय होने के कारण संदर्भित किये जाने पर अथवा सीधे उनके संज्ञान में लाये जाने पर, अपने स्तर से निर्णय लेकर निर्देश जारी कर सकता है। इस प्रकार बोर्ड द्वारा जारी किये गये निर्देश अंतिम माने जायेंगे।

शारीरिक मानक परीक्षण

शारीरिक मानक परीक्षण कराये जाने हेतु उपरोक्त उल्लिखित समिति किसी अन्य राजकीय/कर्मचारी की सहायता ले सकता है।

(1) पुरूष अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है :-

(क) ऊंचाई :

(एक) सामान्य/अन्य पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति के पुरूष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 166 सेन्टीमीटर है।

(दो) अनुसूचित जनजाति के पुरूष अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम ऊंचाई 158 सेन्टीमीटर है।

(ख) सीना :

समाान्य/अन्य पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम सीने का माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर एवं अनुसूचित जनजातियों के लिये 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और फुलाने पर 82 सेंटीमीटर से कम नहीं होगा।

नोट : न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है।

(2) महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है :-

(क) ऊँचाई :

(एक) सामान्य/अन्य पिछड़ी जाति या अनुसूचित जाति की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 150 सेन्टीमीटर है।

(दो) अनुसूचित जनजाति की महिला अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम ऊँचाई 145 सेन्टीमीटर है।

(ख) वजन :¨ महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम।

(3) प्रत्येक परीक्षण हेतु न्यूनतम शारीरिक मानक अर्हता को परीक्षा आयोजित होने के पूर्व परीक्षण स्थल के सूचना पट्ट पर अत्यन्त प्रमुखता से प्रदर्शित किया जायेगा।

(4) शारीरिक मानक परीक्षण की परीक्षा के लिए केवल भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन वाले या निदेशक बाँट माप द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग किया जायेगा।

(5) कोई अभ्यर्थी जो अपनी शारीरिक मानक परीक्षा से असंतुष्ट हो, ठीक परीक्षण के उपरान्त उसी दिन आपत्ति दाखिल कर सकता है। ऐसे समस्त प्रकरणों की आपत्ति के निस्तारण के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा प्रत्येक स्थान पर एक अपर पुलिस अधीक्षक को नामित किया जायेगा एवं ऐसे सभी अभ्यर्थियों का शारीरिक मानक परीक्षण, समिति द्वारा उपरोक्त नाम निर्दिष्ट अपर पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में पुनः कराया जायेगा। ऐसे समस्त अभ्यर्थी जो पुनः कराये गये शारीरिक मानक परीक्षण में असफल पाये जाते हैं उन्हें अनुपयुक्त घोषित किया जायेगा एवं अग्रतर किसी प्रकार की अपील स्वीकार नहीं की जायेगी।

सामान्य अनुदेश :-

(1) अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जायेगी कि वे दिये गये दिनांक और समय पर उपस्थित हों। ऐसे कारणों से जो नियंत्रण के परे हों और जो लिखित रूप में अभिलिखित किये जायेंगे, किसी विशिष्ट समय पर परीक्षण किये जाने वाले अभ्यर्थियों के समूह हेतु परीक्षण के दिनांक एवं समय में बोर्ड द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है।

(2) यदि कोई अभ्यर्थी नियत दिनांक एवं समय पर परीक्षा में सम्मिलित होने में असफल रहता है तो वह परीक्षा हेतु संबंधित जनपद में परीक्षा संचालन हेतु गठित समिति को परीक्षा में सम्मिलित न होने के विस्तृत कारणों का उल्लेख करते हुए, किसी अन्य दिनांक को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए प्रत्यावेदन दे सकता है। समिति द्वारा उसके प्रत्यावेदन पर विचार कर उसे किसी अन्य दिनांक पर परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु निर्णय लिया जा सकता है। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थी को केवल एक अतिरिक्त अवसर प्रदान किया जायेगा एवं अगर वह पुनर्निधारित दिनांक एवं समय पर परीक्षा में सम्मिलित होने में विफल रहता है तो उसे परीक्षा में असफल माना जायेगा। अभ्यर्थियों को यह प्रत्यावेदन, बोर्ड द्वारा इस परीक्षा हेतु पूर्व से निर्धारित की गयी अन्तिम तिथि तक देना होगा। अन्तिम तिथि के बाद दिया गया कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। उपरोक्त ऐसे सभी प्रकरणों को जिसमें समिति द्वारा परीक्षा का दिनांक एवं समय पुनर्निर्धारित किया जायेगा उसके सम्बन्ध में बोर्ड को सूचित किया जायेगा।

(3) परीक्षा में विहित मानक प्राप्त न कर सकने के कारण असफल हो जाने वाले किसी अभ्यर्थी को दूसरा मौका नहीं दिया जायेगा और स्वास्थ्य के कारण या किसी अन्य आधार पर चाहे जो भी हो, पुनः परीक्षा के लिए अपील नहीं की जा सकेगी।

(4) अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा का परिणाम उसी दिन अभ्यर्थियों को अवगत कराया जायेगा।

परिशिष्ट 'ग'

(नियम-17(छ) देखें)

चिकित्सकीय परीक्षण

नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी से चिकित्सा परीक्षण कराये जाने हेतु, चिकित्सा परिषद गठन किये जाने का अनुरोध किया जायेगा। चिकित्सा परिषद में तीन चिकित्सक रखे जायेंगे जो महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य के परामर्श से विभागाध्यक्ष द्वारा विहित और कोड किये गये ''पुलिस भर्ती चिकित्सा परीक्षा प्रपत्र'' के अनुसार अभ्यर्थियों की चिकित्सीय परीक्षा करेगा। यह प्रपत्र उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा और चिकित्सा परीक्षा के स्थान पर भी प्रदर्शि किया जायेगा। चिकित्सा परिषद आवश्यकता अनुसार किसी अन्य विशेषज्ञ की सेवाएं ले सकता है।

शारीरिक मानक परीक्षण की परीक्षा के लिये केवल भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन वाले या निदेशक बाँट माप द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग कि जायेगा।

(1) चिकित्सकों द्वारा अभ्यर्थियों की परीक्षा चिकित्सा मैनुअल, यदि कोई हो, के अनुसार की जायेगी और चिकित्सा परीक्षा के दिन ही परिणाम घोषित कर दिया जायेगा।

(2) चिकित्सा परीक्षा का परिणाम परिसर के बाहर सूचना पट्ट पर दिन की समाप्ति पर प्रदर्शित कर दिया जायेगा।

(3) कोई अभ्यर्थी जो अपनी चिकित्सा परीक्षा से असन्तुष्ट हो, ठीक परीक्षा के दिन ही अपील फाइल कर सकता है। अपील का निस्तारण उक्त प्रयोजन के लिए गठित चिकित्सा परिषद द्वारा अपील फाइल किये जाने के एक माह के भीतर किया जाना चाहिए। चिकित्सा परिषद में आवेदक के चिकित्सा दोष से संबन्धित विशेषज्ञ होना आवश्यक होगा।

(4) चिकित्सा परिषद के ऐसे सदस्य जो जानबूझकर गलत रिपोर्ट देते हुए पाये जायेंगे, दांडिक कार्यवाही के भागी होंगे।

(5) चिकित्सा परीक्षा केवल अर्हकारी प्रकृति की होती है और योग्यता सूची पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

टिप्पणी :-चिकित्सा परिषद द्वारा अभ्यर्थियों तथा उनकी कमियों यथा-नाक-नी, वी-लेग्स, फ्लैट-फीट, वेरीकोज वेन्स, दूर तथा निकट दृष्टि, कलर ब्लाइंडनेस, रीनेज परीक्षण, वेब्वर्स परीक्षण को समाविष्ट करते हुए, श्रवण शक्ति परीक्षण की जाँच की जायेगी एवं अभ्यर्थियों का वर्टिगो, वाक दोष आदि का परीक्षण, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाये, किया जायेगा। चिकित्सा परिषद विशेषज्ञों की राय प्राप्त करके अन्य परीक्षण संचालित करा सकता है।

परिशिष्ट 'घ'

चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों हेतु विभागीय परीक्षा प्रक्रिया

(नियम-6 (ख) देखें)

1. सभी चतुर्थ श्रेणी के पात्र कर्मियों को (नियम-6 सपठित नियम-10) टंकण परीक्षा देनी होगी जो अर्हकारी प्रकृति की होगी।

2. टंकण परीक्षा में सफल सभी अभ्यर्थियों को 100 अंकों की लिखित परीक्षा देनी होग। लिखित परीक्षा को उतीर्ण करने हेतु अभ्यर्थियों को 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम बोर्ड द्वारा विभागाध्यक्ष से परामर्श कर सुनिश्चित किया जायेगा। और रिक्तियों की अधिसूचना के साथ अधिसूचित किया जायेगा। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर श्रेष्ठता सूची (merit list) बनायी जायेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी एक समान अंक प्राप्त करते हैं तो उन अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी जो सेवा में ज्येष्ठ हो, आयु में ज्येष्ठ हो तथा फिर हाईस्कूल के प्रमाण पत्र में अंग्रेजी वर्णमाला में लिखित प्रथम नाम के प्रथम अक्षर के आधार पर।

3. बोर्ड द्वारा अधिसूचित कुल रिक्तियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुये श्रेष्ठता (merit) के अनुसार बोर्ड अभ्यर्थियों की एक चयन सूची तैयार करेगा। बोर्ड चयनित अभ्यर्थियों की सूची अपनी संस्तुति के साथ विभागाध्यक्ष को सौंपेगा।

4. विभागाध्यक्ष सूची को अनुमोदित करेगा और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेगा जो पदोन्नति हेतु अंतिम आदेश निर्गत करेगा।

5. पदोन्नति हेतु चयनित अभ्यर्थियों की अन्तिम सूची, विभागाध्यक्ष द्वारा यथा अनुमोदित की गयी हा बोर्ड तथा उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी।

(देबाशीष पण्डा)

प्रमुख

सचिव, गृह

उत्तर प्रदेश विधि विज्ञान प्रयोगशाला (तकनीकी अधिकारी) सेवा नियमावली -2016

उत्तर प्रदेश सरकार, गृह (पुलिस)अनुभाग–9

संख्या–129 / छः–पी–9–16–2(2) / 2013 दिनांक 20.01.2016

संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल , उत्तर प्रदेश विधि विज्ञान प्रयोगशाला तकनीकी अधिकारी राजपत्रित सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः–

भाग एक-सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1.(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश विधि विज्ञान प्रयोगशाला, तकनीकी अधिकारी सेवा नियमावली, 2016 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की परिस्थिति 2.उत्तर प्रदेश विधि विज्ञान प्रयोगशाला तकनीकी अधिकारी सेवा एक ऐसी सेवा है जिसमें समूह 'क' और समूह 'ख' के पद समाविष्ट हैं।

परिभाषाएं 3. जब तक विषय का संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में—

(क) 'अधिनियम' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोग सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 से है;

(ख) 'नियुक्ति प्राधिकारी' का तात्पर्य राज्यपाल से है;

(ग) 'भारत का नागरिक' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग-दो के अधीन

भारत का नागरिक हो या समझा जाय;
(घ) 'आयोग' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से है;
(ङ) 'संविधान का तात्पर्य' भारत का संविधान से है;
(च) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है;
(छ) 'राज्यपाल' का तात्पर्य उ0प्र0 के राज्यपाल से है।
(ज) "सेवा का सदस्य" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है;
(झ) 'सेवा' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विधि विज्ञान प्रयोगशाला तकनीकी अधिकारी सेवा से है;
(ट) 'मौलिक नियुक्ति' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग मे से किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो नियम के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा और नियमों जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो;
(ठ) 'भर्ती का वर्ष' का तात्पर्य-किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग दो-संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4.(1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।

(2) जब तक कि उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें, सेवा की सदस्य-संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी परिशिष्ट में दी गयी हैः—

परन्तु यह कि—

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे प्रास्थगित रख सकते है जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा अथवा

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदो का सृजन कर सकते हैं जो वह उचित समझें।

(3) सेवा का सदस्य उत्तर प्रदेश में कहीं भी सेवा के प्रति उत्तरदायी होगा।

भाग तीन-भर्ती

भर्ती का

5. सेवा में विभिन्न श्रेणी के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्त्रोतों से की जायेगीः—

स्त्रोत (1) निदेशक—आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वाराः

परन्तु यह कि यदि निदेशक के पद पर सीधी नियुक्ति के लिये कोई उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो रिक्ति ऐसे उपयुक्त अधिकारियों में से, जो नियम-8 में विहित अर्हतायें रखते हो और किसी राज्य सरकार या संघ सरकार के अधीन किसी समकक्ष वैज्ञानिक संस्थान में सेवारत् हों, सेवा स्थानान्तरण / प्रतिनियुक्ति द्वारा भरी जा सकती है।

(2) संयुक्त निदेशक—मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे उप निदेशकों में से, जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप मे पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा

परन्तु यह कि संयुक्त निदेशक (एनेस्थीसिया) का पद नियम-8 में विहित अर्हतायें रखने वाले व्यक्तियों में से सेवा स्थानान्तरण / प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जायेगा।

(3) उप निदेशक—मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे वैज्ञानिक अधिकारियों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा

परन्तु यह कि उप निदेशक (फिजिशियन) का पद एवं उप निदेशक (मेडिकोलीगल) का पद नियम-8 में विहित अर्हतायें रखने वाले व्यक्तियों में से सेवा स्थानान्तरण / प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जायेगा।

(4) वैज्ञानिक अधिकारी—

(एक) 50% आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(दो) 50% मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष सेवा पूर्ण कर ली हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

आरक्षण 6. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यार्थियों के लिए आरक्षण समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम, और उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयोग (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 के उपबन्धों और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग चार-अर्हताए

राष्ट्रीयता

7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थीः

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो; या

(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवजन किया होः

परन्तु यह कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी की ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया होः

परन्तु यह और कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें,

परन्तु यह और भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायगा, और ऐसे अभ्यर्थी का एक वर्ष की अवधि से परे सेवा में बने रहना उसके भारतीय नागरिकता अर्जित करने के अध्यधीन होगा।

टिप्पणी—ऐसा अभ्यर्थी जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति दी जा सकती है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

सैक्षिक अर्हता

8. सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती अथवा सेवा स्थानान्तरण / प्रतिनियुक्ति के लिए अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिए—

(1) निदेशक— अनिवार्य :

(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायनशास्त्र / भौतिकशास्त्र / वनस्पतिविज्ञान / जन्तु विज्ञान / गणित / जैव-रसायन-विज्ञान / विधि विज्ञान (फोरेंसिक साइंस) / सूक्ष्म जीव विज्ञान / जैव प्रौद्योगिकी / अनुवांशिकी / नाभिकीय विज्ञान / कम्प्यूटर विज्ञान / कृषि विज्ञान / मनोविज्ञान विज्ञान / भूगर्भ शास्त्र / वानिकी विज्ञान (फॉरिस्ट साइंस) /

पर्यावरण विज्ञान में एम.एस.सी. / एम.टेक. / एम.फार्मा / एम.बी.बी.एस / एम.एस. / एम.डी. / दन्त विज्ञान में एम.एस. / रेडियोलॉजी / सांख्यिकी / कम्प्यूटर विज्ञान में बी.टेक. / इंजीनियरिंग / सूचना प्रौद्यौगिकी में बी.टेक. अथवा बी.एस.सी. के साथ गणित के एम.ए.।

(2) उपर्युक्त खण्ड (1) में उल्लिखित विषयो में से किसी एक विषय मे कम से कम 15 वर्षों के शोध कार्य के अनुभव के साथ उपर्युक्त को सम्मिलित करते हुए किसी मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला या संस्थान में कम से कम उप निदेशक और इसके ऊपर अथवा इसके समकक्ष कार्य करने की प्रशासनिक क्षमता का न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव।

अधिमानीः- उपर्युक्त विषयों में से किसी एक में डॉक्टरेट (पी.एच.डी.) की उपाधि।

(2) संयुक्त निदेशक ऐनस्थीसिया—एम.डी. ऐनिस्थटिस्ट अथवा एम.बी.बी.एस. और ऐनस्थीसिया में डिप्लोमा और कम से कम पाँच वर्षो का अनुभव।

(3) (क) उप निदेशक (फिजिशियन)—एक.डी. मेडिसिन और कम से कम पाँच वर्षो के अनुभव के साथ स्वास्थ्य / चिकित्सा शिक्षा से स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति पर।

(ख) उप निदेशक (मेडिकोलीगल)—एम.डी. फोरेंसिक मेडिसिन और कम से कम पाँच वर्षो के अनुभाव के साथ स्वास्थ्य / चिकित्सा शिक्षा से स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति पर।

(4) वैज्ञानिक अधिकारी—अनिवार्य

(क)(1) भौतिक अनुभाग—भौतिक शास्त्र / विधि विज्ञान / गणित में एम.एस.सी. / एम.टेक.।

(2) प्राक्षेपिकी अनुभाग—भौतिक शास्त्र / विधि विज्ञान / गणित में एम.एस.सी. / एम.टेक।

(3) उपकरणीय अनुभाग—भौतिक शास्त्र / विधि विज्ञान / गणित में एम.एस.सी./एम.टेक।

(4) प्रलेख अनुभाग—भौतिक शास्त्र / विधि विज्ञान / गणित में एम.एस.सी. / एम.टेक।

(5) रसायन शास्त्र अनुभाग—रसायन शास्त्र / विधि विज्ञान में एम.एस.सी. / एम.टेक।

(6) विष विज्ञान अनुभाग—रसायन शास्त्र / विधि विज्ञान में एम.एस.सी. / एम.टेक।

(7) विस्फोटक अनुभाग—रसायन शास्त्र / विधि विज्ञान में एम.एस.सी. / एम.टेक।

(8) जीव विज्ञान अनुभाग—जन्तु विज्ञान / वनस्पति विज्ञान / विधि विज्ञान / जैव प्रौद्यौगिकी में एम.एस.सी. / एम.टेक।

(9) सीरम विज्ञान अनुभाग—जन्तु विज्ञान / वनस्पति विज्ञान / विधि विज्ञान / जैव प्रौद्यौगिकी में एम.एस.सी / एम.टेक।

(10) डी.एन.ए. अनुभाग—जन्तु विज्ञान / वनस्पति विज्ञान / विधि विज्ञान / जैव प्रौघौगिकी में एम.एस.सी / एम.टेक।

(11) असत्य पता चलाने वाला (लाई डिटेक्शन) अनुभाग—मनोविज्ञान / फोरेंसिक साइकोलॉजी में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा मनोरोग विज्ञान (साइकाइअट्रि) में एम.डी.।

(12) ब्रेन मैपिंग—मनोविज्ञान / फोरेंसिक साइकोलॉजी में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा मनोरोग विज्ञान (साइकाइअट्रि) में एम.डी.।

(13) नारको एनालिसिस—मनोविज्ञान / फोरेंसिक साइकोलॉजी में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा मनोरोग विज्ञान (साइकाइअट्रि) में एम.डी.।

(14) कम्प्यूटर फॉरेन्सिक अनुभाग—कम्प्यूटर विज्ञान में बी.टेक अथवा इलेक्ट्रानिक्स एवं कम्पूनिकेशन में आई.टी. / कम्प्यूटर विज्ञान में एम.एस.सी. / एम.सी.ए.।

(15) फॉरेन्सिक अकूस्टिक अनुभाग—कम्प्यूटर विज्ञान में बी.टेक अथवा इलेक्ट्रानिक्स एवं कम्पूनिकेशन में आई.टी. / कम्प्यूटर विज्ञान में एम.एस.सी. / एम.सी.ए.।

(16) फील्ड यूनिट अनुभाग—भौतिक शास्त्र / रसायन शास्त्र / जीव विज्ञान / जन्तु विज्ञान / वनस्पति विभाग / गणित / विधि विज्ञान / जैव प्रौद्योगिकी में एम.एस.सी. / एम.टेक।

(ख) (1) असत्य पता चलाने वाले (लाई डिटेक्शन) अनुभाग के अतिरिक्त - सुसंगत विषयों में कम से कम तीन वर्षों के शोध कार्य का अनुभव।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला अथवा संस्थान में कम से कम तीन वर्षों का विश्लेषणात्मक अनुभव।

(2) असत्य पता चलाने वाले (लाई डिटेक्शन) अनुभाग के लिये- मनो शरीर विज्ञान / मनोवैज्ञानिक अथवा अपराधिक मनोविज्ञान में कम से कम तीन वर्षों के शोध कार्य का अनुभव।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला अथवा संस्थान में कम से कम तीन वर्षों का व्यवहारिक अनुभव।

अधिमानी—

(1) सुसंगत विषय में पी.एचडी.।
(2) (एक) असत्य पता चलाने वाले अनुभाग के अतिरिक्त-किसी विधि विज्ञान प्रयोगशाला में कार्य करने का अनुभव।
(दो) असत्य पता चलाने वाले अनुभाग के लिए-परिप्रश्न करने के लिए पालीग्राफ को उपयोग करने (असत्य पता चलाने वाले) का अनुभव।

अधिमानी अर्हता

9. अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी का अधिमान दिया जायेगा जिसने—

(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या
(दो) राष्ट्रीय कैडेट को का ''बी'' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

आयु

10. सेवा में विभिन्न श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की, जिसमें रिक्तियाँ विज्ञापित की जाय, पहली जुलाई को नीचे तालिका में विनिर्दिष्ट न्यूनतम आयु प्राप्त कर ली हो और अधिकतम आयु से अधिक आयु प्राप्त न की होः

पद का नाम	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु
(1) निदेशक	40 वर्ष	57 वर्ष
(2) वैज्ञानिक अधिकारी	21 वर्ष	40 वर्ष

परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसे अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों की दशा में, जो, सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जांच, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

चरित्र

11. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस बिन्दु अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी—संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे

वैवाहिक प्रास्थिति 12. सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक जीवित पत्नी होः

परन्तु यह कि सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान है।

शारीरिक स्वस्थता 13. किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक व शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यो का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा को पास करे।

परन्तु यह कि पदोन्नति द्वारा भर्ती किए गये अभ्यर्थी से स्वस्थ्यता के प्रमाण पत्र की अपेक्षा नही की जायेगी।

भाग पांच-भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों की अवधारणा 14. नियुक्त प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या के साथ-साथ नियम-6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियो के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। आयोग के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों को उन्हें सूचित किया जायेगा।

निदेशक एवं वैज्ञानिक प्राधिकारी के पद पर आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती की प्रक्रिया 15.(1) आयोग द्वारा चयन हेतु विचारार्थ आवेदन-पत्र आयोग द्वारा जारी किए गये विज्ञापन में प्रकाशित प्रपत्र में आमंत्रित किया जायेगा।

(2) आयोग नियम-6 के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, साक्षात्कार के लिए उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को, जो अपेक्षित अर्हताएं पूरी करते हों, बुलायेगा जितनी वह उचित समझे।

(3) आयोग अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता कम में जैसा कि साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त अंको से प्रकट हो एक सूची तैयार करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर-बराबर अंक प्राप्त करे तो आयोग, उनके नाम सेवा के लिये अपनी सामान्य नीति के आधार पर योग्यता-क्रम में रखा जायेगा। आयोग सूची नियुक्ति प्राधिकारी की अग्रसारित

करेगा।

संयुक्त निदेशक और उप निदेशक के पदों पर चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

16. वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 1970 के अनुसार की जायेगी।

वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

17.(1) संयुक्त निदेशक एवं उप निदेशक के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकार सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिये मानदण्ड) नियमावली, 1994 में निर्धारित मानदण्ड के आधार पर समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों के लिये) नियमावली, 1992 के उपबन्धों के अनुसार गठित चयन समिति के माध्यम से की जायेगी।

टिप्पणी—चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिये अधिकारियों के नाम निर्देशन, समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम की धारा-7 के अधीन दिये गये आदेश के अनुसार किया जांयेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी, समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 1986 के अनुसार अभ्यर्थियों की एक पात्रता सूची तैयार करेगा और उसे उसकी चरित्र पंजियों और उनसे संम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जाये, चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(3) चयन समिति उप-नियम(2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4) चयन समिति, चयनित किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता कम मे, जैसी उस सवंर्ग में हो, जिससे उनकी पदोन्नति की जानी है, एक सूची तैयार करेगी और नियुक्ति प्राधिकारी को

अग्रसारित करेगी।

संयुक्त चयन सूची 18. यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से जांय तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी जिसमें अभ्यर्थियों के नाम सुसंगत सूचियों से इस प्रकार लिये जायेंगे कि विहित प्रतिशत बना रहे। सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

भाग छः—नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थानीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति 19.(1) उप नियम (2) के उपबन्धों के अध्यधीन नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम से लेकर, जिसमें वे यथास्थिति नियम 15, 16, 17 अथवा 18 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हों, नियुक्तियां करेगा।

(2) जहां तक भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों की जानी हों तो नियमित नियुक्तियां तब तक नहीं की जायेंगी जब तक कि दोनों स्त्रोंतों से चयन न कर लिया जाय और नियम 18 के अनुसार एक संयुक्त सूची तैयार न कर ली जाय।

(3) यदि किसी एक चयन के संबंध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जाय तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नामो का उल्लेख उसी ज्येष्ठता कम में किया जायेगा जैसा यथास्थिति चयन में अवधारित की जाये अथवा जैसे कि उसक संवर्ग में हो जिससे उन्हें पदोन्नत किया जाय। यदि नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जाये तो नामों को नियम-18 में निर्दिष्ट आदेश के अनुसार रखा जायेगा।

परिवीक्षा 20.(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किए जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली, 2013 के अनुसार परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्यापत उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(3) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिनकी सेवायें उपनियम (2) के अधीन समाप्त की जांय किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि

की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

स्थायीकरण 21.(1) उप- नियम (2) के उपबन्धों के अध्यधीन किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अंत में उसकी नियुक्ति मे स्थायी कर दिया जायेगा, यदि—

(क) उसका कार्य एवं आचरण संतोषजनक बताया जाय,

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय, और

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किये जाने के लिये अन्यथा उपयुक्त है।

(2) जहाँ उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबन्धो के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है, वहाँ उस नियमावली के नियम-5 के उपनियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुए आदेश को कि, सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

ज्येष्ठता 22. सेवा में मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

भाग सात-वेतन आदि

वेतनमान 23.(1) सेवा में विभिन्न श्रेणी के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ होने के समय के वेतनमान नीचे दिये गये है :

क्र.सं.	पद का नाम	वेतनमान
1	निदेशक	वेतन बैण्ड-4 (रू. 37400-67000) और ग्रेड वेतन रू. 8700/-
2.	संयुक्त निदेशक	वेतन बैण्ड-3 (रू. 15600-39100) और ग्रेड वेतन रू. 7600/-
3.	उप निदेशक	वेतन बैण्ड-3 (रू. 15600-39100) और ग्रेड वेतन रू. 6600/-
4.	वैज्ञानिक अधिकारी	वेतन बैण्ड-3 (रू. 15600-39100) और ग्रेड वेतन रू. 5400/-

परिवीक्षा 24.(1) फण्डामेन्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन

अवधि में वेतन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायगी जब उसने एक वर्ष की सतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, जहाँ विहित हो विभागीय परीक्षा, उत्तीर्ण कर ली हो और प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया होः

परन्तु यह कि यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा था, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फाण्डामेन्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगाः

परन्तु यह कि यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जायगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के संबंध मे सेवारत सरकारी सेवाकों पर समान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग आठ-अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन 25. किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्ही सिफारिशों पर चाहे लिखित हो या मौखिक विचार नहीं किया जायगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन 26. ऐसे विषयों के संबंध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हो, सेवा में व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतः लागू नियमों–विनियमो और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

सेवा की शर्तो से शिथिलात 27. जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में असम्यक कठिनाई होती है, वहाँ वह उस मामले मे लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा, उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते

हुए, जिन्हें वह मामले में न्याय संगत और साभ्यपूर्ण रीति के कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझें, अभिमुक्ति या शिथिल कर सकती हैः

परन्तु यह कि जहाँ कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो, वहाँ उस नियम की अपेक्षाओं को अभिमुक्ति या शिथिल करने के पूर्व उस निकाय से परामर्श किया जायेगा।

व्यावृत्ति 28. इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,
(देबाशीष पण्डा),
प्रमुख सचिव।

परिशिष्ट

नियम 4 (2) देखिए

क्र.सं.	पद का नाम	पदों की संख्या		
		स्थायी	अस्थायी	योग
1.	निदेशक	01	-	01
2.	संयुक्त निदेशक	01	04	05
3.	उप निदेशक	15	10	25
4.	वैज्ञानिक अधिकारी	14	33	47

विधि विज्ञान प्रयोगशाला अराजपत्रित (प्राविधिक) सेवा नियमावली–1985

उत्तर प्रदेश सरकार, गृह (पुलिस) अनुभाग–9,

संख्या–2369 / आठ–9–2–(14) / 79 दिनांक 08.05.85

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके, राज्यपाल , उत्तर प्रदेश विधि विज्ञान प्रयोगशाला, अराजपत्रित (प्राविधिक) सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

भाग एक–सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश विधि विज्ञान प्रयोगशाला अराजयत्रित (प्राविधिक) सेवा नियमावली, 1985 कही जायगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रस्थिति

उत्तर प्रदेश विधि विज्ञान प्रयोगशाला अराजयत्रित (प्राविधिक) सेवा में समूह ''ग'' के पद समाविष्ट है।

परिभाषएं

जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में,—

(क) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' का तात्पर्य किसी पद के सम्बन्ध में परिशिष्ट में पद के सामने विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से है,

(ख) ''भारत का नागरिक'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय,

(ग)''संविधान'' का तात्पर्य भारत का संविधानसे है।

(घ)''आयोग'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से है।

(ड)''सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है,

(च)''राज्यपाल'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है,

(छ)''सेवा का सदस्य'' का तात्पर्य सेवा में संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली के या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है,

(ज)''सेवा'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विधि विज्ञान प्रयोगशाला अराजपत्रित (प्राविधिक) सेवा से है,

(झ)''मौलिक नियुक्ति'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गई हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गई हो,

(ञ) ''भर्ती का वर्ष'' का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मात की अवधि से है।

भाग-दो-संवर्ग

सेवा का संवग

(1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी राज्यपाल द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।

(2) जब तक कि उप नियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें, सेवा की सदस्य-संख्या

और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी परिशिष्ट में दी गई हैं।

परन्तु—(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे अस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा,

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें।

भाग तीन-भर्ती

5. भर्ती के स्त्रोत..—सेवा में विभिन्न पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतो से की जायेगी :—

1.ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक	वैज्ञानिक सहायकों में से पदोन्नति द्वारा— परन्तु यदि इस स्रोत से अपेक्षित संख्या में उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो रिक्तियों सीधी भर्ती द्वारा भरी जा सकती है।
2. वैज्ञानिक सहायक	75 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा और 25 प्रतिशत पद प्रयोगशाला सहायकों में से पदोन्नति द्वारा।
3. प्रधान फोटोग्राफर	सहायक फोटोग्राफरों में से पदोन्नति द्वारा।
4. सहायक फोटोग्राफर	सीधी भर्ती द्वारा।
5. सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष एवं संग्रहालयाध्यक्ष	सीधी भर्ती द्वारा।
6. पुस्तकालययाध्यक्ष एवं संग्रहालय सहायक	सीधी भर्ती द्वारा।
7.प्रयोगशाला सहायक	सीधी भर्ती द्वारा।
8. खरादी (टर्नर)	सीधी भर्ती द्वारा।
9. एक्स-रे प्राविधिज्ञ	सीधी भर्ती द्वारा।
10. यांत्रिक एवं विद्युतकार	सीधी भर्ती द्वारा।
11. गैसमैन	सीधी भर्ती द्वारा।

6. आरक्षण :- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार किया जायगा।

7. राष्ट्रीयता :— सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी—

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्‌भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, या किसी पूर्वी अफ्रीका देश-कन्या, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रब्रजन किया हो।

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाणपत्र जारी किया गया हो,

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, गुप्तचर, शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले—

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायगा, और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के योग सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर लें।

टिप्पणी—ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

8. शैक्षिक अर्हताः- सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की अर्हतायें निम्नलिखित होनी चाहिए—

<table>
<tr><td rowspan="2">1.ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक</td><td colspan="2">मूल नियम</td><td>दिनांक 20.04.87 से प्रतिस्थापित*</td></tr>
<tr><td colspan="2">भौतिक विज्ञान/भौतिक रसायन/गणित/रसायन विज्ञान/विधि विज्ञान/वनस्पति विज्ञान/प्राणी-विज्ञान/जीव-रसायन में एम.एस.सी. या बी.एस.सी. के साथ गणित में एम.ए.।

अधिमानी किसी विधि विज्ञान प्रयोगशाला/रसायन परीक्षक/के प्रयोगशाला में कार्य ठरने का अनुभव।</td><td>1.''भौतिक विज्ञान/भौतिक रसायन के स्थान पर शब्द ''भौतिक विज्ञान/भौतिक रसायन/गणित'' रख दिए जायेंगे,
2." जीव रसायन में एम0एस0सी0" के पश्चात शब्द या बी0एस0सी0 के साथ गणित में एम0ए0बढा दिये जायेगें।</td></tr>
<tr><td>2. वैज्ञानिक सहायक</td><td colspan="3">निम्नलिखित कम से कम किसी एक विषय के साथ बी.एस.सी. भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान/जीव रसायन, प्राणि-विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और विधि विज्ञान। अधिमानी किसी रसायन परीक्षक के प्रयोगशाला/विधि विज्ञान प्रयोगशाला/किसी मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में कार्य करने का अनुभव।</td></tr>
<tr><td>3. सहायक फोटोग्राफर</td><td colspan="3">इण्टरमीडिएट के साथ सूक्ष्मदर्शीय फोटोग्राफी (फोटोमाइक्रोग्राफी)/चलचित्रिकी (सिनेमाटोग्राफी)/प्रयोगशाला फोटोग्राफी में दो वर्ष का व्यवहारिक अनुभव। या हाईस्कूल के साथ सूक्ष्मदर्शीय फोटोग्राफी/चल चित्रिकी/प्रयोगशाला फोटोग्राफी में सत वर्ष का व्यावहारिक अनुभव।</td></tr>
<tr><td rowspan="2">4. सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष एवं संग्रहालयाध्यक्ष</td><td>मूल नियम</td><td colspan="2">दिनांक 20.04.87 से प्रतिस्थापित*</td></tr>
<tr><td>इण्टरमीडिएट के साथ किसी मान्यताप्राप्त संस्था से पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाण-पत्र।</td><td colspan="2">''इण्टरमीडिएट के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्था से प्रयोगशाला विज्ञान में प्राण-पत्र के स्थान पर शब्द ''इण्टरमीडिएट के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्था से पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाण-पत्र रख दिए जायेंगे।</td></tr>
<tr><td>5. प्रयोगशाला सहायक</td><td colspan="3">विज्ञान के साथ इण्टर मीडिएट अधिमानी निम्नलिखित कम से कम किसी एक विषय के साथ बी.एस.सी.— भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीवरसायन, प्राणि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और विधि विज्ञान।</td></tr>
<tr><td>6. खरादी टर्नर</td><td colspan="3">हाईस्कूल के साथ किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से खरादी के व्यवसाय का 1½ या 2 वर्ष का डिप्लोमा।</td></tr>
<tr><td>7. एक्स-रे-प्राविधिक</td><td colspan="3">हाईस्कूल के साथ राज्य चिकित्सा संकाय से एक्स-रे-प्राविधिक का प्रमाण पत्र।</td></tr>
<tr><td>8. यांत्रिक एवं विद्युतकार</td><td colspan="3">हाईस्कूल के साथ किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से यांत्रिक विद्युतकार के व्यवसाय का डेढ़ या 2 वर्ष का डिप्लोमा।</td></tr>
<tr><td>9. गैसमैन</td><td colspan="3">हाईस्कूल।</td></tr>
</table>

9. अधिमान अर्हता अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायगा, जिसने —

(एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या

* **उत्तर प्रदेश विधि विज्ञान प्रयोगशाला अराजपत्रित (प्राविधिक) सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1987 द्वारा दिनांक, 20 अप्रैल, 1987 से प्रतिस्थापित**

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण प्राप्त किया हो।

10. सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु जिस वर्ष भर्ती की जानी हो, उस वर्ष की पहली जनवरी को, यदि पद पहली जनवरी से 30 जून की अवधि में विज्ञापित किये जायें, और पहली जुलाई को, यदि पद पहली जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि में विज्ञापित किये जाँय, 21 वर्ष की हो जानी चाहिए और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

11. चरित्र – सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में नियोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो । नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी—संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

12. वैवाहिक प्रास्थितिः- सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों और ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से कोई पत्नी जीवित रही हो—

परन्तु राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं, यदि उनका समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

13. शारीरिक स्वस्थताः- किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तभी नियुक्त किया जायगा जब मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह ऐसे सभी शारीरिक दोष से मुक्त हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह फण्डामेन्टल रूल 10 के अधीन बनाये गये और फाइनैन्शियल हैण्ड बुक, खण्ड दो, भाग तीन के अध्याय तीन में दिये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें—

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण-पत्र की अपेक्षा नहीं की जायगी।

भाग पाँच-भर्ती की प्रक्रिया

14. ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक और वैज्ञानिक सहायक के पद की रिक्तियों का अवधारण-नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक और वैज्ञानिक सहायक के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना आयोग को देगा।

15. ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक और वैज्ञानिक सहायक के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया

(1) ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक और वैज्ञानक सहायक के पदों पर सीधी भर्ती के लिए चयन के विचारार्थ आवेदन-पत्र आयोग द्वारा विहित रीति क से आमंत्रित किये जायेंगे।

(2) आयोग नियम 6 के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, साक्षात्कार के लिए उतने अभ्यर्थियों को, जो अपेक्षित अर्हताएँ रखते हों, बुलायेगा जितने वह उचित समझें।

(3) आयोग अभ्यर्थियों की, उनकी प्रवीणताक्रम में, जैसा कि साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त अंकों से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर–बराबर अंक प्राप्त करे तो आयोग उनके नाम सेवा के लिए उनकी सामान्य उपयुक्तता के आधार पर योग्यताक्रम में रखेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से ज्यादा अधिक नहीं) होगी। आयोग उक्त सूचित को अग्रसारित करेगा।

16. समिति के माध्यम से भर्ती के लिए रिक्तियाँ -नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान नियम 14 के अन्तर्गत न आने वाले पदों पर सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना तत्समय प्रवृत्त नियमों और आदेशों के अनुसार सेवायोजन कार्यालय को देगा।

17. ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक पद से भिन्न पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया-

(1) (क) सहायक फोटोग्राफर और एक्स-रे-प्राविधिक के पदों पर भर्ती के प्रयोजनार्थ एक चयन समिति का गठन किया जायगा जिसमें निम्नलिखित होंगे—

(एक) नियुक्त प्राधिकारी अर्थात पुलिस महानिरीक्षक या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति जो उप पुलिस महानिरीक्षक (उत्तर प्रदेश) में निम्न पद का न हो ...अध्यक्ष

(दो) निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, लखनऊ ...सदस्य

(तीन) संयुक्त निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, आगरा ...सदस्य

(ख) विधि विज्ञान प्रयोगशाला, लखनऊ में प्रयोगशाला सहायक, खरादी, पुस्तकालयाध्यक्ष एवं संग्रहालय सहायक, यांत्रिक एवं विद्युतकार और गैसमैन के पदों पर भर्ती के प्रयोजनार्थ एक चयन समिति का गठन किया जायगा जिसमें निम्नलिखित होंगे—

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी, अर्थात् निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ ...अध्यक्ष

(दो) सहायक निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, लखनऊ ...सदस्य

(तीन) ज्येष्ठतम वैज्ञानिक अधिकारी, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, लखनऊ ...सदस्य

(ग) विधि विज्ञान प्रयोगशाला, आगरा में प्रयोगशाला सहायक, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष एवं संग्रहालयाध्यक्ष, यांत्रिक एवं विद्युतकार और गैसमैन के पदों पर भर्ती के प्रयोजनार्थ एक चयन समिति का गठन किया जायगा जिसमें निम्नलिखित होंगे—

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी, अर्थात् संयुक्त निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, आगरा, ...अध्यक्ष

(दो) ज्येष्ठतम सहायक निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, आगरा... सदस्य

(तीन) ज्येष्ठतम वैज्ञानिक अधिकारी, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, आगरा...सदस्य

(2) चयन समिति आवेदन पत्रों की संवीक्षा करेगी और उतने पात्र अभ्यार्थियों से साक्षात्कार मेंउपस्थित होने की अपेक्षा करेगी जितने वह उचित समझे।

(3) चयन समिति नियम 6 के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, उतने अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलायेगी जितने इस सम्बन्ध में समिति द्वारा निर्धारित स्तर तक पहुँच सके हों।

(4) चयन समिति अभ्यर्थियों की उनकी योग्यताक्रम में जैसा कि साक्षात्कार में उनको प्राप्त अंकों से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो चयन समिति उनके नाम पद के लिए उनकी सामान्य उपयुक्तता के आधार पर, योग्यता क्रम में रखेगी। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से ज्यादा अधिक नहीं) होगी।

18. ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक और वैज्ञानिक सहायक के परपदोन्नति द्वारा भर्ती की क्रिया -ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक और वैज्ञानिक सहायक के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली 1970 के अनुसार की जायगी।

19. प्रधान फोटोग्राफर पद पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

(1) प्रधान फोटोग्राफर के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर नियम 17(क) के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से की जायगी।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की, ज्येष्ठताक्रम में, एक पात्रता सूची तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों ओर उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जायं, चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(3) चयन समिति उप नियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझें तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की, ज्येष्ठता क्रम में, एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

20. यदि नियुक्ति सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार में की जानी हो तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायगी जिसमें अभ्यर्थियों के नाम बारी-बारी से नियम 15 और नियम 18 के अधीन तैयार की गई सूचियों से इस प्रकार लिये

जायेंगे कि सीधे भर्ती किये गये और पदोन्नत व्यक्तियों का विहित प्रतिशत बना रहे। सूची में पहला नाम नियम 18 के अधीन तैयार की गई सूची से होगा।

भाग छः—नियुक्त, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

(1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की नियुक्ति उसी क्रम में करेगा जिसमें उनके नाम, तथा स्थिति, नियम 15, 17, 18 या 19 के अधीन तैयार की गई सूचियों में हों।

(2) जहाँ भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जानी हों, वहाँ नियमित नियुक्तियाँ तब तक नहीं की जायेंगी जब तक कि दोनों श्रोतों से चयन न कर लिया जाय और नियम 20 के अनुसारएक संयुक्त सूची तैयार न कर ली जाय।

(3) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायगा जिसमें व्यक्तियों के नाम का उल्लेख, यथास्थिति, चयन में यथा अवधारित या उस नंवर्ग में, जिससे उन्हें पदोन्नत किया जाय, विद्यमान ज्येष्ठता-क्रम में किया जायगा। यदि नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जायं तो नाम नियम 20 में निर्दिष्ट क्रम के अनुसार रखे जायेंगे।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी अस्थायी या स्थानापन्न रिक्तियों में भी उप नियम (1) में निर्दिष्ट सूचियों से नियुक्तियाँ कर सकता है। यदि इन सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह ऐसे रिक्ति में इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्तियों में से नियुक्तियाँ कर सकता है। ऐसी नियुक्तियाँ एक वर्ष की अवधि या इस नियमावली के अधीन अलग चयन किये जाने तक, इनमें जो भी पहले हो, से अधिक नहीं चलेंगी, और जहाँ पद आयोग के कार्यक्षेत्र में हों, वहाँ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 1954 के विनियम 5(क) के उपबन्ध लागू होंगे।

22. परिवीक्षाः-

(1) सेवा में किसी पद पर, मौलिक रिक्ति में या उसके प्रति नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग-अलग मामलों को परिवीक्षा-अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायगा जब तक अवधि बढ़ाई जाय—

परन्तु, आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायगी।

(3) यदि परिवीक्षा-अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्त प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी ऐसे पद पर धारणाधिकार न हों तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है।

(4) उप नियम (3) के अधीन जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति को प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायं, वह किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गई   निरन्तर सेवा को परिवीक्षा-अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

23. स्थायीकरण :-

किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा-अवधि या बढ़ायी गई परिवीक्षा-अविध के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायगा, यदि—

(क) उसने विहित विभागीय परीक्षा, यदि कोई हो, उत्तीर्ण कर ली हो,

(ख) उसने विहित प्रशिक्षण, यदि कोई हो, सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया हो।

(ग) उसका कार्य और आचरण संतोषप्रद बताया जाय,

(घ) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय, और

(ङ) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किये जाने के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

24. ज्येष्ठता :-

(1)एतदपश्चात् यथा उपबन्धित के सिवाय, किसी श्रेणी के पदों पर व्यक्तियों की ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जायं तो उस क्रम से, जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये हों, अवधारित की जायगी—

परन्तु यदि नियुक्ति के आदेश में किसी व्यक्ति की मौलिक रूप से नियुक्ति का कोई विशिष्ट पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाय तो उस दिनाँक को मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक समझा जायगा, और अन्य मामलों में उसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगा—

परन्तु यह और कि यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायं तो ज्येष्ठता वही होगी जो नियम 21 के उप नियम (3) के अधीन जारी किये गये नियुक्ति के संयुक्त आदेश में उल्लिखित हो।

(2) किसी एक चयन के परिणाम के आधार पर सीधे नियुक्ति किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी, जो यथास्थिति,आयोग द्वारा या चयनसमिति द्वारा अवधारित की गई हो—

परन्तु सीधे भर्ती किया गया अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है यदि किसी रिक्त पद का प्रस्ताव किये जाने पर वह युक्तियुक्त कारणों के बिना कार्य-भार ग्रहण करने में विफल रहे। कारण की युक्तियुक्तता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चिय अन्तिम होगा।

(3) पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो उस संवर्ग में हो रही हो जिससे उनकी पदोन्नति की गई।

भाग सात—वेतन इत्यादि

25. वेतनमान :–

(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर, चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप में हो या अस्थायी आधार पर, नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमान परिविष्ट में दिये गये हैं।

26.परिवीक्षा अवधि में वेतन :–

(1) फण्डामेन्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समय-मान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायगी जब उसने एक वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूरी कर ली हो, और द्वितीय वेतन-वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायगी जब उसने परिवीक्षा-अवधि पूरी की ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो—

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जायगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे।

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा-अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेन्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगा—

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा-अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिए नहीं की जायगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे।

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा-अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

27. दक्षतारोक पार करने का :- किसी भी व्यक्ति को—

मापदण्ड-

(एक) प्रथम दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि उसका कार्य और आचरण संतोषप्रद न पाया जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

(दो) द्वितीय दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि उसने तत्परतापूर्वक और अपनी सर्वोत्तम योग्यता से कार्य न किया हो, उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

भाग आठ-अन्य उपबन्ध

28. पक्ष समर्थनः- पद या सेवा के सम्बन्ध में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनह कर देगा।

29. अन्य विषयों का विनियमन :- ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

30. सेवा की शर्तों शिथिलताः- जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विनिर्दिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है वहाँ वह, उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा, उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें वह मामलों में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, उस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्ति दे सकती है या उसे शिथिल कर सकती है—

परन्तु जहाँ कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो, वहाँ उस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्ति देने या उसे शिथिल करने के पूर्व आयोग से परामर्श किया जायगा।

31. व्यावत्ति :- इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और व्यक्तियों की अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित हो।

आज्ञा से
भोला नाथ तिवारी , सचिव

परिशिष्ट
(नियम–3, 4(2) और 25 देखिये)
सेवा की सदस्य संख्या/पदों की संख्या/नियुक्ति प्राधिकारी और प्रत्येक श्रेणी का वेतनमान

क्रम	पद का नाम	स्थायी	अस्थायी	योग	नियुक्ति प्राधिकारी		वेतनमान
					लखनऊ प्रयोगशाला के लिये	आगरा प्रयोगशाला के लिये	
1	ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक	–	36	36	पुलिस महानिरीक्षक तक0 से0, उ0प्र0	पुलिस महानिरीक्षक तक0 से0, उ0प्र0	625–30–835–द0रो0–30–925–35–द0 रो0–35–1240
2	वैज्ञानिक सहायक	–	31	31	तदैव	तदैव	515–15–590–18–625–द0रो0–18–20 –780–द0रो0–20–860
3	प्रधान फोटोग्राफर	1	1	02	तदैव	तदैव	570–25–770–द0रो0–30–980–द0रो0–30–1100
4	सहायक फोटोग्राफर	2	–	02	तदैव	तदैव	470–15–515–द0रो0–15–650–17–द0 रो0–17–735
5	एक्स रे प्राविधिक	1	–	1	तदैव	तदैव	430–12–490–15–520–द0रो0–15–द0 रो0–15–885
6	पुस्तकालयाध्क्ष एवं संग्रहालय सहायक	1	–	1	निदेशक	–	400–10–450–12–474–द0रो0–12–द0 रो0–15–815
7	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष एवं संग्रहालयाध्यक्ष	–	1	1	–	संयुक्त निदेशक	354–10–424–द0रो0–10–454–12–द0 रो0–12–550
8	प्रयोगशाला सहायक	15	9	24	निदेशक	संयुक्त निदेशक	515–15–590–18–625–द0रो0–18–20 –780–द0रो0–20–860
9	खरादी	1	–	1	तदैव	तदैव	तदैव
10	यांत्रिक एवं विद्युतकार	1	1	2	तदैव	तदैव	354–10–424–द0रो0–10–454–12–द0 रो0–12–550
11	गैसमैन	2	–	2	तदैव	तदैव	400–द0रो06–440(लखनऊ प्रयोगशाला हेतु) 305–5–द0रो0–6–360–द0रो0–6–360

विधि विज्ञान प्रयोगशाला अराजपत्रित (प्राविधिक) सेवा नियमावली, 2016

उत्तर प्रदेश शासन. गृह (पुलिस) अनुभाग-9

संख्याः—405/छः-पु.-9-16-2(10)/2013 लखनऊ, दिनांक : 18 फरवरी, 2016

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश विधि विज्ञान प्रयोगशाला अराजपत्रित (प्राविधिक) सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः–

भाग-एक-सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1.(1)यह नियमावली उत्तर प्रदेश विधि विज्ञान प्रयोगशाला अराजपत्रित (प्राविधिक) सेवा नियमावली, 2016 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति 2.उत्तर प्रदेश विधि विज्ञान प्रयोगशाला अराजपत्रित (प्राविधिक) सेवा एक ऐसी सेवा है जिसमें समूह 'ख' एवं समूह 'ग' के पद समाविष्ट हैं।

परिभाषाएं

3. जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में :—

(क) 'अधिनियम' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोग सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण), अधिनियम, 1994 से है;

(ख) 'नियुक्ति प्राधिकारी' का तात्पर्य इस नियमावली के नियम-4 के उप नियम-2 में प्रत्येक पद के लिए विर्निदिष्ट प्राधिकृत प्राधिकारी से है;

(ग) 'भारत का नागरिक' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय;

(घ) 'आयोग' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से है;

(ङ) 'संविधान' का तात्पर्य भारत का संविधान से है;

(च) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है;

(छ) 'राज्यपाल' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;

(ज) 'सेवा का सदस्य' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है;

(झ) 'नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गो' का तात्पर्य समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम की अनुसूचित एक में विनिर्दिष्ट अन्य पिछड़े वर्गो से है;

(ञ) 'सेवा' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विधि विज्ञान प्रयोगशाला अराजपत्रित (प्राविधिक) सेवा से है;

(ट) 'मौलिक नियुक्ति' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हों तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो;

(ठ) 'भर्ती का वर्ष' का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग दो-संवर्ग

सेवा का संवर्ग 4.(1)सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।

(2) जब तक कि उप-नियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी नीचे दी गयी हैः—

क्र.सं.	पद का नाम	नियुक्ति प्राधिकारी	कुल पदों की कुल संख्या
1.	ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक	अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें, उत्तर प्रदेश।	69
2.	वैज्ञानिक सहायक	पुलिस उप महानिरीक्षक, तकनीकी सेवायें, उत्तर प्रदेश।	120
3.	प्रयोगशाला सहायक	निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उत्तर प्रदेश।	34
4.	कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक	निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उत्तर प्रदेश।	117
5.	एक्स-रे प्राविधिक	पुलिस उप महानिरीक्षक, तकनीकी सेवायें उत्तर प्रदेश।	01
6.	यांत्रिक-सह-विद्युतकार	निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उत्तर प्रदेश।	03
7.	स्टाफ नर्स	पुलिस उप महानिरीक्षक, तकनीकी सेवायें, उत्तर प्रदेश।	01

परन्तु यह किः—

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकार का हकदार न होगा; अथवा

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें।

(3) सेवा का सदस्य उत्तर प्रदेश राज्य में कहीं भी सेवा के प्रति उत्तरदायी होगा।

भाग तीन-भर्ती

भर्ती का स्त्रोत 5. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्त्रोतों से की जायेगी :—

(1) ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक-मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे वैज्ञानिक सहायकों में से, जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा।

(2) वैज्ञानिक सहायक-(एक) पचहत्तर प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(दो) पच्चीस प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रयोगशाला सहायकों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा।

(3) प्रयोगशाला सहायक-(एक) पचास प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(दो) पचास प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायकों में से, जिन्होंने इण्टरमीडिएट की परीक्षा विज्ञान के साथ उत्तरीर्ण की हो, भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो और विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

(4) कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(5) एक्स-रे प्राविधिक-आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(6) यांत्रिक-सह-विद्युतकार- आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(7) स्टाफ नर्स-स्वास्थ्य विभाग से सेवा स्थानान्तरण द्वारा।

परन्तु यह कि यदि उपर्युक्त पदों पर सीधी नियुक्ति के लिये उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो रिक्ति ऐसे उपयुक्त व्यक्तियों में से, जो विहित अर्हतायें रखते हों और किसी राज्य सरकार या संघ सरकार के अधीन किसी समकक्ष वैज्ञानिक संस्थान में सेवारत् हों, स्थानान्तरण / प्रतिनियुक्ति द्वारा भरी जा सकती है।

आरक्षण

6. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण अधिनियम एवं समय-समय पर संशोधित एवं उत्तर प्रदेश लोग सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 और

भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग-चार-अर्हतायें

राष्ट्रीयता 7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी :—

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो; या

(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देशों-केनिया, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो;

परन्तु यह कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो;

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले;

परन्तु यह और भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा, और ऐसे अभ्यर्थी का एक वर्ष की अवधि के परे सेवा में बने रहना उसके भारतीय नागरिकता अर्जित करने के अध्यधीन होगा।

टिप्पणी—ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति दी जा सकती है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षिक अर्हता 8. सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिएः

(1) वैज्ञानिक सहायकः

(क) जीवन विज्ञान क्षेत्र (डॅमेन) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से जीव विज्ञान / विधि विज्ञान के साथ जीव विज्ञान में विशिष्टता / बायो टेक्नोलॉजी/जीव रसायन विज्ञान/जेनेटिक विज्ञान/सेल बायालोजी/ माइक्रोबायोलॉजी में बी.एस.सी.।

(ख) भौतिक क्षेत्र (डॅमेन) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से भौतिक शास्त्र / विधि विज्ञान के साथ भौतिक शास्त्र में विशिष्टता / नाभिकीय विज्ञान / उपकरणीय / इलेक्ट्रानिक में बी0एस0सी0 अथवा उपकरणीय/इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रानिक इंजीनियरिंग / सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बी.टेक।

(ग) रसायन क्षेत्र (डॅमेन) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से रसायन शास्त्र / विधि विज्ञान के साथ रसायन शास्त्र में विशिष्टता / जीव रसायन विज्ञान में बी.एस.सी.।

(घ) कम्प्यूटर विज्ञान क्षेत्र (डॅमेन) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से कम्प्यूटर विज्ञान में स्नातक की उपाधि अथवा एन.आई.ई.एल.आई.टी. से 'ए' स्तरीय डिप्लोमा।

अधिमानी :

(एक) सुसंगत विषय में एम.एस.सी. (जीव विज्ञान / भौतिक विज्ञान / रसायन शास्त्र क्षेत्र (डॅमेन) के लिए।

(दो) कम्प्यूटर विज्ञान में उच्चतर अर्हता (कम्प्यूटर विज्ञान क्षेत्र (डॅमेन) के लिए)।

(2) एक्स-रे प्राविधिक विज्ञान के साथ इण्टरमीडिएट और राज्य चिकित्सा संकार (स्टेट मेडिकल फैकेल्टी) से एक्स-रे प्राविधिक का डिप्लोमा।

(3) प्रयोगशाला सहायक :

(क) जीव विज्ञान क्षेत्र (डॅमेन) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से जीव विज्ञान

/ विधि विज्ञान के साथ जीव विज्ञान ग्रुप / बायो टेक्नोलॉजी / जीव रसायन विज्ञान / जेनेटिक विज्ञान / सेल बॉयोलॉजी / माइक्रोबायोलॉजी में बी.एस.सी.।

(ख) भौतिक क्षेत्र (डॅमेन) किसी मान्यता प्राप्त विश्वसिद्यालय अथवा संस्थान से भौतिक शास्त्र / विधि विज्ञान के साथ भौतिक शास्त्र ग्रुप / नाभिकीय विज्ञान / उपकरणीय / इलेक्ट्रॉनिक्स में बी.एस.सी. अथवा उपकरणीय / इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग में बी.टेक।

(ग) रसायन क्षेत्र (डॅमेन) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से रसायन शास्त्र / विधि विज्ञान के साथ रसायन ग्रुप / जीव रसायन विज्ञान में बी.एस.सी.।

(घ) कम्प्यूटर विज्ञान क्षेत्र (डॅमेन) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से कम्प्यूअर विज्ञान में स्नातक की उपाधि अथवा एन.आई.ई.एल.आई.टी. से 'ए' स्तरीय डिप्लोमा।

(4) कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक :विज्ञान के साथ हाईस्कूल।

(5) यांत्रिक सह-विद्युतकार हाईस्कूल के साथ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से इलक्ट्रीशियन ट्रेड में प्रमाण-पत्र।

अधिमानी अर्हता

9. अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा, जिसने :—

(एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

आयु

10. सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की, जिसमें रिक्तियाँ विज्ञापित की जायें, पहली जुलाई को नीचे तालिका में पद के सापेक्ष विनिर्दिष्ट न्यूनतम आयु प्राप्त कर ली हो और अधिकतम आयु से अधिक की आयु प्राप्त न की हो :

क्रम संख्या	पद का नाम	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु
1.	वैज्ञानिक सहायक	21 वर्ष	40 वर्ष
2.	प्रयोगशाला सहायक	21 वर्ष	40 वर्ष
3.	एक्स-रे प्राविधिक	18 वर्ष	40 वर्ष

4.	कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक	18 वर्ष	40 वर्ष
5.	यांत्रिक-सह-विद्युतकार	18 वर्ष	40 वर्ष

परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसे अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों की दशा में, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायें, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

चरित्र

11. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस बिन्दु पर अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी—संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत् व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति

12. सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक जीवित पत्नी हो;

परन्तु यह कि सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है, यदि उनका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

शारीरिक स्वस्थता

13. किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उनकस स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्व क पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह फाइनेन्शियल हैण्ड बुक, खण्ड - दो, भाग तीन के अध्याय तीन में दिये गये फण्डामेन्टल रूप 10 के अधीन बनये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे :

परन्तु यह कि पदोन्नति द्वारा भर्ती किए गए अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण-पत्र की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

भाग-पाँच-भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों की अवधारणा 14. नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या के साथ-साथ नियम-6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। आयोग के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों को उन्हें सूचित किया जायेगा।

सीधी भर्ती की प्रक्रिया 15. वैज्ञानिक सहायक, प्रयोगशाला सहायक, कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक, एक्स-रे प्राविधिक और यांत्रिक-सह-विद्युतकार के पदों पर सीधी भर्ती समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश समूह 'ग' के पदों के लिए सीधी भर्ती (रीति और प्रक्रिया) नियमावली, 2015 के अनुसार की जायेगी।

पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया 16.(1) पदोन्नति द्वारा भर्ती समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड) नियमावली, 1994 में निर्धारित मानदण्ड के आधार पर समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदो के लिए) नियमावली, 1992 के उपबन्धों के अनुसार गठित चयन समिति के माध्यम से की जायेगी।

टिप्पणी—चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए अधिकारियों का नाम-निर्देशन, समय-समय पर यथांसंशोधित अधिनियम की धारा-7 के अधीन दिये गये आदेश के अनुसार किया जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी, समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश (लोग सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 1986 के अनुसार अभ्यर्थियों के एक पात्रता सूची तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे संबंधित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जाये, चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(3) चयन समिति उप-नियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4) चयन समिति चयनित किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में, जैसी उस संवर्ग में हो, जिससे

उनकी पदोन्नति की जानी है एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

संयुक्त चयन सूची 17. यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियाँ, सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जायें तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी जिसमें अभ्यर्थियों के नाम सुसंगत सूचियों इस प्रकार लिये जायेंगे कि विहित प्रतिशत बना रहे। सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्ति व्यक्ति का होगा।

भाग-छः-नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति 18.(1) उप-नियम (2) के उपबन्धों के अध्यधीन नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे यथास्थिति नियम 15, 16, या 17 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हों, नियुक्तियाँ करेगा।

(2) जहाँ भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जानी हों तो नियमित नियुक्तिं तब तक नहीं की जायेंगी जब तक कि दोनों स्रोतों से चयन न कर लिया जाय और नियम 17 के अनुसार एक संयुक्त सूची तैयार न कर ली जाय।

(3) यदि किसी एक चयन के संबंध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नाम का उल्लेख उसी ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा जैसा यथास्थिति चयन में अवधारित की जाय अथवा जैसे कि उस संवर्ग में हों जिससे उन्हें पदोन्नत किया जाय। यदि नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जायें तो नामों को नियम 17 में निर्दिष्ट क्रम के अनुसार रखा जायेगा।

परिवीक्षा 19.(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली, 2013 के अनुसार परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा-अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी

सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(3) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उप-नियम (2) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायें, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(3) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उप-नियम (2) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायें, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

स्थायीकरण

20.(1) उप-नियम (2) के उपबन्धों के अध्यधीन किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि—

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय,

(ख) उसकी सत्यनिपष्ठा प्रमाणित कर दी जाय, और

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किये जाने के लिये अन्यथा उपयुक्त है।

(2) जहाँ, उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है, वहाँ उस नियमावली के नियम 5 के उप-नियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुए आदेश को कि, संबंधित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

ज्येष्ठता

21. सेवा में किसी श्रेणी के पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता, समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवाक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

भाग–7 वेतन इत्यादि

वेतनमान

22.(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा

जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जायं

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ होने के समय के वेतनमान नीचे दिये हैंः

क्रम संख्या	पद का नाम		वेतनमान	
		वेतन बैण्ड का नाम	सादृश्य वेतन बैण्ड (रू.)	सादृश्य ग्रेड वेतन (रू.)
1.	ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक	वेतन बैण्ड-2	9300-34800	4600/-
2.	वैज्ञानिक सहायक	वेतन बैण्ड-2	9300-34800	4200/-
3.	प्रयोगशाला सहायक	वेतन बैण्ड-1	5200-20200	2400/-
4.	एक्स-रे प्राविधिक	वेतन बैण्ड-1	5200-20200	2400/-
5.	कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक	वेतन बैण्ड-1	5200-20200	1900/-
6.	यांत्रिक-सह-विद्युतकार	वेतन बैण्ड-1	5200-20200	1900/-
7.	स्टाफ नर्स	वेतन बैण्ड-2	9300-34800	4600/-

परिवीक्षा अवधि में वेतन

23.(1) फण्डामेन्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुये भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थाई सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतन-वृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय परीक्षा, उत्तरीर्ण कर ली हो, और प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा-अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थाई भी कर दिया गया हो :

परन्तु यह कि यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा-अवधि बढ़ाई जाये तो इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि की गणना वेतन-वृद्धि के लिए नहीं की जायेगी जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पर धारण कर रहा था, परिवीक्षा-अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेन्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगाः

परन्तु यह कि यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा-अवधि बढ़ाई जाये तो इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि की गणना वेतन-वृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थाई सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा-अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर समान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग-आठ-अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थ 24. पद या सेवा के संबंध में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी सिफारिश पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपने अभ्यर्थन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन 25. ऐसे विषयों के संबंध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हो, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के संबंध में सेवारत् सरकारी सेवकों पर समान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

सेवा की शर्तो में शिथिलता 26. जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में असम्यक् कठिनाई होती है, वहाँ वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामलें में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझें, अभिमुक्ति या शिथिल कर सकती हैः

परन्तु जहां कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो, वहाँ उस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्ति देने या उसे शिथिल करने के पूर्व आयोग से परामर्श किया जायेगा।

ब्यावृत्ति 27. इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,
(देबाशीष पण्डा)
प्रमुख सचिव।

उ0 प्र0 पुलिस मोटर यान अधिकारी (प्राविधिक) सेवा नियमावली-1997

अधिसूचना सं. 5990/6-7-97-137-87 दिनांक लखनऊ 20 अक्टूबर 1997

गृह विभाग (पुलिस) अनुभाग-7

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके माननीय राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश पुलिस मोटरयान अधिकारी (प्राविधिक) सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं—

भाग-एक सामान्य

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश पुलिस मोटर यान अधिकारी (प्राविधिक) सेवा नियमावली, 1997 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. सेवा की प्रास्थिति—उत्तर प्रदेश पुलिस मोटर यान अधिकारी (प्राविधिक) सेवा एक राज्य सेवा में जिसमें समूह 'क' और 'ख' के पद समाविष्ठ हैं।

3. परिभाषाएं—जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में—

(क) 'नियुक्ति प्राधिकारी' का तात्पर्य राज्यपाल से है ;
(ख) 'भारत का नागरिक' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान भाग-दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाये ;
(ग) 'आयोग' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से है ;
(घ) 'संविधान' का तात्पर्य 'भारत का संविधान' से है ;
(ङ) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है ;
(च) 'राज्यपाल' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है ;
(छ) 'विभागाध्यक्ष' का तात्पर्य उ.प्र. पुलिस के महानिदेशक एवं महानिरीक्षक से है ;
(ज) 'सेवा का सदस्य' का तात्पर्य वह व्यक्ति है, जो इस नियमावली या इस नियमावली के प्रवर्तन के पूर्व प्रवृत्त नियमावली या आदेशों के अधीन सेवा के संवर्ग में पद पर मूल रूप से नियुक्त हुआ है ;
(झ) 'सेवा' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश पुलिस मोटर यान अधिकारी (प्राविधिक) सेवा से है ;
(ञ) 'मौलिक नियुक्ति' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पदी पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्राक्रिया के अनुसार की गयी हो ;
(ट) 'भर्ती का वर्ष' का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग-दो- संवर्ग

4. सेवा का संवर्ग—(1) सेवा की सदस्य की संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवतारित की जाय।

(2) जब तक उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी परिशिष्ट 'क' में दी गयी है।

परन्तु—

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल अस्थगित रख सकते हैं जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकार का हकदार न होगा ;

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें।

भाग-तीन- भर्ती

5. भर्ती का स्त्रोत—सेवा में विभिन्न पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्त्रोतों से की जायेगी—

(1) पुलिस मोटर यान अधिकारी—(क) 50 प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा,

(ख) 50 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त पुलिस विभाग की मोटर परिवहन शाखा के निरीक्षकों में से, जिनहोंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा :

परन्तु माननीय राज्यपाल महोदय विशेष परिस्थितियों में और सेवा के हित में पुलिस विभाग को मोटर परिवहन शाखा के मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे उपनिरीक्षकों को सम्मिलित करने के लिए, जिन्होंने पुलिस विभाग की मोटर परिवहन शाखा के निरीक्षक के पद पर दो वर्षों की मौलिक सेवा को सम्मिलित करते हुए पन्द्रह वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति के लिए पात्रता के क्षेत्र में विस्तार कर सकते हैं।

(2) राज्य पुलिस मोटर यान अधिकारी—मौलिक रूप से नियुक्त पुलिस मोटर यान अधिकारी में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दस वर्षों की सेवा पूरी कर ली, आयोग के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा :

6. आरक्षण—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग-चार-अर्हतायें

7. राष्ट्रीयता—सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी—

(क) भारत का नागरिक हो ; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, यूगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ जन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीवार) से प्रवजन किया हो :

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिये, जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया हो :

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उ0प्र0 के पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले :

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि यह भारत की नागरिकता प्राप्त कर लें।

टिप्पणी—ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उस वर्ष पर अन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाये या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाये।

8. शैक्षिक अर्हतायें—पुलिस मोटर यान अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी इंजीनियरिंग कालेज या सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिये किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कोई इंजीनियरिंग उपाधि या मैकेनिकल या आटोमोबाइल इंजीनियरिंग में समकक्ष उपाधि होनी आवश्यक है। उसे वृहत सड़क परिवहन उपक्रम में भारी डीजल मोटर वाहनों की प्रमुख मरम्मतों का व्यावहारिक अनुभव भी होना आवश्यक है।

9. अधिमानी अर्हतायें—अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने—

(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधिक तक सेवा की हो, या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

10. आयु—सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस वर्ष की, जिसमें पद विज्ञापित किये जायें, पहली जुलाई, को इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और बत्तीस वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो :

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणी के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायें, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाये।

11. चरित्र—सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी—संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रण किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के लिए किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

12. वैवाहिक प्रास्थिति—सेवा मे किसी पद पर नियुक्त के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित रही हो—

परन्तु राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं यदि उनका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

13. शारीरिक स्वस्थता—किसी अभ्यर्थी की सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्य का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना न हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा परिषद् की परीक्षा उत्तीर्ण कर ले—

भाग-पाँच- भर्ती की प्रक्रिया

14. रिक्तियों का अवधारणा—नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना आयोग को देगा।

15. सीधी भर्ती के लिए प्रक्रिया—(1) प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के लिए आवेदन-पत्र आयोग द्वारा विज्ञापन में जारी विहित प्रपत्र में आमंत्रित किये जायेंगे।

(2) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश-पत्र न हो।

(3) लिखित परीक्षा का परिणाम प्राप्त हो जाने और सारणीबद्ध कर लिये जाने के पश्चात् आयोग नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को, साक्षात्कार के लिए बुलायेगा जो लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा निर्धारित स्तर पर पहुंच सके हों। साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को दिये गये अंकों को लिखित परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त अंकों में जोड़ दिया जायेगा।

(4) आयोग अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता क्रम में, जैसा कि लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों से पक्रट हो, एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को, जितनी वह नियुक्ति के लिए उचित समझे, संस्तुत करेगा। यदि दो अधिक अभ्यर्थी लिखित परीक्षा के बराबर अंक प्राप्त करें तो आयोग उनकी सामान्य उपयुक्तता के आधार पर उनके नाम योग्यता क्रम में रखेगा, सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनधिक) होगी। आयोग सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

16. पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया—पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को छोड़ते हुए ज्येष्ठता के आधार पर संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 1970 के अनुसार की जायेगी।

17. संयुक्त चयन सूची—यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जानी हो तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जाएगी, जिसने अभ्यर्थियों के नाम सुसंगत सूचियों से इस प्रकार से लिए जायेंगे कि विहित प्रतिशत बना रहे, सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यकित का होगा।

भाग—छः — नियुक्ति परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

18. नियुक्ति—(1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर जिसमें वे यथास्थिति, नियम 15, 16 या 17 के अधीन तैयार की गयी सूचियों में आये हों, नियुक्तियाँ करेगा।

(2) जहाँ भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जानी हों, वहाँ नियमित नियुक्तियाँ तब तक नहीं की जायेंगी जब तक दोनों स्रोतों से चयन न कर लिया जाये और नियम 17 के अनुसार एक संयुक्त सूची तैयार कर ली जाये।

(3) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें, तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा, जैसा कि यथास्थिति चयन में अवधारित की जाय, या जैसी कि उस संवर्ग में हो, जिससे उन्हें पदोन्नति किया जाये यदि नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाये तो नियम 17 में निर्दिष्ट चक्रानुक्रम में रखे जायेंगे।

19. परिवीक्षा—(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ाया जा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ायी जाये :

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है, या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है, तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवा समाप्त की जा सकती है।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाये या जिसकी सेवायें समाप्त की जाये किसी प्रतिकार का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

20. परिवीक्षा अवधि में प्रशिक्षण—सीधी भर्ती किये गये प्रत्येक अधिकारी से विभागीय नियम, विनियम और मैनुअल और शासकीय प्रक्रिया के सम्बन्ध में, जैसा कि विभागाध्यक्ष द्वारा विहित की जाय, तीन मास की अवधि के लिए, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्राप्त करने की अपेक्षा की जायेगी। यह प्रशिक्षण नियुक्ति के तुरन्त बाद दिया जायेगा।

21. स्थायीकरण—(1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा यदि—

(क) उसने विभागीय प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो,

(ख) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाये,

(ग) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाये, और

(घ) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाये कि वह स्थायी किये जाने के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

(2) जहाँ उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1997 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है, वहाँ उस नियमावली के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुए आदेश कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

सेवा में मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

भाग-सात- वेतन इत्यादि

23. वेतनमान—(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के दो पदों पर चाहे मौलिक या सथानापन्न रूप में या अस्थायी आधार पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुबन्ध वेतनमान ऐसा होगा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाये।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समक्ष वेतनमान निम्नलिखित है—

पद का नाम	वेतनमान
(1) पुलिस मोटर यान अधिकारी	रु. 2200-75-2800-द.रो.-100-4000
(2) राज्य पुलिस मोटर यान अधिकारी	रु. 3000-100-3500-125-4500

24. परिवीक्षा अवधि में वेतन—(1) फण्डामेन्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन के होते हुए भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो और प्रशिक्षण ले लिया हो और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा में पश्चात् तभी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो :

परन्तु यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाये तो इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिए नहीं की जायेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें।

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेन्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगा :

परन्तु यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाये तो इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिए नहीं की जायेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

25. दक्षतारोक पार करने का मापदण्ड—किसी व्यक्ति को दक्षतारोक पार करने की अनुमति नहीं दी जायेगी, जब तक कि उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया जाये और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाये।

भाग-आठ- अन्य उपबन्ध

26. पक्ष समर्थन—किसी कर पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर, चाहे लिखित हों या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

27. अन्य विषयों का विनियमन—ऐसे विषयों के संबंध में जो विर्निष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अर्न्तगत न आते हों , सेवा में नियुक्ति व्यक्ति राज्य के कार्य कलापों के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतः लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होगें।

28. सेवा की शर्तो में शिथिलता–जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहाँ वह उस मामले में लागू नियम में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभियुक्त या शिथिल कर सकती है :

परन्तु जहाँ कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो वहाँ उस नियम की अपेक्षाओं को अभियुक्त या शिथिल करने के पूर्व उस निकाय से परामर्श किया जायेगा।

29. शक्तियाँ विशेषाधिकारी और उत्तरदायित्व—पुलिस मोटर यान अधिकारी और राज्य पुलिस मोटरयान अधिकारी की शक्तियाँ विशेषाधिकारी और उत्तरदायित्व वहीं होंगे जैसा कि क्रमशः उप पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक के होंगे।

30. व्यावृत्ति—उस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायती पर नहीं पड़ेगा जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट

(नियम-4 (2) देखिये)

पदों की संख्या

---स्थायी

अस्थायी

राज्य पुलिस मोटर यान अधिकारी

पुलिस मोटर यान अधिकारी

आज्ञा से,

राजीव रत्न शाह,

प्रमुख सचिव, गृह

उत्तर प्रदेश पुलिस मोटर परिवहन कार्यशाला अधीनस्थ (तकनीकी)सेवा नियमावली 2005

उत्तर प्रदेश शासन, गृह (पुलिस) अनुभाग–7
संख्या–700/6–पु0–7–05–175/2000 लखनऊ दिनांक 08.06.2005

पुलिस अधिनियम 1861 (अधिनियम संख्या 5 सन 1861) की धारा 2 और 46 के उप खण्ड(2)और (3)के उपलब्ध द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और नियम पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके राज्य पाल, उत्तर प्रदेश पुलिस मोटर परिवहन कार्यशाला अधीनस्थ (तकनीकी) सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्ति व्यक्तियों की सेवा की शर्तो की विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः–

1.संक्षिप्त नाम और आरम्भ –(1) यह नियमावली उत्तर पदेश पुलिस मोटर परिवहन कार्यशाला अधीनस्थ (तकनीकी)सेवा नियमावली 2005 कही जायेगी ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

2.सेवा की प्रास्थिति – उत्तर प्रदेश पुलिस मोटर परिवहन कार्यशाला अधीनस्थ (तकनीकी) सेवा एक ऐसी सेवा हे जिसमे समूह 'ग' के पद समाविष्ट है ।

3.परिभाषायें– जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में :–

(क)अधिनियम का तात्पर्य उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातीय और पिछडा वगों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 से है।

(ख)''नियुक्ति प्राधिकारी'' का तात्पर्य , आरक्षी तकनीकी व मुख्य आरक्षी तकनीकी के सम्बन्ध में, राज्य पुलिस मोटर वाहन अधिकारी उत्तर प्रदेश से है तथा सहायक उप निरीक्षक तकनीकी के पदों के संबंध में, पुलिस उप महानिरीक्षक, तकनीकी सेवायें, उत्तर प्रदेश से है।

(ग)''भारत का नागरिक''का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाये,।

(घ)''सविधान '' का तात्पर्य भारत के संविधान से है ।

(च)''राज्यपाल'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है।

(छ)''सरकार '' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है ।

(ज)'सेवा का सदस्य'' का तात्पर्य संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावाली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत नियमों या आदेशों के अधीन मोलिक रूप से नियुक्ति अधिनियम की अनुसुची एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य वर्ग से है ।

(ट)''सेवा''का तात्पर्य उत्तर प्रदेश पुलिस मोटर परिवहन कार्यशला अधीनस्थ (तकनीकी) सेवा से

(ड)'विभागाध्यक्ष का तात्पर्य पुलिस महानिदेशक (तकनीकी सेवायें) या उसका नाम निर्देशिनी जो अपर पुलिस महानिदेशक (तकनीकी सेवायें) की श्रेणी से निम्न न हो,से है ;

भाग दो–संवर्ग

4.सेवा का संवर्ग

(1)सेवा की सदस्य संख्या ओर उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार समय–समय पर अवधारित की जाय ।

(2)जब तक उप नियम(1)के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जाये, सेवा के सदस्य संख्या और उनमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी अनुलग्नक 'क' में दी गयी है

परन्तुः–

(1)नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे स्थगित रख सकते है जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा, या

(2)राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी पदों का सृजन कर सकते है जिन्हें वह उचित समझे ।

भाग तीन–भर्ती

5.भर्ती का स्त्रोत – सेवा में विभिन्न श्रेणी के पदों का भर्ती निम्नलिखित स्त्रोतों से की जायेगीः–

(क) आरक्षी तकनीकीः– आरक्षी तकनीकी के सभी पद अनुलग्नक 'ख' में प्रदशित न्यूनतम अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों में से सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेगें ।

(ख) मुख्य आरक्षी तकनीकी के सभी पद अनुलग्नक 'ग'के अनुसार अभ्यर्थियों की योग्यता रखने वाले आरक्षी तकनीकी में से पदोन्नति द्वारा भरे जायेगें 1

(ग) सहायक उप निरीक्षक तकनीकीः–सहायक उप निरीक्षक तकनीकी के सभी पद अनुलग्नक 'ग' के अनुसार अभ्यर्थियो की योग्यता रखने वाले हेड कांस्टेबल तकनीकी में से श्रेष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरा जायेगें

6.आरक्षण – अनुसूचित जाति/अनुसूचित जननाति एवं अन्य श्रेणियों के अभ्यथियो के लिए आरक्षण समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर पदेश लोक सेवा (शरीरिक रूप से विकलांग ,स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितो और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा ।

भाग–चार–अर्हतायें

7.राष्ट्रीयता – सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी

(क) भारतीय नागरिक हो,या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो,जो भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से पहली जनरवी 1962 के पूर्व भारत में आया हो,या

(ग) भारतीय उद्धभव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान म्यामार(पूर्ववर्ती वर्मा),श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीका देश केनिया,उमाण्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तंजानिपया(पूर्ववर्ती तांगानीका और जंजीवार) से प्रव्रजन किया हो;

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख)या(ग) का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो ।

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख)के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक पुलिस अभिसूचना शाखा उत्तर प्रदेश के पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें ।

परन्तु यह भी यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग)का हो तो पात्रता पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नही किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि से आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा, कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त लें

टिप्पणी– ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो, किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न दने से इन्कार किया गया, तो किसी परीक्षा या साक्षात्कार में समिम्मलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है, कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाये या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाये ।

सीधी भर्ती के लिए – आरक्षी तकनीकी के पद पर सीधी भर्ती के लिए उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को नीचे उल्लिखित शारीरिक मापदण्ड अनिवार्य रूप से प्राप्त करने होंगे –

(1) ऊंचाई

(अ) मैदानी अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 162से.मी.

(ब) पर्वतीय एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 157से.मी.

(2) सीना(सभी के लिए)

(अ) बिना फुलाये (न्यूनतम) 76से.मी.

(ब) फुलाने पर (न्यूनतम) 81सेमी.

(न्यूनतम फुलाव 5से0मी.अनिवार्य)

9.अधिमानी अर्हतायें– अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने –

(1) प्रादेशिक सेना में दो बर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो,या

(2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का''बी''प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो ।

10.आयु– आरक्षी तकनीकी के पद पर सीधी भती के लिये अभ्यर्थी की आयु उस वर्ष को, जिसमें वर्ष में भर्ती कि जाये,पहली जुलाई को 20 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 30 वर्ष की आयु न प्राप्त की हो ।

परन्तु अनुसूचित जातियॉ,अनुसूचित जनपजातियों और अन्य श्रेणियो जो सरकारी द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाये, के अभ्यार्थियो की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाये ।

(2) मुख्य आरक्षी तकनीकी व सहायक उप निरीक्षक तकनीकी के पद पर पदोन्नति के लिए आयु सीमा का प्रतिबन्ध नही होगा उन्हें पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा ।

11.चरित्र–सेवा में किसी पद पर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकार सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार के उपयुक्त हो सके ।

टिप्पणी –संघ सरकार या किस राज्य सरकार द्वारा या संघ सरकार या किसी सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्त के लिए पात्र नही होगें नैतिक अक्षमता के लिए अपराध के लिए दोष सिद्व व्यक्ति भी पात्र न होंगे

12.वैवाहिक प्रास्थिति – सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियां जीवित हो ।

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है ।

13.शारीरिक स्वास्थ्य– किसी अभ्यर्थी की सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्ति नही किया जायेगा तब और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो,किसी ऐसे शारीरिक दोष मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो उस पद के लिए जिसके लिए

आवेदन किया गया हे, शरीरिक मापदण्ड वही होगे जो पुलिस नियमावली में समकक्ष पदों के लिए दिये गये है । किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किया जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस नियमावली के अनुसार स्वस्थ्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें,

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थ्यता प्रमाण पत्र की अपेक्षा नही की जायेगी।

भाग पॉच–भर्ती की प्रकिया

14.रिक्तियों की अध्यारण – नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम–6 के अधीन अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की सख्या अवधारित करेगी सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियां नियुक्तियां प्राधिकारी द्वारा निम्नलिख्ति रीति से अधिसूचित की जायेगी।

(दो) कार्यालय के सूचना पट पर सूचना चिपका कर या रेडियों/दूरदर्शन और अन्य रोजगार समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन करके, और

(2) रोजगार कार्यालय को रिक्तियां अधिसूचित करके ।

15–विभिन्न श्रेणियों के पदों पर सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के प्रयोजनार्थ विभागाध्यक्ष द्वारा चयन समिति का गठन निम्नॉकित प्राविधन के अनुसार किया जायेगा –

(1)आरक्षी तकनीकी के पद पर सीधी भर्ती हेतु चयन–

(1)राज्य पुलिस मोटर वाहन अधिकारी या समकक्ष स्तर का अधिकारी	अध्यक्ष
(2)अपर पुलिस अधीक्षक स्तर का एक अधिकारी	सदस्य
(3)पुलिस उपाधीक्षक स्तर का एक अधिकारी	सदस्य
(4)विभागाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट एक तकनीकी राजपत्रित अधिकारी (आटोमोबाइल)	सदस्य

(2)मुख्य आरक्षी तकनीकी के पदों पर पदोन्नति हेतु चयनः–

(1)राज्य पुलिस मोटर वाहन अधिकारी या समकक्ष स्तर का अधिकारी	अध्यक्ष
(2)अपर पुलिस अधीक्षक स्तर का एक अधिकारी	सदस्य
(3)पुलिस अधीक्षक स्तर का एक अधिकारी	सदस्य

(3)सहायक उप निरीक्षक,तकनीकी के पदों पर पदोन्नति हेतु चयनः–

1–पुलिस उप महानिरीक्षक तकनीकी सेवायें या समकक्ष स्तर का अधिकारी	अध्यक्ष
2–राज्य पुलिस मोटर वाहन अधिकारी या समकक्ष स्तर का अधिकारी	सदस्य
3–पुलिस अधीक्षंक स्तर का एक अधिकारी	सदस्य

16.सीधी भर्ती की प्रक्रिया –(1) एक न्यूनतम स्तर तक शारीरिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को सम्मिलित करने के लिए चयन समिति शारीरिक दक्षता हेतु एक वहिर्कक्ष परीक्षा आयोजित करा सकती है इस परीक्षा में प्राप्त अंकों को चयनित अभ्यर्थियों की अन्तिम रूप से तैयार की जा रही सूची में सम्मिलित नही किया जायेगा वहिर्कक्ष परीक्षा में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों को मुख्य भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने की अनुमत नहीं होगी ।

(2) चयन समिति उप नियम (3) के अनुसार लिखित परीक्षा एवं प्रयोगात्मक परीक्षा को आयोजन करेगी तथा परिणाम प्राप्त करने के पश्चात नियम के अनुसार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए साक्षात्कार के लिए बुलायेगा अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों की संख्या चार गुना होगी इस प्रकार साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों को भी साक्षात्कार के लिये बुलाया जायेगा। प्रत्येक अभ्याथियों को साक्षात्कार में प्रदान किये गये अंकों को उसके द्वारा लिखित एवं प्रयोगात्मक परीक्षा में प्राप्त अंको में जोडा जायेगा ।

(3) लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षा एवं साक्षात्कार के लिए अंकों का निर्धारण निम्न प्रकार होगा ।

कमांक	विषय	अधिकतम अंक
1–	लिखित तकनीकी परीक्षा	75
2	तकनीकी प्रयोगात्मक परीक्षा	60
3	साक्षात्कार	15

(4) चयन समिति अभ्यर्थियों की उनकी योग्यता क्रम में, जैसा कि लिखित परीक्षा प्रयोगात्मक परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंको के कुल योग से प्रकट हो, तो एक सूची तैयार करेगी यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो चयन समिति उनके नाम उनको जन्मतिथि के आधार पर योग्यता कम में व्यवस्थित करेगी प्राप्त अंक व अन्य तिथि दोनों समान होने पर वरिष्ठता का निर्धारण तत्समय प्रवृत्त शासन के आदेशों के अनुसार किया जायेगा ।

(5) पुलिस अधिकारियॉ को प्रमाण पत्र एवं प्रमाण पत्र का अभ्यर्पण

(क) प्रत्येक पुलिस अधिकारियों को प्रमाण पत्र एवं प्रमाण पत्र मिलेगा जिसके फलस्वरूप उसमें पुलिस अधिकारी की शक्ति या कृत्य और विशेषाधिकार निहित होंगे ।

(ख) जब कभी प्रमाण पत्र में नामित व्यक्ति किसी कारण से पुलिस अधिकारी नही रहता है ताकि ऐसा प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए सशक्त अधिकारी को तुरन्त अभ्यर्पित किया जायेगा ।

(ग) पुलिस अधिकारी अपने पद से निलम्बित होने के कारण पुलिस अधिकारी बने रहने से प्रवृत्त नही हो पायेगा। ऐसे निलम्बन की अवधि में ये शक्तियां ,कृत्य और विशेषाधिकार जो पुलिस अधिकारी के रूप में दस में निहित है, प्रास्थगित रहेंगे किन्तु वह उन्ही उत्तरदायित्वों, अनुशासन और शक्तियां तथा उन्ही प्राधिकारियों के अधीन रहेगा, मानो वह निलम्बित नही हुआ है ।

17.पदोन्नति द्वारा भर्ती– सहायक उप निरीक्षक (तकनीकी) मुख्य आरक्षी (तकनीकी) के पदों पर पदोन्नति संलग्नक (ग) में वर्णित योग्यता सूची के पात्रता के अनुसार निम्नवत की जायेगीः–

1– जहां पदोन्नति के लिये मानदण्ड पात्रता हो, वहां चयन समिति सामान्य एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों की अलग–अलग तीन सूचियां उक्त श्रेणी के लिए उपलब्ध रिक्तियों को दृष्टि में रखते हुए तैयार करेगा, जिनमें पात्र अभ्यर्थी नामित किये जायेगे और जो पात्रता सूची कही जायेगी। जिनमें विद्यमान रिक्तियों की संख्या तीन गुना अभ्यार्थियों के नामों पर विचार किया जायेगा, किन्तु विचार के लिए आावश्यक न्यूनतम संख्या आठ होगी ।

परन्तु यदि अभ्यर्थी ऐसी रिक्तियों के लिए जिन पर एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए की जानी हो, तो प्रत्येक ऐसे वर्ष के सम्बन्ध में अभ्यार्थियों की पात्रता सूची तैयार की जायेगी और ऐसी स्थिति में भर्ती के द्वितीय और अनुवर्ती वर्ग (पिछले वर्ष) के लिए पात्र अभ्यार्थियो की निम्नलिखित रूप से तैयार की जायेगीः–

(1) द्वितीय वर्ष के लिए–उक्त अनुपात और प्रथम वर्ष के कुल योग के अनुसार संख्याः–
(2) तृतीय वर्ष के लिए–उक्त अनुपात और द्वितीय वर्ष तथा तृतीय वर्ष के कुल योग के अनुसार संख्याः–

परन्तु जिन अभ्यार्थियो की प्रथम दृष्टया पदोन्नति के लिये उपयुक्त न समझा जाये और वे अपात्र हो,उन पर विचार नही किया जायेगा और उनके नाम के आशय की एक टिप्पणी लिख दी जायेगी।

2– योग्यता सूची के आधार पर पदोन्नति हेतु अंको का निर्धारणः–

क्रम संख्या	विषय	अंक
01	सेवा अभिलेख	90
02	साक्षात्कार	10

सेवा अभिलेखो के (90) अंके का विभाजनः–

1– सेवा अवधि — अधिकतम 20 अंक

कार्यशाला सेवा के प्रथम 10 वर्ष की सेवा के लिए 01 अंक प्रतिवर्ष तथा अगले प्रत्येक पूर्ण एक वर्ष के लिए 1/2 अंक

2– शैक्षिक योग्यता	अधिकतम	10 अंक
(क)– स्नातक अथवा उच्च शिक्षा		10 अंक
(ख)– इण्टरमीडिएट		10अंक
(ग)– हाई स्कूल		06 अंक
(घ) कक्षा 8 उत्तीर्ण		04 अंक
3 – पुरस्कार/सुप्रविष्टि	अधिकतम	10 अंक
(एक)–प्रत्येक एक नकद पुरस्कार		01 अंक

(दो) प्रत्येक एक सुप्रविष्टि 1/2 अंक

4— वार्षिक अभ्युक्ति अधिकतम 50 अंक

नोट,—अधिकतम 10 वर्ष की प्रविष्टियो पर विचार किया जायेगा, अभ्युक्ति के लिए निम्नलिखित अंक मूल्यांकन हेतु दिये जायेगे ।

क्रम संख्या	वार्षिक अभ्युक्ति का प्रकार	निश्चात्मक मूल्यांकन
1	उत्कृष्ट	05 अंक
2	अति उत्तम	04 अंक
3	उत्तम	03 अंक
4	संतोषजनक	02 अंक

3— सेवा अभिलेखो में प्रविष्टि के लिए ऋणात्मक अंकः—

क्रम संख्या	दण्ड का प्रकार	ऋणात्मक मूल्यांकन
1	प्रत्येक एक छुद्र दण्ड के लिए	01
2	प्रत्येक एक प्रतिकूल प्रविष्टि	02
3	प्रत्येक एक लघु दण्ड पर	02
4	प्रत्येक एक दीर्घ दण्ड पर	04
5	प्रत्येक एक अप्रमाणित सत्यनिष्ठा पर	04

4— नीचे उल्लिखित एक या अधिक आधार पर अभ्यर्थी को अनुपयुक्त माना जायेगा—

क— यदि सत्यनिष्ठा गत पाँच वर्ष के अन्दर अप्रमाणित हो
ख— यदि किसी अभ्यार्थी को गत पाँच वर्ष के अन्दर दीर्घ दण्ड मिला हो
ग— यदि किसी अभ्यार्थी की अन्तिम वार्षिक अभियुक्ति प्रतिकूल हो ।
घ— यदि किसी अभ्यार्थी को 15 ऋणात्मक अंक प्राप्त हो ।

भाग—छः—नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

18— (1) उपनियम (2) और पुलिस अधिनियम 1961 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अभ्यार्थियो द्वारा बन्धपत्र प्रस्तुत करने पर नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यार्थियो के नाम उप क्रम में लेकर जिसमें उनके नाम, यथास्थिति, नियम 16 और 17 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हो, नियुक्तियां करेगा ।

(2) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्तियों के आदेश जारी किये जाये तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख यथास्थिति चयन में उनकी ज्येष्ठता क्रम में या जैसा कि उनके उस संवर्ग में रही हो जिसमें उन्हे पदोन्नति किया गया है। किया जायेगा।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी उप नियम (1) के अधीन तैयार की गयी सूची से अस्थायी हो स्थानापन्न रूप से नियुक्तियां भी कर सकता है । यदि इन सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्तियों में से ऐसी रिक्त में नियुक्तियां कर सकता है। ऐसी नियुक्तियां एक

वर्ष से अधिक अवधि के लिये या इस नियमावली के अधीन अगला चयन किये जाने तक के लिये इनमें से जो पहले हो, की जायेगी

19.प्रशिक्षण– सेवा में नियुक्त व्यक्ति को ऐसे समस्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित होना होगा जैसा कि समय–समय पर अपेक्षित हो ।

20.परिवीक्षा– (1) सेवा में किस पद पर स्थायी रिक्ति में या उसके प्रति नियुक्त व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा ।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग–अलग मामलो में परिवीक्षा अवधि के बढा सकता है जिसमें ऐसा निश्चित दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक कि अवधि बढायी जाये ।

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नही बढायी जायेगी ।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो, कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नही किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है ।

(4) ऐसे परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उप नियम 3 के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाये या जिसकी सेवायें समाप्त की जाये, किसी प्रतिकर का हकदार न होगा ।

(5) नियुक्ति प्राधिकारों सवंर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थयी रूप से की गयी निरन्तर सेवा की परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिये गणना करने की अनुमति दे सकता है ।

21.स्थायीकरण– किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि या बढायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली 1991 के अधीन स्थायी कर दिया जायेगा ।

1– उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया गया हो,
2– उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाये और
3– नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाये, कि स्थायीकरण के लिये अन्यथ उपयुक्त है

22.ज्येष्ठता –(1) एतद्पश्चात यथा उपबंधित के सिवाय किसी श्रेणी के पद पर व्यक्तियों की ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक ही दिनांक को नियुक्त किये जाये, तो उस क्रम में अवधारित की जायेगी जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश मे रखे गये हो।

परन्तु यदि नियुक्ति के आदेश में कोई ऐसा विशिष्ट पिछला दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाये, जब से किसी व्यक्ति की मौलिक रूप से नियुक्ति किया गया, हो तो उस दिनांक को मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक समझा जायेगा और कोई विनिर्दिष्ट दिनांक न होने पर उसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगा ।

परन्तु यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति के आदेश जारी किये जाये, तो ज्येष्ठता वही होगी, जो नियम 18 के उपनियम 2 के अधीन जारी किये गये नियुक्ति के संयुक्त आदेश में उल्लिखित की जाये ।

(2) किसी एक चयन के परिणाम के आधार पर सीधे नियुक्त किये गये व्यक्तियो की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी, जो चयन समिति द्वारा अवधारित की जाये ।

परन्तु सीधे नियुक्त किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है यदि किसी रिक्ति का उसे प्रस्ताव किये जाने पर वह विधि मान्य कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहे। कारणों का विधि मान्यता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा ।

(3) पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्तियो की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी, जो उस संवर्ग में रही हो, जिससे उन्हे पदोन्नति किया गया हो ।

भाग सात–वेतन, भत्ते आदि

23.वेतनमान.(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर चाहे मौलिक स्थानापन्न रूप में या अस्थयी आधार पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा, जैसा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाये ।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान निम्नॉकित हैः–

पदनाम	वेतनमान
1– सहायक उपनिरीक्षक तकनीकी	रू0–4000–100–6000
2– मुख्या आरक्षी तकनीकी	रू0–3200–85–4900
3– आरक्षी तकनीकी	रू0–3050–75–3950–80–4590

नोट/टिप्पणी – सेवा के सदस्य, सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत विशेष वेतन/व्यवसाय वेतन और अन्य भत्ते पाने के भी हकदार होगे ।

24.परिवीक्षा अवधि में वेतन –

(1) फण्डामेंटल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपलब्ध के होते हुए भी परिवीक्षाधीन व्यक्तियों की यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसे प्रथम वेतन वृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और प्रश्क्षिण, जहां विहित हो, प्राप्त कर लिया हो। द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे सेवा में स्थायी भी कर दिया गया हो ।

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढायी जाये, तो इस प्रकार बढायी गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिए तब तक नही की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें ।

(2) ऐसे व्यक्ति को, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रह हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन, सुसंगत फण्डामेंटल रूल्स द्वारा भी विनियमित होगा ।

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढायी जाये, तो इस प्रकार बढायी गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिए तब तक नही की जायेगी जब तक की नियुक्ति प्रााधिकारी अन्यथा कोई निर्देश न दें ।

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतः लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग आठ–अन्य उपबन्ध

25.पक्ष समर्थन – किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्ही सिफारिशों पर चाहे लिखित हो या मौखिक विचार नही किया जायेगा । किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा ।

26.अन्य विषयों पर विनियमन – ऐसे विषयो के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली व विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हो, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सवेकों पर सामान्यतः लागू नियमो, विनियमो और आदेशों द्वारा नियंत्रित होगे ।

27.सेवा में शिथिलता – जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये, कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है वहां वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए जिन्हें वह मामलो में न्यायसंगत और सम्पूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है ।

<u>28.अधिकार, विशेषाधिकार एव उत्तरदायित्व –</u> पुलिस मोटर परिवहन कार्यशाला अधीनस्थ तकनीकी सेवाओ के सहायक उप निरीक्षक तकनीकी मुख्य आरक्षी, तकनीकी और आरक्षी तकनीकी के अधिकार विशेषाधिकार एवं उत्तरदायित्व सशस्त्र पुलिस के समकक्ष श्रेणी के अनुरूप होगे ।

29.व्यायवृत्ति – इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नही पडेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियो के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना आपेक्षित हो ।

परिशिष्ट 'क'

क0 सं0	पद का नाम	ट्रेड का नाम	स्वीकृत नियतन		योग
			स्थाई	अस्थायी	
	(क) आरक्षी तकनीकी				
1	आरक्षी तकनीकी	स्टोर कीपर	—	8	8
2	आरक्षी तकनीकी	इलेक्ट्रीशियन	8	16	24
3	आरक्षी तकनीकी	टिनमैन	4	16	20
4	आरक्षी तकनीकी	ब्लैक स्मिथ	4	16	20
5	आरक्षी तकनीकी	अपहोलेस्टर	4	8	12
6	आरक्षी तकनीकी	मशीनिष्ट	—	4	4
7	आरक्षी तकनीकी	फिटर	22	40	62
8	आरक्षी तकनीकी	टर्नर	8	4	12
9	आरक्षी तकनीकी	बेल्डर	3	12	15
10	आरक्षी तकनीकी	पेन्टर	7	16	23
11	आरक्षी तकनीकी	कारपेन्टर	8	8	16
12	आरक्षी तकनीकी	हेल्पर	8	24	32
13	आरक्षी तकनीकी	पम्प ड्राइवर	1	—	1
ख— मुख्य आरक्षी तकनीकी					
1	मुख्य आरक्षी तकनीकी	ज्येष्ठ स्टोरकीपर	2	8	10
2	मुख्य आरक्षी तकनीकी	ज्येष्ठ इलेक्ट्रीशियन	1	4	5
3	मुख्य आरक्षी तकनीकी	सहा0मो0 मैकेनिक	9	28	37
4	मुख्य आरक्षी तकनीकी	ज्येष्ठ टिनमैन	1	4	5
5	मुख्य आरक्षी तकनीकी	ज्येष्ठ ब्लैकस्मिथ	—	4	4
6	मुख्य आरक्षी तकनीकी	ज्येष्ठ अपहोलस्टर	—	4	4
7	मुख्य आरक्षी तकनीकी	ज्येष्ठ मशीनिष्ट	—	8	8
8	मुख्य आरक्षी तकनीकी	ज्येष्ठ फिटर	—	40	40
9	मुख्य आरक्षी तकनीकी	ज्येष्ठ टर्नर	—	4	4
10	मुख्य आरक्षी तकनीकी	ज्येष्ठ बेल्डर	—	4	4
11	मुख्य आरक्षी तकनीकी	ज्येष्ठ पेन्टर	—	4	4
12	मुख्य आरक्षी तकनीकी	ज्येष्ठ कारपेन्टर	—	4	4
ग— सहायक उप निरीक्षक,तकनीकी					
1	सहायक उप निरीक्षक(तक0)	सीनियर स्टोरकीपर	1	4	5
2	सहायक उप निरीक्षक(तक0)	मोटर मैकेनिक	5	12	17

परिशिष्ट 'ख'

क स0	पदनाम	सीधी भर्ती हेतु शैक्षिक व तकनीकी योग्यता	सीधी भर्ती हेतु अनुभव
1	आरक्षी तकनीकी स्टोर कीपर	हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण हो तथा किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से मोटर मैकेनिक ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण हो।	उत्तर प्रदेश परिवहन आयुक्त द्वारा मान्यता प्राप्त गैराज या इससे उच्चतर प्रास्थिति के संगठन में कार्य करने का न्यूनतम 2 वर्षों का अनुभव हो
2	आरक्षी तकनीकी फिटर	हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण हो तथा किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से मोटर मैकेनिक अथवा फिटर ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण हो	1–उ0प्र0परिवहन आयुक्त द्वारा डीजल/पेट्रोल गाड़ियों से सम्बन्धित मान्यता प्राप्त किसी आटोमोबाइल क्लास–ए गैराज या उससे उच्चतर प्रास्थिति के संगठन में सभी प्रकार की मोटर गाडियों के समस्त पुर्जो का सुधार/अनुरक्षण कार्य स्वतंत्र रूप से करने का न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव हो 2–हल्का गाडी चालने का वैध लाइसेन्स हो
3	आरक्षी तकनीकी इलेक्ट्रीशियन	हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण हो तथा किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई) से इलेक्ट्रीशियन ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण हो	डीजल/पेट्रोल गाडियों से सम्बन्धित उ0प्र0 परिवहन अयुक्त द्वारा मान्यता प्राप्त किसी आटोमोबाइल क्लास–ए गैराज या इससे उच्चतर प्रास्थिति के संगठन में सभी प्रकार की गाडियो के मरम्मत इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रोनिक्स पार्टस की ओवरहालिंग रिवाइडिंग बायरिंग आदि का न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव हो
4	आरक्षी तकनीकी टिनमैन	हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण हो तथा किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई) से शीट मैटल/टिनमैन परीक्षा उत्तीर्ण हो	उत्तर प्रदेश परिवहन आयुक्त द्वारा डीजल/पेट्रोल गाडियो से सम्बन्धित मान्यता प्राप्त किसी आटोमोबाइल क्लास–ए गैराज या उससे उच्चतर प्रास्थिति के संगठन में बाडी का ढांचा बनाने के कार्य का न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव हो
5	आरक्षी तकनीकी अपहोलस्टर	हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण हो तथा किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई).से अपहोल्स्टर ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण हो	उ0प्र0 परिवहन आयुक्त द्वारा किसी आटोमोबाइल श्रेणी–ए–गैराज से अपहोल्स्टर से सम्बन्धित सभी प्रकार की गाडियों हेतु पैर व मोटर चलित सिचाई मशीन के माध्यम से रैक्सीन,कपडे व सभी प्रकार के सीटो की सिलाई तथा अपहोल्स्टर से सम्बन्धित समस्त मरम्मत के कार्य का न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव हो
6	आरक्षी तकनीकी ब्लैकस्मिथ	हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण हो तथा किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई)से ब्लैकस्मिथ परीक्षा उत्तीर्ण हो	उ0प्र0 परिवहन आयुक्त द्वारा मान्यता प्राप्त किसी आटोमोबाइल श्रेणी–ए गैराज या इससे उच्चतर प्रास्थिति के संगठन में ब्लैकस्मिथ से सम्बन्धित समस्त कार्य न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव हो
7	आरक्षी तकनीकी पेन्टर	हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण हो तथा किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई)से पेन्टर ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण हो	उत्तर प्रदेश परिवहन आयुक्त से मान्यता प्राप्त किसी आटोमोबाइल श्रेणी ए–गैराज या इससे उच्चतर प्रास्थिति संगठन में समस्त प्रकार के लैटर राइटिंग एवं पेन्टिग से सम्बन्धित कार्य का न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव हो
8	आरक्षी तकनीकी बेल्डर	हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण हो तथा किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई)से बेल्डर ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण हो ।	उ0प्र0 परिवहन आयुक्त द्वारा मान्यता प्राप्त किसी आटोमोबाइल श्रेणी–ए गैराज या इससे उच्चतर प्रास्थितिक संगठन में इलेक्ट्रिक आर्क बेल्डिग,गेस बेल्डिग स्पार्क बेल्डिग एवं अन्य समस्त आधुनिक तकनीकी द्वारा बेल्डिग करने का न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव हो ।
9	आरक्षी तकनीकी कारपेन्टर	हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण हो तथा किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई)से कारपेन्टर ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण हो ।	उत्तर प्रदेश परिवहन आयुक्त द्वारा मान्यता प्राप्त किसी आटोमोबाइल श्रेणी ए गैराज या इससे उच्चतर प्रास्थि।तिक संगठन में लकडी की बाडी सीटे बनाने ग्लास चेनल बदलने, दरवाजे व खिडकियो के लॉक व हैडिल बदलने

			तथा हाई बोर्ड द्वारा पैनल बनाने का न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव हो ।
10	आरक्षी तकनीकी टर्नर	हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण हो तथा किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई)से टर्नर परीक्षा उत्तीर्ण हो	उ0प्र0 परिवहन आयुक्त द्वारा मान्यता प्राप्त किसी आटोमोबाइल श्रेणी ए गैराज या इससे उच्चतर प्रास्थिति के संगठन में लेथ मशीन ,ड्रिल मशीन सीट कटिंग रिपेरिंग,सीटइन सैटिंग बोरिंग तथा होनिंग इलेक्टर ग्राइडिंग तथा फयूल पम्प टेस्टिंग मशीन पर न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव हो ।
11	आरक्षी तकनीकी मशीनिष्ठ	हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण हो तथा किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई)से मशीनष्ठि ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण हो ।	उ0प्र0 परिवहन आयुक्त द्वारा मान्यता प्राप्त किसी आटोमोबाइल श्रेणी ए गैराज या इससे उच्चतर प्रास्थिति के संगठन में मशीनिष्ठ के रूप में कार्य करने का न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव हो
12	आरक्षी तकनीकी सहा. मो0मैकेनिक	हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण हो तथा किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई)से मोटर मैकेनिक ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण हो ।	उ0प्र0 परिवहन आयुक्त द्वारा मान्यता प्राप्त किसी आटोमोबाइल श्रेणी–ए गैराज में मोटर गाडियो के सूक्ष्य पुर्जो का ज्ञान व छुद्र सुधार के कार्य का न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव हल्की व भारी गाडी चलाने का बैध लाइसेन्स धारको को वरीयता दी जायेगी ।
13	आरक्षी तकनीकी पम्प ड्राइवर	हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण हो तथा किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई)से प्लम्बर ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण हो ।	किसी जलापूर्ति संगठन या अन्य किसी संगठन में टयूबबेल,विद्युत चलित,डीजल इंजन पम्प सेट चलाने का न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव हो

परिशिष्ट ग

क. सं0	श्रेणी	सीधी भर्ती हेतु शैक्षिक व तकनीकी अर्हता	सीधी भर्ती हेतु अनुभव	प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हता
1	सहायक उप निरीक्षक तकनीकी (सीनियर स्टोर कीपर)			मुख्य आरक्षी तकनीकी स्टोर कीपर जो इस रूप में भर्ती वर्ष के प्रथम दिनांक को पॉच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो
2	सहायक उप निरीक्षक कनीकी(मोटरमैकेनिक)			मुख्य आरक्षी तकनीकी सहा.मोटर मैकेनिक अथवा मुख्य आरक्षी तकनीकी (फिटर) जो इस पद पर न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो
3	सहायक उप निरीक्षक तकनीकी(सामान्य)			1–मुख्य आरक्षी तकनीकी इलेक्ट्रिशियन अथवा 2–मुख्या आरक्षी तकनीकी अपहोलेस्टर अथवा 3–मुख्य आरक्षी तकनीकी कारपेन्टर अथवा 4–मुख्याआरक्षी तकनीकी मशीनिष्ठ अथवा 5– मुख्य आरक्षी तकनीकी टर्नर जो इस पद पर न्यूनतम 5 वर्ष की

				सेवा पूर्ण कर ली हो ।
4	सहायक उप निरीक्षक तकनीकी(बॉडी शाप)			1–मुख्या आरक्षी,तकनीकी टिन्मेन अथवा 2–मुख्य आरक्षी तकनीकी बेल्डर अथवा 3–मुख्य आरक्षी तकनीकी ब्लैकस्मिथ अथवा 4–मुख्य आरक्षी तकनीकी पेन्टर जो इस पद पर न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो
5	सहायक उप निरीक्षक तकनीकी(स्टोर कीपर)			आरक्षी तकनीकी स्टोर कीपर जो इस पद पर न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो
6	सहायक उप निरीक्षक तकनीकी(सहा. मोटर मैकेनिक)			आरक्षी तकनीकी सहायक मोटर मैकेनक अथवा 2–आरक्षी तकनीकी फिटर जो इस पद पर न्यूनतम 5 वर्ष पूर्ण कर ली हो ।
7	मुख्य आरक्षी तकनीकी इलेक्ट्रीशियन			आरक्षी तकनीकी (इलेक्ट्रीशियन) जो इस पद पर न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो ।
8	मुख्य आरक्षी तकनीकी टिनमैन			आरक्षी तकनीकी (टिनमैन) जो इस पद पर न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो ।
9	मुख्य आरक्षी तकनीकी अपहोलेस्टर			आरक्षी तकनीकी (अपहोलेस्टर) जो इस पद पर न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो ।
10	मुख्य आरक्षी तकनीकी ब्लैकस्मिथ			आरक्षी तकनीकी(ब्लैकस्मिथ) जो इस पद पर न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो ।
11	मुख्य आरक्षी तकनीकी पेन्टर			आरक्षी तकनीकी(पेन्टर) जो इस पद पर न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो ।
12	मुख्य आरक्षी तकनीकी बेल्डर			आरक्षी तकनीकी(बेल्डर) जो इस पद पर न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो ।
13	मुख्य आरक्षी तकनीकी कारपेन्टर			आरक्षी तकनीकी (कारपेन्टर) जो इस पद पर न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो ।
14	मुख्य आरक्षी तकनीकी टर्नर			आरक्षी तकनीकी(टर्नर) जो इस पद पर न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो ।
15	मुख्य आरक्षी तकनीकी			आरक्षी तकनीकी(मशीनिष्ठ) जो इस पद पर न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा

	मशीनिष्ठ			पूर्ण कर ली हो ।
16	मुख्य आरक्षी तकनीकी फिटर			आरक्षी तकनीकी(फिटर) अथवा 2–आरक्षी तकनीकी (सहायक मोटर मैकेनिक) जो इस पद पर न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो ।
17	आरक्षी तकनीकी स्टोर कीपर	हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण हो तथा किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से मोटर मैकेनिक ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण हो	उत्तर प्रदेश परिवहन आयुक्त द्वारा मान्यता प्राप्त गैराज या इससे उच्वती प्रास्थिति के संगठन में कार्य करने का न्यूनतम 2 वर्षो का अनुभव हो	
18	आरक्षी तकनीकी फिटर	हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण हो तथा किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से मोटर मैकेनिक अथवा फिँटर ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण हो	1–उ0प0 परिवहन आयुक्त द्वारा डीजल/पेट्रोल गाडियो से सम्बन्धित मान्यता प्राप्त किसी आटोमोबाइल क्लास–ए गैराज या उससे उच्वतर प्रास्थि।ति के संगठन में सभी प्रकार की मोटर गाडियो के समस्त पुर्जो का सुधार/अनुरक्षण कार्य स्वतंत्र रूप से करने का न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव हो 2–हल्का गाडी चालने का बैध लाइसेन्स हो	
19	आरक्षी तकनीकी इलेक्ट्रीशियन	हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण हो तथा किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई)से इलेक्ट्रीशियन ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण हो	डीजल/पेट्रोल गाडियो से सम्बन्धित उ0प्र0 परिवहन अयुक्त द्वारा मान्यता प्राप्त किसी आटोमोबाइल क्लास–ए गैराज या इससे उच्चतर प्रास्थिति के संगठन में सभी प्रकार की गाडियो के समस्त इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रोनिक्स पार्टस की ओवरहालिंग रिवाइडिंग बायरिंग आदि का न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव हो	
20	आरक्षी तकनीकी टिनमैन	हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण हो तथा किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई)से शीट मैटल/टिनमैन परीक्षा उत्तीर्ण हो	उत्तर प्रदेश परिवहन आयुक्त द्वारा डीजल/पेट्रोल गाडियो से सम्बन्धित मान्यता प्राप्त किसी आटोमोबाइल क्लास–ए गैराज या उससे उच्चतर प्रास्थिति के संगठन में बझ्उी का ढाचा बनाने के कार्य का न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव हो	
21	आरक्षी तकनीकी अपहोलस्टर	हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण हो तथा किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई)से	उ0प्र0 परिवहन आयुक्त द्वारा किसी आटोमोबाइल श्रेणी–ए–गैराज से अपहोल्स्टर से सम्बन्धित सभी प्रकार की गाडियो	

		अपहोल्स्टर ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण हो	हेतु पैर व मोटर चलित सिलाई मशीन के माध्यम से रैक्सीन,कपडे व सभी प्रकार के सीटो की सिचाई तथा अपहोल्स्टर से सम्बन्धित समस्त मरम्मत के कार्य का न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव हो	
22	आरक्षी तकनीकी ब्लैकस्मिथ	हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण हो तथा किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई)से ब्लैक स्मिथ परीक्षा उत्तीर्ण हो	उ0प्र0 परिवहन आयुक्त द्वारा मान्यता प्राप्त किसी आटोमोबाइल श्रेणी–ए गैराज या इससे उच्चतर प्रास्थिति के संगठन में ब्लैकस्मिथ से सम्बन्धित समस्त कार्य न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव हो	
23	आरक्षी तकनीकी पेन्टर	हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण हो तथा किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई)से पेन्टर ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण हो	उत्तर प्रदेश परिवहन आयुक्त से मान्यता प्राप्त किसी आटोमोबाइल श्रेणी ए–गैराज या इससे उच्चतर प्रास्थिति संगठन में समस्त प्रकार के लैटर राइटिंग एवं पेन्टिग से सम्बन्धित कार्य का न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव हो	
24	आरक्षी तकनीकी बेल्डर	हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण हो तथा किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई)से बेल्डर ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण हो ।	उ0प्र0 परिवहन आयुक्त द्वारा मान्यता प्राप्त किसी आटोमोबाइल श्रेणी–ए गैराज या इससे उच्चतर प्रास्थितिक संगठन में इलेक्ट्रिक आर्क बेल्डिग,गेस बेल्डिग स्पार्क बेल्डिग एवं अन्य समस्त आधुनिक तकनीकी द्वारा बेल्डिग करने का न्यूनतम2 वर्ष का अनुभव हो ।	
25	आरक्षी तकनीकी कारपेन्टर	हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण हो तथा किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई)से कारपेन्टर ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण हो ।	उत्तर प्रदेश परिवहन आयुक्त द्वारा मान्यता प्राप्त किसी आटोमोबाइल श्रेणी ए गैराज या इससे उच्चतर प्रास्थि।तिक संगठन में लकडी की बाडी सीटे बनाने ग्लास चेनल बदलने,दरवाजे व खिडकियो के लॉक व हैडिल बदलने तथा हाई बोर्ड द्वारा पैनल बनाने का न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव हो ।	
26	आरक्षी तकनीकी टर्नर	हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण हो तथा किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई)से	उ0प्र0 परिवहन आयुक्त द्वारा मान्यता प्राप्त किसी आटोमोबाइल श्रेणी ए गैराज या इससे उच्चतर प्रास्थिति के संगठन में लेथ	

		टर्नर परीक्षा उत्तीर्ण हो	मशीन ,ड्रिल मशीन सीट कटिंग रिपेरिंग,सीटइन सेटिंग बोरिंग तथा होनिंग इलेक्टर ग्राइडिंग तथा फयूल पम्प टेस्टिंग मशीन पर न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव हो ।	
27	आरक्षी तकनीकी मशीनिष्ठ	हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण हो तथा किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई)से मशीनष्ठि ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण हो ।	उ0प्र0 परिवहन आयुक्त द्वारा मान्यता प्राप्त किसी आटोमोबाइल श्रेणी ए गैराज या इससे उच्चतर प्रास्थिति के संगठन में मशीनिष्ठ के रूप में कार्य करने का न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव हो	
28	आरक्षी तकनीकी सहा.मो0मैकेनिक	हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण हो तथा किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई)से मोटर मैकेनिक ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण हो ।	उ0प्र0 परिवहन आयुक्त द्वारा मान्यता प्राप्त किसी आटोमोबाइल श्रेणी–ए गैराज में मोटर गाडियो के सूक्ष्य पुर्जो का ज्ञान व छुद्र सुधार के कार्य का न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव हल्की व भारी गाडी चलाने का बैध लाइसेन्स धारको को वरीयता दी जायेगी ।	
29	आरक्षी तकनीकी पम्प ड्राइवर	हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण हो तथा किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई)से प्लम्बर ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण हो ।	किसी जलापूर्ति संगठन या अन्य किसी संगठन में टयूबबेल, विद्युत चलित, डीजल इंजन पम्प सेट चलाने का न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव हो	

(आलोक सिन्हा)
प्रमुख सचिव गृह

उत्तर प्रदेश पुलिस मोटर परिवहन शाखा अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली, 2015

उत्तर प्रदेश सरकार गृह (पुलिस अनुभाग-2)

संख्या 1447 / छः पु.-2- 2015 - 1100 (2) / 2015 लखनऊ दिनांक 14 अगस्त, 2015

पुलिस अधिनियम, 1861 (अधिनियम संख्या-5 सन 1861) की धारा - 2 के साथ पठित धारा - 46 की उपधारा (2) के अधीन शक्ति और इस निमित्त समस्त अन्य समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग और इस निमित्त निर्गत सभी विद्यमान शासनादेशों का अधिक्रमण करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश पुलिस बल के आरक्षी चालक, मुख्य आरक्षी चालक, मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन, उप निरीक्षक मोटर परिवहन तथा निरीक्षक मोटर परिवहन के रूप में परिवहन शाखा में कार्यरत आरक्षी के चयन, पदोन्नति, प्रशिक्षण, नियुक्ति, ज्येष्ठता का अवधारण और स्थाईकरण आदि को विनियमित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं—

भाग-एक–सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश पुलिस मोटर परिवहन शाखा अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली, 2015 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति 2. उत्तर प्रदेश पुलिस मोटर परिवहन शाखा अधीनस्थ सेवा में, नियम-3 के खण्ड (क) में नीचे वर्णित समूह ''ग'' के पद सम्मिलित हैं।

परिभाषाएं 3. जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में,

(क) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' का तात्पर्य आरक्षी चालक, मुख्य आरक्षी चालक व मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन के सम्बन्ध में सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक एवं उप निरीक्षक मोटर परिवहन व निरीक्षक मोटर परिवहन के सम्बन्ध में पुलिस उपमहानिरीक्षक से हैं,

(ख) ''बोर्ड'' का तात्पर्य शासनादेश संख्या 1256/6-पु-10-2008-27 (7) / 08 दिनांक 02 दिसम्बर, 2008 के अनुसार स्थापित उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड से है

(ग) ''संविधान'' का तात्पर्य भारत का संविधान से हैं,

(घ) ''भारत का नागरिक'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक समझा जाये,

(ङ) ''राज्यपाल'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है,

(च) ''विभागाध्यक्ष'' का तात्पर्य पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश से है,

(छ) ''सेवा का सदस्य'' का तात्पर्य इस नियमावली या नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त आदेशों के अधीन सेवा के संवर्ग में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति से है,

(ज) ''पुलिस मुख्यालय'' का तात्पर्य मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ एवं उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद से है,

(झ) ''सेवा'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश पुलिस मोटर परिवहन शाखा अधीनस्थ अधिकारी सेवा से है,
(ञ) ''चयन समिति'' का तात्पर्य सेवा में किसी पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों के चयन के लिए बोर्ड द्वारा गठित चयन समिति से है,
(ट) ''मौलिक नियुक्ति'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गई हो और यदि कोई नियम न हों तो राज्य सरकार द्वारा किये गये कार्यपालक आदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई हो,
(ठ) ''तकनीकी सेवा'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, लखनऊ से है,
(ड) ''भर्ती का वर्ष'' का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग दो संवर्ग

सेवा का संवर्ग 4 (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रतयेक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाये।

(2) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या, जब तक कि उप नियम (1) के अधीन उसे परिवर्तित करने का आदेश पारित न हो, निम्नवत् होगी

पद का नाम	**स्वीकृत नियतन**
आरक्षी चालक	9126
मुख्य आरक्षी चालक	1098
मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन	283
उप निरीक्षक मोटर परिवहन	99
निरीक्षक मोटर परिवहन	09

परन्तु यह कि—

एक) विभागाध्यक्ष कुल स्वीकृत नियतन के अन्तर्गत विभिन्न शाखाओं के पदों की संख्या को पुनर्निधारित कर सकते हैं,

दो) नियुक्ति प्राधिकारी रख सकते हैं जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकार का हकदार न होगा,

तीन) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं जिन्हें वह उचित समझें।

भाग तीन -भर्ती हेतु पात्रता

भर्ती का स्त्रोत **5.** सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्त्रोतों से की जायेगी—

(क) आरक्षी चालक—आरक्षी चालक के शत-प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे आरक्षी नागरिक पुलिस, आरक्षी, आरक्षी सशस्त्र पुलिस एवं आरक्षी पी.ए.सी. से भरे जायेंगे जो निम्न पात्रता शर्ते पूर्ण करते हों—

(1) चयन वर्ष के प्रथम दिवस को 32 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न की हों।

(2) अच्छे स्वास्थ्य का हो और बगैर चश्में या सहायता के आंखों की दृष्टि 6/6 हो।

(3) पूर्व में आरक्षी चालक के पद से प्रत्यावर्तित न हुआ हो।

(4) मोटर यान अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत भारी तथा हल्के वाहनों का ड्राइविंग लाइसेंस धारक होना अनिवार्य है।

(5) भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को तीन वर्ष की सेवा (प्रशिक्षण केन्द्र में किये गये प्रशिक्षण की अवधि को छोड़कर) पूर्ण कर ली हो।

(6) विगत पांच वर्षों की अवधि में—

(एक) सत्यनिष्ठ रोकी न गई हो, या

(दो) कोई दीर्घ दण्ड न मिला हो, या

(तीन) दो या उससे अधिक लघु दण्ड न मिले हों।

(7) विगत तीन वर्षो की अवधि में—

(एक) कोई लघु दण्ड न मिला हो, या

(दो) दो या उससे अधिक छोटे दण्ड न मिले हों, या

(तीन) कोई प्रतिकूल प्रविष्टि न मिली हो।

(ख) मुख्य आरक्षी चालक—मुख्य आरक्षी चालक की शत प्रतिशत रिक्तियों अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा ऐसे आरक्षी चालकों में से भरी जायेंगी जो आरक्षी चालक के रूप में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हों।

(ग) मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन—मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन की शत-प्रतिशत रिक्तियां बोर्ड द्वारा परिशिष्ट में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार चयन द्वारा ऐसे आरक्षी चालकों एवं मुख्य आरक्षी चालकों में से भरी जायेंगी, जो निम्न पात्रताएं पूरी करते हों—

(एक) भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को पॉच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हों।

(दो) वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण में असफल न पाये गये हों।

(तीन) विगत पाँच वर्षो की अवधि में—

क)- सत्यनिष्ठ रोकी न गई हो, या

ख)- कोई दीर्घ दण्ड न मिला हो, या

ग)- दो या उससे अधिक लघु दण्ड न मिले हों।

(चार) विगत तीन वर्षो की अवधि में—

क) कोई लघु दण्ड न मिला हो, या

ख) दो या उससे अधिक छोटे दण्ड न मिले हो, या

ग) कोई प्रतिकूल प्रविष्ठि न मिली हो।

(घ) उप निरीक्षक मोटर परिवहन—उप निरीक्षक मोटर परिवहन की शत-प्रतिशत रिक्तियां अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा ऐसे मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन में से भरी जायेंगी जिन्होने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हों, वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण में अनर्ह न हुए हों और एडवान्स्ड मैकेनिक कोर्स उत्तीर्ण कर ली हों।

(ङ) निरीक्षक मोटर परिवहन—निरीक्षक मोटर परिवहन की शत-प्रतिशत रिक्तियाँ अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा ऐसे उप निरीक्षक मोटर परिवहन में से भरी जायेंगी जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को दो वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हों तथा वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण में अनर्ह न पाये गये हों।

भाग चार भर्ती की प्रक्रिया एवं प्रशिक्षण

रिक्तियों का अवधारण और चयन समितियों का गठन

6. नियुक्ति प्राधिकारी, भर्ती के वर्ष में होने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेंगे और उसकी सूचना पुलिस मुख्यालय को देंगे। पुलिस मुख्यालय द्वारा रिक्तियों की संख्या विभागाध्यक्ष के माध्यम से बोर्ड को सूचित की जायेगी। बोर्ड द्वारा सम्बन्धित पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों के चयन हेतु चयन समितियां गठित की जायेंगी।

आरक्षी चालक के चयन की प्रक्रिया

7. आरक्षी चालक का चयन-आरक्षी नागरिक पुलिस, आरक्षी सशस्त्र पुलिस एवं आरक्षी पी.ए.सी. में से आरक्षी चालक का चयन, बोर्ड द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा—

(क) आवेदन पत्र-तकनीकी सेवा, विभागीय परिपत्र के माध्यम से, समस्त जनपदों और इकाईयों से नियम-5 (क) में उल्लिखित पात्रताओं के अनुसार आरक्षी नागरिक पुलिस, आरक्षी सशस्त्र पुलिस एवं आरक्षी पी.ए.सी. से आवेदन पत्र आमंत्रित करेगा। यह सूचना पुलिस की वेबसाइट पर भी प्रकाशित की जायेगी।

(ख) बुलावा पत्र-तकनीकी सेवा द्वारा प्राप्त आवेदनों का सूक्ष्म परीक्षण किये जाने के पश्चात, त्रुटिपूर्ण या अपूर्ण आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जायेगा और संबंधित अभ्यर्थियों को उचित माध्यम से सूचित कर दिया जायेगा और पात्र अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु संबंधित जनपद, इकाई और पी.ए.सी. वाहिनी के प्रभारी अधिकारी के माध्यम से सूचना भेजी जायेगी। तकनीकी सेवा द्वारा पात्र अभ्यर्थियों की सूची विभागाध्यक्ष के माध्यम से बोर्ड को उपलब्ध कराई जायेगी।

(ग) चालन दक्षता परीक्ष-पात्र अभ्यर्थियों से बोर्ड के समक्ष चालन दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। चालन दक्षता परीक्षा विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आयोजित की जायेगी।

(घ) अन्तिम चयन सूची-बोर्ड द्वारा चालन दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की सूची उनकी योग्यता के अनुसार जारी की जायेगी। ज्येष्ठता का निर्धारण निम्नलिखित रीति से किया जायेगा—

(एक) एक संवर्ग के अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता उनके मौलिक पद की ज्येष्ठता के अनुसार अवधारित की जायेगी।

(दो) भिन्न संवर्गों के अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता का अवधारण इस प्रकार किया जायेगा कि पूर्ववर्तीत चयन के अभ्यर्थी को पश्चात् वर्ती चयन के अभ्यर्थियों से ज्येष्ठ माना जायेगा।

(तीन) अलग-अलग संवर्गों के दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों की मौलिक नियुक्ति की तिथि समान होने पर उनकी ज्येष्ठता उनकी जन्म तिथि के अनुसार अवधारित की जायेगी। यदि नियुक्ति की तिथि व जन्म तिथि समान होती है तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उनके नाम के प्रथम अक्षर के अनुसार ज्येष्ठता का अवधारण किया जायेगा।

बोर्ड द्वारा उपर्युक्तानुसार तैयार की गयी ज्यष्ठता सूची विभागाध्यक्ष के अनुमोदनोपरान्त पुलिस वेबसाइट पर प्रकाशित व सूचनापट्ट पर प्रदर्शित की जायेगी।

(ङ) स्वास्थ्य परिक्षण-स्वास्थ्य परीक्षण में सफल होना अनिवार्य होगा।

प्रशिक्षण

8. चालक पाठ्यक्रम हेतु चयनित अभ्यर्थियों को बोर्ड द्वारा ऐसे यथा अवधारित ज्यष्ठता के अनुसार पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रशिक्षण में भेजा जायेगा। ऐसे चयनित अभ्यर्थियों से विभागाध्यक्ष द्वारा यथा विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने की अपेक्षा की जायेगी। तकनीकी सेवा उपलब्ध करयी जायेगी। पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रशिक्षण में सफल घोषित अभ्यर्थियों को आरक्षी चालक के कर्तव्य हेतु आदेश निर्गत किये जायेंगे। प्रशिक्षण में असफल घोषित ऐसे चयनित अभ्यर्थियों को उनके मूल संवर्ग में वापस कर दिया जायेगा।

मुख्य आरक्षी चालक पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया–

9. मुख्य आरक्षी चालक के शत-प्रतिशत पद, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा ऐसे आरक्षी चालको में से भरे जायेंगे जो नियम-5 (ख) में यथा उल्लिखित पात्रता शर्ते पूर्ण करते हों। तकनीकी सेवा द्वारा ऐसे आरक्षी चालकों की निर्विवादित ज्येष्ठता सूची बोर्ड को उपलब्ध करयी जायेगी जो विहित पात्रता पूर्ण करते हों। बोर्ड, पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये गये

अभ्यर्थियों की सूची तैयार करेगा और उसे विभागाध्यक्ष को उपलब्ध करायेगा। विभागाध्यक्ष के अनुमोदन के उपरान्त नियुक्ति प्राधिकारी, मुख्य आरक्षी चालक के पदों के लिए पदोन्नति आदेश निर्गत करेंगे।

मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन के पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया–

10. मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन के शत-प्रतिशत पद विभागीय परीक्षा के माध्यम से बोर्ड द्वारा ऐसे आरक्षी चालकों एवं मुख्य आरक्षी चालकों में से भरे जायेंगे जो नियम-5 (ग) में यथा उल्लिखित अर्हता शर्तें पूर्ण करते हों।

प्रक्रिया-राज्य स्तर पर मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन की रिक्तियाँ तकनीकी सेवा द्वारा बोर्ड को उपलब्ध कराई जायेंगी।

बोर्ड द्वारा मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन का चयन निम्नलिखित रीति से किया जायेगा—

(क) आवेदन-पत्र-तकनीकी सेवा परिपत्र के माध्यम से समस्त ऐसे जनपदों, इकाईयों और पीएसी वाहिनियों के आरक्षी चालकों और मुख्य आरक्षी चालकों से आवेदन पत्र आमंत्रित करेगा, जो नियम-5 (ग) में यथा उल्लिखित पात्रता शर्ते पूर्ण करते हों।

(ख) बुलावा पत्र-तकनीकी सेवा द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों का सूक्ष्म परीक्षण किये जाने के पश्चात् त्रुटिपूर्ण या अपूर्ण आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जायेगा और सम्बन्धित अभ्यर्थियों को उचित माध्यम से सूचित कर दिया जायेगा और पात्र अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मलित होने हेतु उनके जनपद, इकाई एवं पी.ए.सी. वाहिनी के प्रभारी अधिकारी के माध्यम से सूचना भेजी जायेगी। तकनीकी सेवा द्वारा पात्र अभ्यर्थियों की सूची विभागाध्यक्ष के माध्यम से बोर्ड को उपलब्ध कराई जायेगी।

विभागीय परीक्षा—

(ग) परिशिष्ट में विहित प्रक्रिया के अनुसार पात्र अभ्यर्थियों से विभागीय परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी।

सेवाभिलेख—

(घ) बोर्ड द्वारा परिशिष्ट में यथा विहित सेवाभिलेखों के आंकलन के आधार पर अंक प्रदान किये जायेंगे।

अन्तिम चयन सूची—

(ङ) बोर्ड द्वारा परिशिष्ट में यथा विहित योग्यताक्रम में चयन सूची तैयार की जायेगी।

स्वास्थ्य परीक्षण—

(च) स्वास्थ्य परीक्षण में सफल होना अनिवार्य होगा।

प्रशिक्षण

11. बोर्ड द्वारा मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन के पाठ्यक्रम हेतु चयनित अभ्यर्थियों की योग्यता सूची विभागाध्यक्ष को उपलब्ध करयी जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों से विभागाध्यक्ष द्वारा यथा निर्धारित प्रशिक्षण एवं एडवांस मैकेनिक कोर्स (यदि पूर्व में न किया हो) सफलतापूर्वक पूर्ण करने की अपेक्षा की जायेगी। तकनीकी सेवा द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान कर प्रशिक्षण में सफल अभ्यर्थियों की सूची पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी। पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रशिक्षण

में सफल घोषित अभ्यर्थियों को मुख्या आरक्षी मोटर परिवहन के रूप में कार्यभार ग्रहण हेतु आदेश निर्गत किया जायेगा। ऐसे चयनित अभ्यर्थियों जो प्रशिक्षण में असफल घोषित हों, को उनके पूर्व पद पर वापस कर दिया जायेगा।

उप निरीक्षक मोटर परिवहन के पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया

12. उप निरीक्षक मोटर परिवहन के शत-प्रतिशत पद अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा ऐसे मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन से भरे जायेंगे जो नियम-5 (घ) में यथा उल्लिखित पात्रता शर्ते पूर्ण करते हों। तकनीकी सेवा द्वारा ऐसे मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन की निर्विवादित ज्येष्ठता सूची बोर्ड को उपलब्ध करयी जायेगी। बोर्ड द्वारा पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों की सूची विभागाध्यक्ष को उपलब्ध करायी जायेगी। विभागाध्यक्ष के अनुमोदन के उपरान्त पुलिस उपमहानिरीक्षक (स्थापना), उप निरीक्षक मोटर परिवहन के पद पर पदोन्नति के लिए अन्तिम आदेश निर्गत करेंगे।

निरीक्षक मोटर परिवहन के पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया

13. निरीक्षक मोटर परिवहन के शत-प्रतिशत पद अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा ऐसे उप निरीक्षक मोटर परिवहन में से भरे जायेंगे जो नियम-5 (ङ) में यथा उल्लिखित पात्रता शर्तों को पूर्ण करते हों। तकनीकी सेवा द्वारा ऐसे उप निरीक्षक मोटर परिवहन की निर्विवादित ज्येष्ठता सूची बोर्ड को उपलब्ध करायी जायेगी। बोर्ड द्वारा पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों की सूची विभागाध्यक्ष को उपलब्ध करायी जायेगी। विभागाध्यक्ष के अनुमोदन के उपरान्त पुलिस उपमहानिरीक्षक (स्थापना) निरीक्षक मोटर परिवहन के पद पर पदोन्नति के लिए अन्तिम आदेश निर्गत करेंगे।

भाग पांच-
प्रशिक्षण, परिवीक्षा, स्थाईकरण, ज्येष्ठता एवं प्रत्यावर्तन

प्रशिक्षण

14. परिवीक्षा अवधि के दौरान, परिवीक्षाधीन व्यक्ति से विभागाध्यक्ष द्वारा यथा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करने की अपेक्षा की जायेगी।

ऐसे आरक्षी चालकों एवं मुख्य आरक्षी चालकों, जिन्होंने एडवांस मैकेनिक कोर्स नहीं उत्तीर्ण किया है, द्वारा ज्येष्ठताक्रम में आरक्षी चालक के रूप में नियुक्ति के दिनांक से 06 वर्ष के भीतर एडवांस मैकेनिक कोर्स अनिवार्यतः पूर्ण करा लिया जाय। ज्येष्ठताक्रम में उन्हें उक्त कोर्स के लिए, जो वर्ष में दो बार आयोजित होगा, भेजा जायेगा। तकनीकी सेवा इस कोर्स को कराना सुनिश्चित करेगा

परिवीक्षा

15. (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति को दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है जिससे ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ायी जाये।

परन्तु यह कि आपवादिक परिस्थितियों में, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उस नियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय तो जिसकी सेवाये समाप्त की जायें, किसी प्रतिकार का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में, सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

स्थायीकरण

16 (1) उप नियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि—

(क) उसने सफलतापूर्वक विहित प्रशिक्षण प्राप्त कर ली हो,
(ख) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय, और
(ग) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय।

(2) जहाँ उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है वहाँ उक्त नियमावली के नियम-5 के उप नियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुए आदेश को, कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी की ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

ज्येष्ठता

17. सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार इस प्रतिबन्ध के साथ

अवधारित की जायेगी कि किसी पूर्ववर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्ति पश्चात्वर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्ति से ज्येष्ठ होगा। एक चयन के अन्तर्गत चयनित व्यक्तियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बोर्ड द्वारा जारी चयन सूची के अनुसार अवधारित की जायेगी।

एक चयन में चयनित मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन की ज्येष्ठता बोर्ड द्वारा जारी चयन सूची के आधार पर अवधारित की जायगी। परन्तु पूर्ववर्ती चयन का मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन पश्चात्वर्ती चयन में नियुक्त मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन से ज्येष्ठ होगा।

यदि किसी पद पर हुई भर्ती के सम्बन्ध में कोई सूची उपलब्ध नहीं है तो उस पद पर उस चयन के माध्यम से नियुक्त कर्मियों की ज्येष्ठता उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अवधारित की जायेगी। कार्यभारत ग्रहण करने की तिथि समान होने की दशा में उनकी जन्मतिथि के आधार पर अवधारित की जायेगी। उपरोक्त दोनों तिथियाँ समान होने की दशा में हाईस्कूल प्रमाण-पत्र में उल्लिखित नामों के अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम के अनुसार होगी।

आरक्षी चालक के प्रत्यावर्तन 18. नियुक्ति प्राधिकार आरक्षी चालक के पद पर नियुक्त किसी व्यक्ति को मोटर परिवहन शाखा के कार्य के लिए स्वास्थ्य, विकलांगता के आधार पर, ड्राइविंग लाइसेन्स निरस्त होने के कारण अनुपयुक्त पाये जाने पर, पुलिस महानिरीक्षक (स्थापना) के अनुमोदनोपरान्त उसे मूल संवर्ग में वापस कर सकता है। इस प्रकार प्रत्यावर्तित किये गये व्यक्ति को उसके मूल संवर्ग में उसकी पूर्व की ज्येष्ठता के अनुसार समायोजित किया जायेगा। यह कार्यवाही सम्बन्धित कर्मी के विरुद्ध प्रचलित विभागीय अथवा आपराधिक कार्यवाही पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी।

भाग-छः-वेतन, भत्ते आदि

वेतनमान/भत्ते 19. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान निम्नव् हैं—

क्र.	पद	वेतनमान	ग्रेड पे
1.	निरीक्षक मोटर परिवहन	9300-34800	4600
2.	उपनिरीक्षक मोटर परिवहन	9300-34800	4200
3.	मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन	5200-20200	2400
4.	मुख्य आरक्षी चालक	5200-20200	2400
5.	आरक्षी चालक	5200-20200	2000

उक्त के अतिरिक्त सेवा के सदस्य राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत भत्ते पाने के हकदार होंगे।

पक्ष समर्थन 20. सेवा के किसी पद पर लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं अन्य सिफारिशों पर चाहे लिखित हों या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

भाग-सात—प्रकीर्ण उपबन्ध

अन्य विषयों का विनियमन 21. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति पुलिस अधिनियम के अधीन बनाये गये विभिन्न नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगे।

सेवा की शर्तों में शिथिलता 22. जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में असम्यक कठिनाई होती है, वहाँ वह उस मामले में लागू नियमों में से किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा कर और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझें, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

सेवाकार के दौरान वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण 23. प्रत्येक निरीक्षक मोटर परिवहन, उप निरीक्षक मोटर परिवहन, मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन, मुख्य आरक्षी चालक का प्रतिवर्ष स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाना अनिवार्य होगा। स्वास्थ्य परीक्षण जनपद से मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा सुसंगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।

वार्षिक शस्त्र चालन, प्रशिक्षण एवं फायरिंग अभ्यास 24. प्रत्येक आरक्षी चालक मुख्य आरक्षी चालक, मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन, उप निरीक्षक मोटर परिवहन एवं निरीक्षक मोटर परिवहन, विभागाध्यक्ष द्वारा समय-समय पर निर्धारित वार्षिक शस्त्र चालन एवं फायरिंग अभ्यास करेगा।

व्यावृत्ति एवं अध्यारोही प्रभाव 25. (1) राज्य सरकार द्वारा बनाई गई किसी अन्य नियमावली, या जारी किये गये शासनादेश या प्रशासनिक अनुदेशों में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, इस नियमावली के उपबन्ध प्रभावी होंगे।

(2) चयन, पदोन्नति, प्रशिक्षण, नियुक्ति, जयेष्ठता निर्धारण और स्थायीकरण आदि से सम्बन्धित या

उनसे आनुषांगिक विषयों के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये शासनादेश विखण्डित हो जायेंगे।

(3) ऐसे विखण्डन के होते हुए भी, प्रचलित नियमावली, शासनादेशों या प्रशासनिक अनुदेशों, जो इस नियमावली से असंगत न हो, के अधीन चयन, पदोन्नति, प्रशिक्षण, नियुक्ति, ज्येष्ठता निर्धारण और स्थायीकरण आदि की प्रसुविधा इस नियमावली के अधीन स्वीकृत की गयी समझी जायेगी।

आज्ञा से,
देवाशीष पण्डा
प्रमुख सचिव

परिशिष्ट

विभागीय परीक्षा के माध्यम से मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन के पद पर चयन की प्रक्रिया

(नियम-10 देखें)

1. विभागीय परीक्षा दो चरणों में होगी—

(क) मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन के पद हेतु पात्र अभ्यर्थियों से लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। यह परीक्षा 70 अंकों की होगी और इस परीक्षा में विफल होने के लिए न्यूनतम 35 अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। इस परीक्षा में प्राप्त अंकों को अन्तिम परिणाम में सम्मिलित किया जायेगा। इस परीक्षा का पाठ्यक्रम तकनीकी सेवायें द्वारा विभागाध्यक्ष के अनुमोदनोपरान्त बोर्ड को उपलब्ध कराया जायेगा। इस पाठ्यक्रम का उल्लेख इस परीक्षा हेतु बोर्ड द्वारा जारी विज्ञप्ति में किया जायेगा। बोर्ड द्वारा प्रश्न-पत्र का प्रारूप तैयार किया जायेगा। इस परीक्षा में सफल अभ्यर्थी अगले चरण की परीक्षा में सम्मिलित होंगे।

(ख) लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से बोर्ड द्वारा आयोजित व्यावहारिक तकनीकी ज्ञान परीक्षा में सम्मिलिक होने के अपेक्षा की जायेगी। यह परीक्षा 50 अंकों की होगी और इस परीक्षा में सफल होने के लिए न्यूनतम 25 अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। यह परीक्षा अर्हकारी प्रकृति की होगी और प्राप्त किये गये अंक अन्तिम परिणाम में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे। इस परीक्षा का पाठ्यक्रम तकनीकी सेवायें द्वारा विभागाध्यक्ष के अनुमोदनोपरान्त बोर्ड को उपलब्ध कराया जायेगा। इस पाठयक्रम का उल्लेख इस परीक्षा हेतु बोर्ड जारी विज्ञप्ति में किया जायेगा।

2. सेवाभिलेख- विभागीय परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के सेवाभिलेखों का मूल्यांकन कुल 30 अंकों का होगा। जिसका निर्धारण निम्नानुसार होगा—

(क) सेवा अवधि	10 अंक
(ख) वार्षिक अभयुक्ति	10 अंक
(ग) पुरस्कार	05 अंक
(घ) पदक	05 अंक

विभिन्न मदों में अंक आवंटन के मापदण्ड—

(एक) सेवा अवधि के अंक अधिकतम 10 अंक -आरक्षी चालक के रूप में पूर्ण की गयी प्रत्येक 01 वर्ष की सेवा के लिए 01 अंक (दो) वार्षिक मूल्यांकन पर अंक

विगत 05 वर्ष के वार्षिक मूल्यांकन पर कुल अधिकतम 10 अंक निम्नानुसार दिये जायेंगे—

1. प्रत्येक आउटस्टैन्डिंग/उत्कृष्ट/सर्वोच्च या सर्वोत्कृष्ट के लिए	2.0 अंक
2. प्रत्येक वेरीगुड/अतिउत्तम/एक्सीलेन्ट के लिए	1.5 अंक
3. प्रत्येक गुड/उत्तर/बहुत अच्छा के लिए	1.0 अंक
4. प्रत्येक संतोषजनक/अच्छा अथवा औसत के लिए	1.0 अंक
5. प्रत्येक खराब/असंतोषजनक के लिए	0.0 अंक

टिप्पणी—जहाँ उपरोक्त के अतिरिक्त शब्दावली में ग्रेडिंग हो अथवा ग्रेडिंग न हो वहाँ सम्पूर्ण प्रविष्ठि पर विचार किया जाना चाहिए और तदनुसार अंक प्रदान किये जा सकते हैं।

(तीन) पुरस्कार और सुप्रविष्टि पर अंक — अधिकतम 05 अंक

प्रत्येक नकद पुरस्कार/उत्तम प्रविष्टि पर-0.5 अंक

(चार) पदक/सराहनीय सेवा — अधिकतम 05 अंक

सम्मान चिन्ह के लिए अंक

1. महामहिम भारत के राष्ट्रपति द्वारा पुलिस पदक/वीरता पदक के लिए - 05 अंक
2. महामहिम राज्यपाल/मा. मुख्यमंत्री द्वारा पुलिस पदक/वीरता पदक के लिए - 03 अंक
3. पुलिस महानिदेशक द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय सेवाओं के लिए सम्मान चिन्ह के लिए - 02 अंक

सेवाभिलेख में दण्डों के ऋणात्मक अंक का मापदण्ड—

ऋणात्मक अंक कटौती की अधिकतम सीमा - 10 अंक होगी।

(एक) दीर्घ दण्ड, नियम - 14 (1) प्रत्येक दीर्घ दण्ड के लिए 03 अंक

(दो) लघु दण्ड, नियम - 14 (2) प्रत्येक लघु दण्ड के लिए 02 अंक

(तीन) छोटे दण्ड प्रत्येक छोटे दण्ड के लिए 0.5 अंक

3. अन्तिम चयन सूची—

बोर्ड द्वारा विभागीय परीक्षा एवं सेवाभिलेख में प्राप्त अंकों के आधार पर पर मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन के पद हेतु पात्र व्यक्तियों की योग्यता सूची तैयार की जायेगी। यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक होंगे तो उनकी योग्यता प्रथमत : आरक्षी चालक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि एवं तत्पश्चात् उनकी जन्मतिथि के अनुसार निर्धारित की जायेगी। यदि नियुक्ति की तिथि व जन्मतिथि भी समान होती है तो हाई स्कूल के प्रमाण पत्र में उल्लिखित अंग्रेजी वर्णमाला में नाम के क्रम के अनुसार उनका योग्यता क्रम निर्धारित किया जायेगा।

इस प्रकार तैयार की गयी सूची बोर्ड द्वारा विभागाध्यक्ष को उपलब्ध करायी जायेगी। उसके अनुमोदनोपरान्त उक्त सूची बोर्ड द्वारा वेबसाइट/सूचना पट्ट पर प्रकाशित की जायेगी।

उत्तर प्रदेश पुलिस कम्प्यूटर कर्मचारी वर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2011

उत्तर प्रदेश शासन, गृह (पुलिस) अनुभाग–10
संख्या–2601/6–पु0–10–11–27(28)–2001टीसी दिनांक 25.11.2011

उ0प्र0 साधारण खण्ड अधिनियम 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन 1897) की धारा 21 और पुलिस अधिनियम 1861 (अधिनियम संख्या 5 सन 1861) की धारा–2 के साथ पठित धारा 46 की उपधारा (2) के खण्ड(ग) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और अन्य समस्त समर्थनकारी शक्तियों का प्रयोग करके तथा सरकारी अधिसूचना संख्या 3730/छः–पु–10–2002 दिनांक 31.12.2002, जिसके द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन उ0प्र0 पुलिस कम्प्यूटर कर्मचारी वर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2002 बनायी गयी थी, को अधिक्रमित करके राज्यपाल शासनादेश संख्या–2095/छः–पु0–10–2011 दिनांक 26.09.2011 द्वारा सन 1861 के उक्त अधिनियम के अधीन पुलिस बल घोषित , उ0प्र0 पुलिस कम्पयूटर कर्मचारी वर्ग (अराजपत्रित) सेवा में भर्ती और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तो को विनियमित करने के उददेश्य से निम्नलिखित नियमावली बनाते है :–

भाग–1 सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ **1.** (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश पुलिस कम्प्यूटर कर्मचारी वर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2011 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति **2.** उत्तर प्रदेश पुलिस कम्प्यूटर कर्मचारी वर्ग (अराजपत्रित) सेवा एक ऐसी सेवा है जिसमें समूह 'ग़' के पद समाविष्ट हैं।

परिभाषायें **3.** जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो इस नियमावली में

(क) 'अधिनियम' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 से है

(ख) प्रोग्रामर ग्रेड-2 तथा कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-बी एवं सी के पदों के सम्बन्ध में नियुक्त प्राधिकारी का तात्पर्य पुलिस महानिरीक्षक, तकनीकी सेवायें उत्तर प्रदेश से हैं और कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए के पदों के सम्बन्ध में सहायक निदेशक/पुलिस अधीक्षक, कम्प्यूटर केन्द्र उत्तर प्रदेश से हैं

(ग) 'बोर्ड' का तात्पर्य समय-समय पर इस निमित्त जारी शासनादेशों के अनुसार स्थापित उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा भर्ती एवं प्रोन्नत्ति बोर्ड से हैं

(घ) 'भारत का नागरिक' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय

(ङ) 'कम्प्यूटर केन्द्र' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र से है

(च) 'संविधान' का तात्पर्य भारत का संविधान से है

(छ) 'पूर्व प्रवृत्त नियमावली' का तात्पर्य उ0 प्र0 पुलिस कम्प्यूटर कर्मचारी वर्ग (अरापत्रित) सेवा नियमावली, 2002 से है

(ज) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है

(झ) 'राज्यपाल' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है

(ञ) 'सेवा का सदस्य' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमावली के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त किसी

व्यक्ति से है

(ट) 'नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियम की अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गो से है

(ठ) 'सेवा' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश पुलिस कम्प्यूटर कर्मचारी वर्ग (अराजपत्रित) सेवा से है

(ड) 'मौलिक नियुक्ति' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो

(ढ) 'भर्ती का वर्ष' का तात्पर्य किसी कैलेन्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाले बारह माह की अवधि से है।

भाग –दो–संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4. (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।

(2) जब तक कि उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें सेवा की सदस्य संख्या उतनी होगी जितनी नीचे दी गयी है :–

कमांक	पद का नाम	पदों की संख्या		
		स्थायी	अस्थायी	कुल पद
1	कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–ए	4	2840	2844
2	कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–बी	–	315	315
3	कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–सी	20	02	22
4	प्रोग्रामर ग्रेड़–2	14	03	17

परन्तु यह कि –

(एक)– नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुये छोड सकता है, या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते है, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा या

(दो)– राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते है जिन्हें वह उचित समझे।

भर्ती का स्रोत

5. सेवा में विभिन्न श्रेणी के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी –

(1) **कप्यूटर अधिकारी ग्रेड– ए–** सीधी भर्ती द्वारा।

(2) **कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड– बी–** मौलिक रूप से नियुक्त कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड ए में से, जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड –ए के पद पर छः वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो , पदोन्नति द्वारा

परन्तु यह कि यदि पदोन्नति हेतु अनुभवी एवं योग्य कर्मी/उपलब्ध नहीं होते हैं तो रिक्तियों को पुलिस विभाग के जनपद/इकाइयों में कार्यरत योग्य एवं अर्हता रखने वाले व्यक्तियों से स्थानान्तरण के आधार पर भरा जा सकेगा।

(3) **कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड – सी–** मौलिक रूप से नियुक्त कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–बी में से जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड बी के पद पर छः वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा

परन्तु यह कि यदि पदोन्नति हेतु अनुभवी एवं योग्य कर्मी/उपलब्ध नहीं होते हैं तो रिक्तियों

को पुलिस विभाग के जनपद/इकाइयों में कार्यरत योग्य एवं अर्हता रखने वाले व्यक्तियों से स्थानान्तरण के आधार पर भरा जा सकेगा।

(4) प्रोग्रामर ग्रेड–2 –

(1) पचास प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा

(2) पचास प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड सी के पद धारकों में से सीधी भर्ती हेतु निर्धारित अर्हता धारित करते हों और जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड सी के पद पर कम से कम छः वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

परन्तु यह कि यदि पदोन्नति हेतु अनुभवी एवं योग्य कर्मी/उपलब्ध नहीं होते हैं तो रिक्तियों को पुलिस विभाग के जनपद/इकाइयों में कार्यरत योग्य एवं अर्हता रखने वाले व्यक्तियों से स्थानान्तरण के आधार पर भरा जा सकेगा।

आरक्षण 6. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंन्त्रता संग्राम के सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग–चार–अर्हतायें

राष्ट्रीयता **7.** सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी-

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थाई निवास करने के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उदभव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थाई रूप से निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा , श्रीलंका या केनिया., यूगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तंजानियां (पूर्ववर्ती तांगानीका और जंजीबार) के किसी पूर्वी अफ्रीका देश से प्रवजन किया हो

परन्तु यहकि उपर्युक्त श्रेणी (ब) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया हो

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी—ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाणपत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षिक अर्हता **8-** सेवा के विभिन्न श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता होनी आवश्यक है

(1) कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड ए

(क) मान्यता प्राप्त बोर्ड से इण्टरमीडिएट परीक्षा भौतिक शास्त्र और गणित विषयों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

एवं

भारत सरकार के इलेक्ट्रानिक्स एक्रीडेटेड इन कम्प्यूटर एण्ड कम्यूनिकेशन (DOEACC) विभाग से कम्प्यूटर में " ओ " लेविल की परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

या

(ख) प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से कम्प्यूटर अभियंत्रण, सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रानिक्स अभियंत्रण में डिप्लोमा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता।

(2) प्रोग्रामर ग्रेड-2-

(क) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता।

एवं

भारत सरकार के डिपार्टमेंट आफ इलेक्ट्रानिक्स एक्रीडेटेड इन कम्प्यूटर एण्ड कम्यूनिकेशन (DOEACC) विभाग से कम्प्यूटर में 'ए' लेवल की परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

या

(ख) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक (कम्प्यूटर विज्ञान) या विज्ञान स्नातक (सूचना प्रौद्योगिकी) या विज्ञान स्नातक (इलेक्ट्रानिक्स) की उपाधि के साथ कम्प्यूटर विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पी. जी. डी. सी. ए) या भारत सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता।

अधिमानी अर्हतायें

9- अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने

(क) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो, या

(ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, या

(ग) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं कम्प्यूटर नेटवर्किग का पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक किया हो।

आयु

10-सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कलेन्डर वर्ष की जुलाई के प्रथम दिवस को जिसमें रिक्तियों विज्ञापित की जाये, नीचे दी गयी सारिणी में पद के विरूद्ध विनिर्दिष्ट न्यूनतम आयु अवश्य प्राप्त कर ली हो और अधिकतम आयु प्राप्त न की हो –

क्रम संख्या	पद का नाम	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु
1	कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–ए	18 वर्ष	28 वर्ष
2	प्रोग्रमर ग्रेड–2	21 वर्ष	30 वर्ष

परन्तु यह कि –

अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाये, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी निर्दिष्ट की जाये।

चरित्र

11. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यथ्री का चरित्र ऐसा होना चाहिये कि वह सरकारी सेवा में सेवायोज्य के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी – संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्यूत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगें। नैतिक अद्यमता के किसी अपराध के लिये दोष सिद्व व्यक्ति भी पात्र नहीं होगें।

वैवाहिक प्रास्थिति

12– सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियॉ जीवित हो या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो

परन्तु यह कि सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान है।

शारीरिक स्वस्थ्यता

13– किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसी शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षता पूर्वक पालन करने में बाधा पडने की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिये अंतिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह फायनेसियल हैण्ड बुक खण्ड–2, भाग–3 के अध्याय–3 में दिये गये फंडामेंटल रूल, 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वास्थ्यता प्रमाण– पत्र प्रस्तुत करें, परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थ्यता प्रमाण–पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगा।

भाग-पांच-भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों का अवधारणा

14- नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों अनुसूचित जन जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और इसकी सूचना बोर्ड को देगा। सीधी भर्ती के लिए बोर्ड द्वारा निम्नलिखित रूप से रिक्तियां अधिसूचित की जायेगी एवं अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे

(1) व्यापक प्रसार वाले दैनिक समाचार पत्र में विज्ञापन द्वारा।

(2) कार्यालय के सूचना पट्ट पर सूचना चिपकाकर या रेडियों/दूरदर्शन और अन्य रोजगार समाचार पत्र के माध्यम से विज्ञापन करके।

(3) रोजगार कार्यालय को रिक्तियां अधिसूचित करके।

(4) जनसंचार के किन्हीं अन्य माध्यमों द्वारा।

सीधी भर्ती की प्रक्रिया

15- कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए हेतु भर्ती प्रक्रिया-

(1) सेवा में कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए के पदों पर सीधी भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ द्वारा की जायेगी।

बोर्ड आवेदन पत्रों की संवीक्षा करेगा और अभ्यर्थियों से लिखित परीक्षा। एवं कम्प्यूटर टंकण परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा करेगा। लिखित परीक्षा निम्नवत होगी

(2) लिखित परीक्षा-(200 अंक)- लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। परीक्षा कुल 200 अंक की होगी। लिखित परीक्षा सामान्य ज्ञान, मानसिक सामर्थ्य तथा तर्क शक्ति एवं कम्प्यूटर विज्ञान से सम्बन्धित होगी। प्रश्न पत्र का स्तर पद के लिए न्यूनतम अपेक्षित शैक्षिक योग्यता के अनुसार होगा।

लिखित परीक्षा में न्यूनतम चालीस प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। बोर्ड लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर उतनी संख्या में जितनी अपेक्षित हो अभ्यर्थियों को कम्प्यूटर टंकण परीक्षा हेतु बुलायेगा।

विद्यमान उपनियम	दिनांक 30.06.15 द्वारा प्रतिस्थापित *
(3) कम्प्यूटर टंकण परीक्षा-(अर्हकारी)- कम्प्यूटर टंकण परीक्षा अर्हकारी परीक्षा होगी। हिन्दीं में न्यूनतम 25 शब्द तथा अंग्रेजी में 40 शब्द प्रति मिनट की गति से टाइपिंग की दक्षता रखने वाले अभ्यर्थियों को टंकण परीक्षा में सफल घोषित किया जायेगा।	**(3) कम्प्यूटर टंकण परीक्षा (अर्हकारी)-** कम्प्यूटर टंकण परीक्षा अर्हकारी परीक्षा होगी। कम्प्यूटर टंकण की गति हिन्दीं में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट होनी आवश्यक है। पूर्वोक्त गति के साथ 85 प्रतिशत की शुद्धता पर अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जाएगा। हिन्दी टंकण यूनीकोड इन्सिक्रप्ट की—बोर्ड पर आधारित होगा।

(4) बोर्ड, अधिनियम के अन्तर्गत आरक्षण के मानकों के अनुसार, अभ्यर्थियों के सम्यक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, कम्प्यूटर टंकण परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवीणताक्रम में एवं अधिमानी अर्हता के अनुसार एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या से अभ्यर्थियों को, जितना वह नियुक्ति के लिए उचित समझे संस्तुति करेगा। ऐसे अभ्यर्थी जो बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो अधिमानी अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा ऐसे अभ्यर्थी जो बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें, एवं उनके पास कोई अधिमानी अर्हता नहीं हो तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा। बोर्ड, नियुक्ति प्राधिकारी को सफल अभ्यर्थियों की सूची अग्रसारित करेगा।

प्रोग्रामर ग्रेड –2 हेतु भर्ती प्रकिया

16(1).(1) सेवा में प्रोग्रामर ग्रेड-2 के पदों पर सीधी भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ द्वारा की जायेगी।

बोर्ड आवेदन पत्रों की संवीक्षा करेगा और पात्र अभ्यर्थियों से उप नियम-(2) के अनुसार लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा करेगा।

(2) लिखित परीक्षा 200 अंकों की होगी। यह वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी एवं दो भागों में होगी। प्रत्येक भाग 100 अंक का होगा। लिखित परीक्षा के प्रथम भाग का प्रश्न पत्र मानसिक सामर्थ्य, तर्क शक्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित होगा. , लिखित परीक्षा का द्वितीय भाग कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग से सम्बन्धित होगा। प्रश्न पत्र का स्तर पद के लिए न्यूनतम अपेक्षित शैक्षिक योग्यता के अनुसार होगा। केवल ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्होंने लिखित परीक्षा में 40 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त किया हो, उप नियम (3) में उल्लिखित सूची में रखा जायेगा।

(3) बोर्ड , अधिनियम के अन्तर्गत आरक्षण के मानकों के अनुसार, अभ्यर्थियों के सम्यक

प्रतिनिधित्व की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवीणताक्रम में एवं अधिमानी अर्हता के अनुसार एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को जितना वह नियुक्ति के लिए उचित समझे संस्तुति करेगा। ऐसे अभ्यर्थी जो बराबर-बराबर अंक प्राप्त करे तो अधिमानी अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी जो बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें, एवं उनके पास कोई अधिमानी अर्हता नहीं हो तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा। बोर्ड, नियुक्ति प्राधिकारी को सफल अभ्यर्थियों की सूची अग्रसारित करेगा।

प्रोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

17-कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-बी हेतु पदोन्नति द्वारा भर्ती प्रक्रिया-

(1) कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए से कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-बी के पद पर प्रोन्नति उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ द्वारा गठित चयन समिति के माध्यम से आयोजित विभागीय परीक्षा के आधार पर की जायेगी।

(2) लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। यह कुल 200 अंकों की होगी। लिखित परीक्षा का प्रश्नपत्र , सामान्य ज्ञान, मानसिक सार्मथ्य, तर्क शक्ति एवं कम्प्यूटर विज्ञान से संबंधित होगा। प्रश्न पत्र का स्तर कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–ए हेतु न्यूनतम अपेक्षित शैक्षिक योग्यता के अनुसार होगा।

(3) लिखित परीक्षा में न्यूनतम चालीस प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसे अभ्यर्थी जो चालीस प्रतिशत अंक प्राप्त करने में विफल रहते हैं, पदोन्नति के लिए पात्र नहीं होगे।

(4) सेवा अभिलेख के 50 अंक होंगे जो अभ्यर्थियों को सेवा अभिलेखों के आधार पर अंक निम्नवत प्रदान किये जायेंगे।

(क) सेवा की कालावधि के लिए अधिकतम 10 अंक होंगे (अधिकतम अंक 10)

(ख) स्नातक अथवा उससे ऊपर की शैक्षिक योग्यता के लिए अधिकतम 05 अंक एवं शैक्षिक अर्हता के अतिरिक्त तकनीकी कम्प्यूटर कोर्स हेतु 05 अंक (अधिकतम अंक 10)

(ग) अधिकतम 15 अंकों के अधीन प्रत्येक प्रशिक्षण (तीन दिवस या अधिक अवधि का) के लिए 03 अंक (अधिकतम अंक 15)

(घ) वार्षिक प्रविष्टि के लिए 15 अंक होगे। (अधिकतम अंक 15)

प्रत्येक वृहद दण्ड के लिए 03 अंक , प्रत्येक लघु दण्ड के लिए 02 अंक और प्रत्येक प्रतिकूल प्रविष्टि और सूक्ष्म दण्ड के लिए 01 अंक काट लिया जायेगा। इस प्रयोजन हेतु पिछले दस वर्षों की सेवा अभिलेखों पर विचार किया जायेगा।

सेवा अभिलेखों का परीक्षण इस दृष्टिकोण से भी किया जायेगा कि क्या अभ्यर्थी को कोई ऐसा दण्ड दिया गया है जो उसे पदोन्नति के लिए अनुपयुक्त ठहराता हो। कोई अभ्यर्थी जिसकी सत्यनिष्ठा गत पांच वर्षों में एक बार भी रोकी गयी हो, पदोन्नति के लिए पात्र न होगा।

(5) नियम-6 में निर्दिष्ट आरक्षण के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा एवं सेवा अभिलेख में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर श्रेष्ठता क्रम में सफल अभ्यर्थियों की सूची तैयार करेगा और उक्त सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।'

18. कम्पयूटर आपरेटर ग्रेड–सी हेतु पदोन्नति द्वारा भर्ती प्रक्रिया –

(1) कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड बी से कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–सी के पद पर प्रोन्नति उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ द्वारा गठित चयन समिति के माध्यम से आयोजित

विभागीय परीक्षा के आधार पर की जायेगी।

(2) लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। यह कुल 200 अंक की होगी। लिखित परीक्षा का प्रश्नपत्र सामान्य ज्ञान, मानसिक सामर्थ्य, तर्क शक्ति एवं कम्प्यूटर विज्ञान से संबंधित होगा। प्रश्नपत्र का स्तर कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–ए हेतु न्यूनतम अपेक्षित शैक्षिक योग्यता के अनुसार होगा।

(3) लिखित परीक्षा में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसे अभ्यर्थी जो 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में विफल रहते है, प्रोन्नति के लिये पात्र नहीं होगें।

(4) सेवा अभिलेख के 50 अंक होगें जो अभ्यर्थियों को सेवाअभिलेखों के आधार पर अंक निम्नवत प्रदान किये जायेंगे,

(क) सेवा की कालाबधि के लिये अधिकतम 10 अंक होगें। (अधिकतम अंक 10)

(ख) स्नातक अथवा उससे ऊपर की शैक्षिक योग्यता के लिये अधिकतम 05 अंक एवं शैक्षिक अर्हता के अतिरिक्त तकनीकी कम्प्यूटर कोर्स हेतु 05 अंक (अधिकतम अंक 10)

(ग) अधिकतम 15 अंकों के अधीन प्रत्येक प्रशिक्षण (03 दिवस या अधिक अवधि का) के लिये 03 अंक (अधिकतम अंक 15)

(घ) वार्षिक प्रविष्टि के लिये 15 अंक होगें । (अधिकतम अंक 15)

प्रत्येक वृहद दण्ड के लिये 03 अंक , प्रत्येक लघु दण्ड के लिये 02 अंक और प्रत्येक प्रतिकूल प्रविष्टि और सूक्ष्म दण्ड के लिये 01 अंक काट लिया जायेगा। इस प्रयोजन हेतु पिछले 10 वर्षो की सेवा अभिलेखों पर विचार किया जायेगा।

सेवा अभिलेखों का परीक्षण इस दृष्टिकोण से भी किया जायेगा कि क्या अभ्यर्थी को कोई ऐसा दण्ड दिया गया है जो उसे पदोन्नति के लिये अनुपयुक्त ठहराता हो। कोई अभ्यर्थी जिसकी सत्यनिष्ठा गत 05 वर्षो में एक बार भी रोकी गयी हो, पदोन्नति के लिये पात्र न होगा।

(5) नियम–6 में निर्दिष्ट आरक्षण के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुये बोर्ड लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा एवं सेवा अभिलेख में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर श्रेष्ठता क्रम में सफल अभ्यर्थियों की सूची तैयार करेगा और उक्त सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेंगा।

19. प्रोगामर ग्रेड–2 हेतु पदोन्नति द्वारा भर्ती प्रकिया –

(1) कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–सी से प्रोग्रामर ग्रेड–2 के पद पर प्रोन्नति उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ द्वारा गठित चयन समिति के माध्यम से आयोजित विभागीय परीक्षा के आधार पर की जायेगी।

(2) लिखित परीक्षा 200 अंक की होगी। यह वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी एंव दो भागों में होगी। प्रत्येक भाग 100 अंक का होगा। लिखित परीक्षा के प्रथम भाग का प्रश्नपत्र सूचना प्रौद्यौगिकी से संबधित होगा। लिखित परीक्षा का द्वितीय भाग कम्प्यूटर प्रोग्रमिंग से संबंधित होगा। प्रश्नपत्र का स्तर पद के लिये विर्निदिष्ट शैक्षिक योग्यता के अनुसार होगा।

(3) लिखित परीक्षा में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसे अभ्यर्थी जो 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में विफल रहते है, प्रोन्नति के लिये पात्र नहीं होगें।

(4) सेवा अभिलेख के 50 अंक होगें जो अभ्यर्थियों को सेवाअभिलेखों के आधार पर अंक निम्नवत प्रदान किये जायेंगे,

(क) सेवा की कालाबधि के लिये अधिकतम 10 अंक होगें। (अधिकतम अंक 10)

(ख) स्नातक अथवा उससे ऊपर की शैक्षिक योग्यता के लिये अधिकतम 05 अंक एवं शैक्षिक अर्हता के अतिरिक्त तकनीकी कम्प्यूटर कोर्स हेतु 05 अंक (अधिकतम अंक 10)

(ग) अधिकतम 15 अंकों के अधीन प्रत्येक प्रशिक्षण (03 दिवस या अधिक अवधि का) के लिये 03 अंक (अधिकतम अंक 15)

(घ) वार्षिक प्रविष्टि के लिये 15 अंक होगें । (अधिकतम अंक 15)

प्रत्येक वृहद दण्ड के लिये 03 अंक , प्रत्येक लघु दण्ड के लिये 02 अंक और प्रत्येक प्रतिकूल प्रविष्टि और सूक्ष्म दण्ड के लिये 01 अंक काट लिया जायेगा। इस प्रयोजन हेतु पिछले 10

वर्षो की सेवा अभिलेखों पर विचार किया जायेगा।
सेवा अभिलेखों का परीक्षण इस दृष्टिकोण से भी किया जायेगा कि क्या अभ्यर्थी को कोई ऐसा दण्ड दिया गया है जो उसे पदोन्नति के लिये अनुपयुक्त ठहराता हो। कोई अभ्यर्थी जिसकी सत्यनिष्ठा गत 05 वर्षो में एक बार भी रोकी गयी हो, पदोन्नति के लिये पात्र न होगा।

(5) नियम–6 में निर्दिष्ट आरक्षण के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुये बोर्ड लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा एवं सेवा अभिलेख में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर श्रेष्ठता क्रम में सफल अभ्यर्थियों की सूची तैयार करेगा और उक्त सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेंगा।

संयुक्त चयन सूची 20-यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जायें तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी जिसमें सुसंगत सूचियों से अभ्यर्थियों के नाम इस रीति से लेकर रखे जायेंगे कि विहित प्रतिशत बना रहे, सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्ति व्यक्ति का होगा।

भाग–छः

नियुक्ति प्रशिक्षण, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति **21**. (1) नियम 6 एवं 14 के अधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे यथास्थिति नियम 15,16,17,18,19 या 20 के अधीन तैयार की गई सूची में आये हो, नियुक्तियां करेगा।

(2) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जाये तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा , जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख यथा स्थिति चयन में अवधारित ज्येष्ठता के क्रम में या उस संवर्ग में उनके नाम के क्रम में , जिनमें से उन्हें प्रोन्नति किया गया, से किया जायेगा। यदि सीधी भर्ती और प्रोन्नत दोनों के द्वारा नियुक्तियॉ की गयी हो तो नामों को नियम 20 में निर्दिष्ट चक्रानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जायेगा।

प्रशिक्षण **22-** सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पश्चात व्यक्ति से ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करने की अपेक्षा की जायेगी जो कि उसके पद के अनुसार कम्प्यूटर कार्य के ज्ञान हेतु आवश्यक हो, अथवा जैसा कि सरकार या विभागाध्यक्ष तकनीकी सेवायें द्वारा समय–समय पर विहित किया जाये।

परिवीक्षा **23- (1)** सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेगें अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विर्निदिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढायी जाये।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है, तो उसे उसके मौलिक पद पर , यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो , तो उसकी सेवाये समाप्त की जा सकती है।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे अधिनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जाये किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य

समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा की परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

स्थायी करण

24-(1). उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये , किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढायी गयी , परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा यदि नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान हो जाये कि –

(क) उसका कार्य एवं आचरण संतोषजनक है,

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित है, और

(ग) उसने विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है

(2) जहॉ उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है वहॉ उस नियमावली के नियम–5 के उप नियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुये आदेश की संबंधित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

ज्येष्ठता

25- सेवा में किसी श्रेणी के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

भाग–7 –वेतन इत्यादि

वेतनमान

26-(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्ति व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाये।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय शासन द्वारा प्रवृत्त वेतनमान नीचे दिये गये हैः–

कम	पद का नाम	वेतनमान		
		वेतन वैण्ड का नाम	सादृश्य वेतन वैण्ड	सादृश्य ग्रेड वेतन
1	कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–ए	वेतनवैण्ड–1	रू0 5200–20200	रू0 2400
2	कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–बी	वेतनवैण्ड–1	रू0 5200–20200	रू0 2800
3	कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–सी	वेतनवैण्ड–2	रू0 9300–34800	रू0 4200
4	प्रोग्रामर ग्रेड–2	वेतनवैण्ड–2	रू0 9300–34800	रू0 4600

परिवीक्षा अविध में वेतन

27- (1) फंडामेंटल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुये भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो , समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, जहॉ विहित हो विभागीय परीक्षा उर्त्तीण कर ली हो और प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो और द्वितीय वेतनवृद्धि देा वर्ष की सेवा के पश्चात तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो।

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पदधारण कर रहा हो परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फंडामेंटल रूल्स द्वारा विनियमित होगा।

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्य कलाप के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर समान्यतः लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग–8 अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन

28- किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर चाहे लिखित हो या मौखिक विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त

करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन

29- ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हो, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्य-कलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यता लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगे।

सेवा की आज्ञापक शर्तों में शिथिलता

30- जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में असम्यक कठिनाई होती है, वहां वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं के उस सीमा तक और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुये जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

अधिकार विशेषाधिकार एवं उत्तरदायित्व

31-उत्तर प्रदेश पुलिस कम्प्यूटर कर्मचारी वर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली के अन्तर्गत कार्यरत कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए, कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-बी, कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-सी तथा प्रोग्रामर ग्रेड-2 विशेषाधिकार, दायित्वों, शक्तियों, दन्डों एवं संरक्षणों हेतु पुलिस अधिकारी समझे जायेंगे।

स्थानान्तरण

32-संवर्ग में नियुक्त/प्रतिनियुक्ति व अन्य किसी आदेश के अधीन कार्यरत कार्मिकों को कार्य की आवश्यकतानुसार विभागाध्यक्ष, तकनीकी सेवाये अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी/समिति द्वारा संवर्ग के अधीन उत्तर प्रदेश में किसी भी जनपद/स्थान/इकाई पर नियुक्त/स्थानान्तरित किया जा सकता है। जनपद को आवंटित/स्थानान्तरित कर्मियों को सम्बन्धित जनपद के थाना/पुलिस इकाई पर नियुक्ति/स्थानान्तरण जनपदीय पुलिस प्रभारी द्वारा किया जायेगा।

व्यावृत्ति

33-इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आचरण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों अनुसूचित जन जातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित है।

आज्ञा से,

(कुंवर फतेह बहादुर)
प्रमुख सचिव

उत्तर प्रदेश विशेष परिक्षेत्र सुरक्षा वाहिनी सेवा नियमावली, 2010

उत्तर प्रदेश सरकार, गृह (पुलिस) अनुभाग–2

संख्या–1150 / छः–पु–2–10–1100(186) / 2010 लखनऊ दिनांक 17.09.2010

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश विशेष परिक्षेत्र सुरक्षा वाहिनी सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तो को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते है :–

भाग-एक-सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1.(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश विशेष परिक्षेत्र सुरक्षा वाहिनी सेवा नियमावली, 2010 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति 2. उत्तर प्रदेश विशेष परिक्षेत्र सुरक्षा वाहिनी सेवा में समूह क समूह ख समूह ग और समूह घ के पद समाविष्ट है।

परिभाषाएं 3. जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में

(क) ''अधिनियम का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 से है''

(ख) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' का तात्पर्य कमान्डेन्ट, डिप्टी कमान्डेन्ट और सहायक कमान्डेन्ट के पद के संबंध में राज्यपाल और अन्य पदों के संबंध में पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश से है

(ग) ''भारत का नागरिक'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाये

(घ) ''संविधान'' का तात्पर्य ''भारत का संविधान'' से है।

(ङ) ''सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है

(च) ''राज्यपाल'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है

(छ) ''सेवा का सदस्य'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों, के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है

(ज) ''नागरिकों के अन्य पिछडे वर्गों'' का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियम की अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गो से है

(झ) ''सेवा'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विशेष परिक्षेत्र सुरक्षा वाहिनी सेवा से है

(ञ) ''मौलिक नियुक्ति'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्तिसे हो जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो और यदि कोई नियम न हो, तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो

(ट) ''भर्ती का वर्ष'' का तात्पर्य किसी कैलेन्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग-दो-संवर्ग

सेवा का संवर्ग 4. (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाये।

(2) जब तक उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन के आदेश न दिये जाये, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक "श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी परिशिष्ट मे दी गयी है परन्तु—

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते है, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा।

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थाई या अस्थाई पदों का सृजन कर सकते हैं जिन्हें वह उचित समझे।

भाग-तीन-भर्ती

भर्ती का स्त्रोत 5. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्त्रोतों से की जायेगी-

(1) कमांडेन्ट
(2) डिप्टी कमांडेन्ट
(3) सहायक कमांडेन्ट
(4) क्वार्टर मास्टर
(5) कम्पनी कमान्डर
(6) प्लाटून कमान्डर
(7) मुख्य आरक्षी
(8)उपनिरीक्षक (मिनिस्टीरियल)
(9)सहायक उप निरीक्षक (मिनिस्टीरियल)
(10) रेडियों निरीक्षक
(11)रेडियो अनुरक्षण/केन्द्र अधिकारी
(12) प्रधान परिचालक
(13) सहायक परिचालक, और
(14) कार्यशाला सहायक

उत्तर प्रदेश होम गार्डस संगठन में समान वेतनमान में समान पदों पर कार्यरत पदधारकों में से सेवा स्थानान्तरण/स्थानान्तरण द्वारा :—

परन्तु यदि उत्तर प्रदेश होम गार्ड्स संगठन में पर्याप्त संख्या के पात्र और उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश सिविल पुलिस अथवा उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्मद कांस्टेबुलरि में समान वेतनमान में समान पदों पर कार्यरत पदधारकों में से सेवा स्थानान्तर/स्थानान्तरण द्वारा पदों को भरा जा सकेगा।

(15) आरक्षी

उत्तर प्रदेश होम गार्ड्स संगठन के शस्त्र प्रशिक्षित होम गार्डो में से चयन के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा -

परन्तु यदि शस्त्र प्रशिक्षित महिला होम गार्ड पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में ऐसी अप्रशिक्षित महिला होम गाडो से भर्ती के तुरन्त पश्चात आवश्यक शस्त्र प्रशिक्षण प्राप्त करने की अपेक्षा की जाएगी।

(16) दफ्तरी
(17) मोची
(18) दर्जी
(19) बढई
(20) कुक

उत्तर प्रदेश होम गार्ड्स संगठन में समान पदों पर कार्यरत पदधारकों में से चयन के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा -

परन्तु यदि उत्तर प्रदेश होम गार्ड्स संगठन में पर्याप्त संख्या में उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबुलरी या उत्तर प्रदेश सिविल सेवा में समान पदों पर कार्यरत व्यक्तियों में से सेवा

(21) कहार स्थानान्तरण/स्थानात्तरण द्वारा पदों को भरा जा सकेगा।

(22) नाई

(23) सफाई कर्मी, और

(24) धोबी

आरक्षण 6. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियम और उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रा सेनानियों के आश्रितो और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 के अनुसरण में और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जाएगा।

भाग-चार-अर्हताये

राष्ट्रीयता 7. सेवा में किसी पद सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी

(क) भारत का नागरिक हो या

(ख) तिब्बती शरणाथी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो या

(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, वर्मा, श्री लंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश, केन्या, युगांडा और युनाइटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीवार) से प्रब्रजन किया हो

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो

परन्तु या और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उपमहानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेमी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नही किया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जाएगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी—ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाये।

शैक्षिक अर्हता 8.- सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हताएं होनी आवश्यक है –

1-आरक्षी	माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा आरक्षी या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो।
2- दफतरी, मोची, दर्जी, बढ़ई, कुक, कहार, नाई सफाई कर्मी, और धोबी	सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी शैक्षिक संख्या से कक्षा आठ की परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो।

अधिमानी अर्हताएं 9- अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा

(एक) जिसने प्रादेशिक सेवा में कम से कम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

(दो) जिसने राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

आयु 10.- सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेन्डर वर्ष की पहली जुलाई को जिसमें रिक्तियां विज्ञापित की जाएं 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष की आयु से अधिक आयु प्राप्त न की हो

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाए।

चरित्र 11.- सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी-संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगे। नैतिक अद्यमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होगे।

वैवाहिक प्रास्थिति 12-. कोई पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हो या कोई महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से जीवित पत्नी हो, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र न होगा/न होगी

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है, यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।

शारीरिक स्वस्थता और शारीरिक मानक 13. (1) किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह फाइनेन्शियल हैंडबुक, खण्ड दो भाग तीन के अध्याय तीन में दिये गये फन्डामेटल रूल 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे।

(2) आरक्षी के पद पर भर्ती के लिए किसी व्यक्ति के शरीरिक मानक वही होने चाहिए जो कि उत्तर प्रदेश सिविल पुलिस/उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबुलेरी में आरक्षी/समकक्ष पद के लिए विहित किये गये हैं।

भाग-पांच-भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों का अवधारण **14**. नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम-6 अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा।

सीधी भर्ती की प्रक्रिया **15.** (1) सीधी भर्ती के प्रयोजन के लिए एक चयन समिति गठित की जाएगी जिसमें निम्नलिखित होगे

(एक) पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश-अध्यक्ष

(दो) अपर पुलिस महानिदेशक, पीएसी-सदस्य

(तीन) डिप्टी कमांडेन्ट जनरल, होमगार्ड्स-सदस्य

(चार) पुलिस उप महानिरीक्षक (स्थापना)-सदस्य सचिव

(2) पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, आवश्कतानुसार उप समितियां गठित कर सकेगें। ऐसी उप समितियां उप नियम (1) के अधीन गठित चयन समिति के पर्यवेक्षण में कार्य करेगी।

(3) चयन समिति/उप समितियों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए अधिकारियों का नाम निर्देशन समय-समय पर यथा संशोधित की धारा 7 के अधीन किये गये आदेश के अनुसार किया जायेगा।

(4) उप नियम-2 में गठित उप समितियां पात्र अभ्यर्थियों का साक्षात्कार करेंगी और प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को इंगित करते हुए अभ्यर्थियों की सूची तैयार करेगी और सूची को उपनियम 1 के अधीन गठित चयन समिति को अग्रसारित करेगी।उप नियम 1 में निर्दिष्ट चयन समिति अभ्यर्थियों की उनके द्वारा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों द्वारा प्रकट उनकी योग्यता के कम में एक सूची तैयार करेगी और अभ्यर्थियों की उतनी संख्या, जितनी वह आवश्यक समझे संस्तुत करेगी। चयन समिति सूची को नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

सेवा स्थानान्तरण द्वारा तैनाती की प्रक्रिया **16.** (1) सेवा में विभिन्न पदों पर सेवा स्थानान्तरण द्वारा तैनाती नियम 15 के उपनियम (1) के अधीन गठित चयन समिति द्वारा की जाएगी।

(2) चयन समिति, सेवा स्थानान्तरण द्वारा तैनाती के लिए उपयुक्त व्यक्तियों के नामो की संस्तुति करेगी और सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात संबंधित पदों के सापेक्ष तैनातियां की जायेगी।

भाग-6 नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति **17.** (1) उपनियम (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुये नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी कम से लेकर, जिसमें वे यथास्थिति, नियम 15 या 16 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हो, नियुक्तियां करेगा।

(2) यदि किसी एक चयन के संबंध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जाये तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख उसी ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा जैसी चयन में अवधारित की जाये।

परिवीक्षा **18.** (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति के दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेगे अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढायी जाये।

परन्तु आपवादित परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है, तो उसके मौलिक पद पर यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवाये समाप्त की जा सकती है।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उप नियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाये या जिसकी सेवाये समाप्त की जाये, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर स्थानापन्न या स्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

स्थायीकरण **19-.** उपनियम (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुये, किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि—

(क) उसने विहित विभागीय परीक्षा, यदि कोई हो, उत्तीर्ण कर ली हो,

(ख) उसने विहित प्रशिक्षण, यदि कोई हो, सफलता पूर्वक पूर्ण कर लिया हो

(ग) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाये

(घ) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाये और

(ङ) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाये कि वह स्थायीकरण के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

ज्येष्ठता 20.- सेवा में किसी श्रेणी के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवा ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

भाग-सात-वेतन इत्यादि

वेतनमान 21. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाये।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान परिशिष्ट में दिये गये हैं।

परिवीक्षा अवधि में वेतन 22. (1) फण्डामेटल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से ही स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, जहां विहित हो विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो, और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात तभी दो जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो

परन्तु यदि संतोष प्रदान करने में विफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाती है तो ऐसे विस्तार की गणना वेतनवृद्धि के लिए तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतनमान, सुसंगत फण्डामेंटल रूल्स द्वारा विनियमित होगा

परन्तु यदि संतोष प्रदान करने में विफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाती है तो ऐसे विस्तार की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जायेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो परिवीक्षा अवधि में वेतन, राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग-आठ-अन्य उपबन्ध

वर्दी 23. सेवा में आरक्षी के पद पर नियुक्त व्यक्ति ऐसी वदी धारण करेगे जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर विहित की जाय। वर्दी का रंग नैवी-ब्लू होगा।

पक्ष समर्थन 24. किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्ही सिफारिशों पर, चाहे लिखित हो या मौखिक विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन 25. ऐसे विषयों के संबंध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हो, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगे।

सेवा की शर्तो से शिथिलता 26. जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवा न नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में असम्यक कठिनाई होती है, वहां वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुये, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

व्यावृत्ति 27. इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से
(कुँवर फतेह बहादुर)
प्रमुख सचिव

परिशिष्ट (क)

नियम–4(2) और 21(2) देखें

क.सं	पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान		
			वेतन बैंड का नाम	ततसदृश्य वेतन बैण्ड रू0	ततसदृस्य ग्रेड वेतन रू0
1	कमांडेंट	1	वेतन बैंड–4	37400–67000	8700
2	डिप्टी कमांडेंट	1	वेतन बैंड–3	15600–39100	6600
3	सहायक कमांडेंट	3	वेतन बैंड–3	15600–39100	5400
4	क्वाटर मास्टर	1	वेतन बैंड–2	9300–34800	4600
5	कंपनी कमाण्डर	8	वेतन बैंड–2	9300–34800	4600
6	प्लाटून कमाण्डर	27	वेतन बैंड–2	9300–34800	4200
7	मुख्य आरक्षी	182	वेतन बैंड–1	5200–20200	2000
8	आरक्षी	848	वेतन बैंड–1	5200–20200	1900
9	उप निरीक्षक(मिनि0)	04	वेतन बैंड–2	9300–34800	4200
10	सहायक उप निरीक्षक(मिनि0)	06	वेतन बैंड–1	5200–20200	2400
11	दफ्तरी	01	IS	4400–7440	1400
12	मोची	03	IS	4400–7440	1300
13	दर्जी	02	IS	4400–7440	1400
14	बढई	01	IS	4400–7440	1400
15	कुक	34	IS	4400–7440	1300
16	कहार	17	IS	4400–7440	1300
17	नाई	09	IS	4400–7440	1300
18	सफाई कर्मी	19	IS	4400–7440	1300
19	धोबी	17	IS	4400–7440	1300
20	रेडियो निरीक्षक	01	वेतन बैंड–2	9300–34800	4200
21	रेडियो अनुरक्षण / केन्द्र अधिकारी	12	वेतन बैंड–2	9300–34800	4200
22	प्रधान परिचालक	33	वेतन बैंड–2	9300–34800	4200
23	सहायक परिचालक	02	वेतन बैंड–1	5200–20200	2000
24	कार्यशाला सहायक	01	वेतन बैंड–1	5200–20200	1900
	योग	**1233**			

" उत्तर प्रदेश घुडसवार पुलिस सेवा नियमावली 2016"

उत्तर प्रदेश सरकार, गृह (पुलिस) अनुभाग–2
संख्या–808 / छः–पु0–2–2016–1100(20) / 2015 दिनांक 16.03.2016

पुलिस अधिनियम 1861 (अधिनियम 5 सन 1861) की धारा 2 और धारा–46 की उपधारा (3) के साथ पठित उक्त धारा की उपधारा (2) के खण्ड(ग) के अधीन शक्ति और इस निमित्त समस्त अन्य समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके और इस निमित्त जारी किये गये सभी विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश पुलिस बल के घुडसवार पुलिस आरक्षी, मुख्य आरक्षी, उप निरीक्षक तथा निरीक्षक के चयन, प्रोन्नति, प्रशिक्षण, नियुक्ति, ज्येष्ठता अवधारण और स्थायीकरण आदि को विनियमित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते है :–

1 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भः–

1– यह नियमवाली उत्तर प्रदेश घुड़सवार पुलिस सेवा नियमावली, 2016 कही जायेगी।

2– यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2. **सेवा की प्रास्थिति** :– उत्तर प्रदेश घुड़सवार पुलिस अधीनस्थ सेवा एक ऐसी सेवा है, जिसमें समूह ''ग'' के पद सम्मिलित हैं।

3. **परिभाषएं :–** जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो इस नियमावली में ;

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 से है;

(ख) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' का तात्पर्य आरक्षी व मुख्य आरक्षी, पुलिस घुड़सवार के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक से है तथा उप निरीक्षक व निरीक्षक घुड़सवार पुलिस के सम्बन्ध में पुलिस महानिरीक्षक से है ;

(ग) ''बोर्ड़'' का तात्पर्य इस संबंध में समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार स्थापित उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा भर्ती तथा पदोन्नति बोर्ड़ से है ;

(घ) ''संविधान'' का तात्पर्य भारत का संविधान से है ;

(ड.) '' भारत का नागरिक'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक समझा जाये,

(च) ''राज्यपाल'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है ;

(छ) ''सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है ;

(ज) ''विभागाध्यक्ष'' का तात्पर्य पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश से है;

(झ) ''सेवा का सदस्य'' का तात्पर्य इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त आदेशों के अधीन सेवा के सवंर्ग में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति से है ;

(ञ) ''घुड़सवार पुलिस'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश घुड़सवार पुलिस बल के घुड़सवार पुलिस से है;

(ट) ''नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों'' का तात्पर्य अधिनियम की अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है;

(ठ) ''पुलिस मुख्यालय का तात्पर्य पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ और उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद से है;

(ड़) ''चयन समिति'' का तात्पर्य सेवा के पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों के चयन के लिए बोर्ड़ द्वारा गठित चयन समिति से है;

(ढ़) ''सेवा'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश आरक्षी घुड़सवार पुलिस/मुख्य आरक्षी घुड़सवार पुलिस, उपनिरीक्षक घुडसवार पुलिस और निरीक्षक घुड़सवार पुलिस सेवा से है;

(ण) ''मौलिक नियुक्ति'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक आदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो;

(प) ''भर्ती का वर्ष'' का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाले बारह मास की अवधि से है।

भाग दो – संवर्ग

4. सेवा का संवर्गः– 1. सेवा की सदस्य संख्या और प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाये।

2. सेवा की वर्तमान सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या जब तक कि उपनियम (1)के अधीन उसे परिवर्तित करने का आदेश पारित न हो, निम्नवत होगी;–

क0सं0	पदों के नाम	स्थायी	अस्थायी	स्वीकृत आवंटन
1.	आरक्षी घुड़सवार पुलिस	151	35	186
2.	मुख्य आरक्षी घुड़सवार पुलिस	33	13	46
3.	उप निरीक्षक घुड़सवार पुलिस	5	4	9
4.	निरीक्षक घुड़सवार पुलिस	2	2	4

परन्तु यह किः—
(एक) विभागाध्यक्ष कुल स्वीकृत नियतन के अन्तर्गत विभिन्न इकाईयों के पदों की संख्या को पुनः अवधारित कर सकता है;

(दो) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरें हुए छोड़ सकते हैं या राज्यपाल उसे प्रास्थगित रख सकते है, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नही होगा ;

(तीन) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदो का सृजन कर सकते है ; जिन्हे वह उचित समझें।

भाग तीन— भर्ती

5. भर्ती का स्रोत अर्हताएं एवं योग्यताएं :— सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतो से की जायेगीः—

(क) **आरक्षी घुड़सवार पुलिस —** आरक्षी घुड़सवार पुलिस के शत प्रतिशत पदों को सीधी भर्ती द्वारा बोर्ड़ के माध्यम से भरा जायेगा।

टिप्पणी :— सेवाकाल में घुड़सवार पुलिस के दिवंगत कर्मचारियों के ऐसे आश्रित जो आरक्षी घुड़सवार पुलिस के पद पर मृतक आश्रित के रूप में भर्ती के लिए प्रार्थनापत्र देते हैं, उनकी भर्ती बोर्ड़ द्वारा, सरकार द्वारा तय की गई नीति के अनुसार की जायेगी।

(ख) मुख्य आरक्षी घुड़सवार पुलिस :—मुख्य आरक्षी घुड़सवार पुलिस के स्वीकृत पदों की कुल संख्या के शत प्रतिशत पद, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड़ द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे आरक्षी घुड़सवार पुलिस में से भरे जायेंगे जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए, इस रूप में सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।

(ग) उपनिरीक्षक घुड़सवार पुलिसः— उपनिरीक्षक घुड़सवार पुलिस के स्वीकृत पदों के कुल संख्या के शत प्रतिशत पद, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड़ द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे मुख्य आरक्षी घुड़सवार पुलिस मेंसे भरे जायेंगे, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में परिवीक्षा अवधि सहित 03 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।

टिप्पणी :— शारीरिक दक्षता परीक्षण, जो अर्हकारी प्रकृति का होगा, में सफलता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों पर ही उप निरीक्षक घुड़सवार पुलिस के पद पर पदोन्नति के लिए विचार किया जायेगा।

(घ) निरीक्षक पुलिस घुड़सवार :– निरीक्षक घुड़सवार पुलिस के स्वीकृत पदों की कुल संख्या के शत प्रतिशत पद, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड़ द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे उपनिरीक्षक घुड़सवार पुलिस में से भरे जायेंगे जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में परिवीक्षा अवधि सहित 03 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।

6. आरक्षण :– अनुसूचित जातियों – अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण अधिनियम और समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 के उपबन्धो और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा। राष्ट्रीय/राज्यस्तरीय खिलाड़ियों का आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त शासनादेशों के अनुसार होगाः

परन्तु यह कि किसी अन्य नियमावली में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी केवल ऐसे पुरूष अभ्यर्थी, जो शारीरिक रूप से विकलांग नही हैं, आरक्षी घुड़सवार पुलिस के पद पर सीधी भर्ती के लिए पात्र होंगे।

भारत चार – अर्हतायें

7. राष्ट्रीयताः– सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी :–

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्‌भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीकी देश केनिया,यूगांड़ा और यूनाईटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जांजीबार) से प्रव्रजन किया हो;

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो;

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उपमहानिरीक्षक, अधिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें;

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नही किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा। कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले;

टिप्पणी :– ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाणपत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

8. शैक्षिक अर्हताएं :– आरक्षी घुड़सवार पुलिस के पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हतायें वही होंगी जो तत्समय प्रचलित नियमों के अनुसार सीधी भर्ती के लिए आरक्षी, उत्तर प्रदेश पुलिस की होगी।

9. अधिमानी अर्हताएं :– आरक्षी घुड़सवार पुलिस के पद पर सीधी भर्ती के अभ्यर्थी की अधिमानी अर्हताएं वही होगी जो तत्समय प्रचलित नियमों के अनुसार सीधी भर्ती के लिए आरक्षी, उत्तर प्रदेश पुलिस की होगी।

10. आयु :– आरक्षी घुड़सवार पुलिस के पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु वही होगी जो तत्समय प्रचलित नियमों के अनुसार सीधी भर्ती के लिए आरक्षी उत्तर प्रदेश पुलिस की होगी।

11. चरित्र :– सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेंगे।

टिप्पणी :–संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नही होंगे । नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नही होंगे।

12. वैवाहिक प्रास्थिति :– सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों;

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान हैं।

13. शारीरिक स्वस्थता :– किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नही किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा बोर्ड़ के परीक्षण में सफल हो जाये।

टिप्पणी :– चिकित्सा बोर्ड़ अभ्यर्थी की यथास्थिति ऊंचाई , उसके सीने और भार के माप के लिए विहित शारीरिक मानक का परीक्षण करेगा और नाक– नी, बो, लेग्स, फ्लैट, फीट, वेरीकोस वेंस, दूर एवं निकट दृष्टि, कलर ब्लाइंडनेस (पूर्ण एवं आशिक) श्रवण परीक्षण, जिसमें रिनेज परीक्षण, बेब्बर्स परीक्षण और वर्टिगो परीक्षण, वाक दोष आदि समाविष्ट हैं, तथा ऐसी अन्य कमियों जैसा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाये, का भी परीक्षण करेगा।

भाग पांच – भर्ती की प्रक्रिया

14. रिक्तियों का अवधारण :– आरक्षी घुड़सवार पुलिस के पद पर सीधी भर्ती के लिये रिक्तियों का अवधारण की प्रक्रिया वही होगी जो तत्समय प्रचलित नियमों के अनुसार सीधी भर्ती के लिए आरक्षी उत्तर प्रदेश पुलिस की होगी।

15. आरक्षी घुड़सवार पुलिस की सीधी भर्ती की प्रक्रिया :– आरक्षी घुड़सवार पुलिस के पद पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया वही होगी जो तत्समय प्रचलित नियमों के अनुसार सीधी भर्ती के लिए आरक्षी उत्तर प्रदेश पुलिस की होगी।

16. चरित्र सत्यापन :– नियुक्ति पत्र जारी किये जाने से पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण पर भेजे जाने के पहले, चरित्र सत्यापन का कार्य पूर्ण कराया जायेगा सामान्यतयः चरित्र का सत्यापन एक माह के भीतर पूर्ण कर लिया जायेगा। किसी अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन के दौरान कोई प्रतिकूल तथ्य सामने आने पर, उसे नियुक्त प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित किया जायेगा और ऐसी रिक्तियों को अग्रतर चयन के लिए आगे ले जाया जायेगा।

17. पदोन्नति की प्रकियाः— 1. मुख्य आरक्षी घुड़सवार पुलिस के पदों पर पदोन्नति की प्रकिया — मुख्य आरक्षी घुड़सवार पुलिस के स्वीकृत पदों की कुल संख्या के शत प्रतिशत पद अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड़ द्वारा पदोन्नति के माध्यम से मौलिक रूप से नियुक्त घुड़सवार पुलिस के ऐसे आरक्षी घुड़सवार पुलिस में से भरे जायेंगे, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को, परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुये इस रूप में 07 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

2. उपनिरीक्षक घुड़सवार पुलिस के पदों पर पदोंन्नति की प्रकियाः— उप निरीक्षक घुड़सवार पुलिस के स्वीकृत पदों की कुल संख्या के शत प्रतिशत पद अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए अर्हकारी प्रकृति के शारीरिक दक्षता परीक्षण सहित ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति के माध्यम से बोर्ड़ द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त घुड़सवार पुलिस के ऐसे मुख्य आरक्षी घुड़सवार पुलिस में से भरे जायेंगे, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को, इस रूप में परिवीक्षा अवधि सहित तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

टिप्पणी — शारीरिक दक्षता परीक्षण की प्रक्रिया ऐसी होगी, जैसा परिशिष्ट में उल्लिखित है।

3. निरीक्षक घुड़सवार पुलिस के पदों पर पदोन्नति की प्रकिया —निरीक्षक घुड़सवार पुलिस के स्वीकृत पदों की कुल संख्या के शत प्रतिशत पद अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड़ द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे उपनिरीक्षक घुड़सवार पुलिस में से भरे जायेंगे। जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को, इस रूप में परिवीक्षा अवधि सहित तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

4.चयन समिति :—

(क) आरक्षी घुड़सवार पुलिस से मुख्य आरक्षी घुड़सवार पुलिस, मुख्य आरक्षी घुड़सवार पुलिस से उपनिरीक्षक घुड़सवार पुलिस , उप निरीक्षक घुड़सवार पुलिस से निरीक्षक घुड़सवार पुलिस के पदों पर पदोन्नति के लिए चयन समिति बोर्ड़ द्वारा गठित की जायेगी ।

(ख) चयन समिति का अध्यक्ष बोर्ड़ द्वारा नामित होगा तथा जिस पद पर प्रोन्नति के लिये चयन समिति गठित हुई है उस पद के नियुक्ति प्राधिकारी से कनिष्ठ नही होगा। समिति में उपयुक्त पद का एक सदस्य विभागाध्यक्ष द्वारा नामित किया जायेगा और समिति के शेष सदस्य विद्यमान शासनादेशों के अनुसार बोर्ड़ द्वारा नामित किये जायेंगे।

(ग) पदोन्नति हेतु निर्विवाद ज्येष्ठता सूची पुलिस मुख्यालय द्वारा बोर्ड़ को उपल्ब्ध करायी जायेगी।

(घ) चयन समिति सफल अभ्यर्थियों का परीक्षाफल अपनी संस्तुति सहित बोर्ड़ को प्रस्तुत करेगा। बोर्ड़ चयनित अभ्यर्थियों की सूची अपनी संस्तुति सहित विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा।

(ड.) विभागाध्यक्ष अनुमोदन के उपरान्त सूची को नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेंगे जो प्रोन्नति हेतु अंतिम आदेश निर्गत करेगा।

(च) प्रोन्नति हेतु चयनित अभ्यर्थियों की अंतिम सूची विभागाध्यक्ष के अनुमोदनोपरान्त बोर्ड़ द्वारा अपनी तथा उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी।

भाग छः — नियुक्ति, प्रशिक्षण, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

18. नियुक्ति :— (1) नियम—15 एवं नियम—16 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थियों के नामों को उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे नियम—15 के अधीन तैयार की गयी सूची में हो, नियुक्त करेगा। नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों को इस निर्देश के साथ नियुक्ति पत्र जारी करेगा कि वे पत्र के जारी किये जाने के दिनांक से या नियुक्ति पत्र में इस प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट किसी दिनांक से एक माह के भीतर सेवा /प्रशिक्षण के लिये उपस्थित हों। यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो उसके चयन/नियुक्ति को निरस्त कर दिया जायेगा :—

परन्तु इस उप नियम के प्रयोजन हेतु यह कि इस नियमावली के प्रारम्भ के पूर्व से सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त और कार्यरत किसी व्यक्ति को इस नियमावली के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त किया गया समझा जायेगा।

(2) नियम—17 के अन्तर्गत यदि किसी एक चयन के संबंध में नियुक्तियों के एक से अधिक आदेश जारी किये जाये तो, एक संयुक्त सम्मिलित आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा जैसी यथास्थिति चयन में अवधारित की जाये या जैसी की उस संवर्ग में हो, जिससे उन्हें पदोन्नत किया जाय।

परन्तु इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व सेवा में किसी पद पर नियुक्त और उक्त पद पर कार्यरत किसी व्यक्ति को इस नियमावली के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त हुआ समझा जायेगा और ऐसी मौलिक नियुक्ति को इस नियमावली के अधीन की गयी नियुक्ति समझी जायेगी।

19. प्रशिक्षण :—(1) (क)— आरक्षी के पद पर नियम—15 और 16 के अधीन अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों से विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किये गये प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जायेगी। बेसिक प्रशिक्षण की अवधि में कैडटों पर पीटीसी मैनुअल में निहित प्रावधान प्रभावी होगें। बेसिक प्रशिक्षण हेतु अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थी द्वारा यदि निर्धारित समय सीमा के अन्दर अपना योगदान प्रशिक्षण हेतु नहीं देता है तो इसका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(ख) बेसिक प्रशिक्षण में असफल हुए कैडेटों को पूरक प्रशिक्षण कराकर पुनः प्रशिक्षण की परीक्षा का आयोजन विभागाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा। पूरक प्रशिक्षण के पश्चात प्रशिक्षण परीक्षा में असफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उनकी सेवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

(2) नियम—17 के अधीन पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये कर्मियों से विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण पूर्ण करने की अपेक्षा की जायेगी।

20. परिवीक्षा :– (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाएगा।

(2) परिवीक्षा अवधि के दौरान परिवीक्षाधीन व्यक्ति से ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करने की अपेक्षा की जाएगी जैसा कि विभागाध्यक्ष द्वारा विहित किया जाये।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जाएंगे, अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाएगा जब तक अवधि बढ़ाई जाय

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(4) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी के संतोषानुसार पर्याप्त सुधार नहीं किया है तो उसे उसके मौलिक पद पर यदि कोई हो प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी।

(5) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (4) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाये या जिसकी सेवायें समाप्त की जांय, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(6) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

21. स्थायीकरणः– (1) इस नियम के उप नियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि

(क) उसके द्वारा विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया हो,
(ख) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक रहा हो और
(ग) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित की गयी हो।

(2) जहां उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है, वहां उस नियमावली के नियम—5 के उप नियम—(3) के अधीन यह घोषणा करते हुए आदेश कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

22. ज्येष्ठताः– (1) किसी भी प्रकार के चयन से नियुक्ति किये गये घुड़सवार पुलिस कर्मियों की वरिष्ठता उनके चयन के दिनांक से निर्धारित की जायेगी। यहां चयन के दिनांक का तात्पर्य बोर्ड़ द्वारा भेजी गयी चयन सूची को विभागाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किये जाने के दिनांक से है।

(2). बोर्ड़ द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से भर्ती घुड़सवार पुलिस कर्मियों के चयन को एक पृथक चयन माना जायेगा। सीधी भर्ती के अर्न्तगत एक चयन के माध्यम से भर्ती कर्मियों की पारस्परिक वरिष्ठता बोर्ड़ द्वारा निर्गत अंतिम चयन सूची के क्रम के अनुसार होगी।

(3). मृतक आश्रित श्रेणी के अर्न्तगत भर्ती घुड़सवार पुलिस कर्मियों के चयन को एक सीधी भर्ती का पृथक चयन माना जायेगा। इस प्रकार से भर्ती घुड़सवार पुलिस के आरक्षियों की पारस्परिक वरिष्ठता प्रशिक्षण संस्थानों में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के अनुसार निर्धारित होगी। एक प्रशिक्षण सत्र में एक से अधिक अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण संस्थानों में प्राप्त अंको के प्रतिशत के समान होने पर उनकी जन्मतिथि की वरिष्ठता को ही पारस्परिक वरिष्ठता निर्धारण का आधार बनाया जायेगा। अंको का प्रतिशत एवं जन्मतिथि समान होने पर हाईस्कूल प्रमाण पत्र में अंकित नामों के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार वरिष्ठता निर्धारित की जायेगी।

(4.) पदोन्नति के माध्यम से नियुक्त घुड़सवार पुलिस कर्मियों की ज्येष्ठता उनके चयन की तिथि से निर्धारित की जायेगी तथा पूर्ववर्ती वर्ष में चयनित कर्मी पश्चातवर्ती वर्ष में चयनित कर्मियों से ज्येष्ठ होंगे। अगर किसी पद के लिए प्रोन्नति परीक्षा के माध्यम से है तो उनकी पारस्परिक ज्येष्ठता बोर्ड़ द्वारा प्रेषित अन्तिम सूची के अनुसार होगी। अगर प्रोन्नति ज्येष्ठता के आधार पर है तो एक चयन तिथि में

नियुक्त किये गये कर्मियों की पारस्परिक ज्येष्ठता उनके पोषक संवर्ग में वरिष्ठता के अनुरूप होगी। यहां चयन के दिनांक का तात्पर्य बोर्ड़ द्वारा भेजी गयी चयन सूची को विभागाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किये जाने के दिनांक से है।

(5.) उपरोक्त के होते हुये भी अगर ज्येष्ठता के संबंध में कोई अन्य तथ्य प्रकाश में आते हैं अथवा कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उसका निवारण विभागाध्यक्ष द्वारा तर्कसंगत आदेश जारी कर किया जायेगा।

भाग-7—वेतनमान

23.वेतनमान :- (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्ति कर्मियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान निम्नानुसार होगें :—

पद का नाम	वेतनबैण्ड़	ग्रेड़ पे
आरक्षी घुड़सवार पुलिस	5200—20200	2000
मुख्य आरक्षी घुड़सवार पुलिस	5200—20200	2400
उपनिरीक्षक घुड़सवार पुलिस	9300—34800	4200
निरीक्षक घुड़सवार पुलिस	9300—34800	4600

24. परिवीक्षा अवधि में वेतन :- (1) फण्डामेंटल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, तथा विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो एवं प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया हो और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जाएगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो।

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जाएगी जब तक कि नियुक्त प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो परिवीक्षा अवधि में वेतन, सुसंगत फण्डामेन्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगा।

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जाएगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग-आठ—प्रकीर्ण **उपबन्ध**

25. पक्ष समर्थन. किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर चाहे लिखित हों या मौखिक विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

26.अन्य विषयों का विनियमनः-ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या नियमों, विनियमों एवं आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति पुलिस अधिनियम के अर्न्तगत बनाये गये विभिन्न नियमों, विनियमों और आदेशों के अनुसार शासित होगें।

27.सेवा की शर्तों में शिथिलताः- जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में असम्यक कठिनाई हेाती है, वहाँ वह उस मामले में लागू नियमों में, किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुये , जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और सम्पूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

28.व्यावृत्तिः— इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

29.अध्यारोही प्रभावः— (1). राज्य सरकार द्वारा बनाई गई किसी अन्य नियमावली या जारी किये गये शासनादेश या प्रशासनिक अनुदेशों में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी इस नियमवाली के उपबन्ध प्रभावी होंगे ।

(2). सेवा के सदस्यों के चयन, पदोन्नति, प्रशिक्षण, नियुक्ति, ज्येष्ठता निर्धारण और स्थायीकरण आदि से सम्बन्धित या उनसे आनुषंगिक विषयों के संबंध में समय—समय पर जारी किए गए शासनादेश प्रारम्भ से विखण्डित और प्रतिसंहृत हो जायेंगे।

(3). सेवा के सदस्यों का, तत्सम्बन्ध में जारी किसी अन्य नियमावली शासादेशों या प्रशासनिक अनुदेशों के अधीन चयन, पदोन्नति, प्रशिक्षण, नियुक्ति, ज्येष्ठता निर्धारण और स्थायीकरण आदि से सम्बन्धित या उनसे आनुषंगिक विषयों के संबंध में कोई दावा नही होगा, और तद्धीन प्रोदभूत कोई अधिकार समाप्त हुए समझे जायेंगे।

(4). ऐसे विखण्डन के होते हुए भी प्रचलित नियमावली, शासनादेशों या प्रशासनिक अनुदेशों के अधीन पूर्व स्वीकृत चयन, पदोन्नति, प्रशिक्षण, नियुक्ति, ज्येष्ठता निर्धारण और स्थायीकरण आदि की प्रसुविधा प्रत्याहृत नही की जायेगी।

आज्ञा से
(देबाशीष पण्डा)
प्रमुख सचिव,

-

परिशिष्ट
(नियम–17(2) देखें)

उप निरीक्षक घुडवसार पुलिस के पद पर पदोन्नति हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षण

1– शारीरिक दक्षता परीक्षण का संचालन बोर्ड द्वारा गठित एक दल द्वारा किया जायेगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होगें :–

(एक)–बोर्ड द्वारा नाम– निर्दिष्ट एक अपर पुलिस अधीक्षक
(दो)– जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा नाम–निर्दिष्ट एक चिकित्साधिकारी

विद्यमान शासनादेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अन्य पिछडे वर्ग, अल्पसंख्यक व अन्य किसी श्रेणी, जिसकां प्रतिनिधित्व उपरोक्त दल में अवश्य हो , के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने हेतु बोर्ड द्वारा उपरोक्त दल में उचित स्तर के अतिरिक्त अधिकारियों को सदस्य के रूप में रखा जायेगा।

परीक्षा का संचालन करने के लिये यह दल किसी अन्य विशेषज्ञ/विशेषज्ञों की सहायता ले सकता है।

2– शारीरिक दक्षता परीक्षा केवल अर्हकारी प्रकृति की होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होने के लिये पुरूष अभ्यर्थियों को 3.2 किलोमीटर की दौड 35 मिनट में पूरा करना आवश्यक होगा।

3– दल द्वारा मैनुअल टाइमिंग प्रयोग किये जाने की अनुमति नहीं होगी। सीसीटीवी कवरेज सहित मानकीकृत इलेक्ट्रानिक टाइमिंग उपकरण और पर्याप्त वेकअप के साथ बायोमैट्रिक्स का प्रयोग यर्थायता व पारदर्शिता सुनिश्चित करने एवं वेश परिवर्तन से बचने के लिये किया जायेगा।

4– दल नीचे दी गयी प्रक्रिया का पालन करेगा –

(क) बोर्ड द्वारा प्रतिदिन परीक्षण कराये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का अवधारण किया जायेगा और उनका निश्चय परीक्षण कराये जाने वालों की कुल संख्या एवं विद्यमान दशाओं पर आधारित होगा।

(ख) अर्हता के लिये इस परिशिष्ट के खण्ड–2 में न्यूनतम शारीरिक दक्षता मानकों की सूचना परीक्षण स्थल पर , सूचना पट पर प्रर्दशित की जायेगी।

(ग) इस परीक्षण का परिणाम परीक्षण स्थल पर सूचना पट पर दिन की समाप्ति पर प्रर्दशित किया जायेगा और यदि संभव हुआ तो यथाशीध्र बोर्ड की बेवसाइट पर प्रर्दशित किया जायेगा।

(घ) संगठनात्मक दल , जिसमें परीक्षण अभिकरण यदि कोई हो , भी सम्मिलित है, के ऐसे सदस्य जो जानबूझकर ऐसा कार्य करते है जो गलत हो या किसी ऐसे कार्य को नहीं करते है जो उन्हें करना चाहिये और जिससे किसी अभ्यर्थी को अनुचित लाभ पहुचता हो या उसका अहित होता हो, तो वे दाण्डिक कार्यवाही और/ या आवश्यक विभागीय कार्यवाही के भागी होगें।

(ड) शारीरिक दक्षता परीक्षण का परिणाम अभ्यर्थी को उसी दिन उपलब्ध कराया जायेगा। सफल अभ्यर्थियों की सूची टीम के सदस्यों के संयुक्त हस्ताक्षर से घोषित की जायेगी।

(च) बर्हिकक्ष परीक्षण इस प्रकार किये जायेंगे कि परिणामों का मूल्यांकन किया जा सके और उन्हें बिना किसी हस्तगत मद्यक्षेप के यांत्रिक रूम से अभिलिखित किया जा सके। शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिये केवल भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन वाले मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग किया जायेगा।

(छ) अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जायेगी कि वे दिेये गये दिनांक व समय पर उपस्थित हो। ऐसे कारणों से जो उसके नियंत्रण से परे हो और जो लिखित रूप से अभिलिखित किये जायेगें। किसी विशिष्ट समय पर परीक्षण किये जाने वाले अभ्यर्थियों के समूह हेतु परीक्षण के दिनांक एवं समयमय बोर्ड द्वारा परिवर्तन किया जा सके। यदि कोई अभ्यर्थी नियत दिनांक पर परीक्षा में सम्मिलित होने में विफल रहता है तो उसे परीक्षा में असफल माना जायेगा। परीक्षा में सम्मिलित न होने के कारण अथवा विहित मानक प्राप्त न कर सकने के कारण असफल हो जाने वाले अभ्यर्थी को दूसरा मौका नहीं दिया जायेगा और स्वास्थ्य के कारण या किसी अन्य आधार पर चाहे जो भी हो, पुनः परीक्षण के लिये कोई अपील नहीं की जा सकेगी।

टिप्पणी – समस्त वीडियो अभिलेखों को विशेष रूप से गोपनीय रखा जायेगा और अभिलेख को सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जायेगा तथा किसी न्यायालय द्वारा मांग किये जाने पर या किसी जॉच अधिकारी को बोर्ड की अनुमति से उपलब्ध कराया जायेगा।

" उत्तर प्रदेश पुलिस आरमोरर शाखा अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली 2016"

उत्तर प्रदेश सरकार गृह (पुलिस) अनुभाग–2
संख्या–1333/छः–पु0–2–2016–1600(128)–2015 लखनऊ दिनांक 06.06.2016

पुलिस अधिनियम 1861 (अधिनियम संख्या 5 सन 1861) की धारा 2 के साथ पठित धारा 46 की उपधारा (2) और (3) के अधीन शक्ति और इस निमित्त समस्त अन्य समर्थनकारी शक्तियों का प्रयोग करके और इस निमित्त जारी किये गये सभी वर्तमान नियमों और आदेशों को अधिक्रमण करते हुये राज्यपाल उत्तर प्रदेश पुलिस की आरमोरर शाखा की अधीनस्थ सेवा के पदों पर नियुक्ति, प्रशिक्षण, प्रोन्नति, ज्येष्ठता निर्धारण और स्थायीकरण आदि सेवा शर्तो को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियम/उप नियम बनाये जाने की स्वीकृति प्रदान करते है :–

भाग एक सामान्य

1.संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ .

(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश पुलिस आरमोरर शाखा अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली, 2016 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2.सेवा की प्रास्थितिः– उत्तर प्रदेश पुलिस आरमोरर शाखा अधीनस्थ सेवा में समूह ''ग'' के पद सम्मिलित हैं।

3. परिभाषयें :– जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में,

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम,1994 (अधिनियम संख्या 4 सन् 1994) से है;
(ख) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' का तात्पर्य आरक्षी आरमोरर, मुख्य आरक्षी आरमोरर के पदों के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक तथा उपनिरीक्षक आरमोरर व निरीक्षक आरमोरर के पदों के सम्बन्ध में पुलिस उपमहानिरीक्षक से है;
(ग) ''भारत का नागरिक'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जायें;
(घ) ''संविधान'' का तात्पर्य भारत का संविधान से हैं;
(ड.) ''राज्यपाल'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से हैं;
(च) ''सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है;
(छ) ''विभागाध्यक्ष'' का तात्पर्य पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश से हैं;

(ज) ''सेवा का सदस्य'' का तात्पर्य इस नियमावली या नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त आदेशो के अधीन सेवा का संवर्ग में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति से हैं;
(झ) ''पुलिस मुख्यालय का तात्पर्य मुख्यालय, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ और उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद से हैं;
(ञ) ''सेवा'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी आरमोरर, मुख्य आरक्षी अरमोरर, उपनिरीक्षक आरमोरर, निरीक्षक आरमोरर की सेवा से हैं;
(ट) ''बोर्ड़'' का तात्पर्य इस सम्बन्ध में समय – समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार स्थापित उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड़ से हैं;
(ठ) ''मौलिक नियुक्ति'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो और यदि कोई नियम न हों तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो;
(ड़) ''भर्ती का वर्ष'' का तात्पर्य किसी कैलेण्ड़र वर्ष की प्रथम जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से हैं;
(ढ़) ''चयन समिति'' का तात्पर्य सेवा में पद पर नियुक्ति के लिये अभ्यर्थियों के चयन हेतु बोर्ड़ द्वारा गठित किये गये चयन समिति से है।

भाग दो– संवर्ग

4. सेवा का संवर्ग :– (1) प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय। परन्तु यह कि वर्तमान पदों की संख्या निम्नवत् होगी :–

पद का नाम	अस्थायी	स्थायी	स्वीकृत नियतन
आरक्षी आरमोरर	53	341	394
मुख्य आरक्षी आरमोरर	14	137	151
उप निरीक्षक आरमोरर	–	18	18
निरीक्षक आरमोरर	–	02	02

परन्तु यह और कि :–

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुये छोड़ सकता है या राजयपाल उसे प्रास्थगित रख सकते हैं जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा;
(दो) विभागाध्यक्ष समस्त स्वीकृत नियतन के अन्तर्गत विभिन्न इकाईयों के पदों की संख्या को पुननिर्धारित कर सकते हैं।
(तीन) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थाई या अस्थाई पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हे वह उचित समझें।

भाग तीन – भर्ती हेतु पात्रताएं

5. भर्ती का स्त्रोत अर्हताएं एवं पात्रताएं :–

(क) **आरक्षी आरमोरर–** आरक्षी आरमोरर की शत्–प्रतिशत रिक्तियां बोर्ड़ द्वारा चयन के माध्यम से मौलिक रूप से नियुक्ति ऐसे आरक्षी नागरिक पुलिस, आरक्षी सशस्त्र पुलिस एवं आरक्षी पी0ए0सी0 से भरी जायेंगी जो निम्न पात्रताएं पूर्ण करते हों–

(एक) चयन वर्ष की प्रथम जुलाई को 32 वर्ष की आयु से अधिक न हों।

(दो) अच्छे स्वास्थ्या का हो और आंखों के परीक्षण में दृष्टि 6/6 बगैर चश्मे के हो।

(तीन) पूर्व में आरक्षी आरमोरर के पद से प्रत्यावर्तित न हुआ हो।

(चार) भर्ती वर्ष की प्रथम जुलाई को कम से कम 03 वर्ष की सेवा (प्रशिक्षण केन्द्र में व्यतीत किये गये प्रशिक्षण की अवधि को छोड़कर) पूर्ण कर ली हो।

(पांच) विगत पांच वर्षों की अवधि में,–

1. सत्यनिष्ठा रोकी न गई हो; या
2. कोई दीर्घ दण्ड़ न मिला हो; या
3. दो या उससे अधिक लघु दण्ड़ न मिले हों।

(छ) विगत तीन वर्षों की अवधि में,–

1. कोई लघु दण्ड़ न मिला हो; या
2. दो या उससे अधिक छुद्र दण्ड़ न मिले हों।
3. कोई प्रतिकूल प्रविष्टि न मिली हो।

(ख) **मुख्य आरक्षी आरमोरर–** मुख्य आरक्षी आरमोरर की शत प्रतिशत रिक्तियां प्रोन्नति द्वारा बोर्ड़ के माध्यम से ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ऐसे आरक्षी आरमोरर से भरी जायेंगी जो :–

(एक) चयन वर्ष की प्रथम जुलाई को आरक्षी आरमोरर के पद पर पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर लिये हों

(दो) सेना का आरमोरर ग्रेड़–3 कोर्स उत्तीर्ण हों ;

(तीन) वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण में असफल न पाया गया हो।

(ग) उपनिरीक्षक आरमोरर – उपनिरीक्षक आरमोरर की शत प्रतिशत रिक्तियां प्रोन्नति द्वारा ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ऐसे मुख्य आरक्षी आरमोरर से भरी जायेगी जो :–

(एक) चयन वर्ष की प्रथम जुलाई को मुख्य आरक्षी आरमोरर के पद पर 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लिये हो ;

(दो) सेना का आरमोरर ग्रेड–2, कोर्स उत्तीर्ण हो ;

(तीन) वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण में असफल न पाया गया हो।

(घ) निरीक्षक आरमोरर – निरीक्षक आरमोरर के पद पर शत प्रतिशत रिक्तियॉ प्रोन्नति द्वारा ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ऐसे उप निरीक्षक आरमोरर से भरी जायेगी जो :–

(एक) चयन वर्ष की प्रथम जुलाई को उप निरीक्षक आरमोरर के पद पर 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लिये हो,

(ख) सेना का आरमोरर ग्रेड–1 कोर्स उर्त्तीण हो ,

(ग) वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण में असफल न पाया गया हो।

भाग चार – भर्ती एवं प्रशिक्षण की प्रकिया

6. रिक्तियों का अवधारण :– नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष में होने वाली रिक्तियां की संख्या अवधारित करेंगे और उसकी सूचना पुलिस मुख्यालय को देंगे। पुलिस मुख्यालय द्वारा रिक्तियों की संख्या विभागाध्यक्ष के माध्यम से बोर्ड को सूचित की जायेगी। बोर्ड़ सम्बन्धित पद नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों का चयन करने हेतु चयन समिति का गठन करेगा।

7. आरक्षी आरमोरर का चयन :–

(क) आवेदन– पुलिस मुख्यालय विभागीय परिपत्र के माध्यम से समस्त जनपदों/इकाईयों/पीएसी वाहिनियों से नियम–5 (क) में उल्लिखित आरक्षी आरमोरर के पद की पात्रता रखने वाले आरक्षी नागरिक पुलिस/आरक्षी सशस्त्र पुलिस एवं आरक्षी पीएसी के आवेदन पत्र आमंत्रित करेगा। प्राप्त आवेदन पत्रों का पुलिस मुख्यालय द्वारा परीक्षण कर त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण आवदेन पत्रों को निरस्त कर संबंधित अभ्यर्थी/आरक्षी को उचित माध्यम से सूचित कर दिया जायेगा। पुलिस मुख्यालय द्वारा उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों की सूची विभागाध्यक्ष के अनुमोदनोपरान्त बोर्ड़ को उपलब्ध कराई जायेगी।

(ख) चयन सूची –बोर्ड़ सभी पात्र अभ्यर्थियों को सेवा अभिलेखों के आधार पर परिशिष्ट के अनुसार अंक प्रदान करेगा तथा बोर्ड़ सभी अभ्यर्थियों की उपरोक्तानुसार प्राप्त अंको के आधार पर योग्यता सूची तैयार करेगा। बोर्ड उपरोक्त सूची में से प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यता के कम में, रिक्तियों के सापेक्ष चयन सूची तैयार करेगा जिसे विभागाध्यक्ष को प्रेषित किया जायेगा। विभागाध्यक्ष के अनुमोदन के उपरान्त चयन सूची वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी।

(ग) चयनित अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता का अवधारणा निम्नलिखित रीति से पुलिस मुख्यालय द्वारा किया जायेगाः–

(एक) एक ही संवर्ग से चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता उनके मौलिक पद की ज्येष्ठता के अनुसार अवधारित की जायेगी।

(दो) भिन्न संवर्ग के अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता का अवधारण इस प्रकार किया जायेगा कि पूर्ववर्ती चयन के अभ्यर्थी को पश्चात्वर्ती चयन के अभ्यर्थियों से ज्येष्ठ माना जायेगा। वह चयन पूर्ववर्ती माना जायेगा जिसकी चयन की तिथि पूर्व की हो। यहां, चयन की तिथि का तात्पर्य बोर्ड़ द्वारा भेजी गई चयन सूची को विभागाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किये जाने की तिथि से है।

(तीन) यदि भिन्न संवर्गो की चयन तिथि समान हो अथवा किसी संवर्ग के कर्मियों की चयन तिथि उपलब्ध न हो तो चयनित अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता उनकी उस संवर्ग में मौलिक नियुक्ति की तिथि से की जाएगी जिससे उन्होने इस चयन में भाग लिया है तथा उसके समान होने पर उनका कम जन्म तिथि के अनुसार निर्धारित किया जायेगा। यदि मौलिक नियुक्ति की तिथि व जन्म तिथि समान होती है तो अंग्रेजी वर्णमाला में नाम के कम के अनुसार उनकी ज्येष्ठता निर्धारित की जायेगी।

(घ) **स्वास्थ्य परीक्षण :–** स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य होगा। आरक्षी आरमोरर रूप में चयनित आरक्षियों को चिकित्सीय परीक्षण, विभागाध्यक्ष द्वारा तय प्रक्रिया के अर्न्तगत, पुलिस मुख्यालय द्वारा कराया जायेगा। चिकित्सा परीक्षण में सफल पाये गये अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण हेतु भेजा जायेगा।

(ड.) **प्रशिक्षण एवं नियुक्ति –** आरक्षी आरमोरर के कोर्स हेतु चयनित अभ्यर्थियों, जो स्वास्थ्य परीक्षण पास कर लेते है, को पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्धारित ज्येष्ठताक्रम के अनुसार प्रशिक्षण हेतु भेजा जायेगा। प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रशिक्षण में सफल अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी। प्रशिक्षण में सफल घोषित अभ्यर्थियों को आरक्षी आरमोरर के पद पर नियुक्ति एवं तैनाती हेतु आदेश पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्गत किया जायेगा। जो अभ्यर्थी प्रशिक्षण में असफल होंगे, उन्हे मूल संवर्ग में वापस कर दिया जायेगा।

8. पदोन्नति द्वारा भर्तीः–

1. **मुख्य आरक्षी आरमोरर के पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया–**
   मुख्य आरक्षी आरमोरर के शत–प्रतिशत पद ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, आरक्षी आरमोरर के पद से पदोन्नति द्वारा ऐसे आरक्षी आरमोररों में से भरें जायेंगे जो नियम–5 (ख) में निर्धारित अर्हतायें पूर्ण करते हों। पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्धारित अर्हतायें पूर्ण करने वाले ऐसे आरक्षी आरमोररों की निर्विवादित ज्येष्ठता सूची बोर्ड़ को उपलब्ध करायी जायेगी। बोर्ड़ द्वारा पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों की सूची विभागाध्यक्ष को उपलब्ध करायी जायेगी। विभागाध्यक्ष के अनुमोदन के उपरान्त नियुक्ति प्राधिकारी मुख्य आरक्षी आरमोरर के पदों पर पदोंन्नति के लिए अन्तिम आदेश निर्गत करेंगे।
2. **उप निरीक्षक आरमोरर के पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया–**
   उप निरीक्षक आरमोरर के शत–प्रतिशत पद ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए पदोन्नति द्वारा ऐसे मुख्य आरक्षी आरमोररो में से भरे जायेंगे जो नियम–5 (ग) में निर्धारित अर्हतायें पूर्ण करते हों। पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्धारित अर्हतायें पूर्ण करने वाले ऐसे मुख्य आरक्षी आरमोररों निर्विवादित ज्येष्ठता सूची बोर्ड़ को उपलब्ध करायी जायेगी। बोर्ड़ द्वारा पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों की सूची विभागाध्यक्ष को उपलब्ध करायी जायेगी। विभागाध्यक्ष के अनुमोदन के उपरान्त पुलिस उपमहानिरीक्षक (स्थापना) उप निरीक्षक आरमारर के पदों पर पदोन्नति के लिए अन्तिम आदेश निर्गत करेंगे।
3. **निरीक्षक आरमोरर के पद पर प्रोन्नति की प्रक्रिया–**
   निरीक्षक आरमोरर के शत–प्रतिशत पद ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुए पदोन्नति द्वारा ऐसे उप निरीक्षक आरमोरर में से भरे जायेंगे जो नियम–5 (घ) में निर्धारित अर्हतायें पूर्ण करतें हों। पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्धारित अर्हतायें पूर्ण करने वाले ऐसे उप निरीक्षक आरमोरर की निर्विवादित ज्येष्ठता सूची बोर्ड़ को उपलब्ध करायी जायेगी। बोर्ड़ द्वारा पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों की सूची विभागाध्यक्ष को उपलब्ध करायी जायेगी। विभागाध्यक्ष के अनुमोदन के उपरान्त पुलिस उपमहानिरीक्षक (स्थापना) निरीक्षक आरमोरर के पदों पर पदोन्नति के लिए अन्तिम आदेश निर्गत करेंगे।

9. चयन समितिः–

(क) आरक्षी आरमोरर के चयन एवं अन्य सभी पदों की पदोन्नति, के लिए बोर्ड़ द्वारा चयन समिति गठित की जायेगी।

(ख) समिति का अध्यक्ष बोर्ड़ द्वारा नामित होगा तथा जिस पदोन्नति के पद के लिये चयन समिति गठित हुई है उस पद के नियुक्ति प्राधिकारी से कनिष्ठ नही होगा। समिति में उपयुक्त पद का एक सदस्य विभागाध्यक्ष द्वारा नामित किये जायेंगा और समिति के शेष सदस्य विद्यमान शासनादेशों के अनुसार बोर्ड़ द्वारा नामित किये जायेंगे।

(ग) चयन समिति सफल अभ्यर्थियों की सूची अपनी संस्तुति सहित बोर्ड़ को प्रस्तुत करेगी। बोर्ड़ चयनित अभ्यथियों की सूची अपनी संस्तुति सहित विभागाध्यक्ष को अग्रसारित करेगा।

(घ) पदोन्नति हेतु चयनित अभ्यर्थियों की अंतिम सूची विभागाध्यक्ष के अनुमोदनोपरान्त बोर्ड़ द्वारा अपनी वेबसाइट तथा उत्तर प्रदेश पुलिस वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी।

10. बंध पत्र :– सेवा के सदस्यों से इस आशय का एक अनुबन्ध पत्र लिया जायेगा कि उनके अस्त्र शस्त्रों के अवैध व्यवहरण में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से लिप्त पाये जाने की दशा में अथवा किसी अन्य कारण से अपने मूल संवर्ग में वापस किये जाने पर उन्हें कोई आपत्ति नही होगी एवं इस नियमावली के अधीन धारित किसी भी पद पर मूल विभाग में अधिकार नही होगा।

भाग पांच – प्रशिक्षण, परिवीक्षा, स्थायीकरण एवं ज्येष्ठता अवधारण

11. प्रशिक्षण :– 1. संवर्ग मे उल्लिखित किसी पद पर चयन या पदोन्नति द्वारा नियुक्त कर्मी को प्रशिक्षण संस्थान में ऐसे प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने की अपेक्षा की जायेगी जैसा विभागाध्यक्ष द्वारा विहित किया जाये।

2. आरक्षी आरमोरर, मुख्य आरक्षी आरमोरर, उपनिरीक्षक आरमोरर, एवं निरीक्षक आरमोररों को प्रतिवर्ष होने वाला फायरिंग अभ्यास कराया जायेगा तथा पुलिस विभाग में प्रचलित शस्त्रों की मरम्मत एवं रख रखाव का प्रशिक्षण दिया जायेगां

12. आरमोररी से संबंधित सेना का ग्रेड़ कोर्स :–सेना के आरमोरर ग्रेड़–1 कोर्स, आरमोरर ग्रेड़–2 कोर्स, आरमोरर ग्रेड़–3 कोर्स, प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध सीटों के अनुसार सम्बन्धित पद के कर्मियों को वरिष्ठता के आधार पर प्रशिक्षण में भेजा जायेगा। उक्त प्रशिक्षण सम्पादित कराना पुलिस मुख्यालय का दायित्व होगा।

13. परिवीक्षाः– 1.सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

2. नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढाई जाय

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नही बढ़ायी जायेगी।

3. यदि परिवीक्षा अवधि या बढायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है, तो उसे उसके मौलिक पद पर यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है।

4. ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उप नियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जाय, किसी प्रतिकार का हकदार नही होगा।

5. नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

14. स्थायीकरणः– 1. इस नियम के उप नियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थाई कर दिया जायेगा, यदि–

(क) वह विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया हो ;

(ख) उसका कार्य एवं आचरण संतोषजनक बताया जाय; और

(ग) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय।

2. जहां उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नही है वहां उस नियमावली के नियम– 5 के उपनियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुये आदेश सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

15.ज्येष्ठता :– 1. सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार इस प्रतिबन्ध के साथ अवधारित की जायेगी कि किसी पूर्ववर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्ति पश्चातवर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्ति से ज्येष्ठ होगा।

2. पदोन्नति द्वारा नियुक्त कर्मियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बोर्ड़ द्वारा जारी चयन सूची के आधार पर निर्धारित की जायेगी। आरक्षी आरमोरर के पद पर चयन के अन्तर्गत एक चयन में चयनित कर्मियों की पारस्परिक ज्येष्ठता पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी ज्येष्ठता सूची के अनुसार होगी।

3. यदि किसी पद पर हुई भर्ती के सम्बन्ध में कोई सूची उपलब्ध नही है तो उस पद पर उस चयन के माध्यम से नियुक्त कर्मियों की ज्येष्ठता उनके उस पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अवधारित की जायेगी । अगर यह तिथि समान हो तो उनके उस पद पर भर्ती की तिथि से अवधारित की

जायेगी जिस पद से उनका चयन अथवा प्रोन्नति की गयी है। अगर यह तिथि भी समान है तो उस दशा में उनकी जन्मतिथि के आधार पर अवधारित की जायेगी। उपरोक्त सभी तिथियां समान होने की दशा में उनकी ज्येष्ठता हाईस्कूल प्रमाण पत्र में उल्लिखित नामों के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार अवधारित की जायेगी।

16. आरमोरर संवर्ग से पोषक संवर्ग में प्रत्यावर्तन :– सक्षम अधिकारी आरमोरर संवर्ग के किसी कर्मी के प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से अस्त्र शस्त्र के व्यवसाय में लिप्त पाये जाने अथवा किसी अन्य कारण से आरमरी के काम के लिये अनुपयुक्त पाये जाने पर, अपनी आख्या पुलिस महानिरीक्षक स्थापना को प्रेषित करेगा, जो उसे उसके मूल संवर्ग में प्रत्यावर्तित किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लेंगे। अगर किसी कर्मी को आरक्षी आरमोरर के पद से वापस किया जाता है तो उसे उसके लियन में आरक्षी के पद पर वापस भेजा जायेगा जहां वह अपनी मूल भर्ती की वरिष्ठता प्राप्त कर लेगा। आरमोरर संवर्ग में आरक्षी उच्चतर पद से वापस किये जाने की स्थिति में उसे उसके मूल संवर्ग में प्रत्यावर्तित किये जाते हैं जो पदावनित नही है। तो उनकी वरिष्ठता उपर्युक्त प्रकार से धारित पद के अनुसार अवधारित होगी। यह कार्यवाही सम्बन्धित कर्मी के विरुद्ध प्रचलित विभागीय/आपराधिक कार्यवाही पर कोई प्रभाव नही डालेगी।

भाग छ– वेतन, भत्ते आदि

17. वेतनमानः– 1. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

2. इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान निम्नानुसार दिये गये हैं :–

क्र0सं0	पद का नाम	वेतन बैण्ड	ग्रेड़–पे
1	निरीक्षक आरमोरर	वेतन बैण्ड–2 रु0 9300–34800	4600
2	उप निरीक्षक आरमोरर	वेतन बैण्ड–2 रु0 9300–34800	4200
3	मुख्य आरक्षी आरमोरर	वेतन बैण्ड–1 रु0 5200–20200	2400
4	आरक्षी आरमोरर	वेतन बैण्ड–1 रु0 5200–20200	2000

इसके अतिरिक्त सेवा के सदस्य राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत भत्ते पाने के हकदार होंगे।

भाग सात– अन्य उपबन्ध

18.सेवाकाल के दौरान वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण :– 1. प्रत्येक निरीक्षक आरमोरर, उप निरीक्षक आरमोरर एवं आरक्षी आरमोरर का प्रतिवर्ष स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाना अनिवार्य है।

2. सेवाकाल के दौरान यदि किसी सेवा के सदस्य को ऐसी बीमारियां हो जाती है, जो उसकी आरमोररी सम्बन्धी कार्य को विपरीत रूप से प्रभावित करती है, जैसे– मोतियाबिन्दु, ग्लूकोमा, किसी प्रकार की नर्वसनेस, पार्किन्सन, ट्रैमर्स आदि। ऐसे कर्मियों से आरमररी का कार्य कदापि नही लिया जायेगा तथा उन्हें मूल लियन में प्रत्यावर्तित किया जायेगा। अगर किसी कर्मी को आरक्षी आरमोरर के पद से वापस किया जाता है तो उसे उसके लियने में आरक्षी के पद पर वापस भेजा जायेगा जहां वह

अपनी मूल भर्ती की वरिष्ठता प्राप्त कर लेगा। आरमोरर संवर्ग में आरक्षी से उच्चतर पद से वापस किये जाने की स्थिति में उसे उसके मूल संवर्ग में समकक्ष पद पर इस प्रकार समायोजित कर दिया जायेगा, जो उसके आरमोरर संवर्ग में घारित पद से निम्नतर न होगा। यदि एक से अधिक कर्मी एक वर्ष में मूल संवर्ग में प्रत्यावर्तित किये जाते हैं जो पदवनित नही है, तो उनकी वरिष्ठता उपर्युक्त प्रकार से धारित पद के अनुसार अवधारित होगी।

19. पक्ष समर्थन :— किसी पद या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं अन्य सिफारिशों पर चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नही किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगां ।

20. अन्य विषयों विनियमन :— ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या नियमों, विनियमों एवं आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये विभिन्न नियमों, विनियमों और आदेशों के अनुसार शासित होंगे।

21. सेवा की शर्तों में शिथिलता :— जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले अन्य किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में असम्यक कठिनाई होती है, वहां वह उस मामले में लागू नियमों में से किसी बात के होते हुये भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

22. व्यावृत्ति :— इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नही पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय—समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

23. अध्यारोही प्रभाव :— 1. राज्य सरकार द्वारा बनाई गयी किसी अन्य नियमावली या जारी किये गये शासनादेश या प्रशासनिक अनुदेशों में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुये भी, इस नियमावली के उपबन्ध प्रभावी होंगे।

2. सेवा के सदस्यों के चयन, पदोन्नति, प्रशिक्षण, नियुक्ति, ज्येष्ठता अवधारण और स्थायीकरण आदि से सम्बन्धित या उनसे आनुषंगिक विषयों के सम्बन्ध में समय—समय पर जारी किये गये शासनदेश विखंडित और प्रतिसंहृत हो जायेंगे।

3. ऐसे विखण्डन के होते हुये भी प्रचलित नियमावली, शासनादेशों या प्रशासनिक अनुदेशों, जो इस नियमावली से असंगत न हों, के अधीन चयन, पदोन्नति, प्रशिक्षण, नियुक्ति, ज्येष्ठता अवधारण और स्थायीकरण आदि से सम्बन्धित लाभ इस नियमावली के अधीन स्वीकृत हुये समझे जायेंगे।

आज्ञा से,
देवाशीष पण्डा,
प्रमुख सचिव।

परिशिष्ट
(नियम 7 (ख) देखें)
कान्सटेबिल आरमोरर के पद पर चयन की प्रक्रिया

1.सेवाभिलेखः—

सेवाभिलेख के आधार पर अधिकतम 40 अंक दिये जा सकते हैं जो निम्न प्रकार हैः—

(क) सेवा अवधि	10 अंक
(ख) वार्षिक प्रविष्टि	20 अंक
(ग) पुरस्कार	05 अंक
(घ) पदक	05 अंक

2. सेवाभिलेख के विभिन्न मदों में अंक आवंटन के मापदण्ड—

(एक) सेवा अवधि के अनुसार अंक — अधिकतम 10 अंक (आरक्षी के रुप में पूर्ण की गई प्रत्येक 01 वर्ष की सेवा के लिये 01 अंक)

(दो) वार्षिक अभ्युक्ति पर अंक — विगत 10 वर्ष के वार्षिक मूल्यांकन पर कुल अधिकतम 20 अंक देय होंगे जो निम्नानुसार दिये जायेंगे :—

1.प्रत्येक आउटस्टैंडिंग/उत्कृष्ट/सर्वोच्च या सर्वोत्कृष्ट	2.0 अंक
2.प्रत्येक वेरीगुड/अति उत्तम/एक्सीलेन्ट	1.5 अंक
3.प्रत्येक गुड/उत्तम/बहुत अच्छा	1.0 अंक
4.प्रत्येक संतोषजनक/अच्छा अथवा औसत	0.5 अंक
5.प्रत्येक खराब/असंतोषजनक	0.0 अंक
नोटः— वार्षिक अभ्युक्त में उपरोक्त के अतिरिक्त शब्दावली में ग्रेडिंग हो अथवा ग्रेडिंग न हो वहां चयन समिति द्वारा सम्पूर्ण प्रविष्टि का अध्ययन किया जाएगा एवं उसका मूल्यांकन कर तद्नुसार अंक प्रदान किए जाएंगे।	

(तीन) पुरस्कार/सुप्रविष्टि पर अंक — अधिकतम 05 अंक

1. प्रत्येक नकद पुरस्कार/उत्तम प्रविष्टि पर — 05 अंक

(चार) पदक/सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह के लिये अंक — अधिकतम 05 अंक

1.महामहिम राष्ट्रपति का पुलिस पदक/वीरता पदक — 05 अंक

2.महामहिम राज्यपाल एवं मा0 मुख्यमंत्री का पुलिस पदक/वीरता पदक — 03 अंक

3.पुलिस महानिदेशक द्वारा प्रदत्त उत्कृष्ट/सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह/प्रशंसा चिन्ह के लिये — 02 अंक

3.सेवाभिलेख के मद में दण्डों के ऋणात्मक अंक की कटौती का मापदण्ड़ :—

ऋणात्मक अंक कटौती की अधिकतम सीमा (—) 10 अंक होगी।			
1	दीर्घ दण्ड़, नियम 14 (1)	प्रत्येक बृहद दण्ड़ के लिये	ऋणात्मक 03 अंक
2	लघु दण्ड़, नियम 14 (2)	प्रत्येक लघु दण्ड़ के लिये	ऋणात्मक 02 अंक
3	छुद्र दण्ड़	प्रत्येक छुद्र दण्ड़ के लिये	ऋणात्मक 0.5 अंक

4. **योग्यता सूची** :— भर्ती बोर्ड, उपरोक्तानुसार सेवाभिलेख में प्रत्येक आरक्षी द्वारा प्राप्त अंको के आधार पर योग्यता सूची तैयार करेगा। जहां दो या दो से अधिक आरक्षियों के समान अंक हों वहां उनकी श्रेष्ठता का निर्धारण आरक्षी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि एवं तत्पश्चात उनकी जन्मतिथि के अनुसार निर्धारित किया जायेगा। यदि नियुक्ति की तिथि व जन्मतिथि भी समान होती है तो हाईस्कूल के प्रमाण पत्र में उल्लिखित अंग्रेजी वर्णमाला में नाम के क्रम के अनुसार उनकी योग्यता (मेरिट) का निर्धारण किया जायेगा।

"उत्तर प्रदेश पुलिस समूह 'घ' कर्मचारी सेवा नियमावली–2009"

उत्तर प्रदेश सरकार, गृह (पुलिस) अनुभाग–2,
संख्या–1535 / छः–पु0–2–2009–1100(63)–09 लखनऊ दिनांक 28.08.2009

पुलिस अधिनियम 1861 (अधिनियम संख्या–5सन 1861) की धारा 2 और धारा 46 की उपधारा (2) और (3) के अधीन शक्ति और इस निमित्त समस्त अन्य समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके तथा इस निमित्त जारी समस्त विद्यमान नियमों का अधिक्रमण करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश पुलिस में समूह "घ" के कतिपय श्रेणियों की भर्ती और ऐसे पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते है :–

भाग एक – सामान्य

1.**संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** :–

1.यह नियमावली उत्तर प्रदेश पुलिस समूह 'घ' कर्मचारी सेवा नियमावली, 2009 कही जायेगी।
2.यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. इस नियमावली का लागू होना :– यह नियमावली नियम 5 में निर्दिष्ट समूह 'घ' के समस्त पदों नियम 3 के खण्ड़ (झ) में यथा परिभाषित समस्त अधीनस्थ सेवाओं पर लागू होगी।

3.परिभाषयें:– जब तक संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में:–

क. ''नियुक्ति प्राधिकारी'' का तात्पर्य समूह 'घ' पदो ंके सम्बन्ध में :–

(एक) जिला पुलिस के लिए प्रभारी जिला पुलिस अधीक्षक।
(दो) पीएसी वाहिनियों के लिए सेनानायक।
(तीन) यूनिट के लिए –पुलिस अधीक्षक प्रभारी युनिट अधिष्ठान।

ख. ''भारत का नागरिक'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय।

ग. ''संविधान'' का तात्पर्य भारत का संविधान से है।

घ. ''राज्यपाल'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है।

ड. ''सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है।

च. विभागाध्यक्ष का तात्पर्य पुलिस महानिदेशक / पुलिस महानिरीक्षक उत्तर प्रदेश से है।

छ. ''सेवा का सदस्य'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली के पूर्व प्रवृत्त होने के पूर्व या प्रचलित नियमों या आदेशों के उपबन्धों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्ति व्यक्ति से है।

ज. ''पुलिस मुख्यालय'' का तात्पर्य मुख्यालय, पुलिस महानिदेशक, एवं पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश लखनऊ/उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद से है।

झ. ''सेवा'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश पुलिस समूह 'घ' सेवा से है।

ञ. ''चयन समिति'' का तात्पर्य सेवा में पद पर नियुक्ति के लिये अभ्यर्थियों के चयन हेतु नियम 14 के अर्न्तगत गठित चयन समिति से है।

ट. ''मौलिक नियुक्ति'' का तात्पर्य सेवा संवर्ग में किसी पद पर ऐसे नियुक्ति से है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और सरकार द्वारा जारी नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गई हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किए गए कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो।

ठ. ''भर्ती का वर्ष'' का तात्पर्य उस कलेण्ड़र वर्ष से है जिससे भर्ती की जाय।

ड़. ''इकाई'' का तात्पर्य पुलिस संगठन की विभिन्न शाखाओं यथा अपराध अनुसंधान विभाग, एण्टीटेरिस्ट स्क्वायड, स्पेशल टास्र्क फोर्स, स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम, अभिसूचना, सुरक्षा एण्टीकरेप्शन आर्गेनाइजेशन आदि से है।

भाग दो– संवर्ग

4.सेवा का संवर्ग – 1. प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी शासन द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाये परन्तु यह कि नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरें हुये छोड़ सकता है या राज्यपाल किसी पद या समूह के पद को अस्थगित रख सकते है जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा।

2. सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या निम्न प्रकार होगी जब तक की उप नियम (1) के अधीन उसे परिवर्तित करने वाला आदेश पारित न हो।

क्रम सं0	पदों के नाम	पदों की संख्या
1	फालोअर/कुक/कहार	7887
2	दफ्तरी	118
3	धोबी	554
4	माली	98
5	बारबर	305
6	अर्दली चपरासी	2020
7	सफाई कर्मचारी	1386
8	भिस्ती	10
9	वाटर मैन	157
10	चौकीदार	44
11	संदेश वाहक	674
12	मोची	117

13	श्रमिक	15
14	पोर्टर	05
15	सईस	45
16	घास कटर	28
17	ग्राउन्डमैन	10
18	बुक बाइन्डर	02
19	नाविक/मल्लाह	06
20	कापिस्ट	17
21	बण्डल लिफ्टर	04
22	हास्टल अटेन्डेट	06
23	हाउस वियरर	01
24	टेबुल वियरर	04

भाग तीन – भर्ती

5.भर्ती का स्त्रोत– समूह 'घ' सेवा के विभिन्न श्रेणियों के पदों भर्ती निम्नलिखित स्त्रोतों से की जायेगी–

(क) अर्दली, प्यून, फालोआर, कुक, कहार, नाई, धोबी, मोची, सईस, संदेश वाहक, चौकीदार, माली ग्राउण्डमैन, फर्राश, सफाई कर्मी, भिश्ती, मल्लाह, ग्रासकटर, वाटरमैन, पोर्टर, बण्डल लिफ्टर, हास्टल अटेंडेण्ट, हाउस एवं टेबिल वियरर, और प्रत्येक अन्य गैर तकनीकी पद।	सीधी भर्ती
(ख) हेड़ प्यून	स्थायी प्यून/चौकीदार/श्रमिक/पोर्टर/हाउस वियरर/ टेबुल वियरर में से पदोन्नति द्वारा
(ग) हेड फालोअर/कुक/कहार	स्थायी कुक/कहार में से पदोन्नति द्वारा
(घ) दफ्तरी/जिल्दसाज/साइक्लोस्टाइल आपरेटर	अर्ह प्यून/संदेश वाहक/फर्राश, बण्डल, लिफ्टर में से पदोन्नति द्वारा
(ड.) हेड फर्राश	स्थायी फर्राश/ हास्टल अटेन्डेट में से पदोन्नति द्वारा
(च) मुख्य सफाईकर्मी	स्थायी सफाईकर्मी/भिस्ती में से पदोन्नति द्वारा
(छ) प्रधान माली	स्थायी माली/ ग्रास कटर/ ग्राउण्डमैन में से पदोन्नति द्वारा
(ज) प्रधान धोबी	स्थायी धोबी में से पदोन्नति द्वारा
(झ) प्रधान नाई	स्थायी नाई में से पदोन्नति द्वारा
(ञ) प्रधान मोची	स्थायी मोची में से पदोन्नति द्वारा
(ट) प्रधान वाटर मैन	स्थायी वाटरमैनों में से पदोन्नति द्वारा
(ठ) प्रधान साइस	स्थायी साइसों में से पदोन्नति द्वारा
(ड़) प्रधान नाविक	स्थायी नाविकों में से पदोन्नति द्वारा

भाग चार – अर्हतायें

6. आरक्षण :– अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण तत्समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार होगा।

7. राष्ट्रीयता :– सेवा में किसी भी श्रेणी के पद पर भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थीः

(क) भारत का नागरिक हो, या
(ख) तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो, या।
(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश–कन्या, युगांडा और युनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीवार) से प्रव्रजन किया हो;

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) (ग) का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी, कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक अभिसूचना शाखा उत्तर प्रदेश से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले।

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नही किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा, कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर लें।

टिप्पणीः– ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

8. आयुः– सेवा में पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु जिस वर्ष भर्ती की जानी हो उस वर्ष की पहली जुलाई को 18 वर्ष की आयु आवश्यक प्राप्त कर ली हो और 30 वर्ष से अधिक की आयु न प्राप्त हो;

परन्तु अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणीयों के जो सरकार द्वारा समय समय पर (अधिसूचित) की जाय अभ्यर्थियों के स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष बढा दी जाये जितनी विनिर्दिष्ट की जाये।

9. शैक्षिक अर्हतायें:– 1. नियम 5 (क) में उल्लिखित किसी पद पर भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने कम से कम कक्षा 5 की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

2. कोई व्यक्ति चतुर्थ श्रेणी के किसी पद पर नियुक्ति के लिए तभी पात्र होगा जब उसे विभागीय एवं पुलिस बल की आवश्यकताओं के दृष्टिगत उस पद के कार्य का अपेक्षित ज्ञान एवं समुचित अनुभव हो।

3. कोई व्यक्ति साईक्लोस्टाइल आपरेटर के रूप में या किसी अन्य पद पर जिसके लिए तकनीकी ज्ञान अपेक्षित हो, नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा, जब तक कि उसे अपेक्षित तकनीकी ज्ञान और विशिष्ट कार्य के संबंध में समुचित अनुभव न हो,

4. सेवा में प्रत्येक श्रेणी के पद पर यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी साईकिल चलाना जानता हो; परन्तु यह शर्त महिला अभ्यर्थियों पर लागू न होगी।

5. अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा जिसने प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो।

10.भूतपूर्व सैनिकों एवं अन्य श्रेणी के संबंध में शिथिलताः— भूतपूर्व सेनिकों, विकलांग सैन्य कर्मिको, युद्ध के दौरान शहीद हुए सैन्य कर्मिकों के आश्रितों , सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों और खिलाडियों के पक्ष में अधिकतम आयु सीमा शैक्षिक अर्हताऔर भर्ती के लिए प्रक्रिया संबंधी अपेक्षा में शिथिलता भर्ती के समय इस सरकार के सामान्य नियमों या आदेशों के अनुसार प्रदान की जायेगी।

11.चरित्रः— सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए ि कवह सेवा में नियुक्त के लिए सभी प्रकार से उपर्युक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी का यह कर्तव्य होगा ि कवह इस संबंध में अपना समाधान कर लें।

टिप्पणीः— राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति अधिष्ठान में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नही समझें जायेंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति भी पात्र नही होंगे।

12.वैवाहिक प्रास्थिति :— अधिष्ठान में नियुक्ति के लिए ऐसा कोई पुरूष अभ्यर्थी पात्र नही होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो, और ऐसी कोई महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से कोई पत्नी जीवित हो;

परन्तु राज्यपाल इस नियम के प्रर्वतन से किसी व्यक्ति को छूट दे सकते हैं। यदि उसका समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान है।

13.शारीरिक स्वस्थ्यता :— किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में तभी नियुक्त किया जायेगा जब मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो, और वह ऐसे सभी शारीरिक दोष से मुक्त हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षता पूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो।

किसी अभ्यर्थी को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिये अंतिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी ि कवह फाइनेन्सियल हैण्डबुक खण्ड़ दो भाग तीन में दिये गयें फण्डामेंटल रूल 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

भाग पांच – भर्ती की प्रक्रिया

14. चयन समिति का गठन :– सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के प्रयोजन के लिए चयन समिति का गठन निम्नलिखित रूप से किया जायेगाः–

1. जिलों के लिए

(एक) प्रभारी जिला पुलिस अधीक्षक – अध्यक्ष

(दो) प्रभारी उप पुलिस अधीक्षक स्थापना प्रभारी – सदस्य सचिव

(तीन) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों का कोई अधिकारी यदि अध्यक्ष अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों का न हों, यदि अध्यक्ष अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का हो, तो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछडे वर्गों से भिन्न कोई अधिकारी, जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा। – सदस्य

(चार) यदि अध्यक्ष अन्य पिछड़े वर्गों का न हो तो अन्य पिछडे वर्गों के किसी अधिकारी को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा। यदि अध्यक्ष अन्य पिछड़े वर्गों का हो तो अन्य पिछड़े वर्गों का अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से भिन्न कोई अधिकारी जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा।

2. **प्रान्तीय आर्म्ड कांस्टेबुलरी के लिए :–**

(एक) बटालियन कमाण्डेण्ट – अध्यक्ष

(दो) सहायक कमाण्डेण्ट स्थापना प्रभारी – सदस्य सचिव

(तीन) यदि अध्यक्ष अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का न हो तो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट बटालियन मुख्यालय के अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का कोई अधिकारी। यदि अध्यक्ष अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जातियों का हो तो बटालियन मुख्यालय के अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों से भिन्न कोई अधिकारी जिसे जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा – सदस्य

(चार) यदि अध्यक्ष अन्य पिछड़े वर्गों का न, हो तो बटालियन मुख्यालय के अन्य पिछड़े वर्गों के किसी अधिकारी को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा। यदि अध्यक्ष अन्य पिछड़े वर्गों का हो तो बटालियन मुख्यालय के अन्य पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से भिन्न कोई अधिकारी जिसे जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा – सदस्य

3. **यूनिट के लिएः–**

(एक) पुलिस अधीक्षक स्थापना प्रभारी – अध्यक्ष

(दो) उप पुलिस अधीक्षक स्थापना प्रभारी – सदस्य सचिव

(तीन) यदि अध्यक्ष अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का न हो तो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट यूनिट मुख्यालय के अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का कोई अधिकारी। यदि अध्यक्ष अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का ही हो तो यूनिट मुख्यालय के अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों से भिन्न कोई अधिकारी जिसे जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा – सदस्य

(चार) यदि अध्यक्ष अन्य पिछड़े वर्गों का न, हो तो यूनिट मुख्यालय के अन्य पिछड़े वर्गों के किसी अधिकारी को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा। यदि अध्यक्ष अन्य

पिछड़े वर्गों का हो तो यूनिट मुख्यालय के अन्य पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से भिन्न कोई अधिकारी जिसे जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा। —सदस्य

15. प्रतिवर्ष की जाने वाली भर्ती :—1. रिक्तियों के विद्यमान रहते हुए इस नियमावली के अधीन भर्ती के लिए चयन समस्त अधीनस्थ कार्यालयों के लिए किसी एक भर्ती वर्ष के अर्न्तगत एक बार किया जायेगा।

16.रिक्तियों को अवधारणा :— 1. जिला या बटालियन या यूनिट कार्यालय का प्रधान भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या का अवधारणा करेगा और उसकी सूचना चयन समिति के अध्यक्ष को देगा। यह विनिर्दिष्ट किया जायेगा कि अनुसूचित जाति और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों हेतु कितनी रिक्तियां आरक्षित की जायेंगी जिनके लिए समय समय पद निर्गत शासनादेशों के अनुसार आरक्षण किया जाना अपेक्षित हो।

2. रिक्तियों की सूचना उप नियम (1) के अधीन प्रति वर्ष जुलाई माह में दी जायेगा परन्तु जहां चयन समिति रिक्तियों की सूचना वर्ष के किसी अन्य माह में दिये जाने की अपेक्षा करे वहां सूचना तद्नुसार प्रेषित की जायेगी।

17. रिक्त की अधिसूचना :— जब रिक्तियों की सूचना प्राप्त कर ली जायेगी तक उक्त रिक्तियों की औपचारिक अधिसूचना निम्नलिखित रीति से की जायेगी।

(1) व्यापक प्रसार वाले दैनिक समाचार पत्र में विज्ञापन जारी करके।
(2) कार्यालय के सूचना पट पर सूचना चिपका कर या आकाशवाणी/दूरदर्शन और अन्य रोजगार समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन करके और
(3) रोजगार कार्यालय हेतु रिक्तियां अधिसूचत करके।

18. भर्ती की प्रकिया :—

1. (एक) जब दोनों ही सामान्य अभ्यर्थियों और आरक्षित अभ्यर्थियों जिनके लिए रिक्तियां शासनादेशों के अधीन आरक्षित की जानी वाली अपेक्षित हो, के नाम चयन समिति द्वारा प्राप्त कर लिये जायेंगे तब वह अभ्यर्थियों की दक्षता का मूल्यांकन करने हेतु संगत व्यवसाय के निमित्त परीक्षा आयोजित करेगी, परीक्षा हेतु अधिकतम अंक 90 होंगे।

(दो) परीक्षा की पद्धति और मानदण्ड़ वही होंगे जैसे चयन समिति द्वारा अवधारित किये जायें।

(तीन) चयन समिति विभिन्न पदों हेतु अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी लेगी। साक्षात्कार हेतु कुल अंक 10 होंगे।

2. चयनित किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या, चयनित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अधिक नही) होगी।

3. चयन सूची में नामों को परीक्षा, साक्षात्कार और वरीयता, यदि लागू हो, में दिये गये अंको के आधार पर रखा जायेगा।

4. क्रमशः सामान्य अभ्यर्थियों और आरक्षित अभ्यर्थियों की चयन सूचियों की दो प्रतियां तैयार की जायेगी। एक प्रति चयन समिति के सचिव के कार्यालय में रहेगी और अन्य प्रति चयन समिति के अध्यक्ष को प्रेषित कर दी जायेगी।

19.सामान्य सूची :– जब दोनों सामान्य और आरक्षित वर्गों के चयनित अभ्यर्थियों के नाम किसी विशेष कार्यालय में प्राप्त कर लिये जायें तब उन नामों को सामान्य सूची में रखा जायेगा। प्रथम नाम सामान्य अभ्यर्थियों की सूची में होगा तद्पश्चात आरक्षित अभ्यर्थियों की सूची से होगा और इसी प्रकार आगे भी होगा।

20. पदोन्नति की प्रक्रियाः–

1. समस्त पदो ंके संबंध में पदोन्नति का मानदण्ड़ अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता होगा।
2. किसी अभ्यर्थी को सोलह वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के पश्चात ही पदोन्नति हेतु उपयुक्त माना जायेगा।
3. नियम 14 के उप नियम (1),(2) और (3) में यथा गठित चयन समिति द्वारा चयन के माध्यम से पात्र अभ्यर्थियों के मध्य से उसी स्थापना के अर्न्तगत पदोन्नति की जायेगी।

भाग छः– नियुक्ति, प्रशिक्षण, परिवीक्षा स्थायीकरण और ज्येष्ठता

21. नियुक्तिः–

1. मौलिक रिक्तियों के उत्पन्न होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति नियम 19 या 20 के अधीन तैयार की गयी अभ्यर्थियों की सूची में से उनके नाम उस क्रम में लेकर जैसा कि सामान्य सूची में आये हों, नियुक्तियां करेगा।

2. नियुक्ति प्राधिकारी स्थानापन्न और अस्थाई रिक्तियों में भी उक्त सूची में से और उप नियम (1) में निर्दिष्ट रीति में नियुक्तियां करेगा।

3. किसी विशेष जिलें या पीएसी बटालियन या इकाई के लिए किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति सामान्य दशा में किसी अन्य स्थापना में स्थानान्तरित नही किया जायेगा।

विशिष्ट परिस्थितियों के अधीन शासन के पूर्वानुमोदन से स्थानान्तरण किया जा सकेगा।

22. प्रशिक्षणः–

1. रसोइया (कुक) के पद पर नियुक्ति प्रत्येक अभ्यर्थी को पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय से मान्यता प्राप्त पुलिस प्रशिक्षण संस्थान से 15 दिन की अवधि के लिये प्रशिक्षित होना आवश्यक है।

2. प्रत्येक रसोइयों को 3 वर्षों के प्रत्येक अंतराल पर पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय से मान्यता प्राप्त किसी प्रशिक्षण संस्थान से शासकीय व्यय पर 15 दिनों का पाक कला (कुकिंग) का पुनश्यचर्या पाठयक्रम अवश्य पूरा करना होगा।

3. सेवा में सभी अन्य कर्मचारियों को (सफाई कर्मकारों से भिन्न) पुलिस विभाग की आवश्यकतानुसार पाक कला, ड्रेस मेनटेनेन्स और अन्य सुसंगत विषयों में या विभागाध्यक्ष द्वारा यथा विनिश्चित रूप से, पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थाओं से 15 दिनों का प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक होगा।

23. परिवीक्षा :–

1. सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्ति किसी व्यक्ति को एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगाः–

परन्तु स्थापना में किसी पद पर स्थानापन्न या अस्थाई रूप से की गई निरंतर सेवा, पद के लिए परिवीक्षा की अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिनी जा सकती है।

परन्तु यह और कि नियुक्ति अधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेगे, अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक के लिए अवधि बढाई गयी है।

परन्तु यह भी कि परिवीक्षा अवधि 01 वर्ष से अधिक नहीं बढायी जायेगी।

2. यदि परिवीक्षा अवधि या बढायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अंत में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नही किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यत्र विफल रहा है व उसके मौलिक पद पर जिस पर उसका धारणाधिकार हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है जिसके लिए दोनों ही रिक्तियों में किसी प्रतिकर का हकदार नही होगा।

24. स्थायीकरणः– किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को यथास्थिति, परिवीक्षा अवधि या बढायी गयी परिवीक्षा अवधि के अंत में स्थायी कर दिया जायेगा यदि उसका कार्य और आचरण संतोषजनक पाया जाता है और नियुक्ति प्राधिकारी उसे स्थाईकरण के लिए उपयुक्त समझता है और उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाती है।

25. ज्येष्ठता – इसमें इसके प्श्चात उपबंधित के सिवाय किसी श्रेणी के पद में व्यक्तियों की ज्येष्ठता उनकी मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से अवधारित की जायेगी और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त हों तो उस क्रम में जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में व्यवस्थित किये गये है।

परन्तु यह कि यदि किसी नियुक्ति आदेश में कोई विशेष पिछला दिनांक विनिर्दिष्ट किया गया है जिस दिनांक से वह व्यक्ति मौलिक रूप से नियुक्ति हुआ है तो उस दिनांक को मौलिक

नियुक्ति का दिनांक माना जायेगा और अन्य मामलों में व आदेश निर्गत किये जाने का दिनांक माना जायेगा।

2. किसी एक चयन के परिणाम स्वरूप सीधे नियुक्ति व्यक्तियों की पारस्परिक ज्येष्ठता वही होगी जो चयन समिति द्वारा अवधारित की जाये।

परन्तु यह कि सीधे नियुक्त कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है यदि उसको रिक्ति प्रस्तावित किये जाने पर वह विधिमान्य कारणों के बिना कार्यभार करने में विफल रहता है। कारणों की विधि मान्यता के बारे में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।

3. पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक ज्येष्ठता वही होगी जैसी उस संवर्ग में थी जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया हो।

भाग सात – वेतन इत्यादि

26. वेतनमान :–1. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर, चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप में हो, नियुक्त व्यक्तियों को अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

2. इस नियमावली के प्रारम्भ के समय अनुमन्य वर्तमान वेतनमान निम्नवत है :–

क0सं0	पद का नाम	वेतन बैण्ड़	पे ग्रेड़
(क)	अर्दली प्यून, फालोवर/कुक/कहार, नाई, धोबी, मोची, सईस, संदेश वाहक, चौकीदार, माली, ग्राउण्डमैन, फर्राश, सफाईकर्मी, भिश्ती, मल्लाह ग्रासकटर, वाटरमैन, पोर्टर, बण्ड़ल लिफ्टर, हास्टल अटेण्डेण्ट, हाउस एवं टेबिल वियरर, और प्रत्येक अन्य गैर तकनीकी पद।	4440–7440	1300
(ख)	हेड़ प्यून	4440–7440	1400
(ग)	हेड फालोवर/कुक/कहार	4440–7440	1400
(घ)	दफ्तरी/जिल्दसाज/साइक्लोस्टाइल आपरेटर	4440–7440	1400
(ड.)	मुख्य फर्राश	4440–7440	1400
(च)	मुख्य सफाई कर्मी	4440–7440	1400
(छ)	प्रधान माली	4440–7440	1400
(ज)	प्रधान धोबी	1440–7440	1400
(झ)	प्रधान नाई	4440–7440	1400
(ञ)	प्रधान मोची	4440–7440	1400
(ट)	प्रधान वाटरमैन	4440–7440	1400
(ठ)	प्रधान सइस	4440–7440	1400
(ड़)	प्रधान नाविक	4440–7440	1400

27. परिवीक्षा अवधि में वेतन :–

1. सेवा में नियमित नियुक्ति के दिनांक से समय–समय पर यथा संशोधित नियम 26 के उप नियम (1) में यथा परिभाषित वेतन मान के अनुसार कोई व्यक्ति वेतन के लिए हकदार होगा।

2. फण्डामेंटल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूरी करली हो और द्वितीय वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसे स्थायी कर दिया गया हो।

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढायी जाय तो इस प्रकार बढायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

3. ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सेवा में कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेंटल रूल्स द्वारा विनियमित होगा।

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढायी जाय तो इस प्रकार बढायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए तब तक नही की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

4. ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग आठ– अन्य उपबन्ध

28. पक्ष समर्थनः– सेवा में पद पर लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्ही अन्य सिफारिशें पर चाहें लिखित हो या मौखिक विचार नही किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

29. अन्य विषयों का विनियमनः– ऐसे विषयों के संबंध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अर्न्तगत न आते हो, सेवा में किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति राज्य के क्रिया कलापों के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर समान्यता लागू नियमों, विनियमनों और आदेशों द्वारा शासित होंगे।

30. सेवा की शर्तों में शिथिलताः– जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रर्वतन से किसी विशिष्ट मामले में असम्यक् कठिनाई होती है, वहां वह उस मामले में लागू नियमों में से किसी बात के होते हुए भी आदेशों द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये, जिन्हे

वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

31. व्यावृत्ति :– इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण ओर अन्य रियायतों पर नही पड़ेगा जिनका इस संबंध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से ,
महेश कुमार गुप्ता,
सचिव

Separation of Sr. Public Prosecutors, Public Prosecutors and Assistant Public Prosecutors from Polic Force.

English translation of Grith (Police) Anubhag-2 Notification No. 2302/VIII-2-10-(10)-74,Dated March 27, 1974,published in U.P. Gazette, Extraordinary, dated 27th March,1974p.2

In exercise of the power under Section 2 of the Police Act, 1861 (Act V of 1861),read with Section 21 of the General Clauses Act,1861 (Act No X of 1897). and all other power enabling him in this behalf, the Governor is pleased to order that all the appointments of Senior public Prosecutors, Public Prosecutors and Assistant Public Prosecutors made under the Police Act,1861, shall cease with effect from April 1, 1974 and the said posts in the police establishment shall stand abolished and their incumbents shall cease to be officers enrolled under the police Act,1861.

2. The Governor further directs that the provisions of the police Regulations insofar as they provide for the senior Public Prosecutors, Public Prosecutors and Assistant Public Prosecutors forming part of the Police establishment and being police Officers be and are hereby repealed.

THE UTTAR PRADESH (APPOINTMENT OF ASSISTANT PUBLIC PROSECUTORS) RULES,1974

1.Short title and commencement-(1) These rules may be called the Uttar Pradesh (Appointment of Assistant Public Prosecutors) Rules.1974

(2) These rules shall come into force at once.

2. Absorption of existing SPPs, PPs and APPs in new service-

With effect from April 1,1974 the officers who immediately before that date held the post of senior public Prosecutors ,Public Prosecutors and Assistant Public Prosecutors, which stand abolished under Notification No.

2302/VIII-2-10(10)-74,dated March 27,1974 shall, unless by notices in writing to the State Government in the Home Department delivered by May 1, 1974, they opt otherwise, be absorbed in a new service consisting of the posts of Assistant Public Prosecutors mentioned in Section 25 of the Cr.P.C 1973 as follow.

(a) The officers who immediately before the said date held the post Senior Public Prosecutor shall be appointed by the State Government on the post of Assistant Public Prosecutor. Senior Grade and shall for administrative purposes be designated as Senior Prosecuting Officers.

(b) The officers who immediately before the said date held the post of Public Prosecutor shall be appointed by the state Government of the post of Assistant Public Prosecutor. First Grade and shall for administrative purposes be designated as Prosecuting Officers; and

(c) The officers who immediately before the said date held the post of Assistant Public Prosecutors shall be appointed by the State Government on the post of Assistant public Prosecutors, Second Grade and shall for administrative purposes be designated as Assistant Prosecuting Officers.

3. Fresh appointments not to adversely affect any officer-

Notwithstanding the fact that the appointments of officers mentioned in Rule 2 held by them before April 1974.ceased as mentioned in that Rule and fresh appointments are made under Rule2 the terms and conditions of service of these officers, including their pay and allowances and continuity of service shall remain unaffected.

4. Future appointments to the post of APPs, Senior Grade, First Grade and Second Grade- Future appointments to the posts of Assistant Public Prosecutors, Senior Grade. Assistant Public Prosecutors, First Grade and Assistant Public Prosecutors. Second Grade shall be made by the State

Government in accordance with such Rules of general orders as the State Government may, from time to time make in that behalf.

5.Disciplinary control over the Assistant public prosecutor-The immediate disciplinary control over the Assistant Public Prosecutors, Senior Grade. First Grade and Second Grade, shall be exercised by such authority or authorities in the district as the State Government may, from time to time, specify in that behalf and the inter se relationship between these officers shall be governed by such Rules or general orders as the State Government may from time to time, make in that behalf.

उत्तर प्रदेश अभियोजन अधिकारी सेवा नियमावली,1991

उत्तर प्रदेश सरकार गृह विभाग(पुलिस) अनुभाग–9
संख्या–3121/छः–पु0–9–31 एल/91–78 दिनांक 18 जून 1991

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल , उत्तर प्रदेश अभियोजन अधिकारी सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तो विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाये गये है :–

भाग एक–सामान्य

1–संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–(1) यह नियमावली ''उत्तर प्रदेश अभियोजन अधिकारी सेवा नियमावली,1991'' कही जाएगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी

2– **सेवा को प्रास्थिति**–उत्तर प्रदेश अभियेाजन अधिकारी सेवा एक राज्य सेवा है,जिसमें समूह ''क'' और ''ख" के पद समाविष्ट है।

3– **परिभाषायें–** जब तक विषय सा संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो,इस नियमावली में –

(क) नियुक्ति प्राधिकारी'' का तात्पर्य राज्यपाल से है।

(ख)'' भारत का नागरिक'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है,जो संविधान के भाग–दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाए।

(ग)''आयोग'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से है।

(घ)''संविधान'' का तात्पर्य '' भारत का संविधान'' से है।

(ड) ''महानिदेशक'' का तात्पर्य महानिदेशक अभियोजन,उत्तर प्रदेश से है।

(च) ''सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है।

(छ) '' राज्यपाल का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है।

(ज) ''सेवा का सदस्य का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियावली के या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रतृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति है **;**

(झ) ''ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी (ज्येष्ठवेतनमान)'' में उपनिदेशक अभियोजन सम्मिलित है**;**

(ञ) ''सेवा''का तात्पर्य उत्तर प्रदेश अभियोजन अधिकारी सेवा से है ;

(ट) ''मौलिक नियुक्ति'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्त न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो;

(ठ) ''भर्ती का वर्ष'' का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष को पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली वारह मास की अवधि से है।

भाग–दो संवर्ग

4–सेवा का संवर्ग– (1)सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जिनती सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाए।

(2) जब तक की उप नियम(1) के अधीन उसमें परिवर्तन करने के आदेश न दिये जाएं,सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या,उतनी होगी जितनी परिशिष्ट में दी गयी है;

परन्तु–

(1) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे अस्थगित रख सकते है,जिससे कोई व्रूक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा;

(2)राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पद सृजित कर सकते है,जिन्हे वह उचित समझें

भाग तीन– भर्ती

5–भर्ती का स्रोत– सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जाएगीः–

मूल नियम	*दिनांक 1.02.1994 द्वारा प्रतिस्थापित	**दिनांक 31.03.2010 द्वारा प्रतिस्थापित
(1) सहायक अभियोजन अधिकारी – सीधी भर्ती द्वारा (2) अभियोजन अधिकारी – मौलिक रूप से नियुक्त सहायक अभियोजन अधिकारियों में से पदोन्नति द्वारा (3) ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी (साधारण वेतनमान) – मौलिक रूप से नियुक्त अभियोजन अधिकारियों में से पदोन्नति द्वारा (4) ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी	(1)सहायक अभियोजन अधिकारी– सीधी भर्ती द्वारा (2)अभियोजन अधिकारी – मौलिक रूप से नियुक्त सहायक अभियोजन अधिकारियों में से,पदोन्नति द्वारा (3) ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी (साधारण वेतनमान्) –मौलिक रूप से नियुक्त अभियोजन अधिकारियों में से,पदोन्नति द्वारा (4) ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी (ज्येष्ठ	(1)सहायक अभियोजन अधिकारी–सीधी भर्ती द्वारा (2) अभियोजन अधिकारी–मौलिक रूप से नियुक्त सहायक अभियोजन अधिकारियों में से,जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में सात वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो,पदोन्नति द्वारा (3)ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी–मौलिक रूप से नियुक्त अभियोजन अधिकारियों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पॉच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो,पदोन्नति द्वारा (4) संयुक्त निदेशक/संयुक्त निदेशक

***उ0प्र0 अभियोजन अधिकारी सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली–1994 दिनांक 11.02.1994 द्वारा प्रतिस्थापित**
****उ0प्र0 अभियोजन अधिकारी सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली–2009 दिनांक 31.03.2010 द्वारा प्रतिस्थापित**

(ज्येष्ठ वेतनमान) – मौलिक रूप से नियुक्त ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारियों (साधारण वेतनमान) में से पदोन्नति द्वारा (5) संयुक्त निदेशक (विधि) – मौलिक रूप से नियुक्त ज्येष्ठ अभ्योजन अधिकारियों (ज्येष्ठ वेतनमान) में से पदोन्नति द्वारा	वेतनमान)मौलिक रूप से नियुक्त ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारियों (साधारण वेतनमान) में से,पदोन्नति द्वारा । (5) संयुक्त निदेशक (विधि) मौलिक रूप से नियुक्त ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारियों (ज्येष्ठ वेतनमान) में से,पदोन्नति द्वारा। (6) संयुक्त निदेशक अभियोजन मौलिक रूप से नियुक्त ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारियों(ज्येष्ठ वेतनमान) में से पदोन्नति द्वारा	(निदेशालय) मौलिक रूप से नियुक्त ज्येष्ठ अभियोजन अधिकरियों में से,जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो,पदोन्नति द्वारा (5) अपर निदेशाक (विधि) मौलिक रूप से नियुक्त संयुक्त निदेशकों में से,जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दो वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो,पदोन्नति द्वारा (6) अपर निदेशक–मौलिक रूप से नियुक्त संयुक्त निदेशकों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दो वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो,पदोन्नति द्वारा

6–आरक्षण – अनुसूचित जातियों,,अनुसूचित जन–जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार किया जाएगा।

भाग चार–अर्हताएं

7–राष्ट्रीयता – सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी –

(क) भारत का नागरिक हो;या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो,जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी,1962 के पूर्व भारत आया हो,या

(ग) भारतीय उदभव का कोई व्यक्ति भारत में स्थायी निवास करने के उद्देश्य से पाकिस्तान,वर्मा,श्रीलंका अथवा किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या/युगाण्डा,युनाइटेड रिपब्लिक आफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तंगाजिनया और जंजीबार) से भारत आया हो।

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) का अभ्यर्थी व्यक्ति होना चाहिये जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पाव्रता का प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया हो :

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह उप महानिरीक्षक,अभिसूचना शाखा उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर ले:

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी–ग का हो तो पाव्रता का प्रमाण पव्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को 01 वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा िकवह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी—ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण—पत्र आवश्यक हो,किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इंकार किया गया हो,किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण—पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाए।

8— शैक्षिक अर्हता—सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक की उपाधि होना चाहिये।

9—अधिमानी अर्हता— अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा,जिसने—

(एक) प्रदेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूतमक अवधि तक सेवा की हो;

(दो) राष्ट्रीय कैडट कोर का ''बी'' प्रमाण—पत्र प्राप्त किया हो।

10— आयु —

मूल नियम	*दिनांक 31.03.2010 द्वारा प्रतिस्थापित
सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु भर्ती के वर्ष प्रथम दिवस को,जिसमें सीधी भर्ती आयोग द्वारा रिक्तियां विज्ञापित की जाएं, इक्कीस वर्ष की होनी चाहिए और बत्तीस वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए : परन्तु अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जन—जातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों को जो सरकार द्वारा समय—समय पर अधिसूचित की जाएं,अभ्यर्थियों की दशा में उच्च्तर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी,जितनी विनिर्दिष्ट की जाए।	सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की,जिसमें सीधी भर्ती के लिए आयोग द्वारा रिक्तियॉ विज्ञापित की जायं,पहली जुलाई को इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और पैंतीस वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो,परन्तु अनुसूचित जातियों,जनुसूचित जन—जातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के,जो सरकार द्वारा समय—समय पर अधिसूचित की जाए,अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

11— चरित्र — सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में नियोजन के लिए सभी प्रकार से उपुयक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी—संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

12—वैवाहिक प्रास्थिति — सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्निया जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया को , जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो :

***उ0प्र0 अभियोजन अधिकारी सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली—2009 दिनांक 31.03.2010 द्वारा प्रतिस्थापित**

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है,यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान हैं।

13– शारीरिक स्वस्थता – किसी अभ्यर्थी को सेवा के किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी की सीधी नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे चिकित्सा बोर्ड की परीक्षा में उर्त्तीण होने की अपेक्षा की जाएगी :

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण–पत्र की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

भाग पॉच– भर्ती की प्रकिया

14–रिक्तियों का अवधारण–नियुक्ति प्राधिकारी,वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम–6 के अधीन अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जन–जातियों और अन्य श्रेणिों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। सहायक अभियोजन अधिकारी के पद की रिक्तियों आयोग को सूचित की जायेंगी।

15– सीधी भर्ती की प्रकिया –

(1) सहायक अभियोजन अधिकारियों के पदो के लिये प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के लिये आयोग द्वारा विज्ञापन में विहित प्रत्र में आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जायेगे।

(2) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश–पत्र न हो।

(3) आयोग लिखित परीक्षा का परिणाम प्राप्त होने ओर सारणीबद्ध कर लिये जाने के पश्चात् नियम–6 के अधीन अनुसूचित जातियों,अनु सूचित जन–जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिये बुलायेगा जितने इस सम्बन्ध में लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर आयोग द्वारा निर्धारित स्तर तक पहुॅच सके हों। साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को दिये गये अंक लिखित परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त अंकों में जोड़ दिये जायेंगे।

मूल नियम	दिनांक 31.03.2010 द्वारा प्रतिस्थापित
(4)आयोग अभ्यर्थियों की योग्यता के क्रम में,जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के योग से प्रकट हो,एक सूची तैयार करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी योग में बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में अपेक्षाकृत अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25	(4)आयोग अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम में,जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के योग से प्रकट हो,एक सूची तैयार करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी योग में बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में भी बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो आयु में ज्येष्ठ

****उ0प्र0 अभियोजन अधिकारी सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली–2009 दिनांक 31.03.2010 द्वारा प्रतिस्थापित**

प्रतिशत से अनधिक) होगी। आयोग नियुक्ति प्राधिकारी की सूची अग्रसारित कर देगा।	अभ्यर्थी को सूची में ऊपर रखा जाएगा। आयोग नियुक्त प्राधिकारी को सूची अग्रसारित करेगा।

16– चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया –

मूल नियम	*दिनांक 11.02.1994 द्वारा प्रतिस्थापित	**दिनांक 31.03.2010 द्वारा प्रतिस्थापित
1) अभियोजन अधिकारी के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से की जायेगी जिसमें निम्नलिखित होंगे– (एक) – गृह सचिव,उत्तर प्रदेश सरकार– अध्यक्ष (दो) – विधि परामर्शी,उत्तर प्रदेश सरकार या उनका नाम निर्दिष्ट व्यक्ति जो संयुक्त विधि परामर्शी के स्तर से नीचे का न हो – सदस्य (तीन) महानिदेशक – सदस्य	(1)अभियोजन अधिकारी के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए,ज्येष्ठता के आधार पर,चयन समिति के माध्यम से की जायगी,जिसमें निम्नलिखित होंगेः– (एक) सचिव,उत्तर प्रदेश सरकार गृह विभाग – अध्यक्ष (दो) विधि परामर्शी उत्तर प्रदेश सरकार या उनका नाम निर्दिश्ट व्यक्ति जो संयुक्त विधि परामर्शी के स्तर से नीचे का न हो,–सदस्य (तीन)सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार कार्मिक विभाग या उनका नाम निर्दिश्ट व्यक्ति जो संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे का न हो– सदस्य (चार)महानिदेशक–सदस्य	(1)अभियोजन अधिकारियों के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड नियमावली–1994 में दिये गये मानदण्डों के आधार पर चयन समिति के माध्यम से की जाएगी,जिसमें निम्नलिखित होंगेः– (एक) गृह विभाग में सरकार के प्रमुख सचिव – अध्यक्ष (दो) सरकार के विधि परामर्शी या उनका नाम निर्दिष्ट व्यक्ति जो संयुक्त विधि परामर्शी के स्तर से नीचे का न हो, –सदस्य (तीन) कार्मिक विभाग में सरकार के सचिव, या उनका नाम निर्दिश्ट व्यक्ति जो संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे का न हो – सदस्य (चार)महानिदेशक –सदस्य टिप्पणी – चयन समिति में अनुसूचित जातियों/अनूसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछडे वर्गो को प्रतिनिधित्व देने के लिये अधिकारियों का नाम निर्देशन समय समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनूसूचित जनजातियों और पिछडे वर्गो के लिये आरक्षण) अधिनियम–1984 की धारा–7 के अधीन किये गये आदेशों के अनुसरण में किया जायेगा।
(2) ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी (साधाण वेतनमान) और ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी (ज्येष्ठ वेतनमान) के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से की जायेगी,जिसमें निम्नलिखित होंगेः	(2)ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी(साधारण वेतनमान) ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी(ज्येष्ठ वेतनमान), संयुक्त निदेशक अभियोजन, संयुक्त निदेशक(विधि) के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती,अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए,ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से की	2)ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी, संयुक्त निदेशक/संयुक्त निदेशक(निदेशालय), अपर निदेशक और अपर निदेशक(विधि) के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती समय–2 पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिये मानदण्ड नियमावली–1984 में दिये गये

*उ0प्र0 अभियोजन अधिकारी सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली–1994 दिनांक 11.02.1994 द्वारा प्रतिस्थापित

**उ0प्र0 अभियोजन अधिकारी सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली–2009 दिनांक 31.03.2010 द्वारा प्रतिस्थापित

(एक)गृहसचिव उत्तर प्रदेश सरकार – अध्यक्ष (दो) विधि परामर्शी,उत्तर प्रदेश सरकार – सदस्य (तीन) सचिव,उत्तर प्रदेश सरकार कार्मिक विभाग या उनका नाम निर्दिष्ट व्यक्ति जो संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे का न हो – सदस्य (चार) – महानिदेशक – सदस्य	जायगी,जिसमें निम्नलिखित होंगेः (एक) सचिव,उत्तर प्रदेस्स सरकार गृह विभाग– अध्यक्ष (दो) विधि परामर्शी उत्तर प्रदेश सरकार या उनका नाम निर्दिष्ट व्रूक्ति,जो संयुक्त विधि परामर्शी के स्तर से नीचे का न हो – सदस्य (तीन)सचिव,उत्तरप्रदेश सरकार,कार्मिक विभाग या उनका नाम निर्दिश्ट व्यक्ति जो संयुक्त सचिव के स्तर के नीचे का न हो– सदस्य (चार) महानिदेशक–सदस्य,	मानदण्डों के आधार चयन समिति के माध्यम से की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित होगें :– (एक) गृह विभाग में सरकार के प्रमुख सचिव,– अध्यक्ष (दो) सरकार के विधि परामर्शी या उनका नाम निर्दिष्ट व्यक्ति,जो संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे का न हो – सदस्य (तीन) कार्मिक विभाग में सरकार के सचिव या उनका निर्दिष्ट व्यक्ति, जो संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे का न हो– सदस्य (चार)महानिदेशक अभियोजन– सदस्य **टिप्पणी** – चयन समिति में अनुसूचित जातियों/अनूसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछडे वर्गो को प्रतिनिधित्व देने के लिये अधिकारियों का नाम निर्देशन समय समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनूसूचित जनजातियों और पिछडे वर्गो के लिये आरक्षण) अधिनियम–1984 की धारा–7 के अधीन किये गये आदेशों के अनुसरण में किया जायेगा।

3– नियुक्त प्राधिकारी अभ्यर्थियों की पात्रता सूची उत्त्र प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्ति पात्रता सूची नियमावली,1986 के अनुसार तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजिकाओं और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ जो उचित समझे जाएं,सुसंगत चयन समिति के समक्ष रखेगा।

4– चयन समिति उपनियम (3) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

5– चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों की एक सूची चयन के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

17– आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया –

मूल नियम	नियम का निकाला जाना दिनांक 11.02.1994
संयुक्त निदेशक(विधि) के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली,1970 के अनुसार श्रेष्ठता के आधार पर की जायेगी।	नियमावली का नियम–17 निकाल दिया जाएगा

भाग– छः नियुक्ति,परिवीक्षा , प्रशिक्षण,स्थायीकरण और ज्येष्ठता

18– नियुक्ति – (1) रिक्तियॉ होने पर नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नामों को उसी क्रम में लेकर जिसमें उनके नाम यथास्थिति नियम 15,16 या 17 के अधीन तैयार की गयी सूचियों में हो,नियुक्तियॉ करेगा।

(2) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जाएं तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा जैसा कि यथास्थिति चयन में अवधारित की जाए या जैसी कि उस संवर्ग में हो जिससे उन्हें पदोन्नत किया जाए।

19– परिवीक्षा – (1)सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से,जो अभिलिखित किये जायेगे,अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है,जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायगा, जब तक परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जायः

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय,परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग,नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मैालिक पद पर,यदि कोई हो,प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है।

(4) उपनियम(3) के अधीन जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति को प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायं,वह किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर की गयी निरन्तर सेवा की परिवीक्षा अवधि की संगणना के प्रयोजन के लिये गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

20– प्रशिक्षण–सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर नियुक्त किसी व्यक्ति से परिवीक्षा अवधि के दौरान पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र,मुरादाबाद या ऐसे अन्य स्थान पर,जैसा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विनिश्चित किया जाए,छः मास का प्रशिक्षण प्राप्त करने की अपेक्षा की जायेगी।

21– स्थायीकरण– (1) उपनियम(2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा,यदि –

(क) उसने विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया हो
(ख) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाए;
(ग) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय और
(घ) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायीकरण के लिये अन्यथा उपयुक्त है।
(2) जहां, उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली,1991 के उपबन्धों के अनुसार,स्थायीकरण आवश्यक न हो तो वहां उस नियमावली के नियम–5 के उप नियम(3) के अधीन घोषणा करते हुये यह आदेश कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा सफलतापूर्वक पूरी कर ली है,स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

22– ज्येष्ठता– किसी श्रेणी के पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

भाग–सात वेतन इत्यादि

23– वेतनमान –

<table>
<tr><th>मूल नियम</th><th>*दिनांक 11.02.1994 द्वारा प्रतिस्थापित</th></tr>
<tr><td>23(1)–सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप में या अस्थायी आधार पर निम्न व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर विहित किया जाये।
(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान निम्न प्रकार है :–
<table>
<tr><th>पदनाम</th><th>वेतनमान</th></tr>
<tr><td>सहायक अभियोजन अधिकारी</td><td>2,000–60–2,300–द. रो–75–3,200</td></tr>
<tr><td>अभियोजन अधिकारी</td><td>2,375–75–3,200–द. रो–100–3,500</td></tr>
<tr><td>ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी(साधारण वेतन–मान)</td><td>2,200–75–2800–द. रो–100–4,000</td></tr>
<tr><td>ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी (ज्येष्ठवेतनमान)</td><td>3,000–100–3,500–125–4,500</td></tr>
<tr><td>संयुक्त निदेशक (विधि)</td><td>3,700–125–4,700–150–5,000</td></tr>
</table></td>
<td>नियम–23(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर,चाहे मोलिक या स्थानापन्न रूप में या अस्थायी आधार पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान् ऐसा होगा,जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।
(2) उत्तर प्रदेश अभियोजन अधिकारी सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली 1994 के प्रारम्भ के समय के वेतनमान निम्न प्रकार है :–
<table>
<tr><th>पदनाम</th><th>वेतनमान</th></tr>
<tr><td>सहायक अभियोजन अधिकारी</td><td>2,000–60–2,300–द. रो–75–3,200</td></tr>
<tr><td>अभियोजन अधिकारी</td><td>2,375–75–3,200–द. रो–100–3500</td></tr>
<tr><td>ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी(साधारण वेतनमान)</td><td>2,200–75–2800–100–4,000</td></tr>
<tr><td>ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी(ज्येष्ठवेतनमान)</td><td>3,000–100–3,500–125–4,500</td></tr>
<tr><td>संयुक्त निदेशक (विधि)</td><td>3,700–125–4,700–150–5,000</td></tr>
<tr><td>संयुक्त निदेशक अभियोजन</td><td>3,700–125–4,700–द. रो–150–5,000</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

***उ0प्र0 अभियोजन अधिकारी सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली–1994 दिनांक 11.02.1994 द्वारा प्रतिस्थापित**

***दिनांक 31.03.2010 द्वारा प्रतिस्थापित**

नियम–23(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान् ऐसा होगा,जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(2) उत्तर प्रदेश अभियोजन अधिकारी सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली–2009 के प्रारम्भ के समय के वेतनमान निम्न प्रकार है :–

पदनाम	वेतनमान		
	वेतनवैण्ड का नाम	तत्सदृश वेतन वैण्ड (रू0)	तत्सदृश ग्रेड वेतन (रू0)
सहायक अभियोजन अधिकारी	वेतन वैण्ड–2	9300–34800	4200
अभियोजन अधिकारी	वेतन बैण्ड–3	15600–39100	5400
ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी	वेतन बैण्ड–3	15600–39100	6600
संयुक्त निदेशक/संयुक्त निदेशक (निदेशालय)	वेतन बैण्ड–3	15600–39100	7600
अपर निदेशक	वेतन बैण्ड–4	37400–67000	8700
अपर निदेशक (विधि)	वेतन बैण्ड–4	37400–67000	8700

24–परिवीक्षा अवधि में वेतन –

(1) फण्डामेण्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुये भी,किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को,यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो,विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो जहॉ विहित हो प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो ओर द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो ओर उसे स्थायी भी कर दिया गया हो:

परन्तु यदि सन्तोष प्रदान न करने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जायगी जब तक की नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें।

(2)ऐसे व्यक्ति का,जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो,परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेन्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगा :

परन्तु यदि सन्तोष प्रदान न करने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना ,वेतनवृद्धि के लिये नहीं की जायगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।

(3)ऐसे व्यक्ति का,जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो,परिवीक्षा अवधि में वेतनराज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमति होगा।

25–दक्षतारोक पार करने का मानदण्ड–किसी व्यक्ति को दक्षतारोक पार करने की अनुमति नहीं दी जायगी जब तक कि उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक न पाया जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाए।

***उ0प्र0 अभियोजन अधिकारी सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली–2009 दिनांक 31.03.2010 द्वारा प्रतिस्थापित**

भाग—आठ—अन्य उपबन्ध

26—पक्ष समर्थन —किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर,चाहे लिखित हो या मौखिक,विचार नहीं किया जायगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

27—अन्य विषयों का विनिमन—ऐसे विषयों के सम्बन्ध में,जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों,सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर समान्यतया लागू नियमों,विनियमों ओर आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

28— सेवा की शर्तो में शिथिलता—जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तो को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रबर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है वहां वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए,जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है :

परन्तु जहां नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो वहां उस नियम की अपेक्षाओं की अभियुक्त या शिथिल करने के पूर्व उस निकाय से परामर्श किया जायगा।

29— व्यावृत्ति— इस नियमावली में किसी बात का ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जिनकी सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये व्यवस्था करना अपेक्षित हो।

————————

————————

परिशिष्ट

(नियम 4(2) देखिये)

उत्तर प्रदेश अभियोजन अधिकारी सेवा में प्रत्येक श्रेणी की सदस्य संख्या और पदों की संख्या

मूल नियम					*दिनांक 11.02.1994 द्वारा प्रतिस्थापित				**दिनांक 31.03.2010 द्वारा प्रतिस्थापित			
क.	पदनाम	स्थायी	अस्थायी	योग	पदनाम	स्थायी	अस्थायी	योग	पदनाम	स्थायी	अस्थायी	योग
(1)	संयुक्त निदेशक (विधि)	—	1	1	संयुक्त निदेशक (विधि)	—	1	1	अपर निदेशक (विधि)	01	—	01
(2)	ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी (ज्येष्ठवेतनमान)	5	23	28	संयुक्त निदेशक अभियोजन	—	11	11	अपर निदेशक	05	07	12
(3)	ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी (साधारण वेतनमान)	13	77	90	ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी (ज्येष्ठ वेतनमान)	1	16	17	संयुक्त निदेशक / संयुक्त निदेशक (निदेशालय)	03	15	18
(4)	अभियोजन अधिकारी	84	125	209	ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी (साधारण वेतनमान)	13	77	90	ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी	51	51	102
(5)	सहायक अभियोजन अधिकारी	704	204	908	अभियोजन अधिकारी	84	127	211	अभियोजन अधिकारी	94	125	219
(6)	—	—	—	—	सहायक अभियोजन अधिकारी	704	205	909	सहायक अभियोजन अधिकारी	725	178	903
	योग	**806**	**430**	**1236**		**802**	**437**	**1239**		**879**	**376**	**1255**

आज्ञा से

कुवर फतेह बहादुर

प्रमुख सचिव

*उ0प्र0 अभियोजन अधिकारी सेवा नियमावली (प्रथम संशोधन) नियमावली 1994 दिनांक 11.02.1994 द्वारा प्रतिस्थापित

*उ0प्र0 अभियोजन अधिकारी सेवा नियमावली (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2009 दिनांक 31.03.2010 द्वारा प्रतिस्थापित

" उत्तर प्रदेश होमगार्ड सेवा नियमावली, 1982"

उत्तर प्रदेश सरकार नागरिक सुरक्षा अनुभाग

संख्या–4925/सत्ताइस–43 प्रकीर्ण–1972 लखनउ ,23 अक्टूबर, 1972

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल , उत्तर प्रदेश होमगार्ड सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते है :–

भाग एक–सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश होमगार्ड सेवा नियमावली, 1982 कही जायेगी

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति–2–

मूल नियम	*दिनांक 25.11.1988 द्वारा प्रतिस्थापित
उत्तर प्रदेश होमगार्ड सेवा एक राज्य सेवा है जिसमें समूह ''ख'' के पद समाविष्ट है	उत्तर प्रदेश होमगार्ड सेवा एक राज्य सेवा है जिसमें समूह " क" और ''ख'' के पद समाविष्ट है

परिभाषाएं–3–जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में –
क–''नियुक्ति प्राधिकारी' का तात्पर्य राज्यपाल से है ,

ख–'भारत का नागरिक' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय,

ग–कमाण्डेण्ट'' के अर्न्तगत जिला कमाण्डेण्ट, कमाण्डेण्ट जिला प्रशिक्षण केन्द्र कमाण्डेण्ट नगर होमगार्ड और कनिष्ठ स्टाफ अधिकारी भी है :

*****ग–1–"प्रान्तीय कमाण्डेण्ट का तात्पर्य प्रभागीय कमाण्डेण्ट होमगार्ड से है और इसके अर्न्तगत ज्येष्ठ स्टाफ अधिकारी और कमाण्डेण्ट केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान भी है"

घ–'कमाण्डेण्ट जनरल' का तात्पर्य कमाण्डेण्ट जनरल, होमगार्ड, उत्तर प्रदेश से हैः

ड–''आयोग''–का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से हैः

******ड–'डिप्टी कमान्डेन्ट जनरल' का तात्पर्य डिप्टी कमान्डेन्ट जनरल, होमगार्डः उत्तर प्रदेश से है।

***उ0प्र0 होमगार्ड सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली–1988 दिनांक 25.11.1988 द्वारा प्रतिस्थापित**
****उ0प्र0 होमगार्ड सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली–1996 दिनांक 12.03.1996 द्वारा बढाया गया**

च–'' सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है :

छ–''राज्यपाल''का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है :

ज–''होमगार्ड'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के होमगार्ड से है :

झ–''सेवा का सदस्य'' का तात्पर्य सेवा के सवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारभ्भ होने के पूृव प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से हैः

ञ–''सेवा'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश होमगार्ड सेवा से है :

ट–''मौलिक नियुक्ति '' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो ओर नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशो द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो ,

ठ–''भर्ती का वर्ष'' का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारभ्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है ।

भाग दो–संवर्ग

सेवा का सम्वर्ग– 4–1–सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय् ।

2–जब तक कि उपनियम 1– के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जाये सेवा की सदस्य संख्या ओर उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदो की संख्या उतनी होगी जितनी नीचे दी गयी है :–

मूल नियम	*दिनांक 25.11.1988 द्वारा प्रतिस्थापित	**दिनांक 12.03.1996 द्वारा प्रतिस्थापित
कनिष्ठ स्टाफ अधिकारी : 2 जिला 'कमाण्डेट : 50 **कमाण्डेण्ट जिला प्रशिक्षण केन्द्र** श्रेणी ''क'' और ''ख'' : 8 कमाण्डेण्ट , नगर होमगार्ड : 4 (एक) राज्यपाल किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड सकते है या उसे आस्थगित रख सकते है जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा, या (दा) वे ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदो का सृजन कर सकते है जिन्हें वह उचित समझे ।	समूह'क' 1–प्रभागीय कमाण्डेण्ट – : 12 2– ज्येष्ठ स्टाफ अधिकारी : 01 3–कमाण्डेन्ट केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान : 01 **योगः**–14 समूह''ख' 1– जिला कमाण्डेण्ट : 56 2– नगर कमान्डेन्ट : 04 3– कनिष्ठ स्टाफ अधिकारी : 02 4– कमाण्डेण्ट जिला–प्रशिक्षण केन्द्र (श्रेणी क और ख) : 12 **योगः** 74 परन्तु :– (एक)राज्यपाल किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड सकते है या उसे आस्थगित रख सकते हैं जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर	समूह'क' 1–डिप्टी कमाण्डेण्ट जनरल : 01 2–प्रभागीय कमाण्डेण्ट – : 13 3– ज्येष्ठ स्टाफ अधिकारी : 01 4–कमाण्डेन्ट केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान : 01 **योगः**–16 समूह''ख' 1– जिला कमाण्डेण्ट : 63 2– नगर कमान्डेन्ट : 03 3– कनिष्ठ स्टाफ अधिकारी : 02 4– कमाण्डेण्ट जिला–प्रशिक्षण केन्द्र (श्रेणी क और ख) : 12 **योगः** 80 परन्तु :– (एक)राज्यपाल किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड सकते है या उसे

***उ0प्र0 होमगार्ड सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली–1988 दिनांक 25.11.1988 द्वारा प्रतिस्थापित**

****उ0प्र0 होमगार्ड सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली–1996 दिनांक 12.03.1996 द्वारा प्रतिस्थापित**

	का हकदार नहीं होगा, ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते है जिन्हें वह उचित समझे''।	आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा या (दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते है जिन्हें वह उचित समझे।

*दिनांक 13.03.2009 द्वारा प्रतिस्थापित	**दिनांक 21.01.2015 द्वारा प्रतिस्थापित
समूह'क' 1–डिप्टी कमाण्डेण्ट जनरल : 04 2–प्रभागीय कमाण्डेण्ट – : 11 3– ज्येष्ठ स्टाफ अधिकारी : 01 **योगः**–16 समूह''ख' 1– जिला कमाण्डेण्ट : 63 2– नगर कमान्डेन्ट : 03 3– कनिष्ठ स्टाफ अधिकारी : 02 4– कमाण्डेण्ट जिला–प्रशिक्षण केन्द्र : 12 (श्रेणी "क " और " ख ") **योगः** 80 परन्तु :– (एक) किसी रिक्त पद को राज्यपाल बिना भरे हुए छोड सकते है या उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा या (दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते है जिन्हें वह उचित समझे। टिप्पणी :– ऊपर सभी पदों और उनके पदधारी को नियुक्त प्राधिकारी के विनिश्चय के अनुसार सम्पूर्ण राज्य में स्थानान्तरित किया जायेगा।	समूह'क' 1–डिप्टी कमाण्डेण्ट जनरल : 04 2–प्रभागीय कमाण्डेण्ट – : 16 3– ज्येष्ठ स्टाफ अधिकारी : 01 **योगः**–21 समूह''ख' 1– जिला कमाण्डेण्ट : 74 2– नगर कमान्डेन्ट : 03 3– कनिष्ठ स्टाफ अधिकारी : 02 4– कमाण्डेण्ट प्रभागीय प्रशिक्षण केन्द्र : 11 (श्रेणी "क " और " ख ") **योगः** 90 परन्तु यह कि :– (एक) किसी रिक्त पद को नियुक्ति प्राधिकारी बिना भरे हुये छोड सकते है या राज्यपाल उसे अस्थगित रख सकते है जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा। या (दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते है जिन्हें वह उचित समझे। टिप्पणी :– ऊपर सभी पदों और उनके पदधारी को नियुक्त प्राधिकारी के विनिश्चय के अनुसार सम्पूर्ण राज्य में स्थानान्तरित किये जा सकेगें।

भाग–तीन–भर्ती

भर्ती के श्रोत– 5– सेवा में विभिन्न श्रेणियों' के पदो पर भर्ती निम्नलिखित श्रोतो की जायेगीः–

मूल नियम	***दिनांक 25.11.1988 द्वारा प्रतिस्थापित
एक– आयोग द्वारा संचालित संयुक्त राज्य सेवा परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा । दों–अधीनस्थ होमगार्ड सेवा समूह''ग'' के जिसमें प्रशासनिक अधिकारी ज्येष्ठ इन्सटक्टर , निरीक्षण अधिकारी , कम्पनी कमाण्डर,कमाण्डेण्ट, जिला प्रशिक्षण केन्द्र '' श्रेणी ग और घ '' प्रशासनिक सूबेदार और क्वार्टर मास्टर के पद भी समाविष्ट है, स्थायी सदस्यों में से पदोन्नति द्वारा : परन्तु सेवा में पदो पर भर्ती इस प्रकार की जायेगी कि यथा सम्भव 50 प्रतिशत पद पदोन्नत किये गये व्यक्तियों और 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती किये	1–प्रभागीय कमाण्डेन्ट ऐसे स्थायी कमाण्डेण्ट में से जिन्होंने इस रूप में आठ वर्ग की निरन्तर सेवा की हो : पदोन्नति द्वाराः– 2–कमांण्डेन्ट 1– आयोग द्वारा संचलित संयुक्त राज्य सेवा परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। 2–अधीनस्थ होमगार्ड सेवा समूह ''ग'' के जिसमें प्रशासनिक अधिकारी, ज्येष्ठ इन्सटक्टर, निरीक्षण अधिकारी, कम्पनी कमाण्डर, कमाण्डेन्ट, जिला प्रशिक्षण केन्द्र ''श्रेणी ''ग'' ओर ''घ'' ,प्रशासनिक सूबेदार ,और क्वार्टर मास्टर के पद समाविष्ट है, स्थायी सदस्यों मे से पदोन्नति द्वारा :

*उ0प्र0 होमगार्ड सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली–2009 दिनांक 13.03.2009 द्वारा प्रतिस्थापित
**उ0प्र0 होमगार्ड सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली–2015 दिनांक 21.01.2015 द्वारा प्रतिस्थापित
***उ0प्र0 होमगार्ड सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली–1988 दिनांक 25.11.1988 द्वारा प्रतिस्थापित

गये व्यक्तियों द्वारा भरी जाये किन्तु जहॉ किसी श्रेणी के पदो पर पदोन्नति के लिये उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो, वहॉ पदोन्नति के लिये भरी न गयी आरक्षित रिक्तियॉ सीधी भर्ती द्वारा भरी जायेगी ।	परन्तु कमाण्डेण्ट के पदों पर भर्ती इस प्रकार से की जायेगी कि यथासंभव 50 प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा और 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा भरी जायेः परन्तु यह और कि यदि किसी श्रेणी के पदों पर पदोन्नति के लिए उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो पदोन्नति के लिए न भरी गयी आरक्षित रिक्तियो को सीधी भर्ती द्वारा भरा जायेगा ।

*3– डिप्टी कमान्डेन्ट जनरल – मौलिक रूप से नियुक्त प्रभागीय कमान्डेन्ट जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को'' इस रूप में पॉच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, में से पदोन्नति द्वारा ।'

6 आरक्षण – अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियेा के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार किया जायेगा ।

भाग–चार –अर्हतायें

7.राष्टीयता– सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी :–

क–भारत का नगारिक को , या

ख–तिब्बती सरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो , या

ग–भारतीय उदभव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तााान,वर्मा, श्री लकां या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या, उगाण्डा ओर यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीवार) से प्रबजन किया हो :

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी ख या ग के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिऐ जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो ,

परन्तु यह और कि श्रेणी ख के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक , गुप्तचर शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लेंः,

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी ग का हो तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायगा कि वह भारत की नगरिकता प्राप्त कर लें ।

टिप्पणी :–ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले मे पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हों, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता हैं कि आवश्यक प्रमाण –पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाये।

शैक्षिक अर्हताए– 8–सेवा में सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की उपाधि होनी चाहिए ।

अधिमानी अर्हताएं– 9 –अन्य बातो ंके समान होने पर , ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने –

एक– प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो : या
ंदो– राष्टीय कैडेट कोर का ''बी '' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो ।
आयु–10–

मूल नियम	*दिनांक 25.11. 1988 द्वारा प्रतिस्थापित	**दिनांक 21.01.2015 द्वारा प्रतिस्थापित
सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु जिस वर्ष भर्ती की जाय् , उस वर्ष की पहली जनवरी को , यदि पद पहली जनवरी से 30 जून की अवधि में विज्ञापित किये जाये और पहली जुलाई को यदि पद पहली जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि में विज्ञापित किये जाये, 21 वर्ष की हो जानी चाहिऐ और 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए , परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाये, अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।	अंक " 28 के स्थान पर "30" रख दिया जायेगा	10–आयु–सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि पहली कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की, जिसमे सीधी भर्ती के लिए रिक्तियॉ विज्ञापित की जाय ,पहली जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो । परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाये, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

चरित्र – 11– सेवा में किसी पद पर सीधाी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके । नियुक्ति प्राधिकारी स्वयं इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा ।

टिप्पणी :– संघ सरकार या किसी राज्यसरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के 'स्वामित्व ' में या नियन्त्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नही ंहोगें । नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोष सिद्व व्यक्ति भी पात्र नहीं होगें ।

वैवाहिक प्रास्थिति :– 12– सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र नही होगा जिसकी एक से अधिक पत्निया जीवित हो और न ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से कोई पत्नी जीवित रही हो :

परन्तु राज्य पाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते है यदि उनका समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विघमान है ।

***उ0प्र0 होमगार्ड सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली–1988 दिनांक 25.11.1988 द्वारा प्रतिस्थापित**
****उ0प्र0 होमगार्ड सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली–2015 दिनांक 21.01.2015 द्वारा प्रतिस्थापित**

शारीरिक स्वस्थता–13–किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तभी नियुक्त किया जायेगा जब मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह ऐसे सभी शारीरिक दोष से मुक्त हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने मे बाधा पडने की सम्मावना हो । किसी अभ्यर्थी को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा परिषद द्वारा ली गयी स्वास्थ्य परीक्षा में सफल पाया जाय ।

*****'परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती दिये गये अभ्यर्थी के मामले में चिकित्सा परिषद द्वारा स्वास्थ्य परीक्षा की आवश्यकता नहीं होगी । ''

******परन्तु यह और कि सेवा में किसी पद पर किसी पुरूष अभ्यर्थी या महिला अभ्यर्थी को नियुक्त नहीं किया जायेगा यदि उसकी ऊँचाई और सीने की माप नीचे विहित न्यूनतम से कम न हो :–

	उचॉई	सीना बिना फुलाए	सीमा फुलाने पर
1– पुरूष अभ्यर्थी	165 से0मी0	84से0मी0	88 से0मी0
2– महिला अभ्यर्थी	150 से0मी0	79 से0मी0	89 से0मी0
3– पुरूष अभ्यर्थी कुमायू और गढवाल मण्डलों और अनुसूचित जनजाति के	160 से0मी0	84से0मी0	89 से0मी0

भाग पॉच –भर्ती की प्रकिया

14–रिक्तियों की अवधारण :–

मूल नियम	***दिनांक 25.11.1988 द्वारा प्रतिस्थापित**
नियुक्ति प्राधिकारी किसी भर्ती के वर्ष में भरी जाने वाली रिक्तियो की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों अनुसचित जन–जातियों औार अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा और उसकी सूचना आयोग को देगा ।	नियम 14 में, आये हुए शब्द '' ''भरी जाने वाली '' और ''रिक्तियों की संख्या'' के बीच में शब्द '' कमाण्डेण्ट के पदो पर '' बढा दिये जायेगें ।

सीधी भर्ती की प्रकिया– 15–

मूल नियम	****दिनांक 21.01.2015 द्वारा प्रतिस्थापित**
(1)–प्रतियोगिता परीक्षा मे सम्मिलित होने की अनुज्ञा केलिए आवेदन –पत्र आयोग द्वारा विहित प्रपत्र में आंमत्रित किये जायेगें जिसे आयोग के सचिव से प्राप्त किया जा सकता है ।	प्रतियोगिता परीक्षा मे सम्मिलित होने की अनुज्ञा हेतुआवेदन पत्र आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में प्रकाशित प्रपत्र में आयोग द्वारा आमंत्रित किये जायेगें ।

***उ0प्र0 होमगार्ड सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली–1988 दिनांक 25.11.1988 द्वारा प्रतिस्थापित**
****उ0प्र0 होमगार्ड सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली–2015 दिनांक 21.01.2015 द्वारा प्रतिस्थापित**

(2)– किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में तब तक सम्मिलित नहीं होने दिया जायेगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा दिया गया प्रवेश प्रमाण–पत्र न हो ।

(3)–आयोग , लिखित परीक्षा के परिणाम प्राप्त होने और सारणीबद्व करने के पश्चात ,नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उतने अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिये बुलायेगा जितने लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर आयोग द्वारा इस सम्बन्ध में निर्धारित स्तर तक पहॅुच सके हो ।साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को दिये गये अंक लिखित परीक्षा में उसके प्राप्त अंकों में जोड दिये जायेगें।

मूल नियम	*दिनांक 21.01.2015 द्वारा प्रतिस्थापित
(4)–आयोग अभ्यर्थियों की, उनकी प्रवीणता क्रम में, जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त अंको के कुल योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा और उतने अभ्यर्थियो की संस्तुति करेगा जितने वह नियुक्ति के लिये उचित समझे । यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल योग में बराबर–बराबर अंकं प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियो का नाम सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा ।सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक 25 प्रतिशत से ज्यादा अधिक नहीं होगी। आयोग सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा । **टिप्पणी :–** प्रतियोगिता परीक्षा के लिये पाठय–क्रम और नियम ऐसे होगें जैसें आयोग द्वारा समय–समय पर राज्य पाल के अनुमोदन से विहित किये जाये ।	4–आयोग अभ्यथियों की, उनकी प्रवीणता क्रम में , जैसा लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त प्राप्त अंको के कुलयोग से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को संस्तुति करेगा जितने वह नियुक्ति के लए उचित समझे । यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल योग में बराबर– बराबर अकं प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यथि नाम सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा। यदि दो या अधिक लिखित परीक्षा में भी बराबर बराबर अंक प्राप्त करें तो अभ्यर्थियों के नामों को आयोग की सामान्य नीति के अनुसार व्यवस्थित किया जायेगा । आयोग सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा । **टिप्पणी** –प्रतियोगिता परीक्षा के लिए पठयक्रम और नियम ऐसे होगे जैसे आयोग द्वारा समय–समय पर आयोजित सम्मिलित राज्य सेवा परीक्षा के लियि विहित किये जाय ।

पदोन्नति द्वारा भर्ती –16–

मूल नियम	**दिनांक 25.11.1988 द्वारा प्रतिस्थापित
सेवा में पदो पर पदोन्नति द्वारा भर्ती योग्यता के आधार पर, समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली ,1970 के अनुसार की जायेगी ।	नियम 16 में,शब्द ''सेवा में '' ''और''पदों पर '' के बीच में शब्द ''कमाण्डेण्ट के '' बढा दिया जायेगें ।

***डिप्टी कमाण्डेण्ट जनरल और प्रभागीय कमाण्डेण्ट के पदों हेतु पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया–**

*दिनांक 25.11.1988 द्वारा बढाया जाना	**दिनांक 12.03.1996 द्वारा प्रतिस्थापित	***दिनांक 21.01.2015 द्वारा प्रतिस्थापित
'16–क(1)– प्रभागीय कमान्डेण्ट के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते	''16–क– 1– डिप्टी कमान्डेन्ट जनरल और प्रभागीय कमान्डेन्ट के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती समय–समय पर यथा	16–क(1) डिप्टी कमाण्डेण्ट जनरल और प्रभागीय कमाण्डेण्ट के पदों हेतु पदोन्नति द्वारा भर्ती ,समय समय पर

***उ0प्र0 होमगार्ड सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली–2015 दिनांक 21.01.2015 द्वारा प्रतिस्थापित**
****उ0प्र0 होमगार्ड सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली–1988 दिनांक 25.11.1988 द्वारा प्रतिस्थापित**

हुए , ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से की जायेगी जिसमें निम्नलिखित होगें . एक–सचिव ,नागरिक सुरक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, और दो–सचिव , कार्मिक विभाग ,उत्तर प्रदेश सरकार और तीन–कमाण्डेण्ट जनरल। 2– नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों को ज्येष्ठता –कम में,एक पात्रता सूची तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे संबंधित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ जो उचित समझे जाये चयन समिति के समक्ष रखेगा । 3– चयन समिति उप नियम 2– में निर्दिष्ट अभिलेखेां के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो वह अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है । 4– चयन समिति, चयन किये गये अभ्यर्थियों को, ज्येष्ठता –कम में,एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रंसारित करेगी ं।''	संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड नियमावली ,1994 में दिये गये मानदण्ड के आधार पर चयन समिति के माध्यम से की जायगी जिसमे निम्नलिखित होगे । एक– सचिव ,नागरिक सुरक्षा विभाग ,उत्तर प्रदेश सरकार, दो– सचिव, कार्मिक विभाग ,उत्तर प्रदेश सरकार या उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई अधिकारी, जो सयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश से अनिम्न स्तर का हो। तीन– कमाण्डेन्ट जनरल । टिप्पणी – ज्येष्ठ सचिव समिति का अध्यक्ष होगाः परन्तु यदि इस प्रकार गठित चयन समिति में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जन जातियों और पिछले वर्गो के प्रत्येक के व्यक्ति सम्मिलित न हों तो ऐसी जातियों/ जनजातियों और वर्गो के, जिनका चयन समिति में प्रतिनिधित्व न हो, एक अधिकारी , जो संयुक्त सचिव ,उत्तर प्रदेश सरकार से अनिम्न स्तर का हो, को चयन समिति के सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट किया जायगा। स्पष्टीकरण – ''पिछडे वर्गो'' का तात्पर्य समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियो /अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गो के लिए) ,आरक्षण अधिनियम ,1994 की अनुसूची एक में विनिदिष्ट नागरिकों के पिछडे वर्गो से है । 2– नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यथियों की पात्रता सूचियॉ समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता, सूची नियमावली ,1986 के अनुसार तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जाय, चयन समिति के समक्ष रखेगा। 3–चयन समिति उपनियम 2– में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियो के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझें तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है। 4– चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता कम में , जैसी उस संवर्ग में हो, जिससे उनकी पदोन्नति	यथा संशोधित उत्तर प्रदेश विभागीय पदोन्नति समिति का गठन,सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों के लिये नियमावली, 1992 के उपबंधों के अनाुसार गठित चयन समिति के माध्यम से समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड नियमावली 1994 में दिये गये मानदण्डों के आधार पर की जायेगी। टिप्पणीः–चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नाागरिकों के अन्य पिछडे वर्गो को प्रतिनिधित्व देने के लिए अधिकारियों का नाम निर्देशन समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 की धारा–7 के अधीन किये गये आदेषानुसार किया जायेगा। (2) नियुक्ति प्राधिकारी, समय–समय पर यथासंषेाधित उत्तर प्रदेष (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 1986 के अनुसार अभ्यर्थियों की पात्रता सूचियां तैयार करेगाा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जाय, चयन समिति के समक्ष रखेगा। (3) चयन समिति उपनियम (2) में निर्दिश्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवष्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है। (4) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में जैसी उस संवर्ग में हो, जिससे उसकी पदोन्नति की जानी है, एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

***उ0प्र0 होमगार्ड सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली–1988 दिनांक 25.11.1988 द्वारा प्रतिस्थापित**
****उ0प्र0 होमगार्ड सेवा (द्वितीयसंशोधन) नियमावली–1996 दिनांक 12.03.1996 द्वारा प्रतिस्थापित**
*****उ0प्र0 होमगार्ड सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली–2015 दिनांक 21.01.2015 द्वारा प्रतिस्थापित**

	की जानी है, एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।''	

संयुक्त चयन सूची–17–यदि नियुक्ति सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जानी हो तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी जिसमें अभ्यर्थियों के नाम नियम 15 और 16 के अधीन तैयार की गयी सूचियो से अनुकूलतः इस प्रकार लिये जायेगे कि सीधे भर्ती किये और पदोन्नति किये गये व्यक्तियों का विहिप प्रतिशत बना रहें । सूची में पहला नाम नियम 16 के अधीन तैयार की गयी सूची से होगा।

भाग–छ नियुक्ति ,परिबीक्षा स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति –18–

मूल नियम	***दिनांक 25.11.1988 द्वारा प्रतिस्थापित**
(1)– उपनियम 2– के उपबन्धो के अधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी,अभ्यथियों की नियुक्तियॉ उसी क्रम में करेगा जिसमें उनके नाम यथास्थिति , नियम 15,16 ,या 17 के अधीन तैयार की गयी सूचियों मे ंहों,	नियम 18 के उप–नियम 1 मे, अक''16'' और शब्द ''या'' के बीच में कामा, अंक और अक्षर ",16–क'' बढा दिये जायेगे ।

(2)– जहॉ , भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियॅा सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जानी हो वहॉ नियमित नियुक्तियॉ तब तक नहीं की जायेगी ,जब तक कि दोनों ंश्रोतो से चयन न कर लिया जाय और नियम 17 के अनुसार एक संयुक्त सूची न तैयार कर ली जाय।

(3)– यदि किसी एक चयन के संबंधमें नियुक्त के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नामो ंका उल्लेख, यथास्थिति , चयन में यथा अवधारित या उस सम्वर्ग में जिससे उन्हें पदोन्नत किया जाय् विधमान ज्येष्ठताक्रम में किया जायेगा । यदि नियुक्तियॉ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनो ंप्रकार से की जाये तो नाम नियम 17 के अधीन तैयार की गयी सूची के अनुसार रखे जायेगे।

मूल नियम	***दिनांक 21.01.2015 द्वारा प्रतिस्थापित**
(4)–नियुक्ति प्राधिकारी अस्थायी या स्थानापन्न रूप में भी उपनियम 1– में निर्दिष्ट सूचियों से नियुक्तियॉ कर सकता हे । यदि इन सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह ऐसी रिक्तियों में इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिये पात्र व्यक्तियों मे ंसे नियुक्तियॉ कर सकता है । ऐसी नियक्तियॉ एक वर्ष की अवधि या इस नियमावली के अधीन अगला चयन किये जाने तक, इनमें से जो भी पहले से अधिक नहीं चलेगी । और प्रदेश लोक सेवा आयोग कृत्यों का परिसीमन ,विनियम , 1954 के विनियम –5 क के उपबन्ध लागू होगें ।	नियम 18 के उप–नियम–4 का निकाल दिया जायेगा।

****उ0प्र0 होमगार्ड सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली–1988 दिनांक 25.11.1988 द्वारा प्रतिस्थापित**

परिबीक्षा–19– (1)– सेवा में किसी पद पर किसी स्थायी रिक्त्ति में या उसके प्रति नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिये परिबीक्षा पर रखा जायेगा ।

(2)–नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणें से, जो अभिलिखित किये जायेगे , अलग–अलग मामलो ंमें परिवीक्षा–अवधि को बढा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक– विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढांयी जाय ।

परन्तु आपवादिक परिस्थितियो ंके सिवाय परिबीक्षा –अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति मे ंदो वर्ष से अधिक नहीं बढायी जायेगी ।

(3)–यदि परिबीक्षा –अवधि या बढायी गयी परिबीक्षा–अवधि के दौरान किस समय या उसके अन्त मे नियुक्ति प्राधिकारी को यह्न प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नही ंकिया है या संतोषप्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर यदि कोई हो , प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है ।

(4)–उपनियम 3– के अधीन जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति को प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवाये समाप्त की जायें वह किसी प्रतिकर का हकदार न होगा।

(5)– नियुकित प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलिति किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवाको परिवीक्षा अवधि की गणना के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है ।

प्रशिक्षण और विभागीय परीक्षा

20–परिवीक्षा–अवधि के दौरान किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति से ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करने और ऐसी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जायेगी जैसी सरकार द्वारा समय–समय पर विहित की जाय् ।

स्थायीकरण– 21–

मूल नियम	*दिनांक 21.01.2015 द्वारा प्रतिस्थापित
21–स्थायीकरण–किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा–अवधि या बढायी गयी परिवीक्षा–अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा यदि – (एक)–उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक पाया जाय! (दो)–उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय और (तीन)–नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो	21–स्थायीकरण–(1) उपनियम (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा यदिः– (एक) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय, (दो) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय, और , (तीन) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किये जाने के लिये अन्यथा उपयुक्त है। (2) जहॉ उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण

***उ0प्र0 होमगार्ड सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली–2015 दिनांक 21.01.2015 द्वारा प्रतिस्थापित**

जाय कि वह स्थायीकरण के लिये अन्यथा उपयुक्त है ।	नियमावली–1991 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है वहाँ उस नियमावली के नियम–5 के उप नियम(3) के अधीन यह घोषणा करते हुए आदेश कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

ज्येष्ठता –22–

मूल नियम	***दिनांक 21.01.2015 द्वारा प्रतिस्थापित**
(1)– एतद्पश्चात यथा उपबन्धित के सिवाय किसी श्रेणी के पदो पर व्यक्तियों की ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाये तो उस क्रम से जिसमे उनके नाम नियुक्ति के आदेश मे रखे गये हो, अवधारित की जायगी । परन्तु यदि नियुक्ति के आदेश में किसी व्यक्ति की मौलिक रूप से नियुक्ति का कोई विशिष्ठ पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाय तो उस दिनांक को मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक समझा जायगा और अन्य मामलों में उसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगा : परन्तु यह और कि यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जाये तो ज्येष्ठता वही होगी जो नियम 18 के उपनियम 3– अधीन जारी किये गये नियुक्ति के संयुक्त आदेश मे उल्लिखित हो । (2)– किसी एक चयन के परिणाम के आधार पर सीधे नियुक्ति किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो आयोग द्वारा अवधारित की गयी हो : परन्तु सीधी भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है, यदि किसी रिक्त पद का उसे प्रस्ताव किये जाने पर वह युक्तियुक्त कारणें के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहे । कारण की युक्तियुक्तता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा । (3)– पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वहीं होगी जो उस संवर्ग मे रही हो जिससे उनकी पदोन्नति की गयी थी। (4)–जहॉ नियुक्तियॉ पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनो प्रकार से या एक से अधिक श्रोतो से की जाय और श्रोतो का अलग– अलग कोटा विहित हो, वहॉ उनकी परस्पर ज्येष्ठता नियम 17 के अनुसार तैयार की गयी संयुक्त सूची में, उनके नाम रखकर ऐसी रीति से अवधारित की जायेगी कि विहित प्रतिशत बना रहे । परन्तु जहॉ, किसी श्रोत से भरी न गयी रिक्तियॉ, सुसंगत नियम में उल्लिखित परिस्थितियेां मे इस नियमावली के अनुसार अन्य श्रोतों से भरी जाय और इस प्रकार कोटे से अधिक नियुक्तियॉ की जाये, वहॉ इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों को उसी वर्ष की ज्येष्ठता दी जायेगी मानों उन्हें उनके कोट्टे की रिक्तियों के प्रति ही नियुक्त किया गया हों ।	सेवा में किसी श्रेणी के पद पर मौलिक रुप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली ,1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

भाग–सात – वेतन इत्यादि

वेतनमान–23–(1)–सेवा में किसी पद पर , चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप में हो या अस्थायी आधार पर , नियुक्त व्यक्तियों का अनुमान्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय ।

***उ0प्र0 होमगार्ड सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली–2015 दिनांक 21.01.2015 द्वारा प्रतिस्थापित**

मूल नियम	*दिनांक 25.11.1988 द्वारा प्रतिस्थापित
(2)—इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमान— रू0850—40—1050—द0रो0—50—1300—60—420—द0रो0—60—1720 रूपया है ।	(एक)—इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमान निम्नलिखित हैः— एक—कमाण्डेन्ट के पद के लिए — 850—40—1050—द0रो0—5071300—60—1420—द0रो0—60—1720 रूपया (दो)—प्रभागीय माण्डेन्ट के पद के लिये—1250—50—1300—60—1660—द0रो0900—75—2050 रूपया

**दिनांक 12.03.1996 द्वारा प्रतिस्थापित	***दिनांक 21.01.2015 द्वारा प्रतिस्थापित
पदनाम— 1— कमान्डेन्ट/जिला कमान्डेन्ट/नगर कमान्डेन्ट/कनिष्ठ स्टाफ अधिकारी/कमान्डेन्ट, जिला प्रशिक्षण केन्द्र श्रेणी''क'' और ''ख''— वेतनमान — रू0— 2200—4000 पदनाम—2— प्रभागीय कमान्डेन्ट/ज्येष्ट स्टाफ अधिकारी/कमान्डेन्ट केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान— वेतनमान ,रू0— 3000—4500 पदनाम— 3—डिप्टी कमान्डेन्ट जनरल वेतनमान रू0— 4100—5300	पदनाम—1—कमान्डेन्ट/जिला कमान्डेन्ट/नगर कमान्डेन्ट/कनिष्ठ स्टाफ अधिकारी/कमान्डेन्ट, जिला प्रशिक्षण केन्द्र श्रेणी''क'' और ''ख''— वेतनवैण्ड का नाम / तत्सदृश वेतन वैण्ड (रू0) / तत्सदृश ग्रेड वेतन (रू0): वेतन बैण्ड—3 / 15600—39100 / 5400 2— प्रभागीय कमान्डेन्ट/ज्येष्ट स्टाफ अधिकारी/कमान्डेन्ट केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान— वेतनवैण्ड का नाम / तत्सदृश वेतन वैण्ड (रू0) / तत्सदृश ग्रेड वेतन (रू0): वेतन बैण्ड—3 / 15600—39100 / 6600 3—डिप्टी कमान्डेन्ट जनरल वेतनवैण्ड का नाम / तत्सदृश वेतन वैण्ड (रू0) / तत्सदृश ग्रेड वेतन (रू0): वेतन बैण्ड—4 / 37400—67000 / 8700

परिवीक्षा अवधि में वेतन —24— (1)— फण्डामेन्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपलब्ध के होते हुए भी , किसी भी किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतन बृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, जहॉ विहित हो विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो और द्वितीय वेतनबृद्वि दो वर्ष की सेवा के पश्चात तभी दी जायगी जब उसने परिवीक्षा —अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया हो :

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण वरिवीक्षा अवधि बढायी जाय तो इस प्रकार बढायी गयी अवधि की गणना वेतन बृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दों ।

(2)— ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा —अवधि में वेतन सुंसगत फण्डामेन्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगा :—

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा—अवधि बढायी जाय तो इस प्रकार बढायी गयी अवधि की गणना वेतन बृद्धि के लिये नहीं की जायगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें ।

***उ0प्र0 होमगार्ड सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली—1988 दिनांक 25.11.1988 द्वारा प्रतिस्थापित**
****उ0प्र0 होमगार्ड सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली—1996 दिनांक 12.03.1996 द्वारा प्रतिस्थापित**
***उ0प्र0 होमगार्ड सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली—2015 दिनांक 21.01.2015 द्वारा प्रतिस्थापित**

(3)– ऐसे व्यक्ति को जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि मे ंवेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा ।

दक्षता रोक पार करना– 25–किसी भी व्यक्ति को –

(एक)–प्रथम दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक न पाया जाय और उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जायः

(दो) – द्वितीय दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि उसे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्य पर्यवेक्षण करने मे ंपूर्ण रूप से सक्षम न पाया जाय,उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय ।

भाग – आठ – अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन – 26– नियमो ंके अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर चाहे वह लिखित हो या मौखिक,विचार नहीं किया जायेगा । किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा ।

अन्य विषयों का विनियमन– 27–ऐसे विषयों के सम्बन्ध मे ंजो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अर्न्तगत न आते हों,सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध मे ंसेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशें द्वारा नियंत्रित होगें ।

सेवा की शर्तो में शिथिलता – 28– जहॉ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ठ मामलें मे ंअनुचित कठिनाई होती है वहॉ वह उस मामलें में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा , उस सीमा तक और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझ, उस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्ति दे सकती है या उसे शिथिल कर सकती हैः परन्तु जहॉ कोई नियम– आयोग के परामर्श से बनाया गया हो, वहॉ उस नियम से अभिमुक्ति देने या उसे शिथिल करने के पूर्व आयोग से परामर्श किया जायेगा।

व्यावृत्ति–29– इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतो पर नहीं पडेगा जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों और व्यक्तियों की अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये उपलब्ध किया जाना अपेक्षित हों ।

आज्ञा से
राम चन्द्र टकरू,
गृह सचिव,